जम्मू–कश्मीर की

# संघर्ष गाथा

# प्रजा परिषद्

का इतिहास

# जम्मू कश्मीर की संघर्ष गाथा
# प्रजा परिषद्
## का इतिहास

द्वारा

**कुल भूषण मोहत्रा**

भारतीय जनता पार्टी

**प्रकाशक**

भारतीय जनता पार्टी
नाना जी देशमुख पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग,
मुख्यालय: त्रिकुटा नगर, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
ईमेल :– bjpsojk@gmail.com
दूरभाष :– 0191–2477235

**ISBN**
**978-93-5311-335-3**

**संस्करण**

मल्यू –. 695.00 रू0

**मुद्रक**

सी. के. मुद्रक एवं प्रकाशक
न्यू प्लाटस, जम्मू (जम्मू व कश्मीर)
मो0 94191–87650

# दृढ़ डोगरा

जम्मू व कश्मीर में प्रजा–परिषद् का आविर्भाव लोकतंत्र की भावना को जीवित बनाए रखनें के लिए हुआ था। यद्यपि बहुत सारे लोग विविध प्रकार के प्रभावों में आकर झुक रहे थे परंतु पंडित जी एक चट्टान की भांति अड़िग रहे। उन्होंनें अपनी उम्र को नजरअंदाज करते हुए सभी कष्टों एवं कठिन परिस्थितियों को दृढ़तापूर्वक और पक्के इरादों के साथ सामना किया।

अनेक पर्यवेक्षकों की यह धारणा है कि, "....पंडित प्रेम नाथ डोगरा ही प्रजा–परिषद् थे या अन्य शब्दों में कहें तो परिषद् और समाज की सेवा पंडित जी के आधारभूत कार्य थे। उनके लिए भारत देश सही मायनें में माँ स्वरुप था– भारत माता"।

अतः यह पुस्तक इस महान आत्मा को समर्पित है जिनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय, लैंगिक एवं धार्मिक विषमताओं के बावजूद सबको समानाधिकार दिलवाने के साथ–साथ भारत की एकता एवं अखंडता था। बहुत सारे लोगों की यह अभिलाषा थी कि एक ऐसी पुस्तक हो जो देश और मानवता की सेवा में रत लोगों का पथ प्रदर्शक बने।

## मेरा नवीन लक्ष्य (कार्य)

वर्ष 2017 की शुरुआत में विभिन्न विभागों की अपने–अपने प्रमुख प्रभारियों सहित घोषणा की गेई। यह मेरे लिए सम्मान की बात थी कि मुझे हाल ही में बने पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं पिछले दो दशकों से भा॰ज॰पा से संबंधित हूँ। मेरा अधिकतर योगदान औद्योगिक क्षेत्र में रहा है इसलिए यह विभाग मेरे लिए नया ही नहीं अपितु चुनौतीपूर्ण भी था। मैं दृढ़तापूर्वक अनुभव करता हूं कि प्रजा परिषद् का देशभक्ति पूर्ण आंदोलन सभी का ज्ञात होना चाहिए। पार्टी की प्रत्येक घटनाएं एवं उसके कार्य–कर्ताओं के योगदान सचमुच हम सभी के द्वारा स्वीकार करने योग्य हैं। इसलिए एक महान गर्व के साथ मैंनें इस कार्य को स्वीकार कर लिया और राज्य में तानाशाही के अंत के लेकर 1947 में भारत के दुःखद सांप्रदायिक विभाजन और जम्मू व कश्मीर मे नए विधान जिसे लोकशाही कहा गया, के आविर्भाव तक अनुसंधान किया राज्य में यह सारा परिवर्तन घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला है जिसकी शुरुआत प्रजा परिषद् के साथ हुई और बाद में जिसका विलय भारतीय जनसंघ के साथ हो गया और अब भा॰जा॰पा॰ के रुप में अवतरित हुई है। मुड़कर अपने इतिहास की ओर जाते हुए हमें उन लंबी चली श्रृंखलाबद्ध आंदोलनकारी घटनाओं की जानकारी होगी जिनकी बदोलत अलगाववादी एवं अर्धपृथकतावादी परिकल्पनाओं को विफल किया जा सका और हमारा राज्य देश के अन्य राज्यों की भांति बराबरी पर आ सका।

### एक महान आंदोलन–

जम्मू व कश्मीर और भारत के अन्य भागों के मध्य अवरोधकों को हटाने के लिए हुए संघर्ष की विशालता का अनुमान इस घटना से भी लगाया जा सकता है जिसमें इस धरती पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने की

कोशिश करते हुए लगभग 16 लोगों का अपनी जान गवानी पड़ी और अन्य कई घायल हो गए। सहस्रों को भयानक परिस्थितियों में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन सभी में से सामाजिक एवं राजनैतिक व्यक्तित्व, आदरनीय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी एक थे।

विशेषतया इस आंदोलन के दौरान अत्यंत उत्कृष्ट तत्कालीन, संसद के विपक्षी नेता डॉ॰ मुखर्जी को राज्य में बिना परमिट (बीसा के समतुल्य दस्तावेज है जो दूसरे देशों मे जाने के लिए आवश्यक होता है) के दाखिल होने पर बंदी बना दिया गया। बंदी बनाने के पश्चात डॉ॰ मुखर्जी को श्रीनगर के बाहरी इलाके "निशात बाग" में मालियों के लिए बनी एक झोपड़ी में रखा गया।

डॉ॰ मुखर्जी की मृत्यु 22/23 जून 1953 की काली रात को रहस्यमयी परिस्थितयों में हुई। तत्कालीन बंगाल के मुख्यमंत्री श्री बी.सी. राय, बुजुर्ग माँ श्रीमति योगमाया एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों द्वारा माँग करने के बावजूद भी कोई पूछताछ नहीं करवाई गई। यह सब कई दशकों पहलें घटित हुआ था इसलिए समेकित एवं प्रामाणिक सूचना मिलना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है । यह अतिमहत्पूर्ण था कि समाज के समीप एक बार लौट कर पीछे जाते हुए, संपूर्ण अनुसंधान करते हुए उन लोगों से मिला जाए जिन्होने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की एवं योगदान दिया। दुर्भाग्यवश उन में से कुछ हमसे बिछुड़ चुके हैं और कुछ प्रामाणिक आंकड़े न होने के कारण अधिक मदद नहीं कर सके।

प्रेरक बल होने के नाते पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की जीवनी पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दृष्टिपात करना भी आवश्यक है। अनुसंधान के इस पड़ाव के दौरान पंडित प्रेमनाथ डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट के सदस्य 92 वर्षीय श्री मुल्कराज पारगल जी से मिलना सम्मान योग्य बात थी परंतु वह अनुसंधान में योगदान नहीं कर सके क्योंकि जब पुनः हम उनसे मिलने गए तो वह भी हमसे बिछुड़ चुके थे। अपने इतिहास से जुड़ने का अवसर प्रात्त हुआ जिसके लिए मैं बड़ा आभारी हूँ। जिसके कारण मैं 22 (1950–1972) वर्षों तक प्रजा परिषद्। भारतीय जनसंघ और पंडित जी के सान्निध्य में रहे अनुभवी प्रत्रकार श्री गोपाल सच्चर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। अपने आने को उद्देश्य बताने पर श्री सच्चर जी

निःसंकोच यथा संभव मद्द देन के लिए सहमत हो गए। श्री सच्चर जी ने प्रजा परिषद् की आधिकारिक साप्ताहिक पत्रिका, "जय स्वदेश" की यह 60 वर्ष पुरानी फाईल यह कहते हुए सौंप दी कि यह प्रजा परिषद् की पूंजी थी और अब भाजपा को इसकी देखरेख करनी चाहिए। "जय स्वदेश" का यह दस्तावेज़ सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले प्रजा परिषद् के नेताओं के परिवार वालों एवं कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने में सहायक सिद्ध हुआ। कुछ पत्रों एवं दस्तावेजों के अतिरिक्त उन्होंनें पंडित जी एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं के जीवन एवं कार्यक्रमों से संबंधित दुर्लभ चित्र भी प्रदान किए।

मैनें प्रजा परिषद् के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय सांझीराम द्वारा जेल में लिखी गई निजी दैनंदिनी भी पढ़ी जिसमें उन्होंने राष्ट्रीयवादी कार्यकर्ताओं को दी जाने वाली यात्नाओं एवं भयावह परिस्थितियों का वर्णन किया हुआ था।

कई वर्ष पूर्व स्वर्गीय श्री सांझीराम ने इस दैनंदिनी को पुस्तक के रुप में छपवाया जिसका शीर्षक था, "विषधारा–370"।

हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, श्री राम लाल जी एवं कन्द्रीय पुस्तकालय एवं राष्ट्रीय प्रलेखन विभाग के सस्दयों द्वारा जम्मू दौरे के दौरान 30–4–2017 को भाजपा मुख्याल्या त्रिकुटा नगर, जम्मू में पुस्तकालय का उदघाटन करना हृदयोन्मादिनी दृश्य था।

इस पुस्तकालय का नाम महान सामाजिक एवं देशभक्त नेता "नाना जी देशमुख" के नाम पर रखा गया है।

यह उद्घाटन अधिक से अधिक कड़ियों को एकत्रित कर प्रजा परिषद् के इतिहास संबंधित इस पुस्तक को बुननें के प्रयासों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ।

**अनुभव–**

प्रजा परिषद् और भारतीय जनसंघ के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों संबंधित आँकड़े, चित्र एवं तथ्य एकत्रित करनें के प्रयासों के दौरान कई अनुभव हुए जिन्हें मैं यहाँ बाँटना चाहूँगाः–

1. तत्कालिन नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के कुछ रिश्तेदारों ने अपनें बड़ों के चित्र प्रदान करनें और भूमिका के बारे में सूचना देनें में सहयोग किया।

2. आभास करवानें के बावजूद भी अपनें बड़ों की भूमिका के बारे में बतानें के इस अभियान को सहयोग देनें के लिए कुछ लोग ही संपर्क में आए। उनके द्वारा बताई जा सकनें बाली जानकारी को लेखाबद्ध करनें के प्रयास जारी हैं।

3. मज़े की बात यह है कि कुछ लोग अपने बड़ों (बुजुर्गों) को अंकित करवाने पहुँचे जिनका किसी न किसी रुप में योगदान रहा था। परंतु ऐसे मामलों की प्रथमिकता परखनें के प्रयास जारी हैं।

तब भी कुछ सामग्री प्रजा–परिषद् के तत्कालीन महामंत्री श्री दुर्गा दास वर्मा के सुपुत्र श्री राजन वर्मा द्वारा प्रदान की गई और तत्कालीन जम्मू शहर के अध्यक्ष श्री अमरनाथा गुप्ता द्वारा चित्र उपलब्ध करवाए गए और प्रो॰ विधा भूषण जी नें रिकाड़ फाइलें उपलब्ध करवाई।

मेरे लिए यह बड़ी ज्ञान वर्धक एवं चिरस्थायी घटना थी। पिछले छः महीनों में मुझे अपने इतिहास के समीप आने का अवसर प्राप्त हुआ और ऐसा विश्वास करता हूँ कि पाठकगण पंडित प्रेम नाथ ड़ोगरा जी की सामजिक एवं देश भक्ति से ज्ञान संपन्न हो सकेंगे कि देश और समाज के सेवा कैसे की जा सकती है।

सभी वरिष्ठ पार्टी सदस्यों, व्यक्तियों और अन्य का बड़ आभारी हूँ जिन्होंने ऐतिहासिक आंदोलन पर आधारित इस पुस्तक के लिए सामग्री एकत्रित एवं संकलित करने में सहायता की ताकि प्रजा परिषद्, भारतीय जन संघ के विस्मृत कार्यकर्ताओं को इसमें सम्मलित किया जा सके जो परिषद् के वास्तविक सैनिक, प्रचारक थे और जिन्होंने किसी भी प्रकार से योगदान दिया है उन्हें स्मरण करने के यथा संभव प्रयास ज़ारी रहेंगे।

कुल भूषण मोहत्रा
प्रभारी – नाना जी देशमुख पुस्तकालय
एवं प्रलेखन विभाग
भारतीय जनता पार्टी (ज.व.क)
+91 9419189333
ई मेलः kulbjp2017@gmail.com
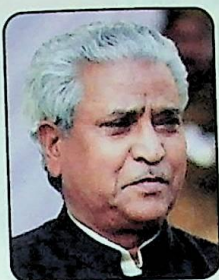
## प्राक्कथन

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने 1947 में अंग्रेजों को भारत छोडने के लिए विवश कर दिया। ब्रिटिश ''युनियन जैक'' पैक हो चुका था अर्थात अपना बोरिया–बिस्तरा बांध चुका था और भारतीय तिरंगा प्राचीन भारतीय राष्ट्र के आकाश में ऊंची–उड़ान भरने लगा था। हम इंडिया अर्थात भारत के लोग, भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में चयनित करने (गढ़ने) हेतु दृढ़संकल्प थे। यद्यपि परिवर्तन इतना सहज नहीं था, फिर भी, किसी प्रकार, महाराज हरि सिंह द्वारा शसित जम्मू व कश्मीर रियासत भारत का अभिन्न अंग बन गई। महाराज जो कि अपनी रियासत के भाग्य के बारे में निर्णय लेने वाले एकमात्र कानूनी एवं संवैधानिक प्राधिकारी थे, इसलिए उन्होंने विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।
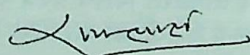
जिस विलय प्रपत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, वह किसी भी प्रकार से उन दस्तावेजों से भिन्न नहीं था जिस पर अन्य राज्यों ने भारत का अभिन्न अंग बननें के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे। परंतु इस सरल एवं स्पष्ट कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति का जम्मू ओर कश्मीर रियासत के साथ–साथ देश के अन्य हिस्सों मे भी जानबूझकर गलत अर्थ निकाला गया और अनुचित ढंग से इसे प्रस्तुत करते हुए इसका अशुद्ध उद्धरण किया गया। इसी संदर्भ में, भारत विरोधीयों और अलगाववादियों ने एक सुनियोजित अभियान चलाया, परंतु जो लोग ब्रिटिश राज–मुकुट और राष्ट्रवादी महाराजा के कानूनी और संवैधानिक उत्तराधिकारी बनें, वे लोग भी देश के राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने में उनसे (भारत विरोधीयों एवं अलगाववदियों) पीछे नहीं रहें। यह सारी बातें (तथ्त) इतिहास का एक हिस्सा है। जम्मू कश्मीर का भारत का साथ परिग्रहण होने से पहले और उसके पश्चात की घटनाओं का कालक्रम पहले उदाहरण में थोडा सा जटिल प्रतीत हो सकता है, परन्तु राज्य की संवैधानिक और कानूनी स्थिति के बारे में पर्याप्त और अप्रतिवाध स्पष्टता है। जिस क्षण महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय प्रपत्र को भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल द्वारा विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया था, तो उसी क्षण संपूर्ण जम्मू व कश्मीर रियासत जो कि 15–08–1947 को महाराजा के शासन में थी भारत का एक अविभाज्य अंग बन गयी।

इसी प्रकार का दुष्प्रचार हम सब भारत के लोग और यहां तक कि हमारी संसद भी बार–बार सुस्पष्ट ढंग से दावा करती रहीं एवं बीच में ही प्रवचन देती रही जिसका एकमात्र उद्देश्य हमेशा से ही सत्य को गलत सिद्ध करना और महत्वहीन बताना रहा है। जम्मू व कश्मीर के कुछ भागों में राष्ट्रीवादी शक्तियों द्वारा बौद्धिक और शारीरिक हिंसा के बीच प्रताडना झेलते हुए जम्मू व कश्मीर पर दिए जा रहे प्रवचनों के आवश्यक पाठ्यक्रमों में सुधारवादी प्रयास गति पकड़ रहे हैं। राज्य के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों पर भारतीय दृष्टिकोण और प्रामाणिक स्थिति को दर्शाती कई पुस्तकें, वृतचित्र और दस्तावेज पिछले कुछ वर्षों में प्रकाशित हुए हैं। प्रस्तुत पुस्तक का यह खंड जो हमारे हाथ में है, इसका एकमात्र उद्देश्य पाठ्यक्रम सुधार के चल रहे इन कार्यों में ''पूरक'' के रूप में योगदान करना है। यह कार्य बहुत अधिक प्रासंगिक हो जाते है क्योंकि इस पुस्तक (खंड) का एकमात्र उद्देश्य प्रजा परिषद् आंदोलन और र्स्व. श्री पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा निभाई गई महान भूमिका के दस्तवेजीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। जिस प्रकार से प्रजा परिषद् जम्मू व कश्मीर के तत्कालीन नेतृत्व के दुष्ट प्रारूपों (रूपरेखाओं) के विरूद्ध उठ खडी हुई थी उन्हें गत वर्षों के दौरान ठीक से संकलित किया जाना चाहिए था। परंतु अतीत में कई प्रयासों के बावजूद इस बड़े पैमानें पर नहीं किया जा सका।

मुझे विश्वाय है कि यह परियोजना, जम्मू व कश्मीर के वर्तमान इतिहास के संदर्भ में पहले से एकत्रित ज्ञान के भंड़ार को सुदृढ़ करेगी एवं अंतराल को भरेगी। आइए हम सब इस परियोजना को ज.व.क. के उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में ले जिन्होनें 1947–48 में सीमाओं पर लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। स्व. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे प्रकाश पुंज से लेकर वर्तमान में अपनीं जान न्यौछवार करने वाले सुरक्षाबलों के बहादुर जवानों तक, जिन्होने यह सुनिश्चित करने के लिए कि तिरंगा, जिसने 1947 में ''युनियन जैक' का स्थान लिया था, राज्य में निड़र होकर लहराता रहे, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया।

कुल भूषण मोहत्रा प्रभारी – नाना जी देशमुख पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग एवं उनके समस्त दल द्वारा पूरे श्रम के साथ इस पुस्तक (खंड) के निर्माण को संभव बनाने में लगाई गई मेहनत सराहनीय है। हम प्रार्थना करते हैं कि जम्मू व कश्मीर में एक वास्तिवक पाठ्यक्रम सुधार के लिए हमारी इच्छा और प्रयास दिन–प्रतिदिन सुदृढ़ होते जाए। पुस्तुत पुस्तक का प्रस्तुतीकरण इस राज्य के बारे में अधिक से अधिक जाननें की खोज एवं तलाश का न ही एक आरंभ है और न ही अंत। ''मंथन'' होता (चलता) रहना चाहिए।

**श्री राम लाल**
राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन)
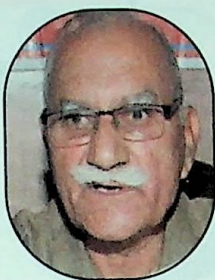
## संदेश

यह अत्यंत उत्सावर्धक क्षण है कि जम्मू व कश्मीर और शेष भारत के मध्य बाधाओं को हवस्त करने के लिए प्रजा परिषद् / भारतीय जनसंघ द्वारा किए गए महान संघर्श के बारे में एक पुस्तक को अभिलिखित किया गया है।

यह वास्तव में, आंदोलन के 65 वर्षो के एक बड़े अंतराल के पश्चात श्री कुलभूषण मोहत्रा, संयोजक नाना जी देशमुख पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग भाजपा, त्रिकुटा नगर, जम्मू एवं उनकी समस्त टोली द्वारा किया गया प्रथम प्रयास है।

उन्होने एक महान नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, जो कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए पथप्रदर्शक को सकते है, के जीवन से जुडी हुई विभिन्न घटनाओं से जुडे हुए तथ्यों एवं चित्रों को एकत्रित, समांकलन एवं छानबीन करने हेतु विभिन्न हस्तियों और संगठनों से संपर्क करने का एक महान भागीरथी कार्य किया। इसके साथ ही लंबे समय से पडा हुआ एक अपूर्ण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसके लिए श्री कुलभूषण मोहत्रा एवं उनकी टोली प्रशंसा के पात्र हैं।

पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी एक निस्वार्थ और राष्ट्रवादी नेता थे, जिनकी समाज और देश के प्रति आगाध निष्ठा थी।

प्रजा परिषद् आंदोलन और इस माटी के महान पुत्र के जीवन के बारे में यह ऐतिहासिक दस्तावेज़ भारत के लोगों और विशेष रूप से डुग्गर प्रदेश के लोगों का मार्गदर्शन करने और प्रेरणा देने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। ऐसे भावी प्रयासों के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

**ब्रिग्रेडियर (सेवानिवृत) सुचेत सिंह**

प्रांत संघचालक

अध्यक्ष पं. प्रेमनाथ डोगरा न्यास
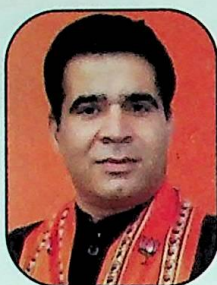
## संदेश

मैं कुल भूषण मोहत्रा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। (कुल भूषण मोहत्रा प्रभारी – नाना जी देशमुख पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग– ज.व.क. भारतीय जनता पार्टी) एवं उनकी टीम में एक मूल्यवान प्रकाशन तैयार किया है जिसका शीषर्क है ''जम्मू कश्मीर की संघर्ष गाथा, प्रजा परिषद् का इतिहास (1947–1964) यह यह पुस्तक अंग्रेजी की मूल पुस्तक " A Saga of Sacrificers Praja Parishad Movement In J&K" का हिंदी अनुवाद है। यह पुस्तक भारत के साथ जम्मू कश्मीर राज्य के विलय हो जाने के पश्चात होने वाली घटनाओं पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक प्रजा परिषद् एवं भारतीय जन संध के कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए बलिदान एवं उनकी वास्तविक देशभक्ति पर प्रकाश डालती है। प्रस्तुत प्रकाशन भारत के साथ रियासत के एकीकरण के विरूद्ध बाधओं को दूर करनें के लिए प्रजा परिषद् आंदोलन का विस्तृत विवरण देती है। मुझे उम्मीद है कि यह दस्तावेज भाजपा कार्यकर्ताओं, जन साधारण एवं शोधकर्ताओं को उस अवधि की घटनाओं की वास्ततिक तस्वीरें प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा एवं किसी महान उद्देश्य हेतु मातृभमि ''भारत'' की सेवा करनें के लिए प्रेरित करता रहेगा।
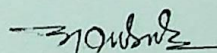
**जय हिन्द ! जय भारत**
**वन्दे मातरम**

**( रविन्द्र रैना )**
प्रदेश अध्यक्ष,
भाजपा, जम्मू–कश्मीर
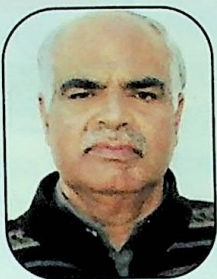
## संदेश

यह महान प्रसन्नता का विषय है कि जम्मू व कश्मीर भाजपा के मुख्यालय में स्थापित नाना जी देखमुख पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग द्वारा प्रकाशित मूल अंग्रेजी पुस्तक "A Saga of Sacrifices Praja Parishad Movement In J&K" का हिंदी अनुवाद, ''जम्मू–कश्मीर की संघर्ष गाथा, प्रजा–परिषद् का इतिहास (1947–1964) भी प्रकाशित हो रहा है, जिसमें भारतीय संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य के विलय के पश्चात हुई ऐतिहासिक घटनाओं एवं भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल करने के कारण उत्पन्न हुई अलगाववादी प्रवृतियों का विरोध करने के लिए और 1953 में जम्मू–कश्मीर का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण करने के लिए डोगरा लोगों द्वारा शुरू किए गए महान संघर्ष का संपूर्ण विवरण है। प्रस्तुत प्रकाशन में प्रजा–परिषद् संघर्ष की घटनाओं का कमबद्ध विवरण है एवं पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्त्व में इस ऐतिहासिक धर्मयुद्ध में भाग लेने वालों एवं बलिदान देने वालों का उनकी तस्वीरों सहित विवरण दिया गया है। श्री मोहत्रा जी ने अपनी टीम सहित विशेषज्ञ एवं साधन संपन्न व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके और उपलब्ध इस पुस्तक में प्रयुक्त प्रकाशित या अप्रकाशित सामग्री के अध्ययन के पश्चात तथ्यों एवं तस्वीरों को एकत्र करने में बहुत प्रयास किए हैं।

**अशोक कौल**

भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन)

# (मै देखता चला गया)

(एक अवलोकन)

अतीत एवं इतिहास को खोदकर तैयार करना पूर्णतया जटिल कार्य है। यह सब उस वक्त और भी अधिक जटिल हो जाता है जब एक बडे आंदोलन से जुड़ी हुई समस्त घटनाएँ दशकों पहले घटित हुई हों और जिनके बारे में (समेकित रूप में) अभिलेखवद्ध कोई भी घटना न हो। वह भी तब जब उस आंदोलन के विराधियों ने आत्यधिक तौर पर आधिकारिक संसाधनों को नियुक्त करके संघर्ष को अंघकारमय एवं मलिन और उदासीतापूर्ण चित्रित करने हेतु बहुत कुछ लिख डाला हो। यह अत्याधिक महत्वपूर्ण है कि श्री कुल भूषण जी ने चुनोतिपूर्ण ढंग से यह कार्य करना स्वीकार किया और इस पुस्तक के रूप में टुकड़ों को बुननें के लिए कड़ी मेहनत की। पंरतु अभी भी बहुत कुछ खोदा जाना बाकी है।

पत्रकारिता के दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत पुस्तक काफी महत्पूर्ण प्रतीत होती है, जैसे–जैसे हम इसके पन्नों पर दृष्टिपात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व निकाय जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुडे मुद्धों से लेकर छोटे और दूरदराज के स्थानों जैसे पाड़ली और परगवाल से जुडे मुद्धों का भी इस पुस्तक में उल्लेख मिलता है।

यह भी उल्लेखनीय प्रतीत होता है कि प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के समस्त कार्यकर्ताओं जिनमें शक्तिशाली राजनीतिज्ञों से लेकर मूक–बधिर कार्यकर्ता श्री रामलाल उर्फ ''जल्ला फेणियों वाला'' की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार अंतिम स्थान और अंतिम व्यक्ति को भी ध्यान में रखा गया है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यह पुस्तक अतिमहत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने इस आंदोलन का केवल देखा ही नहीं अपितु इसके बारे में बहुत कुछ स्वयं अनुभव भी किया है।

**गोपल संच्चर**

(पत्रकार)

## अनुवादक मंडल की ओर से

भारतीय जनता पार्टी के पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग, मुख्यालय–त्रिकुटानगर जम्मू (जम्मू व कश्मीर) द्वारा प्रकाशित एवं इसी विभाग के संयोजक श्री कुल भूषण मोहत्रा जी एवं उनकी समस्त टीम द्वारा संकलित मूल अंग्रेजी पुस्तक **"A Saga of Sacrifices Praja Parishad Movement In J&K" (1952-1953)**के विमोचन के पश्चात् पार्टी कार्यकर्ताओं जनसाधारण एवं अन्य पाठकों द्वारा यह मांग की गई कि इस ऐतिहासिक अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी किया जाना चाहिए ताकि जन साधारण तक इस पुस्तक के भाव एवं उद्देश्य को पहुंचाया जा सके। चूंकि इस राज्य के साथ–साथ समस्त भारत एवं भारत के बाहर विदेशों में भी आज लोग हिंदी का ज्ञान रखते हैं और उनमें से अधिकतक लोग इसे बोलचाल में प्रयुक्त भी करते हैं। अतः उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग ने अनुवाद का पावन कार्य हमें सौंपा जिसे हमनें सहर्ष स्वीकार करते हुए पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं मेहनत और लग्न से इसे पूर्ण करने का प्रयास किया है। पंरतु फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो हम उसे दूर करनें हेतु संकल्पवद्ध हैं। अनुवादक मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हैः–

**1. डॉ० सुरिता शर्मा**

एम. ए, एम. फिल, पी. एच. डी. (डोगरी)
नेट, जे. आर. एफ, (10+2 लेक्चरर)

**2. रोहिणी रैणा**

छात्रा – बी. ए. (तृतिय वर्ष) महिला कालेज, गांधी नगर

**3. रोहित रैणा**

छात्र – बी. ए. (द्वितिय वर्ष) एम. ए. एम. कालेज, जम्मू

**4. श्रीमति विजय गुप्ता**

एम. ए. (अर्थशास्त्र)
उप निदेशक योजना विभाग (जे एण्ड के)

**5. नरेश कुमार रैणा**

अधिवक्ता, जम्मू व कश्मीर
उच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय (जम्मू)

# KNOW
## Our Jammu Kashmir

**Jammu**
2nd Largest Part Of The State
Area - Apx. 26000 Sq. Km.
No. Of Assembly Seats: 37
No. Of Lok Sabha Seats: 2

**Kashmir**
The Smallest Part Of The State
Area - Apx. 16000 Seats: 46
No. Of Lok Sabha Seats: 3

**Ladakh**
The Largest Part Of The State
Area = Apx. 59000 Sq. Km.
No. Of Assembly Seats: 4
No. Of Lok Sabha Seats: 1

**POJK**
AREA - 78114 SQ. KM.

**COJK**
AREA - 37555 SQ. KM.

Vacant Seat Of Jammu Kashmir Occupied By Pakistan = 24

| Region | Sq. Kms.* |
|---|---|
| 1. Kashmir Valley (with India) | 15,948 |
| 2. Jammu Region (with India) | 26,293 |
| 3. Ladakh Region (with India) | 59,146 |
| **4. Present Jammu and Kashmir State (with India)** | **1,01,387** |
| 5. Illegal occupation by Pakistan (Mirpur-Muzaffarabad 13,297 km. and Gilgit-Baltistan 64,817 km) | 78,114 |
| 6. Ceded to China by Pakistan | 5,180 |
| 7. Illegal occupation by China | 37,555 |
| **8. Total Area Occupied by Pakistan and China** | **1,20,849** |
| **9. Total Area covered by Instrument of Accession** | **2,22,236** |
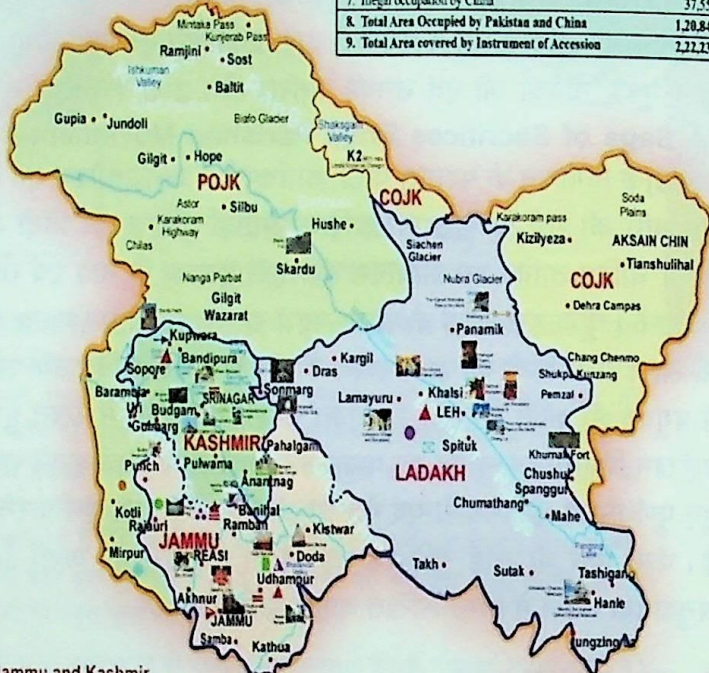
## Parliament Resolution on Jammu and Kashmir

(a) The State of Jammu & Kashmir has been, is and shall be an integral part of India and any attempts to separate it from the rest of the country will be resisted by all necessary means;

(b) India has the will and capacity to firmly counter all designs against its unity, sovereignty and territorial integrity; and demands that -

(c) Pakistan must vacate the areas of the Indian State of Jammu and Kashmir, which they have occupied through aggression; and resolves that -

(d) all attempts to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely."

The Resolution was unanimously adopted. Mr. Speaker: The Resolution is unanimously passed on February 22, 1994

**Reference: http://www.kashmir-information.com/LegalDocs/ParliamentRes.html**

| District | Area (Sq. Kms.) | Population (2011 Census) |
|---|---|---|
| **Jammu Division** | | |
| Jammu | 3,097 | 15,26,406 |
| Doda | 2,306 | 4,09,576 |
| Kishtwar | - | 2,31,037 |
| Rajouri | 2,630 | 6,19,266 |
| Reasi | - | 3,14,714 |
| Udhampur | 4,550 | 5,55,357 |
| Ramban | - | 2,83,313 |
| Kathua | 2,651 | 6,15,711 |
| Samba | - | 3,18,611 |
| Poonch | 1,674 | 4,76,820 |
| **Total** | **26,293** | **53,50,811** |

**No. of Assembly Seats : 37**
**No. of Lok Sabha Seats : 2**

| Kashmir Valley Division | | |
|---|---|---|
| Srinagar | 2,228 | 12,50,173 |
| Anantnag | 3,984 | 10,69,749 |
| Kulgam | - | 4,23,181 |
| Pulwama | 1,398 | 5,70,060 |
| Shopian | - | 2,65,960 |
| Budgam | 1,371 | 7,55,331 |
| Ganderbal | - | 2,97,003 |
| Bandipora | - | 3,85,099 |
| Baramulla | 4,588 | 10,15,503 |
| Kupwara | 2,379 | 8,75,564 |
| **Total** | **15,948** | **69,07,623** |

**No. of Assembly Seats : 46**
**No. of Lok Sabha Seats : 3**

| Ladakh Division | | |
|---|---|---|
| Kargil | 14,036 | 1,43,388 |
| Leh | 45,110 | 1,47,104 |
| **Total** | **59,146** | **2,90,492** |

**No. of Assembly Seats : 4**
**No. of Lok Sabha Seats : 1**
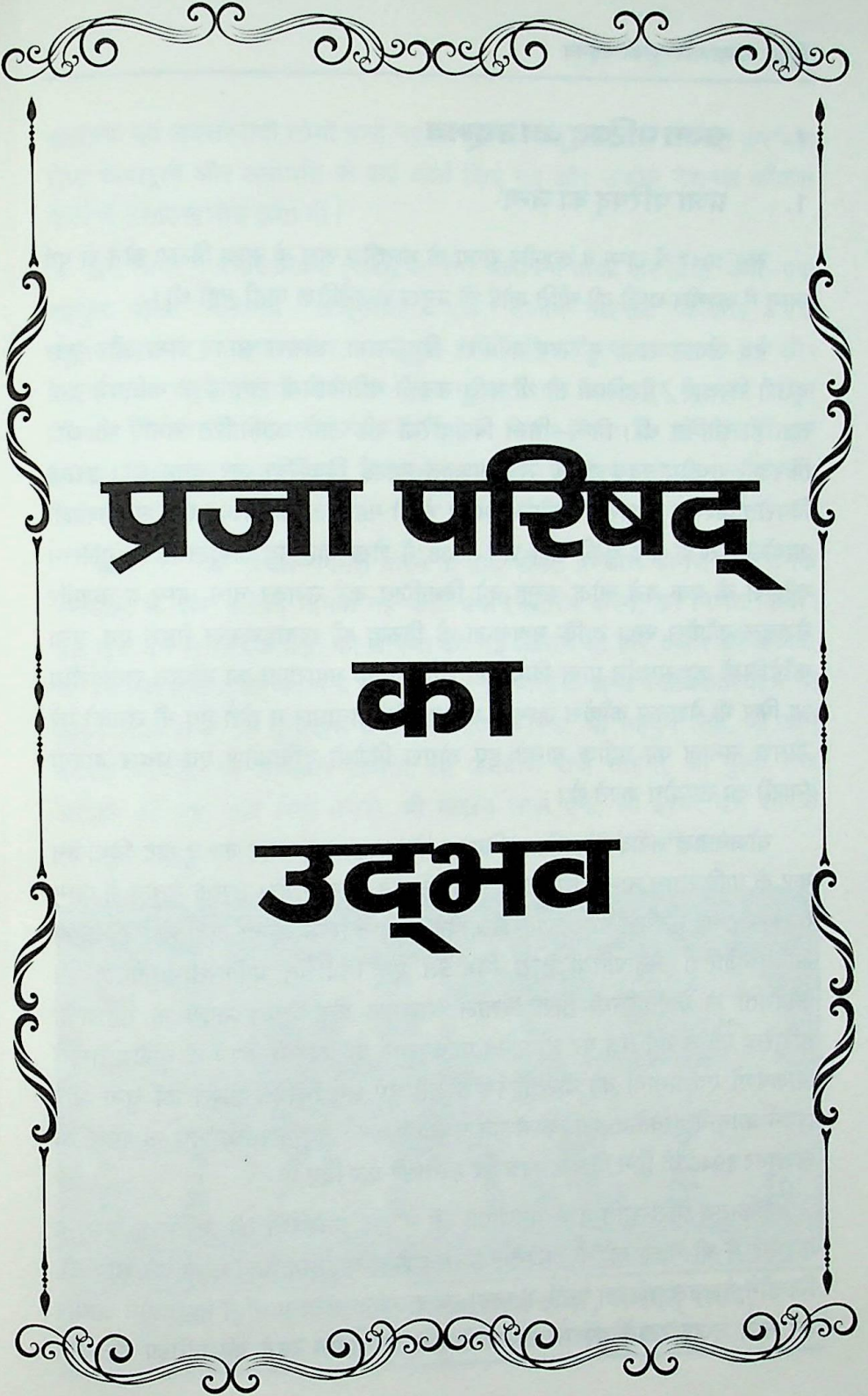
**LEGEND**

| | |
|---|---|
| COAL | LIME STONE |
| GLASS SAND | MANGANESE |
| COPPER | SAPPHIRE |
| NATURAL GAS | ZINK |
| BAUXITE | |
| CHROMIUM | |
| GRAPHITE | RIVERS |
| GYPSUM | |
| GOLD | INTERNATIONAL BOUNDRIES |
| LIGNITE | |

## विषय सूची

## विषय सूची

# प्रजा परिषद्
# का
# उद्भव

# 1. प्रजा परिषद् का उद्‌भव

## 1. प्रजा परिषद् का जन्म

सन् 1947 में जम्मू व कश्मीर राज्य के भारतीय संघ के साथ विलय होने से पूर्व जम्मू में कश्मीर घाटी की भाँति कोई भी प्रमुख राजनैतिक पार्टी नहीं थी।

नव जवान सभा, मुस्लिम काँफ्रेंस, हिंदू–सभा, डोगरा सादर सभा और कुछ दूसरी संस्थाएँ/मँडलियाँ तो थीं परंतु उनकी गतिविधियाँ समाज के कतिपय वर्गों तक ही सीमित थीं। भिन्न–भिन्न बिरादरियों की जाति आधिरित सभाएँ भी थी। फिर भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सशक्त इकाई विकसित कर चुका था। इसके विपरीत कश्मीर मे मुस्लिम काँफ्रेंस 1931 से ही महाराजा के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन खड़ा कर चुकी थी। सन् 1938 में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने मुस्लिम काँफ्रेंस के एक बड़े लोक समूह को विभाजित कर उसका नाम जम्मू व कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस रखा ताकि महाराजा के विरुद्ध श्री जवाहरलाल नेहरु एवं अन्य काँग्रेंसियों का समर्थन प्राप्त किया जा सके। चूँकि महाराजा का शासन राजवंशीय था फिर भी नेशनल काँफ्रेंस जम्मू में अपना कोई जनाधार न होते हुए भी उनको पूरे डोगरा समाज का प्रतीक मानते हुए डोगरा विरोधी दृष्टिकोण एवं प्रचार वाक्यों (नारों) का उपयोग करते थे।

योजनाबद्ध तरीके से साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत का दुःखद विभाजन कर के पाकिस्तान नामक धार्मिक देश का सृजन किया गया। उसके नेतृत्व ने जम्मू व कश्मीर पर मुस्मिल बहुसंख्यक क्षेत्र होने के नाते सिर्फ अपना दावा ही नहीं ठोका अपितु ब्रिटिश सेनापतियों द्वारा नियंत्रित एवं निर्देशित पाकिस्तानी फौज की सहायता से कबाइलियों द्वारा विशाल आक्रमण कर दिया। राज्य के महाराजा हरिसिंह जी ने धर्म तंत्र पर आधारित पाकिस्तान को स्वकृत करने के बजाय तमात आकर्षणों एवं प्रभावों को वीरतापूर्वक झेलते हुए धर्म निरपेक्ष भारत को चुना और अपने कानूनी/विधिक अधिकारों का उपयोग करते हुए भारतीय संघ के साथ 26 अक्तूबर 1946 के दिन विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए।

अकाटय परिस्थितियों में महाराजा जी ने पुनः प्रतिष्ठित की हुई सत्ता जम्मू व कश्मीर में श्री नेहरु जी के राजनैतिक मित्र शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को सौंप दी, जिन्होंनें नेशनल काँफ्रेंस पार्टी के जम्मू एवं राज्य के अन्य भागों में महत्वहीन आधार को मध्य नज़र रखते हुए महाराजा के प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा की थी।

सहायक एवं अवसरवादी लोगों द्वारा नए शासक के प्रति वफ़ादारी प्रदर्शित करने के लिए चापलूसी और अधोगति के कई कार्य किए गए और उन्होंने नेशनल कॉंफ्रेंस पार्टी में ठसाठस भीड़ लगा दी।

इन लोगों ने प्रचार वाक्यों (नारों) का राग अलापना प्रारंभ कर दिया, यथा–एक रहनुमा–शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह, एक तंजीम–नेशनल कॉंफ्रेंस, एक झंडा–हलवाला। इस प्रकार पहेलीनुमा परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी गई थी। केवल एक–वाली विचार धारा की संवेदनशीलता को भांपते हुए दूरदर्शी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी एवं उनके सह–कर्मियों ने विचार किया कि लोकतंत्र में इस प्रकार की विचार धारा निरंकुश सिद्ध हो सकती है। विशेषरुप से जम्मू व कश्मीर जैसे राज्य में।

तीन दिन तक विचार–विमर्श करने के बाद पंडित प्रेमनाथ डोगरा और उनके प्रशंसकों ने प्रजा परिषद् नामक नई पार्टी बनाने (आरंभ करने) का निर्णय किया। इस युवा वर्ग में कार्यकर्ताओं की घोषणा की गई जिसमें श्री हरि वज़ीर को अध्यक्ष, श्री हंसराज पंगोत्रा को महामंत्री बनया गया। नई पार्टी के अन्य पदाधिकारियों में श्री श्याम लाल शर्मा, श्री दुर्गादास वर्मा, श्री राजिन्द्र सिंह, श्री सहदेव सिंह, श्री ओम प्रकाश सांगड़ा, श्री रुपलाल रोमित्रा, श्री जगदीश राज साहनी, श्री मुल्क राज अरोड़ा, श्री हँस राज (राम नगर), श्री माखन लाल ऐमा, श्री ईश्वर दत्त शास्त्री (मंगलूर), श्री नत्था सिंह, श्री द्वारका नाथ एवं अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित थे।

**पं. प्रेम नाथ ड़ोगरा जी, श्याम लाल शर्मा, भगवत् सरुप, दुर्गा दास वर्मा एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ**

## जम्मू व कश्मीर में संघ की भूमिका

प्रजा परिषद् के जन्म से पूर्व ही संघ अपनी शाखाएँ राज्य के अधिकतम भागों में स्थापित कर चुका था, विशेषतयः जम्मू क्षेत्र में।

तीस के दशक के अंतिम वर्षों में (1939) भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाने हेतु एवं आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानें की तैयारी करते हुए संघ जम्मू व कश्मीर से सटे इलाकों और अविभाजित पंजाब में देश के अन्य भागों को भांति देश भक्त गतिविधियों का केन्द्र बन चुका था।

राज्य में संघ की शाखाओं को स्थापित करनें के लिए प्रांत–प्रचारक श्री माधो शव मूले जी ने कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं को अलग किया। उनकी एक टोली बनाई।

तीस के दशक के अंत में सर्वप्रथम प्रो॰ बलराज माधोक जी आए परंतु उनकी श्रीगनर कालेज में नौकरी लगनें के कारण विभिन्न स्थानों में संघ की शाखाओं को स्थापित करनें में सियालकोट के श्री जगदीश अवरोल, श्री केदार नाथ साहनीं और कुछ अन्य प्रचारकों नें महान प्रयास किए। जम्मू शहर के दिवान मंदिर में पहली शाखा स्थापित की गई।

अनेक स्थानीय युवक संघ की गतिविधियों, मुख्यतः खेलों का विस्तार करने हेतु समाने आए। इन युवाओं में श्री श्याम लाल शर्मा, श्री दुर्गा दास वर्मा, डा॰ ओम प्रकाश मैंगी आदि सम्मिलित थे। श्री अबरोल जी ने अपना पहला कार्यालय वेद मंदिर के एक कमरे में स्थापित किया। यद्यपि अधिक संख्या में युवा संघ तंत्र में शामिल हुए परंतु सामान्यतयः यह बच्चों–किशोरों के समूह के तौर पर जाना जाता था। पाँचवें दशक के प्रारम्भ में श्री मुले एवं अन्य वरिश्ठ संघ के लोगों ने पं॰ प्रेमनाथ ड़ोगरा जी से राज्य में संघ का "संघ चालक" के रुप में नेतृत्व करनें का आग्रह किया जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और जम्मू में एक बड़ा समारोह हुआ। संघ के कुछ उच्चपदस्थ व्यक्ति इसमें सम्मिलित हुए। संघचालक के रुप में पंड़ित जी के कार्यभार संभालने के साथ ही संस्था को महत्वपूर्ण सम्मान और उसकी कार्यप्रणाली को प्रोत्साहन मिला।

# (1) प्रजा परिषद् की संगठनात्मक संरचनाः-

## (क) असंसक्त मत

वर्ष 1947 में जब राजनीतिक निकाय प्रारंभ करनें का निर्णय लिया गया तो कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का यह विचार था कि नई पार्टी का नाम "जम्मू प्रजा–परिषद्" होना चाहिए और उसके घोषणा पत्र का शीर्षक "नया जम्मू" नाम से होना चाहिए। यही "कश्मीर नेशनल काँफ्रैंस" और नया कश्मीर को उपर्युक्त उत्तर होगा। परंतु कुछ अन्य लोगों का मत था कि पार्टी केवल एक क्षेत्र तक सिमित नहीं दिखनी चाहिए और प्रतिक्रियावादी भी नहीं लगनीं चाहिए। नामकरण पर मत भेद होने के कारण कुछ वरिष्ठ संघ नेताओं ने यह शय दी कि नई पार्टी का नाम "ऑल ज॰व॰क प्रजा परिषद् होना चाहिए।

क्योंकि महाराजा ने पूरे राज्य पर कानूनी अधिकार होने के नाते ही विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे और अधिकतर यह सांप्रदायिकता के सिद्धांत को सहमति नहीं होनी चाहिए, जिस प्रकार धार्मिक राष्ट्र बनकर पाकिस्तान उभरा था। अतः निम्नलिखित उद्देश्यों साहित नई पार्टी का नाम "ऑल ज॰व॰क प्रजा परिषद्" रखा गया उसका ध्वज था "तिरंगा–झंडा"।

पं. डोगरा बैठक के दौरान

## ख. पार्टी के उद्देश्य

पार्टी के मुख्य उद्देश्य थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की डोगरा विरोधी सरकार से

जम्मू व कश्मीर के लोगों के कानूनी/तर्क संगत लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना और जम्मू व कश्मीर राज्य का अन्य राज्यों की भांति भारत के अन्य भागों के साथ पूर्ण एकीकरण करना। प्रजा–परिषद् का यह मानना था कि जम्मू व कश्मीर भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य अंग है और भारतीय संस्कृति पर आधारित पार्टी राज्य में एक ऐसी आर्थिक, राजनैतिक और समाजिक व्यवस्था स्थापित करेगी जिसमें जाति, वर्ण और धर्म, आस्था के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाए जाएँगे।

## ग. प्रजा परिषद् का गठन/संविधान

जम्मू व कश्मीर का कोई भी निवासी जिसकी आयु 18 या उससे अधिक हो और जो पार्टी के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का समर्थन करता हो वह पार्टी का सदस्य बन सकता था। वह चार आन्ना वार्शिक सदस्यता शुल्क नियमित रुप से देकर सदस्य बना रह सकता था। जब तक कि वह स्वयं त्यागपत्र न दे दे या सदस्यता से हटा दिया जाए या फिर किसी अन्य राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ले।

### प्राथमिक समिति (कमेटी)

प्राथमिक समिति पार्टी की पहली (मूलभूत) संगठनात्मक संरचना थी। जहाँ कहीं भी पार्टी के 25 या उससे अधिक सदस्य हो जाते वहाँ प्राथमिक समिति गठित करनी होती थी। प्राथमिक समिति में अध्यक्ष, मंत्रि और कोषाध्यक्ष होते थे। इन तीनों को सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता था।

### मंड़ल समिति

मंड़ल समिति संगठनात्मक संरचना की अगली उच्च समिति थी। प्रत्येक 16 प्राथमिक समितियों पर एक मंड़ल समिति होती थी। प्रत्येक प्राथमिक समिति के सभी सदस्य मिलकर मंडल समिति के अध्यक्ष का चुनाव करते थे और अध्यक्ष स्वयं अपनी कार्यकारिनी गठित करते थे, जिसमें एक मंत्रि, एक कोषाध्यक्ष और 6 सदस्य होते थे। मंड़लसमिति अपनें अधिकार क्षेत्र में पार्टी की नीतियाँ और कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होती थीं।

### तहसील (उपमंड़ल समिति)

तहसील समिति अगली उच्च संरचना थी। तहसील में मंडल समितियों के सभी

कार्यकारिणी सदस्य संयुक्त रुप से मिलकर तहसील समिति बनाते थे। वह तहसील समिति के एक अध्यक्ष, कम से कम दो उपाध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष और नौ कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करते थे। संगठन मंत्री तहसील समिति के मंत्री के सहयोग से उस तहसील में पार्टी की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने एवं कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी थे।

## सामान्य परिषद्

## सामान्य परिषद् के घटक इस प्रकार थे:–

(1) तहसील समितियों के सभी अध्यक्ष, मंत्री एवं संगठन मंत्रीयों के साथ पार्टी निर्वाचन क्षेत्र से चुनें हुए प्रतिनिधि।

(2) सभी जिला समितियों के अध्यक्ष, मंत्री एवं संगठन मंत्री।

(3) प्रजा परिषद् से जुड़े हुए ऐसे संस्थान जिनके पाँच सदस्य अध्यक्ष द्वारा उन संस्थानों के आग्रह पर चुनें गए हों।

(4) जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद् के अध्यक्ष को अधिकार था कि वो प्रजा–परिषद् के पाँच सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे। प्रत्येक सामान्य परिषद् के अध्यक्ष को 5 रू० प्रति वर्ष देनें होगें। प्रजा परिषद् की नीतियों एवं कार्यों को करवाने के लिए यह मुख्य समिति होगी। अपने कार्यकाल के दौरान अपने मार्ग में आने वाली सारी समस्याओं का हल निकालनें का इसको अधिकार होगा। सामान्य समिति का अधिवेशन वर्ष में एक बार करवाना होता था।

## केंद्रीय समिति

पार्टी के पदानुक्रम के शिखर पर केंद्रीय समिति होगी जिसमें अध्यक्ष सहित 21 सदस्य होंगे। यह सदस्य अध्यक्ष द्वारा सामान्य परिषद् के सदस्यों में से मनोंनीत किए जाएँगे। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दो उपाध्यक्षों, एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष को भी मनोनीत करेंगे। पार्टी के संविधान में जो प्रारुप मूर्त रुप से निर्धारित नहीं किए गए हैं उनसे संबंधित कार्यो एवं आदेशों के लिए केंद्रीय समिति, सामान्य–परिषद् के प्रति उत्तरदायी होगी। यह प्रजा–परिषद् के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्य करेगी।

**पं. प्रेमनाथ डोगरा जी अपने आवास स्थान कच्ची छावनी जम्मू में प्रजा परिषद् के कार्यकारी सदस्यों के साथ**

## (घ) पार्टी के अध्यक्ष

पार्टी की संगठनात्मक संरचना की उच्चतम संरचना पर अध्यक्ष होते थे। अध्यक्ष के पास सर्वाधिक अधिकार होते थे। पार्टी के महामंत्री अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए तहसील एवं जिला कार्यकारी समितियों में से इच्छुक उम्मीदवारों से नामांकन आमंत्रित कर सकते थे। नामांकन एक निशचित अवधि में जमा करवाने होते थे। नामांकन लिए जानें के पश्चात भी यादि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र वापिस लेना चाहता तो वो ऐसा कर सकता था। प्रतिस्पर्धा में रहनें बाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा महामंत्री निर्धारित तिथि को कर सकते थे। इसके पश्चात वह अपनें मनपसंद नामांकित उम्मीवार को चुननें के लिए सामान्य–परिषद् के प्रत्येक सदस्य को मतपत्र जारी करते थे। यथावत् भरे हुए मत–पत्रों को लिए जाने के पश्चात् महामंत्री सभी सामान्य निकाय के सदस्यों के समक्ष एक पूर्व–निर्धारित तिथि को खोलते थे। अधिकतम मत प्राप्त करनें वाले उम्मीदवार को ईकाई का अध्यक्ष घोषित किया जाता था।

## (ड) पार्टी की वित्तीय व्यवस्था

पार्टी की वित्तीय व्यवस्था 4 आन्ना सदस्यता शुल्क से एकत्रित धन एवं सामान्य परिषद के प्रत्येक सदस्य से 5 रुपए चंदा एकत्रित करके चलती थी। चूँकि यह धनराशि पार्टी के दैनिक खर्चों को पूरा करने में अपर्याप्त थी इसलिए विभिन्न लोगों से चंदा भी स्वीकार किया जाता था। समय–समय पर पार्टी द्वारा प्रारंभ किए गए

विभिन्न आंदोलनों को वित्त प्रदान करने हेतु पार्टी ने तत्कालीन अध्यक्ष पं॰ प्रेम नाथ डोगरा जी की तस्वीर सहित छपी हुई रू॰ 1, 5, 10, 20, 50, 100 इत्यादि के पत्रक छपवा कर जनता में बेचे। ऐसी चर्चाएँ भी थी कि तत्कालीन कश्मीर के महाराजा भी पार्टी निधि में योगदान करते थे। पत्रकारों ने इस तथ्य की पुष्टि कई वरिष्ठ पार्टी नेताओं (जो आज भी जीवित हैं) से की परंतु अधिकांश नेताओं ने ऐसे आरोपों से इंकार कर दिया।

चूँकि शेख हमेशा की भाँति प्रतिकूलताओं के प्रति असहिष्णु थे और यह सब देखकर उनका क्रोध और अधिक बढ़ गया। कई महत्वपूर्ण संघ कार्यकर्ताओं एवं अन्य लघु संगठनों के कार्यकर्ताओं को राज्य से बाहर कर दिया गया। इनमें प्रो॰ बलराज माधोक, श्री जगदीश अबरोल, श्री कीदार नाथ साहनी, श्री कविराज, श्री विष्णु गुप्ता आदि सम्मिलित थे। पं॰ प्रेम नाथ डोगरा जी को उनके कुछ सह कार्यकर्ताओं सहित गिरफ़्तार करके हवालात में डाल दिया गया। फरवरी 1949 की गहन सर्द परिस्थितियों में प्रजा परिषद् को श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें लापरवाही से रणवीर पीनल कोड की धारा 3, जिसे कुख्यात रुप से "दफा तुन" नाम से जाना जाता था, लगाकर बगैर किसी सुनवाई के कैद कर हवालात में रखा गया।

1947 में उन्हें मुस्लिम विरोधी नाम दिया गया परंतु 1932 में उन्हें विडम्बनात्मक रुप से राज्य के मुज़फ्राबाद जिले के "व़जीर वज़ारत" (डी.सी.) पद से, समय से पहले ही सेवानिवृत इसलिए कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम कॉंफ्रेंस आंदोलनकारियों के प्रति विनम्र रहे थे। चूँकि शेख सरकार पहले से ही अन्य कई अनुचित कार्यों एवं भूलचूकों में संलिप्त रही थी इसलिए पं0. जी को गिरफ़्तार करके कैद में रखने से उन्हें भारी नाराज़गी का सामना करना पड़ा था।

मई 1949 को पं॰ जी की रिहाई के लिए प्रजा परिषद् ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए शेख द्वारा संचालित सरकार। (विधान) ने नाना प्रकार के अत्याचारों का सहारा लिया। इसी कारण राज्य के भीतर एवं बाहर नेशनल कांफ्रेंस और उसके सहचरों के विरुद्ध क्रोध व्याप्त हो गया। केन्द्र / दिल्ली से कतिपय राष्ट्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के पश्चात् पं डोगरा जी को 8 अक्तूबर 1949 के दिन श्रीनगर जेल से रिहा किया गया परंतु आठ महीनों के कारावास का उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

**पं. प्रेम नाथ डोगरा जी को श्रीनगर कारागार से 1949 में रिहा किया गया।**
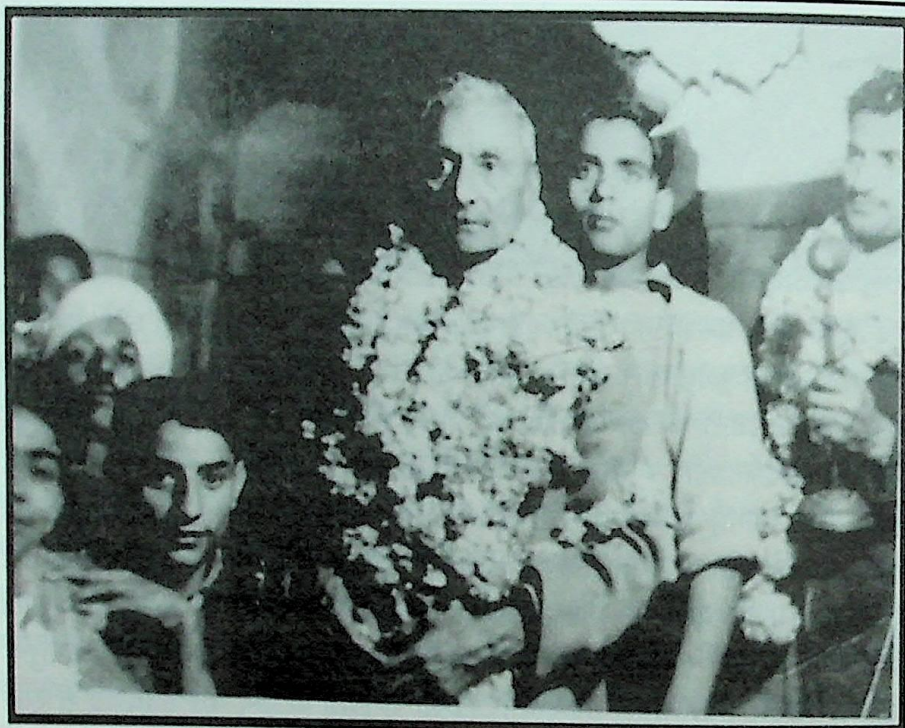
इस आंदोलन में कई सत्याग्राहियों को इस सीमा तक यातनाएँ दी गई कि वो आजीवन कई बुरे प्रभावों से ग्रसित एवं सुननें में असमर्थ हो गए। इनमें रियासी के श्री चूनी लाल पण्ड़ोह और जम्मू के श्री दीनां नाथ जी भी सम्मिलित थे। परंतु इसके परिणामस्वरुप प्रजा–परिषद् को प्रेरणा प्राप्त हुई और उसकी भूमिका अत्याधिक महत्वपूर्ण हो गई जब शेख सरकार ने सांप्रदायिक एवं संकीर्ण विचारों से अविभूत होकर कुछ असाधारण निर्णय लिए।

## ठाकुर सहदेव सिंह अन्य कार्यकर्ताओं के साथ

कारागार से रिहाई के पश्चात प्रजा परिषद् ने पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी को अध्यक्ष, श्री दुर्गादास वर्मा जी को महामंत्री, श्री धनवन्तर सिंह जी, श्री जैलदार जी (नगरी परोल), लुददर मनी सांगरा (कूटा), श्री शाम लाल शर्मा को उपाध्यक्ष, संगठन मंत्री, श्री भागवत स्वरुप और गोपाल दास सच्चर को प्रचार प्रभारी प्रमुख, माखन लाल ऐमा को राज्य के बाहरी मसलों का प्रभारी, रामनाथ बलगोत्रा को जिला कठुआ का प्रभारी, राधा कृष्ण शर्मा को जिला उधमपुर और रुप लाल रोमित्रा को डोडा जिला का प्रभारी बनाने को घोषणा की। कार्यकारी समिति के सदस्यों की भी घोषणा की गई जिनमें चतरु राम डोगरा, शिवराम गुप्ता, संतराम बड्डु, श्री ज्ञानचंद मीरपुरी, श्री जगत राम आर्यन, श्री लुद्दर मनी सांगड़ा, श्री जैलदार रंजीत रधुनाथ सिंह सम्याल और जगदीश (खद्दर भंडार) आदि सम्मिलित थे।

**<u>निम्नांकित व्यक्तियों के नामों की घोषणा संगठन मंत्री के रुप में की गई:–</u>**

श्री नत्था सिंह (रामबन), श्री शिव कुमार शर्मा (किश्तवाड़), बलदेव राज (भद्रवाह), श्री मुल्ख राज अरोड़ा (उधमपुर), श्री ऋषि कुमार कौशल (रियासी), श्री हंस राज गुप्ता (रामनगर), श्री रजिन्दर सिंह एवं श्री शादी लाल शर्मा (जम्मू), श्री सोम नाथ डोगरा (अखनूर), श्री ठाकुर सहदेव सिंह (नौशेरा), श्री जगदीश चंद्र शास्त्री (राजौरी), श्री नरसिंह दास शर्मा (सांबा), श्री द्वारका नाथ (बहसोली), श्री ईश्वर दास शास्त्री (हीरानगर), श्री स्वर्ण देव सिंह (बिलावर), श्री जगदीश सिंह (कठुआ), श्री वेद प्रकाश एवं श्री यश भसीन (आर.एस.पुरा)।

## महामंत्री श्री दुर्गा दास वर्मा अन्य कार्यकर्ताओं के साथ
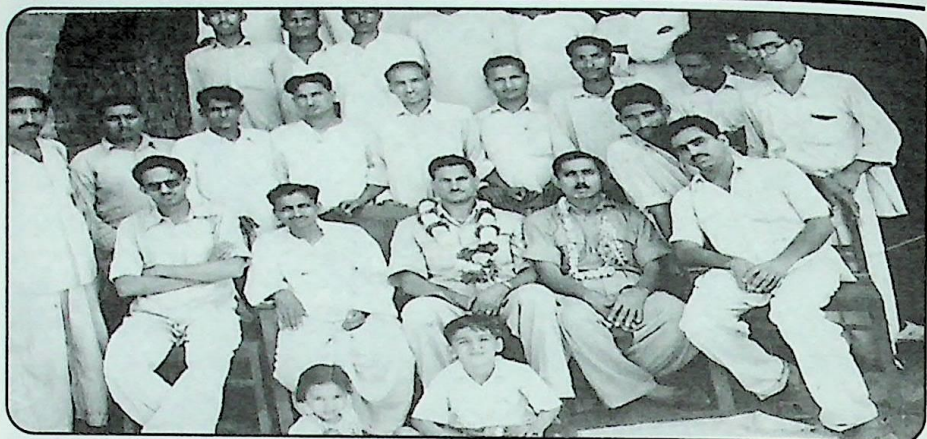
## पंडित जी रिहाई के पश्चात:–

श्रीनगर कारागृह में आठ माह कैद रहने के पश्चात एवं अपनी रिहाई होते ही पं॰ जी ने समय न गँवाते हुए कश्मीर के संपर्क में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य के भीतर तेज़ी से होने वाली घटनाओं की जानकारी लेते हुए और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवादी दृष्टिकोण रखने वाले नेताओं एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात ग्राम स्तर पर प्रजा परिषद् को मज़बूत तंत्र व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया गया।

समर्पित कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्तरों पर पार्टी की इकाईयाँ गठित कर अभूतपूर्व कार्य किया। विभिन्न स्तरों पर प्रजा परिषद् की इकाईयाँ संगठित करने का लक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात सबका यह विचार था कि पं॰ प्रेम नाथ डोगरा जी को स्वयं पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए।

## नवम्बर 10, 1951

राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अपने प्रथम अध्यक्षीय संबोधन में पंडित डोगरा जी ने मंडराती हुईं एवं भविष्य में आने वाली घटनाओं एवं खतरों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करने वाली अधिसूचना जारी की।

प्रजा परिषद् के अध्यक्ष के नाते पंडित जी ने अपना पहला संबोधन 10 नवम्बर 1951 के दिन जम्मू में हुए एक बड़े सम्मेलन में दिया। पं॰ जी ने अपने चालीस मिनटों के भाषण में सभी प्रतिनिधियों का ध्यान कश्मीर समस्या की ओर आकर्षित

करते हुए कहा कि जनता के प्रतिनिधियों का यह सत्र एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर हो रहा है जब पाकिस्तान, इंग्लैंड और अमरीकी गुट की सहायता एवं शक्ति के बल पर पूरी जम्मू व कश्मीर रियासत को हड़पने जा रहा है और दूसरी तरफ शेख द्वारा संचालित नेशनल कॉंफ्रेंस सरकार संदिग्ध भूमिका निभा रही थी। ऊपरी तौर से राज्य के विभाजन का विरोध हो रहा था परंतु शत्रु द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों को मुक्त करवाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया था; य़द्यपि इन क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों को शरणार्थी बनने के लिए मजबूर किया गया था। इसके अतिरिक्त यह सारा प्रारुप एक ऐसे संविधान को बनाने के लिए तैयार किया गया था जो कि कश्मीर छोड़ो प्रचार वाक्यों के अनुरुप पार्टी की विचारधारा (नया कश्मीर) पर आधारित था।

इस राज्य पर शत्रु द्वारा किए गए विशाल अतिक्रमण से उत्पन्न चिंताजनक स्थिति की ओर इशारा करते हुए पंडित जी ने अपने संबोधन में महान शहीद, राज्य में सशस्त्र सेना के उच्च अधिकारी ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और याद दिलाया कि किस प्रकार से उन्होंने राज्य की फौज की केवल एक मात्र कंपनी की सहायता से तीन दिन तक हज़ारों आक्रमणकारियों को आगे बड़ने से रोके रखा ताकि वो कश्मीर घाटी में प्रवेश न कर सकें और महाराजा के आदेशानुसार अपने रक्त की अंतिम बूंद एवं अंतिम गोली तक शत्रु से लड़ते रहे। जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह जी को 26 अक्तूबर 1947 के दिन भारतीय संघ के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने का अवसर मिल गया और अगले दिन 27 अक्तूबर 1947 को भारतीय सैन्य दल ने श्रीनगर में उतरकर आक्रमणकारियों के पीछे धकेल दिया।

ब्रिगेड़ियर राजेंद्र सिंह

पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी ने अपने संबोधन में कहा कि सांप्रदायिक  प्रभाव में आकर कुछ फौजियों द्वारा विश्वासघात की घटनाओं के बावजूद भी लेफ़्टिनेंट कर्नल हीरानंद दूबे, मेज़र अंग्रेज सिंह, लेफ्टिनेंट अमलोक सिंह, शहीद केप्टन सरदार गंगा सिंह एवं अन्य दूसरों ने भी विभिन्न मोर्चों पर शत्रुओं से लड़ते हुए अपनी–अपनी वीरता को प्रमाणित किया।

**1951 में हुए प्रजा परिषद् सम्मेलन को संबोधित करते हुए पं. प्रेम नाथ डोगरा जी**

**इस संबोधन में शत्रु के कब्जे वाले क्षेत्रों से आए हुए शरणार्थियों की दुर्दशा को भी शामिल किया गया।**

बाहरी एवं भीतरी तत्वों द्वारा निर्मित अत्यंत दुःखद स्थिति का वर्णन करते हुए पंडित जी ने साधारण जनमानस एवं प्रतिनिधियों को याद दिलाया कि उन सब का यह दायित्व बनता है कि इस राज्य को भारत के लिए बचा कर रखें क्योंकि इस जम्मू व कश्मीर राज्य को उनके पूर्वज़ों ने ही अपने रक्त, माँस और हड्डियों द्वारा इतना बड़ा बनाया है।

उन्होंने विवादास्पद आंदोलनों और प्रचार वाक्यों (नारों) का भी विरोध किया जो राज्य को भारत के अन्य भागों से दूर करते थे और अलग संविधान के लिए कार्य करते थे। इन परिस्थितियों में पंडित जी इस निर्णय पर पहुँचे कि ऐसा प्रतीत होता है कि संघर्ष की तीव्र आवश्यक्ता है और हम सब को एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहना होगा।

पंडित जी ने अपने भाषण की समाप्ति इस चेतावनी के साथ कीः–

**"न संभलोगे तो मित जाओगे, ऐ जन्नत निशान वालों,**

**तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में"**

प्रजा परिषद् को शेख एवं उनके कांग्रेसी, वामपंथी और अन्य साथियों की
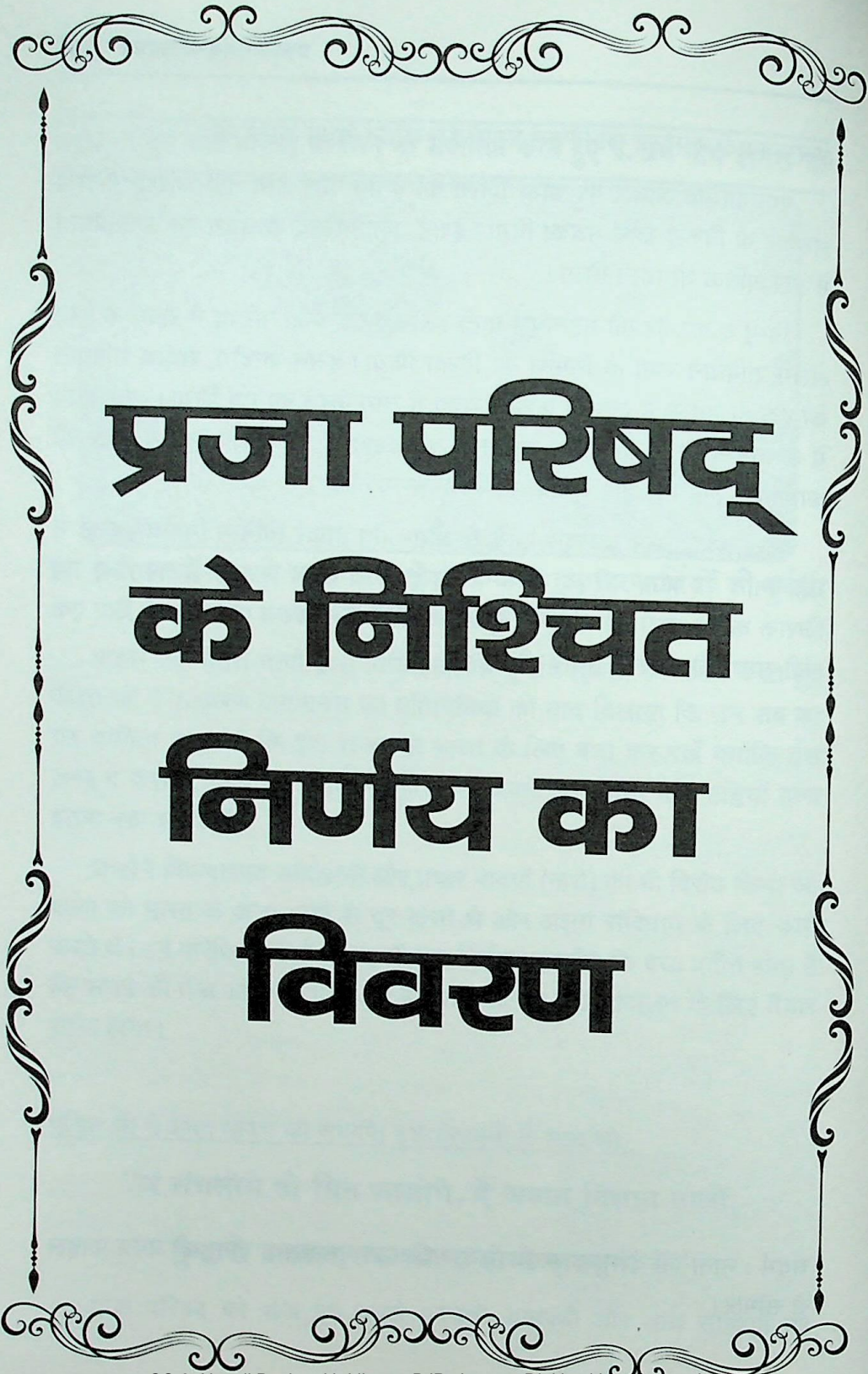
अलगाववादी रुपरेखा को विफल बनाने हेतु कठिन संघर्ष करना था।

सांप्रदायिक आधार पर डोडा जिला को बनाने जैसे अन्य कईं कारणों ने शेख सरकार के विरुद्ध क्रोध भड़का दिया। इसने प्रजा परिषद् के उदय एवं लोकप्रियता में और अधिक योगदान मिला।

जम्मू व कश्मीर की महत्वपूर्ण पार्टी होने के नाते प्रजा परिषद् ने राज्य के लिए अलग संविधान सभा के निर्माण का विरोध किया। इसने केन्द्रीय, संघीय संविधान को एक ही प्रयास में जम्मू व कश्मीर राज्य में लागू करने का पक्ष लिया। परंतु राज्य में असामान्य परिस्थितियों के कारण 8 मई, 1951 में हुए विशेष सत्र में पार्टी की कार्यकारी कमेटी ने आम चुनाव लड़ने का निर्णय किया।

शेख प्रशासन ने दोशपूर्ण रवैये से ओत–प्रोत होकर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर प्रजा परिषद् के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र अस्वीकार किए गए जिसके कारण पार्टी को मजबूरन चुनावों का बहिष्कार करना पड़ा। इसके लिए एक लंबी संघर्ष की रुपरेखा तैयार की गई थी।

संदर्भ : नाना जी देशमुख पुस्तकालय, भा॰जा॰पा मुख्यालय, जम्मू की प्रपत्र फाइल से साभार।

# प्रजा परिषद् के निश्चित निर्णय का विवरण

# (1) प्रजा परिषद् के निश्चित निर्णय का विवरण

## (क) विधानसभा चुनावों का बहिष्कार

प्रजा परिषद् द्वारा किए गए निश्चित निर्णय का ज्ञापन (दिनाँक 8/10/1951 को ऑल जे एण्ड के प्रजा परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव)

दिनाँक 6/10/1951 में पंडित डोगरा जी ने दिल्ली में प्रेस कांफ्रेस की और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। ऑल जे एण्ड के प्रजा परिषद् कार्यकारी समिति द्वारा 8/10/1951 को पारित प्रस्ताव इस प्रकार है :–

''.....कश्मीर सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ माह पूर्व घटित पक्षपात पूर्ण एवं अनुचित गतिविधियों, सरगर्मियों और इनके द्वारा भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरु जी को दी गई दिखावटी, मित्थया प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए, जिसके परिणामस्वरुप उन्हें लीक से हटकर प्रजा परिषद् की पूर्णतर्कसंगत गतिविधियों की हालिया भाषणों एवं वक्तव्यों में निंदा करनी पड़ी। इसमें स्वतंत्र एवं निशपक्ष स्थानीय चुनावों की प्रक्रिया में बाधा पड़ी। ऐसा करने हेतु परामर्श उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए था। इन परिस्थितियों में कार्यकारी समिति ऐसी प्रणाली एवं घटनाक्रम पर पूर्नविचार करना आवश्यक समझती है।

हमारे अध्यक्ष जी का दिल्ली से वापिस आना कार्यकारी समिति के लिए इस विषय को अंततः निपटने के लिए भी बाध्य करता है। अतः यह कृत्संकल्प है कि:–

(1) हमारे अध्यक्ष पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी द्वारा दिया गया वक्तव्य जिसमें उन्होंने सुस्पष्ट शब्दावली में कहा है कि परिषद् भारतीय संविधान में जम्मू व कश्मीर राज्य के पूर्णतय, पूर्णरुपेण एवं बिना शर्त विलय के लिए दृढ़ संकल्प है। जम्मू के जनमानस की इच्छा की वास्तविक प्रतिबिंबन होने के नाते प्रजा परिषद् पूर्णतया इसका समर्थन करती है। जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दिए गए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के सभी वचन एवं आश्वासन असत्य सिद्ध हुए हैं।

(2) सम्पूर्ण पक्षपातों एवं अन्यायों की जानकारी, विरोध प्रदर्शन, चेतावनी, और प्रस्तावों के माध्यम से समय–समय पर भारत सरकार और जम्मू व कश्मीर सरकार को दिए जाने के बावजूद भी समस्याओं के समाधान और पुनर्विचार करने हेतु कोई भी ठोस कदम उठाने का विचार नहीं किया गया। यहाँ तक कि जम्मू व कश्मीर

सरकार को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी हमारे 21/9/1951 के प्रस्ताव को उपेक्षित किया गया। हमारे अध्यक्ष जी द्वारा दिल्ली में दिए गए वक्तत्य में अंकित शिकायतों का निदान होने तक विरोध स्वरुप एवं जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरुप हम अंततोगत्वा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेने पर विवश हो चुके हैं।

(3) भारत के साथ राज्य के पूर्ण विलय और संघ (केन्द्र) के अन्य राज्यों की भांति भारतीय संविधान को इस रियासत द्वारा अँगीकार करवाने हेतु परिषद् जनता के मत को संगठित करना जारी रखेगी....."।

**श्री दुर्गा दास वर्मा**

**महा मंत्री**

**ऑल जे एण्ड के प्रजा परिषद् जम्मू**

## (क) जम्मू चुनावों में अनियमितताएँ

शनिवार 6 अक्तूबर 1951 के दिन नई दिल्ली में हुई प्रेस कॉंफ्रेस में "ऑल ज.व. क प्रजा परिषद्" के अध्यक्ष पं० प्रेमनाथ डोगरा जी ने निम्नलिखित वक्तव्य प्रेस विज्ञप्ति के लिए जारी किया:–

''.....जम्मू एवं कश्मीर राज्य को संविधानकारी सभा के चुनावों से संबंधित विषय में आप सभी नें निशचित रुप से बहुत कुछ पढ़ा होगा, परंतु मुझे विश्वास है कि आपको तस्वीर का केवल एक ही पहलु बताया गया है। इसलिए मैं आपको इन चुनावों के बारे में कुछ तथ्य देना चाहूँगा और जम्मू में वास्तविक स्थिति से संबंधित प्रत्येक निर्णय, मैं आपकी अपनी निर्णय क्षमता पर छोड़ता हूँ....''।

## (ख) प्रजा –परिषद्

गत कई वर्षों से प्रजा परिषद् जम्मू के लोगों की एक शक्तिशाली राजनैतिक पार्टी रही है, उसी प्रकार जिस प्रकार कश्मीर के लोगों की नेश्नल कॉंफ्रेंस पार्टी। परंतु जब से राज्य में वर्तमान प्रशासन तैयार हुआ है तब से जम्मू के लोगों का निरंतर अपमान एवं उत्पीड़न हो रहा है। दो वर्ष पूर्व इन्हीं अत्याचारों के विरुद्ध ज.व. क प्रजा परिषद् को सत्याग्रह आंदोलन करना पड़ा था, जिसको प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन देने के पश्चात कि दोनों संभागों के लोगों के साथ वर्ताव करते हुए कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, को वापिस ले लिया गया। प्रजा–परिषद् किसी भी मायनें में सांप्रदायिक संगठन नहीं है, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से हो जाती है कि इसकी सदस्यता सूची में सैकड़ों मुस्लिमों के नाम हैं। इनमें से कुछ तो प्रजा परिषद् के मंच से जन सभाओं को संबोधित करते आ रहे हैं परंतु सरकार नें प्रजा परिषद् के ऐसे मुस्लिम सदस्यों को पाकिस्तानी सिद्ध करनें की रणनीति अपनाई हुई है। उनमें से एक को तो स्थानीय अधिकारियों द्वारा पीटा गया जबकि दूसरे को राज्य से निष्कासित कर दिया गया और वह आजकल देश के अन्य भागों में रह रहा है।

## पं. जी प्रजा–परिषद् के वरिष्ठ नेताओं के साथ
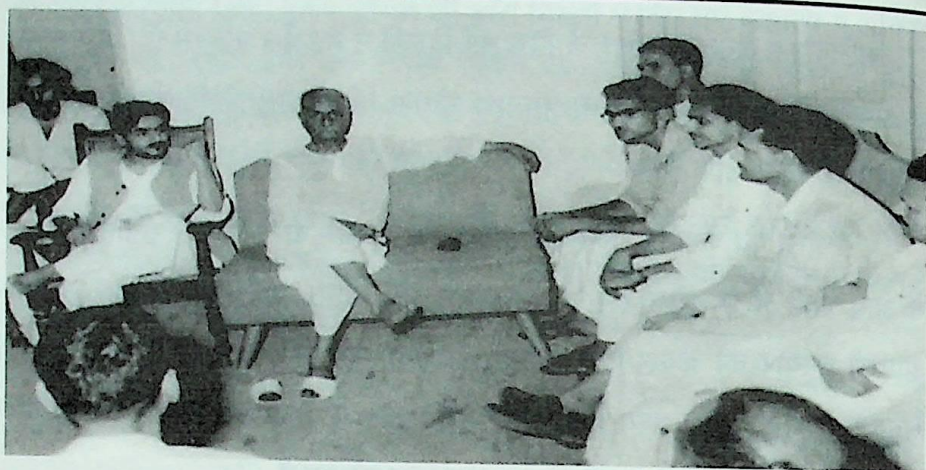
भारत के विभाजन के उपरान्त प्रजा–परिषद् सुस्पष्ट ढंग से ज.व.क राज्य के बिना शर्त भारतीय संघ के साथ विलय के पक्ष में रही है जबकि नेशनल कॉँफ्रेंस आज तक भी राज्य के भारतीय संघ में पूर्ण विलय को स्वीकार नहीं कर पाई है और उसकी इच्छा है कि केवल रक्षा, बहरी मामले (विदेश नीति) और दूरसंचार ही भारत की केंद्रिय सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाएँ। यहाँ तक कि वर्तमान चुनावों में भी प्रजा–परिषद् की यह माँग है कि "भाग–ख" और भाग "ग" राज्यों की भांति (जिनका भारतीय संघ में विलय हो चुका है) जम्मू व कश्मीर राज्य में भी संपूर्ण भारतीय संविधान लागू कर दिया जाए। जबकि नेशनल कॉँफ्रेंस जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए एक अलग संविधान चाहती है, जिसके कारण केवल उसी को ज्ञात होंगे।

### प्रजा–परिषद् बनाम नेशनल कॉँफ्रेंस

उपर्युक्त कारणों से यह स्पष्ट है कि नेशनल कॉँफ्रेंस और प्रजा परिषद् के बीच राज्य के भारतीय संघ के साथ पूर्ण विलय के प्रशन पर आधारभूत एवं मूलभूत मतभेद हैं। जबकि प्रजा परिषद् भारतीय संघ के साथ राज्य के बिना शर्त पूर्ण विलय पर दृढ़मत है पर नेशनल–कॉँफ्रेस इस विषय पर आरक्षण एवं सुरक्षित अधिकार चाहती है। गत चार वर्षों के दौरान नेशनल कॉँफ्रेंस नेताओं के विरोधाभासी वक्तव्यों एवं कार्यों से राज्य की जनता के मस्तिष्क में भयंकर असमंजस उत्पन्न हुआ है।

जम्मू व कश्मीर राज्य की संविधान सभा के लिए होने वाले वर्तमान चुनाव भी इसी विवादास्पद विषय (मुद्दे) पर लड़े जा रहें हैं और यही कारण है कि नेशनल

कॉफ्रेंस पूरा प्रयास कर रही है कि प्रजा परिषद् को संविधान सभा में जाने से रोका जाए।

इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर सरकार (जो कि नेशनल कॉफ्रेंस का ही दूसरा नाम है) उचित एवं नियम विरुद्ध सभी प्रकार के उपाय कर रही है ताकि जनता के वास्तविक/असली प्रतिनिधियों को संविधान सभा में प्रवेश करनें से रोका जाए। इसी नीति के परिणामस्वरुप कोई भी विरोधी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरनें का साहस नहीं जुटा पाया और यदि किसी ने नामांकन पत्र भरनें का साहस किया तो उस पर मानसिक दबाब डालकर नामांकण पत्र वापस लेने के लिए बाध्य किया गया।

**पं. प्रेमनाथ डोगरा जी बचन सिंह पंछी एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ**

जम्मू प्रांत मे नेशनल कॉफ्रेंस एवं सरकार की यह धमकी सफल नहीं हो पाई क्योंकि बहुत वर्षो से प्रजा परिषद् इस प्रांत का शक्तिशाली राजनैतिक संगठन रहा है। यहाँ तक कि जब नेशनल काफ्रैंस का कोई वजूद नहीं था तब भी प्रजा परिषद् की गतिविधियाँ होती रही हैं।

नेशनल कॉफ्रेंस का जन्म 1932 में "कश्मीर मुस्लिम कॉफ्रेंस" के रुप में हुआ था और तब इसकी गतिविधियाँ केवल कश्मीर घाटी तक ही सिमित थी। इसलिए एक सोची–समझी योजना के तहत प्रजा परिषद् को संविधान सभा में प्रभावकारी आवाज़ बनने से रोकने के प्रयास किए गए।

## अंगीकृत युक्तियाँ / रणनीति

सर्वप्रथम नेशनल कॉफ्रैंस सरकार नें यह निर्णय लिया कि जम्मू एवं कश्मीर

प्रांतों में एक ही समय पर चुनाव नहीं करवाए जाएँगे। सभी लोग यह जानकार आश्चर्यचकित थे कि जब कश्मीर घाटी में नामांकन पत्र भरें जा रहे थे तब जम्मू प्रांत में अभी तक अंतिम मतदाता सूचियाँ भी प्रकाशित नहीं हुई थीं। जम्मू प्रांत में चुनावों को जानबूझकर प्रभावित करनें की इच्छा से ही यहाँ नामांकन पत्र भरनें की तिथि उस समय घोषित की गई जब कश्मीर घाटी में नेशनल–कॉफ्रेंस के उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव पहलें ही घोषित किया जा चुका था।

**पं. प्रेमनाथ डोगरा जम्मू में पार्टी प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित करते हुए**
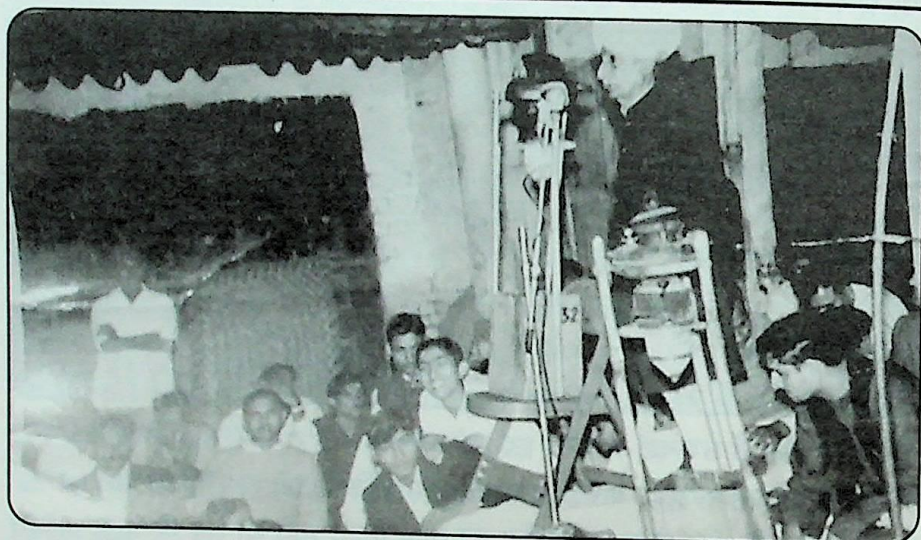
## अनियमित परिसीमन

प्रजा परिषद् के विरुद्ध सबसे बड़ा हथकंड़ा जो अपनाया गया वो यह था कि उसे परिसीमन समिति में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। हांलाकि पहले उसे आश्वस्त किया गया था कि उसके प्रतिनिधियों को समिति से जोड़ा जाएगा परंतु बाद में ऐसा नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरुप जम्मू प्रांत के निर्वाचन छेत्रों का परिसीमन इतने मनमानें ढंग से किया गया कि प्रजा परिषद् के अग्रगामी सदस्यों के शक्तिशाली गढ़ भी टुकड़ों में बिखर गए।

## 1952 में सत्याग्रह आंदोलन से पूर्व एकत्रित जनसमूह
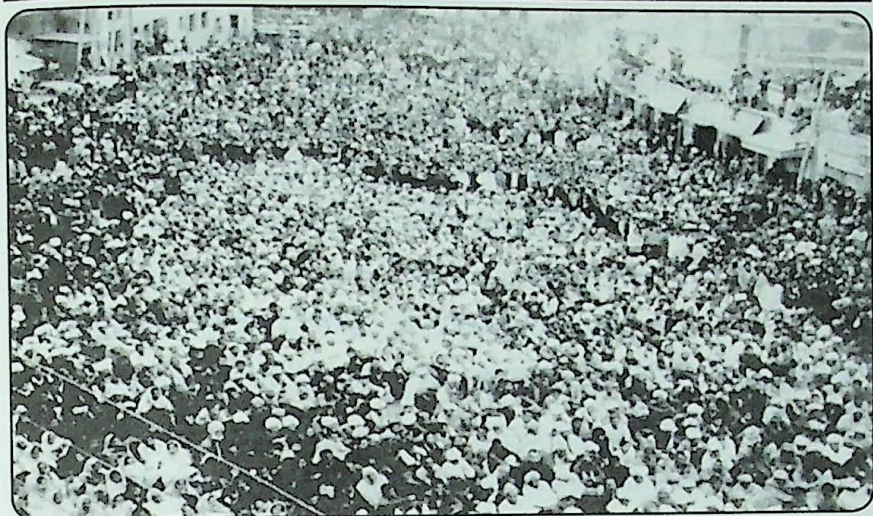
परिसीमन समिति द्वारा निर्धारित किए गए निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया परिसीमन समिति को सौंपे गए परिसिमन कार्य के संदर्भ की शर्तों एवं क्षेत्रों को निकटता और ठोसपन आदि आधारों एवं सिद्धांतों के विपरीत ही थे ताकि जो पार्टी सत्ता में है उसे फायदा हो सके। निम्नलिखित विशेश उदाहरण प्रजा परिषद् द्वारा दिए गए उपर्युक्त तर्कों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं–

1. जम्मू सिटी के लिए निर्वाचन क्षेत्रों को निर्धारित करते हुए जम्मू सिटी से सटी हुई जम्मू पटवार का बँटवारा करके उसके अधिकतम भाग को जम्मू तहसील के कान्हाचक्क क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया जबकि बचे हुए भाग को जम्मू सिटी की दक्षिणावर्ती निर्वाचन क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया जिसमें तवी दरिया के दूसरी ओर पड़ने बाली बाहु पटबार को भी जोड़ दिया गया। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन भी हुए और एक प्रस्ताव भी पारित करके सरकार को 8 सितंबर 1951 को भेजा गया परंतु कोई भी परिणाम नहीं निकला।

2. भीनी नदी के उस पार पड़ने बाली सारी पटवार जो कि बसोहली निर्वाचन क्षेत्र का प्राकृतिक भाग है उसे बसोहली चुनाव क्षेत्र से काटकर बिलाबर निर्वाच्न क्षेत्र के साथ जोड़ दिया गया क्योंकि इस पटवार को बिलाबर निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होनें बाले तत्कालीन नेशनल कॉफ्रेंस उम्मीदवार के पक्ष में माना गया था। यह बँटबारा बिलकुल ही अप्राकृतिक एवं जानबुझकर किया गया पक्षपातपूर्ण निर्णय था।

## तीन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी आम सीट का न होना

प्रजा परिषद् के विरुद्ध अंगीकार की गई तीसरी पद्धति यह थी कि ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर परिषद् शक्तिशाली थी वहाँ पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को छोड़कर अन्य सभी के जानें पर रोक लगा दी गई। य़द्यपि अनुसूचित जाति की जनसंख्या वहाँ पर तुलनात्मक रुप से बहुत कम थी। भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लागों को जो सीटें आवंटित की गई वह सामान्य जाति की सीटों के अतिरिक्त थीं ना कि सामान्य निर्वाचक वर्ग की कीमत पर। केवल वही क्षेत्र अपवाद में थे जहाँ पर सारी जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की थी। परंतु जम्मू में परिसीमन समिति ने रियासी, कान्हाचक्क, और विशनाह निर्वाचन क्षेत्रों को हरिजनों के लिए अलग रखा था।

सामान्य निर्वाचक वर्ग के साथ अन्याय रोका जा सकता था अगर इन सीटों को आरक्षित करने के बजाए हरिजनों के लिए आरक्षित सीटें सामान्य सीटों के अतिरिक्त आरक्षित की गई होती। यद्यपि इन क्षेत्रों में सामान्य वर्ग की अधिकतम जनसंख्या होने के उपरांत भी इनको संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करने से रोका गया।

निर्वाचन क्षेत्रों के अनुचित परिसीमन का सर्वाधिक सुस्पष्ट उदाहरण है किश्तबाड़ जहाँ पर हरिजनों की अधिकतम जनसंख्या है परंतु बहाँ पर हरिजनों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आशय बड़ा ही सरल है। इस क्षेत्र से प्रजा परिषद् के हरिजन उम्मीदवार श्री जगत राम आर्य जी का अत्याधिक बहुमत से निर्वाचित होना तय था। वह इससे पहले प्रजा सभा एवं राज्य विधान सभा के सदस्य थे। पहले तो सरकार नें इन्हें नेशनल कॉफ्रेंस की तरफ से जितानें का प्रयास किया। उनके मना करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिर भी बंदी पत्यक्षीकरण याचिका के परिणाम स्वरुप उच्च न्यायलय द्वारा उन्हें रिहा किया गया। तत्पश्चात सरकार ने उन्हें श्रीनगर में नज़रबंद करके उनके अपने पैतृक जिले किश्तबाड़ में प्रवेश करनें से रोका। इस घटना के विरोध में जब चारों ओर से विरोध प्रदर्शन होने लगे तब परिसीमन समिति नें किश्तबाड़ से हरिजन उम्मीदवार के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। इस प्रकार प्रजा–परिषद् उम्मीदवार श्री जगत राम आर्य का संविधान सभा में निर्वाचित होकर प्रवेश पाना असंभव सा हो गया। इन सब अन्यायों के विरुद्ध

प्रजा–परिषद् ने विरोध प्रदर्शन किए परंतु उनका कोई असर नहीं हुआ।

## अप्रसांगिक मतदान केन्द्र

प्रजा–परिषद् को विजयी होने से रोकनें के लिए चौथी सबसे बड़ी कठिनाई सामान्य से हटकर बनाए गए मतदान केन्द्र थे जो कि मध्यवर्ती क्षेत्रों मे स्थित नहीं थे और वहाँ पर केवल नेशनल कॉंफ्रेंस सरकार के स्रोत ही अपने मतदाताओं को वहन कर सकते थे।

## 65 में से 41 नामांकन पत्रों को अस्वीकृत करना

प्रजा परिषद् के विरुद्ध किया गया पाँचवा धोर नृशंस प्रयास था जम्मू प्रांत से 30 सीटों में से 27 सीटों के लिए भरे गए 65 नामांकन पत्राों में से 41 नामांकन पत्र मामूली आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए। जबकि नेशनल कॉंफ्रेंस उम्मीदवारों का एक भी नामांकन पत्र खारिज नहीं किया गया यद्यपि प्रजा परिषद् नें इनमें से बहुतेरों के विरुद्ध गंभीर विरोध दर्ज करवाया।

जैसा कि प्रजा परिषद् को नामांकन पत्रों से संबंधित विषय पर कठिनाईयों का आभास हो रहा था इसलिए उसनें 24 निर्वाचन क्षेत्रों से एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भरवानें की सावधानी बरतना उचित समझी। कुछ क्षेत्रों में तो प्रजा परिषद् द्वारा 3 या 4 उम्मीदवार भी नामांकित किए गए थे। परंतु इन सभी सीटों पर प्रजा परिषद् को चुनाव लड़नें से रोकने के लिए पूर्व नियोजित एवं निर्धारित नीति के तहत सभी के सभी 2 या 3 या 4 जितनें भी नामांकन पत्र भरे गए वे सब के सब किसी ना किसी आधार पर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा खारिज कर दिए गए। इन सभी नामांकन पत्रों को खारिज किए जानें की पूरी कहानी बड़ी रोचक सिद्ध होगी एवं विस्तारपूर्वक कहे जानें लायक (योग्य) भी है।

1. बिलावर निर्वाचन क्षेत्र से ध्यान सिंह, तारा चंद, ठाकुर दास और राम चंद आदि के चार नामांकन पत्र भरे गए। चारों उम्मीदवारों के प्रस्तावक एवं अनुमोदन कर्ताओं के "स्थायी निवासी प्रमाण पत्र" नहीं होने के आधार पर इनके नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए। यद्यपि चुनाव नियमावली के अनुसार ऐसी कोई भी शर्त आवश्यक थी ही नहीं। परंतु दूसरी ओर नेशनल कॉफ्रेंस उम्मीदवार श्री रामचंद्र खजूरिया जी का नामांकन पत्र उनके प्रस्तावक एवं अनुमोदन कर्ता द्वारा "स्थायी निवासी प्रमाण पत्र"

पेश न करनें के बाबजूद भी स्वीकार कर लिया गया। इसके अतिरिक्त उनका नाम अधिकारिक मतदाता सूची में रामचंद्र के बजाए अमरचंद दर्ज किया गया।

2. हीरानगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रजा–परिषद् ने बलदेव सिंह, रुद्रमणि, शम दत्त और ज्वाला प्रकाश के लिए चार नामांकन पत्र भरे थे। पहले तीन 'विकल्पों के नामांकन पत्र' स्थायी निवासी प्रमाण पत्र न होनें के आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए और केवल अंतिम उम्मीदवार का ही नामांकन पत्र स्वीकार किया गया वो भी इसलिए कि निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि वो प्रस्तावक एवं अनुमोदन कर्ता को स्वयं जानते हैं।

3. बसोहली निर्वाचन क्षेत्र से प्रजा–परिषद् नें तारा चंद, जगदीश शर्मा और शम चंद जी के नाम से तीन नामांकन पत्र भरे थे। पहले दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र उसी प्रकार से "स्थायी निवासी प्रमाण पत्र" के आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए थे।

परंतु श्री राम चंद जी का नामांकन पत्र इस तर्क के साथ रद्द कर दिया गया था कि वो सरकारी कर्मचारी हैं यद्यपि उन्होंनें अपने साथ त्यागपत्र भी लाया हुआ था जो कि उनके अधिकारी द्वारा यथावत् स्वीकृत किया गया था। त्यागपत्र को प्र्याप्त ही नहीं माना गया था। इसके विपरीत नेशनल–कॉफ्रेंस उम्मीदवार महंतराम का नामांकन पत्र वैध मान लिया गया था, यद्यपि उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ चुनावी ऐजन्ट की निशचित घोषणा करनें बाला फार्म संलग्न नहीं किया था। जबकि ऐसा करना सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य था।

4. कठुआ निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रजा परिषद् नें कम से कम पाँच उम्मीदवार तैयार किए थे जिनके नाम थे चग्गर सिंह, सुरेन्द्र नाथ, पृथ्वी सिंह, रंजीत सिंह और विद्या प्रकाश। पहले दो उम्मीदवारों के नामांकन पत्र उसी प्रकार से "स्थायी निवासी प्रमाण पत्र" के तर्क पर रद्द कर दिए गए थे। जबकि पृथ्वी सिंह और रंजीत सिंह के नामांकन पत्र जम्मू में हुए एक राजनैतिक आंदोलन में उनकी गिरफ्तारी के आधार पर अस्वीकृत किये गये। केवल पाँचवें उम्मीदार का नामांकन पत्र ही स्वीकार किया गया था क्योंकि उसमें उनको कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आई थी। इसके विपरीत नेशनल–कॉफ्रेंस उम्मीदवार मेजर पियार सिंह का नामांकन पत्र वैध स्वीकार कर लिया गया था यद्यपि उन्होंने अपने पत्र के साथ नियमावली के अनुसार आवश्यक घोषणा संलग्न नहीं की थी।

5. रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से परिषद् के तीन उम्मीदवारों हंसराज, अमृत सागर

और शिव चरण ने नामांकन पत्र भरे थे। हंसराज जी का नामांकन पत्र इस तर्क के आधार पर रद्द कर दिया गया था कि उनको अधिकारिक मतदाता सूची में अपनी क्रमांक संख्या को लेकर शंका थी और वह इसे लेकर पूर्व रुप से आश्वस्त नहीं थे। मूल निर्वाचक/मतदाता सूची के अनुसार उनकी क्रमांक संख्या 490 थी परंतु संशोधित सूची में उनका क्रमांक था 491। एहतियात/ सावधानी के रुप में उन्होंने दो अलग–अलग नामांकन पत्र भरे थे। एक में उन्होंने क्रमांक संख्या 490 भरी और दूसरें में 491 परंतु दोनों नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिए गए थे कि उम्मीदवार अपनी क्रमांक संख्या को लेकर आश्वस्त नहीं है।

अमृत सागर जी का नामांकन पत्र इस तर्क पर खारिज कर दिया गया था कि वह निर्वाचन सूची में अपनीं प्रविष्टि को लेकर प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। यद्यपि उनके पास सूची की आधिकारिक प्रति थी जिसमें उनका नाम सम्मिलित था।

शिव चरण जी का नामांकन पत्र इस तर्क के साथ खारिज कर दिया गया था कि वह निर्वाचन सूची में अपनीं प्रतिष्टी को लेकर प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। निर्वाचन सूची में उनका नाम लाला शिव चरण दर्ज था जबकि नामांकन पत्र में केवल शिव चरण ही दर्ज था। यद्यपि पिता का नाम और अन्य सभी प्रविष्टियाँ (ब्यौरा) पूर्णतयः मेल खाता था।

इसके विपरीत नेशनल–कॉंफ्रेंस उम्मीदवार ''लाला हेम राज'' का नामांकन पत्र वैध घोशित किया गया था यद्यपि उनका नाम सूची में "लाला हुम राज" दर्ज था।

इसके अतिरिक्त सांबा निर्वाचन क्षेत्र से रधुनाथ सिंह और धनवंतर सिंह का नामांकन पत्र, रणवीर सिंह पुरा से शिव लाल जी का और अखनूर से श्याम लाल जी का, एवं अन्यों के नामांकन पत्र केवल लिपिक विषयक या मामुली संस्करण संबंधी त्रुटियों के आधार पर अस्वीकृत कर दिए गए थे। रणवीर सिंह पुरा निर्वाचन क्षेत्र से प्रजा–परिषद् उम्मीदवार धर्मपाल जी का नामांकन पत्र तो पहले स्वीकार कर लिया गया था, परंतु तत्पश्चात् उनके साथ मारपीट करके नामांकन पत्र वापिस करवा लिया गया था।

## (क) नेशनल कॉफ्रेंस उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति

प्रजा परिषद् उम्मीदवारों के समक्ष अपार विध्न–बाधाएँ उत्पन्न करनें के पश्चात

भी नेशनल कॉफ्रेंस उम्मीदवारों के साथ तुलनात्मक रुप से सहानुभूति दिखाई गई थी। यह सब कुछ निम्नलिखित उदाहरणों से सिद्ध होता है:–

(1) जम्मू शहर (दक्षिणी निर्वाचन) क्षेत्र से तैयार की गई नेशनल–कॉफ्रेंस उम्मीदवार था नाम निर्वाचन सूची में श्रीमति "राम देई" के बजाए "श्रीमति ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह" दर्ज था फिर भी उनका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया था।

(2) सांबा से नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवार सागर सिंह के साथ उसके अनुमोदनकर्ता के नाम भी निर्वाचक सूची से मेल नहीं खाते थे तो भी उसका नामांकन प़त्र. वैध घोशित किया गया था।

(3) छंब निर्वाचन क्षेत्र से नेशनल कांफ्रेस के उम्मीदवार छैला सिंह के पिता का नाम "स्थायी निवासी प्रमाणपत्र" के अनुसार "बरीता" था परंतु निर्वाचक सूची में यह 'बरीता सिंह' के नाम से दर्ज था। इसके अतिरिक्त "स्थायी निवासी प्रमाणपत्र" के अनुसार वह जाट जाति का था परंतु निर्वाचक सूची में उसकी प्रविष्टि सिख के रुप मे दर्ज थी। तो भी उसका नामांकन पत्र वैध घोषित किया गया।

यद्यपि चुनाव नियमावली के अनुसार नामांकन पत्रों पर दर्ज सभी आपत्तियां उसी दिन में निपटानी होती हैं। कठुआ निर्वाचन क्षेत्र में सारी आपत्तियाँ दूसरे दिन निपटारे के लिए रखीं गई, वह भी इस तर्क के आधार पर कि दोनों अधिष्ठाता एक ही साथ बीमार हो चुके हैं ताकि नेशनल कांफ्रेंस की मदद की जा सके। उपयुक्त घटनाएँ केवल दृष्टांत देने वाली हैं न कि सुविस्तृत जानकारी। जम्मू में चुनाव किस प्रकार निशपक्ष एवं स्वतंत्र रुप से हुए होंगे इसका आंकालन इन घटनाओं से आसानी से लगाया जा सकता है।

## अधिकारिक हस्तक्षेप

इसके अतिरिक्त नेशनल कांफ्रेंस सरकार का संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र प्रजा परिषद् के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने हेतु गतिमान कर दिया गया था। यह सब राज्य के उप–प्रधानमंत्री की सीधी देख–रेख में हो रहा था जो जम्मू प्रांत के दौरे पर थे और लोगों को डरा धमका रहे थे ताकि वो लोग प्रजा परिषद् का समर्थन न करें।

## पं. प्रेम नाथ डोगरा जी एवं ऋषि कुमार कौशल बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ
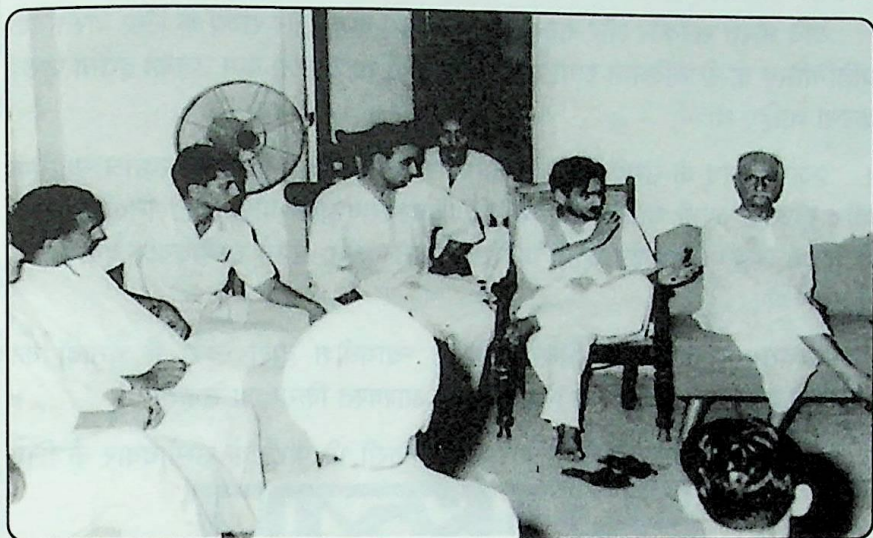
कठुआ के जिला उपायुक्त के संग मंत्री श्री गिरधारी लाल डोगरा दौरा करते हुए जनसभाओं को नैशनल कांफ्रेंस उम्मीदवारों के पक्ष में संबोधित कर रहे थे। उसने सीमा रेखा के समीप रहने वाले कई लोगों के (जो नेशनल कांफ्रेंस का समर्थन नहीं करते थे) आयुद्ध लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) रद्द कर दिए गए थे और प्रजा परिषद् का विरोध करने वाले लोगों को नए लाइसेंस बनाके दिए थे।

इसी प्रकार रामनगर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार नेशनल कांफ्रेंस के समर्थन में और प्रजा परिषद् के विरोध में कार्य कर रहे थे।

उपरोक्त दी गई कुछ विघ्न बाधाओं के कारण प्रजा परिषद् के लिए इन चुनावों को निष्पक्षता से लड़ पाना असंभव सा हो गया था।

### "श्रीमान गोपाल स्वामी अय्यंगर–निःसहाय"

मैं राज्यमंत्री श्री एन. गोपालस्वामी अय्यंगर जी से मिला ताकि उनको सभी अनियमितताओं के बारे में बात सकुँ, इस आशा में कि वह जम्मू में प्रजा परिषद् के साथ उचित बर्ताव सुनिश्चित करवा सकें।

परंतु मुझे यह जानकार खेद हुआ कि कुछ अस्पष्ट आशवासनों के अलावा वह मुझे निश्चित नहीं कर पाए कि प्रजा परिषद् इन चुनावों में न्याय एवं न्यायपूर्ण

व्यवहार की आशा रख सकती थी।

## निष्पक्षता अनिवार्य

यदि भारत सरकार और राज्य सरकारें जम्मू व कश्मीर राज्य के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली संविधान सभा बनाना चाहते हैं तो कम से कम उनको इतना ज़रुर करना चाहिए थाः–

1. प्रजा परिषद् के उम्मीदवारों के नामांकन पत्र रद्द किए जाने की स्वतंत्र न्यायिक जाँच करवाई जानी चाहिए थी। जिसके फलस्वरुप प्रजा परिषद् 27 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने योग्य बन जाती जहाँ से उसने मूलतः अपने उम्मीदवार चुनाव मैदा में उतारे थे।

2. उच्चतम न्यायलय के किसी विशिष्ट न्यायधीश द्वारा जम्मू में चुनावों का संचालन करवाते ताकि उचित निष्पक्षता को आश्वस्त किया जा सकता।

3. राज्य में सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कार्य करने से रोकते।

वास्तविकता में मैनें इन सभी तथ्यों का खूब प्रचार किया परंतु अब सारा काम बहुत दूर निकल चुका है और हम भी कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं जिसका मुझे खेद है। हमने पराकाष्ठा की सीमा तक मामलों को स्थानीय तौर पर सुलझाने के प्रयास किए परंतु नेशनल कांफ्रेंस नेताओं एवं राज्य सरकार ने जम्मू के लोगों की जायज़ समस्याओं को सुनने तक से इंकार कर दिया, इन चुनावों को मध्यनज़र रखते हुए।

## जम्मू में निर्णय करेंगे

इस समय प्रजा परिषद् एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने का निर्णय किया जाए था फिर उनके संपूर्ण उपहास को उजागर करते हुए चुनावों से किनारा कर लिया जाए। इस विषय (समस्या) का फैसला मेरा जम्मू वापिस आने पर प्रजा परिषद् द्वारा जम्मू में किया जाएगा जब कार्यकारी समिति की बैठक संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार मंथन करेगी।

हस्ताक्षरित

प्रेम नाथ डोगरा

संदर्भ :– 6 अक्तूबर 1951, नाना जी देशमुख पुस्तकालय जम्मू में उपलब्ध प्रजा परिषद् के ऐतिहासिक दस्तावेजों से साभार

# पृष्ठभूमि

# 1. इतिहास

## महाराजा हरि सिंह और प्रजा परिषद

जम्मू एवं कश्मीर के महाराजा ने धर्म तंत्र पर आधारित पाकिस्तान की बजाए धर्म निरपेक्ष भारत को चुना था। उन्होंने सभी आकर्षणों, दवाबों एवं प्रभावों का साहसतापूर्वक सामना किया। महाराजा ने अपने कानूनी अधिकार को प्रयुक्त करते हुए उसी प्रकार से विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिस प्रकार से अन्य 550 से भी अधिक शाही राज्यों के राजाओं और नवाबों ने उस प्रपत्र को मुद्रांकित किया था।

अतः महाराजा हरि सिंह के विधिक अधिकार द्वारा यह राज्य कानूनी एवं संवैधानिक रुप से भारतीय संघ का पूर्ण अंग बन गया था।

शेख अब्दुल्लाह महाराजा के प्रति सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाए यद्यपि शेख अपनी रिहाई की कोशिश करते हुए निष्ठा की प्रतिज्ञा कर चुके थे और 1947 मे आने वाले (उभरते हुए) प्रशासक और 1948 में राज्य के प्रधानमंत्री बन गए।

सत्ता प्राप्त करने के पश्चात शेख ने अपने मित्र, भारत के शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्री जवाहर लाल नेहरु को प्रभावित करके महाराजा हरि सिंह जी को बांबे में निर्वासित करवा दिया।

पं॰ प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्व में प्रजा परिषद् ने इस निर्णय का विरोध किया और कहा कि इससे कश्मीर में सांप्रदायिकता फैलाने वाले अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रजा परिषद् ने महाराजा हरिसिंह के साथ अन्य राजाओं और नवाबों जैसा व्यवहार करने की वकालत की थी। परंतु नेशनल कांफ्रेंस, कांग्रेस एवं उनके अनुचरों ने पं॰ प्रेम नाथ डोगरा जी और प्रजा परिषद् को राजवंशीय शासन अर्थात राजवाड़ा शाही के गुप्तचर होने का आरोप लगाया। अब प्रजा परिषद् को आभास हुआ कि यह सब कुछ जन साधारण की धारणा को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है।

## महाराजा के प्रति आदरभाव

पंडित जी यह जानते हुए भी कि महाराजा की सरकार से सेवानिवृति हों चुकी है वह उनके प्रति आदर भाव रखते थे। वह श्री जवाहरलाल नेहरु की शेख के प्रति तृष्टिकरण वाली नीति के घोर आलोचक थे इसलिए नेहरु जी हरिसिंह जी को अपना विरोधी मानते हुए उन्हें अपमानित करने के प्रयास करते रहते थे।

## पंडित डोगर जी जुलूस में

पंडित जी को प्रतीत होता था कि श्री जवाहर लाल नेहरु जी ने राजा के साथ न्याय नहीं किया है, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने के तमाम दवाबों का साहसपूर्वक सामना करते हुए एवं राष्ट्र व्यापी दृष्टिकोण रखते हुए भारत को चुना था। पंडित जी को जवाहर लाल जी का ऐसा व्यवहार सोची समझी परिकल्पना की उपज लगती थी। उन्होंने खुलकर अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर में अधिकांश समस्याओं का मूल कारण शेख का आवश्यकता से अधिक लाड़–प्यार एवं संतुष्टिकरण करना है, जो स्वयं भी शब्दवाद पर रंग बदलता रहता है और जिसका स्वभाब एवं पद्यति कभी भी एक समान नहीं रहें हैं। 1950 के अंतिम वर्षों में जब पंडित जी भारतीय जनसंघ के नेता के रुप में मुंबई गए तो उनकी इच्छा महाराजा जी से मिलने की भी थी।

## प्रतिशोधी नेहरु

कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कश्मीर में अव्यवस्था की उत्पति शेख महोम्मद अब्दुल्लाह और महाराजा हरिसिंह के बीच द्वेष की भावना थी एवं जवाहर लाल नेहरु और शेख की राजनैतिक मित्रता के कारण हुई थी। इस मित्रता ने शक्तिशाली नेहरु को हरिसिंह के प्रति इतना प्रतिशोधी बना दिया था कि अपने मित्र के इशारे पर महाराजा हरिसिंह जी को उनके राज्य से बाहर मुंबई में निर्वासित

जीवन व्यतीत करने पर मजबूर कर दिया गया जहाँ पर उनकी 1962 में मृत्यु हो गई यद्यपि जम्मू व कश्मीर राज्य भारतीय संघ के साथ उनके विलय (संधि) प्रपत्र पर हस्ताक्षर करते ही कानूनन भारत का अभिन्न अंग बन चुका था। कुछ लेखकों ने नेहरु के इस कृत्य को न केवल अन्याय अपितु भारी भूल की संज्ञा दी है।

## नेहरु की प्रतिशोधिता

इसका आंकलन इस घटना से लगाया जा सका है जब महाराजा को राज्य से बेदखल कर दिया गया था। 23 अप्रैल 1949 को महाराजा द्वारा राज्य छोड़कर जाने के कुछ माह पश्चात् प्रधानमंत्री नेहरु जब जम्मू भ्रमण पर थे तो उन्होंने शेख के साथ एक जुलूस में भाग लिया था। उस समय पुरानी मंडी में राजपूत सभा के कार्यालय के समीप श्री नानक सिंह जम्वाल जो कि सभा के कार्यकर्ता थे, ने स्वागत द्वार बनाकर और हाथ में तख्ती लेकर यह मांग की थी कि :–

**'महाराजा हरिसिंह को वापिस लाओ'**

जुलूस के अंत में परेड ग्राऊंड के उत्तरी छोर की ओर एक जनसभा (बैठक) हुई जिसमें भाषण देते हुए श्री नेहरु जी ने अपना पाँव बार–बार नीचे पटकते हुए ऊँचे स्वर में तीन बार कहा:–

**'मैं कहता हूँ हरि सिंह नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा'**

**पंडित नेहरू जम्मू में जनसभा को संबोधित करते हुए**

क्रोध से भरी हुई इस झल्लाहट के कारण कई लोग बैठक (जनसभा) स्थल से उठकर चले गए और नेहरु जी की इस घोषणा के परिणाम स्वरुप प्रजा– परिषद् के कार्यकर्ताओं को प्रेरणा प्राप्त हुई क्योंकि उनकी पार्टी आरंभ से ही राज्य के महाराजा के साथ देश के अन्य राजाओं और नवाबों की भांति समान व्यवहार के पक्ष में थी।

इन्हीं कारणों से नेहरु जी महाराजा का विरोध करते थे। सन् 1944 में शेख़ द्वारा निर्देशित नेशनल कांफ्रेंस पार्टी ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन आरम्भ किया जो कि भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर ही था। सामान्यतः नेशनल कांफ्रेंस का प्रचार वाक्य (नारा) था "डोगरो कश्मीर छोड़ दो" यद्यपि साधारण/आम डोगरा लोगों को इस आंदोलन से कुछ भी लेना–देना नहीं था क्योंकि महाराजा का शासन एक राजवंशीय एकाधिपत्य था परंतु डोगरों के विरुद्ध लगाए जाने वाले नारों के परिणामस्वरुप डोगरों की धरती पर नेशनल कांफ्रेंस के विरुद्ध स्वतः ही भावनाओं को जागृत कर दिया। सन् 1946 में जब शेख को गिरफ़्तार करके उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तब नेहरु जी ने तत्कानीन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की सलाह के विरुद्ध जाकर अदालत में शेख के पक्ष में मुकदमा लड़ने का प्रयास किया परंतु महाराजा ने राज्य में उसके (नेहरु के) प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। नेहरु जी का क्रोध पूर्ण प्रतिपादन यह सिद्ध करता था कि वह कितने प्रतिशोधी स्वभान के थे।

यहाँ पर यह बताना अतिआवश्यक/उपयुक्त है कि परिस्थितियाँ इस हद तक उत्पन्न कर दी गई थीं कि सन् 1962 में जब महाराजा हरिसिंह जी ने अंतिम सांसे ली तब उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था, केवल उनके निजी सहायक ए.डी.सी कैप्टन दीवान सिंह ही थे।

## संविधान में प्रतिष्ठापित धारा 370

## 370 जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंधः–

(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,

(क) अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू–कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ख) उक्त राज्य के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति–

(1) संघ सूची और समवर्ती सूची के उन विषयों तक सीमित होगी जिनको राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके, उन विषयों के तत्स्थानी विषय घोषित कर

दे जो भारत डोमिनियम में उस राज्य के अधिमिलन को शासित करने वाले अधिमिलन पत्र में ऐसे विषयों के रुप में विनिर्दिष्ट हैं जिनके संबंध में डोमिनियन विधान मंडल उस राज्य के लिए विधि बना सकता है; और

(2) उक्त सूचियों के उन अन्य विषयों तक सीमित होगी जो राष्ट्रपति, उस राज्य की सरकार की सहमति से, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

## स्पष्टीकरण

इस अनुच्छेद कें प्रयोजनों के लिए, उस राज्य की सरकार से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे राष्ट्रपति से, जम्मू व कश्मीर के महाराजा की 5 मार्च, 1948 की उद्घोषणा के अधीन तत्समय पदस्थ मंत्रि परिषद् की सलाह पर कार्य करने वाले जम्मू व कश्मीर के महाराजा के रुप में तत्समय मान्यता प्राप्त थी;

(ग) अनुच्छेद 1 और इस अनुच्छेद के उपबंध उस राज्य के संबंध में लागू होंगे;

(घ) इस संविधान के ऐसे अन्य उपबंध ऐसे अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस राज्य के संबंध में लागू होंगे; परंतु ऐसा आदेश जो उपखंड (ख) के पैरा (1) में निर्दिष्ट राज्य के अधिमिलन पत्र में विनिर्दिष्ट विषयों से संबंधित है, उस राज्य की सरकार से परामर्श करके ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं:

परन्तु यह और कि ऐसा आदेश जो अंतिम पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट विषयों से भिन्न विषयों से संबंधित है, उस सरकार की सहमति से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) यदि खंड (1) के उपखंड (ख) के पैरा (2) में या उस खंड़ के उपखंड (घ) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उस राज्य की सरकार की सहमंति, उस राज्य का संविधान बनाने के प्रयोजन के लिए संविधान सभा के बुलाए जाने से पहले दी जाए तो उसे ऐसी संविधान सभा के समक्ष ऐसे विनिश्चय के लिए रखा जाएगा जो वह उस पर करे।

(3) इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकेगा कि यह अनुच्छेद प्रवर्तन में नहीं रहेगा या ऐसे अपवादों और उपांतरणों सहित ही और ऐसी तारीख से, प्रवर्तन में रहेगा, जो वह विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना निकाले जाने से पहले खंड (2) में निर्दिष्ट उस राज्य की संविधान सभा की सिफारिश आवश्यक होगी।

## धारा 370 एक बुराई

सन् 1952–1953 का विशाल आंदोलन प्रारंम्भ करनें की पीछे असंख्य कारण थे। जम्मू व कश्मीर राज्य को अलग (विशेष) दर्जा देनें बाली धारा 370 को भारतीय संविधान में समविष्ट करनें का प्रजा परिषद् नें भारी विरोध किया था।

इस कृत्य को प्रजा–परिषद् ने भेदभाव पूर्ण और घृणित बतलाया था क्योंकि इससे विभाजक और पृथकतावादी प्रवृतियों के प्रोत्साहित होनें की संभावनाएं बढ़ सकती थीं और मनोवैज्ञानिक अवरोध उत्पन्न हो सकते थे। फिर भी प्रजा परिशद् की चेतावनियाँ नज़रअंदाज कर दी गईं थीं

यह स्मरण करना प्रासंगिक है कि जम्मू व कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी नें उसी पंजीकरण/ अुनवृद्धि प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिस पर भारत के अन्य 560 शाही राज्यों ने किए थे। अन्य राज्य भारतीय संविधान को पूर्णतया अंगीकार करने को सहमत हो गए थे, परंतु शेख द्वारा निर्देशित नेशनल कॉंफ्रेंस नेताओं ने अलग संविधान सभा और दर्जो की माँग की थी क्योंकि उनका राज्य मुस्लिम बहुमत बाला क्षेत्र था।

भारतीय संविधान के निर्माण एवं पहचान हेतु बनीं संविधान सभा में इस राज्य का प्रतिनिधित्व नेशनल कॉंफ्रेंस के प्रमुक्ख नेताओं जैसे– शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह, मिर्जा अफजल बेग और मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी (कशमीर प्रांत से) और श्री मोतीराम बियाग्रा (जम्मू से), जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं, नें किया। परंतु लद्दाख से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था।

संविधान के मूल प्रारुप में इस राज्य का नाम कश्मीर ड़ाला गया था, परंतु बाद में बंगाल के कुछ सदस्यों एवं अन्य लोगों द्वारा विरोध दर्ज करवानें के पश्चात संशोधित नाम सुधारकर जम्मू व कश्मीर रखा गया। इतना ही नहीं संविधान की "आठवीं सूची" में केवल कश्मीरी भाशा ही सम्मिलित की गई थी। सन् 2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एन.डी.ए शासन काल में डोगरी भाषा को "आठवीं सूची" में स्थान प्राप्त हो सका। अतः डोगरी भाशा को 50 वर्षो की लंबी प्रतीक्षा के पश्चात् संवैधानिक स्तर पर एक क्षेत्रिय भाषा के रुप में पहचान मिली।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान के जनक डाक्टर भीमराव अंबेड़कर एवं केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा तैयार संविधान के मूल प्रारुप में धारा 370 सम्मिलित नहीं थी। पार्टी के अधिकतर राष्ट्रीय नेताओं द्वारा सुझाए गए कारणें को दर किनार करते हुए और केवल शेख को संतुष्ट करने के लिए श्री नेहरु जी नें धारा 370 को संचालित करने का लक्ष्य एक अन्य मंत्री श्री गोपाल स्वामी अय्यंगर को सौंपा।

संविधान सभा के कई सदस्यों जैसे मौलाना हसरत मौहानी द्वारा इस पक्षपात पूर्ण कार्य का गंभीर विरोध किया गया। विरोध करनें बाले सदस्यों को शांत करने हेतु उन्हें आश्वस्त किया गया कि यह धारा समय के साथ स्वतः ही निस्तेज हो जाएगी।

परंतु जम्मू व कश्मीर राज्य में पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी नेहरु जी द्वारा दिए गए कथन से सहमत नहीं हुए। उनका यह दृढ़ विचार था कि किसी भी बुराई को चुनना आसान होता है परंतु उससे छुटकारा पाना बड़ा ही कठित होता है। पंडित जी अक्सर यह देख रहे थे कि, "लम्हों नें खता की, सदियों ने सज़ा पाई"। परिणाम तो स्पष्ट ही रहा है।
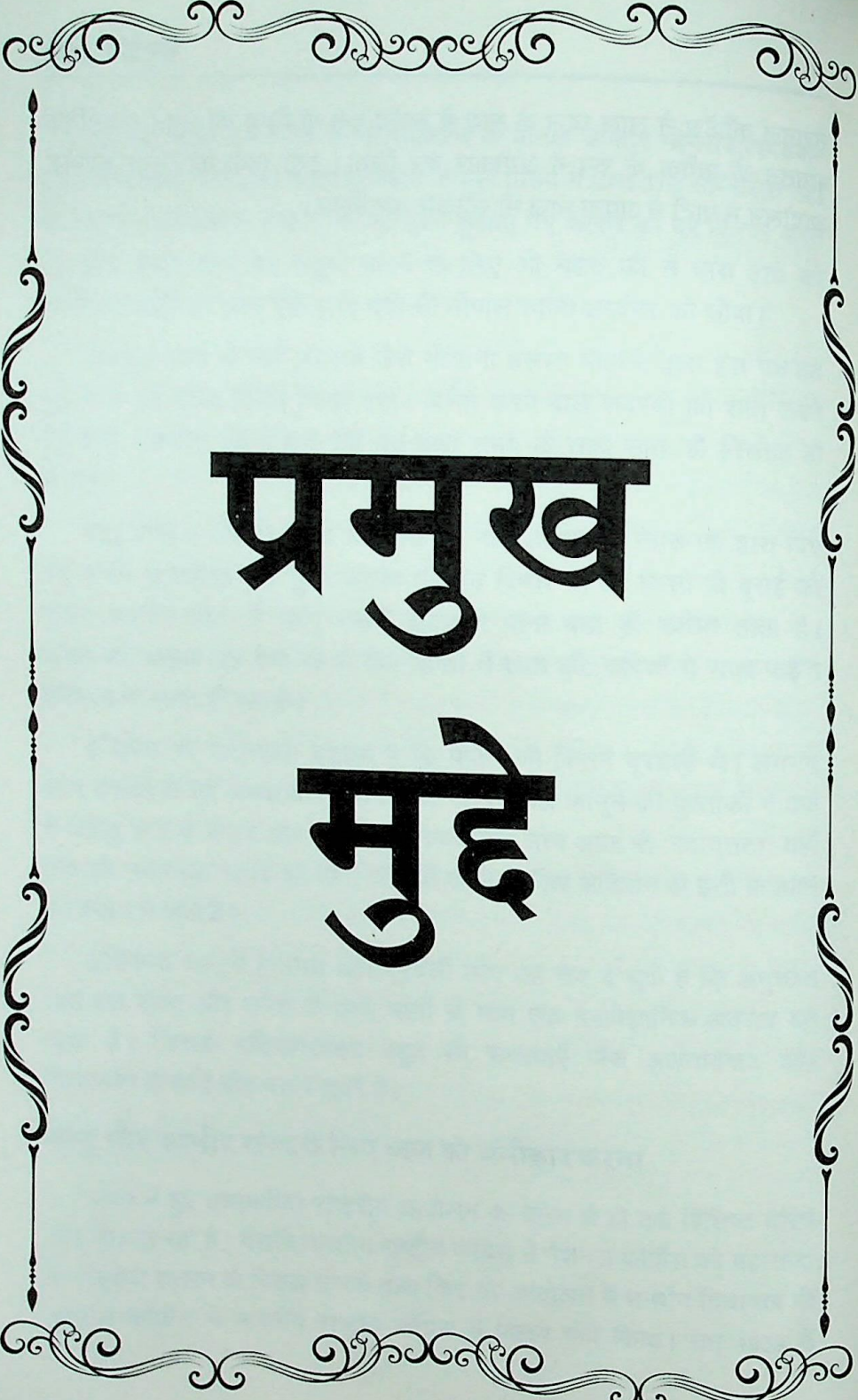
इतिहास का घटनाक्रम दर्शाता है कि पंड़ित जी कितने दूरदर्शी थे। लगभग सात दशकों से यह अस्थायी प्रावधान आज भी न केवल कानून की पुस्ताकों में दर्ज है अपितु शेख के वंशज और कुछ अन्य विवादास्पद तत्त्व आज भी "स्वायत्तता" यहाँ तक की "स्वतंत्रता" आदि की माँगों की पूर्ति करने के लिए संविधान के इसी प्रावधान को प्रयोग में लाते हैं।

अधिकांश कानूनी विशेषज्ञ और दूरदर्शी लोग यह राय दे चुके हैं कि अनुच्छेद 370 इस राज्य और भारत के अन्य भागों के मध्य एक मनावैज्ञानिक अवरोध बन चुका है। जिसके परिणामस्वरुप बहुत सी समस्याएँ जैसे अलगाववाद और पिछड़ापन इत्यादि पाँव पसार चुकी हैं।

## जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए ध्वज को अंगीकार करना

राज्य में हुए तथाकथित राष्ट्ररीय आंदोलन का प्रारंभ से ही एक विशिष्ट चरित्र और विकास रहा है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नेशनल कॉफ्रैंस को महाराजा के निरंकुश शासन के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए आंदोलन में समर्थन दिया तब भी नेशनल कॉफ्रैंस ने भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस में विलय नहीं किया। सन् 1939 में

नेशनल कॉँफ्रेंस ने लाल ध्वज के मध्य में सफेद हल के चिन्ह् को अपनें राजनैतिक संगठन के प्रतीक के रुप में अंगीकार कर लिया। इसी ध्वज को "नया कश्मीर" आंदोलन में पार्टी ने अपना ध्वज भी स्वीकार कर लिया।

# प्रमुख मुद्दे

## दिव्य दर्शी नेता

पंडित प्रेम नाथ ड़ोगरा जी, अपनें आस पास होने वाली घटनाओं विशेषतः जम्मू व कश्मीर को लेकर बहुत ही सचेतन थे। वह जानते थे कि ज़मात–ए–इस्लामी किस प्रकार सक्रिय थी और सैकड़ों मदरसे खुलते जा रहे थे ताकि उनकी उग्र–सुधारवाद (कट्टरता) की धारणा फैलाई जा सके।

## कश्मीर का कट्टरपंथीकरण

कश्मीर के लोग शांति प्रिय एवं हर प्रकार की हिंसा दे से दूर रहनें के लिए जानें जाते थे। परंतु आधुनिक इतिहास की घटनाओं के अनुसार कट्टरता के बीज नेशनल कॉंफ्रेंस और कांग्रेस के द्वारा स्वयं बोए गए थे। जिसकी फसल शत्रु द्वारा काटी जाती रही। सन् 1944 के आरंभ में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह और उनके साथीयों द्वारा पाकिस्तान के संस्थापक अली मोहम्मद जिन्ना को कश्मीर में आमंत्रित किया गया था। उनके निमंत्रण पर मुस्लिम–कॉंफ्रेंस के श्री जिन्ना और उनकी बहन फातिमा जिन्ना 8–5–1944 को जम्मू आए। मुज्जफरबाद विश्वविद्यालय के उपकुलपति मोहम्मद सरवर अब्बासी द्वारा दिए गए वृतांत के अनुसार राज्य में प्रवेश करने पर मोहम्मद जिन्ना का स्वागत सुचेतगढ़ में नेशनल कॉफ्रेंस नेताओं बख्शी गुलाम मोहम्मद इत्यादि द्वारा किया गया। इस मुस्लिम लीग नेता के लिए भव्य–स्वागत समारोह मुस्मिल कॉफ्रेंस और नेशनल कॉफ्रेंस द्वारा मिलकर किया गया था।

संध्या के समय जम्मू शहर में मुस्लिम कॉंफ्रेंस नें एक बड़ी जनसभा का आयोजन ईदगाह जम्मू में किया। यह सारा आयोजन चौधरी गुलाम अब्बास और उसके मुस्लिम कॉफ्रेंस के सहयोगियों द्वारा किया गया।

## श्रीनगर में जिन्ना

अगले दिन 09.05.1944 को जब श्री जिन्ना नें घाटी में प्रवेश किया तो नेशनल कॉफ्रेंस द्वारा उनके लिए भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके उपलक्ष्य में प्रताप पार्क श्रीनगर में समारोह आयोजित हुआ जिसमें जिन्ना की शान में पंडित जिया लाल किलम ने स्वागत भाषण पढ़ा। श्री किलम ने अंत में बड़ी ही चतुराई के साथ यह शब्द जोड़ दिए , "ऐसे स्वागत समारोह महान व्यक्तियों के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं जो भी कश्मीर में आतें हैं"।

इन शब्दों नें जिन्ना को क्रोधित कर दिया और उसने अपनें भाषण में भव्य स्वागत समारोह के लिस कृतज्ञता प्रकट करते हुए चालाकी से कह डाला कि उनका यह विश्वास है कि यह स्वागत उनका निजी नहीं है बल्कि "मुस्लिम लीग" संगठन का है जिसके वह मुखिया हैं। जिन्ना श्रीनगर में लगभग दो माह तक रुके और भिन्न–भिन्न स्वागत समारोहों में जाते रहे एवं "दावतें" उड़ाते रहे। वहाँ पर उन्होंने नेशनल कॉफ्रेंस नेताओं और उनके प्रतिद्धंदियों के विचार भी सुनें, जिनका नेतृत्व कश्मीर के मिरवाइज़, यूसुफ शाह और मुस्लिम कॉफ्रेंस के प्रधान कर रहे थे। घाटी में दो महीनों से भी अधिक समय बिताने के पश्चात उड़ी–मुज्जफराबाद रोड़ से बापस जाते हुए मरी में आयोजित एक समारोह में जिन्ना नें मिरवाइज़ की मुस्लिम कॉफ्रेंस को सुस्पष्ट समर्थन की घोषणा की थी।

जिन्ना के इस वक्तव्य से शेख मोहम्मद अबदुल्ला इस हद तक चिढ़ गए कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ड़ाली कि मैं कभी भी जिन्ना की दो राष्ट्रों बाली परिकल्पना को अपने खून की अंतिम बूँद तक स्वीकार नहीं करुँगा।

शेख का यह वक्तव्य श्री जवाहर लाल नेहरु जी के लिए वरदान सिद्ध हुआ इसलिस दोनों करीबी मित्र बन गए। इस घटना ने शेख को जम्मू व कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया और इस प्रकार से शक्तिशाली बना शेख अंततः विभिन्न अवसरों पर समस्या बन कर उभरा।

सन् 1952–53 के प्रजा परिषद् के आंदोलनों की घटनाओं नें शेख को विचलित किया जो दूसरे प्रकार से बेलगाम अधिकारी बन चुका था। प्रभावशाली शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह कुछ विदेशी कूटनीतिज्ञों / राजदूतों के संपर्क में आए जिन्होंने उनके भीतर स्वतंत्र कश्मीर के विशाणु भर दिए, जिसका वर्णन नेशनल कॉफ्रेंस के घोषणा पत्र "नया कश्मीर " में दर्ज है।

इस स्वपन के साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तनावग्रस्त हो गए क्योंकि प्रजा परिषद् आंदोलन कर रही थी कि जम्मू व कश्मीर को भी भारत के अन्य भागों की भांति ही महत्ता दी जाए। उन्होंनें अपने अंतरमन की भावनाएं बाहर निकालना प्रारम्भ कर दीं। इतना ही नहीं उन्होंने नई दिल्ली के बड़े नेताओं जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद एवं अन्यों का अनादर करना प्रारम्भ कर दिया। आनें बालें दिनों में गंभीर विस्तारबादी योजनाओं को भांपते हुए शेख के अपनें ही सहकर्मियों ने उसे अपदस्थ करके जेल में डाल दिया। उनकें प्रतिनिधि बख्शी गुलाम मोहम्मद राज्य के

प्रधानमंत्री बन गए। अतः राज्य एवं प्रजा–परिषद् के लिए एक नये युग की शुरुआत हुई।

शेख समर्थित आंदोलनकारियों नें "जनमत मोर्चा" नामक एक नए संस्थान का गठन किया जिसनें अलगाववाद के बीज बौनें के नए अवसर प्रदान किए।

कई कारणों की बजह से श्री नेहरु जी अपनें मित्र को और अधिक जेल में नहीं रखना चाहता थे अतः साठ के दशक कें आरंभ में कश्मीर नीतियों में बहुत बड़े दिखाबटी परिवर्तन हुए।

एक योजना के अंतर्गत रियासत के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद को सत्ता से हटा दिया गया। कुछ प्रमुख घटनाओं के पश्चात 29.02.1964 को वरिष्ठ नेशनल कॉंफ्रेंस नेता श्री जी.एम.सादिक को रियासत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। शेख एवं उसके सहकर्मियों को 08.04.1964 को रिहा कर दिया गया। शेख के विरुद्द सारे अदालती मुकद्दमें वापिस ले लिए गए। शेख के साथ राजनैतिक तौर पर लड़नें का निर्णय लिया गया। सन् 1967 में हुए विधानसभा चुनावा में शेख द्वारा निर्देशित "कश्मीर जनमत मोर्चा" ने "तरक–ए–मवालत" (सामाजिक बहिष्कार) नारे (प्रचार वाक्य) के साथ कांग्रेसियों को गंदी नाली के कीडें कहते हुए चुनावों के बहिष्कार का आह्वान किया। शेख द्वारा उठाए गए इस प्रकार के कदमों की बदौलत कश्मीर घाटी में कांग्रेसियों के लिए लज्जाजनक स्थिति उत्पन्न हो गई।

शेख के प्रभाव को रोकने के लिए सत्ताधारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शेख के पुरानें विरोधियों जिनमें मिरवाइज यूसुफ शाह इत्यादि के वंशज भी सम्मिलित थे, की सहायता से कुछ ऐसे व्यक्तियों को बापस बुलाने की व्यवस्था की जो कि इससे पहले ही पाक अधिकृत कश्मीर जा चुके थे। मोहम्मद उमर फारुख को कश्मीर के मिरवाइज़ के रुप में स्थापित किया गया जिसने अलगवावादी रवैये और प्रचार वाक्यों के साथ "अवामी एक्शन कमेटी" का गठन किया।

(तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सैयद मीर कासिम अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं और कश्मीर के मिरवाइज़ अवामी एक्शन कमेटी के प्रधान मोलाना मोहम्मद फारुख के साथ दावत उड़ाते हुए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा उन्हें गंदी नाली के कीड़े कहने के पश्चात् भी विरोधी गुट मित्र बन गए ताकि दूसरी चुनौती का सामना किया जा सके। कौन सी राजनीति है यह?)

शेख को रोकने की योजना के भाग के रुप में एक गुप्त रुप से कार्य करने वाली आधिकारित संस्था बनाई गई। जिसे एफ॰एफ॰ओ (फील्ड़ सर्वे आरगनाईज़ेशन) के नाम से जाना जाता था। इसका संचालन कुछ राजनीति के धुरंधर लोगों ने किया। ऐसी गतिविधियों की बदौलत जमात–ए–इस्लामी भी कश्मीर के इस घटनाक्रम में उभरकर सामने आई। घाटी में नाना प्रकार के मुक्ताबस और मदरसे खोले गए। कुछ अन्य उग्रवादी संस्थाएं रहस्यमयी ढंग से सामने आ गईं। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपने लेख में विस्तारपूर्वक लिखा है कि किस प्रकार ज़मात–ए–इस्लामी अपना शिकंजा पूरे कश्मीर में फैलाते हुए उसे उग्रसुधारवादी (कट्टर) बनाने की चेष्ठा की। दिव्यदर्शी पंडित प्रेम नाथ ड़ोगरा जी इस लेख को पढ़कर सतर्क हो गए। वह सीधे मुख्यमंत्री श्री जी.एस.सादिक के पास गए और पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। (वर्ष 1965 तक राज्य कार्यकारिणी की पारिभाशिक शब्दावली प्रधानमंत्री ही थी परंतु 30.03.1965 को इसे बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया)

श्री सादिक जी नें पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी से निवेदन किया कि वह तत्कालीन राजस्व मंत्री सैयद मीर कासिम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से मिल लें।

जब पंड़ित जी नें सैयद कासिम जी से पूछा कि यह सब क्या हो राह है? तब उनका उत्तर था कि, "क्या आप तरक–ए–मवालत को जानतें हैं? आखिरकार हमें भी तो कश्मीर में ही रहना है। तुम जानते हो कि लोहे को लोहा काटता है और ज़हर को जहर। पंड़ित जी कांग्रसी नेताओं की भावनाएँ समझ चुके थे परंतु उन्हें आभास था कि जो कुछ भी किया जा रहा है भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।

## परामर्श के प्रति कांग्रेस की प्रतिक्रिया

दिलचस्प बात यह है कि प्रजा–परिषद् के द्वारा कश्मीर में अलगाववाद के बीज वोए जानें के विरुद्ध सावधान करनें के पश्चात भी सत्ताधारी कांग्रेस नेताओं ने एफ.एस. ओ के कार्य को काफी हद तक बढ़ा दिया और इसकी कार्य सीमा जम्मू तक बढ़ा दी गई ताकि जन संघ को कमज़ोर किया जा सके। इससे कुछ कार्यकर्ता लोग भटक गए थे। यहाँ यह ध्यान देनें योग्य बात है कि वर्ष 1972 में हुए विधानसभा चुनावों में पहली बार ज़मात–ए–इस्लामी को घाटी से पाँच सीटे मिली जिससे वह सदन में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी (दल) बन गई और भारतीय जनसंघ तीन सदस्यों के साथ दूसरे स्थान पर सरक गया। अलगाववादी हुर्रियत कॉफ्रैंस नेता श्री अलिशाह गिलानी ज़मात–ए–इस्लामी ग्रुप के उपनेता और सैफउद्दीन क़ारी नेता बन गए।

वर्ष 1975 में इंदिरा–शेख अनुबंध की रोशनी में शेख महोम्मद अब्दुल्लाह में राज्य शासन की सत्ता अपने हाथों में लेते हुए पहली ही कार्यवाई में एफ.एस.ओ.को छिन्न भिन्न कर दिया। परंतु एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि कासिम के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने स्वयं अंतिम केबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि विवादास्पद एफ.एस.ओ को फरवरी 1975 के अंतिम सप्ताह में शेख महोम्मद अब्दुल्लाह को सत्ता सौंपने से पहले–पहले ही छिन्न–भिन्न कर दिया जाएगा। वर्ष 1977 के विधानसभा चुनावों में ज़मात–ए–इस्लामी केवल एक ही सीट एकत्रित कर सकी थी। वर्ष 1982 में शेख महोम्मद अब्दुल्लाह की मृत्यु के पश्चात् उग्र सुधारवादी संस्थाओं ने मुस्लिम युनाइटेड फ्रंट नामक (**MUF**) मोर्चे का गठन कर लिया। वर्ष 1987 के विधानसभा चुनावों में एम.यू.एफ ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया परंतु कई समस्याएँ भी खड़ी कर दीं, यह आरोप लगाते हुए कि उसके कुछ विजयी उम्मीदवारों को पराजित घोषित कर दिया गया है। उनमें अमीरा कदल के युवा उम्मीदवार महोम्मद युसुफ शाह भी शमिल थे जो आजकल पाकिस्तान /पाक अधिकृत कश्मीर की धरती से संचालित जिहाद काऊंसिल के सर्वोच्च कमांडर हैं।

वर्ष 1986–87 के राजीव–फारूख अनुबंध की रोशनी में नेशनल कांफ्रेस एवं कांग्रेस द्वारा की गई गलतीयों के परिणामस्वरुप कश्मीर में विशाल जन आक्रोश फैल गया। पाकिस्तान ने इस क्रोध का लाभ उठाते हुए युवाओं का शोषण करते हुए

उनके हाथों में बंदूकें थमा दी और इस प्रकार से कश्मीर में हथियार बंद उग्रवाद फूट पड़ा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीमापार आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का हाथ है परंतु कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के मध्य प्रेम और घृणा के रिश्ते कोई कम जिम्मेवार नहीं है, राज्य की ऐसी दुःखद परिस्थितियों के लिए। अधिकांशतः कष्टप्रद कश्मीर में उग्र सुधारवाद (कट्टरता) के बीज बोने के लिए।

इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य बात है कि इन नकली धर्म निरपेक्ष पार्टियों के नेताओं ने इतिहास की घटनाओं से कोई सीख नहीं ली। वर्ष 1983 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री अटल बिहारी जी ने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के संबंधों को ठुकराए हुए प्रेमियों की संज्ञा दी थी, जो समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं।

## जगमोहन जी का निर्भीक कदम

वर्ष 1990 में भयानक स्थिति उत्पन्न होने के पश्चात् राज्य के गवर्नर श्री जगमोहन जी ने इतिहास की गल्तियों को सुधारने के लिए कुछ निर्भीक कदम उठाए थे जिसके अंतर्गत लगभग 200 मदरसों और दूसरे कुछ ऐसी ही शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। इनके राज्य के शिक्षण विभाग अध्यापक एवं अन्य स्टॉफ को उचित जांच के पश्चात लगाया गया था। परिणामस्वरुप वर्ष 1996 में ऐसे मदरसों एवं छोटे धार्मिक केंद्रों की संख्या घटकर शून्य हो गई और वर्ष 2008 में यह 34 हो गई लगभग एक दशक पूर्व 2008–2009 में केन्द्र ने मदरसों एवं मुकतबों में गुणवत्ता आधारित शिक्षा प्रदान करनें हेतु कुछ करोड़ का विशेष अनुदान प्रदान किया गया था। परिणामस्वरुप न केवल घाटी में अपितु जम्मू के कई संवेदनशील स्थानों में बहुत बड़ी संख्या में मदरसें और ऐसी ही अन्य संस्थाएं धार्मिक शिक्षा देने हेतु अंकुरित हो गईं। इसी प्रकार की धार्मिक संस्थाएं जिनमें पंजीकृत एवं गैर–पंजीकृत दोनों सम्मलित हैं कि संख्या बढ़ कर हज़ारों में पहुँच गई। इस विषय में विधानसभा में क्यू.डी. द्वारा दिया गया उत्तर बड़ा ही स्पष्ट एवं आश्चर्यचकित कर देने वाला ब्यौरा है।

# विषय- शैक्षणिक संस्थान

## अतारांकित ए.क्यू नं 126: प्रो. चमन लाल गुप्ता, क्या सरकार बताना चाहेगी?

<table>
<tr><td colspan="2">प्रश्न</td><td colspan="2">उत्तर</td></tr>
<tr><td>क.</td><td>वर्षानुसार, अल्संख्यकों के लिए शैक्षाणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु केंद्रीय योजनााअें कें अंतर्गत प्राप्त की गई धनराशि और उसके पश्चात प्रत्येक छात्रों और शिक्षकों की संख्या के साथ–साथ प्रत्येक ऐसे संस्थान को दी जाने वाली सहायता राशि;</td><td>क.</td><td>विस्तृत जानकारी अनुच्छेदक – "क" में हैं 24/2/2014</td></tr>
<tr><td>ख.</td><td>इन संस्थानों में स्थानीय /गैर स्थानिय शिक्षकों की संख्या , जिसमें गैर–स्थनीय शिक्षकों के नाम एवं निवास का अलग अलग ब्यौरा हो।</td><td>ख।</td><td>मदरसों में स्थानीय एवं गैर–स्थानीय शिक्षकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है और गैर स्थानीय शिक्षकों की सूची पूरे ब्यौरे के साथ अनुच्छेदक "ख" में दी गई है।<br>
<table>
<tr><td>क्रमांक</td><td>प्रांत</td><td>स्थानीय शिक्षक</td><td>गैर स्थानीय शिक्षक</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>जम्मू</td><td>337</td><td>17</td><td>354</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कश्मीर</td><td>521</td><td>शुन्य</td><td>521</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ग.</td><td>पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मदरसों एवं ऐसे ही अन्य संस्थानों की वर्ष 1996, 2002, 2008 और वर्तमान (दिनांक तक) में संख्या।</td><td>ग.</td><td>पंजीकृत एवं गैर पंजीकृत मदरसों का ब्यौरा निम्नलिखित है:–<br>
<table>
<tr><td></td><td>1996</td><td>2002</td><td>2008</td><td>वर्तमान</td></tr>
<tr><td>पंजीकृत</td><td>शुन्य</td><td>23</td><td>23</td><td>298</td></tr>
<tr><td>गैर पंजीकृत</td><td>शुन्य</td><td>9</td><td>11</td><td>165</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>घ.</td><td>क्या यह सहायता सभी अल्पसंख्यकों के लिए बने विद्यालों (सिक्खों द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों सहित) को दी गई हैं? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?</td><td>घ.</td><td>नहीं श्रीमान, सहायता मदरसों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रदान की गई है। जिसका लक्ष्य मदरसों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना है जिससे मुस्लिम छात्र औपचारिक शिक्षण विषयों में राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली का स्तर प्राप्त कर सकें।</td></tr>
</table>

कश्मीर में अधिकाधिक उग्र सुधारवाद फैलाने वाली गतिविधियाँ ध्यानपूर्वक देखने योग्य है। सशस्त्र उग्रवाद आरंभ होने से उग्रवादियों के संचालक राज्य के शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाते रहे है।। केवल 90 के दशक में ही उग्रवादियों ने लगभग 800 सरकारी और गैर सरकारी इमारतों और सरंचनाओं को आग की लपटों के हवाले कर दिया। इनमें लगभग 600 विद्यालय और अन्य शै़क्षाणिक इमारतें

सम्मिलित हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि युवा पीढ़ी को शैक्षणिक संस्थानों से दूर रखा जाए।

शैक्षाणिक संस्थान किस हद तक राष्ट्रीय विरोधी तत्वों के निशाने पर रहें हैं इसका प्रमाण पत्र यह है कि 2016 में दक्षिणी कश्मीर की भीष्ण हिंसा में लगभग 40 इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया और इनमें से 34 स्कूलों की इमारतें थीं।

अत्याधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तेजित हिंसा और हड़तालों के दिनों के दौरान इस प्रकार की संस्थाएं असामान्य गतिविधियों में भिनभिना रही थी। यहाँ तक कि ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग कई प्रकार की विधि विरुद्ध एवं पत्थर मारने की घटनाओं में लिप्त पाए गए।

अभी तो इनकी संख्या पूर्ण रुप से किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अनुमान के विषय से परे पहुँच चुकी है। इनमें से बहुत सारे तो संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में आ चुके हैं। जम्मू में भी कम से कम चार मदरसे रोहिंग्या अप्रवासियों के लिए खोले गए। इस विषय पर भूतपूर्व गवर्नर श्री जगमोहन द्वारा रचित पुस्तक **"My Forzen Turbulence in Kashmir"** से उद्धृत लेखांश उल्लेखनीय पाठ्यांक हैः–

## विध्वंसकारी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से हुई पूछताछ से ऐसी विध्वंसकारी संस्थाओं के क्रूर कार्यप्रणाली और भी अधिक साफ हो गई। इनकी प्रभावकारी प्रक्रिया को दुर्बल बनाने के लिए मैनें इनमें से कुछ अत्याधिक खतरनाक संस्थाओं को गैर–कानूनी घोषित करने का निर्णय किया।

राज्य आपराधिक विधि संशोधित विधेयक के अंतर्गत मैनें 16.4.1990 को आठ संस्थाओं को गैर कानूनी घोषित करते हुए आदेश जारी किए। यह संस्थाएं थीः– जमात–ए–इस्लामी, ज.व.क हिज़बुल मुजाहिद्दीन, ज.व.क लिब्रेशन फ्रंट, स्टूडेंट लिब्रेशन फ्रंट, महज़–ए–आज़ादी इस्लामी स्टूडेंट्स लीग, पीयुपल्स लीग और इस्लामिक ज़मात–ए–तुल्बा।

## श्री जगमोहन कश्मीर में
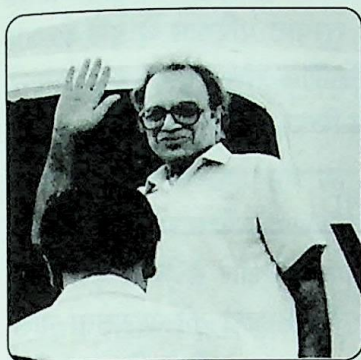
मैं जनता को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह विवादास्पद संस्थाओं को पृथकतावादी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित किया गया है जिसके प्रचूर प्रमाण उपलब्ध हैं। मैं इसके अतिरिक्त यह कहना चाहूंगा कि यह संस्थाएँ आतंकवाद और विध्वंस का सार्वजनिक वातावरण बना रही थीं और भारत के विघटन हेतु बीज बो रहीं थी। आदेशों का एक तत्काल एवं सार्थक परिणाम यह हुआ कि ज़मात–ए–इस्लामी का कार्यालय और बैंक खाते बंद कर दिए गए जिससे उनका संवर्ग तितर–बितर हो गया। प्रचार सामग्री का भी आसानी से उत्पादन और वितरण रुक गया। ज़मात–ए–इस्लामी नेताओं द्वारा मस्जिदों से शुक्रवार वाली सभाएँ भी संबोधित नहीं हो सकीं क्योंकि वो या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या ता फ़रार हो चुके थे।

कश्मीर की वर्तमान खलबली का एक मूल कारण ज़मात–ए–इस्लामी और उसकी सहायक संस्थाओं जैसे फ़लह–ए–आम द्वारा निभाई गई भूमिका भी हैं। जैसा कि पहले अध्यायों में भी आ चुका है कि यह संगठन इनके द्वारा चलाए जाने वाले अनेकों स्कूलों व मदरसों के माध्यम से रुढ़िवादीं और कट्टरपन की क्यारियां (पौध) तैयार करते रहें हैं। आसानी से प्रभावित होने वाले बच्चों के मस्तिष्क में संकीर्ण विचारधारा रोपित की जाती थी। कश्मीर में रुढ़ीवादिता की वर्तमान फ़सल जिसने स्वदेशी कश्मीरी इस्लाम को कमज़ोर किया, वह बहुत हद्द तक ज़मात–ए–इस्लामी और फ़लह–ए–आम ट्रस्ट की बेलगाम गतिविधियों के परिणामस्वरुप हुआ जिन्हें वे स्कूली और मदरसों के माध्यम से चलाते थे। पाकिस्तानी ज़मात ए इस्लामी प्रमुख ने कश्मीर समस्या पर तर्क–वितर्क करते हुए पाकिस्तानी प्रेस और संसद में प्रचार करते हुए कहा कि कश्मीरी जागृत हो चुके हैं और इस्लाम का सही अर्थ जान चुके हैं और भारत के विरुद्ध 'जिहाद' को पूर्ण स्थापित कर चुके हैं।

इसलिए, मैनें कश्मीर में विध्वंसकारी और कट्टरपंथी आधार प्रमुखों को तुरंत

डॉटने का निर्णय लिया। मैंने फ़लह–ए–आम ट्रस्ट को प्रतिबंधित कर दिया और इसकी गतिविधियों को गैर–कानूनी घोषित कर दिया। ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे 157 विद्यालयों का बंद हो जाना इस निर्णय के सुस्पष्ट परिणाम थे इन 15,000 विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों में जहाँ सामान्य शिक्षा दी जाती थी वहाँ एक साथ दाखिले का प्रबंध किया गया।

## न्यायाधीश जी.डी. शर्मा

यह कठिनतम कार्य बेरोकटोक और तेज़ी से पूरा किया गया जिसमें न्यायधीश जी.डी. शर्मा की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार संपन्न प्राधिकरण में पारित न्यायिक आदेशों से वर्ष 1990 में गवर्नर श्री जगमोहन द्वारा प्रतिबंधित किए गए आठ आतंकवादी संगठनों के आदेश की पुष्टि की गई। एस.आर.ओ 146, दिनांक 16 अप्रैल 1990 के अंतर्गत ज़मात–ए–इस्लामी (ज.व.क) को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। एस.आर.ओ 148, दिनांक 16 अप्रैल 1990 के तैहत इस्लामिक ज़मात–ए–तुल्वा को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। एस. आर.ओ 147, दिनांक 16 अप्रैल 1990 के अनुसार महज़–ए–आज़ादी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। एस.आर.ओ 150, दिनांक 16 अप्रैल 1990 के अनुसार पीपलस् लीग को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। एस.आर.ओ 151, दिनांक 16 अप्रैल 1990 के अनुसार जम्मू–कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट को गैरकानूनी घोषित किया गया।

संदर्भः– जगमोहन (1991) **My Frozen Turbulence in Kashmir, Allied Publisher, New Delhi.**

## सामान्य दृष्टिकोण

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर में समस्याओं की जड़े न केवल स्थानीय हैं बल्कि सीमाओं के बाहर तक हैं। परंतु बाहर वाला अकेले ही अधिक हानि कभी नहीं कर सकता। जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है वह सब मिला जुला है। इस संबंध में प्रश्न यह उठता है कि जब मदरसों और कुछ अन्य ऐसी ही संस्थाओं को विशेष आधार पर खिन्न–भिन्न किया गया उसी समय अनुदान–प्रदान करने की क्या

आवश्यक्ता थी और वह भी केन्द्र के द्वारा अलपसंख्यकों के नाम पर। यद्यपि इस राज्य में मदरसों और अन्य ऐसी ही संस्थाओं के संचालक राज्य के अल्पसंख्यकों में से आते ही नहीं थे।

जम्मू व कश्मीर में हिंदू, सिक्ख और बौद्ध और ईसाई वास्तविक अल्पसंख्यक हैं। इस प्रकार का अनुदान उनको कदापि नहीं दिया गया। इन सब बातों पर ध्यान करते हुए यहाँ के बहुत सारे लोग यह मानते हैं कि यदि दिव्यदर्शी पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के परामर्शों की ओर ध्यान दिया जाता तो कई तरह की जटिल समस्याएँ पैदा ही नहीं होती।

इस संबंध में प्रजा परिषद् /भारतीय जनसंघ के देशभक्ति पूर्ण आंदोलन बड़े ही सुस्पष्ट थे।

## युद्ध विराम

पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी 1948 में हुए युद्ध विराम के विरोध में थे विशेषकर उस समय जब भारतीय सेनाएं तीव्र गति से आगे कूच करते हुए शत्रुओं द्वारा इस रियासत के कब्जाए हुए क्षेत्रों को मुक्त करवा रही थी और पाकिस्तानी घुसपैठिएं पीछे भाग रहे थे।

उनका यह विचार था कि पाकिस्तान द्वारा राज्य के क्षेत्रों पर कब्जा जमाए रखना दो पड़ोसियों के बीच विवाद का विषय बन जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं बनता। उसकी स्थिति एक घुसपैठिए से अधिक कुछ भी नहीं है।

### नेहरु और शेख की सलाह

परंतु श्री नेहरु अत्याधिक कारणों से मार्गदर्शित थे। सबको दरकिनार कर वह कश्मीर पर सबसे अधिक सलाह शेख की लेते थे। परंतु शेख उन क्षेत्रों में रुचि नहीं रखते थे क्योंकि उनका जनाधार कश्मीर के बाहर बहुत ही कम था अतः शत्रु द्वारा कब्जाए गए क्षेत्रों में रहने वाले लोग उन लुटेरों की दया पर

निर्भर थे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि घुसपैठ से पहले पाक आधिकृत क्षेत्रों में हिन्दू–सिक्ख समेत अन्य अल्पसंख्यकों की जनसंख्या प्रतिशत लगभग 35 प्रतिशत थी परंतु अब इन समुदायों का एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं बचा है। उनमें से सभी लोग या तो मार दिए गए हैं या जबरन धर्म परिवर्तन करवा कर मुस्लिम बना दिए गए हैं।

## ''सिख बालक जो प्रवास नहीं कर सका उसे जिहादियों ने जबरन धर्म परिवर्तित करवा कर मुस्लिम बना दिया''

दो भाइयों में से एक भाई जो इस तरफ प्रवास नहीं कर सका उसे पाक अधिकृत कश्मीर में धर्म परिवर्तित करवा इस्लाम कबूल करवा दिया गया।

भारत के दर्दनाक सांप्रदायिक विभाजन के चिन्ह अब भी स्मरण करवाते हैं कि किस प्रकार भयानक स्थितियां उत्पन्न कर दी गई थी। धर्मतंत्र पर आधारित पाकिस्तान के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य को हथियानें के मकसद से सशस्त्रधारी आदिवासी कवाइलियों ने उस पर विशाल आक्रमण कर दिया।

पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्पित आक्रमणकारी अक्तूबर 1947 के तीसरे सप्ताह में इस राज्य में घुस गए। पुंछ और मुज्ज़फरबाद क्षेत्र उनके पहले निशाने पर थे। पुंछ के पलांदरी और रावलकोट में एक बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठिए लूटपाट में लिप्त रहे। इस प्रकार से भयानक परिस्थितियों में सरदार छत्रपाल सिंह, अपनीं धर्मपत्नि और तीन पुरुष बच्चों जैसे कि परमजीत सिंह (9 वर्ष 6 माह), भगत सिंह (5 वर्ष) आरै राजेंद्र सिह (3 वर्ष) से विछुड गए। वह दयनीय परिस्थितियों में जम्मू में प्रवासी (विस्थापित) कैंपों में पहुँचे। अपनें परिवार के सदस्यों का कोई अता–पता नहीं लगनें पर सरदार छत्रपाल जी को दूसरी शादी करनी पड़ी। परंतु उन्होंने पाक अधिकृत क्षेत्रों में छूट गए अपनें परिवार के सदस्यों के प्रारब्ध का पता लगाना जारी रखा। अंततः सूचना मिली कि उनकी धर्मपत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनके तीन बच्चों को अन्यों की भांति जेहादियों द्वारा इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया है। इतना ही नहीं बहुत सारे मुस्लिमों को बाहर धकेल दिया गया जो खाड़ी देशों और

और इंगलैंड़ में जा चुके थे और उनके स्थान पर पाकिस्तानीयों और अन्य बाहरी लोगों को बसा दिया गया। पूरे के पूरे जनसंख्यिकीय स्वरुप को बदल दिया गया। युद्ध विराम के पश्चात् 5 फरवरी, 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासभा नें पाकिस्तान द्वारा पूरी की जानें बाली कुछ पूर्व शर्तो के साथ राज्य के भविष्य को निर्धारित करनें हेतु जनमत संग्रह के प्रस्ताव को अंगीकार किया यद्यपि भारत के साथ–साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने यह स्पष्ट कह दिया था कि "विलय नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रायोजित आक्रमण विवाद ही जड़ है।"

तथ्यानुसार, महाराजा को एकाधिकार था कि वो भारत या पाकिस्तान दोनों में से एक को चुन सकते थे। महाराजा द्वारा विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाली औपचारिकता पूरी होने के पश्चात ही भारतीय सैना राज्य में उतरी थी। पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जी केवल युद्ध विराम के विरोध में ही नहीं थे अपितु संयुक्त राष्ट्र संगठन का दरबाजा खटखटानें के भी पक्ष में नहीं थे क्योंकि सही मायने में उन्हें भय था कि कश्मीर विवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मोहरा बन जाएगा क्योंकि राष्ट्र पहले से ही शक्ति खंड़ों में विभाजित थे।

## जनमत (संग्रह) के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव

05.02.1949 को संयुक्त राष्ट्र में जनमत (संग्रह) हेतु प्रस्ताव अंगीकार स्वीकार कर लिया जिसकी पूर्व शर्त यह थी कि पाकिस्तान जबरन हथिआए हुए क्षेत्र को खाली करेगा और जनमत के संचालन के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करेगा। परंतु अधिकृत क्षेत्रों से अपनीं फौजें वापस बुलानें के बजाए पाकिस्तानी अधिकारियों ने पहलें अल्पसंख्यकों और दूसे उदार मुस्लिमों को तथाकथित आज़ाद कश्मीर से साफ करना (बाहर निकालना) आरंभ कर दिया। उनके स्थान पर बाह्री लोगों जैसे पंजाबीयों और अफगानियों को स्थायी रुप में बसाया गया।

## जनमत के लिए शोर मचाना

यहाँ तक कि इस राज्य का जनसंख्यिकीय स्वरुप आश्चर्यजनक स्तर तक परिवर्तित करनें के पश्चात एवं गैर कानूनी ढंग से राज्य का कश्मीर प्रांत से एक बड़ा भाग चीन, पाकिस्तान और उनके अनेक घनिष्ट मित्रों को भेंट स्वरुप देते हुए इसकी भूगौलिक स्थिति को नगन्य करने के पश्चात भी जम्मू व कश्मीर का भविष्य निर्धारित करने हेतु 05.02.1949 को संयुक्त राष्ट्र में पारित प्रस्ताव का हवाला देते

हुए जनमत के लिए हल्ला मचाते रहे, इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि प्रस्ताव कि पूर्व शर्त के अनुसार पाकिस्तान को अपनीं फौजें वापिस बुलाते हुए ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करनीं थीं जिससे राज्य के लोगों के विचारों का पता लगाया जा सके।

पूर्वशर्तानुसार यह सब करने के बाजए घुसपैठिए आज तक ज.व.क राज्य के एक बड़े भूभाग जिसमें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गिलगिट और बाल्टीस्तान सम्मिलित हैं, पर कब्जा जमाए बैठे हैं।

## "अल्पसंख्यकों का सफाया"

पाक अधिकृत जम्मू व कश्मीर में 1947 सें पूर्व वहां पर हिंदुओं, सिखों एवं अन्य अल्पसंख्यकों को 35 प्रतिशत जनसंख्या थी। परंतु कुछ वर्षों पश्चात्, वर्तमान में, इन अल्पसंख्यक समुदाओं का एक भी सदस्य वहाँ पर नहीं है। अधिकांश लोग 1947–48 के दर्दनाक दिनों में हुए नरसंहारों में मारे गए और बचे हुओं को बलपूर्वक बाहर निकाल कर प्रवासी बना दिया गया।

इतना ही नहीं अपनी फौजों को संयुक्त राष्ट्र संघ प्रस्ताव की आवश्यक्तानुसार हटाने के बजाए पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनीं फौजों के लिए पक्की छावनीयां बना डाली और वहाँ पर प्रशिक्षण केन्द्र बना ड़ाले, जहाँ से उग्रवादी प्रशिक्षण लेने के साथ–साथ रहते  भी थे। कुछ सर्वोच्च उग्रवादी कमांडर गैरकानूनीं अधिकृत कश्मीर में शिविर बना कर रहें हैं।

## मीरपुर का विध्वंस

1947 में पाकिस्तान द्वारा राज्य पर आक्रमण करनें से पूर्व मीरपुर जम्मू प्रांत का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। वह समृद्ध व्यापार केन्द्र था। यह उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों के लिए जाना जाता था। उनमें महाराजा की प्रजा सभा के निर्वाचित सदस्य, लाला अयोध्या नाथ, चौ॰ राम लाल सदावृति, सप्ताहिक पत्रिका सदाकत के संपादक चौधरी ज्ञान चंद, संपादक राजा मोहम्मद अकबर, संपादक एवं दर्शनशास्त्री, न्यायधीश हरवंस लाल, महाशा रुप चंद, श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता और अन्य जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए बहुत सारे लोग सम्मिलित हैं।

विभिन्न समुदायों में आपसी रिश्ते अत्याधिक शिष्टाचार पूर्वक थे क्योंकि इस शहर का नाम शहर को स्थापित करनें बाले दो संतो मीर और पुरी के नाम पर था।

1947 के दर्दनाक दिनों में धार्मिक कट्टरपंथीयों ने शहर को हथियानें के अनेक प्रयास किए। परंतु उनके आक्रमणों का राष्ट्रवादियों द्वारा समर्थित फौजीयों ने प्रतिशोध किया। परंतु 24/25 नवंबर की विनाशक रात को पाकिस्तान फौज समर्थित आक्रमणकारी इस ऐतिहासिक शहर पर कब्जा करनें में कामयाब हो गए क्योंकि रहस्यमयी परिस्थितियों में राज्य की फौजें वापस बुला ली गईं थीं। अति सांप्रदायिक आक्रमणकारियों नें बर्बरता का सहारा लेते हुए सहस्रों मासूम औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों का जो बाहर नहीं निकल सकते थे का नरसंहार कर दिया।

भयानक नरसंहार के संबंध में आँखों देखा हाल श्री सी.पी गुप्ता द्वारा अपने समाचार विवरण डेली एक्सेलशर दिनांक 05.03.2017 के अपने समाचार संस्करण में दिया गया है।

क्या भयानक और हृद्वय विदारक दृश्य था वह। जिसे लेखक ने 16 वर्ष की आयु में देखा था जब पाकिस्तान की पूर्ण रुप से सशस्त्र पलटन भूखे भेड़िए की भांति मीरपुर शहर (अब पाक अधिकृत कश्मीर में) की भोलीभाली और निशस्त्र जनता पर झपट पड़े थे। 25, 26, 27 नवंबर 1947 में केवल तीन दिनों के रक्त पात में कुल 25000 जनता जिसमें पुरुष, महिलाएँ और छोटी उम्र के बच्चे सम्मिलित हैं, में से 18000 लोग कूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिए गए।

मीरपुर के लोगों का एकमात्र दोष इतना ही था कि उन्होंनें, एक साथ शपथ लेकर, अपनीं मात्रभूमि को पाकिस्तानी आक्रमणकारीयों से अपने जीवन की कीमत पर खेलकर बचानें की कोशिश की थी। परेशानी 26–10–1957 को शुरु हुई जब जम्मू–कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह जी नें विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करनें के पश्चात जम्मू व कश्मीर राज्य को भारत का अभिन्न अंग बना डाला। यह सब पकिस्तान सरकार द्वारा पचा पाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। उन्होंने पठानों के साथ मिलकर जघन्य रुप रेखा तैयार की। जिसके प्रभावस्वरुप पाकिस्तान सरकार और किराए के पठानी सैनिकों में गुप्त अनुबंध हुआ जिसके अनुसार अगर मीरपुर शहर बलपूर्वक अधिकृत किया जाता है तो वहाँ की स्त्रियों पर पठानों का अधिकार होगा और ज़मीन के साथ–साथ चल संपत्ति जैसे सोना, पैसा इत्यादि पर पाकिस्तानी सरकार का अधिकार होगा। इस अनुबंध को "जन और ज़र" का नाम दिया गया। सेना द्वारा आक्रमण करनें से पूर्व पाकिस्तान सरकार ने नवंबर 1947 के पहले सप्ताह में गुप्त रुप से मीरपुर शहर में, उर्दू भाषा में लिखा गया "प्रचार–पुस्तिकाओं" से भरा एक थैला भिजवानें की

व्यवस्था की जिनमें यह लिखा गया था कि पाकिस्तान सरकार मीरपुर को विशेष ओह्दा प्रदान करेगी। यदि मीरपुर के नागरिक मैत्रीपूर्ण ढंग से अपना आत्मसमर्पण कर देंगे और पाकिस्तानी फौज को मीरपुर के क्षेत्र को बगैर किसी बाधा के अधिकृत करने देंगे।

शहर के पढ़े–लिखे और बड़े बुजुर्ग लोग संध्या को समय एकत्रित हुए और यह निर्णय कि पाकिस्तान सरकार का प्रस्ताव एकदम अस्वीकार किया जाएगा और इस अस्वीकारता को शहर की प्रत्येक सुरक्षा चौकी से गोलीयों की बौछार करके दूसरी तरफ पहुँचा दिया गया। ऐसा करने पर मीरपुर शहर पर शत्रु की ओर से भयानक आक्रमण किया गया।

मीरपुर में तैनात छोटी और अनुपयुक्त राज्य पुलिस बल को शहर की युवा असैन्य जनता द्वारा पूर्ण सहायता दी गई। 24 नवंबर 1947 की अर्धरात्रि को लगातार हो रही तोपखानों की और हठगोलों के फटनें की आड़ में (जिन्हें अमूमन सीधे घोषित युद्ध के समय इस्तेमाल किया जाता है) पाकिस्तानी सैना ने शहर के दक्षिणी भाग की और बड़ा भारी आक्रमण प्रक्षेपित कर दिया जिसे बहादुरी से 6 घंटों ते निरंतर कम होती हुई रक्षक सेना द्वारा रोका गया। यद्यपि रक्षा चौकियां कड़ा प्रतिरोधक सिद्ध हुईं, शत्रु लहरों की भांति पुनःपुनः आ रहा था और 6 घंटों की लगातार लड़ाई के पश्चात शहर की रक्षापंक्ति को सात पठानों द्वारा कुचल दिया गया। सर्वाधिक संकटपूर्ण स्थिति से सतर्क होकर शहर की उड्डयन देहावसान टुकड़ी ने स्वयं को आक्रमणकारियों से हाथों–हाथ युद्ध में व्यस्त कर दिया और सातों पठानों को पूरी मीरपुर जाति और कई युवा व्यक्तियों के जीवन के मूल्य पर मार गिराया। यद्यपि मीरपुर के लोगों ने अद्भूत धैर्य और दृड़ता का प्रदर्शन किया परंतु अंत अंधकारमय और भयंकर दिख रहा था क्योंकि इस कार्यवाही से शहर का बारुदी भंडार लगभग शून्य स्तर पर पहुँच गया। इसके अतिरिक्त भाग्य की बिड़म्बना के कारण मीरपुर की पुलिस चौकी में लगा हुआ पुरानें आकार का वायरलैस सैट तकनीकी खराबी के कारण खराब हो गया जिसके परिणामस्वरुप "भारत–सरकार" और "राज्य पुलिस मुख्यालय जम्मू" के साथ रेड़ियों संबंधों में गतिरोध उत्पन्न हो गया। पाकिस्तान के द्वारा युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न किए जाने के बावजूद (जम्मू व कश्मीर राज्य के महाराजा और भारत के प्रधानमंत्री के मध्य राजनैतिक शत्रुता के चलते) भारत सरकार द्वारा सेना नहीं भेजी गई, यद्यपि उस समय भारतीय सेनाएं मीरपुर से 20 मील की दूरी पर जंजधर में तैनात थीं। उस

नाजुक परिस्थिति में राज्य की प्रशासन व्यवस्था के मुखिया मीरपुर के वज़ीर वजारत ने छिपते–छिपाते हुए जम्मू की ओर वापस जानें का निर्णय लिया और शहर की असैन्य जनता को लुटेरों के क्रोध का सामना करनें के लिए पीछें छोड़ दिया। वास्तव में उस समय राज्य प्रशासन का यह नैतिक दायित्व था कि वो सभी मीरपुर के नागरिकों को शहर छोड़कर उनके साथ उनके संरक्षण में जम्मू की ओर कूच करने का निमंत्रण देते परंतु इसके विपरीत बज़ीर बज़ारत और उनके पुलिस अफसरों नें अपने–अपनें घोड़े सरपट दौड़ाते हुए 25 नवंबर की सुबह से पहले–पहले शहर को छोड़ दिया। इतना ही नहीं वह अपने ज़ख्मी सैनिकों, जो कि ज़ख्मों की दर्द में कराह रहे थे, को पुलिस लाईन अस्पताल में छोड़कर ही भाग गए। मीरपुर शहर से राज्य प्रशासन के इस कायरतापूर्ण प्रस्थान नें शत्रु को प्रफुल्लित करनें बाला संकेत दिया।

उस समय मीरपुर शहर की पूरी जनसंख्या (जनता) हाँफते हुए शत्रु के मज़बुत जबड़ों में स्वयं को लटकता हुआ महसूस कर रही थी और शत्रु मीरपुर के लोगों का माँस और हड्डियाँ निगलने को आतुर था क्योंकि उन्होंनें पाकिस्तानी फौजीयों को मीरपुर शहर में शरण देने से सीधे इन्कार कर दिया था। शहर से राज्य प्रशासन के प्रस्थान के पश्चात तुरंत ही पठानों द्वारा समर्पित पाकिस्तानी फौज की पूर्ण सशस्त्र पलटन सुबह 8.30 बजे शहर में घुस आई और चारों तरफ से युद्धक उपकरणों की सहायता से भयानक ध्वनीयाँ उत्पन्न करते हुए पूरे शहर के लोगों को शहर के एक कोनें में धकेल दिया।

भयभीत पुरुश, स्त्रियाँ और बच्चे अस्तव्यस्तता और पूर्ण अव्यवस्था में चारों ओर से भारी गोलाबारी और शहर में जलते हुए घरों से निकलते धुएँ से सांस रोकने वाले वातावरण के बीच विखर गए और बगैर यह जानें कि वो कहाँ जा रहें हैं, विभिन्न दिशाओं में कारवां बनाकर तेजी से चलने लगे। उन्हें शत्रुओं ने विभिन्न स्थानों पर रोका और भूखे भेड़ियों की भांति उन्होंनें आतंक मचा दिया और उन निर्दइयों की क्रूरता से सारा छेत्र मुर्दो का खुला कब्रिस्तान बन गया और अनगिनत , बुरी तरह से घायल लोग, बिना किसी देखभाल के अपने ही रक्त के भंबर में बहते हुए जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। शाम होते होते मीरपुर शहर से लेकर गिरिपद तक का सारा क्षेत्र मुर्दों और बुरी तरह से ज़ख्मीं लोगों से आच्छदित हो गया था। अंततः शाम ढलते–ढलते अंधेरे के रुप में प्रकृति को यह संदेश देना ही था कि कब्रिस्तान भर चुका है और कोई भी मुर्दे का प्रवेश संभव नहीं है। इससे पूरे दिन की नृशंसता में अस्थायी विराम आया था।

परंतु यह मीरपुर के लोगों के दुख का अंत नहीं था। उसी दिन बाली रात को पकड़ कर लाए हुए लगभग 2000 लोगों के एक बदनसीब समूह को सेवानिवृत मुस्लिम सैनिकों की कालौनी "कास गूमा" के समीप लाया गया। सभी कैदियों को शत्रु सैनिक घेरकर खड़े हो गए और उन्हें अपनें पास रखे हुए अपनें गहनें और नकदी सौंपने को कहा। तत्पश्चात पुरुशों को कपड़े खोलकर पंक्ति में नीचें लेट जानें को कहा गया। उन्हें क्रूरता के साथ पूरी रात उत्पीड़ित किया जाता रहा और अंत में जल्थे बनाकर मृत्यु के घाट उतार दिया गया।

औरतों और लड़कियों को पठान पाकिस्तान सरकार के साथ किए गए "ज़ेन और ज़ेर" अनुबंध के अनुसार किसी अनजान स्थान पर ले गए। अगले दिए शत्रु ने 2000 लोगों के दूसरे झुंड को "ठठल" गाँव में लाया। उनके साथ भी दिन के समय वही "कास गूमा" बाला बर्बर व्यवहार किया गया। अंततोगत्वा "अलीबेग" में लगभग 5000 बंदियों का नरसंहार किया गया, जिन्हें एक पुरानें टूटे–फूटे विरान और अस्वच्छ गुरुद्वारें बाली इमारत (एवं मैदान) में एकात्रित कर रखा हुआ था। आरंभ में 50 से 100 युवाओं को रोज़ाना सोच विचार करके चुननें के पश्चात खुले खेतों में मारनें के लिए लिया जाता था। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दिन औसतन लगभग 15 से 20 वृद्धबंदी कड़ाके की सर्दी, भूख, बिमारी और मस्तिष्क आघात के कारण प्राण त्याग देते थे।

एक दिसम्बर के दिन "महोम्मद ईब्राहिम" नाम का युवा अधिवक्ता, जो अपनीं जुबान से बड़ा ही नरम था, और मीरपुर के बहुतसारे हिंदु अधिकारीयों की जान पहचान में था, अलिबेग जेल में आया और अपनें होठों से, प्रबुद्ध लोगों से (जिन्हें वहाँ बंदी बनाकर लाया गया था) सहानुभूति प्रकट की और उनकी दयननीय स्थिति पर घड़ियाली आँसू भी बहाए और उन सबको आश्वस्त भी किया कि वो पाकिस्तानी सरकार के संबंधित अधिकारियों से बात करके उनको कारखानों में दिहाड़ीदारी का काम दिलवाएँगें, जब तक वह सब अलीवेग शिविरों में बतौर बंदी रह रहे हैं। मित्रता के प्रतीकात्मक मुस्मिल टोपीयाँ और गुलबंद भी उसनें कुछ कैदियों को वितरीत किए। परंतु वो सारे हाव–भाव वास्तव में पाकिस्तानी सैनिकों को सूक्ष्म–संकेत थे कि इन लोगों को पहले मारना है। अगली सुबह शत्रु सैनिकों ने जेल में बंद शिक्षित लोगों के समूह को यह कहकर बाहर ले गए कि दिन भर उनकी सेवाओं को कारखानों में काम पर लगाकर और कमाई करनें के पश्चात उनकों संध्या के समय वापस लाया जाएगा। टोपी और गुलबंद पहनें हुए कैदियों ने गर्वपूर्वक पहली पंक्ति

में आकर कारखानों में काम मिलने की वरियता के लिए उत्सुकता दिखाई, पंरतु वह सब कभी भी वापस लौट कर नहीं आए क्योंकि उन्हें झेलम नहर के तट पर मार दिया गया था।

1948 जनवरी के मध्य माह में "अंतर्राष्ट्रीय रेड़ क्रास सोसाईटी" की पूरी टीम नें वहाँ पर पहुँचकर शिविर का प्रभार लेते ही बंदियों को आवश्यक दवाईयां और भोजन उपलब्ध करबाया।

ऐसे मुस्लिम जो भारत में थे और पाकिस्तान जाना चाहते थे उनकी संख्या के बराबर बंदियों की अदला–बदली करके रेड़–क्रास की टीम नें 18 मार्च के दिन उन्हें मुक्त करवाया। मुक्त करवाए गए बंदियों की संख्या लगभग 1600 से अधिक से अधिक नहीं थी क्योंकि वाकी के बंदी या तो मार दिए थे या फिर मर गए थे या अगवा कर लिए गए थे। मुक्त करवाए गए लोग अधिकतर बृद्ध थे और इतना ही नहीं चलनें–फिरनें में भी असमर्थ थे। वे अमृतसर पहुँचे जहाँ पर उन सभी का उनके रिश्तेदारों और आम जनता ने अश्रुपूर्ण और मर्मस्पर्शी स्वागत किया। जम्मू–व–कश्मीर सरकार द्वारा बख्शी नगर महेशपुरा चौक में जी.एम.सी जम्मू के मुख्य प्रवेश द्वार के सामनें सार्वजनिक स्थल पर 1947 के मीरपुर शहीदों की याद में शहीदी स्मारक बनाया गया है। जे.डी.ए ने इस शहीदी स्मारक को मीरपुर समुदाय के लोगों को समर्पित कर दिया जिसका उदघाटन 25 नवंबर 1998 को तत्कालीन वित्तिय आयुक्त सुशमा चौधरी (आई.ए.एस) ने किया। उक्त स्मारक मीरपुर सड़क, (जिसका नाम उसी दिन 25–11–1998 को मीरपुर शहीदों को श्रद्धांजली देने के लिए रखा गया) का प्रारंभिक स्थान भी है।

यह समाराहे जम्मू व कश्मीर राज्य की विधान परिशद के तत्कालीन अध्यक्ष स्व॰ सरदार हरसाजन सिंह के संरक्षण में किया गया। प्रत्येक वर्ष 25 नवंबर को जम्मू शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहनें बाले हजारों मीरपुरी लोग प्रभात फेरियाँ निकालते हुए उक्त मीरपुर शहीदी स्मारक में एकत्रित हो जाते हैं और इकट्ठे होकर मीरपुर के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपना जीवन मातृभूमि के लिए बलि चढ़ा दिया जिसके परिणामस्वरुप जम्मू व कश्मीर रियासत भारत का अभिन्न अंग बनी हुई है।

(लेखक ज.व.क सरकार से सेवानिवृत उपसचिव है)

संदर्भ :– मूल दस्तावेज नानजी देशमुख पुस्तकालय जम्मू में उपलब्ध है।
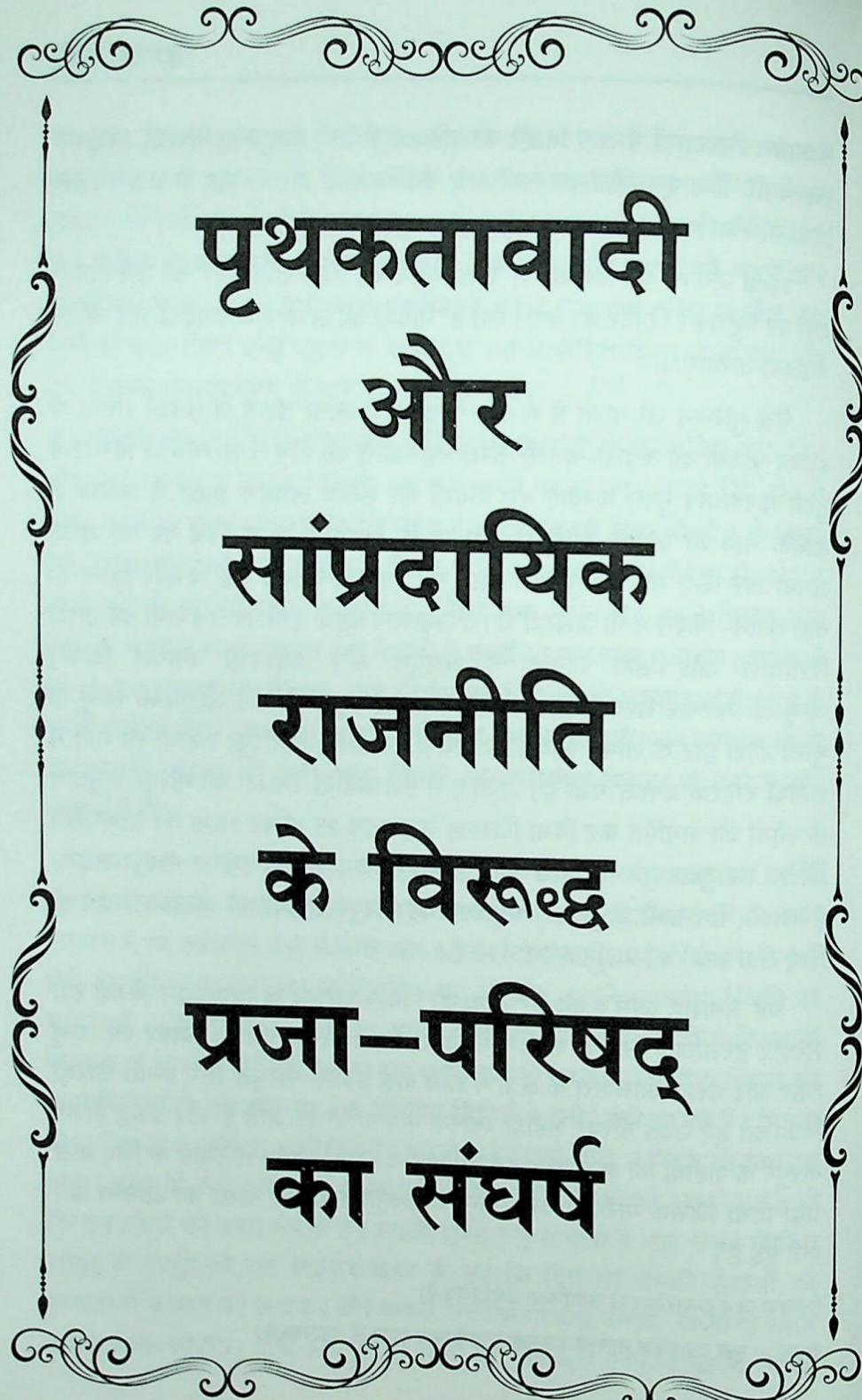
# पृथकतावादी और सांप्रदायिक राजनीति के विरूद्ध प्रजा-परिषद् का संघर्ष

## पृथकतावादी और सांप्रदायिक राजनीति के विरूद्ध प्रजा–परिषद् का संघर्ष

जम्मू व कश्मीर के भारत में विलय के पश्चात प्रजा परिषद के आंदोलन ने शेख अब्दुल्ला और नेहरु द्वारा अनुमोदित एवं पृथकताबादी सांप्रदायिक प्रवृति जहां तक कि मौन प्रोत्साहन का विरोध करने में मुख्य भूमिका निभाई। शेख अब्दुल्ला और उसके वफादारों द्वारा कड़ा प्रतिरोध झेलने के बावजूद भी प्रजा परिषद् उत्साहित हो कर राज्य के भारतीय संघ के साथ पूर्णएकीकरण का प्रचार करती रही। प्रजा परिषद् के अधिकतम कार्यकर्ता और नेता शेख प्रशासन द्वारा बुरी तरह प्रभावित एवं प्रताड़ित किए गए और उनमें से कई सारों ने देश की एकता बनाए रखने के लिए अपनी जान तक गवाँ दी। राज्य की राजनीति में प्रजा परिषद् की भूमिका को सही ढंग से आँकने के लिए नई दिल्ली के जम्मू व कश्मीर पर उसकी अदूरदर्शी नीतियों के प्रभाव के साथ–साथ महाराजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तत्काल बाद की अवधि का संक्षिप्त अवलोकन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है शेख अब्दुल्लाह जिन्हें जवाहर लाल नेहरु में एक अच्छा मित्र मिला था, वह दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक निडर होते जा रहे थे। जम्मू व कश्मीर पर नेहरु की "हाथ मत लगाओ" वाली नीति से असंतुष्ट सरदार पटेल अधितर उनकीं इच्छाओं के विरुद्ध गैर सहभागी भूमिका निभाने पर मजबूर हो गए।

जहाँ तक कि इस राज्य का प्रश्न है शेख अब्दुल्लाह स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखना प्रारंभ्भ हो गए जिसके एकमात्र निर्णायक केवल वहीं होंगे।

अप्रैल 1949 में (**The Observer**) नामक पत्रिका के संपादक माइकल डेविडसन को दिए गए अपने साक्षात्कार के माध्यम से शेख अब्दुल्लाह ने अपने लक्ष्य की शुरुआत की जिसमें उन्होंने महाराजा द्वारा की गई अनौचित्य विलय पर बोलते हुए घोषणा की कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं और स्वतंत्र कश्मीर संकल्पना को बढ़ावा दिया जिसे न सिर्फ भारत और पाकिस्तान परंतु ब्रिटेन, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी देने के लिए सहमति जताई।

सरदार पटेल जी ने कुपित होकर अपने असम्मति अनिशिचित शब्दों में व्यक्त की। नेहरु जी जो सदैव शेख अब्दुल्लाह को संतुष्ट करने में तत्पर रहते थे, को वक्तव्य में गंभीर निहितार्थों पर ध्यान देने के लिए बलपूर्वक मजबूर किया गया। दोनों के बीच क्या घटित हुआ यह विधित नहीं है परंतु शेख अब्दुल्लाह जी ने अंततः 18 मई 1949 को वक्तत्य देकर स्वतंत्रता के विकल्प का परित्याग किया। यह स्पष्ट

रुप से सामरिक एवं नीतिगत दृष्टि से पीछे हटने का संकेत था क्योंकि उन्होंने 1949 के अंत में विदेशी दौरे से वापिस लौटते ही संबंध विच्छेद की अल्प प्रभावी बातें करना प्रारंभ कर दिया था।

जहाँ तक कि हरिसिंह जी के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने (जिसमें शेख अब्दुल्लाह के लिए राजनैतिक सत्ता का मार्ग प्रशस्त किया)। के पूर्व ही नेशनल कांफ्रेस ने अपना हिंदू विरोधी, विशेशरुप से डोगरा विरोधी, पक्षपाती, विषेततः जम्मू निवासियों के प्रति अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। उनके सरोकार घाटी के मुसलमानों तक ही सीमित थे और उनकी अवमानना / तिरस्कार हिंदुओं के लिए ही आरक्षित थी।

## पंडित डोगरा जी सत्याग्रह में

शेख अब्दुल्लाह की स्वाधीनता की वकालत करना, उनकी सुस्पष्ट सांप्रदायिक पक्षपात और 1946 की 'कश्मीर छोड़ो' आंदोलन की नीति और अंततः पाकिस्तान की कश्मीर को नष्ट करने और हथियाने वाली गतिविधियों ने नवम्बर 1947 में प्रजा परिषद् के जन्म में मुख्य भूमिका निभाई। प्रजा परिषद् के पहले अध्यक्ष हरि वज़ीर भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रुप में भर्ती हो गए और कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हुए। इसके थोड़ी ही देर बाद पं प्रेम नाथ डोगरा जी ने संगठन का प्रभार ले लिया और जम्मू के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र पार्टी बन गई जो जम्मू व कश्मीर राज्य का भारत के साथ अन्य स्वीकार्य राज्यों की भांति पूर्ण एकीकरण प्राप्त करने और शेख अब्दुल्लाह की साम्यवादी वर्चस्व वाली सांप्रदायिक

सरकार से जम्मू के लोगों के कानूनी और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने को समर्पित थी।

## परिग्रहण (विलय) और उसके पश्चात

परिग्रहण (विलय) पत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ही महाराजा हरि सिंह जी ने भारत सरकार के परामर्श पर शेख अब्दुल्लाह को आपातकालीन प्रशासन का मुखिया नियुक्त किया। मार्च 1948 को महाराजा जी ने उद्घोशणा द्वारा अंतरिम सरकार को गठन किया जिसके प्रमुख शेख अब्दुल्लाह ही थे और इसने आपातकालीन प्रशासन का स्थान ले लिया। अंतरिम सरकार का विशेष गुण यह था कि यह अदालती हुक्म (आज्ञप्ति) के अनुसार शासन करती थी और इसनें महाराजा जी को सिकोड़कर रबर की मुहर से अधिक कुछ भी नहीं रहनें दिया और संक्षिप्त में कहें तो इसने ऐसी नीतियाँ अंगीकार की जिनका साफ लक्ष्य था राज्य की राजनीति का इस्लामीकरन करना और इसे भारतीय लोकतांत्रिक राजनैतिक संस्कृति से अलग–थलग करना। सरदार पटेल के साथ–साथ अन्य सहकर्मीयों की सलाह के विरुद्ध नेहरु जी द्वारा आह्वान करानें पर संयुक्त राश्ट्र द्वारा पाकिस्तान के साथ विवाद में हस्तक्षेप करनें की बजह से लार्ड़ माँऊंटबिटेन के प्रति विश्वाश को हिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय विरादरी की देखरेख में जनमत पर विचार करनें वाले पश्चातवर्ती सुरक्षा परिषद् में प्रस्ताव के पारित होने से राज्य का भारत के साथ विलय लगभग चुनौतिपूर्ण हो गया। नैशनल काँफ्रेंस ने बगैर कोई समय गँवाए भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद का फायदा उठाते हुए ऐसी प्रक्रिया प्रदान करना आरंभ कर दी जिससे भारत को बहुसंख्यक हिंदु जनता को राज्य की बहुसंख्यक मुस्लिम जनता पर प्रभुत्व स्थापित करनें से रोका जा सके।

## नेशनल कांफ्रेस ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चार मुख्य युक्तियों को अंगीकार किया:–

(क) इसनें अनुच्छेद 370 के माध्यम से भारतीय संघ के साथ अलग संवैधानिक रिश्ते के लिए दबाब डालते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को नेशनल काँफ्रेस नें ज.व.क रियासत पर उपवर्जन के रुप में पेश किया।

(ख) नेशनल–काँफ्रेंस नेताओं ने अपनी धर्मनिपेक्षता की बचनबद्धता का परित्याग कर दिया और इसके बदले में सारा महत्व बदलकर राज्य की मुस्लिम पहचान बाली

अवधारणा को मज़बूत बनानें में लगा दिया। इस आशय में, यह तो उन दिनों को ओर बापस जा रही थी जब शेख अब्दुल्लाह की पहचान मुस्लिम कॉंफ्रेंस के नेता के रुप में थी।

(ग) इसनें ज.व.क रियासत की संविधान सभा के अधिकारों पर ज़ोर डालना प्रारंभ कर दिया जिसकी संस्थापना 1951 में हुई थी ताकि रियासत की विलय के संबंध में भावी स्थिति निर्धारित की जा सके और आज़ादी पर सूचीबद्ध तरीके से तीसरे विकल्प के रुप में और साथ ही साथ भारत या पाकिस्तान किसी एक की ओर झुकाव जैसे अन्य विकल्पों पर चर्चा हो सके।

(घ) इसनें चोरी–चोरी ज.व.क रियासत के संबंध विच्छेद के आधार तैयार कना प्रारंभ कर दिए और भारत के विरुद्ध रियासत में मुस्लिम विकल्प को ठोस बनाने पर काम करना आरंभ कर दिया।

## शेख की पूर्वचरित की उपेक्षा

लोकप्रिय विश्वास के विपरीत कॉग्रेस और नेशनल कॉफ्रेंस द्वारा लोगों पर थोपे गए अन्य किसी राजनैतिक पार्टी की चर्चा नहीं करनें वाले निर्णयों के परिणामस्वरुप शेख अब्दुल्ला ने अपने राजनैतिक पेशे के शुरुआती चरण से ही आज़ाद कश्मीर के सपनें को संजोना शुरु कर दिया जो कि "भीड़–उत्तेजक" का काम करनें लगा। उन्होंने यह प्रचार भी किया कि उनको 1932 में मुस्लिम कॉंफ्रेंस की स्थापना की थी और वह अपने–आपको तत्वतः कश्मीरी मुस्लिमों के नेता समझने लगो। वर्ष 1938 में उन्होंने अपने संगठन का नाम बदलकर नेशनल कॉफ्रेंस रख लिया, इसलिए नहीं कि वो अपना मूल निर्णय छोड़ना चाहते थे परंतु इसलिस कि यह उसकी परिकल्पना और कूटनीतिक योजना के अनूरुप था। अपनें आंदोलन की धार्मिक पसंद के शोषण के साथ–साथ उन्होंने कश्मीरियत का भी अंत तक शोषण किया और महाराज के शासन के विरुद्ध आयोजन के पश्चात आंदोलन शुरु करके घाटी में तत्वतः डोगरा विरोधी, मुस्लिम आंदोलन खड़ा किया। शेख अब्दुल्लाह की राजनैतिक चाल क्षेत्र में अंग्रेजों के सामरिक महत्व के अनुरुप थी और पूर्ण रुप से संयोगात्मक नहीं थी कि अंग्रेजों को उनके और उनके आंदोलन के प्रति अपनीं हमदर्दी छुपानें के लिए कोई प्रयास नहीं करनें चाहिए थे।

शेख अब्दुल्ला द्वारा 1946 में प्रारंम्भ किए गए कश्मीर छोड़ो आंदोलन को महज़ एक निरंकुश शासक के विरुद्ध किए गए विद्रोह के रुप में नहीं देखा जाना चाहिए,

इसके विशिष्ट राजनैतिक संकेत थे जो कि लोकप्रिय अवधारणा से सामंजस्य नहीं रखते थे।

आंदोलन का लक्ष्य आज़ाद कश्मीर की स्थापना करना था और यह लक्ष्य रियासत के हिंदू शासक, जिसे एक विदेशी के रुप में चित्रित किया गया, के विपरीत जाता था। नेहरु जी ने शेख अब्दुल्ला की इस अगलागवादी धारणा को वैध बना दिया। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी उलझनें बहुत स्पष्ट थीं। उन्होंनें जम्मू व कश्मीर को राज्य मंत्रालय से बाहर रखते हुए सीधे अपने पर्यवेक्षण में श्री अय्यंगार को सौंप दिया।

## नेहरु जी की दोषयुक्त नीति का परिणाम

स्वयं को निरंकुश शक्ति से लैस करके शेख अब्दुल्लाह उग्रतापूर्वक चलनें लगे एवं दिल्ली में अपनें मित्र नेहरु जी की सहायता से अपने राजनैतिक प्रारुपों को कार्यान्वित करने के लिए वह सब कुछ करने लगे जो वह कर सकते थे। प्रजा–परिषद् द्वारा उठाई गेई आवाज़ और असहमति को दबानें में वह अत्यंत क्रूर थे। आधिकारिक तंत्र का उपयोग करते हुए उन्होंनें आतंकी युग की शुरुआत की (एक प्रकार से आतंकी युग को खुला छोड़ दिया)। नेहरु जी पूर्ण रुप से परिचित थे कि ज.व.क में क्या हो रहा है परंतु उन्होंने शेख अब्दुल्लाह को दंडित करने के बाजए उसकी नीतियों का समर्थन करनें का निर्णय लिया।

इतना ही नहीं प्रजा परिषद् पर अपने दोस्त को उकसानें का आरोप भी लगाया और शेख अब्दुल्लाह ने संसद के पटल पर कठिन परिस्थितियाँ आनें पर कभी भी झल्लाहट, चिड़चिड़ापन दिखानें में हिचकिचाहट नहीं की और इस प्रकार से आलोचना से बचते रहे।

शेख अब्दुल्लाह द्वारा बंदी बनाए रखनें के दौरान जून 23, 1953 को भारतीय जंनसंघ अध्यक्ष डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की शहादत को पराकाष्ठा पर पहुँचानें बाले कालनुक्रमिक ऐतिहासिक तथ्य निम्नलिखित हैं :–

1949 से पूर्वः– शेख अब्दुल्लाह सरकार द्वारा प्रजा–परिषद् को उत्पीड़ित करने के लिए निशाना बनाया जाता था जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती थी। पंड़ित प्रेमनाथ डोगरा जी को बंदी बना लिया गया, जिनके जम्मू संभाग में तब तक बड़ी संख्या में अनुगामी होने से वह एक लोकप्रिय नेता के रुप में उभर कर सामनें आए

थे। उस वर्ष गर्मियां आते–आते शेख की जेलों में कम से कम 294 परिषद् कार्यकर्ता बगैर सुनवाई के सलाखों के पीछे सड़ रहे थे। उसके इस कारनामें से अनेक भारतीस नेता जिनमें वरिष्ठ सांसद सम्मिलित हैं को व्यथित कर दिया। यद्यपि नेहरु जी पार्श्व क्षेत्र से आनंदित हो उठे थे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों नें स्वयं हस्तक्षेप करके अस्थाई संधीकाल लाने में सफलता प्राप्त की। जिससे गिरफ्तार किए गए परिषद् कार्यकर्ता और नेता रिहा किए गए। निड़र और विद्रोही शेख अब्दुल्लाह ने जम्मू व कश्मीर के गैर मुस्लिम निवासियों को नीचा दिखानें और परेशान करनें के लिए सार्वजनिक वक्तव्यों में स्वयं को छोटा महाराजा हरिसिंह कहना शुरु कर दिया। इस एकतंत्र नें अधिकारिक कार्यक्रमों में और सार्वजनिक भवनों के उपर नेशनल कॉंफ्रेंस का झंडा फहराना शुरु कर दिया तथा आज़ादी की बकालत करना और स्वायत्तता को समर्थन करनें बाले प्रस्तावों को अंगीकार करना शुरु कर दिया।

## प्रजा परिषद् कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज
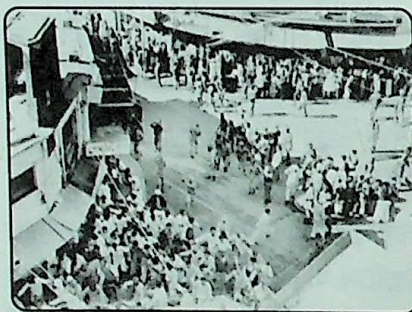
15 जनवरी 1952:– शेख अब्दुल्ला जम्मू आए जहाँ वह "गाँधी मैमोरियल कालेज" के अधिकारिक कार्यक्रम में बोले। तब तक उन्होंने नेशनल कॉंफ्रेंस के झंड़े को फैहराने की कार्यप्रणाली को संस्थागत (नियमित) कर दिया था। झंडा फहराया गया और छात्रों को उसे सलामी देने को कहा गया। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें अलग–अलग करके दंड़ित किया गया। विरोध स्वरुप छात्रों ने इस अमानवीय और आलोकतांत्रिक आदेश को निरस्त करने हेतु सरकार पर दबाव डालें के लिए भूख–हड़ताल का निर्णय किया। वे साहसी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज–तिरंगे की गरिमा और सम्मान के लिए 1952 में 38 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर गए। उनके नाम इस प्रकार हैं:– श्री विश्व पाल, श्री तिलकराज शर्मा, कैप्टन राम सरुप, श्री वेद चौहान, श्री ओम् प्रकाश गुप्ता, श्री हरि शरण शर्मा, श्री द्वारका नाथ गुप्ता, श्री हरदेव शर्मा, श्री राम सरुप गुप्ता, श्री ज्ञान चंद सनोथ्रा, श्री केवल कृष्ण शर्मा, श्री राम मोहन कटयाल, श्री वेद मित्र गंड़ोत्रा, श्री हंसराज शर्मा, श्री कुलदीप राज वर्मा, श्री रामनाथ शर्मा, श्री इंद्रजीत और प्रो॰ चमनलाल गुप्ता इत्यादि।

## जम्मू में जन सभा हेतु कोनें–कोनें में एकत्रित कार्यकर्ता

8 फरवरी 1952:– छात्रों के साथ पूर्ण एकता दर्शानें के लिए जम्मू में स्थानीय निवासीयों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। लोगों ने एकाएक जुलूस में भाग लेना शुरु कर दिया जिससे शेख अब्दुल्लाह प्रशासन में सदमें की लहर दौड़ गई जिसनें केवल अपनें चिर–परिचित अंदाज में बदला लेना शुरु कर दिया। सेना को बुलाया गया और 72 घंटे की निशेधाज्ञा थोपी गई। अधिकारिक प्रक्रिया यह दर्शाती है कि इसके लिए दिल्ली अर्थात नेहरु जी की स्वीकृति थी। छात्रों को रिहा कर दिया गया परंतु प्रजा–परिषद् नेताओं जिनमें पंड़ित जी सम्मिलित हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया। विरोध के साथ "मरणकालीन लक्षण" दर्शाते हुए नेहरु जी अपनें विश्वसनीय गोपालस्वामी अय्यंगर के पास अप्रैल 1952 को शांति, समझौते के लिए दलाली करनें को तीव्रता से पहुँचे। परिषद् के नेता रिहा कर दिए गए परंतु शेख अब्दुल्ला नाराज़ हो गए। उसनें सोचा कि नेहरु जी के कारण उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने निर्णय लेते हुए बदला लिया जिससे ज.व.क का देश के अन्य भागों से दूरियाँ और बढ़ती गई।

## भीड़ अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए

## छात्र आंदोलन –एक विचार

वर्तमान घटनाओं और इसकी पृष्टभूमि की खुली जाँच से स्थिति के सही तथ्य सामनें आ सकेंगे और इससे परिषद् के बारे में गलतफहमी को दूर करनें में सहायता प्राप्त होगी। यह सारी की सारी गलतफहमियां पिछले कुछ समय से इसकी प्रणालीगत गलत व्याख्या के कारण उत्पन्न हुई है। प्रजा–परिषद् यह आशा कर रही थी कि ज.व.क राज्य समेत भारत वर्ष के लोग जम्मू की घटनाओं की जाँच हेतु स्वतंत्र आयोग की माँग की सराहना करेंगे।

## प्रजा परिषद् के अध्यक्ष पंडित प्रेमनाथ डोगरा द्वारा 08–02–1952 को जारी किया गया ब्यान

सरकार द्वारा दिनांक 08.02.1952 को जारी किए गए सरकारी प्रेस नोट के अंतिम पैरा को पढ़कर "प्रजा परिषद् हलके" हैरान रह गए, जिसमें सरकार नें आरोप लगाया था कि कॉलेजों एवं स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं द्वारा किए गए प्रदर्शन प्रजा परिषद् संगठन द्वारा प्रेरित किए गए है जो खुले तौर पर प्राधिकरण को हटानें तथा राज्य में अराजक स्थिति का माहौल बनाना चाहते हैं। यह तथ्यों का एक–मात्र उपहास बनाने वाली बात है, जिसमें राज्य के एकमात्र विपक्षी दल को विवाद में लाने का इरादा है। उदिष्ट सही तथ्य यह है कि परिषद् ने आज तक सरकार को पूर्ण सहयोग दिया है और ना ही कभी भी सरकार के विनाश के लिए कुछ किया है। प्रजा–परिषद् राज्य में शांतिपूर्ण एवं सोहार्दपूर्ण स्थितियाँ लाने और असहमत कारकों को एकसाथ जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका भारत के प्रति झुकाव ही शीत युद्ध का एकमात्र कारण है जो इसके विरुद्ध सत्ता धारीयों द्वारा चलाया गया। उत्तेजित भाषणों और वक्तव्यों के बाबजूद भी परिषद् कभी भी शांतिपथ से विचलित नहीं हुई। मैं जनता और सरकार को यह बताना चाहता हूँ कि छात्र आंदोलन में मेरे संगठन का कोई हाथ नहीं है और यह हमेशा अलग–अलग रहता है। अपने आदेश पर ज़ोर देने के साथ परिषद् यह मांग करता है कि इसके विरुद्ध लगाए गए झूठे और निराधार आरोपों की जाँच के लिए एक स्वतंत्र आयोग नियुक्त किया जा सकता है। जम्मू के लोगों के विरुद्ध सरकार की वास्तविकता को साबित करने के लिए, जम्मू के सम्मानित नागरिकों के समक्ष 7 फरवरी 1952 के उप–प्रधानमंत्री के हाल के ब्यानों को सूचक के रुप में देखा जाना चाहिए, जहाँ उन्होंने जम्मू के लोगों को

खुले तौर पर धमकी दी कि वह देश के स्टॉक और बैरल को नष्ट कर देंगे और इसे पाकिस्तान को सौंप देगें।

दिनांक 8 फरवरी 1952, जम्मू
हस्ताक्षरित
पंडित प्रेम नाथ डोगरा
अध्यक्ष
जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद्

## 25–02–1952 को पठानकोट में प्रजा परिषद् की कार्यसमिति द्वारा पारित प्रस्ताव

जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद् ने अपनें अस्तित्व के पिछले 4 वर्षों के दौरान राज्य में विपक्ष के एकमात्र दल के रुप में सफलतापूर्वक लोगों में राजनैतिक जागृति पैदा करने के लिए काम किया है। विशेष रुप से जम्मू प्रांत में रहने वाले, जो तुलनात्मक रुप में पिछड़े हैं क्योंकि प्रजा–परिषद् के पहले किसी भी राजनैतिक दल ने यह काम नहीं किया था। यह विदेश में एक प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रम और 1001K के बाहर गैर सांप्रदायिक सामाजिक कार्यक्रम के लिए खड़ा है और इस रियासत का दूसरें राज्यों की भांति भारत के साथ पूर्ण एकीकरण चाहता है। रियासत पर भारतीय संविधान पूर्ण रुप से लागे हो और अर्धस्वतंत्र राज्य का विरोध करता है, जिसके लिए सत्ताधारी पार्टी अब तक काम करती आ रही है। प्रजा–परिषद् के देशभक्तिपूर्ण और भारत समर्थक रुख ने सत्ताधारी पार्टी की नज़र में इसे संदिग्ध बता दिया था। सत्ताधारी पार्टी, प्रजा परिषद् को अलग अलग तरीकों से दबानें की कोशिश करती रही। 1949 की शुरुआत में प्रजा परिषद् के नेताओं को बिना मुकद्दमें के हिरासत में लिया गया और प्रजा परिषद् द्वारा सामूहिक सत्याग्रह आंदोलन शुरु करने तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। प्रजा–परिषद् को चुनावों का बहिष्कार करने के लिए मज़बूर किया गया था और बड़े ही तुच्छ आधारों पर प्रजा परिषद् उम्मीदवारों द्वारा दाखिल नामांकन पत्रों में से 44 को खारिज कर दिया गया था। प्रजा परिषद् की आवाज़ को भारतीय संसद से बाहर रखनें के लिए सत्ताधारियों ने एक शड़यंत्र रचा जिस के मुताबिक रियासत के प्रतिनिधियों को चुनाब के जरिए चुनने के बजाए उन्हें नामित करनें की योजना थी। प्रजा–परिषद् संसद में राज्य (रियासत) के प्रतिनिधियों के लिए चुनावों के प्रश्न पर भारतीय सरकार के अनुरुप ही रही है, जैसा कि इस राज्य

में जनता की राय को शिक्षित करनें के साथ–साथ संसद के लिए राज्य के प्रतिनिधियों के चुनाव के पक्ष में होना चाहिए ना कि नामांकन के द्वारा।

यह सब परिषद् द्वारा सबसे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से किया जा रहा था। प्रजा परिषद् का जम्मू में हो रही घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। जब 15 जनवरी को स्थानीय सरकारी कॉलेज के छात्रों ने राष्ट्रीय तिरंगे के साथ नेशनल कांफ्रेंस पार्टी के झंडे को फहराने का विरोध किया। इसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद को इससे अलग–थलग रखा। नागरिकों के रुप में प्रजा परिषद् के कुछ नेताओं ने छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए अधिकारियों की मदद की थी। वे सहमति से समझौते के सूत्र को विकसित करने में भी सफल रहे जिसे जम्मू के जिलाधीश और अन्य अधिकारियों ने छः फरवरी को मंजूरी दी थी। परंतु बक्शी गुलाम महोम्मद उप–प्रधानमंत्री जो उसी दिन जम्मू लौटे उन्होंने नागरिकों के प्रयासों को समाप्त कर दिया और उनके द्वारा विकसित समझौता फॉर्मूला को खारिज कर दिया। इससे भूख हड़ताल करने वाले छात्रों और उनके रिश्तेदारों एवं अन्य सभी छात्रों के बीच एक अंतर उत्पन्न कर दिया और इसके परिणामस्वरुप आठ फरवरी को हुए प्रदर्शन से सभी अधिकारी पुरी तरह से परेशान हो गए। जिस तरह से प्रजा परिषद् को दवाने के लिए जम्मू व कश्मीर ने स्थिति का दोहन किया है वह अब कोई रहस्य नहीं रह गया है। इसने जम्मू के लोगों पर आतंक का एक शासन काल कमज़ोर कर दिया। अध्यक्ष पंडित प्रेम नाथ डोगरा सहित प्रजा परिषद् के पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं और अन्य सहानुभूति रखने वालों को बिना किसी जांच के गिरफ्तार करके बगैर किसी मुकदमों के हवालात में रखा गया। सैंकड़ों अन्य लोगों के खिलाफ गिरफ़्तारी या बाहरी कार्यवाही के वारंट जारी किए गए। प्रजा परिषद् का यह मानना है कि इस परिषद् को कुचलने के लिए एक योजना बनाई गई है। राज्य में सबसे अधिक प्रसारित होने वाले दिल्ली के 'मिलांप' और 'प्रताप' उर्दू दैनिक जिसमें जम्मू के लोगों की भावना को आवाज़ दी, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह इसका एक अतिरिक्त प्रमाण है। प्रजा परिषद् की कार्य समिति ने कश्मीर सरकार के इन सबसे अलोकतांत्रिक और फासीवादी तरीके की कड़ी निंदा की।

यह सरकार को चुनौती देता है कि अगर उसके पास कोई भी साक्ष्य परिषद् के विरुद्ध है तो उसे किसी भी न्यायालय के समक्ष पेश करें। यह सरकार से माँग करती

है कि जम्मू की घटनाओं और गौर करने के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए। प्रजा परिषद् नेताओं को रिहा करें अन्य दूसरों के खिलाफ वारंट रद्द करे और राज्य के मिलाप और प्रताप के प्रवेश पर प्रतिबंद हटा दें।

यह समिति भारत सरकार से जम्मू परिषद् की स्थिति के बारे में वास्तविक दृश्टिकोण रखने के लिए भी प्रार्थना करती है। परिषद् भारत का मित्र है जैसा कि हम नेशनल कांफ्रेस के लिए दावा करते हैं उससे भी अधिक अच्छा मित्र। यह उस कारण की पुष्टि करता है जो आज हर भारतीय के पास है। सरकार को जम्मू के लोगों के वैध्य अधिकारों और अकांक्षाओं की रक्षा और सम्मान करना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी को खुश करने के लिए उनपर किसी भी प्रकार की कठोर एवं घटिया कार्यवाही न करें। समिति आगे भारत की जनता और प्रेस को धन्यवाद देने का अवसर लेती है, जिन्होंने इस स्थिति के न्यायपूर्ण और देशभक्ति के कारण सहानुभूति व्यक्त की है और आशा करते हैं कि भारतीय जनता इसे आगे बढ़ाने में मदद करेगी और आशा करता है कि भारतीय जनता जम्मू–कश्मीर राज्य को भारत के साथ एक करने के अपने देशभक्तिपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति में हाथ बटाने में बदद करती रहेगी ठीक अन्य राज्यों की भांति।

## ट्रिब्यून दिनाँकित 11.2.1952 जाँच की आवश्यकता

जम्मू में 72 घंटे का कर्फ़्यू लगाया गया था क्योंकि अनियंत्रित प्रदर्शन के बाद 2000 प्रदर्शनकारियों की हिंसक भीड़ ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदर्शन करने का प्रयास किया। उनको विरोध के रुप में स्थानीय कॉलेज के अंदर एक छोटे पैमाने पर मंचित किया गया। 2 छात्रों पर जुर्माना लगाने के विरुद्ध; जिला मेजिस्ट्रेट के बैठकों और प्रदर्शनों के बंद करने के आदेश की अवहेलना करते हुए एकत्रित हुए प्रदर्शनकारी जुलूस में परिवर्तित हो गए और जिला मेजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करते हुए सचिवालय की ओर कुच करने लगे।

रिपोर्ट के अनुसार रास्ते में प्रदर्शनकारियों, जिनमें स्त्रियाँ भी शामिल थी को पुलिस अधिकारियों और अन्य डयूटी पर तैनात लोगों के द्वारा हमला किया गया और प्रदर्शनकारियों के सचिवालय पहुँचते ही ड्यूटी पर तैनात लोग खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ानें लगे। पुलिस ने दो बार लाठीचार्ज किया और दो कारतूस भी दागे ताकि भीड़ को तितर–वितर करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। जम्मू व कश्मीर के उप–प्रधानमंत्री गुलाम महोम्मद ने कहा है कि यह प्रजा

परिषद् की ओर से राज्य में अधिकार जमाने और भ्रम पैदा करने का एक संगठित प्रयास था।

उनके अनुसार सरकार शुक्रवार की घटनाओं के बोर में पूछताछ कर रही हैं और उचित समय पर निष्कर्शों को सार्वजनिक करेगी। राज्य सूचना ब्यूरो द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और जम्मू जिला मजिस्ट्रेट के ब्यान से पता चलता है कि 15 जनवरी से परेशानी बढ़ रही थी जब जम्मू मे सरकारी कालेज मे 10 से 15 छात्रों ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से साथ नेशनल कॉंफ्रेंस के झंडे के फहराए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। कुछ छात्र प्रदर्शनकारियों को जुर्माने से दंडित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने आरोप लगाया था कि छात्रों की एक बड़ी भीड़ ने रियासत दर पर प्रवेश पानें को मज़बूर करने के लिए सिनेमा हॉल में भीड़ लगा दी थी। परिणामस्वरुप उन्हें बैठकों और जुलूस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। यदि सरकार द्वारा जारी किए गए सभी कृत्य सही हैं तो प्रजा–परिषद् उनकी निंदा करती है। कोई भी सरकार ऐसे संगठन को नहीं छोड़ सकती है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसा का समर्थन करता है या उसे भड़काता है। प्रजा परिषद् को एक प्रवक्ता जो अब गिरफ्त में हैं, के नेताओं नें हालांकि इस बात से इंकार किया है कि प्रजा परिषद् का प्रदर्शनों से कोई लेना–देना नहीं था। परिषद् ने प्रदर्शनों का आयोजन किया था यह बात तथ्यों की एक तोड़–फोड़ है और इसका एकमात्र लक्ष्य राज्य में विपक्ष में बिखराव लाना है। एक तरफ जोर देने और दूसरे पर इन्कार करने से कोई सकारात्मक निष्कर्श नहीं निकलता है, खासकर जब कानून और व्यवस्था का प्रश्न हो। इन परिसिथितियों में सत्य तक पहुँचनें का एकमात्र तरीका स्वतंत्र, निष्पक्ष और सही जाँच करना है। बख्शी गुलाम मोहम्मद के अनुसार जम्मू व कश्मीर सरकार के अधीन कुछ राजनैतिक दलों की पूर्व व्यवस्थित योजनाएं थीं जो राज्य को अधिकार देनें और भ्रम की स्थिति में लाने के लिए परेशान करती रहती थीं। यही कारण है कि एक जाँच का आदेश दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की एक जाँच इस तथ्य को स्थापित करती है कि प्रजा परिषद् ने जानबूझ कर अराजकता को ताकतों को उकसाया था और यह हिंसा का सहारा लेकर अधिकार छीनना चाहता था। इसे हर समय टकरानें के लिए बदनाम कर दिया जाएगा और जो भी समर्थन होगा उसे वह खो देगा।

## नेशनल हेराल्ड़ दिनांक 12–2–1952

परिषद् का प्रदर्शन से कुछ भी लेना–देना नहीं है और इसके विरुद्ध लगाए गए झूठे और निराधार आरोपों की निष्पक्ष जाँच की माँग की थी। जाँच के माध्यम से सुरक्षा की माँग की जाती है और यह भी कहा जाता है कि राज्य में भ्रम् की एक पूर्व योजना थी और यदि छात्रों के आंदोलन में सक्रिय रुची लेने के बारे में परिषद् के कार्यकर्ताओं के बारे में गांधी मेमोरियल साईस कॉलेज के प्रिंसिपल का ब्यान सरकार आधारित है तो इस प्रकार की जाँच के आदेश देकर सरकार अपनीं स्थिति को मज़बूत कर सकेगी।

## हिंदूस्तान स्टैंडर्ड़ दिनांक 10–02–1952

यदि परिषद् राज्य में अधिकार के लिए और अराजकता उत्पन्न करने के इरादे से जम्मू शहर में घटित होनें वाली घटनाओं के पीछे रही है तो यह सबसे कड़ी निंदा के योग्य है। कश्मीर की सुरक्षा के हित में; में जो कि भारत के लिए भी चिंता का एक विषय है और जिसके कारण ही परिषद् के विरुद्ध लगाए गए गंभीर आरोपों की पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए और यदि यह सच पाया जाता है तो उचित कार्यवाही की जानीं चाहिए। हॉलाकि साबित करने का प्रशन तो बना ही रहता है, हम आशा करते है कि आरोपों को सच साबित करने के लिए जम्मू व कश्मीर के साथ साथ भारत सरकार भी उन साक्ष्यों को छापेगी जो भी उनके अपने पास होंगे। प्रचार स्वतः ही सुधारात्मक होगा। गुप्त रुप में अंधेरे से छिपी और पकाई गई चीजें आमतौर पर प्रचार की धूप के भीतर फीकी पड़ जाती है और यह जितना पहले किया जाता है उतना ही बेहतर होगा।

## सर्चलाइट पटना 13–02–1952

जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार जम्मू शहर में शुक्रवार को हुई गड़बड़ी  जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज के बाद 72 घंटे का कर्फ्यू लगाना पड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण था। प्रजा परिषद् द्वारा प्रदर्शन तो किए गए थे परंतु हिंसा नहीं। एक नेता ने ऐसे आरोपों से इंकार भी कर दिया है। जिसनें भी हिंसक प्रदर्शनों और घटनाओं को प्रेरित किया है उसनें राज्य के साथ उचित नहीं किया है। एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यदि कम्यूनिस्टों ने छात्रों को गुमराह करने में हाथ नहीं डाला था तो हिंसा कैसे हुई। घटना की जाँच करवाकर रहस्य को उजागर

करना चाहिए।

## अमृत बाज़ार पत्रिका 13–02–1952

कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में जारी प्रेस नोट के अनुसार गड़बड़ी का आयोजन प्रजा परिषद् द्वारा प्रेरित किया गया था, जो राज्य में अधिकार जमाना चाहती है और राज्य में अराजक स्थिति ला सकती है। प्रजा–परिषद् के कई नेताओं को अध्यक्ष सहित गिरफ्तार कर लिया गया है और कश्मीर के उपप्रमुक्ख बख्शी ने रियासत में कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। परंतु प्रजा–परिषद् और उसके राजनैतिक साथी ऐसा क्यों करते हैं? यदि व राजनैतिक गतिविधियों को रोकनें के लिए विध्वसंक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं, तो निवारक उपायों के अनुसार जम्मू व कश्मीर सरकार उन्हें बुरे भविष्य में क्यों नहीं डाल देती है। इन मामलें में अब तक या तो कश्मीर साकरा से अधिकार से या परिषद् के किसी प्रवक्ता द्वारा कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसलिस यह उम्मीद करना तर्क संगत है कि जल्द ही राज्य सरकार से पर्याप्त स्पष्टीकरण आने वाला है।

श्री शिब्बन लाला सक्सेना द्वारा दिनांक 03–03–1952 को संसद में दिया गया भाषण यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि यदि यह आंदोलन बगैर किसी समर्थन के था तो फिर यह स्वीकारोक्ति क्यों की गई कि सहस्रों हिन्दू–मुस्लिमों के साथ–साथ अन्य लोगों ने भी जुलूस में भाग लिया। वास्तव में स्थिति को नियंत्रित करनें के लिए भारतीय सेना को बुलाया जाना चाहिए, यह दर्शाता है कि इस आंदोलन के पीछे एक बड़ी सार्वजनिक अपील थी। इसलिए सत्य की खोज के लिए एक सार्वजनिक जाँच के लिए स्पष्ट मामला है। मुझे उम्मीद है कि शेख अब्दुल्लाह समिति की नियुक्ति करेंगे जो विश्वास को प्रेरित करेगा और यह देखेगा कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं होती हैं। मुझे उम्मीद थी कि वह अन्य लोगों के मानकों का पालन करेंगे। में निराश हू, यदि हमारे भारतीय प्रांतों में ऐसी चीज़ें हुई, तो पूरा देश हिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जम्मू में वह इस स्थिति से निपटने की कोशिश करेंगे और यह समझदारी और युक्ति के पेश आएँगे कि वर्तमान की उलझन जल्द ही सुलझ जाए।

## 1952–53 के बजट पर 03–03–1952 को आम बहस के दौरान जम्मू प्रकरण पर श्री एच.वी.कामनाथ द्वारा संसद में दिया गया ब्यान। उन्होंनें

**कहा :–**

मेरे माननीय मित्र प्रोफेसर शिब्बन लाल सक्सेना ने ज०व०क का उल्लेख किया है और मैं उन बिंदुओं को नहीं देहराऊँगा जिनका उन्होंने वर्णन किया है। परंतु मैं निशचित रुप में कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि ज०व०क मे हमारे सैनिक और सेना किसी भी प्रकार से दमन के लिए या आंतरिक गड़बड़ी से निपटने के लिए स्वयं का इस्तेमाल या शोषण करने के लिए उधार में नहीं दिए जाएँगे। ज०व०क के बारे में, मैं यह कहना चाहूँगा, इससे पहले की मैं बंद करुँ, बल्कि यह एक विरोधाभास है कि कश्मीर की प्रजा परिषद् जो भारत के साथ कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए दृढ़ संकल्प है और यहाँ तक कि संविधान से अनुच्छेद 370 को समाप्त करने या हटाने की वकालत करने के कारण ही इसे एक विद्रोही संगठन के रुप में देखा जाता है।

## अप्रैल 10, 1952

रणबीर सिंह पुरा में, बिना नियम के भाषण देते हुए, शेख अब्दुल्ला ने संघ का उपहास करते हुए और भारत के साथ ज०व०क के जुड़ाव की उपयोगिता के बारे में गलतफहमी व्यक्त की, (हिंदु राज) स्थापित करने की कोशिश कर रहे "शक्तिशाली वर्गों" पर गंभीर आरोप लगाए। यह भाषण स्पष्ट रुप से घाटी और जम्मू दोनों में उनके घटक दलों के मध्य सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के उद्देश्य से था। भारतीय संविधान को ज०व०क के लिए पूर्ण रुप से "अवास्तविक बचकाना और लपटता पर कटाक्ष" के रुप में माँग को लेकर चरित्रहीनता पूर्ण टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा, "कई कश्मीरी आशंकित हैं कि उनका क्या होगा और उनकी स्थिति क्या होगी, उदाहरण के लिए, कुछ होता है पंड़ित नेहरु को। बिल्ली थैले से बाहर थी– शेख अब्दुल्लाह की राजनीति नेहरु के समर्थन पर निर्भर थी।

## जम्मू व कश्मीरी प्रजा परिषद् के अध्यक्ष पंडित प्रेम नाथ डोगरा ने 12 अप्रैल 1952 को जेल से रिहा होने के पश्चात ब्यान जारी किया।

जम्मू, कालेज (महाविद्यालय) के लड़कों की भूख हड़ताल आ गई है, परंतु इसके पीछे की शह को छोड़ दिया गया है। बल्कि यह बहतु ही शर्मनाक है सरकार ने आठ फरवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें छात्रों के आंदोलन को कुचलनें के लिए असाधारण उपायों को अंतिम रुप दिया गया। जिसमें प्रजा परिषद् को फँसाया गया था और "अधीनस्थ प्राधिकरण" पर आरोप लगाया कि भारत में

ब्रिटिश मास्टर्स से कॉपी नहीं किया गया एक असामान्य शिब्बू और हिंसा के लिए छात्र को प्रेरित करना" एक अनुचित और निराधार आरोप है। मैने एक बार सरकारों पर आरापें का खंडन किया था और दोषियों को दंड़ित करने के लिए जाँच के लिए खुली निश्पक्ष और स्वतंत्र आयोग की माँग की, परंतु इसके बाजए मुझे अपने सहयोगियों के साथ गिरफतार किया गया, जो कि रात के शहर को घेरने बाले 79 घंटों के कर्फ्यू के घेरे में थे। श्रीनगर जेल की बर्फीली, ठंडी कालकोठरियों में पूरे दो महीने की नजरबंदी के बाद मुझे अब रिहा कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लक्ष्य पर लगाए गए सभी कामरेड़ लोगों को अभी तक रिहा नहीं किया गया है। हालांकि वर्तमान गिरफतारी ने इस धारणा की पुष्टि की है कि सरकार लोकतंत्र का प्रतिनिधि होनें का दावा करती है इसलिए वह लोगों को गिरफतार करती है, उन्हें अनिश्चित काल के लिए जेलों  में बंद करती है एवं बगैर किसी सुनवाई के उनकी आज़ादी पर अवांछनीय प्रतिबंद लगाती है। यह कोई लोकतंत्र नहीं है, राज्य में हर कोई सत्ताधारी पार्टी से भिन्न राजनैतिक राय रखता है लेकिन किसी भी तरह से राष्ट्रविरोधी तत्व वर्तमान शासन में असुरंक्षित महसूस नहीं करते हैं। इन विषयों से सरकार के नाम के साथ निष्पक्षता नहीं जोड़ी जा सकती है। मेरी गिरफ्तारी उस समय की गई थी जब मैं भारतीय संसद के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य से सदस्यों के चुनाव के बारे में भारतीय संघ के राष्ट्रपति के साथ पत्राचार कर रहा था, कि ज.व.क रियासत में भी उसी तरह से चुनाव करवाए जाएँ जिस प्रकार भाग–ख राज्यों– हैदराबाद, मैसूर इत्यादि में करवाए जाते हैं ना कि नामांकन के द्वारा सदस्यों को भेजा जाए जैस कि अब किया जा रहा है। जनता की वास्तविक माँगो को अवहेलना करते हुए अप्रमाणित चरित्र के बहुत से व्यक्ति चुनाव में चुनें गए है।

जनता में आम भावना यह है कि इन अनुचित गिरफ्तारियों को प्रजा–परिषद् द्वारा शुरु की गई लोकप्रिय आवाज़ को दबानें और विपक्ष को संवैधानिक रुप से दबानें के लिए किया गया था। यह कोई बात नहीं है कि भारतीय संविधान के राज्य पर पूरी तरह से लागू किए जाने और सर्वोच्च न्यायलय के क्षेत्रधिकार को उस पर लागू करते और रियासत का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण करना कोई अप्रत्याशित बात थी। शेख अब्दुल्लाह और उनके राजस्व मंत्री को भाशणों पर राज्य में हर कोई निराश और स्तब्ध है। श्री बेग नें घोषणा की थी कि राज्य सभी मामलों में स्वतंत्र है और संविधान सभा अर्थात उनकी पार्टी सभी उद्देश्यों के लिए यहाँ तक कि इस राज्य

को एक गणतंत्र के भीतर एक गणरात्य भी बना सकती है। नेशनल –कॉंफ्रेंस के इन दो नेताओं द्वारा वर्तमान सथिति का यह आंकलन राष्ट्रविरोधी होनें के साथ–साथ भारत सरकार की आर्थिक भुखमरी की अनिश्चित स्थिति और भारतीय संघ जिसके लिए हम सदन की परिक्रिया द्वारा विलय का दावा करते हैं, दोनों के लिए एक गंभीर चुनौति है। यह उन बातों के बारें में बताते हैं जिनका कश्मीर का कोई भी नागरिक समर्थन नहीं करेगा। मैं और मेरी पार्टी स्पष्ट शब्दों में दोहराना चाहते हैं कि हमारे राज्य नें भारत के साथ सभी विषयों के लिए विलय किया है और यदि भारतीय संविधान में अवांछित अनुच्छेद–370 को जारी रखते हुए पूर्ण परिग्रहण (विलय) को प्रतिबंधित या समिति करनें को कोई प्रयास किया जाता है तो हम इसका विरोध करनें के लिए कोई भी बलिदान देने से नहीं हिचकेंगे।

भारत और रियास्त (ज.व.क) के हित में, गैं सम्मानपूर्वक भारतीय संघ के राष्ट्रपति से यह आग्रह करुँगा किः–

(1) वर्तमान में कॉंलेज के छात्रों द्वारा की गई भूख हड़ताल एवं सरकार द्वारा प्रजा–परिषद् पर लगाए गए गंभीर आरोप (कि इस भूख हड़ताल में परिषद् का भी हाथ है।) और सरकार द्वारा उठाए गए अनुचित एवं प्रतिशोधात्मक उपायों की पूछ–ताछ (जाँच) करनें के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए।

(2) भारत के संविधान से अवांछित अनुच्छेद 370 को हटाना ताकि सर्वोच्च न्यायलय के अधिकार छेत्र के साथ–साथ जम्मू और कश्मीर राज्य के लोगों को उक्त संविधान का पूरा लाभ मिल सके।

(3) राज्य से भारतीय संसद में 10 सदस्यों के नामांकन को रद्द किया जाए एवं अन्य भाग–ख राज्यों की ही भांति उनके चुनाव करवाए जाएँ।

(4) जम्मू प्रांत को ड़ोड़ा एवं राजौरी–पुँछ जैसी अवांछित –प्रशासनिक इकाइयों में विघटित करनें वाली योजना को मिटा दिया जाए एवं लद्दाख प्रांत को तोड़नें बाली सरकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

(5) राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया जाए कि, "गणतंत्र के भीतर एक और गणतंत्र" की समस्त बातें (टिप्पणीयाँ) असंवैधानिक हैं और सरकारी पक्ष का कोई भी सदस्य या अन्य व्यक्ति ऐसी गैर–जिम्मेवार घोषणाओं में लिप्त नहीं होना चाहिए (जबकि राज्य का भाग्य तराजू की भांति अधर में लटका हुआ है) जिससे सुनियोजित ढंग से शत्रु का पक्ष मज़बूत होता हो।

(6) भारत के लोगों के समान ही राज्य के लोगों को भी एक समान दर्जा देने हेतु एवं सीमा शुल्क के अवांछित और प्रतिबंधित अवरोधों को दूर करनें के लिए भारत सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाएँ।

अंत में, मैं अपने देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने गंभीर और चरम चरित्र के बाबजूद अपनी सहनशीलता और धैर्य का प्रमाण दिया, वह भी सरकार को सत्ता में अनियमितताओं का वेधन करते हुए। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि प्रजा परिषद् तब तक आराम नहीं करेगी, जब तक कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेती, जिसके लिए वह किसी भी कीमत को अधिक नहीं मानती है और कोई भी बलिदान उससे बड़ा नहीं है और राज्य के प्रत्येक सच्चे नागरिक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसका समर्थन करे और ईमानदारी से उसकी सहायता करे।

समाप्त करने से पहले मैं सरकार को एक अनुकूल चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्हें लोगों के सच्चे सेवक के रुप में व्यवहार करना चाहिए और रणनीति का सहारा लेकर और एक बार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने पर उनकी वैध आंकांक्षाओं को दबानें के लिए सत्ता से नहीं उठना चाहिए।

12 अप्रैल 1952

प्रेम नाथ ड़ोगरा

जम्मू

अध्यक्ष

**15 अप्रैल, 1952:–**आलोचना का एक बार सामना किया गया था, शेख अब्दुल्लाह के भाषण के "स्वर" को हल्का करनें के लिए मजबूर किया गया था। परंतु सदैव अपनें मित्र को अस्थिर स्थिति से बाहर निकालनें के लिए तैयार रहते थे जिसें स्वयं शेख से ही तैयार किया था। परन्तु सारा दोष प्रजा–परिषद पर ही लगा दिया गया था। नेहरू जी द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर शेख अब्दुल्ला ने अपने निरंकुश शासन तंत्र की स्थापना हेतु आगे बढ़ना प्रारंभ कर दिया था।

**जून 10, 1952:–** शेख अब्दुल्लाह ने नई दिल्ली से परामर्श किए बिना ही एवं मूलसिद्धांतों और संविधान सभा के अध्यक्ष होनें के नाते एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राजशाही के उन्मूलन और राज्य के प्रमुख "सदर–ए–रियासत" के चुनाच के लिए सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात, सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया और मसौदा तैयार करने वाले को एक माह के भीतर एक

प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इस निर्णय को लेने के कुछ दिनों पूर्व संविधान सभा में एकतरफा फैसला लेते हुए नए ध्वज को अपनाया, जो पुराने मानक की जगह ले रहा था।

**जून 19, 1952:–** उपरोक्त निर्णयों, जो भारत से इस रियासत को अलग कर रहे थे और शेख अब्दुल्लाह को जागीर के निर्माण की ओर अग्रसर थे, प्रजा–परिषद् ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन, सौंपा, जिसमें भारतीय संविधान को जम्मू–कश्मीर, पर लागू करने, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रियासत तक बढ़ाने, मौलिक अधिकारों का विस्तार रियासत के लोगों तक करने और यहाँ पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराने का अधिकार देने का आग्रह किया गया था।

**26 जून, 1952:–** अपनी माँगों को मनवाने के लिए प्रजा–परिषद् ने संसद के बाहर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया था। संसद के भीतर नेहरू जी को शेख अब्दुल्लाह का पक्ष लेने और उनकी अपनी अदूरदर्शी नीतियों के कारण सभी सदस्यों ने उनकी निंदा की। एन.सी. चटर्जी ने "एक गणतंत्र के भीतर एक और गणतंत्र" के विचार का उपहास किया। जबकि डॉ० मुखर्जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि नेहरू के तमाम दावों के विपरीत शेख अब्दुल्लाह ना तो निष्पक्ष थे और ना ही धर्मनिरपेक्ष। नेहरू जी को अपने मनसूबों पर बने रहते हुए आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था पर फिर भी पहले की भांति सारा दोष अन्यत्र मढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ज.व.क. में परेशानी के लिए महाराजा और संयुक्त राष्ट्र को दोषी ठहराया और ज़ोर दिया कि रियासत का परिग्रहण पूरा हो गया था, यद्यपि यह तीन विषयों तक हर सीमित हैं।

## नई दिल्ली में संसद के समक्ष बैठे प्रदर्शनकारी

एक बार पुनः नेहरू जी ने अपने मित्र के लिए बचकर निकलने का रास्ता छोड़ दिया था, जो यह सब करते हुए, अपनी आज़ादी का दावा करने में व्यस्त थे। सर्वप्रथम उन्होंने (शेख अब्दुल्लाह जी ने) नेहरू जी को समझाने की कोशिश की कि वह उसे अपना "मिलिशिया" बनाने की अनुमति दें, जो कि भारत द्वारा सशस्त्रित किया जायेगा। तत्पश्चात उन्होंने (शेख जी ने) केन्द्र को संचार सौंपने से इन्कार कर दिया और बाद में उन्होंने दिल्ली और बॉम्बे में अपने ट्रेड एजेंट का उपयोग "राजनैतिक मिशन" के रूप में किया। तब तक प्रजा–परिषद् शेख–अब्दुल्ला को अपने सपनों को पूरा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी और तदांतर नेहरू जी एक ऐसा समझौता कर रहे थे जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे और जिसके लिए राष्ट्र को भारी कीमत चुकानी पड़ रही हैं।

**12 जुलाई, 1952:–** नेशनल–कॉंफ्रेंस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजस्व मंत्री मिर्ज़ा अफ़जल बेग की अध्यक्षता में नेहरू जी द्वारा दिल्ली में वार्तालाप के लिए आमंत्रित किया गया जो 20 जुलाई तक चली परन्तु जुलाई 16 से 23 तक नेहरू जी और शेख अब्दुल्लाह के मध्य गुप्त संवाद हुआ जिसके दौरान शेख अब्दुल्लाह की योजना के अनुसार "गणतंत्र के भीतर एक और गणतंत्र" व्यवस्था को मूर्तरूप दिया गया। यह योजना जिसे दिल्ली समझौता (अनुबंध) 1952 के नाम से जाना जाता है, नेहरू जी द्वारा संसद में 24 जुलाई के दिन संक्षिप्त रूप में बताया गया। 11 अगस्त को शेख अब्दुल्लाह द्वारा जम्मू व कश्मीर संविधान सभा के समक्ष इस समझौते का संपूर्णतया विस्तार से वर्णन किया गया। जिसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीः–

क) अवशिष्ट शक्तियाँ रियासती सरकार में निहित रहेंगीं।

ख) कश्मीरियों को भारतीय नागरिकता मिल सकेगी परंतु अन्य राज्यों में रहने वाले भारतीयों को जम्मू–व–कश्मीर में नागरिकता का कोई भी अधिकार नहीं होगा। राज्य विधानमंडल (सभा) स्थायी निवासियों के अधिकारों और विशेषाधिकारों को नियंत्रित करने में सशक्त होगी। भारत सरकार ने इस प्रकार के रक्षोपाय की आवश्यकता की सराहना भी की थी।

ग) शेख अब्दुल्लाह विशेषतयः नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर चिंतित नहीं थे इसलिए उन्होंने इनकी उपयुक्तता को विधानमंडल (सभा) के विवेकाधीन रखने के लिए प्रावधान निश्चित करवा लिया।

घ) सर्वोच्च न्यायलय का अधिकार क्षेत्र सिमित होगा। जहाँ तक दीवानी और अपराधिक मामलों का प्रश्न है, इनके क्षेत्राधिकार को आगामी चर्चाओं के लिए खुला रखा।

ङ) शेख अब्दुल्लाह जी ने राष्ट्रीय तिरंगे के साथ साथ राज्य (रियासत) के झंडे को फहराने का अधिकार निश्चित करवा लिया।

च) रियासत का राष्ट्राध्यक्ष विधानमंडल (सभा) की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत (अनुशंसित) किया जाएगा।

छ) शेख–अब्दुल्लाह ने वित्तिय एकीकरण से इनकार कर दिया और यह माँग मान ली गई।

ज) अनुच्छेद 352 सिमित रूप से लागू होगा। ज.व.क. में आपातकाल केवल रियासती सरकार क़ी स्वीकृति और सहमति पर आंतरिक अशांति के आधार पर ही घोषित किया जाएगा। प्रफुल्लित शेख अब्दुल्लाह ने इस समझौते को प्रजा–परिषद् और रियासत के गैर मुस्लिम निवासियों के चेहरों पर तमाचे के तौर पर बड़े घमंड से इतराते हुए प्रचारित किया। व्यवस्था तंत्र में जो कुछ भी उनकी नापसंद का शेष था उसे उन्होंने नष्ट करना प्रारंभ कर दिया।

**अगस्त 11, 1952:–** शेख अब्दुल्लाह जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि, "मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारत के साथ हमारे रिश्तों की इस बुनियाद को यदि किसी ने मनमानें ढंग से बदलने का सुझाव दिया तो यह न केवल संविधान की भावना (गरिमा) और कानूनी पत्र का उल्लंघन होगा परन्तु इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं।"

**अगस्त 21, 1952:–** जम्मू–व–कश्मीर संविधान सभा ने एक प्रस्ताव अंगीकार किया जिसके अनुसार एकतंत्र को समाप्त करते हुए निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष (राज्यप्रमुख) की अवधारणा को स्वीकार किया गया। नवम्बर 12, को संविधान संशोधन करते हुए शासक के लिए "सदर–ए–रियासत" शब्द समाविष्ट किया गया। अभी तक प्रजा परिषद् कार्यकर्ता क्रोध से खौल रहे थे। उन्होंने शेख अब्दुल्लाह की नेशनल कॉंफ्रेंस के साथ युद्ध करने का निर्णन किया।

**नवम्बर 24, 1952:–** युवराज कर्ण सिंह के सम्मान में आयोजित स्वागत समारोह का जम्मू के लोगों द्वारा बहिष्कार किया गया। मालाओं को खींचकर नीचे गिरा दिया गया, सजावटी सामान को नष्ट कर दिया गया और आधिकारिक उत्सव

के सारे चिन्ह् हटा दिए गए।

**नवम्बर 26, 1952:–** "एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान" के विरूद्ध पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी आंदोलन को सक्रिया कर रहे थे। तब 14 अन्य नेताओं के साथ उनको गिरफतार कर लिया गया। प्रजा–परिषद् ने अपनी पूरक माँगों को शेख अब्दुल्लाह की सांप्रदायिक नीतियों को साक्ष्यों सहित सामने रखा, जिनमें उनकी हिन्दु बहुमत वाले ज़िलों को चुनावों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तोड़ना, उर्दू को अनिवार्य विषय बनाना, महत्वपूर्ण पदों को मुस्लिमों द्वारा भरा जाना, गैर मुस्लिमों के आर्थिक हितों की बली चढ़ाना और हिन्दुओं की विधि पूर्वक आवाज़ को दबाने के लिए चुनावों में हेरा–फेरी करना आदि शामिल थे।

**जम्मू के लोग पंडित जी को पुष्पमाला पहनाते हुए**

वर्ष के अंतिम दिन आते–आते आंदोलन केवल जम्मू तक ही सिमित नहीं रहा। शेख अब्दुल्लाह और नेहरू जी की दुष्ट प्रवृति बाली युगलबंदी से जम्मू–कश्मीर को बचाने के लिए डॉ. मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीयजनसंघ ने राज्य दर राज्य लोगों को एकत्रित करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। उनके लोगों द्वारा जबरदस्त और एकाएक समर्थन दिया गया।

## ऐतिहासिक सत्यग्रह

जम्मू में प्रजा–परिषद् के पतवार पंडित डोगरा जी ने ऐतिहासिक सत्याग्रह शुरू किया जिसकी मुख्य मांगें थी– रियासत का भारत के साथ पूर्ण एवं अंतिम एकीकरण (विलय) करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से रियासत पर लागू करना, सीमा शुल्क और परमिट प्रणाली को समाप्त करना। पंडित डोगरा और श्री शाम लाल शर्मा जी ने 200 स्वयंसेवकों के साथ पहला सत्याग्रह किया। इससे सारा जम्मू संभाग शक्तिशाली आंदोलन में परिवर्तित हो गया जिसका गुँजित प्रचार वाक्य (नारा) था, "एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे।" 10,000 से अधिक स्वयं सेवकों ने शांतिपूर्वक सत्याग्रह में भाग लिया। परन्तु उनकी मांगों को सुनने के बजाए नेहरू जी ने अपनी आँखें मूंदी ली और शेख अब्दुल्लाह द्वारा परिषद् के विरूद्ध बलपूर्वक कार्यवाही को नज़र अंदाज कर लिया।

# धारा

# 50

## धारा 50

नेशनल– कॉफ्रेंस के शासन के दौरान, विशेष रूप से पचास के दशक के अंत में सी.आर.पी.सी. (**Criminal Procedure code**) की धारा 50 (बाद में धारा 144 के रूप में परिवर्तित) को जम्मू शहर और उसके आस–पास वाले अन्य स्थानों में नियमित रूप से लागू कर दिया गया। नेशनल–कॉँफ्रेंस की बाईबल अर्थात नया कश्मीर में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बावजूद भी किसी बैठक या रैली के आयोजन के लिए वज़ीर –बज़ारत (**D.C.**) की पूर्ण अनुमति लेना आवश्यक थी।

सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, गिरफ्तारी का समर्थन करते समय एक छोटा सा जुलूस निकालना भी मुश्किल था परंतु धारा 50 को धत्ताबताने के उद्देश्य से कुछ अनूठे उपाय विकसित किए गए थे। इनमें से एक था सिनेता का जमावड़ा। इसके लिए कुछ युवा विशेषज्ञ बनकर आए थे।
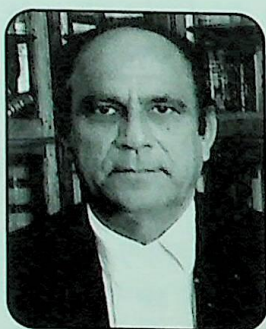
**अधिवक्ता ओंकार सेठ**
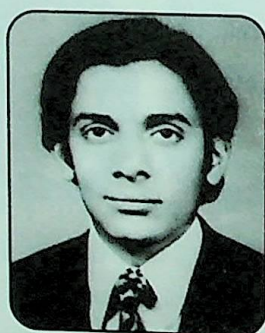
**अधिवक्ता विक्रम मेंगी**

**अधिवक्ता विजय भारती**

श्री ओंकार सेठ, श्री विक्रम मेंगी, श्री विजय भारती, श्री दुर्गादास ड्राइवर एवं अन्य किशोरों को सत्याग्रहियों के लिए व्यवस्था करने और उन्हें एकत्रित करने हेतु एक विशेषज्ञ के रूप में लिया गया।

**श्री नरसिंह दास शर्मा, श्री मुरारी लाल, श्री सत ग्रोवर,**
**(उठे हुएः दुल्हा सत्याग्राही रामनाथ मन्हास)**

कभी–कभी इन युवकों द्वारा सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तारी से बचने के लिए और पुलिस के कार्य को कठिन बनाने के लिए विवाह पार्टियों या अन्य ऐसी फर्जी कार्यों की व्यवस्था की जाती थी।
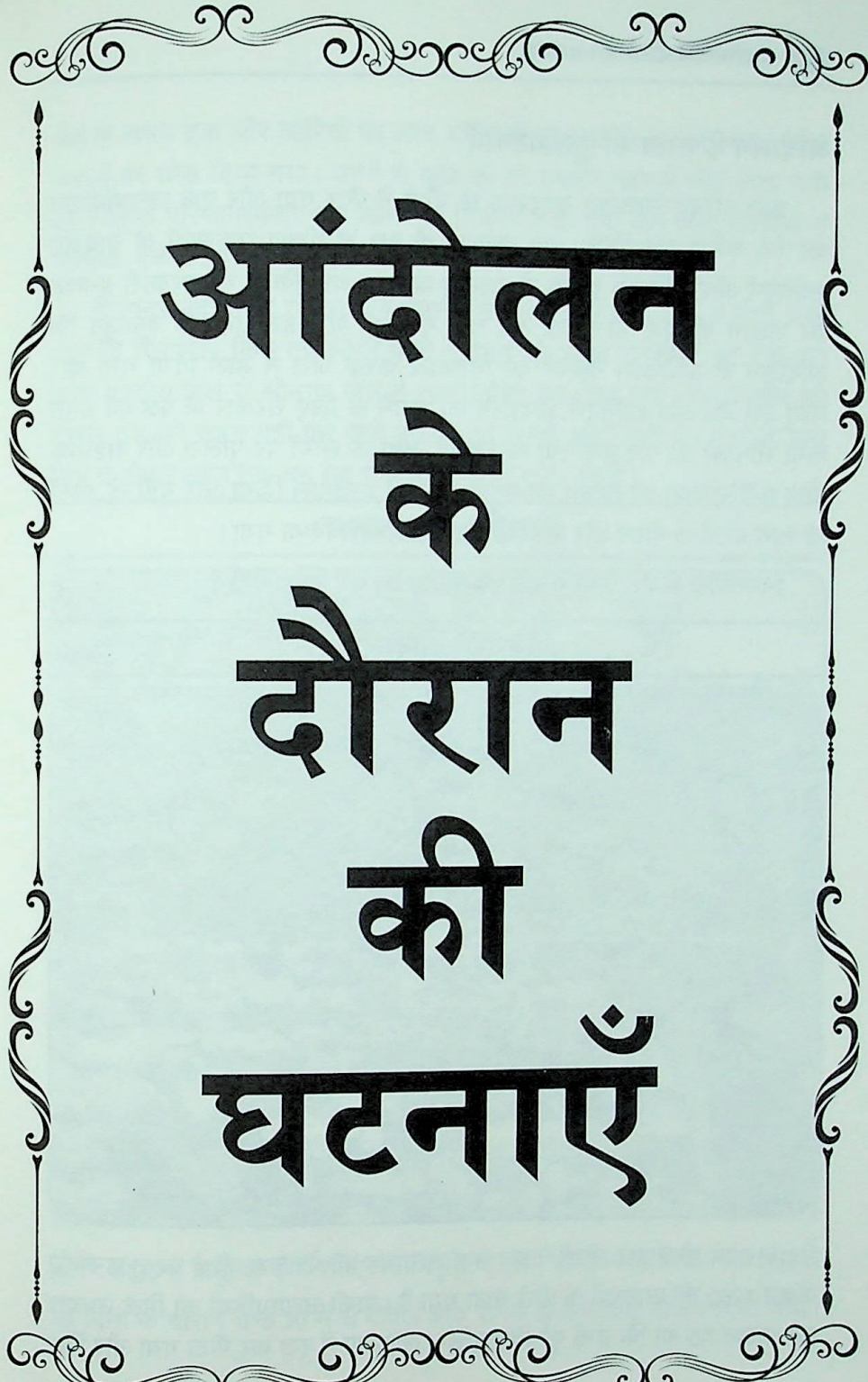
संदर्भ– नाना जी देशमुख पुस्तकालय, जम्मू में प्रजा परिषद् के मूल दस्तावेज उपलब्ध है।

## शेख अब्दुल्लाह के अत्याचार

प्रजा परिषद् के आंदोलन की तीव्रता का क्षेत्र के प्रत्येक परिवार पर गहरा और सरगर्मी वाला प्रभाव था। लोग अनायास ही आंदोलन में सम्मिलित हो गए। शेख अब्दुल्लाह ने आंदोलन को वापिस ले लिया और इस असंतोष का दमन करने के लिए क्रूरता का सहारा लेकर दबा दिया गया। सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय तिरंगा

फहराते समय उनकी पुलिस ने 16 लोगों को गोली मार दी थी। सैंकड़ों लोग घायल हो गए और हज़ारों की तादाद में लोग सलाखों के पीछे पहुँचा दिए गए। गोलियों, लाठियों और एक व्यवस्थित अभियान के तहत नेश्नल कांफ्रेंस कार्यकर्ताओं द्वारा महिलाओं को लूटने, परेशान करने और बलात्कार करने का निंदनीय अभियान उनके दैनिक क्रम का हिस्सा था। असंख्य तरीकों से अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा दोनों को अपमानित किया गया। यह सब राष्ट्रवादियों की भावना को धूमिल करने में विफल रहा। सत्याग्रहियों ने तिरंगा, हाथों में भारतीय संविधान की एक प्रति और गले में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. आर. के. प्रसाद जी की तस्वीर डालकर अदालतों में गिरफ्तारियाँ देना जारी रखा।

मेला राम छंब में पुलिस फयरिंग का पहला शिकार थे। इसके बाद सुंदरबनी में कृष्ण लाल बाली, बाबा राम जी दास और बेली राम की शहादत हुई। बिहारी लाल और भीखम सिंह की हीरानगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव उनके रिश्तेदारों को नहीं सोंपे गए। इसके बजाए उन्हें मिट्टी के तेल में सरोबार करने के बाद जला दिया गया। नानक चंद, बसंत राम, बलदेव सिंह, संत सिंह, वरिआम सिंह और त्रिलोक सिंह को ज्यौड़ियां में गोली मारकर हत्या कर दी थी। डोडा ज़िले के रामबन में देवी सरण, शिवाजी और भगवान दास ने गोली लगने से दम तोड़ दिया। परंतु सब कुछ अभी लुटा नहीं था और विरोध के स्वर जो प्रजा परिषद् ने शेख अब्दुल्लाह और उसकी अलगाववादी नीतियों के विरूद्ध उठाई थी उसे दिल्ली में राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा नज़रअंदाज़ नहीं किया गया था चाहे वो किसी भी पार्टी के थे। डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रजा परिषद् के संघर्ष में अपना तत्काल समर्थन दिया और जनसंघ ने स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक भावनात्मक राष्ट्रवादी अभियानों में से एक था शुभारंभ करते हुए इस मुद्दे को राष्ट्र स्तर पर उठाया।

# आंदोलन के दौरान की घटनाएँ

## आंदोलन के समय की कुछ घटनाएँ

प्रजा परिषद् सत्याग्रह दूरदराज के गाँवों में फैल गया और एक जनआंदोलन का रूप धारण कर लिया। यह सरकार के पक्ष से भीषण उकसावों के बावजूद शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से चलाया जा रहा था। किसी भी सरकारी इमारत को जलाने की एक भी घटना अब तक नहीं हुई थी। इस तथ्य के बावजूद कि आंदोलन के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। परंतु इस वैध और शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने के लिए सरकार के पक्ष का दमन सभी सीमाओं को पार कर गया था। इसने जम्मू के लोगों पर पुलिस और सहायक सेना (मिलिशिया) की ताकत का मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया और यहाँ के लोगों के साथ जेलों के भीतर और बाहर अमानवीय व्यवहार किया गया।

निम्नांकित रिपोर्ट जम्मू में चल रहे विद्रोह का पूर्ण ब्यौरा देती है।

### विरोधी आंदोलन

लगभग दो हज़ार लोगों ने अब तक सत्याग्रह की पेशकश की है परन्तु उनमें से केवल 1200 को सलाखों के पीछे भेजा गया है। बाकी सत्याग्रहियों को मिले उपचार का आलम यह था कि उन्हें पूरे दिन पुलिस लॉकअप में रख कर पीटा गया और फिर

रात के समय ट्रक और लॉरियों पर लाद कर उन्हें दूर तक ले जाने के बाद उजाड़ स्थानों पर छोड़ दिया गया। उनमें से कुछ को तो रणवीर नहर में फेंक दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चार लोगों को निमोनिया हो गया और जम्मू तहसील से संबंधित, एक की मृत्यु हो गई।

दिसम्बर की भीषण ठंड में जब कश्मीर में तापमान हिमांक बिंदू से नीचे चला गया तो गिरफ्तार किए गए लोगों में से लगभग सौ प्रमुख व्यक्तियों का एक दल जम्मू केन्द्रीय जेल से श्रीनगर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। वह कश्मीर की भीषण ठंड को सहन नहीं कर सके क्योंकि वह उसके आदी नहीं थे। इसलिए उस दिन से लेकर आज तक वह सब भयानक पीढ़ा से गुज़र रहे हैं।

## सत्याग्रह में महिलाएँ

कुछ दिनों बांद कैदियों का एक और जत्था बनिहाल कार्ट रोड के माध्यम से श्रीनगर के लिए लोड़ किया गया था। सैन्य अधिकारियों ने बर्फ से ढके होने के कारण पास (दर्रे) को पार करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया और कैदियों को पीर पंजाल की तलहटी पर बनिहाल में ही रखा गया था। यद्यपि वहाँ पर कोई भी उपजेल मौजूद थी ही नहीं। कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश में 48 घंटों के लिए सत्याग्रहियों को अपने आप को आरामदायक करने के लिए कोई ढील नहीं दी गई औरन ही उन्हें लघु या दीर्घ शंका की निवृति के लिए बाहर जाने दिया गया। पहले 10 दिनों के दौरान उन्हें 20 में से केवल आठ समय ही अपर्याप्त भोजन दिया गया।

इस अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध कैदियों को भूख–हड़ताल पर जाना पड़ा उनमें से 74 को रेशम पालन (सैरीकल्चर इन्सेक्ट ब्रीडिंग हाऊस) में रखा गया। परिणाम स्वरूप उनमें से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए जिनमें श्री मस्तराम और श्री चरण दास जी की हालत बड़ी गंभीर हो गई।

कुछ सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने के पश्चात जम्मू पुलिस लाइन में रखा गया उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया। ऐसे क्रूर व्यवहार को झेलने वालों में से श्री भगवत स्वरूप, श्री वी.ए. ठाकुर, श्री नानक सिंह (सचिव राजपूज सभा), श्री शिवराम (हरिजन मंडल के प्रसिद्ध कार्यकर्ता) और श्री विश्वपाल। उन सब को न केवल जूतों से मारा गया परंतु उनके गुप्तांगों के बालों को उखाड़ा गया। आर. एस. पुरा तहसील के रिंछल में रहने वाले श्री रिशन दास को स्थानीय थाने में इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि वह अनेकों बार वही पर बेहोश होकर गिर पड़े। इस प्रकार के कई मामलों में सत्याग्रहियों को जुलूस से बलपूर्वक खींचते हुए और खुले आम बेंत लगाते हुए और टाँगों से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाया गया।

## विरोध प्रदर्शन करते हुए सत्याग्रही

शांतिपूर्वक जुलूस निकालते हुए सत्याग्रहियों पर ग्यारह बार गोलीबारी की गई और इक्कीस स्थानों पर लाठीचार्च हुआ। परिणामस्वरूप जितने भी सत्याग्रही वीरगति को प्राप्त हुए उनमें से केवल उन्नीस सत्याग्रहियों के ही शव मिल सके। क्रमानुसार इस प्रकार के लाठीचार्ज और हत्याओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

26 नवंबर को पं. प्रेमनाथ डोगरा जी के रिहा होने के कुछ देर उपरांत ही पुलिस ने लोगों पर जबरदस्त और अँधाधुंध लाठीचार्ज किया जो कि पं. डोगरा को सुनने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए थे। इसके परिणामस्वरूप एकत्रित लोगों के साथ–साथ भारतीय खूफिया तंत्र के एक इंस्पेक्टर भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

# उधमपुर में विरोध/प्रदर्शन (1952/1953)
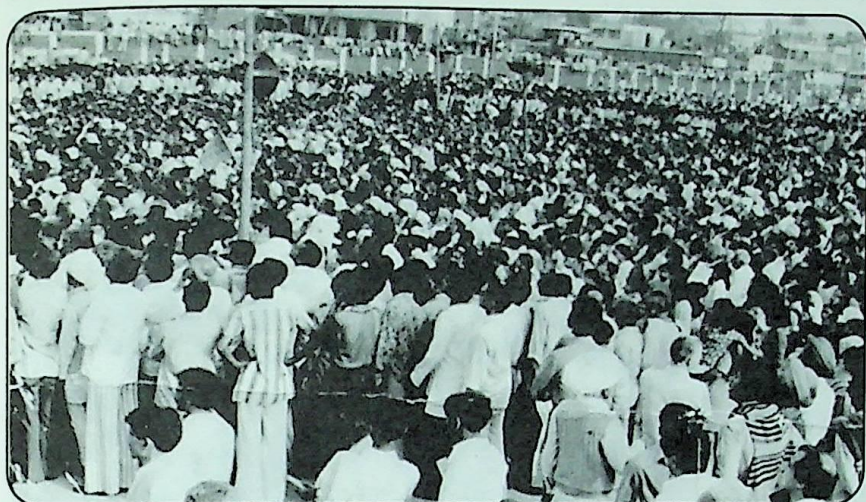
29 नवंबर को उधमपुर में हुए लाठीचार्ज में कई महिलाएँ गंभीर रूप से घायल हो गई। जनवरी 17 को भद्रवाह में तहसील अध्यक्ष चौ० खुशी मोहम्मद के नेतृत्व में शांतिपूर्वक हो रहे जुलूस पर कठोरतम लाठीचार्ज किया गया। उनके साथ साथ अन्य कई सत्याग्रही गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको नंगे करके बेईज़्ज़त भी किया गया। 28 जनवरी को ज्यौड़ियाँ में शांतिपूर्वक जुलूस पर क्रूरतापूर्वक लाठीचार्ज़ किया गया जिसके परिणामस्वरूप एक महिला की मृत्यु हो गई।

गोलीबारी– 27 नवंबर को सांबा में परिषद् के प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की प्रथम घटना हुई। परंतु इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ। श्री मेला राम शाम 15 दिसंबर को छंब में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से वीरगति को प्राप्त होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सरकार ने सर्वप्रथम किसी भी मृत्यु की घटना से इंकार किया था परंतु जब उनके पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया तो सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया।

जम्मू से 25 मील की दूरी पर स्थित सुंदरबनी गाँव में शांतीपूर्वक जुलूस पर पुलिस ने गोलियाँ बरसाई। जिससे 29 दिसंबर को तीन व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनकी पार्थिव देहों को आधी रात के समय जला दिया गया। इतना ही नहीं उनके अवशेषों को परिवार एवं रिश्तेदारों को नहीं सौंपा गया। यहाँ भी सरकार नें पहले तो किसी भी मृत्यु से इंकार किया था परंतु तीन दिन पश्चात जब वीरगति

को प्राप्त प्रदर्शनकारियों के नाम व पते लोगों को मालूम हुए तब जाकर सरकार ने इस तथ्य को भी स्वीकार कर लिया।

## जम्मू के लिए महिलाओं का जमावड़ा

11 जनवरी को रियासत के दो मंत्रियों के समक्ष जम्मू–पठानकोट सड़क पर जम्मू से 40 मील की दूरी पर स्थित हीरानगर तहसील में बद्तर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी के परिणामस्वरूप मरने वाले व्यक्तियों की संख्या का पता आज तक नहीं चल पाया है। उनमें से दो व्यक्तियों श्री बिहारी लाल और श्री भीखम सिंह के शव अगली सुबह भारतीय सीमा के समीप एक नाले में अर्ध जली हुई अवस्था में मिले। "पीओपल पार्टी द्वारा भेजे गए तथ्यानवेषी–मिशन" की रिपोर्ट के अनुसार 13 लोग आज तक गुमशुदा हैं और 20 लोग इस गोलीबारी में ज़ख्मी (घासल) हो गए थे। यह सब शक्ति (बाहुबल) का प्रदर्शन अधिक लगता था बजाए किसी स्थिति के साथ यर्थाथ रूप में निपटने के। अंतिम गोलीबारी की घटना जम्मू से पश्चिम में 30 मील की दूरी पर स्थित ज्यौड़ियाँ गाँव में हुई।

3000 ग्राम वासियों का एक जुलूस जो कि आस पास के गाँवों से निकला था। उस पर सर्वप्रथम आँसू गैस के गोले दागे गए और तत्पश्चात गोलीबारी भी की गई, जब तक सब लोग पहले दिन पुलिस गोलीबारी में शहीद हुई एक महिला प्रदर्शनकारी के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए शमशान घाट एकत्रित होकर जा रहे थे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पाँच लोग मारे गए और एक घायल हो गया।

परंतु घटनास्थल पर जाकर सत्य घटनाओं एवं तथ्यों की जानकारी लेने के लिए अकाली दल द्वारा भेजे गए सरदार बचन सिंह पंछी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार बहुत अधिक संख्या में लोग गुमशुदा हो गए। उनमें से केवल 9 लोगों के ही नाम व पते प्राप्त हो सके। इस रिपोर्ट के अनुसार घायल की संख्या 200 से भी अधिक थे। उनमें से भी 20 लोग केवल एक ही गाँव में पाए गए। मृत व्यक्तियों के परिजनों को पार्थिव शरीर नहीं सौंपे गए।

महिलाओं पर हो रहे अपराध दमन के इस अभियान का सबसे बुरा हिस्सा उन महिलाओं के प्रति होने वाली क्रूरता और अपराध है जो आंदोलन के प्रति सहानुभूति रखती है। दिसंबर को जम्मू में ही हो रहे महिलाओं के जुलूस पर बार–बार आँसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप छोटी लड़कियों सहित कई महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। एक लड़की पूरे 12 घंटे तक बेहोश रही। एक अन्य को उसकी अनिश्चित स्थिति के कारण अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया था। दो महिला सत्याग्रहियों जो जुलूस का नेतृत्व कर रहीं थीं वे भी बेहोश हो गई और उन्हें बुरी हालत में जेल ले जाया गया।

## महिलाओं ने जम्मू में जुलूस निकाला
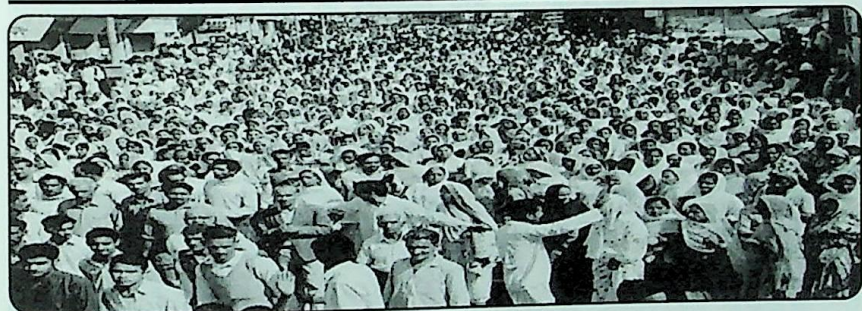
6 जनवरी को पुलिस ने चार महिला सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया जो जम्मू शहर में एक जुलूस का नेतृत्व कर रहीं थी। उन्हें पूरे दिन पुलिस लॉक अप में रखा गया था। रात में ग्यारह बजे उन्हें लॉकअप से बाहर निकाला गया और सड़कों पर फेंक दिया गया।

17 जनवरी को महिला कॉलेज की तीन छात्राओं के साथ पुलिस के एक निरीक्षक द्वारा दुर्व्यवहार और मारपीट की गई और उन्हें उनके बालों समेत घसीटा

गया। 26 जनवरी को बस स्टेंड पर धरना दे रही 10 सत्याग्रही महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें बहुत ही गंदी भाषा में गाली गलौच की। उनकी नेता कुमारी शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उनके साथ हुए बुरे व्यवहार के कारण वह बीमार पड़ गई। सात दिनों के बाद जब यह पाया गया कि उनकी स्थिति अनिश्चित हो गई है तो उसे बेहोशी की हालत में जेल से बाहर निकाल दिया गया।

27 जनवरी की रात को पुलिस ने रात 2 बजे गांव रोथुआ में नंबरदार के घर पर छापा मारा था। वह घर पर नहीं था। उन्होने उस समय वहाँ मौजूद दो युवतियों से उसके बारे में पूछा। नंबरदार का पता नहीं बता सकने की असमर्थतता जताने पर युवतियों के वस्त्र उतार लिए गए, उन्हें पीटा गया और तत्पश्चात उन्हें जेल ले जाया गया। जेल में भी उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ।

## छापेमारी और लूटपाट

3 फरवरी को पुलिस के गाँव घो मन्हासा में छापा मारा। पुलिस ने जेल में बंद ठाकुर रशपाल सिंह के घर में जबरन प्रवेश किया और तिजोरी से 12 तोला सोना और 500 रुपए लूट लिए। उसकी पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया गया और घर में काम करने वाली नौकरानी को पुलिस ने नग्न करके आपराधिक मारपीट की।

उधमपुर की 10 महिलाओं को भूख हड़ताल पर जाना पड़ा क्योंकि वह सब सत्यग्रहियों विशेषरूप से महिलाओं के साथ जेलों के अंदर व बाहर हो रहे दुर्व्य्व्हार का विरोध करना चाहती थीं।

**उधमपुर में महिलाओं द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन**

महिलाओं के विरूद्ध इन अपराधों की सबसे बुरी विशेषता यह थी कि पुलिस को उनके लिए मदिरा युक्त पेय पदार्थ देकर भेजा जाता था, ताकि वे सत्यग्रहियों को क्रूर और संवेदनहीन तरीके से काबू में कर सकें और लोगों के बीच आतंक कायम कर सकें।

असहयोग और सविनय अवज्ञा की शुरूआत के पश्चात जब सत्याग्रह का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तो पुलिस और कश्मीर मिलिशिया का आतंक का शासन स्थापित करने के लिए खुली छूट दे दी गई। आतंक का साम्राज्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले जम्मू, अखनूर और रियासी तहसीलों को चुना गया था। उन्हें पूरी तरह से पुलिस और मिलिशिया की दया पर छोड़ दिया गया था, जो जत्थे बना–बना कर गांवों में छापे मार रहे थे। उनमें से कुछ मामले निम्नलिखित हैं।

घो मन्हासा गांव के संतु महाजन को उनके ही घर में धमकाया गया था और 200 रुपए के साथ–साथ तीन झुमके की जोड़ियाँ लूट ली गई थी। कुकेरियाँ गाँव में कई घरों की तलाशी ली गई और श्री मेवा सिंह के घर का सामान बाहर फेंक दिया गया और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

घो मन्हासा के कतार सिंह की गंभीर पीटाई से उनके घुटनों में फ्रैक्चर हो गया और उनके मुँह के अंदरूनी हिस्से में गंभीर घाव हो गया। संसार सिंह चिब और संतु गंभीर रूप से घायल हो गए। 8 फरवरी को पं० अभयराम के घर की तलाशी ली गई और उनके पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया गया। इसी दिन शाम चार बजे के करीब सुहारन गांव में मैसर्स बलदेव सिंह और फकीर चंद महाजन के घरों की तलाशी ली गई। तलाशी के पश्चात छःहरीजनों को पीटा गया। उसी दिन शाम पांच बजे करलूप गांव में श्री राम और नंदलाल के घरों की तलाशी ली गई और घरों की महिला सदस्यों को मारपीट का भय दिखाते हुए उनसे घरों की चाबियाँ बलपूर्वक छीन ली गई। तकरीबन 7 बजे शाम के समय गाँव पलोड़ा हरमुकंदपुरा में राम जी के घर की तालाशी ली गई और लगभग दो तोले सोने के साथ 13 रुपए नकदी अपने साथ ले गए। यहाँ पर दो लोग पुलिस द्वारा की गई पिटाई में जख्मी हो गए। घरोटा में 7 फरवरी को श्री छज्जू राम के घर की तलाशी ली गई और घरवालों को अनैतिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

गांव सेरी पंडिता में पं. सीता राम के घर पर तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिलने पर उनके पारिवारिक सदस्यों को आंतकित करते हुए गाली–गलौच की

गई। एक पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया और फिर छोड़ दिया गया।

श्रमिकों के लिए आयोजित इस क्रूर शिकार को करती हुई और लोगों को आतंकित करती हुई पुलिस दल–बल के साथ भलवाल पहुँची और श्री राम चंद के घर की तलाशी ली। यहाँ कुछ नहीं मिलने के बाद कोट के लिए अपना रास्ता बनाया। यहाँ पर मैसर्स मुंशीलाल, चमन दास और पं० ढ़ेरू राम के घरों की तलाशी ली गई परंतु कुछ नहीं मिला। इसने बेईमान पुलिस अधिकारियों को परेशान कर दिया, जिन्होंने सभी संतुलन खो दिया और पोस्ट मास्टर के साथ दस वर्ष की एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। गंभीर पिटाई के बाद अगले दिन दोनों को दोमाना में छोड़ दिया गया। 9 फरवरी को गांव परयाल में श्री बुद्धि सिंह का घर नष्ट कर दिया गया। उनके बेटे केहर सिंह और बहन को उनके समक्ष पीटा गया। जब उन्होंने शोर–शराबा मचाया तो उनको भी पीटा गया। तब से लेकर आज तक वह बिस्तार पर ही है।

घर की पूरी तरह से तलाशी ली गई और 800 रुपए नगदी अपने साथ ले गए। श्री केयोर सिंह जी जो गिरफ्तार कर लिए गए। श्री वकील सिंह जी के घर पर छापा मारा गया और उनके द्वारा अपनी बेटी की शादी के लिए घर में एकत्रित की गई मिठाईयाँ और अन्य वस्तुएँ ज़ब्त कर ली गई। 300 रुपए नकदी भी अपने साथ ले गए। श्री इंदिर सिंह जी के घर पर छापा मारने के पश्चात और उनकी कुछ वस्तुओं को जब्त करने के पश्चात "विजय दल" वापस लौट गया। लड़ोरा में श्री दिवान चंद जी के घर पर छापा मारा गया और उनके भाई को पीटा गया। एक स्थानीय हरिजन को जो कि पास ही में खड़ा था, आदेश दिया गया कि उनको जूतों से मारें। इस प्रकार के आदेश को मानने से इंकार करने पर उसे भी पीटा गया। अपनी वापसी की यात्रा में पुलिस दल ने एक टीम केरोसीन तेल और एक ईंधन से भरा हुआ ट्रक ले आए।

11 फरवरी को पुलिस ने पुनः घौ मन्हासा और रठोआ गाँव में छापेमारी की। काका राम के बेटे को बुरी तरह से पीटा गया और राम प्यारी के घर को बहुत ढूँढने पर भी उसका पता नहीं लगा पाए। रठोआ में दस वर्षीय चौधरी राम लाल टैंपों की बेटी से चाबियाँ प्राप्त हुई और उसके बाद पुनः घर की तलाशी ली गई। बजुरा योगी जो कि रठोआ का रहने वाला था, उसे भी बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने खुले आम सबके सामने यह घोषणा की कि अगर कोई भी इसके बैलों को पानी पिलाता हुआ नज़र आया तो उसे भी सख्त सज़ा दी जाएगी। पुलिस ने आदेश देते हुए कहा कि इसके घर को आग के हवाले करने के लिए कैरोसीन तेल ले आओ।

13 फरवरी के दिन सुबह दस बजे मढ़ गांव में रहने वाले श्री शत्रुघन के घर पर छापा मारा गया। एक कुर्सी और स्त्रियों का सजावटी सामान ज़ब्त कर लिया गया। "गाजू राम हरिजन" जी की मूँछे और सिर के एक भाग के बाल काट दिए गए। दुर्गादास हरिजन को पीटने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया एवं 40 रुपए की रिश्वत लेने के पश्चात उसे छोड़ दिया गया। दिन के समय इन अपराधिक षडयंत्रों को अंजाम तक पहुँचाते हुए चारों ग्रामवासियों के घर पर छापेमारी की गई। रात होते–होते जब पुलिस ने वापिस जाना शुरू किया तो ग्रामवासियों ने चैन की सांस ली।

14 फरवरी को पुलिस ने अगौर से होते हुए घरोटा की तरफ कूच किया। वहाँ पहुँचते ही पुलिस ने कविराज छज्जू राम के घर पर धावा बोल दिया जिसमें पुलिस को नाकामी प्राप्त हुई और उसे वापिस लौटना पड़ा।

संग्रामपुर निवासियों के साथ 22 मार्च को हुए अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध अदालत का दरवाज़ा खटखटाने पर पुलिस चिड़ गई और उसने पुनः मार्च 24 के दिन पूरे गांव को घेर लिया। आतंकित होकर असहाय, नासमझ, युवा, बुजुर्ग, पुरूष एवं नारियाँ गाँव से बाहर भागने पर मजबूर हो गए परंतु उनमें से बहुतेरों ने जिनमें महाजन (धनी) ने पाकिस्तानी घुसपैठ के दृश्य को अनुभव किया। एक धनी नामक हरिजन को उस समय पीटा गया जब वह दौड़ रहे थे। शिवराम लंगेह, छत्रुदास एवं रामदास जी के साथ गंभीर रूप से हाथापाई की गई। श्री छत्रुदास के सिर से लहू बाहर टपकने लगा। जम्मू से आठ मील की दूरी पर स्थित दोमाना गांव में नहर के किनारे एक मिठाई एवं मीट की दुकान को लूट लिया गया जो कि परिवार का एकमात्र आय का स्त्रोत था।

### 20 मार्च, 1953 को–

बिलावर में जुलूस निकलते हुए 28 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अर्धरात्रि को उन्हें बेरहमी से पीटा गया। जम्मू संभाग के अत्यंत ठंडे इलाके में उन्हें कोई भी बिस्तर नहीं दिया गया औ पूरे 3 दिन तक बगैर पानी और भोजन के व्यतीत

करने पर मजबूर किया गया। कुंछ सत्याग्रहियों को पुलिस और मिलिशिया के क्रूर हाथों से पीटने पर उन्हें गंभीर सूजन हो गई।

19 मार्च 1953 को बसोहली तहसील के गांव बिलावर में एक फौजी आदमी की पिटाई होने से उसकी मृत्यु हो गई।

कुछ ग्रामीणों के पास के गावं में दुकान की तरफ ज़ाते हुए बीच रास्ते में और एक अन्य ग्रामीणों के दल को साथ वाले गांव में बने मंदिर में पूजा के लिए जाते वक्त क्रूरता से पीटा गया। रामकोट इलाके में कश्मीर मिलिशिया और पुलिस सैंकड़ों की तादाद में गांव की सीमा के भीतर घुस आए। उन्होंने पुरूषों की बेरहमी से पिटाई की और स्त्रियों के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें अतंकित किया और संपति की लूटपाट की।

परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लोग अपने घरों को छोड़ कर जंगलों की तरफ रहने के लिए जाने लगे। ताकि पुलिस की यातनाओं से बचा जा सके।

तहसील जम्मू के रछपाल सिंह के घर की तलाशी लेते समय उसकी महिला बावर्ची को नंगा कर दिया। पुलिस ने किस प्रकार क्रूरतापूर्वक लोगों पर लाठीचार्ज किया उसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दो ग्रामीणों भगत और तेजा सिंह की खोपड़िया तोड़ दी गई थी। अखनूर के दो फौजी जवानों बैकुंठ सिंह और प्रीतम सिंह को घर पर छुट्टी के दौरान कैन्टीन जाते वक्त रास्ते में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे पन्द्रह दिनों तक हिरासत में रखा। तहसील नौशेरा के गांव कवाना को सैंकड़ों मिलिशिया सैनिकों और पुलिस दल के साथ साथ इस इलाके में रहने वाले मुस्लिमों की सहायता से लूटा गया। तहसील अखनूर की सीमा पर पाकिस्तान के करीब कोटमैरा गांव पर लगभग सौ कश्मीरी मिलिशिया सैनिकों द्वारा छापा मारकर चार हजार रुपए कीमत की संपति को लूट लिया गया और ग्राम निवासियों को बुरी तरह से पीटा गया।
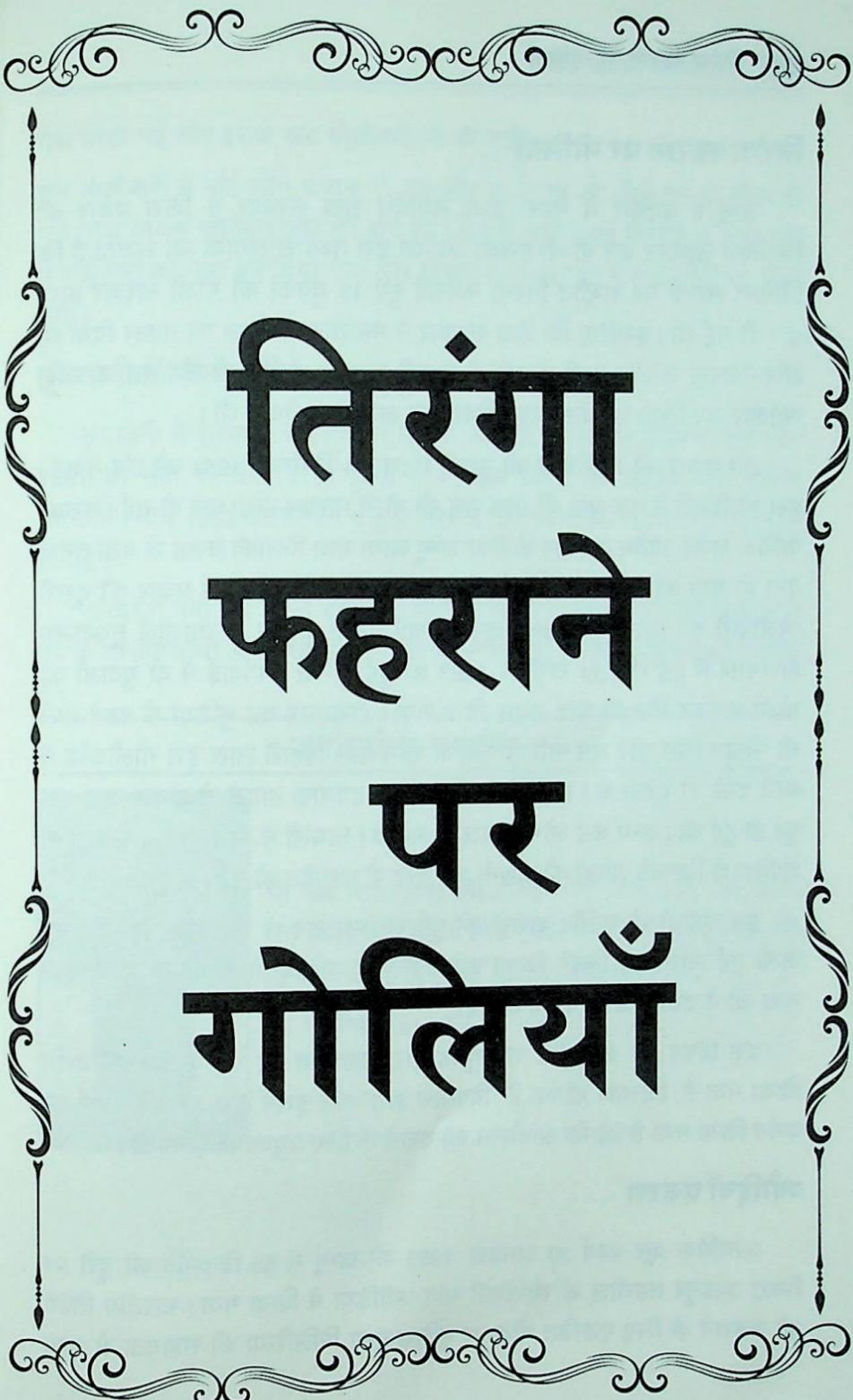
तिरंगा
फहराने
पर
गोलियाँ

## तिरंगा फहराने पर गोलियाँ

जम्मू व कश्मीर में नेहरू द्वारा समर्थित शेख सरकार ने किस प्रकार की स्थितियाँ उतपन्न कर दी थीं इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हुए 16 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसलिए कि शेख सरकार ने महाराजा के ध्वज को नकार दिया था और नैशनल कांफ्रेंस पार्टी के झंडे में मामूली बदलाव के बाद से रियासत का ध्वज स्वीकार कर लिया था और प्रजा परिषद् इस रूख के विरोध में थीं।

इस प्रकार की गोलीबारी की पहली घटना 14 दिसम्बर, 1952 को छंब में हुई। इस गोलीबारी में एक युवा श्री मेला राम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका पार्थिक शरीर अंतिम संस्कार के लिए जम्मू लाया गया जिसकी वजह से बड़ा तनाव पैदा हो गया और सरकार विरोधी जुलूस निकाले जाने लगे। इस प्रकार की दूसरी गोलीबारी की घटना और अन्य क्रूर घटनाएँ जिला कठुआ के तहसील मुख्यालय हीरानगर में हुई थी। 11 जनवरी, 1953 को हुई पुलिस कार्यवाई में दो युवाओं को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। हीरानगर गढ़ मुंडिया के रहने वाले श्री भीखम सिंह और घन मोरियाँ गाँव के रहने वाले बिहारी लाल इस गोलीकाँड में मरने वाले दो युवक थे। इनमें से एक ही शादी दर्दनाक हादसे से केवल कुछ माह पूर्व ही हुई थी। अन्य कई लोग घायल हो गए थे। घायलों में श्री ज्ञान चंद सांगरा भी शामिल थे जिनकी आँखों की रोशनी बुरी तरह से प्रभावित हो गई।

इन शहीदों के पार्थिव शरीरों को पुलिस उठा कर ले गई और उनकी आधी जली हुई लाशों को किसी विरान स्थान से प्रजा परिषद् के कार्यकर्ता श्री द्वारका नाथ जी ने उठाया और दिल्ली ले गए।

इस विषय पर श्री सांझी राम गुप्ता द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तिका में वर्णन किया गया है, जिसका शीर्षक है "विषधारा 370" और इसमें कुछ भयावह कार्यों का वर्णन किया गया है जो कि आंदोलन को दबाने के लिए प्रयुक्त किए गए थे।

### ज्यौड़ियाँ प्रकरण

अत्यधिक क्रूर कार्य 30 जनवरी, 1953 को जम्मू से 55 कि०मी० की दूरी पर स्थित अखनूर तहसील के सीमावर्ती गांव ज्यौड़िया में किया गया। भारतीय तिरंगे को फहराने के लिए एकत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा मिलिशिया की सहायता से आसू

गैस छोड़ी गई और इसके बाद गोलीबारी भी की गई।

इस गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए और छः लोगों की मौके पर ही मौता हो गई। एक घायल की मृत्यु कुछ देर बाद हुई। क्षेत्र में आतंक को फैलाने के लिए गांव में कई, घरों को नष्ट कर दिया गया और आसपास के इलाकों में बसे लोगों को पीटा गया।

## सुंदरबनी में गोलीबारी

सुंदरबनी में सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने का साहस दिखाने वाले तीन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रकार का पांचवा और अंतिम घटनाक्रम मार्च 1953 को रामबन में हुआ जिसमें तीन लोगों की गोली लगने से मृत्यु हो गई।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी वीरगति को प्राप्त हुए युवकों की आयु बीस वर्ष के आसपास थी और इसलिए इस देश के कुछ भागों मे तिरंगा देखने को मिलता है।

## ज्यौड़ियाँ मे समाधि
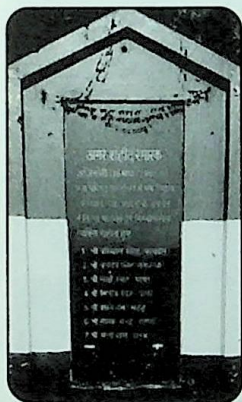
श्री मेला राम (छंब), श्री नानक चंद (ज्यौड़ियाँ), श्री बसंत राम (मढ़), श्री बलदेव सिंह (राठी डांडा), श्री साईं सिंह, श्री वरयाम सिंह (भोपुर), श्री त्रिलोक सिंह (परगवाल)

14 दिसम्बर 1952 और 30 जनवरी 1953

## सुंदरबनी में समाधि

29–12–1952,
श्री कृष्ण लाल
श्री बाबा रामजी दास,
श्री बेली राम
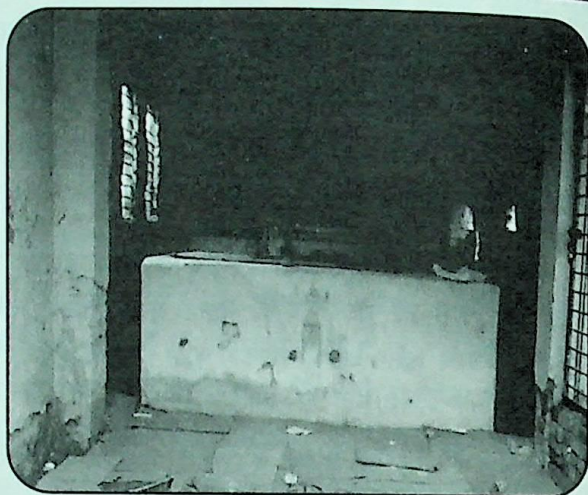
## हीरानगर में समाधि

11–1–1953
श्री भीखम सिंह

11–1–1953
श्री बिहारी लाल जी

## रामबन में समाधि

**1 मार्च 1953**

**श्री शिव राम जी, बलिहोत (रामबन)**

**श्री देवी शरण जी, बलिहोत (रामबन)**

**श्री भगवान दास जी, कंठी (रामबन)**

# डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भूमिका एवं उनकी शहादत

## डॉ श्यामा मुखर्जी जी की भूमिका एवं उनकी शहादत

सरदार पटेल जिन्होंने अपनें जीवन के अंतिम वर्ष भारतीय संघ को दिन–रात मेहनत करके बनाने और नेहरु जी के विचित्र व्यवहार से झूजते–झूजते 15 दिसंबर 1950 के स्वर्गवास हो गए। ऐसे में नेहरु जी भारत के भाग्य को सँवारने बाले एकमात्र स्वर्गवास हो गए। ऐसे में नेहरु जी भारत के भाग्य को सँवारने बाले एकमात्र कमांडर रह गए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि जम्मू–व–कश्मीर के घटनाक्रम के बारे में उनसे असहज प्रश्न करने बाला कोई नहीं था। परंतु नेहरु जी को यह अंदेशा था कि डॉ॰ श्यामम प्रसाद मुखर्जी, अध्यक्ष भारती जनसंघ राष्ट्रवादी विचारधारा बाली राजनीति के पथ पर स्वयं को अग्रसर कर लेंगें। उस समय तक नई संसद की बैठक बुलाई जा चुकी थी। जैसा कि "टाईम्स ऑफ इंड़िया" नें टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार पटेल जी की जिम्मेंदारियाँ डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आ गई हैं। वह इन जिम्मेदारियों को स्वीकारने से कोई भी शर्म नहीं करेंगे।

मई 21, 1952 को नई संसद मे राष्ट्रपति के अभिभाषण, जो कि शेख–अब्दुल्लाह की अलगाववादी नीतियों के संदर्भ में था, पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत की एकता और अखंड़ता दाँव पर है। नेहरु जी ने दखल देकर संसद को सूचित करते हुए कहा कि मैं डॉ॰ मुखर्जी जी के मुकाबले कश्मीर के बारे में अधिक जानकारी रखता हूँ। डॉ मुखर्जी नें अपना पक्ष निड़रतापूर्वक रखते हुए कहा कि मैं यह जानता हूँ कि क्या कश्मीरी पैहले भारतीय हैं और बाद में कश्मीरी हैं या वह पैहले कश्मीरी हैं और बाद में भारतीय या वह केवल कश्मीरी ही हैं और भारतीय कभी भी नहीं। यह एक अति महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका हमें निर्णय करना है।

डॉ॰ मुखर्जी नें सही दिशा में निशाना साधा था। उन्होंने संक्षेप में समस्या को प्रस्तुत कर दिया था और स्पष्ट उत्तर माँगा था। नेहरु जी नें निसंदेह उसी वर्ष जून–जुलाई माह में शेख–अब्दुल्लाह के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करके नेशनल–कॉंफ्रेंस की सांप्रदायिक और अलगाववादी नीतियों को वैद्धता प्रदान करते हुए औपचारिक तौर पर जम्मू व कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान कर दिया था।

यह समझौता प्रजा–परिषद् के नेतृत्व में शेख अब्दुल्लाह के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करनें बाले रियासत के गैर–मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। यह समझौते का महत्त्व कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों में खो गया परंतु डॉ मुखर्जी जी

उस समय तक प्रजा–परिषद् के संपर्क में थे और पंड़ित प्रेमनाथ ड़ोगरा जी द्वारा भी उनको जानकारी दे दी गईं थी। वह अपनें आप को इस खेल में पार समझ रहे थे।

## डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंड़ित ड़ोगरा जी के साथ जम्मू में एवं चौ0 राम नारायण (एमपी) के साथ जम्मू में, दिनांक 10–08–1952

डॉ॰ मुखर्जी द्वारा प्रारंभ की गई और भा॰ज॰पा द्वारा जीवित रखे गए जनसंघ के अभियान जिसके अनुयार जम्मू व कश्मीर को अलगाववादी और सांप्रदायिक मनसूबों से बचाना था एनके मील–पत्थर निम्नलिखित हैं:–

## डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शेख अब्दुल्लाह और बख्शी गुलाम मोहम्मद श्रीनगर में दिनांक 10–05–1952

### जून 14, 1952

डॉ॰ मुखर्जी को भारतीय जनसंघ की कार्यकारी समिति द्वारा पारित प्रस्ताव मिला जिसमें ज़ोर देकर जम्मू–व–कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग माना गया था और यह घोषणा की गई थी कि रियासत की संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष और अलग ध्वज की बात के साथ–साथ उसके आधारभूत सिद्धांत समिति द्वारा इस तथ्य को मान्यता देना कि जम्मू और कश्मीर स्वायतत्ता समपन्न गणतंत्र बना रहेगा, यह सब बातें भारतीय संविधान की भावना और भारत की प्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन है। समिति इस योजना का एक गंभीर दृष्टिकोण लेती है लोगों को भारत सरकार के साथ–साथ याद दिलाना चाहती है कि 1945 की "कैबिनेट मिशन" योजना के अनुसार तीन विशयों सहित केन्द्र एक कमज़ोर कड़ी था इसलिए काँग्रेस और लोगों नें इसका विरोध किया था। यह भारत की एकता और हितों के लिए भी हानिकारक था। मुस्लिम लीग की पृथकतावादी प्रवृति, फिर भी, भारत को विभाजित करनें में कामयाब हो गई, जिसके विध्वंसकारी परिणाम सामनें आए। जम्मू व कश्मीर रियासत को उसी पथ पर चलनें की अनुमति देना ऐसा प्रतीत होता हे जैसे इतिहास

को स्वयं ही दोहरानें की अनुमति देना। इसका अर्थ होगा उपद्रवी तत्वों को पुनः आवाह्न करना कि "आओ और भारत की एकता और अखंड़ता को तोड़ दो, जो कि ऐसी जबरदस्त सराबोर से प्राप्त की गई है। यह प्रस्ताव लोगों को आवाह्न भी करता है कि 29 जून 1952 के दिन को, "कश्मीर दिवस" के रुप में मनाकर भारतीय जनसंघ के दृड़मत को समर्थन प्रदान करें।

## 26 जून 1952:–

ड़ाँ॰ मुखर्जी ज.व.क के प्रश्न पर लोकसभा में बोलते हुए कहतें हैं कि रियासत के लिए एक अलग ध्वज, एक निर्वाचित प्रमुख और अनुच्छेद 370 ही ऐसे आधार हैं जिनकी बजह से शेख–अब्दुल्लाह रियासत के लिए एक अलग संविधान चाहते हैं। "आप वफादारी विभाजित नहीं कर सकते। शेख–अब्दुल्लाह कह चुके हैं कि हम दोनों ध्वजों के साथ बराबरी का बर्ताव करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकतें। यह आधा–आधा वाला प्रश्न नहीं है। यह समानता का प्रश्न नहीं है। यह संपूर्ण भारत वर्श के लिए एक ध्वज प्रयोग करने का प्रश्न है जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है।" यहाँ अलग ध्वज के साथ अलग "कश्मीर गणतंत्र" का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने अनुच्छेद 370 की घोषणाओं नागरिक अधिकारों के दमन के विवरण, हिंदी के उन्मूलन, सांप्रदायिक लाइनों के साथ जम्मू के विभाजन धर्मार्थ संपति और धन का संपतिहरण, सेवाओं में सांप्रदायिकता और जम्मू कें विरुद्ध भेदभाव लोहे के पर्दे जिन्हें शेख अब्दुल्लाह ने रियासत के आस–पास खींचा है में निध्ति विशमताओं को संदर्भित किया। अगर आप केवल हवा से खेलना चाहते हें और कहते हैं कि हम असहाय हैं और शेख अब्दुल्लाह को मनमानी करने की अनुमति देते हैं तो उस कारण से कश्मीर हमारे हाथ से निकल सकता है। मैं यहाँ बहुत सावधानी से कहता हूँ कि कश्मीर खो जाएगाः–

## 24 जुलाई, 1952:–

संसद में नेहरु जी ने शेख अब्दुल्लाह के साथ हुए समझौते का अनावरण किया जिसनें राजनीति में शेख अब्दुल्ला की विजय को सुस्पष्ट किया था।

## 7 अगस्त, 1952:–

डाँ॰ मुखर्जी ने लोकसभा में समझौते पर आक्षेप लगाते हुए नेहरु जी को चेतावनी दी, "आप जो करने जा रहे हैं, उस से भारत का विघटन हो सकता है, इससे उन लोगों के हाथ मज़बूत हो सकते हैं जो यह विश्वास करते हैं कि भारत

भिन्न–भिन्न राष्ट्रीयताओं का एक संयोजन हे। वह प्रधानमंत्री को पूछने के लिए गए, क्या शेख अब्दुल्लाह भारत के संविधान में कोई पार्टी नही है? क्या 497 राज्यों सहित संविधान को स्वीकार नहीं किया है? यदि यह कश्मीर में शेख अब्दुल्लाह के लिए बहुत ही अच्छा है तो ही नेहरु जी ने रियासत को विशेष दर्जा प्रदान किया होगा। नेहरु जी ने प्रजा परिषद् की निंदा की और असली अपराधियों को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया।

### 9–10 अगस्त, 1952:–

प्रजा परिषद् ने जम्मू में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाकि लोगों को दिल्ली समझौते के विनाशकारी परिणामों के बारे में समझाया जा सके। पं डोगरा जी ने डॉ मुखर्जी को उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया। जम्मू आते हुए रास्ते में प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ ने उनका स्वागत किया। सबका एक ही नारा था–"हम विधान लेगे या बलिदान देगे।" जम्मू पहुँचने पर उनको शेख अब्दुल्ला द्वारा बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।

### 10 अगस्त, 1952:–

डॉ. मुखर्जी जी ने छः घंटे तक शेख अब्दुल्लाह और उनके उप–मुख्यमंत्री बक्शीगुलाम महोम्मद के साथ बैठक की। शेख अब्दुल्लाह ने डॉ. मुखर्जी को बताया कि उनके काम राजनैतिक मजबूरियों की वजह से तय किए जाते हैं और इनका लक्ष्य कट्टरवादी मुस्लिमों पर नज़र रखना होता है। इस पहल पर डॉ. मुखर्जी ने अपनी प्रतिक्रिया शेख अब्दुल्लाह को देते हुए कहा कि उनकी नीतियाँ और भाषण देखने और सुनने में जिन्ना की तरह लगते हैं।

**जम्मू में पं प्रेमनाथ डोगरा जी डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, अगस्त 1952**
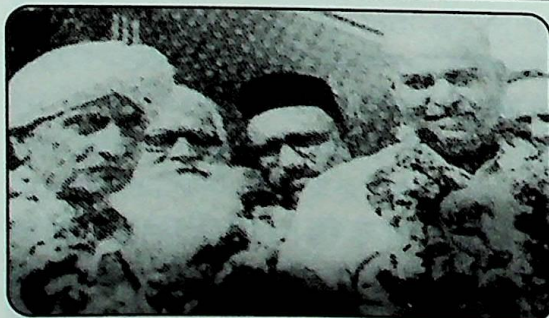
11 अगस्त, 1952:–डॉ. मुखर्जी ने पं डोगरा और अन्य परिषद् नेताओं को बताया कि वो आंदोलन को लेकर जल्दबाजी करने के बजाए लोगों को शेख अब्दुल्लाह की हानिकारक नीतियों के बारे में बताते हुए शिक्षित करें, यदि

शेख अब्दुल्लाह अपनी नीतियों पर अड़िग रहते हैं तो वह प्रजा परिषद् को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा देते है साफतौर पर वह रियासत में हो रही उथल–पुथल को रोकना चाहते थे। वापिस जाते हुए उनकी नेहरु जी के साथ लंबी और विस्तारपूर्वक बातचीत हुई और उन्होंने नेहरुजी को कहा कि वो पं डोगरा जी के साथ–साथ जम्मू व कश्मीर में गैर–मुस्लिमों की समस्याओं को भी सुने। नेहरु जी ने तिरस्कारपूर्वक इस सुझाव को मानने से इंकार कर दिया। श्रीनगर में शेख अब्दुल्लाह ने अपनी नीतियों को कार्यन्वित करना प्रारंभ कर दिया।

**8 नवम्बर, 1952:–**

पं डोगरा डॉ मुखर्जी के साथ जालंधर में मिले जहाँ पर वो पंजाब प्रात जनसंघ सम्मेलन में गए थे और उन्होंने डॉ मुखर्जी को रियासत की बिगड़ी हुई स्थिति से अवगत करवाया। डॉ मुखर्जी ने पं डोगरा के सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन करने की सलाह दी और जनसंघ द्वारा प्रजा परिषद् को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया ताकि लोकमत प्रजा परिषद् के समर्थन में आ सके।

**17 नवम्बर, 1952:–**

शेख अब्दुल्लाह ने नए 'राज्य ध्वज' जो कि नेशनल कांफ्रेस के झंडे में मामूली बदलाव करके बनाया गया था। राज्य के सचिवालय पर फहराने की योजना बनाई। प्रजा परिषद् ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू में केवल तिरंगा ही फहराया जाएगा। शेख अब्दुल्लाह ने अपनी योजना को वापिस लेते हुए नेहरु जी से सहायता माँगी। नेहरु जी ने प्रतिक्रिया देते हुए अपने मित्र के बचाव के लिए सशस्त्र पुलिस राज्य में भेज दी। इन पुलिस बलों की सहायता से शेख अब्दुल्लाह प्रजा परिषद् पर टूट पड़े।

**26 नवम्बर, 1952:–**

पं डोगरा और प्रजा परिषद् के संगठन मंत्री श्री श्याम लाल शर्मा जम्मू शहर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराते हुए गिरफ्तार कर लिए गए। रिगफ्तारियों के पश्चात् प्रजा परिषद् कार्यकर्ताओं पर जुल्म किए गए। जिसके परिणामस्वरूप जम्मू में रहने वाले सारे राष्ट्रवादी लोगों ने ''एक देश में दो निशान, एक देश में दो विधान, एक देश में दो प्रधान'' के विरुद्ध ऐतिहासिक सत्याग्रह आरंभ कर दिया।

## 14 दिसम्बर, 1952 :–

प्रजा परिषद् के साथ एकता दिखाने के लिए जनसंघ ने ''जम्मू कश्मीर दिवस'' मनाया। संपूर्ण देश में इस आह्वान को भावनात्मक और आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। दिसम्बर माह के अंतिम सप्ताह में डॉ मुखर्जी के पुनः पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित होने के पश्चात भारतीय जनसंघ का प्रथम परिपूर्ण सत्र संपन्न हुआ। डॉ मुखर्जी ने सत्र के दौरान अपने संबोधन में कहा कि इतनी देर हो जाने के बावजूद भी मैं नेहरु जी और शेख अब्दुल्लाह से अनुरोध करता हूँ कि अपनी–अपनी गलत प्रतिष्ठा पर अडिग रहने के बजाए इस स्थिति को रोकने की चेष्ठा करें। प्रजा परिषद् के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकालें जो सभी के लिए सही और न्यायपूर्ण थे। इसी दौरान हमारी सहानुभूति जम्मू में बीरतापूर्वक अधिकारियों के प्रचंड क्रोध का सामना कर रहे और शांतिपूर्वक इस उत्त कार्य के लिए यातनाओं को झेल रहे लोगों के साथ हैं। भारतीय जनसंघ के अधिकतर सदस्यों की यह माँग थी कि नेहरू सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए यह अनुरोध किया जाए कि वो कार्य करें या पार्टी के क्रोध को सहने के लिए तैयार रहें। डॉ० मुखर्जी ने यह सुझाव दिया कि शांतिपूर्वक निपटारा करने की कोशिश करें। प्रस्ताव पारित करके डॉ मुखर्जी को यह अधिकार दिया गया कि वो नेहरु जी और शेख अब्दुल्लाह को लिखकर इस समस्या के समाधान की सारी संभावनाओं पर विचार करें।

## 9 जनवरी, 1953 :–

डॉ मुखर्जी ने नेहरु जी को लिखा, ''.....मुझे ज्ञात है कि तुम लोग इस विवादास्पद विषय पर हम में से कईयों के साथ आँख से आँख मिलाकर देख नहीं सकते हो। सभी अभी तक मैं आपको इस आशा के साथ लिख रहा हूँ कि आप खुले दिमाग से उन लोगों के दृष्टिकोण की सराहना करोगे जो आप लोगो से इस समस्या पर भिन्न राय रखते हैं। यह आवश्यक रुप से महत्वपूर्ण है कि वर्तमान आंदोलन को आरंभ करने को मजबूर करने वाले सभी हालातों पर निश्यता पूर्वक पूर्ण विचार किया जाए और शांतिपूर्वक ऐसे प्रयास किएजाएँ जिस से शांतिपूर्वक समझौते पर जल्दी से जल्दी पहुँचा जा सके और जो सभी संबंधित लोगों के लिए निश्पक्ष और न्यायपूर्ण हो...।'' प्रजा–परिषद् के नेताओं के साथ–साथ अन्य लोगों द्वारा संवैधानिक उपायों की सहायता से मैत्रीपूर्ण समझौते के बार–बार प्रयास किए गए। डॉ. राजेंद्र–प्रसाद,

आपको राज्य मंत्रियों और शेख–अब्दुल्लाह सभी को अभ्यावेदन किया गया। ऐसा आभास होता है कि संबंधित सत्ताधारी लोग, साधारण (आम) जनता की शय के अर्विभाव को कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनके साथ तिरस्कारपूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। दूसरी ओर कुछ मसले जिन्हें लेकर घोर विवाद पैदा किया गया उन्हें सत्ताधारीयों ने स्वयम् ही आगे बढ़ाया क्योंकि अनावश्यक जल्दबाजी की गई इसलिए हड़बड़ी में घोर संकट पैदा हो गया। अब समय आ गया है कि स्वयं आप दोनों और शेख–अब्दुल्लाह महसूस करें कि यह आंदोलन दमन और सैन्य नल की सहायता करें कि यह आंदोलन दमन और सैन्य बल की सहायता से दबाया नही जा सकता...। जम्मू–व–कश्मीर की समस्या को किसी भी राजनितिक पार्टी का मुद्धा नहीं समझा जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और संयुक्त मोर्चों आगे लाने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए... जम्मू–व–कश्मीर राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है इसलिए अन्य सभी लोगों को राज्य के घटना क्रम में अपनी–अपनी रूची रखने के लिए संपूर्णतयः खुला है... जम्मू की जनता भारत के साथ किसी भी सूरत में संबंध विच्छेद करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे जनमत संग्रह हो या ना हो। इस विवादास्पद प्रशन का सदा–सदा के लिए एक ही बार में समाधान ढूँढ़ने में जितनी अधिक देरी की जाएगी, अशांति और जटिला की उनती ही संभावनाएँ बढ़ती जाएँगी। एक बार जब यह लगेगा कि विलय के प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है तो दो विषयों को भी लेना ही पड़ेगा। पहला विषय है पाकिस्तान द्वारा जम्मू–व–कश्मीर के एक–तिहाई क्षेत्र को वापस लेना जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में है। हम इसे किस प्रकार वापिस ले रहे हैं? आपने इस प्रश्न से हमेशा बचने की कोशिश की है। समय आ चुका है जब हमें यह जानना चाहिए कि इस विषय पर करने के लिए आपके पास यथार्थ में क्या है? यदि हम खोए हुए इस क्षेत्र के भाग को वापिस लेने में असफल हुए तो यह एक तरह से राष्ट्रीय अपमान और शर्म की बात होगी...... दूसरा विषय (प्रशन) जम्मू–व–कश्मीर राज्य का भारत के साथ कितने परिक्षेय तक विलय हुआ है इससे संबंधित है। यदि जम्मू की जनता माँग करती है कि रियासत का विलय उसी प्रकार होना चाहिए जिस प्रकार अन्य राज्यों का भारतीय संघ के साथ हुआ है तो उनकी इस माँग में कुछ भी मनमाना या अनौखा नहीं है।'' यह उनकी स्वाभाविक इच्छा है और वे सब राष्ट्रवादी एवं राष्ट्रीय उद्देश्य से नियंत्रित हो रहे हैं।'' इस प्रश्न की एक प्रति शेख–अब्दुल्लाह को भेज दी गई है। यह विवाद जिस पर, दाँव लगा हुआ है केवल आपकी रियासत को ही नहीं परंतु पूरे

भारत वर्ष को प्रभावित करता है और मैं यह आशा करता हूँ कि स्थिति के अधिक बिगड़ने से पहले ही आप कोई उपाय करेंगे।

## 10 जनवरी 1953:–

नेहरू जी ने डॉ. मुखर्जी को उत्तर देते हुए कहा कि, "मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं पूर्णतयः आश्वस्त भी हूँ कि शेख–अब्दुल्लाह भी जम्मू के लोगों की समस्याओं के प्रति ध्यान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ भी संभव होगा कि त्रुटियों (समस्याओं) को दूर करने का प्रयास करेंगे।

परंतु प्रजा–परिषद् की माँगे मौलिक संवैधानिक विषय हैं जिनको पूरा करना स्पष्ट कारणों से संभव नहीं है। वे जटिल संवैधानिक प्रश्न को युद्ध की पद्धति से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है कि यह पद्धति उनके अनुसार परिणाम नहीं दे सकती चाहे आंजाम कुछ भी हो। थोड़ी ही देर के बाद नेहरू और शेख अब्दुल्लाह ने प्रजा–परिषद् और भारतीय जन संघ के विरूद्ध कुटुओलचनापूर्ण अभियान प्रारंभ कर दिया।

## 3 फरबरी 1953:–

डॉ. मुखर्जी ने नेहरू को लिखा, "...इस विषय पर मुझे ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि आपके साथ मैं लंबा पत्राचार करूँ। परंतु विषय इतना गंभीर है कि आपको पुनः लिखने की अनूमती लेनी पड़ रही है। आपके भाषणों में पाई जाने वाली एक समानता यह है कि इसमें आपके द्वारा उन लोगों की (जिनकी राय आपसे भिन्न है) अत्याधिक गाली–गलौच और निंदा की गई। आपके सभी प्रकार से आधार–भूत उद्देश्य हैं और आपने हमें देश के हितों के साथ विश्वासघात करने की उपाधी दे डाली है। इस विषय में मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपका अनुकरण करूँ। मैंने आपके और शेख–अब्दुल्लाह के भाषण बहुत अधिक ध्यान से पढ़े हैं परंतु दुर्भाग्यवश सही विषय से बचने की कोशिश की गई है।

उन्होंने फिर निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखने को कहा:–

1) परिषद् को बहुत अधिक लोकप्रिय समर्थन है क्योंकि यह जनता की राय को समझती है। आप यह अनुभूत करोगे कि कोई भी लोकप्रिय आंदोलन बलपुर्वक कुचला नहीं जा सकता।

2) पहला प्रश्न तो यह उठता है कि जम्मू–व–कश्मीर रियासत का भारत के साथ विलय, अंततः, कब और कैसे निश्चित होगा?मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव यह है कि जम्मू–कश्मीर की विधानसभा, जो व्यस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित की गई है, प्रस्ताव पारित करके विलय को अंततःस्वीकार कर ले और जहाँ तक भारत का प्रश्न है यह विषय अपरिवर्तनीय रूप से निश्चित माना जाए।

कृप्या इस विवाद पर निश्चित हो जाएँ और हमें यह जानने दे कि यदि यह सुझाव मान्य नही है तो विलय को अंतिम रूप देने के लिए आपके पास वैकल्पिक सुझाव क्या है?

3) हम रियासत का विभाजन नहीं चाहते हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि आप यह भूल रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा जम्मू–कश्मीर रियासत को पैहले से ही विभाजित कर दिया गया है और वास्तविक प्रशन यह है कि क्या शेख–अब्दुल्लाह और आप इस विभाजन को स्वीकार करने का इरादा रखते हैं। आप सदैव इस प्रश्न से बचते रहे हैं। कृप्या इस विवाद से किनारा न करें और भारत की जनता को यह जानने दें कि हम अपने उस क्षेत्र को पुनः वापस कब (यदि लाना चाहते हैं तो) ला रहे हैं।

4) तीसरा द्विग्बिंदु उन विषयों से संबंधित है जिनके लिए विलय होना है। प्रजा–परिषद् चाहती है कि और हम भी पूर्णतयः समहत हैं, कि संपूर्ण जम्मू–व–कश्मीर रियासत उसी संविधान से संचालित हो जिससे शेष भारत भी संचालित हो रहा है। क्या इसमें कुछ साप्रदायिक या प्रतिक्रियावादी या राष्ट्रविरोधी है? यह आश्चर्यजनक है कि किस प्रकार शेख–अब्दुल्लाह और उसके सहकर्मियों द्वारा अलगाववादी गतिविधियों के अनुकरण को आपके द्वारा देशभक्तिपूर्ण कहकर सराहना की जा रही है और भारत की मूलभूत एकता और अखंड़ता को मज़बूत होते हुए देखने वाली और जम्मू–व–कश्मीर के लोगों को आम भारतीय नागरिक की भांति दर्जा देने वाली प्रजा–परिषद् की वास्तविक अभिलाषा को विश्वासघाती आचरण का नाम दिया जा रहा है। आपके पत्र और भाषण संतोषजनक ढ़ंग से प्रजा–परिषद् द्वारा उठाए गए आधारभूत प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए हैं।

5) आंतरिक प्रशासन के बारे में जम्मू के लोगों की कई शिकायते हैं। उनके साथ निपटने में देरी आंदोलन को तेज कर रही है।

6) यह निःसंदेह सत्य है कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए जो भारत की

स्थिति को कमज़ोर कर सकता है या हमारे दुश्मन के हाथ को मज़बूत कर सकता है। इस पहलू को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपको ध्यान में रखना चाहिए।

वह इस पत्र की एक प्रति शेख–अब्दुल्लाह को भेजते हैं, जिसमें एक नोट लिखा गया है, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उन लोगों को पूर्णतयः गलत समझते हैं, जो आपसे भिन्न राय रखते हैं और ऐसी प्रक्रिया से आगे बढ़ रहे हैं जो भारत के साथ–साथ जम्मू–व–कश्मीर रियासत के लिए भी विध्वंसकारी हो सकता है। फिर भी मैं यह आशा करता हूँ कि आप आवश्यकतानुसार समय के समानांतर बराबर उठते हुए, शांतिपूर्ण समझौते के लिए रास्ता ढूँढ़ निकालेंगे।

## 5 फरवरी, 1953:–

जम्मू तवी से शेख अब्दुल्लाह ने ड़ॉ. मुखर्जी के पत्र का उत्तर दिया जिसमें उन्होंने अपनी सरकार द्वारा जारी किए गए पत्रक भी संलग्न किए थे ताकि वह अपनी नीतियों को न्यायसंगत सिद्ध कर सकें। उन्होंने जम्मू–व–कश्मीर के "विशेष–दर्जे" के प्रसंगानुकूल अनुच्छेद–370 पर बल दिया।

## 5 फरवरी, 1953:–

नेहरू जी ने डॉ. मुखर्जी को उत्तर दिया, "..........मेरी सोच के अनुसार प्रजा–परिषद् द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन न केवल सांप्रदायिक है परंतु यह भारत की संकीर्ण मानसिकता और सांप्रदायिक तत्वों द्वारा समर्थित है। मेरा मानना यह है कि ऐसा करने के लिए केवल एक ही लीक है जिसका मैं अनुसरण कर सकता हूँ वह यह है कि इस गलत तरीके से किए जा रहे आंदोलन का विरोध करना। यह हमारी सरकार की राय है और वह इसका पालन करने और इस नीति को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव देते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है और आंदोलन जारी रहता है तो हमारे लिए यह विचार करना अतिमहत्त्वपूर्ण हो जाएगा कि सरकार इस मामले में और क्या–क्या कदम उठा सकती हे। नेहरूजी ने इसका अनुसरण करते हुए दिल्ली में पार्टी की बैठक की पूर्व संध्या पर अनुसरण करते हुए दिल्ली में पार्टी की बैठक की पूर्व संध्या पर "भारतीय जनसंघ" की प्रतिबद्धात्मक गिरफ्तारी के आदेश देकर इसका पालन किया।

## 8 फरवरी 1953

डॉ. मुखर्जी ने नेहरू जी को लिखाः–

"......ऐसा प्रतीत होता है कि आप उन लोगों के विचारों को समझने के मूँड़ में नहीं है जो आपसे भिन्न राय रखते है। मैं और बहुत से अन्य लोग इमानदारी से यह महसूस करते हैं कि जम्मू–कश्मीर रियासत में रहने वाले हमारे देश वासियों का एक भाग, जो यह देखना चाहता है कि उनकी रियासत अंततः भारत के साथ विलय हो चुकी है और स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार शासित हो रही है, को हम संप्रदायिक या विघटनकारी या देशद्रोही गतिविधि नहीं कह सकते। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ हम सब आपके प्रचंड़ क्रोध और आक्रोश का सामना करने के लिए तैयार हैं। आप मुझे माफ कर दोगे, यदि मैं आपके द्वारा किए गए पूर्ववर्ति संदर्भों को जिन्हें आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पाने के लिए कर रहे हैं उनकी सराहना न कर सकूं। दूसरी तरफ आपकी इस विषय पर अपनाई गई नीति ने घर में और विदेशों में गड़बड़ियों को बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिज्ञता की यह मांग है कि आप दृड़तापूर्वक राष्ट्रीय एकता के लिए परिस्थितियाँ उत्तपन्न करें न कि गलत अंतर्राष्ट्रीयकरण के शिंकजे में फसें...... ।"

## 10 फरवरी 1953:–

नेहरू जी ने डॉ. मुखर्जी को उत्तर दिया, "मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप भारत के प्रति अच्छा सोचते हो परंतु तथ्य यह है कि हमारी अवधारणा के अनुसार भारत के लिए सही क्या है वह देखने में अलग प्रतीत होता है। इसी वजह से हमारा पिछला जीवन बहुत बड़ी संख्या में अलग दिशा में चल पड़ा है। मैं आपको सुझाव देता हू कि आप अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए जम्मू में चल रहे इस आंदोलन को समाप्त करें।"

## 12 फरवरी 1953:–

डॉ. मुखर्जी नेहरू जी को लिखते हैं:–इसका एकमात्र तरीका यह हो सकता है कि इस आंदोलन के प्रयोजनों द्वारा इस बात पर सहानुभूति प्राप्त की जाए कि आप और शेख अब्दुल्लाह सभी मामलों पर खुले दिमाग से चर्चा करने के लिए और उन पर फैसलों तक पहुंचने के लिए तैयार है, जिनसे उनकी कानूनी जायज मांगे पूरी हो सके।" विचार करने योग्य दिगबिंदु निम्नलिखित हैं:–

1) रियासत की संविधान सभा द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करना कि रियासत का भारत के साथ, अंततोगत्वा विलय हो चुका है।

2) भारतीय संविधान में प्रयुक्त विषयों जैसे मौलिक अधिकार, नागरिकता, वित्तिय एकीकरण, सीमा शुल्क (चुंगी) को समाप्त करना, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ और चुनावों का आयोजन इत्यादि को रियासत सरकार द्वारा निर्धारित निश्चित समय के भीतर अंगीकार किया जाना।

3) भारतीय संविधान के शेष प्रावधानों के संदर्भ से यदि शेख अब्दुल्लाह भिन्न राय रखते हैं तो ऐसी स्थिति में गुण–अवगुण के आधार पर इन्हें ध्यान में रखा जाए।

4) यदि जम्मू–व–कश्मीर का संविधान अंततोगत्वा स्वीकार कर लिया जाता है तो यह भारतीय संविधान का ही एक भाग होगा।

5) सीमाओं को बदले बगैर जम्मू और लद्दाख को प्रांतीय स्वायतता प्रदान की जाए।

6) भारतीय ध्वज को सर्वोच्च स्वीकार किया जाए।

7) पाक द्वारा अधिकृत की गई भारतीय ज़मीन को छुड़बाने और उस पर पुनः अपना कब्जा स्थापित करने संबंधी नीति–बनाना।

एक ऐसा जाँच आयोग गठित करना जिसमें अधिकतम न्यायधीश रियासत के बाहर से हों और जो सभी समस्याओं जैसे धर्मार्थ ट्रस्ट, पुलिस द्वारा की गई क्रूरताओं और पीड़ितों विशेषतः गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों (परिवारों) को मुआवज़ा देने हेतु जाँच करे।

9) ऐसे लोग जिनके विरूद्ध कुड़की के आदेश दिए गए हैं, उनकी पेंशने और संपत्तियाँ बहाल करवाना।

## 12 फरवरी, 1953:–

नेहरू जी ने अपने उत्तर भेजते हुए कहा की जम्मू–व–कश्मीर का एकमात्र समाधान है उसको स्वायत्तता पदान करना। मैं पूर्णतयः आश्वस्त हूँ कि इस विरोध (आंदोलन) का एकमात्र सही समाधान यही है कि इसे वापस लिया जाए।

## 12 फरवरी, 1953:–

डॉ. मुखर्जी ने नेहरू जी को लिखा, "जिनेवा में चल रही बातचीत के कारण किसने असहाय याचना की? शेख–अब्दुल्लाह और आपको सर्वप्रथम यह निर्णय लेना है कि क्या आप लोग प्रजा–परिषद् के साथ बातचीत करने को उत्सुक हैं या

नहीं? मैं स्वयं आपको ऐसा करने के लिए प्रार्थना करता हूँ.....।''

### 13 फरवरी, 1953 :–

डॉ. मुखर्जी ने नेहरू जी के साथ सारहीन पत्राचार की अनुभूति होने के पश्चात शेख–अब्दुल्लाह को लिखा, ''यह बिलकुल भी सुरक्षित नहीं है कि कोई अपना रूख एक गंभीर (विचारनीय) राजनैतिक मुद्दे की ओर इस आधार पर तय करे कि भूतकाल में उसके विरोधी के साथ कैसे रिश्ते रहे हैं। आपने स्वयं की एक सांप्रदायिक पार्टी के नेता की भाँति शुरूआत की है और अभी तक यह अत्याधिक अनुचित ही होगा कि आपके वर्तमान लक्ष्यों को हम अलीगढ़ से लेकर पिछले अतीत काल के जीवन की पूर्ण शोध कर कोई आंकलन कर सकें। आप अभी तीन राष्ट्र वाले सिद्धांत को विकसित कर रहे हैं, जिसमें तीसरा शब्द कश्मीर होगा। यह खतरनाक लक्ष्ण हैं जो न ही आपकी रियासत के लिए और न हो पूरे भारत वर्ष के लिए सही है। मैं आपसे याचना करता हूँ कि झूठी प्रतिष्ण पर अड़िग न रहें बल्कि इस अंतिम चरण में भी इन विवादित मुद्दों पर प्रजा–परिषद् के नेताओं के साथ बातचीत को राजी हों।

### 15 फरवरी, 1953 :–

शेख–अब्दुल्ला द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर नेहरू जी का डॉ. मुखर्जी को जबाब, ''....जिन सिद्धांतों ने हमारा मार्गदर्शन किया है उन्हीं को मज़बूती से पकड़े रहते हुए और जिनका हमें अनुसरन किया है उन नीतियों के आधार पर सरकार अपनी शक्तियों के अनुसार प्रसन्नता से वह सब करेंगी जो वह कर सकती है ताकि जम्मू–व–कश्मीर रियासत में स्थिति शांतिपूर्ण और सामान्य हो सके। परंतु यह विरोध (आंदोलन) हमारी खोज/अनुरोध से नहीं हुआ है और पहला कार्य इस आंदोलन को वापस लेना ही होना चाहिए...''।

### 17 फरवरी 1953 :–

डॉ. मुखर्जी जी अभी तक नेहरू जी को पुनः–पुनः लिख रहे हैं, ''...संपूर्ण विषय को समझनें के पश्चात और सर्वप्रथम इस आंदोलन को पूर्णतयः वापिस लेने के आपके संकल्प पर ध्यान देने के पश्चात क्या मैं आपके ध्यान देने योग्य निम्नलिखित प्रक्रिया का सुझाव दे सकता हूँ:–

1) आंदोलन वापस लेना।

2) बंदीयों को रिहा करने का आदेश देना और कोई भी अत्याचार न हो यह सुनिश्चित करना।

3) शेख अब्दुल्लाह और आप मिलकर एक पखवाड़े के पश्चात सम्मेलन का आयोजन करें जिसमें खुले दिमाग से सभी राजनैतिक और संवैधानिक मसलों पर चर्चा की जाए।

4) दोनों पार्टियाँ यह दोहराएँ कि जम्मू–व–कश्मीर रियासत की एकता और अखंड़ता बरकरार रखी जाएगी और स्वायत्तता का सिद्धांत पूरे जम्मू प्रांत पर और बेशक लद्दाख और कश्मीर घाटी पर भी लागू होगा।

नया संविधान जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाए और 6 महीनों के भीतर चुनाव कराए जाएँ।

6) ध्वज का प्रशन स्पष्ट किया जाए और भारतीय ध्वज प्रतिदिन उसी प्रकार प्रयोग में लाया जाए जैसे भारत के अन्य भागों में किया जाता है।

7) अस्पष्ट रखे गए विवादों के सही ढ़ग से स्पष्ट हो जाने के पश्चात ही जम्मू–व–कश्मीर संवैधानिक सभा के अगले सत्र में जुलाई समझौता लागू किया जाए। मौलिक अधिकारों, नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, वित्तिय एकीकरण एवं चुनावों के संचालन के संबंध में भारतीय संविधान के प्रावधानों को लागू किया जाए। हालांकि भूमि–अधिग्रहण के मामलों में कुछ अपवाद हो सकते हैं। जाँच आयोग के संदर्भ में शर्तों को बढ़ाया जाए और सभी शिकायतों की जाँच इसी आयोग द्वारा की जाए।

9) आयोग में अभी चार व्यक्ति हैं जैसे मुख्य न्यायधीश, मुख्य लेखाकार, वनों के मुख्य संरक्षक और राजस्व आयुक्त। पिछले तीन सज्जन जम्मू–व–कश्मीर सरकार के अंर्तगत प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके होने से हमारे उत्साह में कोई वृद्धि नहीं होती है। जम्मू–कश्मीर के मुख्य न्यायधीश और भारत के दो न्यायधीशों के साथ आयोग का पुर्नगठन किया जाना चाहिए ताकि इसकी निष्पक्षता और प्रतिनिधित्वात्मक चरित्र पर कोई भी प्रश्नचिन्ह् ना लगा सके। विलय को अंतिम करार देने और अन्य राजनैतिक मसलों के संबंध में सम्मेलन में ही इन पहलुओं पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा और समझौते पर पहुँचने के प्रयास किए जाएँगे जो कि जम्मू–व–कश्मीर के साथ–साथ भारत के हितों के पक्ष में सबसे अच्छे साबित होंगे। नेहरू जी के उनके पत्र का उत्तर देने की कोई परेशानी नहीं की।

## 18 फरवरी, 1953:–

शेख–अब्दुल्लाह, डॉ. मुखर्जी को लिखते हैं, ....''मैं सीधे तोर पर यह कहना चाहूँगा कि प्रजा–परिषद् का वर्तमान नेतृत्व अपने लक्ष्य और उद्देश्य से बिघटनकारी और सांप्रदायीक है। परिणामस्वरूप हमारे लिए यह संभव ही नहीं होगा कि हम उनके साथ बैठक स्थल को सांझा कर सके। डॉ. मुखर्जी ने अंतिम प्रयास के रूप में शेख–अब्दुल्लाह को लिखने का निर्णय लिया।

## 23 फरवरी, 1953:–

डॉ. मुखर्जी शेख–अब्दुल्लाह को लिखते हैं, ...''मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि आप प्रजा–परिषद् के प्रतिनिधियों के साथ बात करने से भी इनकार कर रहे हैं। यदि आप एक विशेष राजनीतिक पार्टी को जो आपका विरोध कर रही है। उसे कुचलने को संकल्पबद्ध हैं और अन्य पद्धतियों के साथ–साथ बल प्रयोग भी कर रहे हैं तब तुम अपने आप को लोकतांत्रिक नेता नहीं कहला पाओंगे और तब तुम फांसीवादी नेता बन जाओंगे। परंतु फिर भी आपकी सफलता संदेहास्पद है क्योंकि ऐसे सभी मामलों में इतिहास गवाह है कि आंदोलन मिटते नहीं भूमिगत हो जाते हैं और अंततः बलवान तानाशाह यथार्थ स्वतंत्रता की लड़ाई हार जाता है।

## 5 मार्च 1953:–

''भारतीय जनसंघ'' ने संपूर्ण देश में जम्मू–व–कश्मीर दिवस मनाया। एक बार पुनः इसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इससे पूर्व भी भारतीय जनसंघ महासभा ने दिल्ली विधान सभा के लिए चार सीटों पर हुए उपचुनाव में कश्मीर अभियान के बल पर तीन सीटों पर कब्जा कर लिया था। नेहरू जी ने सर्वप्रथम जनसभाओं को प्रतिबंदित किया था। परंतु जनता के मूँड़ को भाँपते हुए 5 मार्च को दिल्ली में होने वाली बैठक से कुछ देर पूर्व प्रतिबंध को हटा लिया। जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शेख–अब्दुल्लाह की यातनाओं के शिकार (पीड़ितों) को राख रेलवे–स्टेशन से उठाकर लाते हुए जुलूस का नेतृत्त डॉ. मुखर्जी, एन.सी.चैटर्जी जी और नंद लाल शास्त्रीजी करेंगें।

## 6 मार्च 1953:–

डॉ. मुखर्जी और उसके सहकर्मी निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करते हुए

चाँदनी चौक में गिरफ्तार कर लिए गए जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों को तूल मिली और पार्टी के कश्मीर अभियान को दृढ़ता प्राप्त हुई।

## 11 मार्च, 1953:–

सांसद बाबू राम नारायण सिंह जी द्वारा "हैबियस–कार्पस" पैटिशन दायर करने के पश्चात डॉ. मुखर्जी और उनके सहयोगियों को रिहा कर दिया गया। डॉ. मुखर्जी ने विभिन्न राज्यों का दौरा करते हुए भारतीय जनसंघ के कश्मीर अभियान को लेकर उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने जम्मू–कश्मीर रियासत के अंदर बगैर किसी परमिट के दाखिल होने का निर्णय लिया।

## 8 मई, 1953:–

डॉ. मुखर्जी दिल्ली से जम्मू के लिए रेल पर बैठे। उनके साथ वैधगुरूदत्त, अटल बिहारी बाजपेई, टेक चंद और बलराज माधोक भी थे। उन्होंने प्रैस वक्तत्य में कहा कि, "जम्मू में लगभग 6 महीनों से सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है जिसमें 2500 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और तीस से अधिक सत्यग्रही पुलिस गोलीबारी में मारे जा चुके हैं।" दिल्ली और पंजाब में पिछले दो महीनों से भी अधिक समय से यह आंदोलन चल रहा है और इसमें 1700 सत्याग्रहियों से भी अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। देश के विभिन्न भागों से बहुत बड़ी संख्या में सत्याग्रही भारत देश की राजधानी दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं ताकि इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाया जा सके। तमाम सख्तियों के बावजूद भी जम्मू में लोग भय के समक्ष नतमस्तक नहीं हुए हैं और सत्तापक्ष के प्रचंड़ क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों का दमनचक्र लगातार बेरोकटोक जारी है...यह आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार से पहले परमिट लिए बगैर कोई भी रियासत में प्रवेश नहीं कर सकता...प्रवेश केवल उन्हीं लोगों के लिए निषेध है। जो भारतीय एकता और राष्ट्रवाद की शर्तों पर सोचते या कार्य करते हैं...मेरा जम्मू जाने का एक ही लक्ष्य है कि मैं यह पता लगा सकूँ कि वास्तविकता में वहाँ क्या हुआ था ओर वर्तमान में परिस्थितियाँ कैसी हैं।

## 11 मई, 1953:–

पठानकोट में डॉ. मुखर्जी को जिला आयुक्त गुरदासपुर द्वारा सूचित किया गया कि सरकार ने बिना परमिट के उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी है और ना ही कोई

सीमा तय की गई है कि वह अपने साथ कितने सहकर्मी ले जा सकते हैं। परंतु जिलाआयुक्त ने सुझाव दिया कि वह अपने साथ चुनिंदा लोगों को ही ले जाएँ। डॉ. मुखर्जी रावी पुल पर बनीं हुई माधोपुर चैक पोस्ट पर शाम चार बजे पहुँचे। जिस जीप में वह स्वयं और उनके अन्य सहकर्मी सवार थे उसे पुल के मध्य में कश्मीर पुलिस कर्मी द्वारा रोका गया और डॉ. मुखर्जी को रियासत के मुख्य सचिव का एक आदेश दिनांक मई 10, 1953 जिसमें उनके रियासत में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी, थमां दिया गया। जब डॉ. मुखर्जी ने जम्मू जाने की ज़िद की तो उन्हें रियासत के ''PSA'' के अंर्तगत गिरफ्तारी के आदेश दिनांक 11.05.1953 आई.जी. जे.के.पी. द्वारा जारी किए गए, जिसमें यह कहा गया था कि डॉ. मुखर्जी ने पब्लिक सेफ्टी और पीस को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से यह काम किया है, कर रहे हैं, और करने जा रहे हैं। डॉ. मुखर्जी अपनी जीप से वैधगुरूदत्त जी और टेक चंद जी के साथ नीचे उतर गए। उन्हें वहाँ से दूर ले जाने से पहले गिरफ्त में रखा गया। डॉ. मुखर्जी ने अपने सहकर्मियों को बताया कि जाओं और हमारे देशवासीयों को बताओं कि मैंने जम्मू–व–कश्मीर रियासत में प्रवेश कर लिया है, भले ही एक कैदी के रूप में।

### 12 मई 1953 :–

डॉ. मुखर्जी और उनके दो साथीयों को निशात बाग के समीप बनी एक छोटी सी झोंपड़ी, जिसे उप–जेल का नाम दिया गया था, में कैद कर रखा गया। इस उपजेल में कोई भी सुविधा नहीं थी, जहाँ तक कि एक टेलीफोन तक भी नही था।

### 13 मई 1953 :–

एन.सी. चैटर्जी जो कि एक जाने–माने कानूनी विशेषज्ञ थे, उन्होंने नेहरू जी से स्पष्टीकरण माँगा कि डॉ. मुखर्जी को गुरदासपुर के जिला उपायुक्त द्वारा आगे बढ़ने की स्वीकृति देने के पश्चात भी, कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। नेहरू जी ने साफ इंकार कर दिया कि जिला उपायुक्त डॉ. मुखर्जी से कभी मिले थे।

### 18 जून, 1953 :–

रिहाई सुनिश्चत करवाने के लिए कश्मीर उच्च न्यायालय में डॉ. मुखर्जी की बन्दी प्रतयक्षीकरण में बहस करने गए बैरिस्टर यू.एम. त्रिवेदी उनके साथ तीन घंटे तक मिले थे। उन्हें डॉ. मुखर्जी कमज़ोर और खिन्नतापूर्ण लगे। अगले दिन पंड़ित

प्रेम नाथ ड़ोगरा जी जिन्हें जम्मू से श्रीनगर ले जाया गया ताकि वह डॉ. मुखर्जी से मिल सकें उन्हें भी डॉ. मुखर्जी असहाय लगे।

## 19–20 जून, 1953:–

जून 19 की रात डॉ. मुखर्जी को तेज़ बुखार और छाती में तेज़ दर्द हुई। 20 जून को डॉ. अली मोहम्मद ने रोग का निरिक्षण करते हुए निदान कर बताया कि यह शुष्क पाशर्वशूल है और Streptomucene injection निर्धारित किया। बावजूद इसके कि डॉ. मुखर्जी ने उन्हें बता दिया था कि उनके पारिवारिक चिकित्सक ने उनहें इस दवा को ना लेने की सलाह दी है क्योंकि यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है वैधगुरूदत्त जी ने जेल के अधीक्षक से कहा कि डॉ. मुखर्जी की बिमारी के बारे में वह उनके रिश्तेदारों को सूचित कर दें। परंतु ऐसी कोई भी सूचना नहीं दी गई।

## 21 जून 1953 :

उप सहायक शल्य चिकित्सक जोकि जेल चिकित्सक भी थे ने सरसरी तौर पर जब डॉ मुखर्जी को देखने आए तब उनकी छाती में दर्द बहुत तेज़ हो चुकी थी और उनका बुखार बढ़ गया था। वह बिना उपचार रहे। वह पं० डोगरा जी के साथ बात भी नहीं कर पाए जोकि जम्मू से उनके पास ले जाए गए थे ताकि आंदोलन को समप्ति करने वाली सारी संभावनाओं पर बातचीन हो सके क्योंकि तब तक शेख अब्दुल्लाह को अपने साथियों के मतभेदों का सामना करना पड़ रहा था। बक्शी गुलाम महोम्मद प्रजा परिषद् के साथ समझौता चाहते थे।

## 22 जून, 1953 :

डॉ मुखर्जी को सुबह चार बजे गंभीर हृदय आघात हुआ। उनके शरीर का तापमान अचानक गिर गया और उन्हें पसीना आना शुरु हो गया और जेल अधीक्षक से प्रार्थना की गई कि वह डाक्टर को ले आएँ। डॉ अली मोहम्मद सुबह 7:30 बजे पहुँचे और उन्होंने डॉ मुखर्जी को सरकारी नर्सिंग होम में स्थानान्तरित करने को कहा। दो सहकैदियों ने उनके साथ जाना चाहा परंतु उन्हें अनुमति नहीं दी गई। डॉ मुखर्जी को अस्पताल स्थानान्तरित करने की अनुमति सुबह 11:30 बजे ली गई और उन्हें टैक्सी में ले जाया गया। अस्पताल 10 मील की दूरी पर था और उन्हें पहली मजिंल पर बने एक कमरे में रखा गया। त्रिवेदी उनके साथ शाम को 3:30 बजे मिले और उन्हें विश्वास था कि अगले दिन वह उनकी रिहाई के आदेश को सुनिश्चित

कर लेंगे।

## 23 जून 1953 :

सुबह 3:45 पर त्रिवेदी जी को होटल से ही उठा लिया गया। वैध गुरुदत्त जी और टेकचंद को उपजेल से उठा लिया गया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उन्हें बताया गया कि डॉ मुखर्जी का देहांत सुबह 3:40 पर हो चुका है। बाद में गवाहों ने यह दावा किया कि जब डॉ मुखर्जी पड़े हुए हॉफ रहे थे तब उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई।

केवल न्यायिक जाँच ही यह निश्चित कर सकती है कि उनकी मृत्यु हुई थी या उनकी हत्या कर दी गई थी। जाँच कभी भी नहीं की गई बावजूद इस तथ्य के कि डॉ मुखर्जी संसद में विपक्षी नेता थे और उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में श्रीनगर जेल में मृत्यु हो गई।

## अंतिम यात्रा

डॉ मुखर्जी ने अपनी मृत्यु में नेहरु जी से वह सब सुनिश्चित करवा लिया जो उन्हें जीवन काल के दौरान देने से हमेशा इंकार किया गया। देश भर में विरोध का तूफान उमड़ पड़ा और जनाक्रोश अपने शिखर पर था। नेहरु जी ने स्वयं को बड़ी तेजी से धर्म संकट में फँसता हुआ पाया। इतना ही नहीं सरकार में उनके सहकर्मी भी उनसे किनारा करने लगे। शेख अब्दुल्लाह भी इस दौरान अंतिम चाल के लिए तैयार हो चुके थे। अंततोगत्वा नेहरु जी के पास आगे अपने दोस्त के बचाव के लिए कुछ भी शेष नहीं रहा था। अगस्त 9, 1953 के दिन मंत्रीमंडल में अपने सहकर्मियों का भरोसा खोने के पश्चात, मना करने पर शेख अब्दुल्लाह को कार्यालय से बर्खास्त करके जेल भेज दिया गया। नेहरु जी को स्वीकार करना पड़ा कि शेख अब्दुल्लाह देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और राष्ट्र के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। प्रजा परिषद् की मांगे भी पूरी हो चुकी थी परंतु इस मोर्चे पर उनकी सफलता अधूरी ही रही। फिर भी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि शेख अब्दुल्लाह स्वतंत्र भारत को तोड़ने का अपना सपना पूरा नहीं कर पाए और नेहरु जी को अपने मित्र की सहायता करके

उसका सपना पूरा करने से रोक दिया।

भारत और जम्मू व कश्मीर रियासत के मध्य अवरोधकों का विध्वंस करने के लिए किए गए कठिन संघर्ष के परिणामस्वरुप अनेक उपलब्धियाँ सामने आई। इनमें निम्नलिखित उपलब्धियाँ सम्मिलित हैः—

1. उन सभी के लिए जो रियासत में प्रवेश करना या रुकना चाहते हैं उनके लिए परमिट (वीसा जैसी) व्यवस्था को दूर कर दिया गया और विलोमतः ऐसा ही निर्णय जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए किया गया।

2. वस्तुओं के आयात—निर्यात से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया।

3. वित्तीय एकीकरण व्यवस्था लागू कर दी गई जिससे पूँजी का बहाव तेज हो गया और भारत के नियंत्रक और महालेखा परिक्षक का क्षेत्राधिकार इस रियासत तक बढ़ा दिया गया।

4. सर्वोच्च न्यायलय के साथ—साथ भारतीय चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार रियासत पर स्थापित कर दिया गया। निर्वाचित संस्थाओं में निर्विरोध सफलता पाने का रिवाज़ समाप्त कर दिया गया। जैसा कि पहले किया जाता था जब अधिकतम सीटें हेराफेरी करके निर्विरोध जीत ली जाती थीं। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को निर्वाचित करनें के बजाए नामांकन करके भेजा जाता था।

5. भारत के अन्य राज्यों की भाँति इस रियासत में भी सदर—ए—रियासत के स्थान पर गवर्नर और प्रधानमंत्री के स्थान पर मुख्यमंत्री की परिभाशिक शब्दावली प्रयोग में लाई जाने लगी।

6. जम्मू व कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए भारत के अधिकतम कानूनों को रियासत पर लागू कर दिया गया।

7. प्रेस की स्वतंत्रता भी एक बड़ी उपलब्धि थी।

संदर्भ : गुप्ता, चमन लाल (2010), अनुच्छेद— 370 ए थाम आर्ट प्रिन्र्टज, जम्मू

# 1952–53 के विशाल सत्याग्रह आंदोलन का सार

## आख्यान :– पं० प्रेम नाथ डोगरा

# सत्याग्रह की पराकाष्ठा

**दिनांक 6–9–1953 को पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा जनरल काऊँसिल ऑफ ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर प्रजा परिषद् की बैठक में दिया गया अध्यक्षीय भाषण का संपूर्ण विषय–वस्तु जो कि निम्नलिखित है:–**

**प्रतिनिधि भाइयों,**

हम सब यहाँ एक वर्ष के उपरांत एकत्रित हुए हैं और इस बीच कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं। गत वर्ष 8 अगस्त को हम एक सम्मेलन में यहाँ पर मिले थे ताकि अलग मुखिया, अलग संविधान और अलग ध्वज के साथ जम्मू और कश्मीर रियासत को एक स्वतंत्र राज्य बनाने वाली नीतियों को रोकने के लिए भविष्य में क्रिया विधि की संपूर्ण रुपरेखा प्रस्तुत कर सकें। हमनें उस नीति के भयानक परिणामों को ओर ध्यान दिलाया था। भारत सरकार से अनुरोध किया था कि वह इस पर पूर्ण विराम लगाएँ, उस नीति के दुष्परिणाम राज्य और शेष भारत के लिए बड़े ही विनाशकारी होंगे।

उस अवसर पर हम बड़े सौभाग्यशाली थे कि हमारे साथ भारत माता के महान, साहसी और श्रेष्ठ सपूत भी थे जिन्होंने हमारी खातिर अपनी जान की कुर्बानी देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और जिसकी उन्हें दूरदृष्टि भी थी कि यही भारत की एकता का कारण बनेगी। हम यह चाहते हैं कि वह आज भी हमारे बीच हों और हमारे विचार–विमर्श में हमारा मार्ग दर्शन करें। हमारे ह्रदय दुःख से भर चुके हैं परंतु हमे उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना आवश्यक है और यही हमारी और हमारी ओंर से उन महान शहीद को एकमात्र सच्ची श्रद्धांजलि होगी। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस अवसर पर हमें संयम बरते की सलाह दी थी और वादा किया था कि वह अपने कार्यालय और रुतबे का प्रयोग करते हुए भारत सरकार को कश्मीर मसले पर उनकी नीतियों के खतरनाक परिणाम दिखाने की चेष्ठा करेंगे। उन्होनें वीरतापूर्वक और निरंतर प्रयास किए। हमनें भी आगे प्रयास किए कि दिल्ली मे स्थित शक्तियों के कान पकड सकें। हमनें उनसे प्रार्थना की कि वह कम से कम हमारी सुनवाई तो करें। परंतु वह अपनू पूर्वाग्रहों से ऊपर नहीं उठ सके और उन्हें हमारे साथ बुरा बर्ताव करने की सलाह दी गई।

उनके हमवतनों का और देशवासियों का कौन उपचार करता? जिनकी स्थिति राजनैतिक अछूतों से भी बदतर थी। उन परिस्थितियों में हम आत्म बलिदान के पथ

पर आश्रय लेने के लिए मजबूर कर दिए गए। आत्म बलिदान शांतिपूर्वक एवं अहिंसात्मक सत्याग्रह के माध्यम से किया गया ताकि भारत की जनता भारत सरकार के साथ–साथ जम्मू कश्मीर सरकार के अंतःकरण को पूर्णतय प्रयोग करते हुए शेख अब्दुल्लाह की निरंकुश प्रथकतावादी नीतियों के हानिकारक परिणामों के बारे में सबको सतर्क किया जा सके। जिससे उन सबको यह समझाया जा सके कि भारत की एकता और रियासत के लोगों के विस्तृत हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियों को बदलना आवश्यक है।

## सत्याग्रह

हमारा सत्याग्रह जो 17 नवम्बर, 1952 को आरंभ हुआ था, बिना किसी रुकावट के निरंतर 7 जुलाई, 1953 तक चलता रहा, (जब इसे वापिस लिया गया)। इन आठ महीनों के दौरान भारत सरकार की मदद से कश्मीर सरकार द्वारा प्रतिबंध, रोक, दमन के सभी भयंकर यंत्र हमारे विरुद्ध खुले छोड़ दिए गए ताकि हमें दबाया जा सके। हमारे विरूद्ध रियासत के भीतर और बाहर अत्याधिक संक्रामक और विशाक्त दुष्प्रचार अभियान प्रारंभ कर दिया गया। इस गंभीर उत्तेजनात्मक घड़ी मे जम्मू की जनता द्वारा दिखाए गए साहस, सहिष्णुता और सर्वोपरि अपने अभियान के साथ न्याय होने के विश्वास ने अवरोधक का कार्य किया जिससे हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर सके। इससे हमने दोनों सरकारों की समृद्धि के लिए कार्य किया। उनके द्वारा चलाई गई गोलियाँ, लाठीयाँ, गैस के गोले और उनके द्वारा महिलाओं के विरुद्ध चलाया गया लूटपाट, छेड़छाड़, अपमानित करने वाला व्यवस्थित अभियान और अत्यंत क्रूरता पूर्वक माध्यमों से आम जनता को अपमानित करना, हम सबके लिए एक शक्ति का स्रोत बन गया। अंततोगत्वा अत्याचारियों को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। हमें डराने, धमकाने से असफल होने के पश्चात हमारे अभियान, जिसके लिए हमने आंदोलन किया, को प्रमाणिकता एवं एक स्वीकृत समर्थन प्राप्त हो गया।

## शहीदों को श्रद्धांजलि:–

मैं इस अवसर पर आप सभी की ओर से और स्वयं अपनी ओर से उन सभी शहीदों और आंदोलन कारियों को जिन्होंने जाने अनजाने में अज्ञात लोगों को प्रतिक्रिया दी श्रद्धापूर्वक और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इन्होंने प्रजा परिषद् के आवहान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सभी प्रकार की यातनाएँ सहन की और अपने जीवन की बलि चढ़ा दी। उनके द्वारा दिए गए बलिदान और सहन किए गए

अत्याचार व्यर्थ नहीं गए हैं। उन्होंने हमारे लोगों में नई जान फूँकी है और नया उत्साह उत्पन्न किया है। उन्होंने हमारे अपने घर, इस रियासत को भारत का अभिन्न अंग बनाते हुए हमारे अस्तित्व को स्वतंत्र और माननीय लोगों जैसा आश्वस्त कर दिया।

## भारत के लोगों का धन्यवाद:–

हमारे संघर्ष, जो की अंततः विश्लेषण में भारत की एकता के लिए किया गया संघर्ष था, इसमें भारत के लोगों द्वारा निभाई गई भूमिका समान रुप से शानदार है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद् ने अपना–अपना प्रभावशाली समर्थन दिया। उन्होंनें हमारे आंदोलन को अपना बना लिया, हमारी पीड़ा और कष्टों को आपस में बांट लिया और इस प्रकार से यह सद्धि कर दिया कि भारत की एकता भारत के लोगों के लिए उनके दिलों ने पल रहा एक जीवित विश्वास है। यहाँ तक की वह लोग जिन्होंने सीधे तौर पर हमारी सहायता नहीं की उनकी संवेदनाएँ भी हमारे साथ थीं। सही मायने में यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि भारत के कांग्रेसी शासकों द्वारा हमारे साथ अपनाई गई नीतियों के संदर्भ में अलग–थलग पड़ गई। देश हमारे साथ था और डॉ मुखर्जी ने हमारे एक महत्वपूर्ण आंदोलन को अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपना महानतम बलिदान दे दिया।

मैं रियासत के लोगों की आरे से इस रियासत के बाहर रह रहे देशवासियों का धन्यवाद करने का यह अवसर लेता हूँ जिन्होंने हमारे प्रति गहरी, निरंतर, सहानुभूति और रुचि रखी।

## हमारे कदमों को दोषमुक्त किया गया:–

दोनों सरकारों के साथ–साथ उन लोगों द्वारा जिन्होंने सत्ताधारियों से सुराग लेते हुए हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार किया, उनका यह ढोंग आजपूर्ण रुप से अनावृत हो चुका है। घटनाक्रम यह सिद्ध कर चुका है कि हम सब सही थे और उनके द्वारा की गई आलोचना गलत सूचना पर आधारित थी या उनका आंकलन पार्टी की भावना और पूर्वाग्रहों से घिरा हुआ था। पुरानें सीमा शुल्क को समाप्त करने, सर्वोच्च न्यायलय का संरक्षण इत्यादि हमारी माँगे जम्मू के साथ कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छी थीं। वास्तविकता में प्रजा–परिषद् द्वारा वित्तिय और अन्य सुधारों की माँगों के

परिणामस्वरुप कश्मीर के लोगों को जम्मू के लोगों की अपेक्षा कश्मीर के लोगों को अधिक फायदा होना है। बज़ीर कमेटी जिसमें मुख्यतः सरकारी कर्मचारी (अधिकारी) ही थे और इसी बजह से जिस पर प्रजा–परिषद् के लिए पक्षापात करनें की शंका नहीं की जा सकती थी उसने अपनीं रिपोर्ट में मज़बूती से प्रजा परिषद् के भूमि–सुधार संबंधी और अन्य वित्तिय मामलों संबंधी, के दृष्टिकोण की मज़बूती से पुष्टि की है। यह अत्यंत लज्जापूर्ण है कि आजतक इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया परंतु हमारे आंदोलन की वास्तविक सफलता इस तथ्य में है कि भारत–सरकार के साथ–साथ कश्मीर पर शासन करने वाले समूह के अधिकांश लोगों नें अंततः शेख–अब्दुल्लाह की अलगाववादी नीतियों और रात्य मे सत्ताधारी पार्टी के आंतरिक मामलों से उत्पन्न होने वाले खतरों को महसूस किया। परंतु अभी तक वास्तविकता यही है कि उसे केवल उन्हीं अधारों पर बर्खास्त किया गया जिनके लिए प्रजा–परिषद् उनका विरोध करती थी। परंतु जहाँ तक हमारे आंदोलन का प्रश्न है हमें भय है कि वो कश्मीर के लोगों के साथ–साथ पूरे देश के लोगों को धोखे में रखना जारी रखेगें और विदेशी शक्तियों से मिलकर अपनें षड़यंत्रों में सफल हो सकता है। किसी भी आंदोलन के आधार की पुष्टि निश्चित नहीं हो सकती जितनी के हमारे आंदोलन की कश्मीर में हुई। इसका आंकलन वर्तमान घटनाक्रम को देखकर लगाया जा सकता है।

## सरकार का परिवर्तनः–

जहाँ तक प्रजा–परिषद् का प्रशन है सरकार में परिवर्तन होना कोई अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। गुलाम मोहम्मद और उसके मंत्रिमंडल के दो सहकर्मी पहले ही अब्दुल्लाह सरकार के सदस्य रह चुके हैं। वह भी अपनीं–अपनीं राष्ट्रविरोधी नीतियों की ज्वाला को साँघ करेंगे। वह यह कहकर अपना बचाब नहीं कर सकते कि उन्हें सुना नहीं गया और शेख अब्दुल्लाह तानाशाह बन गया। जब जम्मू के लोगों पर अमानवीय अत्याचार और दमनचक्र चल रहा था तो शेख अब्दुल्लाह सरकार में जम्मू के तथाकथित प्रतिनिधि क्या कर रहे थे? उन्होंने हमारे महान नेता डॉ॰ मुखर्जी को बचाने के लिए क्या किया, जिनका जीवन एक राष्ट्र संपत्ति की भांति था, जो उनके हाथ में थी। उनमें से एक ने शेख–अब्दुल्लाह का बचाव करनें की कोशिश करते हुए वक्तव्य जारी किया जिसमें डॉ॰ मुखर्जी की मृत्यु के बारे में गलत तथ्य दिए गए थे।

## आनंदोत्सव का कोई भी कारण नहीं

इस परिवर्तन पर हमारे उल्लास का कोई प्रश्न नहीं उठता। व्यक्तिगत तौर पर शेख अब्दुल्लाह से हमें कोई शिकायत या रंजिश नहीं थी। हम तो केवल उनकी नीतियों के विरूद्ध थे, जिन्हें अभी सभी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जो संपूर्ण रियासत के लिए अनर्थकारी सिद्ध हो चुकी है। हमारा नयी सरकार के प्रति रूख इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नीतियां कैसी है। यदि यह ईमानदारी से असंख्य लोगों के उत्थान के लिए कार्य करती है और शेख अब्दुल्लाह सरकार द्वारा जम्मू व कश्मीर के लोगों और भारत के अन्य भागों में रहने वाले लोगों के मध्य उत्पन्न की गई गहरी खाई को पाटनें का प्रयास करती है तो हम इसे अपना भरपूर सहयोग देंगे। इतना ही नहीं हमने तो शेख अब्दुल्लाह का भी अपना पूर्ण सहयोग देने की बात की थी जब उसने रियासत का प्रशासन संभाला था। परंतु उसने स्वीकार करने से इंकार कर दिया। स्थितियां आज पूरी तरह से शांत होती यदि शेख अब्दुल्लाह उन लोगों की बात पर गौर करते जो उनके साथ सहमत नहीं थे।

मैं आशा करता हूँ कि इस संदर्भ में बख्शी गुलाम मोहम्मद शेख अब्दुल्लाह के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करेंगे। निःसंदेह इन्होंने शुरूआत अच्छी की है परंतु शेख अब्दुल्ला ने भी ऐसा ही किया था। अब यह उन पर है कि अपने कार्यों द्वारा वह किस प्रकार यह सिद्ध कर पाते हैं कि वह एक अलग व्यक्ति हैं। आओ हम सब मिलकर यह आशा करें कि वह ऐसा कर पाएँगे और ऐसी स्थिति में उन्हें प्रतीत होगा कि हम उनके अच्छे साथी हैं।

## हमारा सहयोग

फिर भी हमारा सहयोग समानता पर आधारित होगा ना कि एक नौकर और मालिक की भांति। हम चाहते है कि जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने–अपने कंधों पर आन पड़ी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शांतिपूर्वक रहें और समृद्धि को प्राप्त हों। हम चाहते हैं कि रियासत के विभिन्न भाग आपसकी विश्वास और स्वतंत्रता के बंधनों में एक होकर बंधे रहें। एक भाग का दूसरे भाग पर कोई भी प्रभुत्व ना रहे ताकि पूरी रियासत भारत (हम सब की एकमात्र मातृभुति) के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़ें।

## विलय और जनमत संग्रह

जहाँ तक रियासत के भविष्य में सहबद्धता का मूलभूत प्रश्न संबंधित है तो इस विषय में प्रजा–परिषद् ने अपना रूख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। हम यह समझते हैं कि जम्मू व कश्मीर की रियासत का भारत के साथ विलय अंतिम और अपरिर्वतनीय है। यहाँ एकजुटता के दर्जे में मतभेद हो सकते हैं, परंतु हम ऐसा नहीं मानते कि रियासत का कोई भी वफादार नागरिक कभी विलय के तथ्य पर कोई प्रश्न उठाएगा।

## हानिकारक और अनुचित

रियासत के भविष्य को निर्धारित करने के लिए जनमत संग्रह की बात क्यों ध्यान में लाई जाए। ऐसा कहना भी पूर्णतयः हानिकारक और अनुचित है। सदियों से जम्मू व कश्मीर रियासत भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग रही है। महाराजा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते ही कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से यह भारत का अभिन्न अंग बन गई। पिछले छ वर्षों के दौरान रियासत को पाकिस्तानी आक्रमण से बचाने के लिए रियासत के लोगों द्वारा झेली जा रही परेशानियों ने वर्षों पुराने हमारे भारत के साथ संबंधों को अपने लहु से पक्का कर दिया। भारत के महान सपूत द्वारा दिया गया, सर्वोच्च बलिदान इन संबंधों को पुनः मजबूत करता है। हमारे लिए आज किसी भी बात को भाँपना असंभव है जो वर्षों पुराने इन संबंधों को निर्बल करने वाली होगी। हम दृढ़संकल्पी हैं और भारत माता के इस अविभाजित भाग में रहना चाहते हैं और कोई भी ताकत हमें हमारे निश्चय से मोड़ नहीं सकती।

चाहे जनमत संग्रह हो या न हो हम अंतिम व्यक्ति तक भारत से काटने वाले किसी भी प्रयास का विरोध करते रहेंगे।

## पाकिस्तान को ''सुने जाने का अधिकार'' नहीं है।

हम पाकिस्तान के द्वारा किए जारहे जनमतसंग्रह के आग्रह को समझ नहीं पा रहे हैं। सर्वप्रथम पाकिस्तान का कोई भी हक नहीं बनता कि वो भारत और रियासत के अंदरूनी मसलों पर हस्तक्षेप करे। भारत सरकार द्वारा रियासत के लोगों को यह प्रस्ताव दे दिया गया है कि जाँच कर पता लगाया जाए कि वह किसके साथ रहना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान जनमतसंग्रह के बारे में बात नहीं कर

सकता क्योंकि यह शांति का आवश्यक पथ है और जब तक वह रियासत के एक तिहाई हिस्से पर जबरन कब्जा किए हुए है और जब तक उसके रेड़ियों और प्रेस ज़िहाद का राग अलाप रहे हैं तब तक जनमतसंग्रह की बात करना बेमानी है। उसे यह समझना होगा कि युद्ध की पुकार और जनमत एक साथ नहीं चल सकते। उसे यह निर्णय करना होगा कि उसे क्या चाहिए। 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान जो लोग पाकिस्तान को पहले ही समझ चुके हैं और पाकिस्तानी शब्द के अर्थ को चख चुके हैं, उन लोगों को धमकियाँ देकर यदि पाकिस्तान उनकी हिम्मत पस्त करना चाहता है तो यह उसकी भारी भूल होगी। इसके अतिरिक्त यदि पाकिस्तान को रियासत में जनमतसंग्रह करने की अनुमति दे दी जाती है तो इससे रियासत में धार्मिक उन्माद पैदा होगा जोकि आज की तारीख में पाकिस्तान का प्रमाण–चिन्ह् बन चुका है। भारत और रियासत के लोग कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि रियासत के राजनैतिक ढाँचे में पुनः धार्मिक कट्टरता का जहर भर दिया जाए। इसलिए हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जनमतसंग्रह से संबंधित कोई भी समझौता करके उसका दुःस्साहस ना बढ़ाएँ। रियासत के लोग यह नहीं चाहते क्योंकि वह समझ चुके है कि इससे कोई महत्वपूर्ण उद्देश्य हल नहीं होगा और केवल रियासत की शांति दृषित एवं नष्ट होगी। प्रजा–परिषद् इसका कोई भी हिस्सा नहीं हो सकती।

## सर्तकता की आवश्यकता

हम यह भी चाहते हैं कि सरकार रियासत की उन्नती के बारे में अधिक सतर्क हो। यह अब्दुल्लाह सरकार की नीतियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। जिनके कारण रियासत का अस्तित्व ही खतरे में है। सरकार को तत्काल कार्रवाई करते हुए घाटी में विदेशी कारकों के षड़यंत्रों और गुप्त योजनाओं पर रोक लगानी चाहिए।

## शरणार्थियों को पुनः प्रतिष्ठित करना

रियासत के पाकिस्तान अधिकृत हिस्से से आए हुए शरणार्थियों की दुर्दशा सरकार से तत्काल विचार की मांग करती है। उनमें से अधिकांश देश के अन्य भागों में भटक रहे हैं। वह सब रियासत में वापस आने के इच्छुक हैं। जो रियासत में हैं अभी तक पुनः प्रतिष्ठित नहीं किए गए हैं। पहली सरकार इनकी ओर बड़ी क्रूर रही हैं हम उम्मीद करते हैं कि बख्शी सरकार इन्हें बसाने के लिए तत्काल कदम

उठाएगी ताकि इनके दुखों का अंतक हो सके।

## हमारा कर्तव्य

यद्यपि यह हमारा कर्तव्य है कि सरकार पर दबाव बनाया जाए कि वह लोगों के हालात सुधारने के लिए कदम उठाएँ। इस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं। गत छह वर्षों के दौरान प्रजा–परिषद् ने अस्तित्व में आने के पश्चात लोगों की आवाज सत्ता में बैठे हुए लोगों और अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए कितनी ही बार सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा है। यह निरंतर संघर्ष या संघर्ष की तैयारी का समय रहा है। हमारे लोगों ने इस अवधि के दौरान बहुत कुछ सहा है।

उनमें से अधिकतर संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। वे हमारी प्रथम निष्ठा के योग्य हैं। हमें दमन और कठिनाई की घटनाओं की पूछताछ के लिए एक समिति बनानी चाहिए। इसे घटना स्थल पर जाकर सबूत एकत्रित करके परिषद् को रिपोर्ट सौंपनी होगी। उनकी सहायता के लिए हमें, जितना भी हम कर सकें, हमें करना होगा। मैं आशा करता हूँ कि कश्मीर सरकार तत्काल कदम उठाते हुए क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करेगी। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए कम से कम इतना तो कर सकती है। यह भी आवश्यक है कि रियासत में सद्भावना और सौहार्द का सृजन करने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाए।

## डॉ. मुखर्जी स्मारक

यह भी हमारा कर्तव्य बनता है कि जिन्होंने हमारे कारण अपने जीवन की बलि चढ़ा दी उनकी याद को बनाए रखने के लिए कुछ किया जाए। उनमें से एक महान थे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह हमारा कर्तव्य बनता है कि अन्य सभी शहीदों के साथ–साथ डॉ. मुखर्जी का उपयुक्त एवं उचित स्कारक बनाया जाए। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और स्मारक बनाने हेतु पैसा एकत्रित करने के लिए हमें ''डॉ. मुखर्जी मैमोरियल और जम्मू मार्टियर्स मैमोरियल कमेटी'' बनानी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि रियासत के सभी लोग उदारतापूर्वक स्मारक बनाने के लिए चंदा देने में योगदान करेंगे।

## डॉ. मुखर्जी की मृत्यु की जाँच पड़ताल

यह गहन पीड़ा का विषय है कि डॉ. मुखर्जी की मृत्यु के समय की परिस्थितियां

आज तक रहस्य से ढ़की पड़ी हैं और उस तरफ अग्रसर सभी घटनाओं पर गंभीर संदेह व्यक्त किए गए हैं। हम अपनी इस मांग को पुनः दोहराना चाहते हैं जोकि भारत के 370 मिलियन लोगों की भी मांग है कि सरकार को निष्पक्ष आयोग गठित करना चाहिए। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सम्मिलित हो और जो इस विषय पर निष्पक्षता से जाँच कर सकें। अन्यथा सारे संदेह विश्वास में परिवर्तित हो जाएँगे जो सरकार के हित में नहीं होगा और इस देश में लोकतंत्र की नींव को हिला देगा।

## व्यवस्थापन संबंधी संरचना को पूरा करना

हमें व्यवस्थापन कार्य की ओर भी अपना ध्यान देना होगा। संस्थापन का एक प्रारूप आपके समक्ष रखा जा रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे पारित करेंगे। यह हमारा कर्तव्य होगा कि हम ग्रामीण क्षेत्र (देहात) में इसे यथासंभव कम से कम समय में संस्थापन के आधार पर संगठित करें। इस विषय से संबंधित एक समय सारिणी शीघ्रादिशीघ्र घोषित की जाएगी। प्रजा–परिषद् जन–साधारण और कार्यकर्ताओं का एक संगठन है और इसे समाज के प्रत्येक वर्ग का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। यह अब हम सब पर है कि इस सर्वभौमिक समर्थन को किस प्रकार काम में लाया जाए। और स्वयं को स्थायी आधार देते हुए संगठन के कार्य में गति लाई जाए और इसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में ले जाया जाए।

## तिगुना रचनात्मक कार्यक्रम

उसी समय हमें रचनात्मक गतिविधियों की ओर रूख करना होगा। आज तक हमारी ऊर्जा और ध्यान मुख्यतः संघर्ष पर ही केंदित था। संघर्ष के अपने लाभ थे। लोगों में जागरूकता पैदा करने के साथ–साथ इसने अग्र स्थान वाले लोगों को जो जन–सेवक बन सकते हैं और जो राजनेता के रूप में योग्यता रखते हैं और जो उनके उद्देश्य को सफलता की ओर ले जा सकते हैं को सामने लाया। परंतु अब हमें इस संघर्ष से कुछ विराम प्राप्त हुआ है। हमें अपना ध्यान एक महत्त्वपूर्ण कार्य ''आंतरिक पुनर्निमाण'' की ओर लगाना चाहिए। इसमें बड़ा क्षेत्र और गुँजाइश है। हमारे लोग पिछडे और तिरस्कृत हैं। उन्हें हमारी मदद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। रचनात्मक कार्य कई प्रकार से हो सकता है। मैं आपको निम्मलिखित ''तिगुणी कार्यक्रम'' की सलाह देता हूँ जिस पर आप ध्यान दे सकते हैं :–

1. हमारी धरती गाँवों की धरती है। गाँव ही हमारे लोगों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र है। लोगों के जीवन में कोई भी सुधार नहीं हो सकता जब तक गाँव तिरस्कृत रहते हैं और साथ ही साथ पढ़े–लिखे लोग गाँव से कस्बों या शहरों की ओर चलते हैं। मैं आपको गाँवों के जीवन में सुधार लाने की सलाह देता हूँ। लिंक रोड या संपर्क मार्ग बनाकर, ग्रामीण गलियों की योजना और अस्तर करके, विद्यालय और अध्ययन कक्ष खोलकर एवं अपने हाथों में ऐसे कार्य लेकर जो स्थानीय लोगों की मदद से पूरे किए जा सकते हैं तो हम गाँवों में भी सुधार ला सकते हैं।

अधिकतम गाँवों में सेवानिवृत लोगों के परिवार रहते हैं। उनका अनुभव गाँवों में जीवन को सुधारने के काम आ सकता है। जहाँ कही संभव हो गाँवों में कुटीर उद्योग खोले जाएँ।

2. हमारे अधिकतम लोग अनपढ़ और सेहत को लेकर नियमों के बारे में बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं जिससे कि सेहत तेजी से गिर रही है। प्रजा–परिषद् कार्यकर्ता लोगों को प्रारीक्षित करने के काम आ सकते हैं विशेषकर सेहत संबंधी विषयों में। शराब पीने के बढ़ते प्रचलन को रोकने के लिए भी कुछ करना चाहिए।

3. यद्यपि जातपात और बिरादरी की बुराईयाँ बहुत हद तक कम कर दी गई हैं और जम्मू के लोग एक व्यक्ति की भांति परिषद् के नेतृत्व में काम कर रहे हैं।

फिर भी अभी तक और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है ताकि समाज में संसक्ति आ सके। हमें हमारे समाज के पिछड़े वर्ग के प्रति भी ध्यान देने की आवश्यकता हैं और उनके भीतर आत्मविश्वास और शेष समुदायों के साथ अपने व्यवहार से अपनापन जगाने की भी आवश्यकता है। मुस्लिम भाईयों की ओर भी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। जिन्हें यह विश्वास कराया जाना चाहिए कि वह भी हम में से ही एक हैं। रियासत के मुस्लिमों का रक्त और सांस्कृतिक धरोहर हिंदुओं के समान एक ही हैं। यह परिषद् कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि उनके ह्रदयों में उसी धरोहर (विरासत) का प्यार फिर से सुलगा दें और हमारी एक ही मात्र भूमि के संबंध में भी प्रेम जगाएँ उनके साथ सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर।

हमारे नये प्रधान बख्शी गुलाम मोहम्मद के भाषणों ने भी लोगों के मस्तिष्क में आशा की किरण जागृत कर दी है। वे रियासत की वास्तविक समस्या के लिए

अंर्तदृष्टि रखते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि उत्पन्न की गई आशाएँ जल्द ही पूरी की जाएँ। मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि उन्होंने पहले ही सही दिशा में कुछ कदम उठा लिए हैं। परंतु फिर भी बहुत कुछ करना अभी बाकी है। मैं यह विश्वास करता हूँ कि इस संदर्भ में यह उत्साह निरंतर जारी रहेगा। जब तक रियासत के लोगों को आर्थिक रूप से पुनः प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता।

## लक्ष्य, जो अभी तक पूरा करना बाकी है

परंतु हमारे लिए रियासत का भारत के साथ पूर्ण एकीकरण अभी भी एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले ही कुछ सफलता प्राप्त कर चुके हैं। परंतु कुछ करना अभी भी शेष है। उसके लिए हमें सतर्क और सक्रिय रहना होगा। मैं आशा करता हूँ कि रियासत सरकार इस प्रश्न पर अभी तक लोगों की भावनाओं की प्रबलता को समझ चुकी होगी और यह भारत के साथ रियासत के आर्थिक (वित्तीय) एकीकरण के संदर्भ में शीघ्र ही कोई कदम उठाएगी। शेष भारत के साथ पंजीकृत अन्य राज्यों की भांति ही रियासत के उनके समकक्ष स्थान दिलाने हेतु जो भी आवश्यक होगा करेगी या अन्य राज्यों की भांति केंद्र से वे सारे लाभ मांग सकने की हकदार होगी जो अन्य राज्य केंद्र से प्राप्त करते हैं और जिसके बगैर रियासत के संसाधनों को विकसित करना संभव ही नहीं होगा और यह अपने लोगों की आर्थिक स्थिति को सिद्ध नहीं कर पाएगी।
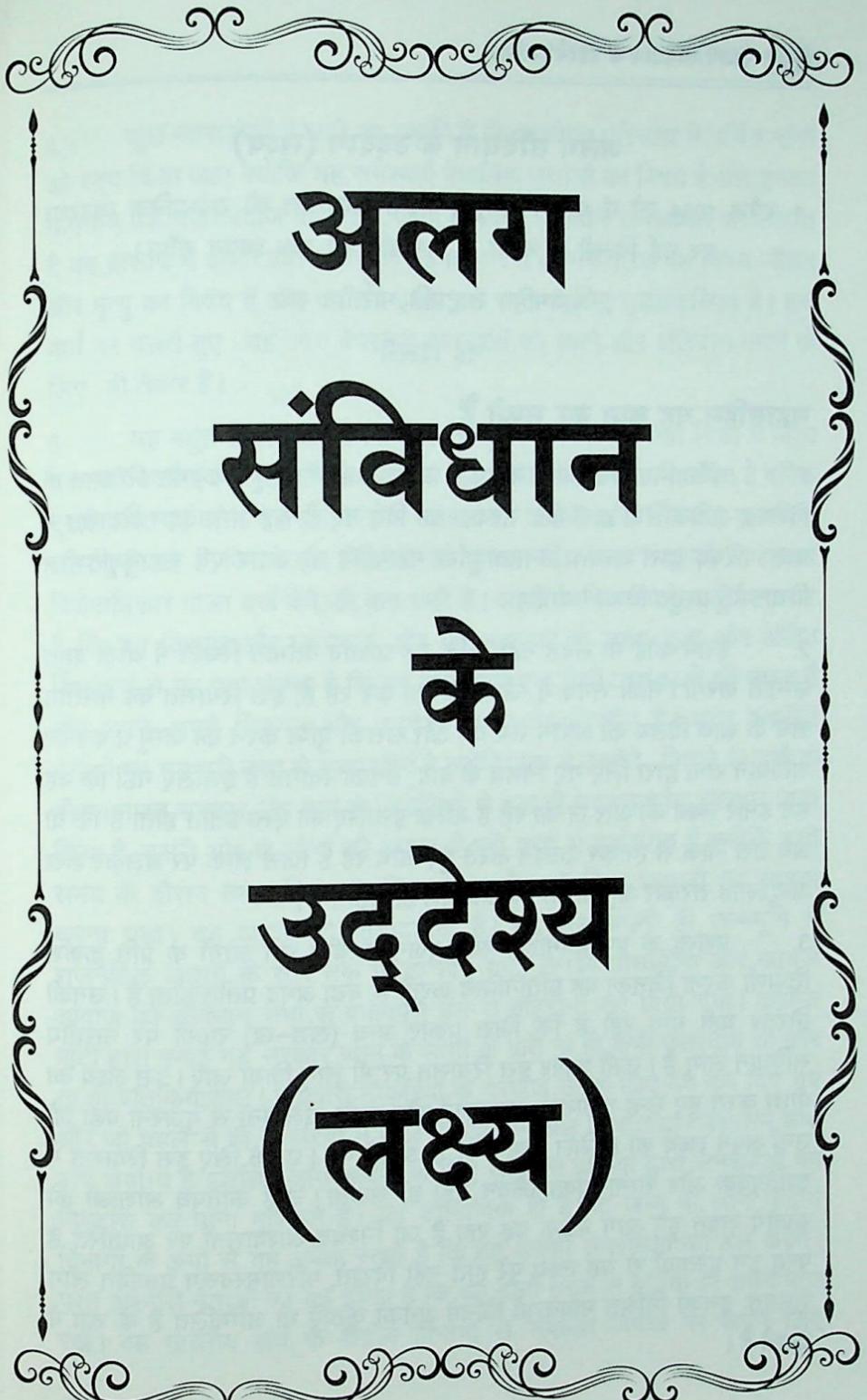
# अलग संविधान के उद्देश्य (लक्ष्य)

# अलग संविधान के उद्देश्य (लक्ष्य)

1 अप्रैल 1954 को पं. जी ने जम्मू व कश्मीर रियासत की संवैधानिक व्यवस्था पर नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा।

महामहिम राष्ट्रपति भारतीय संघ

नई दिल्ली

## महामहिम यह कृपा कर सकते हैं,

1. संवैधानिक प्रस्तावों के संदर्भ में जो हाल ही में जम्मू व कश्मीर रियासत के विशेषज्ञ अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए हैं, यह अभ्यावेदन रियासत में प्रजा परिषद् द्वारा अत्यंत विनम्रतापूर्वक महामहिम के उदार एवं सहानुभूतिशील विचार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यह प्रस्ताव वर्तमान स्थिति में थोड़ी बहुत उन्नति करेगा। भावी समय में, जैसा कि वह कर रहे है, इस रियासत का भारतीय संघ के साथ विलय को अंतिम रूप देने और उसकी पुष्टि करने का जम्मू व कश्मीर संविधान सभा द्वारा लिए गए निर्णय के बाद, उनका स्वागत है इसलिए नहीं कि वह हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं बल्कि इसलिए की ऐसा प्रतीत होता है कि वो अब उस लीक से हटकर कल्पन करते हुऐ सोच रहें हैं जिस लीक पर चलकर शेख अब्दुल्लाह सरकार अनुप्राणित एवं जोशपूर्ण हो उठती है।

3. प्रशंसा के इस सामूहिक स्वर गुंजन के बीच उन लोगों के प्रति कर्कश टिप्पणी करना जिनका वह प्रतिनिधित्व करती है, बड़ा अभद्र प्रतीत होता है। उनकी निरंतर यही मांग रही है कि जिस प्रकार अन्य (खंड–ख) राज्यों पर भारतीय संविधान लागू है। उसी प्रकार इस रियासत पर भी लागू किया जाए। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्हें कठोरतम यातनाओं और महान बलिदानों से गुजरना पड़ा जो उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल किए बगैर ही झेलने पड़े। उनके लिए इस रियासत में शांतिपूर्वक और सम्मानयुक्त जीवन नहीं हो सकता। उन्हें कतिपय आशाओं को संजोये रखते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है जो निश्चत आश्वासनों पर आधारित है परंतु इन प्रस्तावों से यह लक्ष्य पूरे होते नही दिखते, परिणामस्वरूप प्रभावित लोग समग्रतः इनको मिश्रित भावनाओं जिनमें अनेकों कुंठाएँ भी सम्मिलित है के रूप में देखते है।

4. कुछ खास क्षेत्रों में जहाँ यह प्रकृति है कि उपरोक्त परिच्छेद में वर्णित मांगों को रद्द किया जाए क्योंकि यह समस्याएँ वैधानिक चर्चाओं का विषय है और इनका माननीय पक्ष नजरअंदाज कर दिया जाता है। परंतु जिन्होंने समस्याओं को उठाया है वह वास्तव में इनके प्रति गंभीर और ईमानदार हैं। उनके लिए यह विषय जीवन और मृत्यु का विषय है और वह सब इसमें डटे रहने के लिए दृढ़संकल्पित है। इस मार्ग पर चलते हुए यह लोग बेपरवाह यातनाओं को सहने और बलिदान करने के लिए भी तैयार हैं।

5. यह बहुत ही दयनीय है कि केंद्र सरकार ने आज तक सही दिशा में जाँच तक नहीं करवाई कि यह मांग क्यों की जा रही है और यह कहाँ तक उचित है बल्कि दूसरी ओर यह लोग नेशनल कांफ्रेंस नेताओं की विरोधी मांगों की ओर अत्यधिक उत्तरदायी रहे हैं जिनमें इस रियासत को अन्य "खंड – ख" राज्यों से हटकर विशेषाधिकार वाला दर्ज देने की बात कही है। आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यह विस्तृत और जागरूक और केंद्र सरकार के समय हुआ और अंतिम विश्लेषण से यह पता चलता है कि यह दोनों मांगें एक जैसी आशंकाओं की उपज हैं और अपने–अपने निरूपन और उद्देश्य में एकदम विपरीत हैं। परंतु कश्मीरी नेताओं का भय पूरी तरह से आधारहीन है क्योंकि सच में उन्होंने पिछले छः वर्षो के दौरान भारत सरकार और यहां के निवासियों से बड़ा ही उदारतापूर्वक व्यवहार प्राप्त किया है, दूसरी ओर के लोगों की आशंकाएँ पूरी तरह से तर्कसंगत हैं क्योंकि इसी समय के दौरान तथाकथित लोकप्रिय शासन में उन्हें जिन अनुभवों का सामना करना पड़ा। वह अत्यंत ही पीड़ादायक हैं। वह सब अपनी ही जन्मभूमि में राजनैतिक अछूतों के स्तर तक पहुँचा दिए गए। उनकी वास्तविक और जायज आवाज को संविधान सभा से प्रभावपूर्ण ढंग से बहिष्कृत कर दिया गया। कांफ्रेंस पार्टी द्वारा बनाई गई सरकार जम्मू के लोगों के प्रति ना ही कभी उत्तरदाई थी और ना ही प्रतिक्रियाशील। सरकारी नौकरियों के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए और जो पहले से ही नौकरियों में थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया। प्रशासन भ्रष्ट और अयोग्य है इसलिए आम आदमी के लिए साधारण प्रक्रिया द्वारा समस्याओं का निपटारा कर पाना मुश्किल है। यह स्वाभाविक ही है कि जम्मू के लोग केंद्रीय विभागों के अंगों से यह अपेक्षा रखते है कि वह उनकी समस्याओं का हल करेंगे। परंतु कश्मीरी नेताओं की यह इच्छा है कि वह दोनों तरफ से बढ़िया ही अपने पास रखें। वह भारतीय संघ के केंद्रीय विभागों से संबंधित विषयों पर अपने लिए

स्वायत्तता की माँग करते हैं और उसी समय वह जम्मू के लोगों से संबंधित विशुद्ध एकतंत्र में अटल एवं निर्धारित बहुत से चिपके रहते हैं।

6 जो समस्या जम्मू प्रांत एवं कश्मीर प्रांत के मध्य उत्पन्न हो चुकी है, मूलतः वैसी ही समस्या पूरी रियासत और भारतीय संघ के मध्य आन खड़ी हुई है। भाग्यवश यह समस्या भी भारतीय संविधान के दायरे में ही युक्तियुक्त रूप से हल की जा सकती है। इसके बुद्धिमान रचयिता प्रतिस्पर्धी तत्वों की राजनीतिक संकलन विरोधाभासी मांगों को झेल चुके थे और संविधान के ढांचे में उन मांगों के लिए "सूक्षम सामंजस्य" पर पहुँच चुके थे। यह सूक्षम संतुलन और सांमजस्य उत्कृष्ट रूप से इस संविधान को (अनिवार्य रूप से) तत्वतः मानवीय समस्याओं, जिनसेहम इस रियासत में जूझ रहे हैं का समाधान प्रदान करता है। यही एक शक्तिशाली कारण है कि इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास करने के लिए भारतीय संविधान को पूर्णतयः इस रियासत पर लागू करना चाहिए।

7. उपरोक्त पृष्टभूमि को दृष्टी में रखते हुए नए प्रस्तावों का असंतोषजनक चरित्र पूर्णत्याः स्पष्ट हो जाता है। यहां तक कि ये प्रस्ताव भारतीय संविधान में संपूर्णता अभिष्टित सामजस्य और सूक्ष्म संतुलन में विघन डालता है। निष्पक्ष कार्य व्यवस्था का कोई भी विकल्प रखे बगैर वह इसकी संगठनात्मक एकता को विकृत करते है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह बड़ी चालाकी से निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए बनाए गए हैं :–

क) यथासंम्भव शक्ति को बनाए रखना।

ख) इसका केवल लघु भाग जो कि अपरिहार्य हो जाए।

ग) जो कुछ भी स्वीकार किया गया है उसे अपवाद और योग्यता समझकर नजरअंदाज कर दिया जाए।

घ) अपरिवर्तनीय निश्चित बहुमत में अपनी शक्ति / सत्ता बनाए रखने के लिए एकाधिकार सुनिश्चित किया जाए।

ङ) यह सुनिचित किया जाए कि परिणामस्वरूप जो भी व्यवस्था बनें वह उस बहुमत की इच्छा के विरूद्ध बदल न जाए।

ञ) इन प्रस्तावों के रचयिता द्वारा कुछ व्यवहारिक उपाय जोकि उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु बनाए गए वो निम्नलिखित हैं, यथा :–

1) मौलिक अधिकारों को धीरे–धीरे कम करते हुए उपहास का पात्र बनाया गया।

क) सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों में कटौती की जाए ताकि मौलिक एवं अन्य अधिकार प्रभावी ढंग से लागू न किए जा सके।

2) रियासत के उच्च न्यायालय का पूर्ण नियंत्रण अपने पास रखा जाए जिससे स्थानीय न्यायपालिका पयार्थ रूप में सवतंत्र न हो जाए जिससे कार्यपालिका को शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े।

3) एक प्रकार से दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया जिससे भारतीय संघ की निरंतर बेइज्जती और अपमान होता रहे।

4) रियासत के भीतर समझौते के उपलक्ष्य में पाकिस्तान की ओर से एकतरफा यातायात का प्रावधान किया गया।

5) रियासत में लोकसभा के लिए सीधे चुनावों को नजरअंदाज किया गया ताकि रियासत के लोगों की प्रमाणिक आवाज को यहाँ तक की भारतीय संसद में भी नहीं सुना जा सकें।

6) भारतीय संघ की शेष 'खंड–ख' राज्यों के केंद्रीय विभागों की शक्तियां जो इस रियासत पर भी स्वतः लागू समझी जाती है को कम कर दिया गया ताकि राष्ट्रीय एवं सामान्यविषयों पर केंद्र की आवश्यक कार्य विधि में एकातमकता बाधिक की जा सकें।

7) यहाँ तक की सदर–ऐ–रियासत की स्थिति गवर्नर से भी निम्नतम कर दी गई है और उसका स्थान अनिश्चित कर दिया गया। क्योंकि अब उसे स्थानीय विधानसभा में अपरिवर्तनीय निश्चित बहुमत वाली सरकार के पूर्वाग्रहों की दया पर छोड़ दिया गया।

8) इतना ही नहीं, दिल्ली समझौता भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया।

क) भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान जो आज भी इस रियासत पर लागू हैं, को रदद करने का प्रस्ताव दिया गया।

ख) भारतीय संघ की वह शक्तियां और क्षमताएँ जिनसे इस रियसत पर आपाताकालीन स्थिति के समय तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है को अंगहीन बना दिया गया है।

ग) लेखा परिक्षण और वित्तीय नियंत्रण संबंधी प्रभावशाली और स्वतंत्र प्रावधान छोड़ दिए गए।

घ) उदंड, निरस्त और अराजक कानूनों को वैध घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया।

9) इन प्रस्तावों के अन्य कई आपत्तिजनक लक्षण हैं परंतु यह भी आवश्यक है कि उन सब को विस्तृत रूप से बताया जाए। फिर भी उनमें से कुछ स्वतः ही दिख जाएंगे, जैसे–जैसे प्रस्तावों के छँटने की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी फिर भी बहुत कुछ कहा जा चुका है कि यह प्रस्ताव इस ओर कोई इशारा नहीं करते हैं कि इनके रचयिता इस बात पर आभारी नहीं रहे हैं कि उनके साथ दयालु, उदार व्यवहार नहीं किया गया। दूसरी तरफ इन्होंने भारतीय केंद्रीय प्राधिकरण के विभिन्न अंगों जिनमें संसद, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित हैं कि साथ विश्वासघात और बहुत बड़ी शंका की।

10) जब यह तथ्य स्वीकृत किया जा चुका है कि यह संविधान सभा केवल एक पार्टी से बनी है तो संविधान बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषय अंततोगत्वा सभा द्वारा पास करने से पहले लोकमत एकत्रित करने की दृष्टि से परिसंचारित करना आवश्यक था। बंद दरवाजे के पीछे गुप्त रूप से संविधान की कल्पना और रूप रेखा तैयार नहीं करनी चाहिए। वो भी उसके निरूपन या विचार करने योग्य किसी भी अवस्था में गैर सरकारी या संविधान सभा से संबंध न रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उससे संबंधित न करके। यह तथ्य भारत सरकार को मना लेंगे कि उन्हें अंततः स्वीकार करने से पहले उन प्रस्तावों की बारीकी से जाँच पड़ताल करने के पश्चात जम्मू की राय जान लेनी चाहिए।

11. इन प्रस्तावों की विस्तृत छंटनी से कुछ ध्यान देने योग्य मुख बिंदु सामने आए हैं जो इस प्रकार हैं:–

क) भारतीय संविधान का अनुच्छेद – 3

नया प्रावधान जो इस अनुच्छेद में जोड़ने का प्रस्ताव है वह निर्विवाद रूप से वर्तमान प्रावधान को अतिव्याप्त कर (ढ़क)लेगा।

ख) भारतीय संविधान का भाग – 2

यह भाग इस रियसत पर 26.01.1950 से लागू होना था परंतु यह रियासत भारतीय संघ के साथ 26.10.1947 को पंजीकृत (विलय) हुई थी। इन दोनों तिथियों के मध्य

रियासत के लोगों का स्तर क्या होगा। क्या इस अंतराल में दोनों को अनजाना समझा जाए?

ग) अनुच्छेद – 7

इस अनुच्छेद में नयी शर्त / अनुबंध जोड़ने का प्रस्ताव है। यहां तक कि शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जम्मू व कश्मीर रियासत जानते थे कि प्रस्तावित शर्त के अंतर्गत निहित नीति कुछ निशचित वर्गों में शंकाएँ उत्पन्न कर सकती हैं। इन शंकाओं से उत्पनन भय को शांत करने के लिए उन्होंने राज्य विधानसभा में 11 अगस्त 1952 को निम्नलिखित शब्दों में अपने वक्तव्य को व्यक्त किया :–

'' यह सुझाव दिया गया है कि कुछ स्थानों पर यह संरक्षण केवल रियासत के उन नागरिकों को प्रदान किया गया है जो वर्तमान में पाकिस्तान में फँसे हुए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ, यह संरक्षण केवल सामान्य परिस्थितियों में लागू होगा और ऐसी परिस्थितियाँ स्वभाविक रूप से मान लेती है कि विस्थापित (अस्तव्यस्त) लोगों – चाहे वो मुस्लिम हो या गैर–मुस्लिम उनका पुनर्वास एक तरफा नहीं हो सकता।''

यदि अभी भी इस प्रकार की नीयत है तो यह शर्त में स्पष्ट रूप से निश्चित तौर पर लिखी जानी चाहिए न कि पूर्व प्रधानमंत्री की अस्पष्ट घोषणा में दबकर पड़ी रहनी चाहिए। दूसरा, जैसा कि नया प्रतिबंध/शर्त प्रचलन के पश्चात भारतीय नागरिकता और इसका विषय विदेशी संबंधों को प्रभावित करने वाला और उनसे मिलता जुलता है इसलिए जो कानून इस मसले को निर्धारित करने वाला है। वह केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए, न कि रियासती सरकार द्वारा। तीसरा, निकट भविष्य में भी परिस्थितियाँ सामान्य होने की कोई भी संभावना नहीं है इसलिए यह शर्त (प्रतिबंध) जोड़ने में हताशा और निराशा में जल्दबाजी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियाँ सामान्य होने पर भी इसे जोड़ा जा सकता है। अंत में यह ध्यान में रखना चाहिए कि रियासत जम्मू व कश्मीर का वह हिस्सा (भाग) जो पाकिस्तानी फौजों के कब्जे में है और जिसे कभी–कभी गलती से ''अजाद कश्मीर क्षेत्र'' वर्णित किया जाता है, वह ना ही पाकिस्तानी क्षेत्रफल के समान है और न ही इसे पाकिस्तान के अंतर्गत क्षेत्रफल से संभ्रमित करना चाहिए। प्रस्तावित शर्त (प्रतिबंध) के रचयिताओं ने इस अतर को नजर–अंदाज कर दिया। उनके ध्यान में शायद पहले वाला ही क्षेत्रफल होगा। परंतु उसका वर्णन करते हुए

दूसरी (अनुवर्ती) पदसंहिता प्रयोग में लाई होगी। वे ऐसी गलती इसलिए कर गए क्योंकि उन्होंने इस वर्तमान शर्त (प्रतिबंध) की भाषा की अंधाधुंध नकल की, यह समझे बगैर कि जिस संदर्भ में इसे इस्तेमाल किया गया है उस संदर्भ में यह अशुद्ध (गलत) हो गया है। इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि कोई भी वास्तविक अत्यावश्यकता नहीं है ऐसा प्रतीत है कि यह व्यावहारिक ही है कि अनुच्छेद–7 के साथ प्रस्तावित शर्त (प्रतिबंध) जोड़ने की योजना / धारण छोड़ दी जाए।

घ) अनुच्छेद – 19 (मौलिक अधिकार)

जैसा कि प्रस्ताविक किया गया है, अनुच्छेद – 19 में नया परिच्छेद – 7 जोड़ने से प्रयोगात्मक असर यह होगा कि इस रियासत में 5 वर्षों तक कोई भी मौलिक अधिकार नहीं रहेगा और इसिलए खंड–1 के अंतर्गत जो अधिकार मिलना संभव थे, वही अधिकार उसी समय के दौरान खंड–7 के अंतर्गत से हटा (छीन) लिए जाएँगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को विधायिका मनमाने ढंग से प्रतिबंध नहीं लगा सकती क्योंकि यह इन अधिकारों की सार है और संविधान विधायिका को ऐसी शक्तियाँ भी प्रदान नहीं करता। केवल न्यायपालिका ही ऐसा करने में सशक्त है। यदि मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को तर्कसंगत सिद्ध होने (आंकलन करने) में केवल विधायिका को ही एकमात्र न्यायधीश बना दिया जाए तो वह अधिकार मौलिक न रहकर साधारण कानूनी अधिकार बन जाता है।

यदि इस विषय का वर्णन ईमानदारी से किया जाए तो प्रस्तावित खंड–(परिच्छेद)–7 को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है :–

" .............(7) पाँच वर्ष की अवधि के लिए भारतीय के वे नागरिक जो जम्मू–कश्मीर रियासत के स्थायी निवासी भी है वे खंड़ एक के अनुसार प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे सिवाए इसके कि किस सीमा तक राज्य की विधायिका अपने पूर्ण विवेक में उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे सकती है। क्योंकि पूर्ण विवेक की शक्ति न्यायिक नहीं होती है। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह विवेकपूर्ण हो और इसका क्रियान्वन अस्थितर रूप से भी किया जा सकता है।

ङ) अनुच्छेद–22 (रोधात्मक अवरोध)

प्रस्तावित संशोधन न तो आावश्यक है और न ही उचित है, यदि इसे बनाया जाना

आवश्यक है तो इसकी अवधि पाँच वर्ष से अधिक की नहीं होनी चहिए।

च) अनुच्छेद : 31 (संपत्ति अधिकार)

इस अनुच्छेद का खंड–ग हटाया नहीं जाना चाहिए। सर्वप्रथम यह एक सुरक्षा प्रदान करता है जो निश्चित रूप से इस राज्य के मामलों में कम आवश्यक नहीं हैं, जितना कि शेष भारत के लिए है। दूसरी बात, भूमि सुधारों के मामलों में एकरूपता को आँकने के लिए लक्ष्य बनाना वाँछनीय है। तीसरा यह स्पष्ट नहीं है कि इस खंड को हटाने का प्रस्ताव क्यों छोड़ दिया गया जब अनुच्छेद 31 (क) के खंड (उपबंध) – 1 को बरकरार रखा जा रहा है क्योंकि दोनों समान मामलों को संदर्भित करते हैं।

छ) अनुच्छेद 31–क (संपत्ति का अधिग्रहण)

''ऐस्टेट'' संपदाओं की प्रस्तावित परिभाषा अनावश्यक और अनुचित रूप से बहुत व्यापक है। दूसरा ऐस्टेट – संपदाओं की परिभाषा जो हमारे भूमि कानून से ही संबंधित है और यह वर्तमान अनुच्छेद 31–क खंड–2 उपखंड–क द्वारा सुरक्षित है, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम किया जा सकता है।

तीसरा, संविधान में ''ऐस्टेट'' की निश्चित परिभाषा प्रदान करना अवांछनीय है क्योंकि हो सकता है कि समय–समय पर इस परिभाषा को इस स्थान से दूसरे स्थान या विभिन्न प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इसको बदलना पड़े, परंतु संविधान को आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता है चाहे ऐसा करना आवश्यक भी क्यों न हो।

ज) अनुच्छेद 35–क (रियासत के नागरिकों के विशेषाधिकार)

यह अनुच्छेद यदि जोड़ा जाए तो दोहरी नागरिकता उत्पन्न करेगा और सामान्य राष्ट्रीयता एवं वर्गविहनि समाज के विकास की गति रोक देगा। यह भारतीय ढाल पर एक रोक होगा और भारतीय संविधान को कुरूप कर देगा, दूसरा यदि इसको जोड़ना अपरिहार्य हो चुका है और कश्मीरी नेताओं की वर्तमान मनोदशा को ध्यान में रखते हुए इसकी अवधि की सीमा पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा, उस मामले में भी उपखंड़ (3) खंड़ (ख) को हटा देना चाहिए क्योंकि समझौते की अस्पष्ट शब्दाबली है और यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि इस समझौते में क्या सम्मिलित करना चाहिए और जो यह सम्मिलित करना चाहते है वह पहले से ही उपखंड (1), (2) और (4) में सम्मिलित है। चौथा यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि उपखंड़ तीन नए या वर्तमान निर्योग्यताओं को बढ़ाने, नई निर्योग्यताओं को थोपने

के काम नहीं आना चाहिए। अंत में अनुच्छेद 35 के अपवादी खंड़ को वर्तमान कानूनों तक ही सीमित कर देना चाहिए और ऐसे कानूनों को आच्छादित नहीं करना चाहिए जो नवीन निर्योग्यताओं को थोपें और वर्तमान निर्योग्यताओं का दायरा बढ़ा दें।

(झ) भाग (4) – अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक (राज्य की नीति के निदेशकतत्व)

यदि इन अनुच्छेदों को हटाने का कोई भी प्रस्ताव है तो यह एक अत्यंत खेद का विषय हैं इन्हें परिपक्व विचार और लंबे अनुभव के पश्चात विकसित किया गया है और प्रत्येक प्रबुद्ध राज्य में कानून और प्रशासनिक कार्यवाही के पाठ्यक्रम का मार्गदर्शन करना चाहिए। इन्हें अपनाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह केवल तर्कसंगत होने के साथ–साथ निर्देशिका है और अनिवार्य नहीं है।

ञ) अनुच्छेद 54, 55, 81 (राष्ट्रपति एवं संसदीय चुनाव)

सर्वप्रथम रियासत के लोगों को सीधे चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजने के अधिकार से वंचित रखना अनुचित है। जब रियासत की विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव आयोजित किए गए थे तो मतदाता सूचियों को व्यस्कमताधिकार के आधार पर बनाया गया था, ऐसी ही मतदाता सूचियाँ संसदीय चुनावों के लिए भी तैयार की जा सकती है। यदि रियासत की जनसंख्या को अनुच्छेद – 55 के उद्देश्य से 44, 10, 30 मान लिया गया है, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है तो कोई कारण नहीं है कि अनुच्छेद 81 के प्रयोजनों के लिए रियासत में एक ही आँकड़ा नहीं अपनाया जाना चाहिए। दूसरा, अनुच्छेद 55 के प्रयोजनों के लिए, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है, रियासत के चुने गए प्रतिनिधियों को निर्वाचित नाम देना मिथ्या होगा। जबकि एक ही समय में यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद – 81 के तहत प्रदान किया जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उनकी स्थिति अभी भी नियुक्त सदस्यों की भांति ही होगी। हालांकि वह रियासत की विधानसभा (मंडल) की सिफारिश पर नियुक्त किए जाएँगे। वर्तमान में वह सब राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार से विचारविमर्श के बाद चुने जाते है। परंतु अब यह प्रस्तावित है कि इन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यह कहना बड़ा ही सरल होगा कि इसके पश्चात इस रियासत के प्रतिनिधि, जोकि संसद के दोनों सदनों में भेजे जाते है वह रियासत की विधानसभा के लिए चुने गए निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही चुने जाएँगे। तीसरा संविधान में यह बताना गलत होगा कि रियासत की जनसंख्या का आंकड़ा 4,41,000 माना जाएगा क्योंकि यह आंकड़ा अक्सर अलग–अलग होता है, परंतु संविधान को

बार–बार होने वाले बदलावों के लिए उत्तरदायी नहीं होनाा चाहिए। संभवत: सबसे अच्छा तरीका अनुच्छेद 387 की तर्ज पर एक अस्थायी प्रावधान करना होगा जब तक इस राज्य में एक नियमित जनगणना नहीं हो जाती।

ट) अनुच्छेद – 73 (संघ की कार्यकारिणी शक्तियाँ)

यह अनुच्छेद संविधान (जम्मू व कश्मीर विनियोग / लागू करण) आदेश 1950 के अनुसार वर्तमान में बिना किसी परिवर्तन के इस रियासत में लागू है। परंतु अब इस अनुच्छेद के उपखंड़ (1) की शर्त में से कुछ शब्दों को हटाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रद्द करने की प्रक्रिया के लिए न तो कोई कारण प्रत्यक्ष दिखता है और न ही कोई कारण दिया गया है। खंड़ 1 (क) की ओर ध्यान देते हुए यह बात सामने आती है कि यह उन विषयों से संबंधित है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है और समग्र अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारिणी शक्तियों की सीमा से संबंधित है। यह उचित होगा कि या तो इस शर्त (परंतुक) को पूरा का पूरा हटा दिया जाए या इसे बगैर किसी परिवर्तन के ऐसे ही छोड़ दिया जाए। इसके साथ की गई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ विषयों को और भी बुरा बना सकती है।

ठ) अनुच्छेद 136 (अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति)

अनुच्छेद 136 के अनुसार न्यायालय को अपने विवेकाधिकार से अपने समक्ष अपील दायर करने की विशेष अनुमति देने का विशेष अधिकार प्राप्त है। परंतु इस अनुच्छेद को निरस्त (हटाने) करने का प्रस्ताव है और इस रियासत के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देने से इंकार किया जा रहा है। यह बहुत बड़ी भूल और नासमझी होगी। इस शक्ति के बिना उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस रियासत पर लागू होना केवल भ्रम ही रह जाएगा और लोगों का पूर्ण विश्वास और भरोसा समाप्त हो जाएगा कि उन्हें भी भारत के अन्य नागरिकों की भांति न्याय मिलेगा या उन्हें मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्राप्त हो जाएगा।

ड) अनुच्छेद 139 (कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना)

वर्तमान में यह अनुच्छेद इस रियासत पर लागू है परंतु इसे निरस्त करने का प्रस्ताव है। निश्चित रूप से यह प्रयास (कदम) प्रतिकूल है और इससे बचना चाहिए।

ढ) अनुच्छेद 149 और 150 (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और

शक्तियाँ, संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप)

इन अनुच्छेदों को इस रियासत पर लागू करना आवश्यक है ताकि रियासत की अर्थव्यवस्था और वित्तिय प्रबंधन दृढ़तापूर्वक कार्य कर सके जैसा कि इन ममालों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। दूसरा इस प्रकार के अनुच्छेदों को लागू होने से रोकना लगभग असंभव सा हो गया है। अर्थात इन्हें अनिवार्य रूप से लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि रियासती सरकार अपना हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए केंद्रीय करों के ''कॉमन पूल'' अर्थात ''सामान्य समुच्चयन'' से ग्रहण करती है। आवंटित कर भारत की जनता से एकत्रित किए जाते हैं। करदाताओं को संरक्षण और भरोसा देना अनिवार्य है और यह अनुच्छेद उन्हें वांछनीय / अवांछित भरोसा और संरक्षण प्रदान करते हैं। तीसरा, केंद्रीय सरकार अपने कर्तव्यों की पूर्ति में असफल होगी यदि वह स्वयं को आश्वस्त नहीं कर लेती कि उसके द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई धनराशि अवांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु काम में लाई जा रही है। भारत सरकार अपने इस कर्तव्य को सही ढंग से तभी निभा सकती है जब यह अनुच्छेद इस रियासत पर लागू किए जाएँ।

ण) अनुच्छेद – 255

इस राज्य पर 1950 के राष्ट्रपति लागूकरण आदेश के अनुसार लागू होता है परंतु अब इसे निरस्त करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार की चूक के लिए कोई भी औचित्य नहीं है।

त) अनुच्छेद – 259

वर्तमान में इस रियासत पर निर्दिष्ट संशोधनों के अधीन लागू होता है परंतु अब इसे पूरी तरह से निरस्त करने का प्रस्ताव है। इस अनुच्छेद को बचाए रखना बहुत ही आवश्यक है।

थ) अनुच्छेद – 261

वर्तमान में यह अनुच्छेद इस रियासत पर पूर्ण रूप से लागू होता है परंतु अब इसके खंड़ (2) में प्रयुक्त शब्दों ''.......... संसद द्वारा बनाया गया......'' को निरस्त करने का प्रस्ताव है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रस्ताव खंड–2 के उद्देश्यों और विस्तार की अज्ञानतावश बनाया गया। केंद्र और प्रत्येक राज्य यदि साधारण कानून, दस्तावेज एवं न्यायिक प्रक्रियाएँ मुहैया करवाने की प्रक्रिया और स्थितियों को पूरे भारत वर्ष पर एक समानरूप से नियंत्रित करना चाहते हैं तो, जैसा कि इस प्रकार होना ही चाहिए,

स्पष्ट रूप से वही कानून प्रभावी और उपयुक्त ढंग से ऐसा कर सकता है जो संसद द्वारा बनाया गया हो। इसलिए बिना किसी बदलाव के यह अनुच्छेद इस रियासत पर लागू होना चाहिए जैसा कि वर्तमान में हो रहा है।

द) अनुच्छेद – 291 (शासकों की निजी थैली की राशि)

यह अनुच्छेद कुछ विशिष्ट परिवर्तनों को छोड़कर बरकरार रखा जाना चाहिए।

ध) भाग – 17 (राजभाषा)

यह भाग सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जम्मू व कश्मीर रियासत पर लागू किया जाना चाहिए। यह देखते हुए कि उर्दू इस रियासत के किसी भी भाग में रहने वाले लोगों के एक बड़े हिस्से द्वारा बोली व समझी नहीं जाती। इसलिए इसको स्कूलों, कालेजों अथवा सरकारी संस्थानों में मेल–जोल के माध्यम के रूप में आधिकारिक या क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जाना न्यायसंगत नहीं होगा। किसी भी सूरत में हिंदी का दर्जा उर्दू के समकक्ष होना चाहिए। यदि पूरी रियासत में संभव न हो तो कम से कम जम्मू प्रांत में इस संदर्भ में ऐसा होना। प्राथमिक या बुनियादी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृ–भाषा होना चाहिए, परंतु अभिभावकों के पास अपने बच्चों की मातृभाषा घोषित करने का विकल्प होना चाहिए। किसी भी सूरत में, चाहे रियासत या इसके किसी भी क्षेत्र की आधिकारिक या क्षेत्रीय या मातृभाषा जो भी स्वीकार की जाए, परंतु उसे संबंधित व्यक्तियों के विकल्प पर अरबी और हिंदी दोनों वर्णों में लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए और इसकी पढ़ाई की अनुमति एवं व्यवस्था दोनों तरफ से दी जानी चाहिए।

न) भाग – 18 (आपात उपबंध)

अनुच्छेद 356, 357 और 360 को हटाने का प्रस्ताव है और अनुच्छेद 352 को संशोधित करने का। अनुच्छेद 355 के अंतर्गत जिसे बरकरार रखा गया है, केंद्र (संघ) का यह दायित्व होगा कि वो राज्यों की रक्षा न केवल बाहरी आक्रमण के विरूद्ध बल्कि आंतरिक अशांति के खिलाफ भी सुनिश्चित करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस रियासत की सरकार का कार्यभार संविधान के प्रारूपों के अनुसार ही चल रहा है। जिस प्रक्रिया के अनुसार संशोधन और निरस्तिकरण का प्रस्ताव किया जा रहा है वह सही नही है क्योंकि प्रस्ताव के अनुसार अगर अनुच्छेद 350 को संशोधित किया जाता है और अनुच्छेद 356, 357 और 360 हटाया जाता है तो अनुच्छेद 355 के अंतर्गत संघ (केंद्र) में राष्ट्रपति प्रभावी और तत्कालीन ढंग से

अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु मिली शक्तियों से हाथ धो बैठेंगे। कर्तव्यों और शक्तियों के मध्य तलाक नहीं होना चाहिए। यह भाग पूर्णतयः इस रियासत पर बिना किसी परिवर्तन के लागू होना चाहिए।

प) भाग – 19, अनुच्छेद – 361 (सदर–ए–रियासत)

सदर–ए–रियासत की स्थिति में कोई भ्रम, अस्पष्टता या विरोधाभास नहीं होना चाहिए, परंतु ऐसा होने की संभावना बनी रहेगी यदि इस अनुच्छेद में राज्य संविधान में नया उपखंड़ ज्यों का त्यों रखा जाता है और इस प्रस्ताव के मुताबिक अनुच्छेद–361 में जोड़ा जाता है। उनके पद और कार्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि उन्हें स्थानीय प्रभाव और उत्पीड़न से अलग रखा जाना चाहिए। हाल में लागू हुई अपाताकालीन स्थिति में उनके द्वारा लिए गए निर्णय का अनुभव यह सुझाव देता है कि इस विषय में चेतावनी का कार्य करता है।

फ) अनुच्छेद – 362

इस अनुच्छेद की अवधारणा स्पष्ट कारणों से आवश्यक है।

ब) अनुच्छेद – 365

इस अनुच्छेद को धारण किए रहना आवश्यक है यदि संघ, कार्यपालिका की शक्तियाँ संविधान के अंतर्गत वास्तविक है न कि एक भ्रम। रियासत के संबंध में इन शक्तियों को उपहास का विषय नहीं बनाना चाहिए और इन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। यदि किसी प्रभावी रोक के अभाव में इसके कानूनी दिशा–निर्देशों का दुरूपयोग नहीं किया जाता और यदि अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन संतोषजनक तरीके से किया जाता है और रियासत की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चलती है तो इस अनुच्छेद की शक्तियाँ बरकरार रहेंगी।

भ) अनुच्छेद – 372

अनुच्छेद – 372 केवल अनुच्छेद 395 का उल्लेख करता है। यह संदर्भ अनुचित है क्योंकि अनुच्छेद 395 को निरस्त करने का प्रस्ताव है।

म) अनुच्छेद – 374 (सलाहकार बोर्ड)

यह प्रस्ताव किया जाता है कि अनुच्छेद 374 के खंड़ (4) में संशोधन किया जाए

ताकि रियासत के न्यायिक सलाहकार बोर्ड को रद्द करके इसके समक्ष विचारधीन सभी दलीलों को स्थानांतरित करके सर्वोच्च न्यायालय भेज दिया जाए परंतु यह एक प्रकार से विषयों को और भी खराब कर सकता है। बोर्ड का वर्तमान क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तावित क्षेत्राधिकार जोकि उसके प्रदत्त किया जाना चाहिए, से भी विस्तृत है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय न्यायालयों के निर्णयों को अधिक से अधिक अंतिम रूप दिया जा सकेगा क्योंकि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के पास बोर्ड की अपेक्षा कम अपीलें की जाएँगी। इसके अतिरिक्त जम्मू व कश्मीर न्यायालयों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार उतना व्यापक नहीं होगा जितना कि वह अन्य राज्यों की अदालतों के संबंध में प्रयोग करता है।

न्यायपालिका से संबंधित भारतीय संविधान के भाग – 7 के साथ पढ़े गए भाग – छ के अध्याय – पांच और छहः में निहित प्रावधान इस राज्य की न्यायपालिका के लिए लागू नहीं किए जा रहे है। इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता है कि इसकी न्यायपालिका, जिसमें उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, उस स्तर का विश्वास और प्रतिष्ठा का प्रभुत्व स्थापित कर पाएगी जो अन्य राज्यों की न्यायपालिका कर पाई है। इस रियासत में यदि लोगों का न्यायिक प्रशासन में विश्वास कम करके नहीं आँकना है तो यह आवश्यक है कि इस रियासत को दूसरे राज्यों के स्तर तक बराबरी पर लाया जाए और भारतीय संविधान के न्यायपालिका संबंधी प्रावधान जोकि भाग – ख राज्यों पर लागू हें, हमारी रियासत पर भी लागू किए जाएँ। किसी भी कीमत पर वर्तमान स्थिति जबकि सलाहकार बोड़ कार्य कर रहा है बहुत ही बढ़िया है। परंतु प्रस्ताव के अनसुार अलग बोर्ड को रद्द कर दिया जाता है तो परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं रहेंगी।

य) अनुच्छेद – 387

इस अनुच्छेद को बनाए रखना चाहिए। इस रियासत में एक नई नियमित जनगणना पूरी हो चुकी है क्योंकि तब तक संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान आ जाएँगे। जिनके अंतर्गत जनसंख्या के आधिकारिक अनुमान समय–समय पर चुनावों के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किए जा सकेंगे। निःसंदेह इस रियसत पर ऐसे प्रावधानों को लागू करने से पहले अनुच्छेद में कुछ परिवर्तन (संशोधन) करना आवश्यक होंगे क्योंकि तीन वर्षों की अवधि जो इसमें पहले से ही अंकित है, वह भी समाप्त हो चुकी है।

44,10,000 का अनुमान अनुच्छेद – 54 और 58 के प्रयोजनों के लिए प्रस्तावित सभी समय के लिए निश्चित आँकड़ा नहीं रह सकता है और समय–समय पर इस आँकड़े को बदलते रहना होगा परंतु हर बार संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

र) सातवीं अनुसूची, सूची – 1, प्रविष्टि नंबर – 3

वर्तमान में यह प्रविष्टि बिना किसी संशोधन के इस राज्य पर लागू होती है, परंतु अब इसके दायरे को काफी कम करने का प्रयास है। इस प्रक्रिया को सही ठहराने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं है। इस प्रविष्टि में सम्मिलित सभी ''छावनियों का प्रशासन'' संबंधी अभिव्यक्ति उनके सभी कार्यों को आवरण देने में पर्याप्त रूप से विस्तृत नहीं है। निःसंदेह सेना अधिकारियों को इस संबंध में व्यापक शक्तियों की आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह रियासत अभी भी एक युद्ध क्षेत्र है और यहाँ पर विरोधी सेनाएँ अभी भी अपनी–अपनी सीमाओं पर एक–दूसरे का सामना कर रही हैं।

ल) सातवीं अनुसूची, सूची – 1, प्रविष्टि नंबर – 9

यह प्रविष्टि इस रियासत पर वर्तमान में पूर्ण रूप से लागू है। परंतु इसे पूरी तरह से हटा देने का प्रस्ताव है। वह भी बिना किसी तर्क के। इसे बरकरार रखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी विषय विस्तु रक्षा, विदेश नीति और भारत की सुरक्षा से संबंधित है जोकि पूर्णतयः संघ (केंद्र) का विषय है।

व) नवीं – अनूसूची

इस रियासत के अधिकतम छः कानूनों को इस अनूसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। इस प्रकार से कुछ कानूनों की रक्षा करना, असमान और अनावश्यक है। विशेष रूप से व्यथित देनदार राहत अधिनियम, भूमि हस्तांतरण अधिनियम, संपूर्ण काश्तकारी अधिनियम को इस अनूसूची में स्थान नहीं मिलना चाहिए।
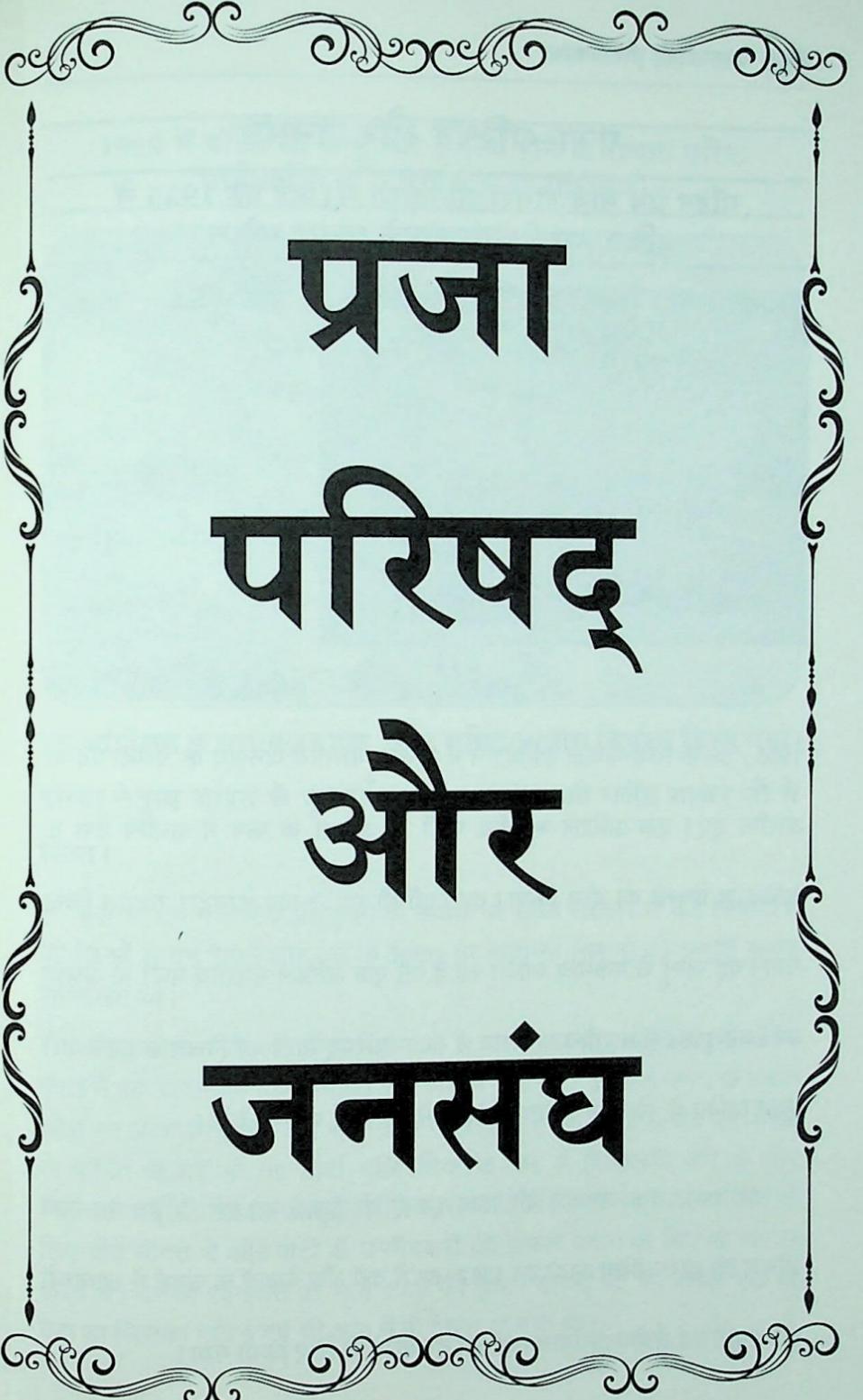
# प्रजा परिषद् और जनसंघ

# प्रजा–परिषद् और जनसंघ

## पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी दिल्ली में। जब वह 1955 में अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए।

अध्यक्ष, अखिल भारतीय जनसंघ।

1952–53 के आंदोलन के पश्चात पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी की लोकप्रियता इस कदर बढ़ी कि वह 1955 / 56 के लिए भोपाल अधिवेशन में अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। एक अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने देश के अधिकांश हिस्सों का दौरा किया। वह जहाँ भी गए उनका शानदार स्वागत किया गया। वह जम्मू से एकमात्र व्यक्ति रहे है जो एक अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्ष बनें। वह 1964 में भारतीय जन संघ में प्रजा–परिषद् पार्टी को विलय करवाने वाले मुख्य व्यक्ति थे, जिन्होंने एकता सम्मेलन में यह कार्य संपन्न किया।

वह 1967 तक जनसंघ की राज्य इकाई के अध्यक्ष बने रहे। पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी द्वारा अंतिम आंदोलन 1967–68 में दरों और पैमानों के संदर्भ में खाधान्नों की अपूर्ति एवं क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए किया गया।

**1969 में पंडित जी जम्मू जेल से रिहा होने के पश्चात वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ। (खाधान्न आंदोलन)**

**इस आंदोलन के मध्यनजर एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त किया गया। इसका नेतृत्व भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायधीश श्री गजेंद्र गाकर जी ने किया।**

इस आयोग ने क्षेत्रीय असंतुलन के आधार पर राज्य सरकार से कई सिफारिशें की जिनमें समान पैमाने और दरों के आधार पर खाधन्नों (राशन) की आपूर्ति करना सम्मिलित था।

पंड़ित डोगरा जी का जीवन घटनाओं से भरा हुआ था। अपने संपूर्ण जीवन काल में वह अत्याधिक व्यस्त व्यक्ति रहे। समाज और पार्टी की सेवा करने के उनके जोश का आंकलन इस घटना से लगाया जा सकता है कि 1972 में जब वह कैंसर से पीड़ित थे तब भी वह पार्टी गतिविधियों के बारे में दिलचस्पी लेते थे और निर्वाचकगणों की रिकार्ड की हुई अपीलें जारी करते थे जिनमें वह प्रजा–परिषद् के लिए वोट माँगते थे और पार्टी के उम्मीदवारों को सफल बनाने के लिए भी अपील करते थे। उनका स्वर्गवास 21 मार्च 1972 को हुआ। डोगरा जी का केवल एक ही बेटा था जिसका मात्र 9 वर्ष की आयु में ही देहांत हो गया था।

## पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जी के अंतिम दर्शन
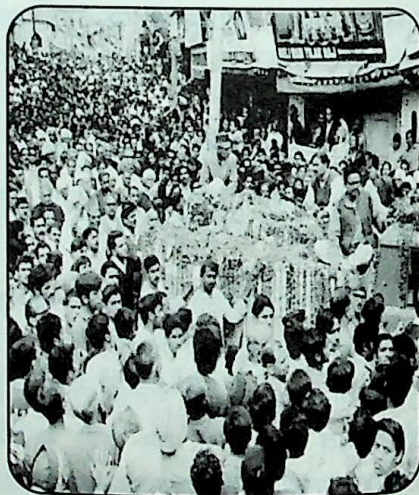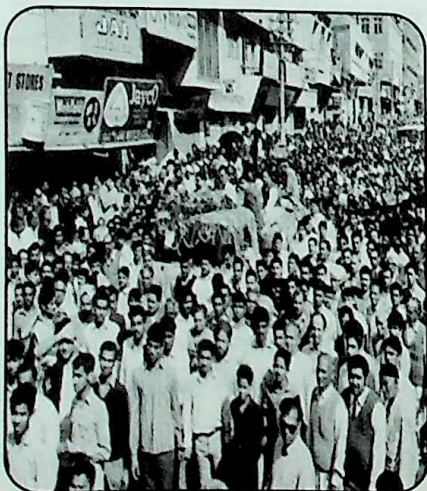
## पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जी की अंतिम यात्रा

### लोगों के स्तर पर

आम लोगों (जनता) के स्तर पर घनिष्ठ संबंधों को स्थापित करने के लिए 1964 में प्रजा–परिषद् का विलय भारतीय संघ में कर दिया गया। इस कदम से सीख लेते हुए श्री लाल बहादुरी शास्त्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने रियासत में अपने सत्तारूढ़ व्यक्तियों से कहा कि वे नेशनल कांफ्रेंस का विलय कांग्रेस में कर दें। अतः 26.01. 1965 को प्रदेश कांग्रेस की नियमित इकाई पहली बार इस रियासत में अस्तित्व में आई।

इससे पूर्व रियासत के कांग्रेसी लोग एक क्षेत्रीय संगठन, यथाः नेशनल–कांफ्रेंस के बैनर तले शरण लिए हुए थे। प्रजा–परिषद और भारतीय जन संघ से सीख (उदाहरण) लेने के पश्चात तत्कालीन "कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया" और कुछ अन्य दलों द्वारा भी अपने राज्य (प्रदेश) इकाईयों की स्थापना जम्मू व कश्मीर रियासत में की गई।

### अंतिम लक्ष्य अभी भी दूर

यद्यपि पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जी द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन के कारण कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्राप्त हुई परंतु अंतिम लक्ष्य अभी तक प्राप्त करना शेष है।

# महान डोगरा और प्रजा–परिषद् के अन्य कार्यकर्ताओं का योगदान

## पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी का जन्म

**पंडित प्रेम नाथ डोगरा**
**(24 अक्तूबर 1884 – 21 मार्च 1972)**

पंड़ित जी का जन्म जम्मू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित समेलपुर के एक सम्मनित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। श्री शाम लाल शर्मा पंडित जी के करीबी सहयोगी द्वारा लिखित पुस्तिका के अनुसार पंडित जी (एक महान आत्मा) का जन्म 24 अक्तूबर 1884 को हुआ था। उनकी माता जी का देहांत तब हुआ था जब वह छोटे बच्चे थे और तब उनका पालन–पोषन उनकी नानी ने किया था।

गाँव में उनकी बुनियादी शिक्षा के पश्चात उन्हें लाहौर ले जाया गया, जहाँ उनके सम्मानित पिता पंड़ित अनंत राम को लाहौर और अविभाजित पंजाब के अन्य स्थानों में राज्य संपत्तियों की देखभाल के लिए प्रशासक के रूप में तैनात किया गया था। प्रेम नाथ जी, श्री अनंत राम जी की एकमात्र संतान थे इसलिए उनकी शिक्षा के लिए विशेष ध्यान रखा गया था।

## पंडित अनंत राम (पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी के पिता)

### महाराजा हरि सिंह सरकार में वरिष्ठ अधिकारी

श्री अनंत राम महाराजा ध्यान सिंह के महल में रह रहे थे। युवा बच्चे को लाहौर के पीर मिट्ठा स्कूल और बाद में मॉडल स्कूल में भर्ती कराया गया था। 1904 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्हें "फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज" में भर्ती कराया गया। कॉलेज में युवा डोगरा एक विख्यात चरित्र के रूप में उभरे। उन्होंने विभिन्न खेलों में विशेष रूप से फुटबाल में अत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वह न केवल छात्रों में बल्कि कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षकों में भी लोकप्रिय थे। पत्रिका / बुकलैट ने डोगरा युवा की लोकप्रियता के संदर्भ में भी जानकारी दी है। 1908 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर एवं कई उपलब्धियों और पुरस्कारों के साथ जम्मू वापस लौट आए। जम्मू के तत्कालीन "सैटलमैंट आयुक्त" श्री तलवर्ट ने 1909 में प्रशिक्षण के लिए युवा डोगरा को तहसीलदार अखनूर नियुक्त किया।

## पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी लाहौर विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उतीर्ण करने पर

1910 में वह उधमपुर में ''सहायक बंदोबस्त अधिकारी'' के पद तैनात थे और फिर 1912 में मुँसिफ की विशेष शक्तियों के साथ उन्हें जम्मू में नियुक्त किया गया।

1913 में श्री डोगरा को सचिव – ''गवर्नर कश्मीर'' और बाद में वजीर–वज़रात (डी.सी.), मीरपुर नियुक्त किया गया।

**खिलाड़ी :–** पंडित डोगरा एक महान खिलाड़ी थे। लाहौर में अपने कॉलेज के समय में उन्होंने दौड़, फुटबॉल और यहाँ तक की हॉकी में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

1907 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात जब युवा डोगरा जी, जम्मू वापस लौटे तो, जम्मू के पूर्व गवर्नर स्वर्गीय श्री चेत राम चोपरा के अनुसार, पंडित डोगरा जी ने एक पूरा बैग (थैला) पुरस्कारों और प्रमाणपत्रों से भरा हुआ अपने साथ लाए। यहाँ तक कि जब उनकी आयु 80 से अधिक परंतु 90 से भी कम थी तब भी वह खेलों से जुड़े कई कार्यक्रमों में भाग लेते थे और कबड्डी में भी बहुत रूची लेते थे, जो उन दोनों में एक सामान्य खेल था, ताकि खिलाड़ी प्रोत्साहित होते रहें।

## पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी वज़ीर–ए–वज़ारत (1931– डी.सी.)
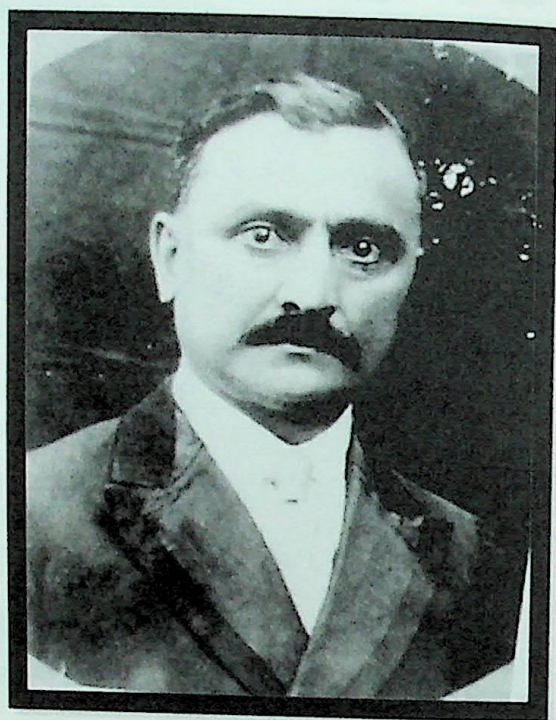
महाराजा प्रताप सिंह के निधन के पश्चात, उन्होंने महाराजा हरि सिंह के रहते हुए भी राजस्व विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। सत्ता की बागड़ौर संभाली। अपनी पुस्तिका में श्री शर्मा जी ने पंडित जी की मुस्लिमों में भी लोकप्रियता का वर्णन किया है। जब वह मुज़फराबाद में वज़ीर – वज़रात (डी.सी.) के रूप में स्थानांतरित थे। घाटी में उन दिनों शेख द्वारा संचालित मुस्लिम–कॉंफ्रेंस ने सांप्रदायिक उपद्रव उत्पन्न कर दिए थे। जिनके परिणामस्वरूप बड़ी हिंसा हुई थी।

महाराज के वर्गीकरण में कुछ उच्चपदस्थ व्यक्तियों ने मूसलमानों के बीच श्री डोगरा की लोकप्रियता से जलन महसूस की थी। उन पर महाराजा के विरूध्द आंदोलन करने वालों के प्रति नरमी बरतनें की साजिश रचने के आरोप लगे थे। इसलिए जब वह महज 50 वर्षों के थे तो उन्हें 1932 में समय से पूर्व ही सेवानिवृत कर दिया गया था।

## पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी की धर्म पत्नी, श्रीमति अचरी देवी, जिन्हें माता जी कह के पुकारा जाता था।

### सद्‌गुणों के लिए दंडित किया गया

श्री दुर्गा दास डोगरा (अधिवक्ता) एवं भारतीय जनसंघ के कमर्ठ कार्यकर्ता ने पंड़ित जी की असामाजिक सेवानिवृत से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया है।

महाराजा के कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिनमें महाराजा के एक घनिष्ट मंत्री भी सम्मिलित है, को इर्ष्या थी थी कि कश्मीर के अन्य हिस्सों के विपरीत, पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी के अधीन प्रशासन में कोई भी हिंसा नहीं हुई थी। ईर्ष्यालु उच्चपदस्थ (अत्यंत महत्त्वपूर्ण) व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किए गए संदेह पर, महाराजा के इशारे पर रियासत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मुज़फ़राबाद का दौरा किया जहां पर असंख्य लोगों ने ''पंडित प्रेम नाथ डोगरा जिंदाबाद'' के नारे लगाए। इसने भी प्रधानमंत्री जी को नाराज कर दिया। महाराजा और पंडित जी के बीच नाराजगी उत्पन्न करने के लिए पंडित जी के विरूद्ध झूठे आरोप लगाए गए। महराजा हरिसिंह के आदेश संख्या A/57/W के बिक्रमी संबत 1988–1989 (18 जुलाई 1932) के आधार पर पंड़ित डोगरा जी को समय से पूर्व सेवानिवृत कर दिया। मुज़फ़राबाद के लोग जो पंडित जी को अपने दिलों की अथाह गहराइयों से प्यार करते थे वह नाराज हो गए और आक्रोश से भर गए। 6 सितंबर 1932 को नागीन बाग श्रीनगर में एक बड़ी सभा ने इस शाही आदेश की निंदा की और एक कश्मीरी कवि जनाब अबदुजाफ़र कश्मीरी ने अपनी आहत भावनाओं को उर्दू में व्यक्त किया जिनका बाद में हिंदी अनुवाद किया गया।

اخبار کشمیری لاہور — ۲۸/۲۱ ستمبر ۱۹۳۲ء

ایک مظلوم کی زبان سے

## اِس گُناہ پہ مجھے مارا، کہ گنہگار نہ تھا

از۔ ابوظفر کاشمیری

کل مجھے چند وزیرانِ وزارت نے کہا! — اے کہ تجھ سے تو کسی شخص کو آزار نہ تھا
تیرے اخلاق کے مداح تھے سب خورد و کلاں — کونسا شخص وہ تھا جس سے تجھے پیار نہ تھا
تجھ سے ہمدردِ رعایا پہ یہ بے دردی ہو — آہ! تو ایسی سزا کا سزاوار نہ تھا
جُرم تیرا تو ہمیں کوئی نہیں آیا نظر — پھول ہی پھول تھا اس باغ میں تو خار نہ تھا
جس قدر تیری رعایا تھی دعا گو تھی تیری — حاکمِ عدل فزا تھا تو جفا کار نہ تھا
کونسا فردِ رعایا تھا جو فرقت میں تری — دل پُر داغ نہ تھا دیدۂ خونبار نہ تھا
پھر سبب کیا ہے دی جبریہ پنشن تجھ کو — تو کسی دوست و دشمن پہ کبھی بار نہ تھا
سُن کے یہ باتیں پڑھا داغ کا میں نے اِک شعر — شاعری سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا

بات کیا چاہیے جب مفت کی حجت ٹھہری
اس گناہ پہ مجھے مارا، کہ گنہگار نہ تھا!

۷ ستمبر ۱۹۳۲ء نگین باغ سرینگر کشمیر

---

एक मज़लूम की ज़बां से

इस गुनाह पै मुझे मारा, कि गुनाहगार न था

कल मुझे चंद वज़ीरान ने कहा! ए कि तुझसे तो किसी शख्स को आज़ार न था
तेरे इख़लाक़ के मदाह थे सब ख़ोरद व कलाँ — कौन सा शख्स था वह जिससे तुझे प्यार न था
तुझ से हमदर्द रिआया पै यह बेदर्दी हो — आह! तूं ऐसी सज़ा का सज़ादार न था
जुर्म तेरा तो हमें कोई नहीं आया नज़र — फूल ही फूल था इस बाग में तू ख़ार न था
जिस क़दर तेरी रिआया थी दुआगो थी तेरी — हाकिम अद्ल फ़िज़ा था तू जफ़ाकार न था
कौन सा फ़र्द रिआया था जो फ़ुरक़त में तेरी — दिल पुरदाग़ न था दीदाह ख़ूंबार न था
फिर सबब क्या है जबर यह नपेशन तुझको — तू किसी दोस्त व दुश्मन पै कभी बार न था
सुनके यह बातें पढ़ा दाग़ का मैंने इक शेर — शायरी से मुझे तो कोई सरोकार न था

बात क्या चाहिए जब मुफ़्त की हुज्जत ठहरी
इस गुनाह पै मुझे मारा कि गुनाहगार न था!

## महान डोगरा

श्री प्रेमनाथ डोगरा जी को लोकप्रिय रूप से पंडित जी के नाम से जाना जाता था। वह अत्याधिक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्यक्ति थे।

एक अनुभवी पत्रकार श्री गोपाल सच्चर जिन्होने पंडित जी के कुशल प्रबंधन में 1950 से 1972 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया जिसमें वे प्रजा–परिषद, प्रदेश भारतीय जन संघ के प्रकाशन विभाग के प्रभारी, पार्टी के अधिकारिक विभाग यथाः–जय स्वदेश, स्वदेश और दीपक के संपादक के रूप में कार्यरत रहे। यहाँ उन्होंने अनुभव किया कि भारत की इस महान रियासत जम्मू–व–कश्मीर की नींव महाराजा गुलाब सिंह जी ने रखी थी। परंतु यह पंड़ित प्रेमनाथ ड़ोगरा ही थे जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस राज्य को भारत का अभिन्न अंग बनानें में बड़ी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं उन्होंने इस रियासत और शेष देश के मध्य अविभाज्य वाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास किए।

## दूरदर्शी पंड़ित जी

पंड़ित ड़ोगरा जी के पास किसी भी सार्वजनिक मुद्दे को तर्को के साथ लेने का एक बड़ा गुण था। उन्होंने सदैव अपने सहयोगियों और अनुयायिओं को मुदलाल बनने की सलाह दी थी। अर्थात युक्तियुक्त तर्कसंगत बातें करने को कहा था।

वह धर्म, पंथ या रंग के आधार पर किसी भी प्रकार के विभाजन भेद–भावपूर्ण व्यवहार के विरोधी थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्नाह के दो–राष्ट्र सिद्धांत को अप्रिय और भयानक करार दिया क्योंकि यह लोगों को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करता है और विभिन्न धार्मिक विश्वासों बाले लोगों के मध्य बुरी भावनाएँ उत्पन्न करता है।

पंड़ित जी का विचार था कि धार्मिक विश्वास शांति, समृद्धि और सद्‌भावना की तलाश के लिए भगवान की पूजा करने के तरीके हैं कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या अन्य स्थानों पर ऐसा कर सकता है। परंतु यह राष्ट्रवाद या अन्य किसी राजनैतिक पहचान का आधार नहीं हो सकती। उनके यह विचार थे कि यदि धर्म को इस प्रकार के विभाजन के लिए आधार बनाया गया तो भारत एक देश के रूप में नहीं रह पाएगा क्योंकि यहाँ तो ईश्वर की पूजा के लिए विभिन्न विश्वास और मत प्रचलित हैं।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि भारतीयों की एक जैसी संस्कृति थी। हमारे पूर्वज एक थे। हम सब एक साथ रहते थे। हमारा रक्त एक ही है।

श्री ड़ोगरा जी इस बात पर सदैव ज़ोर देते थे कि किसी के द्वारा भी धर्म परिवर्तन करनें का यह अर्थ बिलकुल नहीं हुआ कि हमारा भूतकाल या हमारा रक्त बदल गया।

वह इस बात पर तर्क देते थे कि यदि धर्म को राष्ट्रत्व का आधार बना दिया जा सकता तो मुस्लिमों का अपना एक अकेला राष्ट्र होना चाहिए था, बौद्धों का अपना एक देश और ईसाईयों का अपना एक अलग देश बनना चाहिए था परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है।

पंड़ित जी का विचार था कि भारत का विभाजन व्यवहार विरूद्ध कल्पना थी जिसका अपना अलग प्रारूप था।

## क) अनुचित कल्पनाशील शिक्षा नीति

दूरदर्शी पंड़ित ड़ोगरा अपनी धारणाओं में बहुत स्पष्ट थे। वह नेशनल–कॉंफ्रेंस/कांग्रेस सरकार द्वारा अपनाई गई शैक्षिक नीति के विरोधी थे। विशेषरूप से मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उर्दू के शिक्षण और हिंदू बहुल क्षेत्रों में देवनागरी लिपि में हिंदी की भांति उर्दू के पढ़ानें के संबंध में। उन्होंने कल्पना की किस इससे न केवल सांप्रदायिक विभाजन होगा, बल्कि हिंदू क्षेत्रों में युवा पीढ़ी को फारसी लिपि में उर्दू से अनभिज्ञ होनें और देवनागरी में उर्दू सीखनें का उनको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि फारसी लिपि में लिखी जाने वाली उर्दू ही इस रियासत की भाषा है।

इस प्रकार मुस्लिम लोग हिंदी से अनभिज्ञ रह जाएँगे, जो कि हमारी राष्ट्र भाषा है। पंड़ित ड़ोगरा रियासत की भाषा के रूप में प्रचलित फारसी लिपि में उर्दू भाषा को अपनानें की दलील दे रहे थे और राष्ट्र भाषा होने के नाते देवनागरी लिपी में हिंदी को पूरी रियासत में अपनानें की दलील दे रहे थे। परंतु सुझावों को स्पष्ट परिणामों के कारण नज़रअंदाज़ कर दिया गया। सभी सरकारी कार्यालयों और यहां तक कि पुलिस स्टेशनों में आधारभूत काम जैसे पटवारी, मुंशी, और नांजिर इत्यादी की नौकरी मुस्लिम युवाओं को मिल गई क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्रों में भी उर्दू जाननें वाले युवा उपलब्ध नहीं थे।

हिंदू युवाओं को उच्च स्तर की नौकरीयों में भी समस्याओं का सामना करना

पड़ा। कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं और न्यायिक सेवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए युवाओं को भी परेशानीयों का सामना करना पड़ा क्योंकि सारा का सारा रिकार्ड़ उर्दू भाषा में ही होता है।

पंड़ित ड़ोगरा जी सभी व्यवहारिक कार्यो के लिए उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को रियासत पर लागू करनें की वकालत करते रहे। दुर्भाग्यवश पंड़ित ड़ोगरा जी के सुझाव उपेक्षित कर दिए गए और परिणाम बिलकुल स्पष्ट है।

वह शिक्षा को रोज़गार आधारित बनानें पर बल देते रहे ताकि बेरोज़गारी की समस्या से निपटा जा सके। साठवें दशक के अंतिम चरण में जाकर कहीं उनके एकमात्र महतवपूर्ण सुझाव को मान लिया गया और वह सुझाव था N.C.E.R.T. पुस्तकों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना। अन्यथा इससे पूर्व अत्याधिक आश्चर्यजनक प्रकार की पुस्तकें पाठ्यक्रम का हिस्सा हुआ करती थीं। इतना ही नहीं नेश्नल–कांफ्रेंस का घोषणापत्र नया कश्मीर स्कूली पुस्तकों में सम्मिलित किया गया था और पहले वाले शासकों को क्रूर और निरंकुशतावादी दर्शया गया था।

## ख) आर्थिक विषय

विभिन्न आर्थिक विषयों पर पंड़ित जी का स्पष्ट रूख था। विधानसभा के भीतर और बाहर वह अपने विचारों को तर्कसंगत ढंग से प्रकट करते रहते थे।

बढ़ती हुई बेरोज़गारी की समस्या से निपटने के लिए पर्यटन और औधोगिक क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष ध्यान देने पर बल देते रहते थे। वह सदैव यह चेतावनी देते रहे कि मात्र सरकारी सेवाओं के भरोसे बेरोज़गारी की चुनौतियों से निपटना असंभव है।

पंड़ित जी ने शिखर पर कार्य करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में सरकारी नेताओं को चेतावनी देते हुए यहा कहा कि इससे भ्रष्टाचार के अवसरों और अन्य अनेको समस्याओं में बढ़ोत्तरी होगी। उनका विचार था कि सरकार जितनी कम होगी संचालन (शासन) उतना ही अधिक अच्छी तरह से चल सकेगा।

औधोगिक क्षेत्र के संदर्भ में उनका मानना यह था कि सत्ताधारी नेताओं की अलगाववादी नीतियों के कारण इस क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाएगी क्योंकि यह बाहर से आने बाले निवेश में एक बड़ी बाधा साबित होगी। उधोगों के विकास में कमी के कारण राज्य को बेरोज़गारी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं

यह रियासत एक उपभोगता राज्य बन जाएगा, इसके पास देने के लिए बहुत कम होगा और यह इस दलदल से नहीं निकल पाएगा। अलगाववादी प्रवृत्तियों के कारण इस रियासत के औधोगिक क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाएगा।

विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए वह विशाल जल विधुत क्षमता के दोहन के लिए ज़ोर देते थे। जो विकास संबंधी गतिविधियों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त साधन था।

संकीर्ण क्षेत्रीय विचारों के कारण जम्मू क्षेत्र में पर्यटन हित के स्थानों के विकास की अनदेखी के लिए पंड़ित ड़ोगरा जी सरकार के नेताओं की आलोचना करते थे।

## विशिष्ट व्यक्तित्व

श्री सच्चर जी के अनुसार पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी एक महान डोगरा थे। वह एक उल्लेखनीय आत्मा अपने हृदय की अथाह् गहराईयों से देशभक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामजिक सेवा करने में समर्पित कर दिया। वह एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे।

## कुशल प्रशासक

पंड़ित जी एक समाज सुधारक, एक दूरदर्शी व्यक्ति, देश की एकता और अखंड़ता के लिए बड़ी से बड़ी कठिनाईयों का सामना करनें वाले व्यक्ति थे। जब अन्य कई व्यक्तियों को ज़ोर–जबरदस्ती और विभिन्न प्रकार के दबावो के अंतर्गत रखते हुए कठिन परिस्थितियों में जेलों में डाला जा रहा था, पड़ित जी उस समय भी अपने पथ से नहीं ड़गमगाए। उन्होंने रियासत जम्मू–कश्मीर और शेष भारत के बीच बनें हुए अवरोधों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया।

## पिता तुल्य व्यक्ति

पंड़ित प्रेमनाथ ड़ोगरा जी का निवास स्थान उनके संपूर्ण जीवन काल के दौरान गतिविधियों की चहल–पहल से भरा रहा। अधिकतर लोग तो उनके निवास स्थान को अपना ही समझते थे। इतना ही नहीं जब वह खाना खा रहे होते थे तो भी कई लोग अधिकांश समय उनके आसपास ही बैठे रहते थे। कई लोग तो अपनें घरेलू विवाद तक सुलझानें के लिए उनके पास आते रहते थे। परिवार के मुखिया की भांति उनकी राय (परामर्श) को ही फैसला मानते हुए उसका सम्मान किया जाता था।

बहुतेरे लोग तो बिना किसी अनुमति के ही अपने वाहन पंड़ित जी के आँगन में (बिना किसी आपत्ति) खड़े करते थे।

रूचिकर तथ्य तो यह है कि पंड़ित जी के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। वह अधिकतर पैदल ही चलते थे। दूर–दराज के छेत्रों में बैठकों में भाग लेनें और रैलियों को संबोधित करनें के लिए पंड़ित जी बसों में और यहाँ तक कि घोड़ों पर भी सफर करते थे। प्रत्येक सुबह लंबी सैर करना उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा थी। सुबह की सैर करनें वाले कई लोग तो तेजी से चलते हुए इस बुजुर्ग व्यक्ति के सान्निध्य में सैर करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते थे।

साधारणतयः प्रातः भ्रमण के पश्चात पंड़ित की आंगतुकों के साथ परिचर्या हेतु एक खुले कमरें में बैठते थे। कभी–कभी तो ऐसे ही लोगों के साथ वह सचिवालय या अन्य कार्यालयों में भी उनकी समस्याओं के निपत्तरे हेतु चले जाते थे। उन्हें सरकारी अधिकारीयों द्वारा सम्मान से लिया जाता था। पंड़ित जी जनमानस में लोकप्रीय व्यक्ति थे। वह केवल अपनी पार्टी के लोगों और अनुयायीओं की ही समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित नहीं रहते थे बल्कि (काफी हद तक) अकसर

विरोधी पार्टीयों के लोग भी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु पंडित जी के पास आते थे और पंड़ित जी निःसंकोच उनसे मिलते भी थे। वह सभी लोगों को अपना ही समझते थे, यद्यपि ऐसा करने पर प्रजा–परिषद् (भारतीय जन संघ) के कई कार्यकर्ता नाराज़ भी हो जाते थे। परंतु कोई भी व्यक्ति जो उनके पास मदद के लिए आता था पंड़ित जी उसकी सहायता करने में कभी भी संकोच नहीं करते थे।

इसलिए उन्हें अज़ातशत्रु के रूप में लिया गया। अर्थात उनका कोई शत्रु नहीं था। इस संबंध में पी.टी.आई. समाचार एजेंसी के प्रमुख संवाददाता श्री धर्म चंद प्रशांत ने पंड़ित जी को ऋद्धांजलि देते समय याद करते हुए बताया कि एक बार श्रीनगर मे, उन्होंने देखा कि कई कश्मीरी मुस्लिम बादशाह होटल के कमरे के गेट (दरवाजे) पर एकत्रित हुए हैं जहाँ पंड़ित ड़ोगरा जो ठहरे हुए थे। उन्होंने उनसे प्रशन किया कि वह इन (पंड़ित जी) ड़ोगराजी के पास क्यों आए हैं। यह तो संघ का आदमी हैं। परंतु उनका उत्तर था, ''...........ऐसा मत कहों, यह खुदा के बंदे हैं, जो सबका ख्याल रखते हैं।''

**''यह तो खुदा का बंदा है जो सब की सुनता है''**

**''इसलिए पंड़ित ड़ोगरा जो सभी के द्वारा श्रद्धेय थे''**

## सामाजिक पहलू

पंड़ित ड़ोगरा सामाजिक कार्यों के लिए कई निमंत्रण प्राप्त करते थे। लड़की की शादी में उनकी एक ही शर्त होती थी कि बारात का स्वागत वे स्वंय करेंगे और लड़के के परिवार वालों को शुभकामनाएँ देंगें। वे केवल हिंदू और सिखों के ही धार्मिक समारोहों में शामिल नहीं होते थे बल्कि मुस्लिम एवं अन्य संप्रदाओं के धार्मिक समारोहों में भी सम्मिलित होते थे। संघ के प्रांत संघचालक के नावजूद भी वह प्रत्येक धर्म को एक समान समझते थे इसलिए उन्हें विभिन्न धार्मिक विश्वासों के दार्शनिक सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान था। अतः उनका दृढ़ विश्वास था कि कोई भी धार्मिक विश्वास घृणा नहीं सिखाता परंतु कुछ ऐसे तत्व हैं जो अपनी छोटी सोच को पूरा करने के लिए इन विश्वासों का दुरूपयोग करते हैं।

## विधायक के नाते

राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में पंड़ित ड़ोगरा जी की भूमिका उनके विरोधियों द्वारा भी सराही जाती थी। शोर मचाए बगैर ही वह दूसरों के विचार बड़े ध्यानपूर्वक ढंग से सुनते थे। विधानसभा के भीतर उनकी उपस्थिति वेमेल (अतुल्निय) थी। जहाँ तक कि जब वह 80 से उपर और 90 से कम की उम्र के थे।

पंड़ित डोगरा सरकार की नीतियों और खामियों के प्रति व्यंगात्मक एवं आलोचनात्मक रूख अपनाते थे। परंतु कभी भी किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया। गलत नीतियों को सुधारनें हेतु वह अधिकांशतः नीतियों पर अपने सुझावों सहित बात करते थे।

## विपक्ष के नेता के रूप में

एक बार सत्र के अंत में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री जी.एम. सादिक ने कहा कि यदि कोई विपक्ष की भूमिका के बारे में जानना चाहता है तो उसे ड़ोगरा साहिब के बारे में जानना चाहिए। पंड़ित ड़ोगरा जी दो बार प्रजा सभा (तत्कालीन विधानसभा) के लिए 1936 और 1942 में नामांकित एवं निर्वाचित किए गए। वह 1957, 1962 और 1967 में राज्य विधानसभा के लिए हुए आम चुनावों में निर्वाचित हुए।

## शरणार्थियों के लिए राहत कार्य

बहुआयामी व्यक्तित्त्व के धनी होने के कारण पंड़ित जी और उनके सहकर्मियों ने धर्म के आधार पर नवनिर्मित पड़ोसी पाकिस्तान की ओर से विस्थापित हुए असंख्य शरणार्थियों के लिए राहत सामग्री जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा ही महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होंने पाक अधिकृत कश्मीर से बोरिया–बिस्तर समेटकर वर्ष 1947, 1965, 1971 में शत्रु द्वारा आक्रमण करने से आए हुए असंख्य शरणार्थियों के लिए भी राहत सामग्री जुटाई।

## सुरक्षाबलों की सहायता करना

उन्होंने सुरक्षा बलों के लिए (जब भी उन्होंने सहायता माँगी) यथासंभव मदद की व्यवस्था की थी। इस रियासत पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए 1947 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए भारी आक्रमण के समय लड़ाकू विमानों की आवाजाही के लिए जम्मू में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु संघ स्वंय सेवकों ने पंड़ित जी के कुशल मार्गदर्शन में सुरक्षाबलों की भरपूर सहायता की। सुरक्षा बलों द्वारा माँगी गई कोई भी मदद पंड़ित जी निसंकोच पूरी करने का प्रयास करते थे। प्राकृतिक आपदाओं के समय पंड़ित जी ज़रूरतमंद लोगों को मदद मिलती हुई देखने के लिए सदैव तत्पर रहते थे।

## अस्पृश्यता की बुराई

अन्य कई लोगों के विपरीत दूरदर्शी पंड़ित जी का विचार था कि छुआछूत मानवता के विरूद्ध एक श्राप है। वर्ष 1932 में जब महाराजा हरि सिंह जी ने सुधारों की घोषणा करते हुए मंदिरों के द्वार सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिए तो पंड़ित ड़ोगरा जी को लगा कि मात्र घोषणाओं से कुछ भी नहीं होगा। व्याधी की जड़े बहुत गहरी थीं। उन्होंने "ब्राहम्ण मुखिया मंड़ल" का आयोजन किया और "संतन धर्म सभा" में सुदृढ़ प्रविष्टि प्राप्त की, जो इस बुराई के समूल नाश के पक्ष में नहीं थीं। उसी समय में उन्होंने आर्य सामाजियों और हरिजन प्रचारकों के साथ मित्रवत संबंध स्थापित किए यह देखने के लिए इच्छित लक्षय की प्राप्ती बगैर किसी तनाव के प्राप्त हो सके।

इस दृष्टिकोण से पंड़ित जी ने बहुत पुरानी व्याधी को मिटाने के लिए एक कठिन कार्य को आसान बना दिया और कई लोग उन्हें आज भी इस तनावपूर्ण मुद्दे को सौहार्दपूर्ण व्यवहार से सुलझा लेने के लिए उनके प्रशासनिक कौशल के लिए

याद करते हैं। इस महान ड़ोगरा जी के दृष्टिकोण से प्रभावित होकर महाराजा जी ने 1934 में पहली प्रजा सभा के सदस्य के रूप में उनके नामांकन के लिए इस बात को भी आधार बनाया। यह प्रजा सभा एक प्रकार से राज्य की पहली विधानसभा थी।

## शराब एक बुरी बुराई है

पंड़ित जी सभी मादक पदार्थो जिनमें शराब सवोपरि है, को एक बड़ी बुराई बताते थे। अपने भाषणों के दौरान, विशेषतः जम्मू के ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्होंनें लोगों से शराब लेने से परहेज करने को कहा। इस शय के साथ–साथ वह ऐसे नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में बताते थे।

50 के दशक के आरंभ में पंड़ित जी को एक आश्चर्यचकित कर देने बाला अनुभव हुआ। वह घोड़ा (खच्चर) पर बैठकर अखनूर, तहसील के पलाँवाला क्षेत्र में जा रहे थे। पलाँवाला के समीप एक छोटी सी बस्ती ''पाड्ली'' में कुछ बुजुर्ग व्यक्ति पंड़ित जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने घोड़े को रोककर पंड़ित जी से कुछ ''ठंड़ा'' (जिसकी बोतलें सहायक नदी के ठंड़े पानी में रखी गई थीं) लेने का अनुरोध किया।

आश्चर्यचकित होते हुए पंड़ितजी मुस्कराए और इन यजमानों को पलाँवाला पहुँचने के लिए कहा और ''वापसी पर देखा जाएगा।'' ऐसा कहकर चले गए।

अधिकांश लोगों को आश्चर्यचाकित करते हुए पंड़ित जी ने तीस मिनट के अपने भाषण के दौरान केवल शराब की बुराईयों के बारे में बात की और लोगों को स्मरण/याद करवाया कि किस प्रकार बहादुर ड़ोगरों ने जम्मू–व–कश्मीर रियासत को बनाया था और इस रियासत को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए उनकी भावी पीढ़ियों की क्या जिम्मेदारियाँ बनती हैं।

पंड़ितजी के इस भाषण का इस पूरे ड़ोगरा बहुल क्षेत्र के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। अधिकांश लोगों ने इस ''कोल्ड़–ड्रिंकिंग'' (ठंड़ा–पेय) को छोड़ दिया और 1952–53 के दौरान भारत के साथ इस रियासत के पूर्ण एकीकरण के लिए हुए महान आंदोलन में अधितर सत्याग्रहियों की संख्या रियासत की केवल इसी ''बेल्ट (क्षेत्र)'' से रही जिन्होंने इस महान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। 1952–53 के इस महान आंदोलन में शहीद हुए 16 लोगों में से केवल आठ लोग अकेले इसी क्षेत्र से थे।

## मद्यनिषेध

पंडित जी विधानसभा के लगभग हर सत्र में शराब और अन्य नशीले पदार्थों के बढ़ते सेवन के कारण होने वाले नुकसान का व्यौरा देते थे और इन पर रोक लगाने हेतु आवाज़ भी उठाते थे।

एक बार रियासत की विधानसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद ने पचास के दशक में इस दलील पर प्रावधान की माँग को यह कहकर खारिज कर दिया था कि यह रियासत पर्यटन के लिए प्रसद्धि हे। इस पर पंड़ित डोगरा जी ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि आप आंगतुकों को शराब पेश करते हैं परंतु जम्मू में वैष्णों देवी जी के दर्शनहेतु तीर्थयात्री आते हैं, शराब पीनें के लिए नहीं।

उन्होंने महसूस किया कि मद्यपान (मदिरापान) लोगों को बर्बाद कर रही है विशेषकर जम्मू में रहने वालों को। परंतु कई त्रुटिपूर्ण कारणों से यह व्याधि अभी तक जीवित है और आश्चर्यजनक ढंग से जीवन के कई पहलुओं को हानि पहुँचा रही है।

## निर्धन और वृद्धों की देखभाल

पंडित जी वृद्धों और विकलांगों का भी ध्यान रखते थे। उन्होंने कुछ सेवानिवृत अधिकारियों और अन्य लोगों की सेवाओं का प्रवंधन करके वेद–मंदिर जम्मू में एक वृद्धाश्रम बनाया। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु उन्होंने डॉ. प्रभाकर और श्री ईश्वरदास मैंगी (शिक्षा विभाग से संबाधित होने के कारण लोग उन्हे मास्टर जी पुकारते थे) एवं कुछ अन्य व्यक्तियों जिनमें सेवानितृत डी.एफ.ओ. श्री खोसला जी सम्मिलित हैं उनकी समर्पित सेवाएँ लीं।

पंडितजी कुछ महत्त्वपूर्ण ट्रस्टों के ट्रस्टी भी थे जिनमें नारदमुनी ट्रस्ट भी शामिल है। जम्मू के कुछ स्थानों के अतिरिक्त श्रीनगर का हनुमान मंदिर भी इसके अधीन था।

**पंडित डोगरा अपने निवास स्थान कच्ची छावनीं में बैठक के पश्चात कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ**

## पंड़ित जी की महानता

पंड़ित जी को महानता का आंकलन इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने सरकार के भीतर और बाहर कई महत्त्वपूर्ण पदों पर होते हुए भी संपत्ति या दौलत एकत्रित करने हेतु लालायित नहीं हुए। उनके पैतृक स्थान जिसे ''पंड़ित जी दी कोठी'' के नाम से जाना जाता था, सभी के लिए खुली रहती थी। यह सिलसिला उनके संपूर्ण जीवन काल तक चलता रहा। महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनकी मृत्यु के 45 वर्ष पश्चात भी इस स्थान में भा.ज.पा. कार्यालय कार्यरत है। इससे उनकी महानता का स्मरण होता है। वह एक मार्गदर्शक के रूप में उन लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहे जो निःस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र की विभिन्न स्तरों पर सेवा करना चाहते हैं।

**श्री जी.एम. कारा (वरिष्ठ कश्मीरी मुस्लिम नेता) पंड़ित प्रेम नाथ ड़ोगरा जी के साथ उनके आमंत्रण पर उनके निवास स्थान जम्मू में चर्चा करते हुए।**
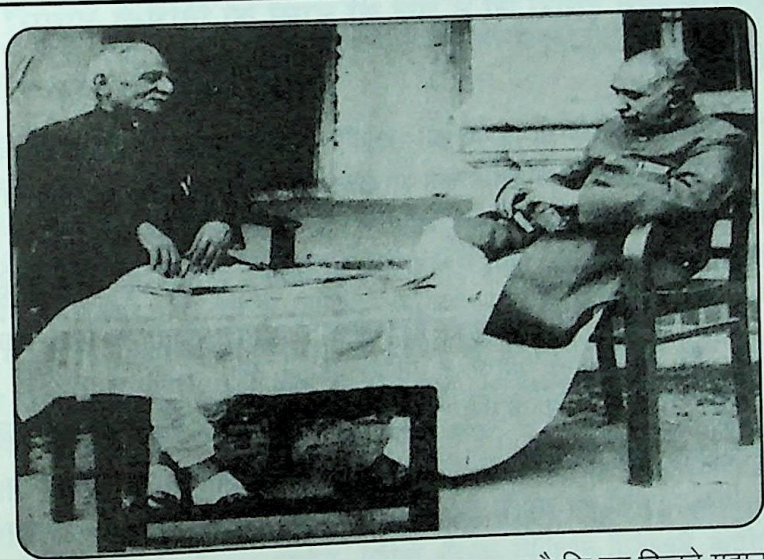
''..........यह स्थान आंगतुको को यह स्मरण करवाता है कि वह कितने महान थे...।'' वर्ष 1973 में पंड़ित जी की प्रथम पुण्यतिथी पर संघ नेता श्री माधव राव मूल्ये जी ने उन्हें श्रृद्धांजली अर्पित करते हुए ऐसा कहा था।

## दोषपूर्ण भूमि सुधार

वर्ष 1950 में शेख अब्दुल्ला द्वारा नियंत्रित नेशनल काफ्रेंस सरकार ने अपनी संकीर्ण विचारधारा पर चलते हुए आकर्षक प्रचार वाक्यों/नारों जैसे ''.......काश्तकारों को ज़मीन (भूमि) ............'' की आड़ में किसानों और जागीरदारों (भू–स्वामीयों) से भूमिछीन ली। यह भूमि महाराजा गुलाबसिंह जी के समय मुख्यतः उनको उपहार स्वरूप दी गई थी, जिन्होंने जम्मू–व–कश्मीर रियासत को बड़ा (समृद्ध) बनाने के अभियान के दौरान वीरता का परिचय दिया था और जागीर के रूप में भूमि उन छोटी रियासतों के मुखियाओं को दी थी जिन्होंने महाराजा के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए अपनी संप्रभुता त्याग दी थी।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस रियासत के बनने से पहले केवल जम्मू छेत्र में ही 22 के लगभग छोटी–छोटी रियासते थी। ड़ोगरों (ड़ोगरी भाषा बोलने वालो) में एक कहावत प्रचलित थी–''.....बाई शज प्हाड़ दे विच्च जम्मू सरदार.....''–जिसका अर्थ हैः–इस क्षेत्र में बाईस छोटे–छोटे राज्य थे जिनमें जम्मू सबसे बड़ा था।''

## पंड़ित प्रेम नाथ ड़ोगरा जी ने शेख की चालों का विभिन्न आधारों पर विरोध किया।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी पैतृक या अन्य किसी भी संपत्ति से बिना किसी मुआबज़े के वंचित करना अत्याचार है। यदि ''काश्तकार (हल जोतने वाला) को भूमि का सिद्धांत लागू करना ही है तो बस (ट्रक) चालक को और कारखाना श्रमिकों को और दूसरे क्षेत्रों में कुछ इसी प्रकार से क्यों नहीं होना चाहिए।

परंतु वामपंथियों की वाह्–वाह् और प्रशंसा से कायल होकर नेशनल–कांफ्रेस नेताओं और समयानुवर्ती लोगों ने पंड़ित ड़ोगरा और उनके सहयोगियों को प्रतिक्रियावादी, जागीरदारों के ऐजेन्ट, संप्रदायिकतावादी और क्या–क्या नहीं कहा।

उपरोक्त तानों से निड़र रहते हुए पंड़ित जी ने कई वैकल्पिक सुझाव दिए कि विधि–विरूद्ध कृत्यों का सहारा लेने और अराजकता फैलानें के बजाए सरकार को औधोगिक ईकाईयाँ स्थापित करनी चाहिए, पर्यटन स्थलों को विकसित करना चाहिए और विभिन्न नौकरियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। परंतु नए सत्ताधारी शासकों ने उनके सुझावों की ओर कोई ध्यान न देते हुए लोगों को साप्रदायिकता, जातपात एवं अन्य आधारों पर बाँटते रहे।

पंड़ित ड़ोगरा जी ने ''प्रगतिशीलों'' द्वारा किए गए अनेकों भूमिसुधारों का भी विरोध किया। उनका यह अवलोकन इस तथ्य पर आधारित था कि सरकार द्वारा अपनाए गए सभी तरीके अदूरदर्शी नहीं थे। पहले तो सरकार ने भूमि रखनें की सीमा 182 कनाल तय की थी परंतु बाद में इसे घटाकर 100 कनाल कर दिया गया।

इस प्रकार से उत्पन्न स्थिति अब भलीभांती इंगित करती है कि पंड़ित ड़ोगरा जी कितनें दूरदर्शी व्यक्ति थे क्योंकि समय के साथ–साथ परिवारों के विघटन (विभाजन) से ''भूमि–जोतें'' छोटे–छोटे खंड़ों में बँट गई।

यहाँ तक कि सरकार का अपना सर्वे बताता है कि इस रियासत में 95% से अधिक किसान ''सीमांत'' हो चुके हैं जो कि अलाभकारी अनौपचारिक ईकाई है। यह किसानों की आर्थिक दशा को ही नहीं अपितु संपूर्ण कृषि कार्य को प्रभावित करने वाली है।

तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्ष 1950 में जिस अनाज का आयात 40,000 मिट्रिक टन था वह आज बढ़कर 10,00,000 हो गया है। इसके अतिरिक्त 15 लाख भेड़े, बकरियाँ (कोर) मुर्गियाँ और अन्य खाधान्न वस्तुएँ भी आवश्यकतानुसार आयात की जाती हैं परंतु इसके बावजूद भी आत्मनिर्भरता के प्रचार वाक्यों (नारों) पर सरकार ने हज़ारों करोड़ रूपया खर्च कर दिया।

## कलाबाज शेख

वर्ष 1949 में शेख अब्दुल्लाह के विधान (की व्यवस्था) ने पंड़ित जी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। उनके विरूद्ध झूठा आरोप यह लगाया गया कि वह मुस्लिमों के विरोधी हैं इसलिए जम्मू क्षेत्र से अधिकतम मुस्लिम पाकिस्तान की ओर चले गए। उन्हें केवल गिरफ़्तार ही नहीं किया गया अपितु बगैर सुनवाई के भी रखा गया। इतना ही नही उन्हें कड़कड़ाती सर्दि की कठिनतम परिस्थितियों का सामना करवाने के लिए श्रीनगर जेल स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु घटित घटनाओं का उपहासात्मक अनुकरण यह है कि 1938 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह जम्मू ड़ोगरा सदर सभा की एक सभा में उपस्थित थे तब उन्होंने पंड़ित जी की प्रशंसा करते हुए कहा था कि वह एक महान धर्मनिरपेक्ष अधिकारी थे। उन्होंने 1931 में मुज़फ्फराबाद में वजीर–वज़राट के रूप में किसी भी प्रकार के दमन का सहारा लिए बग़ैर स्थिति को सँभाला, जबकि जम्मू–व–कश्मीर रियासत के कश्मीर प्राँत के अन्य भागों/क्षेत्रों में उत्पीड़न की स्थिति थी।

परंतु राज्य में राजशाही के अंत के पश्चात, उसी शेख ने और अधिक घृणित कार्य किया। जम्मू की जनता के सत्तारूढ़ दल के प्रतिकूल होने के कारण उसे शत्रु एजेंट के रूप में लिया गया था और जेलो में अत्याधिक क्रूर व्यवहार को बढ़ाया गया था।

पंड़ित जी के विरूद्ध आरोप एक स्पष्ट प्रारूप के अनुसार था जिसके अनुसार जम्मू के हिंन्दुओं एवं मुसलमानों के बीच दुर्भावनाओं को हवा दी जानी थी। जम्मू निवासियों को साप्रदयिकता के आधार पर बाँटना और जम्मू–व–कश्मीर रियासत की कश्मीर घाटी में प्रजा–परिषद् के विरूद्ध नफरत पैदा करना भी उसी प्रारूप का एक हिस्सा था।
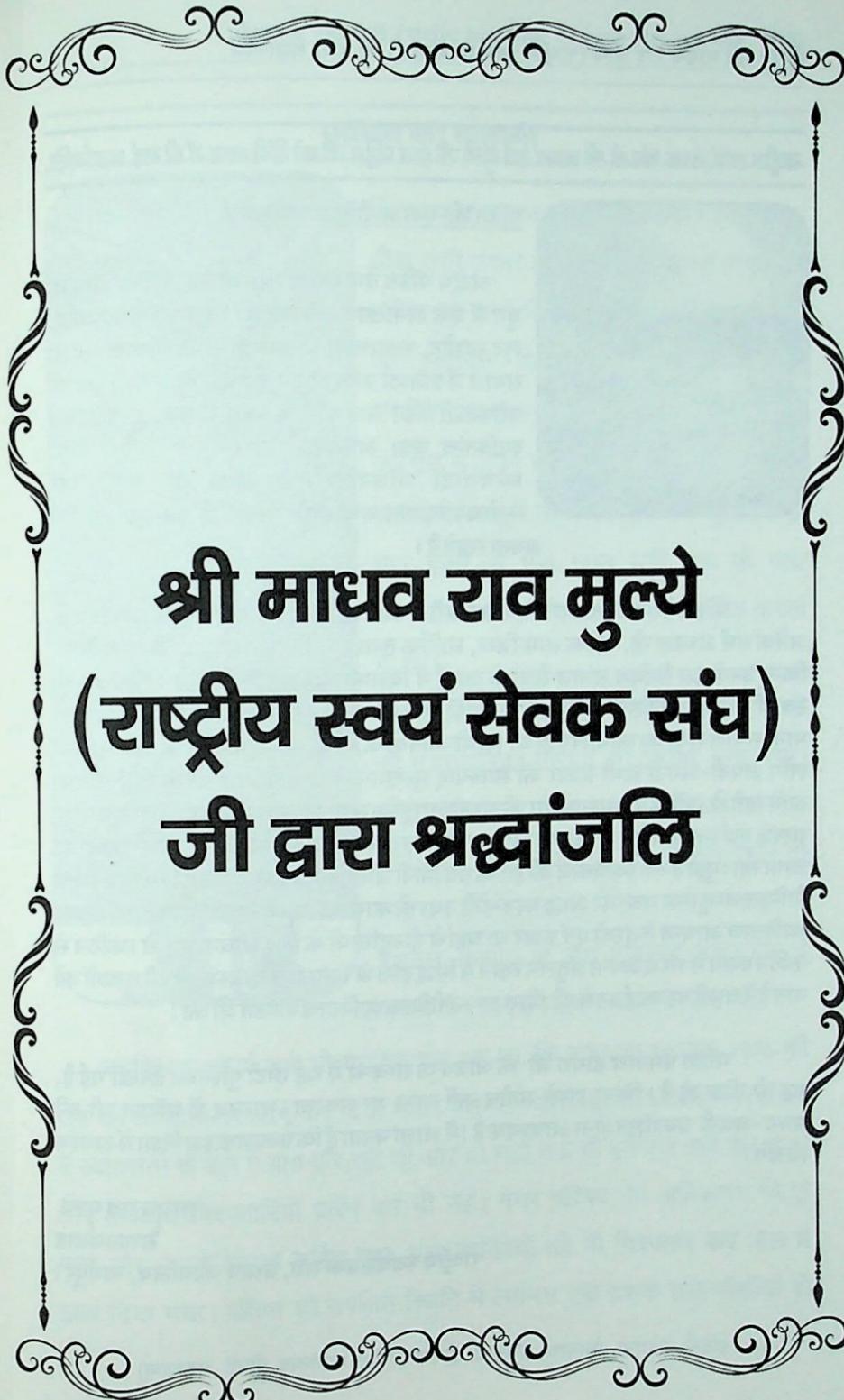
# श्री माधव राव मुल्ये (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) जी द्वारा श्रद्धांजलि

## राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के श्री माधव राव मुल्ये जी द्वारा पंडित जी को हिंदी भाषा में दी गई श्रद्धांजलि

### पंडित जी-एक अलौकिक व्यक्तित्व

श्रद्धेय पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जीवन, आप के युग में एक अनोखा व्यक्तित्व है। जिस काल में स्वार्थ, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी आदि बुराइयों को ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो उस काल में निःस्वार्थ, सहदय परोपकारी तथा राष्ट्रभक्ति के भाव से भरा हुआ पवित्र व्यक्तित्व क्या आसामान्य वस्तु नहीं ? ऐसे श्रेष्ठ ध्येयवादी जीवनादर्श ही आज की पीढ़ी को कर्तव्यपरायणता तथा देश भक्ति के संस्कार देने की क्षमता रखते है।

पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने सरकारी उच्च पदों पर कार्य किया, नगर पालिका के अनेक वर्ष अध्यक्ष रहे, अनेक सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतीक संस्थाओं में कार्य किया किन्तु उनके इस विविध समाज सेवा के कार्यो में विशेषता यह रही कि उन्होने यत्किंचित भी स्वार्थ साधन नहीं किया। नाम की चाह नहीं रखी। वे एक अखण्ड कर्मयीगीं थे। उनका धर मानों समाज सेवा का कार्यालय ही था।सभी जातियों के, सभी वार्णो के, वर्गो के तथा स्तरों के लोग अपनी-अपनी सभी प्रकार की समस्याएं सुलझाने के लिए पण्डित जी के पास दिनभर आते रहते थे।पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी सहृदयता पूर्वक सभी की बात सुन कर उनको यथोचित सलाह एवं सहायता देते थे।उनका व्यक्तित्व इस तरह संपूर्ण जम्मू-कश्मीर में उनकी मृत्यु तक छाया रहा।मुझे उनके व्यक्तित्व की झल्क तब मिली जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के निमित्त जम्मू गया तथा मेरे अग्रह पर उन्होंने उधर के कार्य का नेतृत्व ग्रहण किया। जहां उनका व्यक्तित्व अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रखर था वहां वे दीनदुखियों के लिए जीवनाधार थे। कठिन से कठिन प्रसंग में भी वे अपना संतुलन रखने में सिद्ध हस्त थे।अपनी वृद्धावस्था में भी तरूणों को मात देने वाली तरूणाई उन में थी।ऐसा था अलौकिक व्यक्तित्व पण्डित जी का।

पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के जीवन के सम्बन्ध में यह छोटी पुस्तिका लिखी गई है, यह तो ठीक ही है। किन्तु इससे संतोष नहीं माना जा सकाता। वास्तव में पण्डित जी की समग्र-जवनी प्रकाशित होना आवश्यक है।मैं आशा करता हूँ कि प्रकाशक इस दिशा में अवश्य सोचेंगे।

माधव राव मुल्ये<br>
सरकार्यवाह<br>
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रधान कार्यालय, नागपुर।

संदर्भः-ड़ोगरा, प्रेमनाथ, प्रेमनाथ ड़ोगरा विविध व्यक्तित्व (हिंदी संस्करण)

## प्रतिमा की कहानी

जिस प्रकार उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था ठीक उसी प्रकार से इस महान ड़ोगरा सपूत की प्रतिमा को बनने में अद्‌भुत समस्याएँ सामने आई जो सत्तापक्ष के नेताओं, कांग्रेस–नेशनल–कांफ्रेंस द्वारा उत्पन्न की गई थी।

जनसंघ ने अपने घोषणपत्र में कई वादो के साथ राजधानी जम्मू में नागरिक चुनावों में चुनाव लड़ा था। इनमें से एक जम्मू तवी पुल के पास प्रेम–नाथ ड़ोगरा जी की प्रतिमा स्थापित करना भी था।

1972 के चुनावों के मद्देनज़र वैध विष्णु दत्त जी को नगरपालिका परिषद का अध्यक्ष चुना गया। परिधी मेनिफेस्टो के अनुसार पंड़ित जी को एक आदमकद प्रतिमा तैयार हो गई लेकिन पहले तो कांग्रेस के सत्ताधारी नेता और बाद में नेशनल–कांफ्रेस के शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने स्थापना के स्थान को लेकर बाधा उत्पन्न की।

जबकि यह संघर्ष अभी भी यथावत् चल रहा था, कि अचनाक 24 जून, 1975 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया। नेशनल–कांफ्रेंस अधिकतर इस रियासत में स्वायत्तता के बारे में बात कर रही थी और दो घंटों तक भी इतेज़ार नहीं कर सकी और अंधाधुंध गिरफ्तारियाँ प्रारंभ कर दी गई। नगर परिषद का अधिक्रमण किया गया और उसके अध्यक्ष सहित कुछ अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर जेल में ड़ाल दिया गया। प्रतिमा को उपेक्षित स्थिति में लगभग एक दशक तक सीढ़ीयों के

नीचे रखा गया।
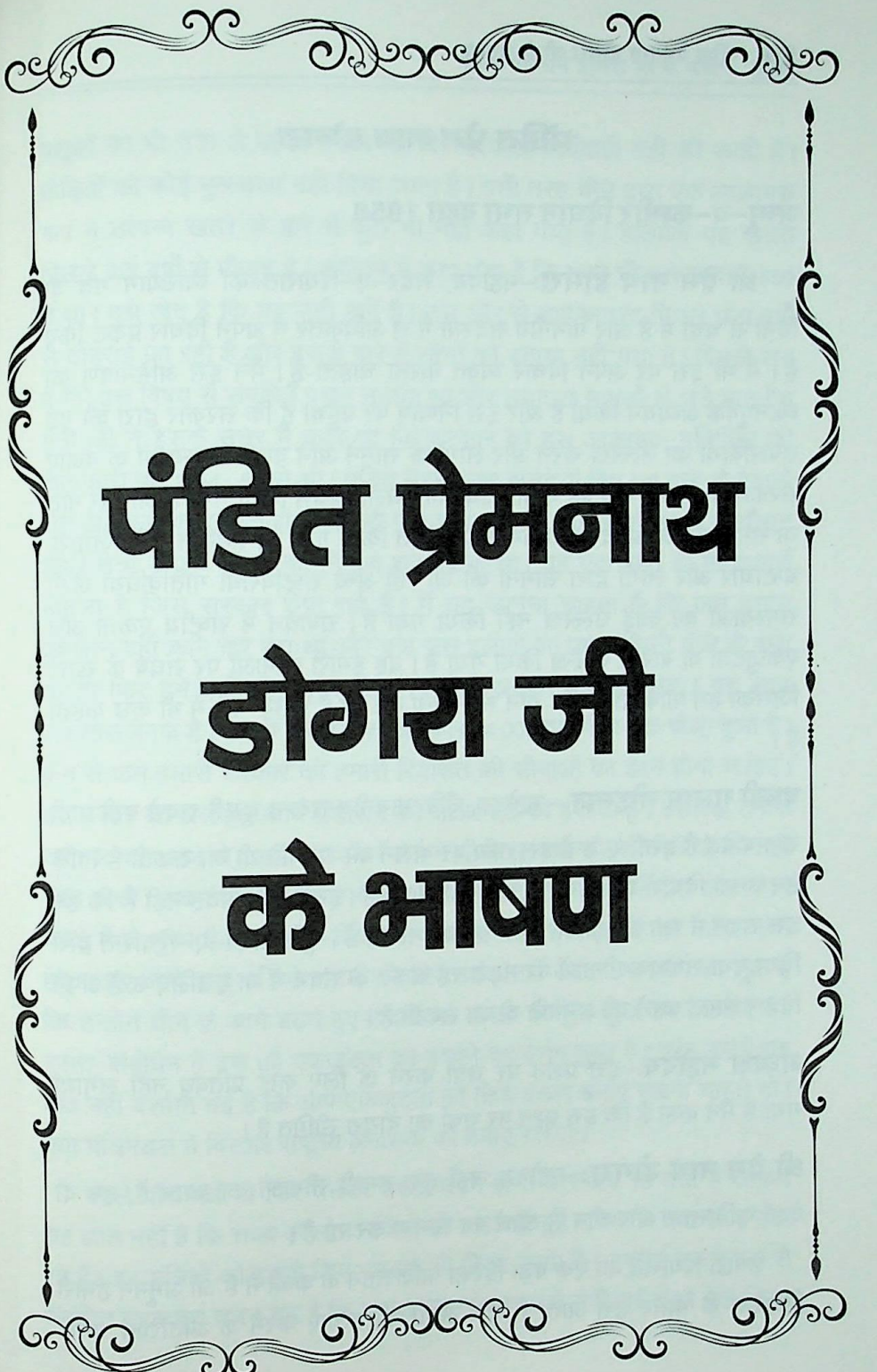
वर्ष 1980 में हुए नगरपालिका (परिषद) चुनावों में पुनः श्री वेद बजाज जी जम्मू (JMC) (पालिका / परिषद) के अध्यक्ष के रूप में चुने गए।

इसी बीच कांग्रेस–नेशनल–कांफ्रेंस के दो ध्रुव अलग–अलग हो गए। फारूख द्वारा नेतृत्व की जाने वाली नेशनल–कांफ्रेंस सरकार अपने ही विरोधियों श्री जी.एम. शाह (फारूक के साला–साहब) द्वारा नेतृत्व की जाने वाली नेशनल–कांफ्रेंस से हार गए और कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बनें।

वर्ष 1983–84 में जब श्री जी.एम. शाह के मंत्रीमंड़ल में श्री जी.एम. भद्रवाही कैबिनेट मंत्राी थे तब श्री बजाज को अवसर प्राप्त हुआ और पंड़ित जी को प्रतिमा को तवी सेतु के समीप प्रस्तावित स्थान पर स्थापित किया गया।

समारोह में श्री भद्रवाही जी ने भी भाग लिया और पंड़ित जी को श्रद्धांजलि अपर्ति करते हुए महाराजा की भद्रवाह जागीर के प्रशासक के रूप में उनकी सेवाओं और लोकप्रियता को याद किया।

वर्ष 2016 में जम्मू–पूर्व से भा.जा.पा. विधायक श्री राजेश गुप्ता जी ने अपने चुनाव क्षेत्र के विकास निधि से कुछ लाखों रूपए खर्च करके प्रतिमा के चारों ओर वाले स्थान को अच्छी अवस्था में लाया। इससे प्रतिमा के साथ–साथ वह स्थान भी देखने में आकर्षक लगने लगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंड़ित प्रेमनाथ डोगरा जी एक महान खिलाड़ी भी थे। लाहौर में अपने कालेज दिनों के दौरान वह फुटबाल के एक महान खिलाड़ी थे। इस महान खिलाड़ी की याद को जीवंत रखने के लिए ''पंड़ित प्रेम नाथ ड़ोगरा फुटबाल मेमोरियल कलब'' द्वारा श्री राजेश गुप्ता जी (एम. एल.ए.) की अध्यक्षता में एक बड़ी फुटबाल प्रतियोगिता आयोजित की गई और आधिकारिक तौर पर परेड़–ग्राऊँड जम्मू के मिनी स्टेड़ियम का नाम ''प्रेम नाथ ड़ोगरा स्टेड़ियम'' रखा गया।

# पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के भाषण

# पंडित प्रेम नाथ डोगरा

## जम्मू–व–कश्मीर विधान सभा बहस 1958

**श्री प्रेम नाथ डोगरा**:–महोदय, सदर–ए–रियासत का व्याख्यान गत दो दिनों से चर्चा में है और माननीय सदस्यों में से अधिकतर ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं भी इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने इस अभिभाषण का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों का उल्लेख करने और लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बजाए सरकार के पिछले वर्षो की गतिविधियों का धुँधला चित्रण किया गया है जो प्रेस नोट या समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। संबोधन में बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार और लोगों द्वारा सामना की जा रही अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों जैसी समस्याओं का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संबोधन में राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के बारे में उल्लेख किया गया है। यह हमारी सीमाओं पर संघर्ष के खतरे जिसका हम पाकिस्तान और चीन से सामना कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ कहता है।

**बख्शी गुलाम मोहम्मद**:– महोदय, चूँकि माननीय सदस्य दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से संबधित हैं इसलिए उन्हें इस तथ्य पर बोलने की अनुमति दी जा सकती है ताकि हम उनके विचारों को जानने में सक्षम हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इस सदन में रक्षा से संबंधित बात नहीं कर सकते हैं। चूँकि सदर–ए–रियासत द्वारा दिया गया संबोधन सीमाओं पर मंड़रा रहे संकट के संदर्भ में था इसलिए उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

**अध्यक्ष महोदय**:–इस प्रशन पर चर्चा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है मैंने कहा है कि इस प्रश्न पर चर्चा का दायरा सीमित है।

**श्री प्रेम नाथ डोगरा**:–महोदय जहाँ तक हमारी सीमाओं का प्रशन है, हम दो देशों पाकिस्तान और चीन से खतरे का सामना कर रहे हैं।

हमारी रियासत का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है जो अमूमन हमारी रियासत के भीतर घुस आता है और लोगों की हत्याएँ करने के अतिरिक्त उनके

पशुओं को भी उठा ले जाता है। उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इसी तरह चीन द्वारा एक आक्रामक रूप में उत्पन्न खतरे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि यह खतरा पिछले कई वर्षों से मौजूद है। संबोधन में कहा गया है कि हमने चीन से खतरा 1959 में था। मुझे खेद है कि यह सही नहीं है। उस ओर से आक्रामकता पिछले पाँच वर्षों से दोहराई जा रही है और इसके बारे में लोगों को बताया नहीं गया है। पिछले सत्र में मैंने इस विषय से संबंधित प्रशन उठाया था और लद्दाख मामलों से जुड़े माननीय मंत्री जी ने इसके उत्तर में कहा था कि सरकार को इस आक्रामक गतिविधि की जानकारी वर्ष 1954–55 से थी। पंड़ित नेहरू द्वारा संसद में दिए गए बाद के बयानों और अधिकारिक दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि चीन ने वर्ष 1954 के दौरान हमारे क्षेत्रों में एक सड़क का निर्माण शुरू किया था। यह एक बहुत ही महत्तवपूर्ण मामला है जिसे सरकार छुपा रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा प्रशासन वहाँ काम कर रहा था और क्या उस इलाके का प्रभार किसी मंत्री के पास था तो फिर हमें क्यों इस खतरे से समय रहते अवगत करवाया गया। यह बहुत अफसोसजनक है। हमारी रियास्त का क्षेत्रफल 84,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। कम से कम हमारी सरकार को हमारी रियासत की सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार का असफल कार्य प्रशासन की असक्षमता को दर्शाता है। इसलिए हमारी सरकार वर्ष 1954 से 1959 तक हमारे क्षेत्र में चीनी सरकार की गतिविधियों को नही जान सकी। अब तक चीन हमारे देश का लगभग 12.5 हज़ार वर्ग मील क्षेत्र अपने कब्जे में ले चुका है। सदर–ए–रियासत का अभिभाषण इस इलाके को वापिस लेने हेतु उठाए जाने वाले उदिष्ठ कदमों की ओर संकेत नहीं करता। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने चीन के आगे बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। दूसरा, संबोधन में देश की एकजुटता को दर्शाने का वर्णन हुआ है। परंतु इसमें यह बात नहीं दर्शायी गई है कि आप एकजुटता को किय प्रकार बनाए रखना चाहते हो। क्या मंत्रिमंडल में विस्तार राष्ट्रीय अखंड़ता को बनाए रखेगा।

पहले पाँच मंत्री थे फिर उनकी संख्या बढ़ने लगी और अब 16 मंत्री हैं लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि राज्य के लोग मंत्रियों की इस बढ़ी हुई संख्या से क्या लाभ उठा रहे हैं। इन मंत्रियों को इसके लिए भुगतान भी किया जाता है। राष्ट्रीय एकजुटता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशन यह है कि हमारा पक्ष लोकसभा में सही तरीके से पेश किया

जाना चाहिए और रियास्त के लोगों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी ने लोकसभा के लिए कुल 6 व्यक्तियों को नामित किया है और उन्हें भी केवल कांग्रेस पार्टी के साथ लोकसभा में बैठने के लिए निर्देशित किया गया है। इस प्रकार से वे सभी उसी पार्टी के नियंत्रण में रहेंगे। क्या वे हमारे सही मायने में प्रतिनिधि हैं? मैं यह मानता हूँ कि वह नहीं हैं। महोदय सही एकजुटता तभी संभव है जब हमारी रियासत के लोग भी उन विशेषाधिकारों का लाभ उठा सकें जैसा कि देश के अन्य भागों में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। इस संबंध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि रियासत के लोगों की लोकसभा में अपने सही प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे देश द्वारा भोगी जा रही समस्याओं का समाधान करने हेतु अपनी सही भूमिका निभा सकें। मैं सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) और चुनाव आयोग का क्षेत्राधिकार कुछ हद तक इस रियासत पर लागू होने से प्रसन्नता अनुभवत करता हूँ। परंतु मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप लोकसभा में प्रतिनिधियों को सीधे चुनाव के माध्यम से चुनकर भेजे जाने से इतना क्यों भयभीत हो। राष्ट्रीय एकता और अखंड़ता के लिए रियासत का भारत के साथ पूर्ण विलय आवश्यक है। 6 फरवरी का दिन पूर्ण विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष भारी वर्षा होने के कारण आप इस अवसर को नहीं मना पाए। लोगों से योगदान लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय संघ के साथ रियासत का विलय 22 अक्तूबर को महाराजा द्वारा किया गया था। मुझे नहीं पता कि आप इस दिन को केवल 6 फरवरी को कैसे मनाते हो। महोदय, जो माननीय सदस्य हमारे साथ बैठते थे, वे अब खज़ाने के समुद्र तटो को पार कर गए हैं। एक बार से अधिक मैं यह कह चुका हूँ कि आप सभी एक ही खंड़ के टुकड़े हैं। आप में कुछ झुंझलाहट थी जिसे साद्दिक साहब ने नहीं हटाया था। जबकि 4 साल तक विपक्षी बेंच पर बैठे रहे और विपक्ष की कठिनाईयों का अनुभव किया। वे अमूमन इनके बारे में सदन में बात करते रहते थे। मैं साद्दिक साहब से अनुरोध करूँगा कि वह हमारी मदद करें क्योंकि उन्होंने स्वयं कठिनाइयों का अनुभव किया है वशर्ते कि उन्होंने इस अवधि के दौरान जो कुछ भी प्राप्त किया है उसे याद रखें।

हमारे बीच कुछ बुनियादी अंतर हैं लेकिन सीमाओं की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए किसी भी प्रयास में हम हमेशा आपका पूरा समर्थन करेंगे। मैं आपको

विश्वास दिलाता हूँ, हालांकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अभी भी सीमा पर जानें और देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ।

महोदय, सरकार ने पंचायतों के चुनावों के लिए नियम बनाए हैं। इन चुनावों को आयोजित करने से पहले, यह तय नहीं किया गया था कि पार्टी की राजनीति से अलग हटकर केवल ऐसे व्यक्ति को, जिसने लोगों का विश्वास जीता हो और जो समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता हो, उसी को सदस्यों के रूप में चुने जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री द्वारा जारी किए गए निर्देशों को इन चुनावों के दौरान गंभीर अनियमितताओं के परिणामस्वरूप लागू नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं मतगणना के दौरान मतपत्रों की अदला–बदली की गई।

**बख्शी गुलाम मोहम्मदः**–क्या आप मुझे उस व्यक्ति, जगह और तहसील का नाम बताएँगे। ताकि मैं आप को कल उत्तर दे सकूँ।

**पंड़ित प्रेमनाथ डोगराः**–यह तहसील साँबा में हुआ।

**बख्शी गुलाम मोहम्मदः**–उस व्यक्ति का नाम क्या है?

**पंड़ित प्रेम नाथ डोगराः**–मैं नहीं जानता हालांकि, आज जाँच करने के पश्चात मैं आपको बता दूँगा। पंचायतों के सदस्यों के रूप में चुने गए व्यक्ति निरक्षर हैं और किसी भी शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति को चुने जाने की अनुमति नहीं है। दुर्भाग्य से जुनियर अधिकारियों को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है जो प्रभाव में आ सकते हैं और अनियमितता को करने के लिए मज़बूर किए जा सकते हैं। हो सकता है कि यह माननीय प्रधानमंत्री के ध्यान में आया हो कि चुनाव दलगत आधार पर नहीं लड़े जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों को सब पता होता है।

वह प्रजा परिषद, नेशनल–कांफ्रेंस और लोकतांत्रिक नेशनल–कांफ्रेंस से संबधित किसी भी व्यक्ति को जानते हैं इसलिए सत्तापक्ष से संबंधित व्यक्ति को वापिस लाने के प्रयास किए जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, हाल के चुनावों के दौरान हुई अनियमिततायों की मात्रा पिछले चुनावों की तुलना में बहुत अधिक है। इस सदन में यह घोषणा की गई थी कि ऐसे

समुदायों से संबंधित व्यक्ति जिनका पंचायतों में प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल नामांकित होंगे। इन नामांकनों के बारे में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। नामांकित व्यक्तियों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। मैं आपको यह बताने की स्थिति में हूँ कि क्या नामांकन के पश्चात वास्तविक व्यक्तियों को नामित किया गया है या नहीं केंद्र सरकार से विकासात्मक योजनाओं के लिए बड़ी राशि प्राप्त की जा रही है। नियोजन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि इन भारी खर्चो से लोगों को कितना फायदा हुआ है। यह दावा किया गया है कि राष्ट्रीय आय काफी हद तक बढ़ गई है। लेकिन लगता है कि मूल्य वृद्धि की सूरत में राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मैने पिछले सत्र के दौरान भी कहा था कि कुछ ही व्यक्तियों को लाभ दिया गया है और वो ही अमीर बन पाए हैं। उनके हालात ज़रूर बदले हैं। राष्ट्रीय आय में दर्ज वृद्धि का पता लगानें के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह केंद्र सरकार द्वारा किया गया है और मुझे लगता है कि आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। अब मैं भ्रष्टाचार के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इसकी रोकथाम के लिए एक कानून पारित किया गया है। इस कानून को पारित करते समय यह सोचा गया था कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा परंतु इसके विपरीत यह बुराई और भी बढ़ गई है। इस संबंध में कुछ कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि इसे लागू नहीं किया जा रहा है। अब यह कहा जाता है कि आयोग के पास शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। यदि एक गरीब व्यक्ति गवाहों द्वारा एक शिकायत दर्ज करता है जो एक साधारण व्यक्ति के लिए इतना आसान नहीं है। लोग अभी तक इस बुराई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं।

**बख्शी गुलाम मोहम्मदः**—क्या आप इस संबंध में कुछ उपाय सुझा सकते हैं?

**पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जीः**— आपका लोगों से घनिष्ठ संपर्क है इसलिए आपको इस संबंध में जानकारी प्राप्त करना कठिन नहीं है।

**बख्शी गुलाम मोहम्मदः**—कभी—कभी मुझे भी जानकारी मिलती है परंतु आपको अपने सुझाव देने चाहिए।

**पंड़ित प्रेम नाथ डोगराः**—मेरा निवेदन यह है कि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने

के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, परंतु व्यवहारिक रूप से इस संबंध में कुछ नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को दिन–प्रतिदिन प्रोत्साहन मिलता है।

कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और विभिन्न योजनाओं को लागू करके कृषि प्रस्तुतियों में वृद्धि पर जोर दिया गया है। मैं इस प्रकार की वृद्धि की सीमा जानना चाहता हूँ और यह कहा जाता है कि ''ड़वल क्रॉपिंग'' शुरू की जाएगी, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इसके लिए आवश्यक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं या नहीं। सरदार कुलबीर सिंह जी ने कहा है कि लगभग 14480 कनाल क्षेत्र को ''ड़बल क्रॉपिंग'' के तहत लाया गया है और यह प्रयोग सफल सावित हुआ है।

**नोटः**–कुछ सदस्य, एक–दूसरे से बात करनें में व्यस्त थे।

**अध्यक्ष महोदयः**–अगर माननीय सदस्य गपशप करना बंद नहीं करते हैं तो मैं बैठने की व्यवस्था को बदलने के लिए मज़बूर हो जाऊँगा।

**पंडित प्रेम नाथ डोगरा जीः**–मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मिट्टी की प्रकृति की खेत से दूसरे खेत में भिनन होती है। दस खेतों की मिट्टी एक ही क्षेत्र में दूसरे की तुलना में बेहतर हो सकती है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि सभी लोग समान सुविधाओं का आनंद नहीं ले रहे हैं। कृषि गतिविधियों के बारे में एक पैम्फलैट जारी किया गया हे, जो दोहरी फसल के तरीकों को दर्शाता है। पैम्फलैट में कहा गया है कि 30 मॉंड (1 मॉंड = 40 सेर) गौवंश का गोबर और 12 किलो अमोनिया सल्फेट एक एकड़ भूमि में दोहरी फसल लगाने के लिए आवश्यक है।

हो सकता है कि कृषि निर्देशक ने प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए गाय के गोबर की इतनी मात्रा प्राप्त की हो, परंतु सभी लोगों के पास गोबर की इतनी मात्रा नहीं हो सकती है। आप सब इस बात को भली–भांति जानते हैं कि इन इलाके के लोग जहाँ यह प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ बहुत कम संख्या में मवेशी हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या में चारागाह नहीं हैं। जब आपके पास कोई मवेशी नही हैं तो आपके पास गौवंश का गोबर कहाँ से आ सकता है। इन परिस्थितियों में मुझे यह कहने के लिए मजबूर किया जाता है कि यह बाते केवल प्रचार हैं और इस संबंध में कुछ भी व्यवहारिक नही है। आवश्यक सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त जागीरां की चकबंदी से

संबंधित कानून पारित किया गया। परंतु इस कानून को लागू करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं है। इस कानून को पारित करने से पहले कुछ व्यक्तियों को प्रशिक्षित भी किया जाना चाहिए था। मुझे पता चला है कि उत्तर प्रदेश के कुछ अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। यह प्रशासन में अक्षमता दर्शाता है। संबंधित विभाग में बहुत सारे अधिकारी काम कर रहे हैं और उनमें से कुछ को प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए था। नए विद्यालय खोलने के लिए हमें केंद्र से पर्याप्त धनराशि मिल रही है। परंतु यह पाया गया है कि अधिकांश विद्यालय अपर्याप्त कर्मचारियों और उपकरणों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह अपर्याप्त कर्मचारियों और उपकरणों के कारण बेकार हो जाएगा। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना बेकार होगा यदि प्रशिक्षित शिक्षक–शिक्षण उद्देश्यों के लिए वहाँ प्रतिनियुक्त नही किए जाते हैं

कीमतें दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और कीमतों की जाँच करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। यह कहने का कोई तर्क नहीं है कि बढ़ती कीमतों के कारण भारत में रहने वाले लोग भी प्रभावित हैं। कम भुगतान वाले कर्मचारियों को मुल्य वृद्धि द्वारा नुकसान हुआ है। सरकार ने उनके पक्ष में महँगाई भत्ते के रुप में पाँच रुपए मंजूर किए परंतु यह उनकी आय और बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए अपर्याप्त है। इन गरीब कर्मचारियों की स्थिति को बेहतर करने के लिए बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

समाजवाद के बारे मं लंबी–लंबी बातें की जाती हैं। परंतु में समझ नहीं सका कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है? श्री महोम्मद अयूब खानः यह हमार दुर्भाग्य है ....... पं प्रेमनाथ डोगराः कांग्रेस, प्रजा....., समाजवादी और नेशनल कांफ्रेस पार्टियाँ समाज के समाजवादी स्वरुप के निर्माण में दावे करती हैं। जबकि तथ्य यह है कि कोई भी इस विचार धारा का पालन नहीं करता है। हमें अपनी विचारधारा की समीक्षा करनी होगी और विदेशों में पैर नहीं मारने होगे।

**अध्यक्ष महोदय**ः–आपका समय समाप्त हो गया है। कृप्या अपना भाषण समाप्त करें।

**पं प्रेमनाथ डोगरा जी**ः–कल कुछ सदस्यों ने क्षेत्रीय भावनाओं को उकसाया। जब मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के पिछड़ेपन पर र्च्चा की तो मुझे माननीय सदस्यों द्वारा

श्री गोनीं या कुछ अन्य सदस्यों की और तेज़ी से ध्यान देते हुए आश्चर्य हुआ परंतु जब हम जम्मू प्रांत की बात करते है तो हमे क्षेत्रीय भावनाओं को बढ़ाने का आरोप लगाया जाता है।

हमें निरंकुश शासन के दौरान भी यही रवैया मिला। जम्मू के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है चूँकि केंद्र ने सरकार को पर्याप्त धनराशि दी है। मैं अनुरोध करूँगा कि जम्मू क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाए पर्यटन भी कल की चर्चा में उभर कर सामने आया, श्री अयूब खान ने अपने भाषण में बताया कि 50 प्रतिशत धन का उपयोग जम्मू में पर्यटन को विकसित करने के लिए किया जाता है। मुझे इस तर्क में कोई दम नहीं दिखता है। बनिहाल या कुद में किए जाने वाले कार्यों को जम्मू के विकासात्मक कार्यों में शामिल किया जाता है। अगर सरकार जम्मू को विकसित करने के लिए गंभीर है तो उसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करने चाहिए।

**पं प्रेमनाथ डोगरा जी**:–महोदय, व्यवस्था के संदर्भ में, दुर्भाग्यवश विभिन्न सदस्यों के लिए समय का आवंटन ऐसा है जो हमें अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त करने की अनुमति नहीं देता है, मेरा कहना यह है कि एक या दो बिंदु यहाँ उठाए गए हैं और इसका उत्तर देना आवश्यक समझा गया है अन्यथा मुझे लगता है कि यदि गलत फहली को दूर नहीं किया जाता है तो हमारी पार्टी के प्रति लोगों को अलग–अलग अभिव्यक्ति हो सकती है।

श्री कासिम और अन्य दोस्तों ने आम चुनावों के दौरान कुछ कार्यों की आलोचना की चूँकि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं सभी पहलुओं का समाविष्ट नहीं कर सकता फिर भी मैं आलोचना का उत्तर देते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को संदर्भित करने का प्रयास करूँगा।

हालांकि मुझे लगता है कि मुझे इस सदन से संबंधित शंकाओं को दूर करने का सही अवसर मिल सकता है, फिर भी मुझे डर है कि मैं उनकी आलोचना का उत्तर सही ढ़ग से नहीं दे पाऊँगा क्योंकि हम हमेशा समय की कमी से जूझते रहते हैं जैसा कि मैं इन बिंदुओं पर अलग प्रतिक्रिया देने के लिए आदरनीय अध्यक्ष जी से कम से कम आधे घंटे का समय निश्चित करने का अनुरोध करता हूँ ताकि हमें अपना पक्ष स्पष्ट करने का पूरा अवसर मिल सके। यह कितना आश्चर्यजनक है कि

यहाँ पर जिनके विरुद्ध बात की जाती है उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं दिया जाता है। यहा कहा जाता है कि यदि कश्मीर की चुनावी समस्या पर चर्चा की जाती है तो देश को कश्मीर से हाथ धोना पड़ेगा, मुझे आश्चर्य है कि यह कैसे होगा।

**आवाजें**:–कश्मीर....... कभी नहीं मिटेगा।

**पं प्रेमनाथ डोगरा**: यह वही है जो कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव निश्पक्ष नहीं थे।

**श्री गुलाम अहमद मीर**: महोदय, क्या यह भाषण कर रहें हैं या व्यवस्था का मुद्दा उठा रहें हैं ?

**पं प्रेमनाथ डोगरा**: महोदय, मेरा उद्देश्य केवल इस तथ्य के प्रति माननीय अध्यक्ष महोदय जी का ध्यान आकर्षित करना है कि हमें हमारे विरुद्ध निर्देषित आलोचना का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। यहाँ एक अजीब सी प्रक्रिया का प्रचलन है अर्थात जो भी कोई व्यक्ति बोला चाहता है वह यह जानने का प्रयत्न नहीं करता है कि इस अवसर के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता है कि नहीं। यदि व्यक्तिगत तौर पर मेरे विरुद्ध आलोचना की जाती है तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है परंतु मैं अपनी पार्टी के बारे में जो कुछ भी कह रहा हूँ, उसे दूसरों की दृष्टि में अपमानित नहीं होने दूँगा। हम क्षेत्र में हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य देश के हित के लिए लड़ना है। मैं उन्हें चेतावनी देता हूँ कि हमारी पार्टी के विरुद्ध टिप्पणी करने से परहेज़ करे।

## पंडित प्रेमनाथ डोगरा 15 फरवरी 1960 जम्मू–व–कश्मीर विधान सभा चर्चा/बहस

**पंडित प्रेमनाथ डोगरा**:–महोदय, मैं सदर–ए–रियासत के संबोधन के बारे में बहुत सी बातें कहने का इरादा रखता हूँ, मुझे बहुत कम समय दिया गया है इसलिए मैं सदन के समक्ष कुछ एक तथ्यों को रखने का प्रयास करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि मुझे बजट एवं अन्य मुद्दों पर चर्चा के दौरान कुछ अधिक अवसर मिलेंगे जिनमें मैं

विस्तारपूर्वक अपनी बात रख सकूँगा। इस समय मैं अपने आपको संबोधन तक ही सिमित रखता हूँ। सदर–ए–रियासत के संबोधन में यह कहा गया है कि रियासत का भारत के साथ भावनात्मक एकीकरण पूरा हो चुका है। मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत के साथ राज्य के भावनात्मक एकीकरण को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया गया है परंतु यह सच्चाई से बहुत दूर है कि वास्तविक एकीकरण पूरा हो चुका है। इस संदर्भ में बहुत कम किया जा सका है जो हमारी पार्टी चाहती है। हमारी पार्टी आरंभ से ही लोगों के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाने का अनुरोध करती आ रही है। हम सभी ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत के साथ रियासत के पूर्ण भावनात्मक एकीकरण के लिए हमारा संविधान, हमारा झंड़ा और देश का एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। जब तक यह नहीं किया जाता पूर्ण एकीकरण नहीं हो सकता। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक महत्त्वपूर्ण बात जिसका मैं विस्तारपूर्वक उल्लेख करना चाहता हूँ वह नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में यह प्रशन बाकी हिस्सों के साथ राज्य के पूर्ण एकीकरण में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। हम सब भारतीय नागरिकता का आनंद लेते हैं और इस प्रकार हम भारतीय सेवाओं में शामिल हो सकते हैं। हम संपत्ति खरीद सकते हैं और भारत में वोट ड़ाल सकते हैं परंतु जो भारतीय इस रियासत में लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें यहाँ ज़मीन या अन्य कोई संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है और न ही उन्हें यहाँ वोट देने का कोई अधिकार प्राप्त है। यह शेष भार के साथ हमारे एकीकरण के लिए सबसे बड़ी बाधा है। मेरा दूसरा महत्त्वपूर्ण बिंदु यह है कि लोकसभा भारतीय संघ का सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्थान है और यह एक संप्रभु निकाय है, हमारी रियासत के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुनकर भेजा जाता है। देश के बाकी हिस्सों के साथ हमारे भावनात्मक एकीकरण में यह एक और बड़ी बाधा है। सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि इस रियासत के लोगों के हितों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे किसी भी प्रशन के संदर्भ में अपने स्वतंत्र निर्णय का उपयोग नहीं कर सकते हैं।इसलिए यह आवश्यक है कि इस रियासत से लोकसभा के प्रतिनिधियों को नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। हम ध्वज के संबंध में यह कह सकते हैं यद्यपि दोनों सदनों के छत के शीर्श पर भारतीय ध्वज फहराए जाते हैं जो इस देश के संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है।

**माननीय प्रधानमंत्रीः**—यह हमारी रियासत का झंड़ा है।

**पंडित प्रेमनाथ डोगराः**—साधारणतया प्रत्येक राष्ट्र का केवल एक ही राष्ट्रीय ध्वज होता है और यह झंड़ा तो सत्ताधारी पार्टी का झंड़ा भी है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस रियासत में अस्तित्व में है, परंतु संविधान के अनुसार उच्च—न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति सदर—ए—रियासत के हाथों में छोड़ दी गई है। उनकी स्थिति अन्य राज्यों के राज्यपाल के समान नहीं है। वह पार्टी की तर्ज पर चुनें गए हैं। इसलिए वह एक स्वतंत्र अधिकारी नहीं हैं। वह सत्ताधारी पार्टी की इच्छा के विरूद्ध कार्य नहीं कर सकते। जब तक वह बहुतमत वाली पार्टी द्वारा अपने कार्यालय के लिए चुने जाते हैं तब तक वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं रहेगी। संविधान में रियासत के स्थायी सदस्य की परिभाषा इस रियासत के अन्य हिस्सों के बीच भेदभाव करती है और शेष भारत के नागरिकों के लिए शेष भारत के साथ रियासत के पूर्ण एकीकरण के रास्ते में एक बड़ी बाधा है। पूर्ण एकीकरण के लिए एक ध्वज, एक संविधान और एक राष्ट्रपति होना अनिवार्य है। दूसरी बात जो अति महत्वपूर्ण है और जिसे मैं मानता हूँ कि संबोधन में उसका वर्णन होना चाहिए था वह है चीन द्वारा किया गया आक्रमण। पिछले सत्र में भी हमने इस प्रशन को उठाने का प्रयत्न किया था परंतु हमें ऐसा इस तर्क के आधार पर नहीं करने दिया गया कि यह केंद्र का विषय है। अब यह प्रशन संबोधन में हल्का सा छुआ गया है इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से इस अवसर पर यह पूछना चाहूँगा कि चीन ने यह आक्रमण कब किया और क्या इस तथ्य की जानकारी सबको दी गई? यहाँ तक मुझे जानकारी है उस इलाके में चीन वर्ष 1954 से सड़क बनाने में जुटा था जिसे उसने दो वर्ष पश्चात पूरा कर लिया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी थी? यहाँ पर एक जिला उपायुक्त, लद्दाख मामलों के विशेष मंत्री और भारत सरकार की ओर से एक सलाहकार जो सामान्यतया हर चौने दिन दिल्ली जाते रहते हैं। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारीयों की उपस्थिति के बावजूद सरकार को इन चार वर्षों के दौरान चीनी युद्धाभ्यास के बारे में सूचित नहीं रखा जा सकता था? जैसा कि इस तथ्य को हमसे छुपाया नहीं रखा जा सकता था? जैसा कि इस तथ्य को हमसे छुपाया गया था? कल मैं प्रभारी मंत्री के भाषण को पढ़ रहा था जो

उन्होंने राष्ट्रीय सम्मेलन के एक सत्र में दिया था। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि उन्हें 1954 तक चीन द्वारा सड़क निर्माण के बारे में पता चला था। क्या हमारी राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इसके बारे में सूचित किया था या फिर वे 1957 के अंत तक हमें इसके बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं या 1958 की शुरूआत में एक चीनी मानचित्र को देखने पर उन्होंने महसूस किया कि चीनी लद्दाख सीमा पर परेशानी पैदा कर रहे हैं और बास्तव में कब्जा कर लिया है। कुछ क्षेत्रों में हमारी सरकार इस मामले पर इतने लंबे समय से सो रही थी कि वे लेह में क्या कर रहे थे। निरंकुशता के दौरान लद्दाख का एक बड़ा भाग बंजर हुआ करता था, परंतु हमारे चरवाहे अपने पशुओं को चराने के लिए असकाइचिन के चारागाहों में जाते हैं। उन्होंने सीमा पर चीनी युद्धाभ्यास के बारे में सरकार को सूचित किया था। सरकार ने यह जानकारी क्यों छिपाई? आप पिछले चार वर्षों से कारगिल से लेह तक सड़क का निर्माण कर रहे हैं। इस पर लाखों रूपए खर्च किए गए हैं लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हुआ है, सरकार वहाँ क्या कर रही है। अब उन्होंने देखा कि चीन ने हमारे भरोसे को धोखा दिया है। जब चीन ने हमारी सीमा को बिना सुरक्षा के पाया तो वे हमारे क्षेत्र में घुसपैठ के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। ये इलाके 1842 में हस्ताक्षरित एक संधि के अनुसार हमारी रियासत का हिस्सा बन गए और दोनों देशों के बीच सीमा 1914 के शिमला अधिवेशन के तहत स्थापित की गई। मेरी जानकारी यह है क 1858 तक ब्रिटेन विदेशी आक्रमणो से इस क्षेत्र को रक्षा के लिए मार्गों की तलाश में था। इस क्षेत्र में तैनात अधिकारी निरंकुशता के दौरान भी सीमावर्ती क्षेत्रों का एक समय में 20 दिनों तक दौरा करते रहते थे और इमारी सीमा की सुरक्षा की देखरेख भी किया करते थे। 1947 के पश्चात् तक भी कोई क्षेत्रों (सीमाओं) को आगे नहीं करना चाहता था। जहाँ तक मुझे पता है, सरकार ने 1955 में सूचित किया था कि कम्युनिस्ट झुकाब वाले लोग लद्दाख में प्रवेश कर चुके हैं और अपनी विचारधारा के पक्ष में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व प्रजा–परिषद् के महासचिव किश्तवाड़ गए थे। वहाँ उन्हें कुछ गड़रियों द्वारा सूचित किया गया था कि वहाँ कुछ कम्युनिस्ट लोग भी पाड्ड़र में प्रवेश कर चुके हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ और बकरी पालन है और यह तत्कालीन पाड्ड़र नमक झील बाले इलाके में रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कम्युनिस्ट लोगों ने न तो उनकी भेड़ों और बकरियों को चरने दिया और न ही कोई आंदोलन किया। सरकार तो केवल

इस वक्तव्य का खंड़न करने में ही तेजी से लगी रही। कारगिल और लेह के मध्य एक पुल को आग लगा दी गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से दर्शाया गया था कि उनके (कम्युनिष्टों के) कुछ तत्त्व जो रियासत में मौजूद हैं, जो चीन के आगे बढ़ने का समर्थन करते हैं। भारत में एक पार्टी भी मौजूद है जो चीन का खुले तौर पर पक्ष लेती है। सरकार ने कुछ अधिकारियों को राज्य के ड़ाकघरों में तैनात किया है, जिनका कार्य केवल मुझसे संबांधित व्याख्यानों को सैंसर करना है। जबकि हमारी सरकार के पास इतनी बड़ी संख्या में गुप्तचर हैं फिर भी हमारी रणनीति ऐसी है कि वे सब मिलकर भी काफी लंबे समय तक वे चीनी आक्रामकता का पता नहीं लगा पाए। वर्तमान में चीन ने लद्दाख के 8500 वर्गमील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। महोदय मैं सदन के माननीय सदस्यों से यह सुनकर प्रसन्न हुआ कि वे अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार हैं। महोदय, बलिदान देने के बारे में बात करना आसान है। परंतु व्यावहारिक रूप से कुछ करना काफी भिन्न और कठिन बात है। मैं स्वीकार करता हूँ कि वे लोग बलिदान की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हैं क्योंकि इनके पास देशभक्ति की भावना है। हालांकि हमें किसी भी घटना का सामना करने के लिए अपने राष्ट्र को तैयार करना होगा। वह कैसे किया जा सकता है? हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद हैं। इनमें से कुछ वेशक बुजुर्ग हैं, परंतु जो स्वस्थय हैं वे थोड़े से प्रशिक्षण के पश्चात हमारी सीमा की रक्षा को सुदृढ़ करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। इस सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना है। हाल ही में मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि भारत सरकार पचास हज़ार लड़कियों को सैन्य प्रशिक्षण देने जा रही है। हमारे राष्ट्र की स्थितियाँ ऐसी हैं कि युवा पुरूषों के बजाए लड़कियों को हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है।

**मेजर पीआर सिंह**:–महिला बल देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए होते हैं।

**अध्यक्ष महोदय**:–पंड़ित जी महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं परंतु इस सदन में कोई महिला प्रतिनिधि नहीं है जो उनके प्रशन का उत्तर दे सके।

**माननीय प्रधानमंत्री (बख्शी गुलाम मोहम्मद)**:–कोई हस्तक्षेप नहीं उन्हें जारी रखने दें।

**पंडित प्रेम नाथ डोगरा**:–महोदय, यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हर एक नागरिक को उचित सैनय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**माननीय प्रधानमंत्री (बख्शी गुलाम मोहम्मद)**:–पंडित जी किसी पुल के बारे में बता रहे थे जिसमें आग लगा दी गई थी। वह कहाँ पर है।

**पंडित प्रेम नाथ डोगरा**:–मैने चगला पुल का उल्लेख किया था जो... सिंधु, मैने किसी समाचार पत्र में पड़ा था कि उस पुल में आग लगा दी गई थी।

**अध्यक्ष महोदय**:–आपके समय के पाँच मिनट बचे हैं।

**पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी**:–मैं आपके नियम को नमन करता हूँ, परंतु मुझे पाँच मिनट में यह कहनें की अनुमति दें। मैं चर्चा के विषय से न्याय नहीं कर सकता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के मँहगाई भत्ते की दर में बृद्धि की है, लेकिन उनके कूल वेतन के साथ मँहगाई भत्ते को बढ़ाने की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। जिससे उनको बढ़ी हुइ पेंशन का लाभ भी मिल सके। हमने पहले ही सुझाव दिया है कि राज्य में बढ़ती मँहगाई की प्रक्रिया की जाँच के लिए समिति बनाई जाए। श्रीनगर में हुई एक बैठक में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष इस विषय को लेकर कुछ सुझाव रखे थे।बढ़े हुए मँहगाई भत्ते का लाभ केवल वर्तमान समय में अपनी सेवाएँ दे रहे सरकारी कर्मचारियों को मिला है परंतु सेवानिवृत कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं दिया गया है। उनका भत्ता एक रूपये से बढ़ाकर ड़ेढ़ रूपए कर दिया गया। मँहगाई भत्तते में इस प्रकार की बढोत्तरी जमा नहीं करवाई जानी चाहिए थी। मँहगाई भत्ते की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ कुछ अन्य मामलों में भी सिफारशें की जानी चाहिए थी। दुर्भाग्यवश इस आयोग की विस्तृत रिपोर्ट को इस सदन के समक्ष नहीं रखा गया है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस सदन के समक्ष रिपोर्ट रखेगी। वेतन समिति की पूरी रिर्पोट का अध्ययन करने के पश्चात ही हम अपना सुझाव दे सकते हैं। जहाँ तक बाढ़ का संबंध है, कश्मीर घाटी जुलाई 1959 के दौरान केवल एक बार ही बाढ़ की चपेअ में आई थी। उस दिन के पश्चात अनेको बार बाढ़े आई, भारी वर्षा जम्मू के कई इलाकों में हुई और कई सारे गाँव उस बाढ़ की चपेट में पूरी तरह से बह गए। सरकार ने राहत सामग्री का वितरन केवल जुलाई 1959 में आई बाढ़ से पीड़ित लोगों में ही किया। परंतु जुलाई

के पश्चात आइ बाढ़ों से जिन्हें नुकसान हुआ उन्हें कोई भी सहायता या राहत सामग्री नहीं दी गई। यद्यपि न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उन पीड़ित लोगों को भी कुछ ना कुछ राहत दी जानी चाहिए थी।

**माननीय प्रधानमंत्री (बख्शी गुलाम मोहमद)**–महोदय, हमने राहत केवल बाढ़ पीड़ितों को ही दी है। परंतु जिनको भारी बारिश से नुकसान हुआ है उनके मामले सरकार के विचाराधीन है।

**पंडित प्रेमनाथ डोगरा**:–महोदय मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जम्मू क्षेत्र के लोगों को वारिश से हुए नुकसान की भरपाई पर्याप्त रूप से नहीं हो सकी है। यह सही है कि जो लोग बाढ़ के कारण पीड़ित हुए हैं उन्हें थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। सरकार इस संबंध में एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है जिसके लिए विशेषज्ञों से अनुरोध किया गया है कि वे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए योजनाओं का बारिकी से अध्ययन करें। मास्टर प्लान को लागू करने में कुछ समय लगेगा। मैं अनुरोध करूँगा कि उन गाँवों को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएँ जो बाढ़ के खतरे से आसान्न हैं।

**अध्यक्ष महोदय**:– आपका समय समाप्त हो गया है।

महोदय, मैं अपने विचार सदन के समक्ष अन्य कई अवसरों पर रखूँगा।

**नोट**:– तत्पश्चात माननीय सदस्य ने अपनी सीट पुनः ग्रहण कर ली।

## पंडित प्रेमनाथडोगरा (विधानसभा बहस–1967)

**अध्यक्ष महोदय**:–वहाँ केवल चार मिनट रहते हैं।

**श्री अली मोहम्मद नायक**:–ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थिति के संबंध में कुछ अच्छी बात है। वर्तमान में सरकार 40 हज़ार लोगों की आबादी बाले क्षेत्र में एक अस्पताल को कवर करने के लिए 3.50 हज़ार रूपये मंजूर कर रही है। यह राशी बढ़ाई जाए ताकि लोग लाभान्वित हो सकें। गर्वनर के संबोधन में सरकारी कर्मचारियों का उल्लेख है। सरकार को चाहिए कि वह उनके वेतन में वृद्धि करके उनके जीवन स्तर को उपर उठाए। इससे कर्मचारी अपना दायित्व इमानदारी से

निभा सकेंगे।

यह भ्रष्टाचार को भी रोकेगा। यह देखा गया है कि हमारी रियासती सरकार उच्च पदों को भरने के लिए अधिकारियों को आयात करती है परंतु हमारी रियासत के एक भी अधिकारी को राज्य के बाहर नही भेजा जाता है। मैं इसके कारणों को जानने में असफल हूँ। यह सरकारी कर्मचारियों का मनोबल गिराता है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

**श्री पी.एन. डोगरा**:–महोदय, अपने विचारों को प्रकट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था परंतु, चूँकि, कोई सदस्य बोलने के लिए नही उठा और वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से माँग करती है कि मुझे इस विषय के बारे में कुछ शब्द कहने चाहिए, इसलिए मैं बोलने के लिए उठा हूँ। मैं कल भी अपना भाषण जारी रखूँगा। राज्यपाल का अभिभाषण इस समय सदन में विचाराधीन है। इन संबोधनों की चर्चा साधारणतया प्रत्येक वर्ष की जाती है। इस वर्ष यह संबोधन दो बार सदन में अर्थात जम्मू में पढ़ा गया। जब सत्र को कुछ दिनों के लिए बुलाया गया था। उस समय पढ़ा गया संबोधन और वर्तमान संबोधन लगभग एक जैसा है। वास्तव में यह संबोधन उच्च अधिकारियों और राजयपाल द्वारा तैयार किया जाता है और उसके बाद इसे पढ़ा जाता है। यह संबोधन सरकार की नीतियों की सराहना करने के लिए बनाया गया है। यह प्रशंसा उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार एक मिंक..... महिला अपने दूध को यह कहते हुए देती थी कि यह कभी खट्टा नहीं है। जबकि इस संबोधन को सदन में पढ़ा जा रहा था। मैने ट्रेज़री बैंच और सार्वजनिक गैलरी में बैठने बालों के चेहरे को पढ़कर इसकी प्रतिक्रिया देखने की कोशिश की थी। ट्रैज़री बैंच पर बैठे सदस्यों ने प्यार भरे दिल से संबोधन को सुना क्योकि इसमें उन वादों का जिक्र नहीं था जो उन्होंने आम लोगों के साथ किए थे। मुझे यह बात चुभती है कि सरकार इस मामले में कोई सराहना की पात्र नहीं है। ट्रैज़री बैंच पर बैठे सदस्य इस संबोधन से प्रसन्न नहीं दिखे जो खेदजनक है।

यह सदस्य हमेशा आपके विचारों का समर्थन करेंगें क्योंकि आप ने उन्हें बिना किसी प्रतियोगता के पिछले दरवाजे से इस सदन में प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया है।

मैं सरकार के अच्छे कामों की सराहना करूँगा और इसकी खराब नीतियों की

आलोचना करूँगा। यहाँ अक्सर देखा गया है कि समस्याओं पर चर्चा की तो जाती है परंतु लिए गए निर्णयों को कभी लागू नहीं किया जाता है। मैं श्री सादिक से अनुरोध करूंगा कि इन समस्याओं को हल किया जाए।

पैहली समस्या जो हम चुनाव के संबंध में देखते हैं, सरकार को इस सदन में प्रवेश करने के लिए लोगों के कार्य प्रतिनिधियों को एक अवसर प्रदान करना चाहिए था। परंतु चुनाव के दौरान सभी गैर–कानूनी विधियाँ अपनाई गई। यहाँ के कुल सदस्यों में से लगभग एक तिहाई को निर्विरोध चुन लिया गया है। यह प्रक्रिया 1947 से अपनाई जा रही है। सभी जानते हैं कि जब पहली संवैधानिक सभा का गठन हुआ था तब सत्ताधारी पार्टी ने सभी के सभी 75 सदस्य नेशनल–कांफ्रेंस पार्टी से ही शामिल कर लिए थे और विरोधी पार्टी का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया था। यह इस संदर्भ में है कि वर्तमान में विपक्ष के सदस्य कई कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और हम इससे रोकने में भी असफल हैं। जो हो चुका है यदि वह ना हुआ होता तो सरकार बुराई को उत्पन्न होते ही समाप्त कर देती।हमें श्री सादिक जी से बड़ी अपेक्षाएँ थीं कि वो रियासत को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे परंतु यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। सरकार जनता की भलाई के लिए नियम एवं अधिनियम बनाती है परंतु यदि सरकार स्वंय इन नियमों (कानूनों) का उल्लंघन करती है तो इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है। मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरणों को उद्धृत कर सकता हूँ। आप ऐसी ही अनेकों अनियमितताओं को तहसील स्तर पर देख सकते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूँ कि इन अनियमिताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाया गया होगा और यदि यह सब चीज़े उनके ध्यान में है तो जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती है। व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसे कई घोटालों को उजागर कर सकता हूँ। सरकार इस प्रकार सुचारू प्रशासन के रास्ते में रूकावट पैदा कर रही है। पुँछ के निर्धन शरणार्थियों की दयननीय स्थिति को श्री साहिब ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। मैं इस संबंध में कहुँगा कि साठ से सत्तर हजार लोग पाकिस्तान गए थे। जहाँ वे गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि निकट भविष्य में पाकिस्तान सरकार को रियासत के भीतर ही प्रशिक्षित गुरिल्ल मिल जाएँगे। जब हमारी रियासती सरकार द्वारा उक्त व्यक्तियों को उनके घरों में लौटने की अनुमति दी गई, तो उसकी कड़ी आलोचना हुई। उस समय के तत्कालीन

मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया कि इन लोगों को एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। परंतु इस आश्वासन पर कभी भी अमल नहीं किया गया। किसी ने यह देखने की परवाह नहीं की कि वे किसी बुरे या अच्छे इरादे के साथ वापस आ रहे हैं। इसके बजाए वे वर्तमान सरकार के चहेते बने हुए हैं। कोई भी उनके विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता, बजाए इसके गरीब निर्दोष लोगों को D.I.R. इत्यादि के तहत पीड़ित किया जाता है क्योंकि उनकी कोई आवाज़ नहीं है और वे सरकार के लोगों के समक्ष टिक नही सकते। यदि यही स्थिति जारी रहती है तो हमारे लिए अपने राजनैतिक ढाँचे में स्थिरता लाना संभव नहीं होगा। इस रियासत को पुलिस राज्य में बदल दिया गया है और हर जगह पुलिस के आदमी दिखाई दे रहे हैं। मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि सात जून को हमारी पुलिस कहाँ थी, कानून और व्यवस्था कहाँ थी, जब हमारी रियासत की बदनामी हुई थी। यह एक ऐसा दिन था जब शहर में अनियंत्रित दंगे भड़क उठे थे। इसे मुद्दे पर संसद में भी चर्चा हुई। संपूर्ण राष्ट्र में ईसाई वर्ग इन दंगों के विरूद्ध खड़े हो गए। यह एक तथ्य है कि सरकार ने उनको अपनी चर्चों के पुनर्निमाण के लिए 1–2 लाख रूपए दिए हैं। परंतु मैं कह सकता हूँ कि वे लोग इस संबंध में सरकार की भूमिका से संतुष्ट नहीं हैं। यह तर्क दिया गया था कि जब यह स्थिति बनीं थी तो पुलिस का मनोबल गिरा था। मैं कहूँगा कि यदि हमारी पुलिस इस तरह की घटनाओं की जाँच करने में सक्षम नहीं है तो यह अफसोसजनक है।

आयोग के एकमात्र निर्णय से पुलिस को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हथियारें व गोला–बारूद की खरीद में व्यस्त है जो हमारी संप्रभुता के लिए एक गंभीर खतरा है। अंततः इसका हमारे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। यह हमारा और हमारी सरकार का कर्त्तव्य है कि हम अपने दायित्वों के प्रति वफादार रहे। हमें आम जनता को समझाना चाहिए कि चिंता की कोई बात नही है। यह हमें बिना किसी प्रचलित कार्यक्रम के चलने में सक्षम करेगा।

वर्तमान मंत्री तहसीलदारों और उपायुक्तों को छोटे–छोटे मामलों में अनियमितताओं को बरतने के लिए मज़बूर करते हैं। कम वेतन वाले कई कर्मचारियों की सेवाओं का अधिकारियों द्वारा दुरूपयोग किया जाता है। अब कम प्रभाव वाले व्यक्ति हमेशा की तरह पीड़ित बन जाते हैं और इस प्रकार उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता है।

उस व्यक्तिविशेष का एक उदाहरण उद्घृत करूँगा। भूमि का कुछ भूखंड़ आवंटित किया गया था। सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप आवासीय उद्देश्यों के लिए दूसरे व्यक्तियों को भूमि के कुछ भूखंड़ भी आवंटित किए गए थे। परंतु उन्होंने कब्जा करने से इन्कार कर दिया क्योंकि उन्होंने उक्त उद्देश्य के लिए इसे उपयुक्त नही ठहराया। पहला व्यक्ति जिसके पक्ष में आवंटन किया गया था, उसे बाद में कहा गया कि आबंटित भू–खंड़ का कुछ हिस्सा वे उस व्यक्ति को दे दे जिसने पहले भू–खंड़ लेने से इन्कार कर दिया था। जब संबंधित अधिकारियों ने आवंटन के सारे कागज़ात प्रस्तुत मिए जिन पर यह टिप्पणी की गई थी कि इस व्यक्ति को नियमों के अनुसार भूमि आवंटित नहीं की जा सकती। तब मंत्री महोदय जी ने अतिरिक्त आत्मीयता का प्रदर्शन करते हुए नियमों में छूट देते हुए उक्त व्यक्ति को भूमि आवंटन का आदेश दिलवा दिया। परंतु जब इस मसले को पुनः कस्टोड़ियन के पास भेजा गया तो उसने अपने फैसले में यह कहा कि मंत्री महोदय के पास नियमों को ताक पर रखने का कोई अधिकार नहीं है और यदि ऐसा किया है तो उसने गलत प्रकिया अपनाई है। इसी तरह के कई मामले खराब हो चुके हैं। यह तथ्य सर्वमान्य है कि कस्टोड़ियन जनरल संबंधित तहसीलदार को मौके पर निरिक्षण करने के लिए कहते हैं ताकि इस मामले में सच्चाई का पता लगाया जा सके परंतु संबंधित तहसीलदार ने इंकार कर दिया क्योंकि उपमंत्री ने उन्हें वहाँ जाने से मना कर दिया था। जब मामलों को इस प्रकार से निपटाया जाता है तो विवाद उत्पन्न होते हैं। यह विवाद मुकद्दमेंबाजी और फौजदारी के मामलों में परिणित हो जाते हैं, परिणामस्वरूप कुछ को चोटें आती हैं और उन्हें अस्पतालों में ले जाना पड़ता है, जहाँ डॉक्टरों से चोटके प्रमाणपत्र, जारी करने का अनुरोध किया जाता है। जो उन्हें सबसे अधिक फायदा करता है। इस प्रकार के असंख्य मामले हैं और यह कार्यप्रणाली अत्यंत निंदनीय है।

**नोटः**–इस चरण में समय को दर्शाने के लिए घंटी बजी और माननीय सदस्य ने अपना आसन पुनः ग्रहण किया।

**अध्यक्ष महोदयः**–इसके साथ हमारा आज का कार्य समाप्त हो गया है। हम कल मंगलवार प्रातः 9:00 बजे यहाँ मिलेंगे।

**नोटः**–इस सदन को मंगलबार आठ अगस्त 1967 प्रातः 9:00 बजे तक स्थगित कर दिया गया।

मृत्यु से पूर्व
पंडित प्रेमनाथ
डोगरा जी
का
अंतिम भाषण।

# मृत्यु से पूर्व पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का अंतिम भाषण।

## एकता में बल, फूट में तबाही
## ( पं. प्रेमनाथ डोगरा का मृत्यु से पूर्व एक भाषण )

एकता में बल है और फूट विनाश लाती है, इस सिद्धान्त पर कोई दो मत नहीं हो सकते। भारत का इतिहास इस का साक्षी है। जब-जब देश में एकता निर्बल हुई और फूट ने जन्म लिया तभी देश के शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर मिला और इन आक्रमणों के कारण ही देश को तबाही का समाना करना पड़ा और अन्त में फूट का ही यह परिणाम था कि देश को सैकडों सालों तक गैर मुल्कों की दासता का मुंह देखना पड़ा।

भूत के कठोर तथ्यों को भुलाया नहीं जा सकता। 'देश की स्वतन्त्रता की रक्षा हो। फूट जन्म ना ले पाए। देश-भक्ति की जड़े दृढ़ हों और देश समृद्धि की ओर अग्रसर हो।' यह ध्यान में रख देश-व्यापी चर्चा है आज राष्ट्रीय एकता की। मूलभूत इस प्रश्न पर विचार विर्मश करना भला है। परन्तु विचार विमर्श के साथ आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने के लिए ठोस कार्य किया जाए और यह ठोस कार्य करने में सामाजिक संस्थाए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में कैसे और कहां तक सहयोग दे सकती है इस अंश पर विचार करने से पूर्व अवश्यक है कि राष्ट्रीय एकता के लिए उन सार भूत बातों को समझ लिया जाए जो किसी भी राष्ट्र को राष्ट्र दर्जा देती हैं और जिन्हें अपनाने से राष्ट्रीय एकता स्थिर बन सकती है।

राष्ट्रीय एकता कोई बनावटी वस्तु नहीं। यह एक भावना है जो समय की आन्धियों और समय के घटना चक्र के होते हुए भी देश वासियों को एक दूसरे से जुदा नही होने देता। यह भावना कुछेक सामूहिक आधारों पर निर्भर है। यह आधार हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारा एकमात्र इतिहास और और हमारी मर्यादाएं है सहस्त्रों वर्षो से भारत, कन्याकुमारी से ले कर कश्मीर तक, एक देश चला आया है। यदि समय के चक्र ने कुछ समय के लिए इस का विभाजन भी कर दिया और राजनैतिक दीवारें हमारी एकता की राह में खड़ी की गई तो भी स्वभाव से हम एक दूसरे से अलग न हो सके और समय परिवर्तन के साथ पृथकता और विभाजन की रेखाएं स्वयं ही लोप हो गई।

फूट के परिणाम देश वासियों ने कई बार भुगते हैं। जब कभी फूट और पृथकता के चिन्ह उभरने लगते हैं तो प्रकृतिवश देश भक्त परेशान होता है, देश की एकता बनी रहे। राष्ट्रीय एकता दृढ़ हो और देश के शत्रु देश की स्वतंत्रता के लिए भय न बन जाएं। इस उच्च उदेश्य को लेकर सभी अपने अपने स्थान पर विचार करते हैं, आज जब देश में राष्ट्रीय एकता पर विचार हो रहा है तो सभी का मत है कि सामाजिक संस्थाओं को इस महान उदेश्य के लिए महान कार्य करना है। इस राष्ट्रीय एकता की दृढ़ता के लिए हमारी शिक्षा संस्थाएं सब से अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। कारण कि देश के भविश्य का निर्माण इन्हीं शिक्षा संस्थाओं में होता है। आने वाले नागरिक इन्ही संस्थाओं में निर्मित होते है। उन की बुद्धि को जिस सांचे में हम चाहें ढाल सकते है। यदि प्रारम्भ में ही राष्ट्रीय एकता की भावना इनमें जागृत कर दी जाए और विद्यालियों को उन की देश के प्रति जिम्मेदारियों से परिचित करवा दिया जाए तो फूट के कारण अपनी मृत्यु

आप ही मर जाएंगे। आज बड़ी अवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा संस्थानों में प्रारम्भ से ही उन आधार-भुत मर्यादाओं से परिचित करवाया जाए जिन पर सहस्त्रों वर्षों से यह देश खड़ा रहा है और देश कर स्वतन्त्रता और एकता के लिए इन बुनियादों को अधिक से अधिक दृढ़ बनाना हरेक देशवासी का महान कर्त्तव्य है।

शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्तनगरपालिकाएं, पंचायतें और अन्य लोक सेवा विभाग भी इस राष्ट्रीय एकता की दृढ़ता के हेतु महान कार्य कर सकती है और इन संस्थाओं द्वारा हमारी स्वतंत्रता और एकता के शत्रुओं की चालों से भी जनता को जानकार रखा जा सकता है।

देश में कितनी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश भक्ति की भावना से ओतप्रोत हो काम में जुटी हैं, कितनी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जो इस देश की उन्नति के लिए कटिबद्ध हैं और फिर अनगिनत धार्मिक और साम्प्रदायिक संस्थाएं भी कितनी ही हैं जो अपने-अपने ढ़ग से अलग-अलग स्तरों पर समाज की भलाई और कल्याण के कार्य में कटिबद्ध हो कर लगी है।

आदि काल से ही भारत की महानता रही है। इतने भिन्न विचार रखने और ईश्वर को मानने के अलग-अलग ढ़ग होने पर भी, इन सब को ही समाज का अंग माना है। अनिवार्य केवल एक बात है कि सभी संस्थाओं को इस प्रकार इक्ट्ठा किया जाए और ऐसी जागृति लाई जाए कि सभी सब से पहले देश को उच्च माने और तद् अनन्तर अन्य किसी बात को।

देश में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसी शक्तियों के हाथों में नाचते है जोकि इस देश का कल्याण नहीं चाहती। करोड़ो लोगों के इस देश में इन लोगों की संख्या शून्य मात्र है। यदि देश वासियों में एकता की भावना उजागर रहेगी तो कोई भी बाह्य या भीतरी सत्ता हमारी स्वतंत्रता को भय नहीं बन सकती और देश समृद्धि के मार्ग पर स्वंय ही अग्रसर होने लगेगा और आगे पग बढ़ाता चला जाएगा।

राष्ट्रीय एकता का कार्य भले ही आज कठिन दीख पड़ रहा है परन्तु आधार की दृष्टि से देश की स्वतंत्रता को जीवित रखने के लिए तड़पन आज भी इतनी ही सत्तावान है जितनी आजादी से पूर्व थी। हम ने देखा है 1962 में चीन ने इस देश की सीमाओं पर आक्रमण किया तो सारा देश अपने आपसी भेद भाव भूल कर देश रक्षा के लिये एक हो कर डट गया किसी ने शत्रु का पक्ष लेने का साहस तक नहीं किया। इसी प्रकार 1965 में जब पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर इसे हड़प लेने के लिए सशस्त्र घुसपैठिये भेजे और बल से भारत के इस भाग को हथियाना चाहा तो देश के सभी राजनैतिक, धार्मिक तथा अन्य भेद भूल कर एक सुदृढ़ राष्ट्र के रूप में सामने जा डटे।

कठिनाईयों और कठिन परीक्षाओं के इस समय में सामाजिक संस्थाओं ने कितना भाग लिया इसे भी भुलाया नहीं जा सकता, अतः राष्ट्रीय एकता को अधिकर्धिक सुदृढ़ बनाने के लिए जहां अन्य कई उपाय प्रयोग में लाए जा सकते है, वहां सामाजिक संस्थाओं के कार्य क्षेत्र को भी दृष्टि से ओभल नही किया जा सकता।
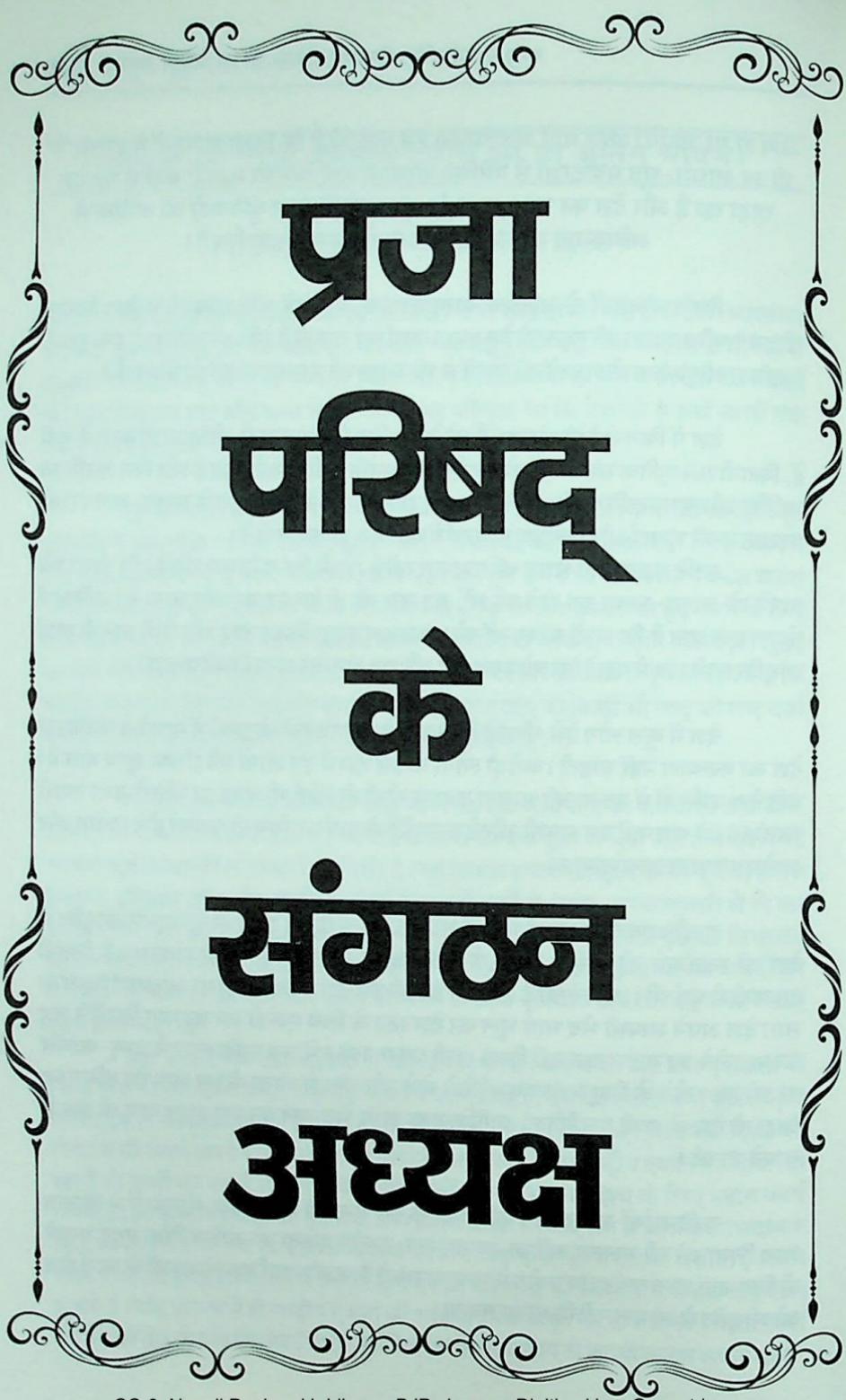
# प्रजा परिषद् के संगठन अध्यक्ष

## हरि वज़ीर

मई 1927 में जन्में हरि वज़ीर प्रजा–परिषद के पहले अध्यक्ष बनें। जब प्रजा–परिषद् का गठन नवंबर 1947 में हुआ था। प्रजा–परिषद् अध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति के 6 महीनों पश्चात उन्हें भारतीय सेना में एस.एस.सी. (लघु सेवा आयोग) के लिए चुना गया था। इस प्रकार प्रजा–परिषद् के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 6 महीनें की अवधी के लिए कार्य किया। कश्मीर संभाग के गांदरबल के समीप जंगलों में 3 जुलाई 1953 को भालू के शिकार अभियान में भाग लेते हुए उनका दर्दनाक अंत हो गया।

## श्री रूप चंद नंदा रियासी

लाला रूप चंद नंदा एक प्रमुख वकली थे और सार्वजनिक गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्हें वर्ष 1943 में महत्त्व मिला जब 24 सितंवर को हुए भोजन आंदोलन में नौ लोगों के पुलिस गोलीबारी में मारे जाने के पश्चात महाराजा द्वारा जांच आयोग नियुक्त किया गया। जिसकी अध्यक्षता बॉम्बे उच्च न्यायलय के न्यायधीश ने की थी। पंजाब के डॉ सैफ–उद्–दीन किचलु और कुछ अन्य वकीलों के साथ अधिवक्ता नंदा ने आयोग के समक्ष सार्वजनिक मुद्दों पर पैरवी करने के लिए उपस्थित हुए, इस आयोग के निष्कर्षों के आधार पर दो पुलिस अधिकारियों को सेवा से बर्खस्ति कर दिया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री हक्सर को अपने काम से हाथ धोना पड़ा।

राशन प्रणाली शुरू की गई थी। इस सबने श्री नदां जी के कद को बढ़ाया। वर्ष 1949 के आरंभ में उनके द्वारा लोक हित कार्यों को दी जाने वाली सेवाओं के कारण उन्हें प्रजा–परिषद् का नेतृत्व करने का कार्यभार सौंपा गया था क्योंकि पंड़ित ड़ोगरा जी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार कर श्रीनगर जेल में कैद कर रखा गया था। प्रजा–परिषद् को बैठक से इंकार करने के लिए शहर में तत्कालीन धारा 50 लगाई गई थी। इस प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, जम्मू तवी द्वीप क्षेत्र के रगूड़ा में एक बड़ी सार्वजनिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता चौधरी मीरा बक्श ने की थी। इस सफल सभा ने नए शासकों के पदानुक्रम में एक बेचैनी पैदा कर दी।

वर्ष 1949 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कैद में रखे गए नेताओं को रिहा करने की माँग करते हुए पं. डोगरा जी सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों और प्रजा परिषद् के कार्यकताओं को डराने के अधिकतम प्रयासों के बावजूद भी आगे बढ़ रहे थे। सरकार ने एक रणनीति के तहत श्री नंदा जी को विभिन्न अफवाहों के बीच रिहा कर दिया। परंतु अफवाहों को दूर करने के लिए और आंदोलनकारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए नंदा जी के बड़े बेटे श्री माधव लाल ने निशेद्यआज्ञा का उल्लंघन करते हुए। आंदोलन किया और उसी दिन गिरफ़्तारी दे दी और भयावह परिस्थितियों में कारावास में रहे। श्री माधव पं॰ डोगरा और अन्य लोगों के रिहा होने तक कारागृह में रहे।

## श्री माधव लाल नंदा (अधिवक्ता)
## 28.12.1928 से 01.06.1999

अपने विधिक अभ्यास के बावजूद श्री रुपचंद नंदा, 1947 से पूर्व कुछ सामाजिक एवं राजनैतिक दलों जिनमें हिंदू महासभा सम्मिलित है के शीर्ष पदों पर रहे और कई चुनाव भी लड़े।
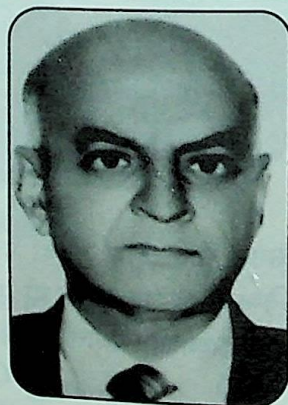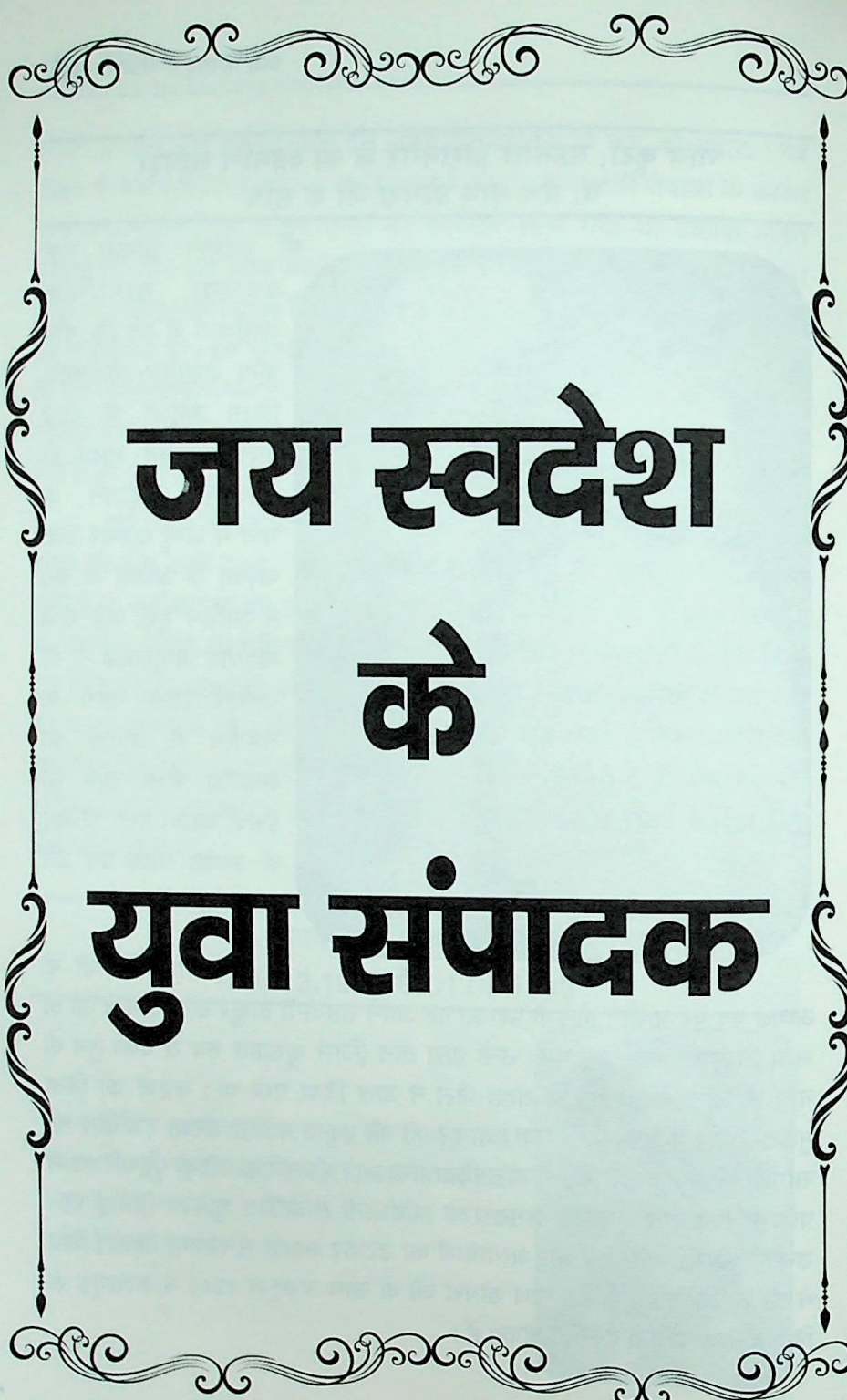
## गांव कूटा, तहसील हीरानगर के श्री रुद्रमणि सांगड़ा पं. प्रेम नाथ डोगरा जी के साथ
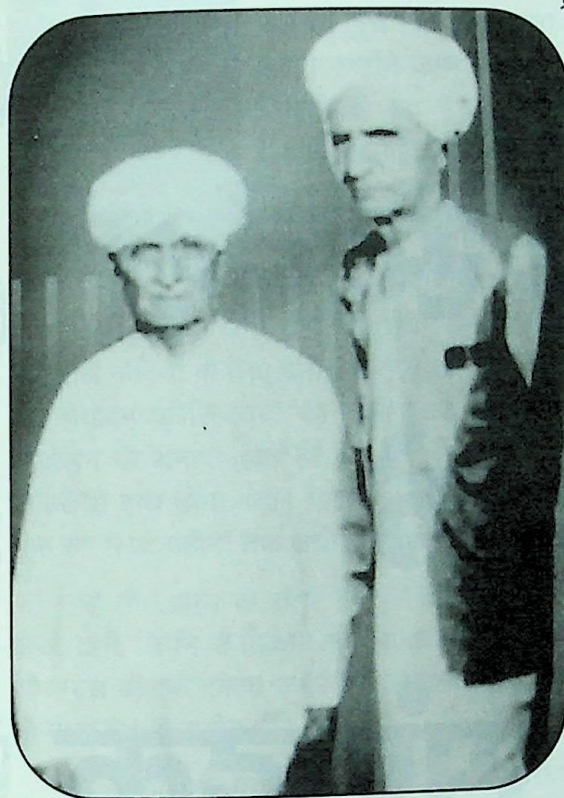
श्री रुद्रमणि सांगड़ा एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता थे जो कि गाँव कूटा, तहसील–हीरानगर, जिला कठुआ के रहने वाले थे। वह 1949 के सत्याग्रह आंदोलन के मध्य में जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद् के अध्यक्ष के रुप में आसिन हुए, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने श्री जवाहर लाल नेहरु के सहयोग से आतंक का साम्राज्य फैला रखा था इसके कारण प्रजा परिषद् के अध्यक्ष त्याग पत्र देने पर मजबूर हो गए।

श्री रद्र मणि जी के अध्यक्ष पद पर आसीन होने के पश्चात वह अपने सहयोगी ठाकुर बलदेव सिंह जी के साथ गिरफ़्तार कर लिए गए। उन्हें धारा तीन (जिसे कुख्यात रुप से दफा तुन के नाम से जाना जाता था) के तहत जेल में डाल दिया गया था। कइयों को बिना मुकदमें जेल में डाल दिया गया। ठाकुर जी को एकांत कोठरी संख्या एक और श्री सांगड़ा जी को कोठरी नं.2 में डाल दिया ग़या था। श्री सांगड़ा जी के पूरे परिवार ने प्रजा परिषद् और भारतीय जनसंघ के आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने समस्त यातनाओं और अत्याचारों का डटकर साहस से सामना किया। चित्र में श्री रुद्र मणि जी प. प्रेम नाथ डोगरा जी के साथ अक्तूबर 1949 में कारागृह से रिहा होने के पश्चात देखे जा सकते हैं।

# जय स्वदेश के युवा संपादक

## श्री गोपाल सच्चर जी जब वह 1949 में जल से रिहा हुए

उनका जन्म 17.7.1927 को हुआ। वर्ष 1949 के आरंभ में रघुनाथ पुरा में वरिष्ठ प्रजा परिषद् नेताओं के संपर्क में आए। उन्होंने जम्मू में अपने रहने की जगह को छिपने के ठिकाने के रुप में इस्तेमाल किया। उन्हें हाथ से लिखे (cyclostyle) दिवार पोस्टर तैयार करने का काम दिया गया जिसे लोकवाणी और आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था। उन्हें तीन बार गिरफ़्तार करके जेल में डाला गया परंतु 1949 के सत्याग्रह के दौरान उन्हें बुरी तरह पीटा गया तथा इसके पश्चात उन्हें डराने के लिए केन्द्रीय कारागृह, जम्मू में मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों के लिए बनी एकांत कोठरी में रखा गया। उन्होंने लगभग 3 महीने तक भयावह परिस्थितियों को झेला। वर्ष 1949 के अक्तूबर महीने के आरंभ में आंदोलन के समाप्त होते ही वह रिहा कर दिए गए परंतु उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 1952–53 के आंदोलन में उन्हें प्रचार संबंधी कार्यों का गुप्त रुप में छः महीनों तक संचालन करने का जिम्मा सौंपा गया।

उन्हें तीन अन्य के साथ अपराधी घोषित किया गया। फरवरी 1953 में उन्हें अपने रहने, छिपने के ठिकाने से गिरफ़्तार करके जबरन योगी गेट श्मशान घाट की ओर पास के एक एकांत कमरे में रखा गया। उस समय की तत्काल पुलिस लाइन भी योगी गेट के समीप थी।

एक सप्ताह के पश्चात तीन अन्य लोगों के साथ उन्हें श्रीनगर जे जाने का प्रयास किया गया। परंतु पीठ पीछे हाथों के बाँधे जाने के बावजूद वह लगातार दो दिन श्रीनगर जाने का प्रतिरोध करते रहे। डूकोटा जहाज के पाइलट ने इन खतरनाक सवारियों को श्रीनगर ले जाने से इंकार कर दिया। परिणामस्वरुप गुस्साए पुलिस वालों ने उन्हें गुम्मट गेट जम्मू के समीप स्थित पुलिस स्टेशन के गंदे लॉक–अप में बंद कर दिया। "युवा लड़का जहाज से नीचे कूद गया" इस अफ़वाह के फैल जाने के साथ ही लोग भारी मात्रा में उन्हें देखने के लिए एकत्रित होने लगे। कुछ घंटो के पश्चात् उन्हें इस पुलिस स्टेशन से निकालकर दोबारा लाइन के एकांत कमरे में डाल दिया गया जहाँ वह पहले से ही कैद कर रखे गए थे।

अप्रैल के तीसरे सप्तहा से सुरक्षा कर्मियों से लैस जीप में श्रीनगर को जाने वाले रास्तों के खुलने पर उन्हें श्रीनगर जेल ले जाया गया। उनके दोनों हाथों को बाँधे रखा और श्रीनगर पहुँचते ही उनके हाथों को कमर के पीछे बाँध दिया गया।

उन्हें श्रीनगर जेल में, जेल के मुख्य लोहे के गेट (मुख्यद्वार) से सटे कुक्कड़ खाना में रखा गया था, जहाँ पहले से ही प्रजा–परिषद् के नेता श्री ऋषि कुमार कौशल और उनके सहयोगी कटरा वैष्णो देवी के श्री फकीर चंद जी को पहले से ही रखा गया था। यह कुक्कड़ (मुर्गी) खाना कारागृह अधिकारियों के लिए मुर्गों और मुर्गियों के पालन हेतु बनाया गया था। परंतु कारागृह के भीतर उत्पन्न की गई परिस्थितियों से कहीं बेहतर माना जाता था। स्परूट रुप से उन्हें अन्या कार्यकर्ताओं से दूर रखनें के लिए ऐसा किया गया था। ताकि कारागृह के भीतर कोई भी परेशानी उत्पन्न न हो। 12 मई 1953 को जब डा॰ एस.पी मुखर्जी जी को गिरफ़्तार कर श्रीनगर लाया गया तब इन तीनों को ज़नाना खाना (महिलाओं के लिए बनाया गया अलग स्थान) में स्थानांतरिक कर दिया गया, जहाँ पर गिरफ्तार की गई या दोषी ठहराई जानें बाली महिलाओं के ठहरनें का स्थान था। इस स्थान में पहले से ही लगभग 25 अन्य प्रजा परिषद् कार्यकर्ताओं को रखा गया था।

सभी सत्यग्रहियों और अन्य कार्यकर्ताओं को जम्मू वापस लाया गया और जुलाई के पहले सप्ताह में आंदोलन को अंत में रिहा कर दिया गया। सच्चर जी के लिए रोज़गार की समस्या थी परंतु पंड़ित जी के सुझाव पर उन्हें प्रजा परिषद् कार्यालय में विभिन्न दायित्व सौंपे गए विशेश रुप से प्रचार कार्य। उन्होंने पार्टी के विभिन्न अंगों जैसे "जय स्वदेश, स्वदेश और दीपक" सभी उर्दू, हिंदी सप्ताहिक पत्रिकाओं में संपादक सहित विभिन्न क्षमताओं पर कार्य किए।

परंतु 1972 में पंड़ित जी के निधन के कुछ माह पश्चात् उन्होंने पार्टी का नाम छोड़ कर एक स्वतंत्र पत्रकार का काम संभालते हुए कई समाचार पत्रों; दो समाचार संस्थाओं जिनमें हिंदुस्तान समाचार (युगवार्ता) सम्मिलित हें और 1984 से लेकर 2001 तक यू.एन.आई में सहायक के रुप में कार्य किया।

नब्बे के अधिक की उम्र में भी वह अभी तक कुछ समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं और उनके लिए लिखते रहतें हैं।

नेशनल–कांफ्रेंस की बाईबिल, नया कश्मीर में बोलने की स्वतंत्रता के साथ–साथ प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनें की वचनबद्दता और प्रतिबद्धताओं के बावजूद एक समाचार पत्र को प्रकाशित करना कितना मुश्किल था इसका अंदाजा (आंकलन) जय स्वदेश के संपादक द्वारा 13 सितंबर 1955 में अपनें प्रथम सप्ताहिक संपादकीय की सूची में सुचीबद्द किया है कि आंदोलनों का सहारा लेने के पश्चात भी इसके प्रकाशन की अनुमति लेने के लिए कितना समय लगा।

## जय स्वदेश के पहले अंक का पहला पृष्ठ, प्रजा परिषद् का आधिकारिक अंग (मुखपत्र) दिनांक 13 सितंबर 1955

جلد ۱ — مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۵۵ء مطابق ۲۸ بھادوں ۲۰۱۲ سمہ یوم منگل — نمبر ۱
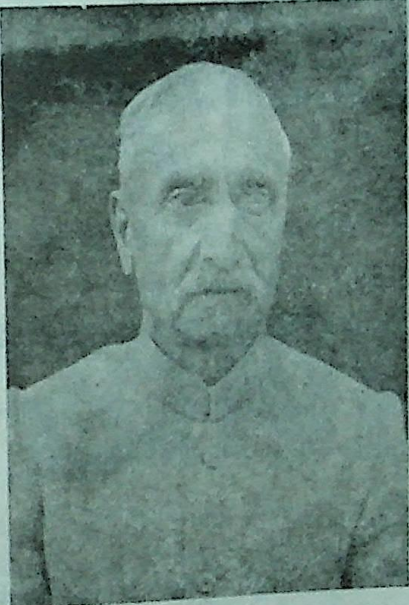
जय स्वदेश, जय स्वदेश
जय स्वदेश, जय संस्कृति माता।
................जय स्वदेश॥

### जनता के हृदय सम्राट

जिन का कहना है :—

(१)

"हम जनता को राम और रोटी दोनों दिलवाना चाहते हैं। अर्थात् हमारा देश जहां आर्थिक तौर पर उन्नति करे वहां लोग अपने धर्म और चरित्र को भी न भूलें। इस के लिये हम सदा तत्पर रहें गे।"

(२)

"शुद्ध और सच्ची राष्ट्रीयता की भावनाओं को लेकर देश को आगे ले जाने का मार्ग हम ने जो अपनाया है, वह कठिन और लम्बा जरूर है लेकिन आखिर जीत हमारी होगी। यह हमारा एक दृढ़ विश्वास है॥"

पंडित प्रेम नाथ जी डोगरा

"रियासत जम्मू कश्मीर के सर्वप्रिय नेता जिन की सादगी त्यागशीलता और देश भक्ति ने उन्हें स्टेट-केसरी से भारत-केसरी के पद पर बिठा कर इस डुग्गर देश की शान को चार चांद लगाए हैं।"

श्याम लाल शर्मा
उपप्रधान, जम्मू कश्मीर प्रजा परिषद्

"रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें एक ऐसा नेता मिला है जिस की ध्येय निष्ठा, दृढ़ता और चातुरता की प्रशंसा भारत के विरोधी दलों के नेता भी करते हैं।"

बलराज मधोक
प्रधान दिल्ली प्रदेश जनसंघ
(सार्वजनिक सभा पुरानी मंडी जम्मू॥

## पंड़ित जी का संदेश

पार्टी में मुखपत्र उर्दू सप्ताहिक "द स्वदेश" को प्रारंभ करते हुए प्रजा–परिषद् के अध्यक्ष के रुप में पंड़ित प्रेमनाथ डोगरा द्वारा निम्नलिखित टिप्पणीयाँ की गईः–
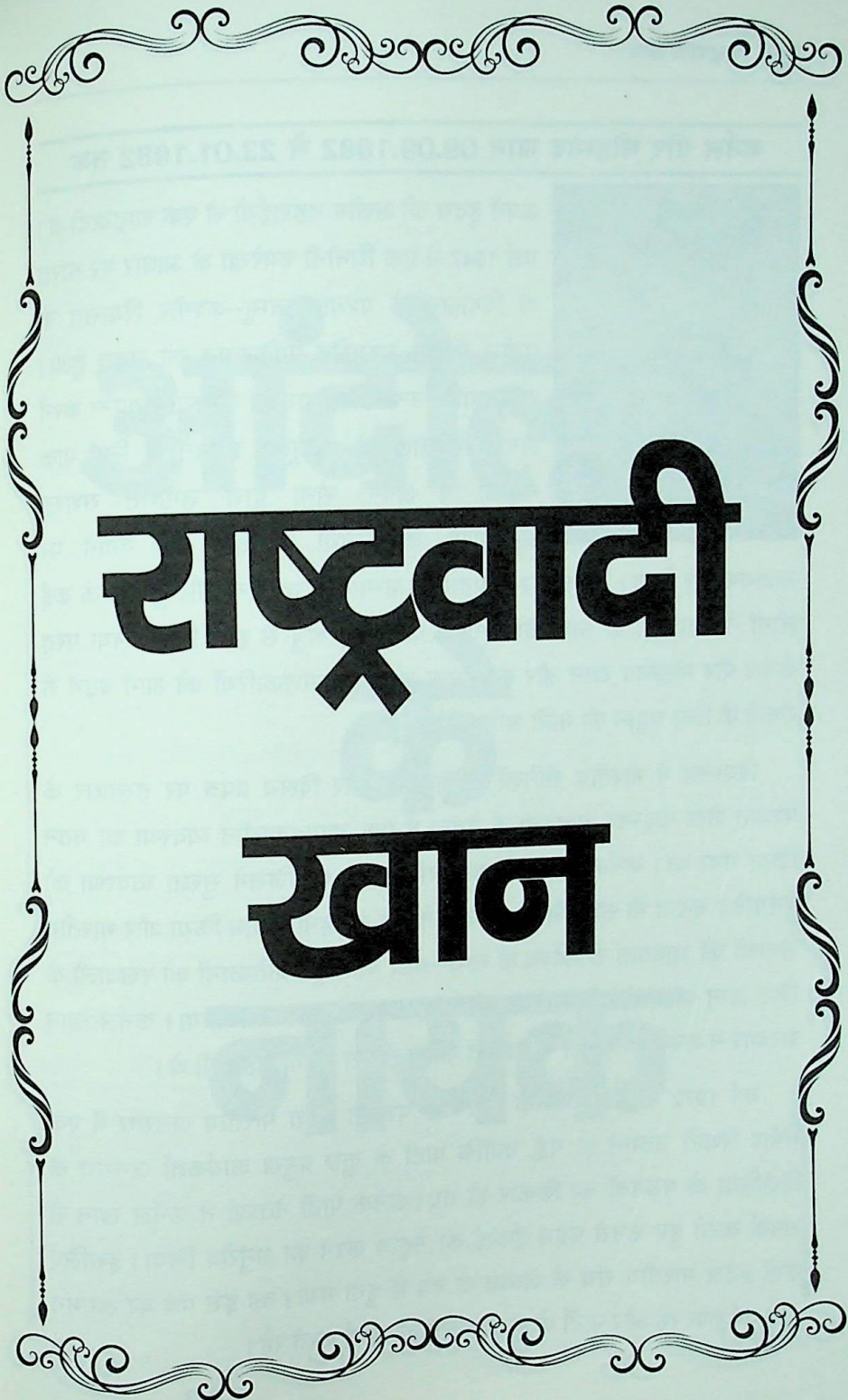
"इसमें कोई संदेह नहीं है कि सच्चे राष्ट्रवाद का मार्ग, जिसे हमनें अपनाया है, बहुत लंबा और जटिल है परंतु अंततः विजय हमारी ही होगी।"

वामपंथियों के इस आरोप का उपहास उड़ाते हुए कि प्रजा–परिषद् श्रामिक वर्गों का शोशण करनें की कोशिश कर रही हैं पंड़ित जी ने कहा किः–

"हम लोगों को राम और रोटी दोनों देना चाहतें हैं और देखना चाहते हैं कि वे शांति के लिए अपनीं आस्था के अनुसार काम करें और समृद्ध जीवन यापन के लिए कमानें का भी काम करें"।

1957 में जब पहली विधान सभा के चुनाव हुए तो पार्टी ने पाँच सीटों पर कब्जा कर लिया। चुनाव परिणामों नें नेशनल कांफ्रेंस पार्टी के क्रोध एवं विरोध को भड़काया, चुनावों में धांधली की और परिणामों में हेरफेर किया ताकि उसे बहुमत मिल सके। उन्होंने सरकार पर अनुचित, संगीन और कुप्रबंधन का आरोप लगाया। ऐसे ही समस्याएँ, बैठकें और रैलियाँ आयोजित करनें के समय भी, उत्पन्न की जातीं रहीं।

1959 में प्रजा–परिषद् ने 2, 3 और 4 अप्रैल को अपनीं वार्षिक बैठक आयोजित की, परंतु लाउड़स्पीकर और शासन के उपयोग की अनुमति के लिए, आयोजन समिति के प्रमुख श्री श्याम लाल शर्मा को तत्कालीन, प्रधान मंत्री श्री गुलाम मोहम्मद बख्शी से बार–बार मिलना पड़ा। 1962 में प्रजा परिषद् ने विधान सभा की तीन सीटों पर कब्जा कर लिया और 1964 में भारतीय जनसंघ में पार्टी (प्रजा–परिषद्) का विलय हो गया।

# राष्ट्रवादी स्वान

## कर्नल पीर मोहम्मद खान 09.09.1892 से 23.01.1982 तक
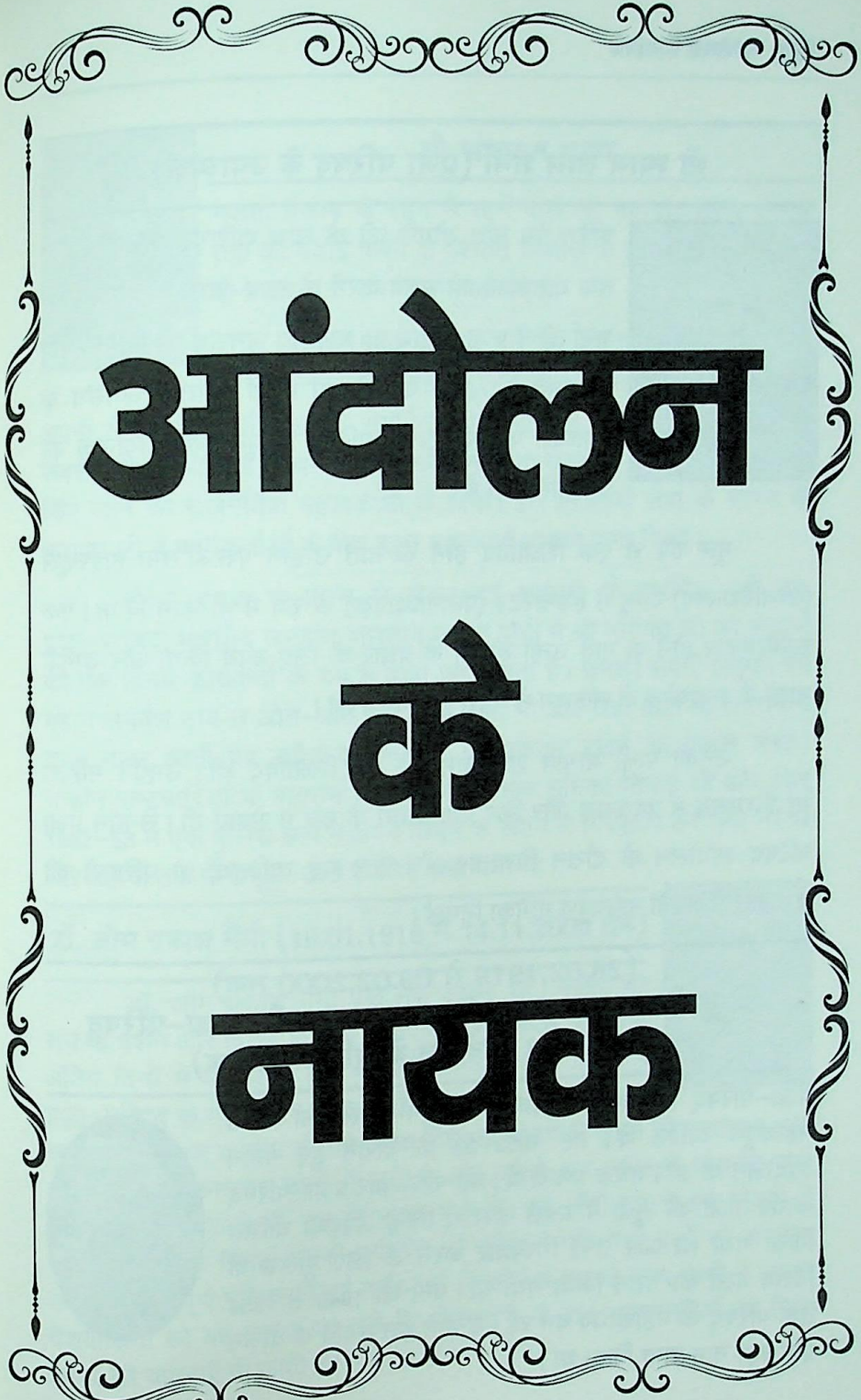
अपने हृदय की असीम गहराईयों से एक राष्ट्रवादी थे। वर्श 1947 मे एक घिनौनी रुपरेखा के आधार पर भारत के विभाजन के पश्चात जम्मू–कश्मीर रियासत के पड़ोस में धर्म आधारित पाकिस्तान का उदय हुआ। सांप्रदायकि उन्माद का वायरस समस्या उतपन्न करनें लगा। रियासत को बलपूर्वक हड़पनें के लिए पाक नेताओं नें अपनीं सेना द्वारा समर्थित सशस्त्र आदिवासी, कबाईलियों के साथ बड़े पैमानें पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार सांप्रदायिक उन्माद में रत सेना और पुलिस के कई लोगों नें महाराजा के साथ विश्वासघात करते हुए शत्रु से हाथ मिला लिया परंतु कर्नल पीर मोहम्मद खान और कुछ अन्य लोग आक्रमणकारियों को आगे बढ़नें से रोकने के लिए चट्टान की भांति अड़िग रहे।

रियासत में भारतीय सैनिकों के आगमन और विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात् शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक आपातकालीन व्यवस्था का गठन किया गया था। कर्नल खान को कार्य सौंपा गया था जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को पुर्नगठित करना भी सम्मिलित था। उन्होंने एक सराहनीय काम किया और भारतीय सेनाओं की सहायता के उद्देश्य के साथ–साथ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को रखवाली के लिए जम्मू व कश्मीर मिलिशिया और कैड़ेट कार्प्स का गठन किया। कर्नल खान सरकार में अपनें कार्यकाल के पश्चात पंड़ित ड़ोगरा जी के सहयोगी थे।

वर्ष 1972 में पंडित जी के निधन के पश्चात प्रदेश भारतीय जनसंघ में एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि पार्टी के कुछ प्रमुख कार्यकर्ता जनसंघ के विरोधियों के षड़यंत्रों का शिकार हो गए। अनेक पार्टी नेताओं नें कर्नल खान से संपर्क करते हुए उनसे प्रदेश ईकाई का नेतृत्व करनें का अनुरोध किया। इसलिए उन्हें प्रदेश भारतीय संघ के अध्यक्ष के रुप में चुना गया। वह इस पथ पर लगभग तीन वर्ष तक रहे और पार्टी के सुदृढ़ करनें का कार्य करते रहे।

# आंदोलन के नायक

## श्री श्याम लाल शर्मा (प्रजा परिषद् के उपाध्यक्ष)

पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जी के साथ कारागृह में कई महीनों तक यातनाओं को सहन करनें के साथ–साथ श्री श्याम लाल शर्मा जी नें प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ की विभिन्न पदों पर रहते हुए, सेवा की जिसमें प्रदेश भारतीय जनसंघ के उपाध्यक्ष पद और प्रजा–परिषद् के पूर्व मुख्य संयोजक का पद सम्मिलित है।

मूल रुप से एक शिक्षाविद् होनें के नाते उन्होंने एस.डी.सभा हाईस्कूल (उच्चविद्यालय) जम्मू में हेड़मास्टर (प्रधानाध्यापक) के रुप में भी काम किया। एक साहित्यकार होनें के नाते उन्हों ड़ोगरी के प्रचार के लिए कार्य किया और ड़ोगरी भाशा के शब्दकोश के संकलन में गहरी दिलचस्पी ली।

उनकी पत्नी श्रीमति शक्तिशर्मा भी एक शिक्षाविद थी। उन्होंने महिला महाविद्यालय में प्राध्यापक और फिर प्रधानाचार्य के रुप में सेवाएं दी। उन्होंने प्रजा परिषद् आंदोलन के दौरान गिरफ्तार और जेल गए व्यक्तियों के परिवारों की देखभाल में अपनीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## (28.02.1919 से 09.02.2000 तक)
## श्री दुर्गा दास वर्मा, महासचिव जम्मू व कश्मीर प्रजा–परिषद्
## (1952–53 आंदोलन के भूमिगत नायक)

प्रजा–परिषद् आंदोलन के दौरान श्री दुर्गा दास वर्मा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वह 1952–53 के दौरान हुए महान आंदोलन के अधिनायक प्रभारी थे। वह पहले चार प्रजा–परिषद् कार्यकर्ताओं की सूची में सबसे उपर थे जिन्हें अपराधी घोशित किया गया था और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस के विशेष दलों का गठन किया गया था। वर्मा जी 1949 से 1954 तक परिषद् के महासचिव बनें रहे। उन्होंने इस अवधि के दौरान एक बड़ा नाम प्राप्त किया था।

## श्री भागवत सरुप

मूलतः पंजाब के रहून में रहनें बाले श्री भागवत सरुप स्नात्क तक की पड़ाई करने के पश्चात चालीस के दशक के मध्य में संघ के प्रचारक के रुप में जम्मू आ गए।

उन्होंने प्रजा परिषद्, भारतीय जन संघ और फिर भाजपा के विभिन्न पदों पर रहते हुए विशेषत या संगठन मंत्री के रुप में अपनीं सेवाएं प्रदान की। उनकी समर्पित सेवाएँ 60 वर्षों से भी अधिक समय तक सबसे लंबी थी और वह भी बगैर किसी संवैधानकि या सरकारी निकाय पर निर्वाचित किए जानें की राजनैतिक महत्वकांक्षा के बिना। इस निःस्वार्थ सेवा के कारण ही भागवत जी नें कार्यकर्ताओं के बीच बहुत महत्वपूर्ण सम्मान प्राप्त किया।

पाँचवे दशक के प्रारंभ से लेकर नई शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक प्रजा–परिषद्, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी में श्री भागवत जी को सेवाओं को एक विनम्र कार्यकर्ता के रुप में देखा जा सकता है। उनकी सेवाएँ अनुपम एवं महान समर्पण भाव से ओत–प्रोत रहीं। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी संगठन में दरार नज़र आती वह सदैव कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का प्रयास करते। उन्होंने राष्ट्रवादियों के संगठन के निर्माण में महान भूमिका निभाई थी और फिर 1952–53 में एक पुलिस छापे में अपनें छिपनें के स्थान से गिरफ़्तार कर लिए गए थे और महीनों तक उन्हें पूछ–ताछ के लिए रखा गया था।

## डॉ. ओम प्रकाश मैंगी (16.01.1918 से 14.11.2009 तक)

डॉ॰ ओम् प्रकाश मैंगी एक नेक आत्मा थो। मूलतः वह संघ के दर्शन और विशय के लिए समर्पित थे और अपनें जीवन के अंतिम दिनों में भी इसके लिए काम करते रहे। उन्हें 1955 में प्रजा–परिषद् के महासचिव के रुप में नियुक्त किया गया था, जब सत्ताधारी नैशनल कांफ्रेंस के नेता विपक्ष विशेषतः राष्ट्रवादी लोगों को भ्रश्ट एवं अन्य हथकंड़ों द्वारा कमज़ोर करनें में जुटे थे और उनके इस जाल में फंसकर कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी भी राह से भटक चुके थे। डॉ॰ मैंगी जी ने इसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी धर्मपत्नि श्री सुदेश ने महिलाओं दलों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ताकि नईं दिल्ली एवं देश के अन्य भागों में जाकर देशवासियों को यह बताया जा सके कि गिरफ्तारी के बाद सत्याग्राहियों को किस प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं।

## स्वर्गीय श्री मुल्ख राज पारगल

**प्रजा–परिषद् के प्रदेश मंत्री**

**(92 वर्श की आयु में 04.02.2017 को देहांत हुआ)**

वह कानूनी मामलों के विशेषज्ञ और एक सज्जन व्यक्ति थे। मूलतः प्रजा परिषद् से ही थे। श्री मुलख राज पारगल सांबा में एक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता के रुप में सामनें आए और उन्हें नगर समिति के अध्यक्ष के रुप में चुना गया और वह प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। श्री पारगल संघ के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थे और पंडित प्रेम नाथ डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य भी थे।

## श्री रुप लाल रोमित्रा

उनका जन्म 14–11–1922 को जिला जम्मू के आर.एस.पुरा तहसील के सीमावर्ती गाँव मूले चक्क में हुआ। श्री रुप लाल रोमित्रा एक सम्मानजनक परिवार से आते हैं। उनके पिता श्री सुखराम इलाके के जाने–मानें व्यक्ति थे। उन्होंनें स्नातक तक की अपनी पढ़ाई "प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज" जम्मू से पूरी की और पाँचवें दशक के आरंभ में ही संघ में प्रचारक के रुप में सम्मिलित हो गए। उन्होंनें रियासी और उधमपुर क्षेत्रों में संघ का कार्यभार संभाला। पंड़ित ड़ोगरा के नेतृत्व में पंजाब और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए शरणार्थियों को राहत देने के लिए अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ रुप लाल जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह प्रजा–परिषद् के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्हें 1949 मे पार्टी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में भी गिरफ्तार किया गया था।

श्री रुप लाल जी ने ध्वज के मुद्दे पर 1952 के छात्रों के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1952–53 के बड़े आंदोलन के दौरान उन्होंनें महीनों तक कठिन परिस्थितियों में कारागृह का समाना किया। वर्ष 1958 में श्री रुप लाल दिल्ली चले गए और अपनें परिवार के साथ वहाँ बस गए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ में विभिन्न पदों पर रहते हुए कार्य किया और उनके परिवार ने राष्ट्रवादी गतिविधियों में उनका समर्थन किया। उनके बच्चे समाज की सेवा करने के लिए विभिन्न क्षमताओं में भूमिका निभा रहें हैं।

# 1957 में प्रजा परिषद् कार्यकर्ताओं द्वारा लड़ा गया विधानसभा का पहला चुनाव

## प्रजा परिषद् ने 1951 के विधानसभा चुनावों का बहिष्कार किया, जिसका कारण उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को दिनांक 8–10–1951 को ज्ञापन के माध्यम से बता दिया।

परंतु 1957 में प्रजा परिषद् ने विधानसभा के चुनाव लड़ने का फैसला किया और जम्मू प्रांत की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और इनमें से निम्नलिखित पांच उम्मीदवार चुनाव जीतकार आए:–

(1) बसोहली निर्वाचन क्षेच में 28642 कुल मतदाताओं में से श्री महेश चंद्र जी ने 9085 मत प्रात्त करके अपने प्रतिद्वंदी नेशनल कांफ्रेंस के श्री महंत राम को हराया जिनको केवल 5846 मत प्राप्त हुए।

(2) जम्मू निर्वाचन क्षेत्र के 22277 कुलमतदाताओं में से श्री पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी ने 9961 मत प्राप्त करने अपने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कांफ्रेंस के श्री कृष्ण दत्त रैणा जी को हराया जिनको केवल 4746 मत प्राप्त हुए थे।

(3) अखनूर छंब निर्वाचन क्षेत्र कें 48694 कुलमतदाताओं में श्री ठाकुर सचदेव सिंह जी ने 12782 मत प्राप्त करने अपने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कांफ्रेस के श्री रामलाल जी को हराया जिनको मात्र 12745 मत प्राप्त हुए थे।

(4) अखनूर द्वि–सदसीय निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित सीट के 29181 कुलमतदाताओं में से श्री सत देव जी ने 13500 मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कांफ्रेंस के श्री शिवराम जी को हराया जिनको केवल 12251 मत प्राप्त हुए थे।

(5) जम्मू तहसील निर्वाचन क्षेत्र के 43884 कुल मतदाताओं में से श्री राजिन्द्र सिंह जी ने 10162 मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंद्वी नेशनल कांफ्रेंस के श्री राम सरण दास जी को हराया जिन्हें केवल 9864 मत प्राप्त हुए थे।

## उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव लड़े परंतु दूसरे स्थान पर रहे।

(1) बिलावर निर्वाचन क्षेत्र कें 24187 कुल मतदाताओं में से 4376 मत प्राप्त करके श्री ध्यान सिंह जी दूसरे स्थान पर रहे और श्री राम चंद खजूरिया जी 8624 मत प्राप्त करने चुनाव जीत गए।

(2) कठुआ निर्वाचन क्षेत्र के 22312 कुल मतदाताओं में से 4628 मत प्राप्त

करके श्री चग्गर सिंह जी दूसरे स्थ्ज्ञान पर रहे और श्री मेजर प्यार सिंह जी 10993 मत लेकर चुनाव जीत गए।

(3) जसमेरगढ़ (हीरानगर) निर्वाचन क्षेत्र के 28338 कुल मतदाताओं में से 5250 मत प्रात्त करके श्री ठाकुर बलदेव सिंह जी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और श्री गिरधारी लाल डोगरा 15319 मत प्राप्त करते हुए चुनाव में निर्वाचन घोषित किए गए।

(4) सांबा निर्वाचन क्षेत्र के 25862 कुल मतदाताओं में से 5979 मत प्राप्त करके मास्टर ध्यान सिंह जी दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कॉंफ्रेंस के श्री सांगड़ा सिंह 9414 मत प्राप्त करके चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए।

(5) नौशहरा निर्वाचन क्षेत्र के 29616 कुल मतदाताओं में से 4795 मत प्राप्त करके श्री शिवदास जी दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के श्री कृष्ण देव सेठी 15747 मत प्राप्त करके विजयी रहे।

(6) रामनगर निर्वाचन क्षेत्र के कुल 26444 मतदाताओं में से 717 मत प्राप्त करके श्री हंसराज जी दूसरे स्थान पर रहे और 4965 मत प्राप्त करके नेशनल कांफ्रेंस के श्री हेमराज चुनाव जीत गए।

(7) उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र के कुल 24556 मतदाताओं से से 6876 मत प्राप्त करके श्री पारस राम दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के श्री अमर नाथ जी 7183 मत प्राप्त करके चुनाव जीत गए।

(8) टिकरी निर्वाचन क्षेत्र के कुल 24266 मतदाताओं में से 7621 मत प्राप्त करके श्री शिव चरण सिंह जी दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के श्री मोती राम बैगरा 7880 मत प्राप्त करके विजयी रहे।

(9) द्वि–सदस्यीय आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भी कश्मीरो राम जी 4130 प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहे जबकि एच.एम के श्री मिल्खी राम जी 11077 मत प्राप्त करके चुनाव में निर्वाचित घोषित किए गए। इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 24768 थी।

(10) बिश्नाह सांबा निर्वाचन क्षेत्र में श्री रघुनाथ जी 11164

मत प्राप्त करके दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के श्री राम पियारा जी 18695 मत प्राप्त करके चुनाव जीत गए। इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या

40196 थी।

(11) भद्रवाह निर्वाचन क्षेत्र के कुल 25447 मतदाताओं मे से 4537 मत प्राप्त करके श्री स्वामी राज दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के श्री चूनी लाल जी 10524 मत प्राप्त करके चुनाव में विजयी रहे।

(12) भलेसा—बुँजवाह निर्वाचन क्षेत्र के कुल 20944 मतदाताओं में से 2712 मत प्राप्त करके श्री अब्दुल रहमान जी दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के गोनी जी 10057 मत प्राप्त करके चुनाव में निर्वाचित हुए।

(13) रामबन निर्वाचन क्षेत्र के कुल 24026 मतदाताओं में से 1443 मत प्राप्त करके श्री लब्बुराम जी दूसरे स्थान पर रहे और नेशनल कांफ्रेंस के श्री असदुल्लाह मीर 19664 मत प्राप्त करके निर्वाचित हुए।

**यह इतिहास बताता है कि उस समय प्रजा परिषद् का कितना योगदान रहा है**
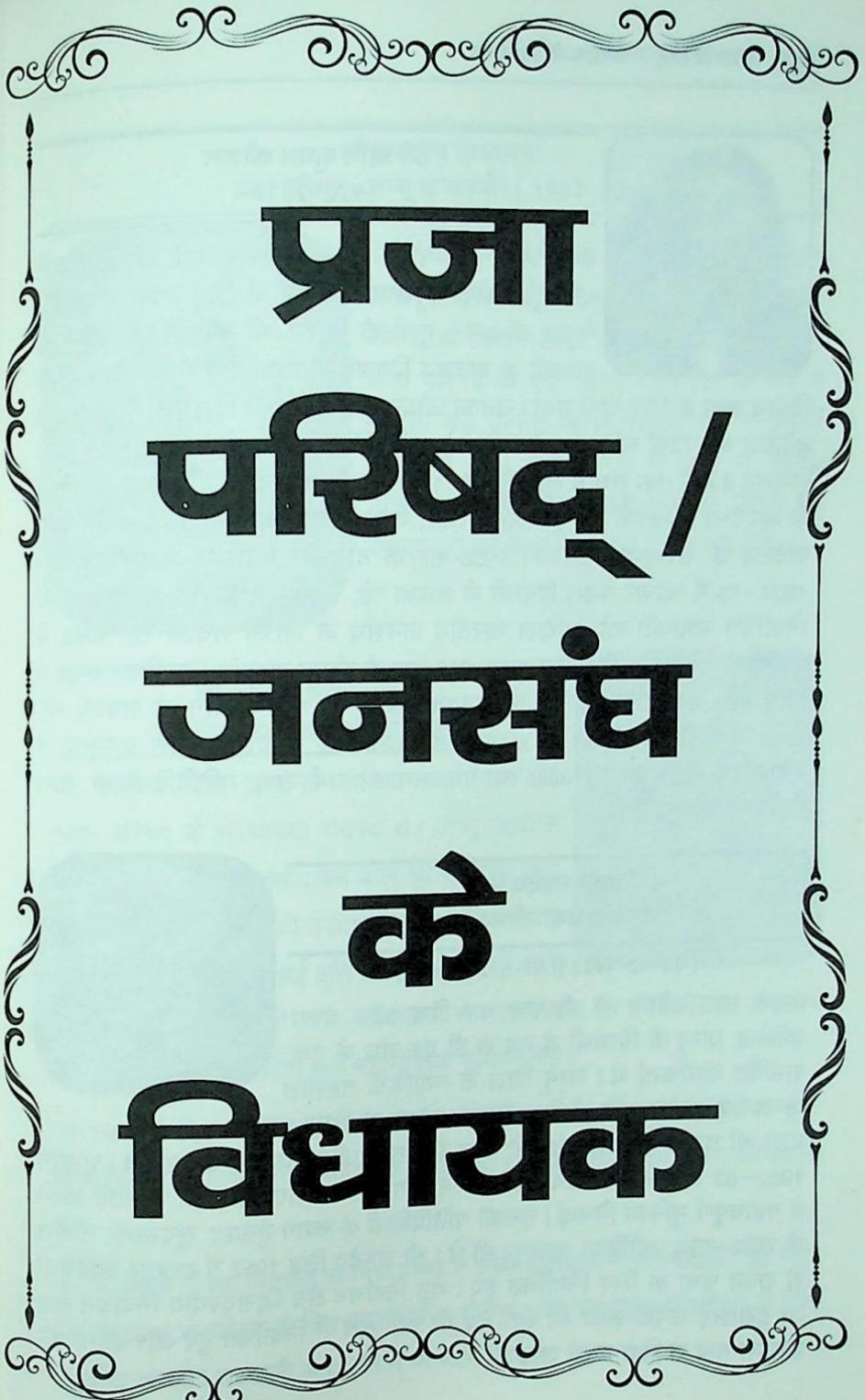
# प्रजा परिषद् / जनसंघ के विधायक

## श्री ऋषि कुमार कौशल
## 1926-2017

उन्हें लोगों की सेवा करनें के लिए एवं अपनी अच्छी वाक्पटुता और जनसंपर्क कौशल के लिए जाना जाता है। नेतृत्व के अपनें गुणों के कारण श्री कौशल जी को भारी बाधाओं के बावजूद रियासी निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार राज्य विधान सभा के लिए चुना गया। उनका जीवन वृतांत बड़ा ही दिलचस्प है। 1945 में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और संघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता (प्रचारक) बन गए। लगभग 8 वर्षों तक संघ में कार्य किया। 1947 के दौरान राजोरी व रियासी तहसीलों के अपदस्थ व्यक्तियों को पुर्नवास व राहत देने के लिए कार्य किया। 1947 में प्रजा परिशद के संस्थापक सदस्य। 1958–67 के दौरान संगठन के महासचिव रहे। 1951–53 में व्यापार मंडल रियासी के अध्यक्ष रहे, 1954–61 में टी.ए.सी रियासी के निर्वाचित सभापति रहे, अखिल भारतीय जनसंघ के जी.सी सदस्य रहे, 1962 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। 1962–67 के दौरान जनसंघ विधायिका समूह में व्हिप रहे। आश्वासन समिति के सदस्य, 1962–68 भूमि आयोग के सदस्य रहे, 1964 में परिवहन समिति के सदस्य रहे। 1969–72 के दौरान प्रदेश जनसंघ के महासचिव रहे। प्रांतीय और स्थानीय सनातन धर्म सभा गतिविधियों के साथ निकटता से जुड़े हैं।

## ठाकुर सहदेव सिंह
## पूर्व विधायक प्रजा परिषद् ( 1957 )

**( 22-12-1922 से 07-5-2016 तक )**
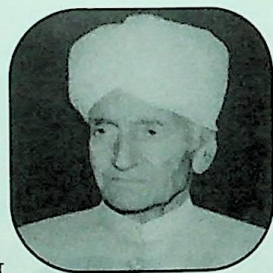
अपनें छात्र जीवन से ही जब वह प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, जम्मू के विद्यार्थी थे तब से ही वह संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। जम्मू जिले के ज्यौड़ियाँ तहसील के समीप ड़डौरा गाँव के एक समृद्ध परिवार से संबंध रखने बाले श्री ठाकुर सहदेव सिंह जी बहुत ही सरल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंनें 1952–53 के प्रजा–परिशद आंदोलन में भाग लेने के लिए लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गतिविधियों के स्थान मुख्यतः सुंदरबनी, नौशेरा के साथ–साथ ज्यौड़ियां, अखनूर भी थे। श्री सहदेव सिंह 1957 में अखनूर ज्यौड़ियां से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए। यह निर्वाचन क्षेत्र द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र था इसलिए उनके साथ श्री सत देव भी इसी क्षेत्र से निर्वाचित हुए और लोगों की समर्पण भाव से सेवा करते रहे।

## श्री सत देव विधायक
## प्रजा परिषद्- जम्मू व कश्मीर ( 1957-62 )

1957 के चुनाव में श्री सहदेव सिंह के साथ अखनूर द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में सत देव जी को राज्य विधान सभा के लिए चुना गया था। प्रजा परिषद् के एक महान कार्यकर्ता के रुप में उन्होंने बड़े उत्साह और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की। सतदेव जी ने सभा में लोगों, विशेशकर कंड़ी और पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं को उठानें में गहरी दिलचस्पी ली।

## श्री राजिंदर सिंह जम्वाल
## पूर्व विधायक प्रजा परिषद्-1957

श्री राजिन्द्र सिंह संघ के सक्रिय कार्यकर्ता और प्रजा–परिषद् के संस्थापक सदस्य थे। जम्मू तहसील के जिन्द्राह गाँव से संबंध रखनें बाले श्री राजिंदर सिंह जी ने पूरे क्षेत्र में पार्टी की इकाइयों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सत्याग्राहियों की भर्ती में गहरी दिलचस्पी ली और आंदोलन के महानायक के निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी से बचनें के लिए कई महीनों तक भूमिगत् रहे।

वर्ष 1959 के विधानसभा चुनावों के दौरान श्री राजिंद्र सिंह जी को तहसील जम्मू के द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में विधायक चुना गया था। वह काफी लोकप्रिय कार्यकर्ता थे।

70 के दशक में वह जिन्द्राह से मिश्रीवाला में उसी तहसील में स्थानांतरित हो गए। वह राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए स्थानांतरित हो गए। वह राष्ट्रवाद के उद्देश्य के लिए समर्पित रहे और सहकारी आंदोलन में भी काम किया।

## स्वर्गीय ठाकुर बलदेव सिंह जी

### प्रजा-परिषद् के वरिष्ठ नेता और निर्वाचित विधायक एवं तत्कालीन लोकसभा सदस्य ( 1977 )
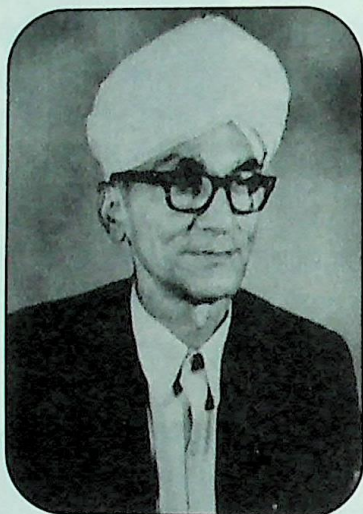
पेशे से प्रख्यात अधिवक्ता ठाकुर बलदेव सिंह को सार्वजनिक व्यवहार में एक सुदृढ़ व्यक्ति के रुप में पहचाना जाता था। कठुआ जिले की तहसील जसमगढ़ (हीरानगर) के सीमावर्ती गाँव सनूरा में उनका जन्म हुआ था। उनके बुजुर्गों को महान योद्धओं के रूप में जाना जाता था। कठिन दिनों में शत्रुतापूर्ण पड़ोसी पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात इस परिवार के सदस्यों के कठित नेतृत्व में ग्रामीणों ने 1965 व 1971 के युद्धों के दौरान (दिनों में ) हमलावर के प्रत्येक हमले को भी हराया।

बलदेव सिंह जी को प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के आंदोलन के दौरान कई बार गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल का सामना करना पड़ा। वह पंड़ित ड़ोगरा जी के निकट सहयोगी थे और प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ एवं भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

वर्ष 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी के किसी बदनाम व्यक्ति को जनादेश दे दिया। जिससे कई कार्यकर्ता नाराज़ हो गए उनके कहनें पर ठाकुर बलदेव सिंह जी ने जम्मू–पूंछ लोकसभा सीट से एक निंदलिए उम्मीवार के रुप में चुनाव लड़ा और नेशनल–कॉफ्रेंस, जनता पार्टी और अन्य उम्मीदवारों को प्रचंड़ बहुमत से हराया। उनका चुनाव प्रचार पंजाब के अनुभवी लाल जगत नारायण जी द्वारा किया गया जो पंजाब केसरी हिंद समाचार पत्र समूह के प्रमुख थे।

श्री बलदेव सिंह जी जम्मू॰व॰कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने बाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करनें के महान नायक थे। उन्होंने राज्य विधानसभा 1987–90 में हीरानगर निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया।

## श्री राम नाथ बलगोत्रा, पूर्व विधायक

विधि स्नातक की पढ़ाई पूर्ण करनें के पश्चात वह एक वकील थे और प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1952–53 के आंदोलन के दौरान रियासत के बाहर प्रचार मामलों के प्रभारी थे और उन्हे हैदराबाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। परंतु दो महीने हिरासत में रहनें के पश्चात मद्रास उच्च न्यायलय के आदेश के अनुसार रिहा कर दिया था। श्री बलगोत्रा कुछ सामाजिक संगठनों के साथ भी जुड़े हुए थे और 1967 और 1977 में जम्मू शहर से राज्य विधानसभा के लिए दो बार चुनें गए। वह 1956 के नागरिक चुनावों में वार्ड नं॰ 1 से तत्कालीन मुनिसीपल कमेटी जम्मू में पार्षद के रुप में भी चुनें गए।

## मॉस्टर ध्यान सिंह
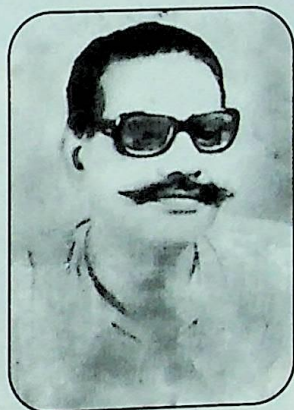
तहसील साँबा के गुड़ा सलाथिया से संबंध रखनें बाले मा॰ ध्यान सिंह मूलतः एक शिक्षक थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ/प्रजा–परिषद्/भारतीय जन संघ से जुड़े हुए थे। श्री ध्यान सिंह विधायक प्रजा–परिषद् के आंदोलन के दौरान उस आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए अपनें सहकर्मियों ठाकुर जर्मन सिंह श्री जगदीश राज शर्मा और श्री सुरिंदर नाथ खजुरिया सहित सरकार से इस्तीफा देनें के पश्चात लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। लोगों ने अपनी आस्तीनें उतारीं और एक झटके में पूरा गाँव युद्ध के मैदान में तबदील हो गया और चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जानें लगा।

1977 के चुनावों में नवगठित जनता पार्टी ने कुछ ऐसे लोगों को जनादेश दिया जो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं कर रहे थे। उन्होंने साँबा विधानसभा सीट से जनता मोर्चा (फ्रंट) के उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। उन्होंनें विकास कार्यों में गहरी रुचि ली।

## लाला शिव चरण गुप्ता

### उधमपुर से प्रजा-परिषद् के वरिष्ठ नेता
### ( 02-03-1925 से 05-03-2008 तक )
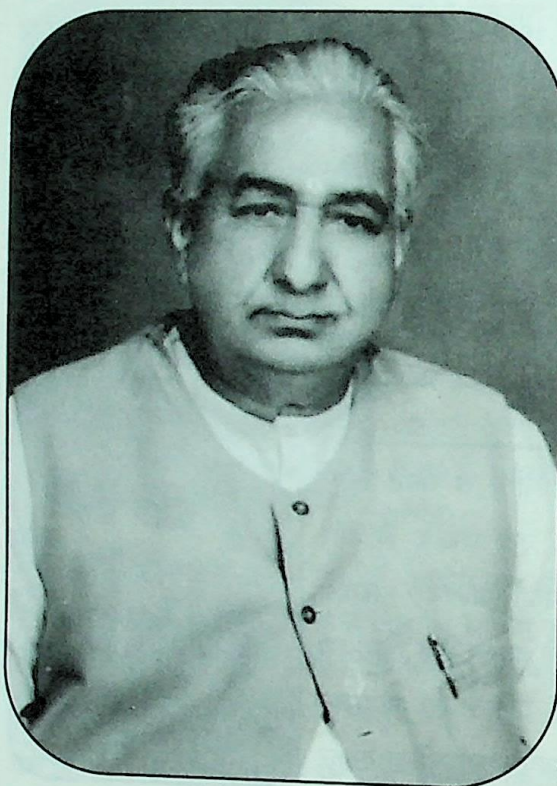
उधमपुर में प्रजा–परिषद् की मजबूत ईकाई थी जिसनें 1952–53 के आंदोलन सहित सभी आंदोलनों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनेकों मार्गदर्शक (प्रभावशाली) व्यक्तियों को गिरफ्तार करके श्रीनगर स्थानांतरित कर दिया गया था जहाँ उन्हें "जनाना खाना" सहित अन्य कठित परिस्थितियों में रखा गया था। इनमें श्री दीनानाथ, श्री पारस राम पिछालिया और उधमपुर एवं उसके आसपास के इलाकों के व्यक्ति भी शामिल थे।

आंदोलन के दौरान और उसके पश्चात श्री शिव चरण गुप्ता जी नें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्च 1925 में जन्में श्री गुप्ता ही प्रखर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और अपनें प्रशंसकों के मध्य "ठाकुर" के नाम से लोकप्रिय थे। वह पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। उधमपुर क्षेत्र से तीन बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और भाजपा समूह के नेता भी बनें रहे। उन्होंने उधमपुर व अन्य क्षेत्रों के विकास कार्यों में गहरी दिलचस्पी ली। श्री शिव चरण जी नें विभिन्न सामाजिक व व्यापारिक निकायों में अपनीं भूमिका निभाई।

## प्रो0 चमन लाल गुप्ता जम्मू से

### प्रजा-परिषद् से लेकर जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता

उनका जन्म 13 अप्रैल 1934 को जम्मू जिले की अखनूर तहसील के कलीठ गाँव के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी औपचारिक शिक्षा जम्मू एवं इलाहाबाद में हुई। वर्ष 1958 मे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी मे स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई पूरी करनें के बाद उन्होंने गुज़रात में चार वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रुप में बिताए। वर्श 1962 में उन्हें गाँधी मेमोरियल कॉलेज जम्मू मे व्याख्याता/प्राधायापक नियुक्त किया गया। उनके राजनैतिक झुकाव और प्रतिबद्धताओं के कारण उन्हें 1969 में सोपोर कॉलेज में पहली बार स्थानांतरित किया गया और फिर 1971 में ड़िग्री कालेज उधमपुर में भेजा गया जहाँ उन्होंने 1972 में सक्रिय राजनीति में शामिल होने के लिए प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया।

वह उसी वर्ष जम्मू–व–कश्मीर विधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए। 1973 से 1980 के बीच वह जम्मू–कश्मीर में भारतीय जनसंघ की प्रदेश ईकाई के महासचिव बनें रहे। 1980 से 1989 के दौरान भाजपा के राज्य महासचिव भी रहे। 1987 में वह दूसरी बार विधानसभा के लिए चुनें गए। 1990–95 के बीच दो कार्यकाल के लिए भा॰ज॰पा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1975 में आपातकाल के दिनों में वह भूमिगत रहे और उनकी गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें जनसंघ के अन्य नेताओं के साथ कैद कर लिया गया।

प्रो॰ गुप्ता जी नें सदैव शरणार्थियों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के परिणामस्वरुप हज़ारों परिवार कश्मीर घाटी में पलायन कर गए। इसी प्रकार आतंकवाद प्रभावित ड़ोडा जिला में उग्रवाद पीड़ितों को राहत देने में सक्रिय भूमिका निभाई। इस मौके पर प्रो॰ गुप्ता ने आतंकवादियों के बुरे षड़यंत्रों से निपटनें केलए "डोड़ा बचाओ आंदोलन" शुरु किया। 50000 से अधिक सत्याग्रहियों और कईं राष्ट्रीय नेताओं ने सक्रिय रुप से इस आंदोलन में भाग लिया, जिसके पश्चात ड़ोडा जिला को सेना को सौंप दिया गया था और लगभग दो हज़ार ग्राम रक्षा समितियों को आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार किया गया था।

प्रो॰ गुप्ता व्यापक रुप से यात्रा करनें बाले व्यक्ति हैं। वह पढ़नें और लिखनें में

रुचि रखते हैं। उनकी शादी 6 मई 1961 को श्रीमति रेखा गुप्ता ही से हुई। प्रो॰ गुप्ता जी के दो बेटे–अनिल और विकास एवं एक बेटी मिनाक्षी हैं। वह उधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार लोकसभा सदस्य चुने गए और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए सरकार में राज्यमंत्री भी रहे और विभिन्न विभागों जिनमें रक्षा राज्य मंत्री इत्यादि सम्मिलित हैं पर भी अपनी सेवाएं दी। प्रो॰ गुप्ता जी को जम्मू शहर से तीन बार राज्य विधान सभा के लिए भी चुना गया था।

## ठाकुर ध्यान सिंह

प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता

(02–10–1924 से 29–11–1912 तक)

जन्म स्थानः–विलावर का पल्लन गाँव।

मैट्रिकुलेशनः–1942 पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर।

ध्यान सिंह कुलरिया विलावर क्षेत्र से संबंधित थे और जनमानस के मध्य बहुत लोकप्रिय थे। वह बहुत सरल व्यक्ति थे और विलावर निर्वाचन क्षेत्र से 1977 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए।उन्होंनें क्षेत्र के लोगों की बड़े उत्साह के साथ सेवा की। बिलावर के पिछड़े इलाकों एवं दूर–दराज रहनें बाले लोगों की समस्याओं के विधानसभा में उठानें के बड़े उत्सुक रहते थे।

## महेश चंद्र
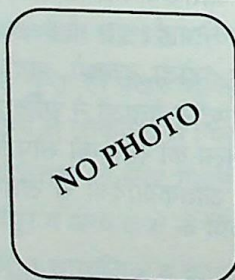
**बसोहली निर्वाचन क्षेत्र में 1957 में प्रजा-परिषद् के विधायक**
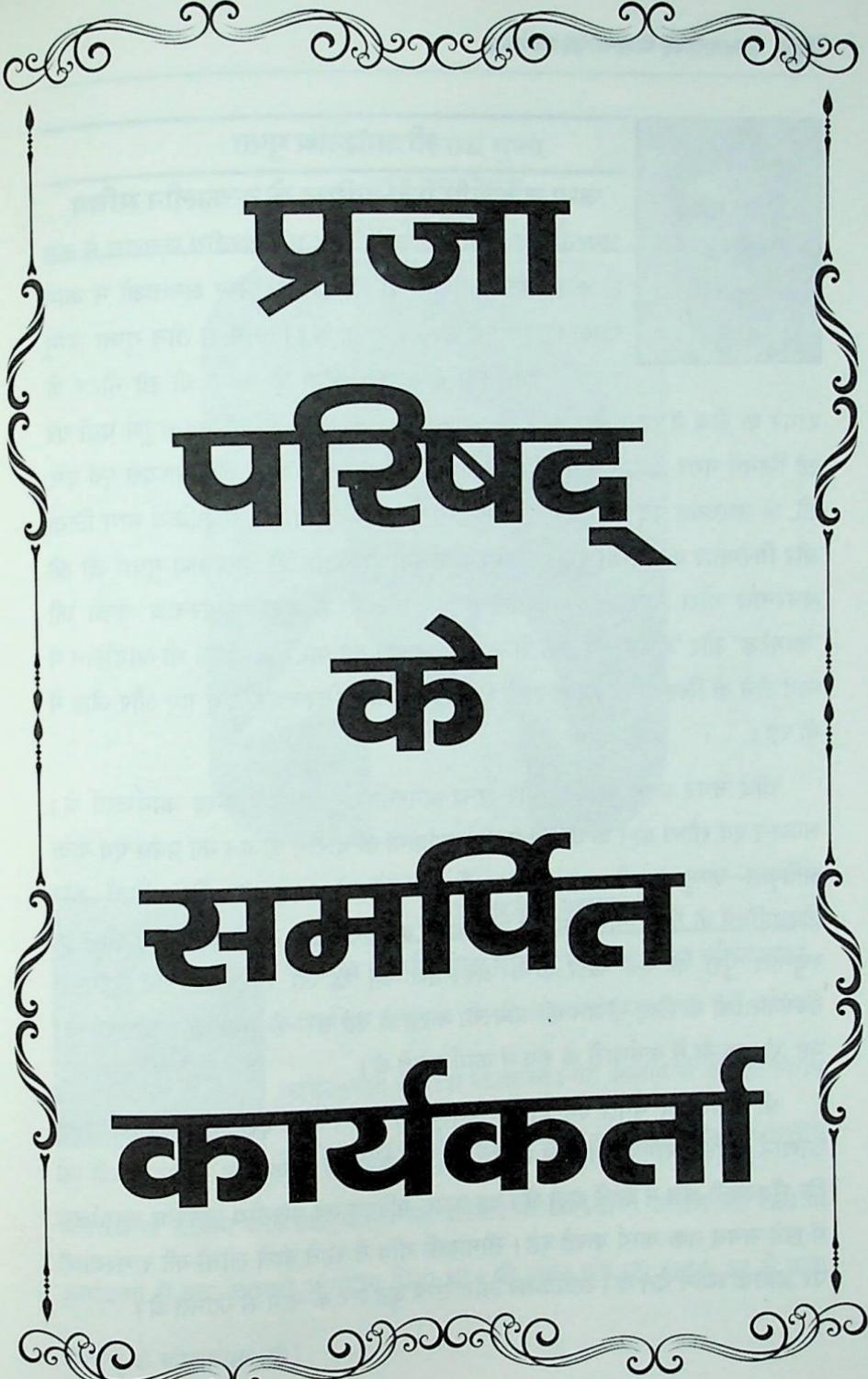
# प्रजा परिषद् के समर्पित कार्यकर्ता

## श्री अमरनाथ गुप्ता

### जम्मू व कश्मीर प्रजा-परिषद् के तत्कालीन सचिव

अमरनाथ के नाम से प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ में कम से कम आठ कार्यकर्ता थे जिन्होंने विभिन्न क्षमताओं में काम किया था। उनमें से चार गुप्ता थे। जिनमें से तीन गुप्ता जम्मू शहर के धासमंड़ी लखदाता चौक के महज़ दौ सो मीटर के दायरे के बीच में रहते थे। उनमें से अमरनाथ गुप्ता उर्फ "भांड़ा" महत्वपूर्ण पदों पर रहे जिनमें नगर अध्यक्ष, निर्वाचित नगरपालिका पार्षद, पार्षदों के उपाध्यक्ष एवं एम. सी. के उपाध्यक्ष पद सम्मिलित हैं। उन्होंने पार्टी के आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और गिरफ्तार कर लिया गए। व्यापार में उनके भागीदार श्री अमरनाथ गुप्ता जी को अमरनाथ गोरा नाम से जाना जाता था। इलाकें के दूसरे अमरनाथ गुप्ता जी "कामरेड़" और "बौंगा" उपनामों से जानें जाते थे। वह पार्टी के किसी भी आंदोलन में भाग लेने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और कई बार गिरफ्तार किए गए और जेल में भी रहे।

चाँद नगर जम्मू के एक ओर अन्य अमरनाथ गुप्ता जी विनम्र कार्यकर्ता थे। सज्जन एवं सौम्य होने के कारण पार्टी कार्यक्रमों के दौरान भोजन का प्रबंध एवं पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर एवं सीमावर्ती इलाकों से आए हुए विस्थापितों और विस्थापितों के लिए खाद्य सामग्री के प्रबंधन की देख-रेख करते थे। जम्मू शहर के रघुनाथ पुरा के एक और अन्य अमरनाथ जी थे जो गिरफ्तार उवं भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे वह संघ के समर्पित कार्यकर्ता थे। वह ओ.एफ.डी में कर्मचारी के रुप में कार्य करते थे।

श्री अमरनाथ भगत जी दलित अनुसूचित जाति और ऐसे ही अन्य लोगों के उत्थान के लिए समर्पन भाव से कठिन परिश्रम करते थे। एक ओर अमरनाथ जी जो कि सुँदरबनी क्षेत्र में रहनें बाले थे। वह प्रजा-परिषद् एवं भारतीय जनसंघ कार्यालय में लंबे समय तक कार्य करते रहे। सीमावर्ती गाँव में रहने बाले लोगों की समस्याओं पर अधिक ध्यान देते थे। अधिकतर लोग उन्हें बुद्धबार के नाम से जानते थे।

## श्री अमरनाथ गुप्ता
## चांद नगर जम्मू
## 1929–13 अप्रैल 1984
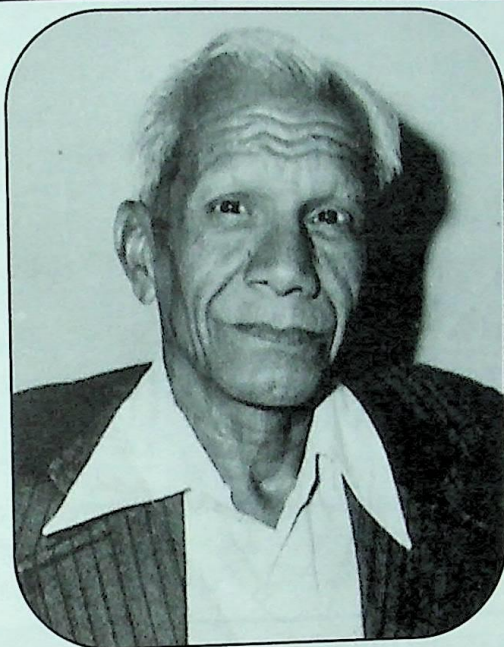
## श्री लाल चंद्र अग्रवाल

### जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद् के तत्कालीन कोषाध्यक्ष

व्यापारिक समुदाय में श्री लाल चंद अग्रवाल जी को बड़े आदर–भाव दे देखा जाता था। वह स्वभाव से बड़े ही विनम्र थे। वह संघ के सान्निध्य में रहते हुए प्रजा परिषद्, भारतीय जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनके परिवार के सदस्यों नें समाज की सेवा के कार्यक्रमों में बढ़–चढ़कर योगदान दिया था। श्री लाल चंद जी 1955–57 में प्रजा परिषद् के कोशाध्यक्ष रहे।

## राम नाथ मन्हास

## ( मृत्यु 31 दिसंबर 2004 )

प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के प्रमुख कार्यकर्ता थे। वह जिला जम्मू की तहसील अखनूर के सीमावर्ती जलाक्रांत क्षेत्र से संबंधित थे। उन्होंनें पार्टी के विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने इस क्षेत्र में पलायन को मज़बूर करने के उद्देश्य से विशेश रुप से रात के समय लोगों पर पाक के द्वारा किए गए हमलों का सामना करने के लिए ग्रामीणों को संगठित करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परंतु श्री राम नाथ और उनके सहयोगियों ने सीमा पार के प्रमुख ग्रामीणों को स्पष्ट कर दिया था कि यदि हर उपद्रव को तुरंत नहीं रोका गया तो इससे जबाकी कार्यवाही भी की जा सकती है। इस चेतावनी का इतना प्रभाव था कि 1965 में भी पाक गुरिल्लाओं की आक्रामकता का समर्थन करनें बाली बड़ी पाकिस्तानी सेना ने जलाक्रांत क्षेत्र के गाँवों में घुसपैठ करनें की हिम्मत नहीं की थी।

1977 के चुनावों में श्री मन्हास जी राज्य विधानसभा के लिए चुनें गए और अपनीं भूमिका अदा की। सामान्य तौर पर सीमावर्ती गाँव की समस्याएं अधिक हैं जो कि छंब क्षेत्र की हैं। यह क्षेत्र उनके निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा था। उन्होंने प्रजा परिषद् एवं भारतीय जन संघ के विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया और जेल भी गए।

## ठाकुर रघुनाथ सिंह समब्याल

जिला जम्मू में सांबा से संबंधित ठाकुर रघुनाथ सिंह सम्बयाल एक सेवानिवृत तहसीलदार थे। परंतु एक राजनेता से अधिक कवि थे। वह काफी जिंदादिल व्यक्ति थे और उनमें कुछ विशेषणों का उपयोग करनें की आदत थी। किसी से बातचीत करनें या किसी को बुलानें के दौरान इन विशेषताओं का प्रयोग करते थे। अधिकतर लोग उनके ऐसा करनें पर मुस्कुरा देते थे। श्री सम्याल कई बार पंड़ित जी के साथ रहते थे और अपनी कविताएँ एवं छंद सुनाया करते थे। ऐसी ही एक प्रसिद्ध कविता थी:–

"दब्बियै ढ़ोल बजाई जायां, ड़ोगरा देश जगाई जायां"।

वह शेख और नेशनल कॉंफ्रेंस सरकार के बहुत बड़े आलोचक थे जिसके परिणामस्वरुप उन्हें क्रोध का सामना करना पड़ा और उनकी पैंशन रोक दी गई और उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़े परंतु उनके साथ बेईमानी बरते जाने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

## श्री बनारसी दास गुप्ता
## ( नई बस्ती )

लगभग आधा दर्जन प्रजा–परिषद् एवं भारतीस जनसंघ के कार्यकर्ता थे, जिन्हें बनारसी दास के नाम से जाना जाता था। उनमें से एक रणबीर सिंह पुरा (आर.एस. पुरा) के थे। उन्होंने लगभग सभी आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और जेल की सज़ा भी झेली। वह आर.एस.पुरा तहसील इकाई में विभिन्न पदों पर रहे। एक अन्य बनारसी दास गुप्ता नई बस्ती जम्मू के थे। उन्हें नगर पार्षद के रुप में चुना गया था। आपातकाल सहित विभिन्न अवसरों पर उन्हें गिरफतार भी किया गया। एक विशनाह के श्री बनारसी दास गुप्ता और एक अन्य बनारसी दास गुप्ता रघुनाथ बाज़ार के फोटोग्राफर थे।

## श्री वैध विष्णु दत्त जी जम्मू के नेताओं के साथ
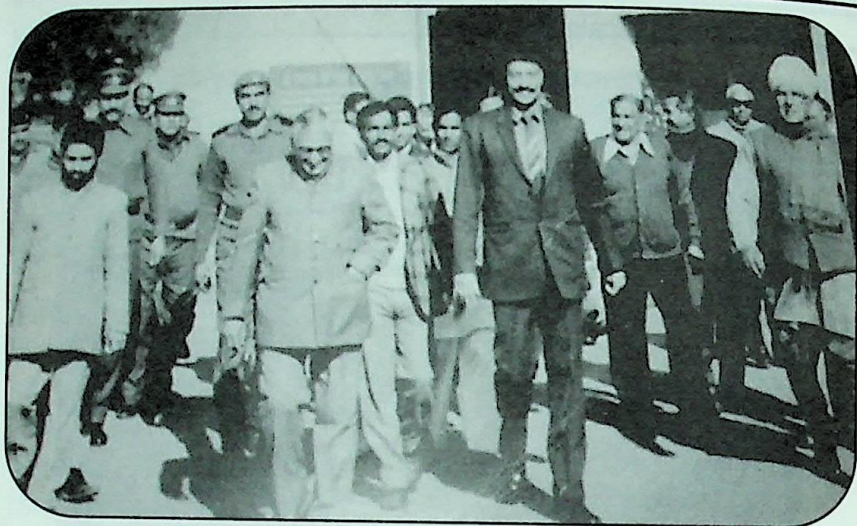
वैध जी का जन्म 1 नवंबर 1927 को हुआ था और उन्होंने 1942 में उधमपुर के सरकारी उच्च विद्यालय से दसवीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात् वह संघ में शामिल हा गए। आयुवेर्दिक चिकित्सक होने के चलते वह जनता के बीच वैध जी के नाम से लोकप्रिय थे। 1952–53 के आंदोलन में उन्हें जेल भी जाना पड़ा।

पाक–अधिकृत जम्मू–कश्मीर एवं पंजाब के शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता करने के लिए उन्होंने एक सक्रिय स्वयंसेवक के रुप में कार्य किया।

उन्होंने 1956 में नगरपालिका समिति का चुनाव जीता और जम्मू नगर पालिका के पार्षद बनें। वर्ष 1972 उन्होंने दूसरी बार जम्मू नगर पालिका का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी और फिर वह जम्मू नगर निगम के अध्यक्ष चुनें गए।

1975 में आपातकालीन अवधि के दौरान, उन्हेांने सरकार की दमनकारी और अमानवीय नीतियों का विरोध करने के लिए भूमिगत आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। तत्पश्चात् गिरफतार कर लिए गए।

1989 में उन्हें केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य के रुप में भाजपा में शामिल कर लिया गया।

कश्मीर में उग्रवाद के आगमन के साथ ही उन्हें जम्मू व कश्मीर साहित्य समिति का

अध्यक्ष नियुक्त किया गया थ और उन्होंने 1990 के दशक की शुरुआत में बेदखल कश्मीरी हिंदुओं को 6 से 7 करोड़ रुपये की नकदी एवं राहत सामग्री वितरित करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

1995 में वह जम्मू व कश्मीर प्रदेश भा॰ज॰पा के अध्यक्ष बनें और 1997 तक इस पद पर बनें रहे। उन्होंने 1996 में लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और कांग्रस प्रत्याशी से हार गए। 1996 में पुनः उन्होंने जम्मू पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा चुनाव लड़ा और प्रचंड़ बहुमत से चुनाव जीता। 1998 में उन्होंने भा॰ज॰पा की टिकट से जम्मू–पुँछ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और 127000 वोटों (मतों) के अंतर से चुनाव जीता।

1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी तब भा॰ज॰पा ने उन्हें पुनः जम्मू–पुंछ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामित किया और 142000 वोटों के अंतर से वह चुनाव जीत गए। संसद सदस्य के रुप में अपनें दूसरे कार्यकाल में सक्षिप्त समय के पश्चात ही 27 नवंबर 2001 को उनका विधन हो गया।

## श्री शिव लाल ( विश्नाह )

श्री शिव लाल जी कई वर्षों तक प्रजा–परिषद् (ग्रामीण) के जिला अध्यक्ष रहे और पार्टी ईकाइयों को संगठित करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

जम्मू में विश्नाह क्षेत्र के रहियाल गाँव से सम्बंधित हर आंदोलन में भाग लिया और जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। पेशे से वह हकीम थे और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे।

## कठुआ के प्रकाशस्तंभ

पंजाब से सटे होने के कारण, कठुआ जिला, प्रजा–परिषद् की गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस क्षेत्र में कम से कम दो हस्तियों ने पार्टी में शीर्ष पदों पर अपनी सेवाएं दी। वह थे रुद्रमाणी सांगरा और ठाकुर बलदेव सिंह। इसके अतिरिक्त भी कठुआ गतिविधियों का केन्द्र था क्योंकि किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी की आशंका होने पर कार्यकर्ता खुले में साँस लेने लिए पंजाब के इलाकों में विशेषतया पठानकोट में खिसक जाते थे।
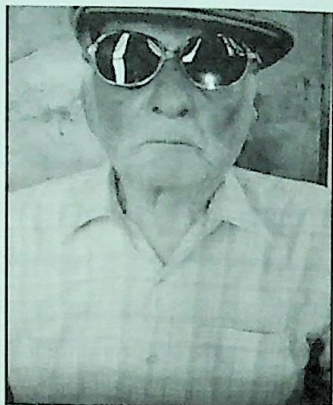
कठुआ शहर में श्री चग्गर सिंह, श्री सुरेन्द्र नाथ उबत, श्री विद्या प्रकाश पादा (अधिवक्ता), श्री ओम वज़ीर और कुछ अन्य लोग उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल पार्टी की गतिविधियों में स्वयं सक्रिय भाग लिया, परंतु कई अन्य लोगों को भी सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए राजी किया। जिले के अनेकों प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं में श्री राधा कृष्ण शर्मा, श्री ओम प्रकाश सांगरा, श्री द्वारका नाथ (बसोहली वाले), श्री ईश्वर दत्त शास्त्री मंगलोरिया, श्री ज्वाला प्रकाश (अधिवक्ता), श्री ज्ञान चंद सांगड़ा और श्री रंजीत सिंह जैलदार (पड़ोल गाँव बाले) अग्रणी व्यक्ति थे और जिले के साथ–साथ राज्य निकाओं में भी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।

## अधिवक्ता विद्या प्रकाश पादा

### कठुआ ( 1919-1985 )

कठुआ क्षेत्र से संबंध रखने बाले विधा प्रकाश पादा जी एक शिक्षित व्यक्ति और पेशे से वकील थे और प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े हुए थे। वह एक अच्छे वक्ता थे और विभिन्न स्तरों पर रहते हुए पार्टी की सेवा की और इस रियासत और शेष भारत के मध्य अवरोधों को दूर करने के लिए किए गए आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। श्री पादा जी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे और उन्होंने राज्य में प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ को मज़बूत करने में बहुत योगदान दिया।

## श्री दीनानाथ गंड़ोत्रा, उधमपुर

उधमपुर में प्रजा–परिषद् के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वह प्रजा–परिषद् कार्यकारीणी सदस्य थे। 1952 में सत्याग्रह आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर श्री पारस राम और अन्य व्यक्तियों के साथ श्रीनगर जेल में स्थानांतरित कर दिए गए। कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ उन्हें श्रीनग़र जेल के जनाना खाना में भी रखा गया। श्री दीनानाथ जी संतन धर्म सभा जैसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे और लोग उन्हें आदरपूर्वक दीनानाथ मंत्री कहते थे। उन दिनों संघ के वैध हरी राम जी प्रकाश स्तंभो में से एक थे।

## हाजी मोहम्मद जुबैर खताना।

### 11-03-1896 - 13-06-1983

हाजी मोहम्मद जुबैर खताना गुज्जर, बक्करवाल समुदाय में एक अग्रणी व्यक्ति थे। वह पंड़ित प्रेमनाथ डोगरा जी के महान प्रशंसक थे। अपने समर्थकों के साथ वह प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के कार्यक्रमों में भाग लेते थे।
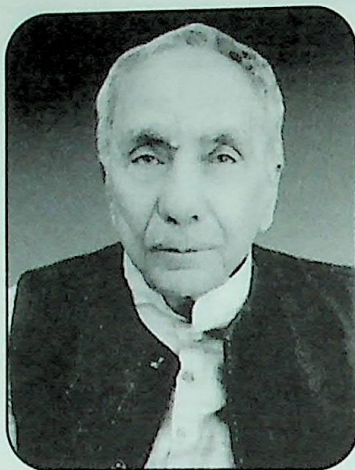
## श्री भीख्म चंद्र मंगोत्रा

1953 आंदोलन के युवा क्रांतिकारियों में से एक थे जो उधमपुर में रहते थे। उधमपुर शहर में उन्होंने विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और नेतृत्व में प्रमुख भूमिका निभाई थी इसलिए तत्कालीन प्रशासन का एक लक्ष्य बन गए थे। एक ऐसे ही आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जनवरी 1953 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और चार महीने के कठोर कारावास और जुर्मानें की सजा सुनाई गई। श्रीनगर जेल स्थानांतरित करते वक्त भारत बर्फवारी की वजह से वह सब बनिहार सुरंग में फंस गए। ग्रीष्म ऋतु आते–आते जब तक श्रीनगर के रास्ते पुनः साफ नहीं हो गए तब तक उन्हें लगभग तीन महीनों तक बनिहास में ही जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। जेल में कड़कड़ाती सर्दि, रहनें और भोजन की खराब व्यवस्था के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जबकि कुछ लोगों को क्षमा–याचना के पश्चात रिहा कर दिया गया था। वह उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन जतानें के लिए जुर्माने की राशि जमा नहीं कराने और कारावास की पूरी अवधि जेल में ही वितानें का निर्णय लिया था। परिणामस्वरुप उनकी जेल अवधि तीन माह के लिए बढ़ा दी गई जिसे उन्होंनें श्रीनगर की हरिपर्वत जेल में बिताया।

स्वास्थ्य के अतिरिक्त उन्होंने अपने स्थापित चाय और वस्त्र व्यापार को भी त्याग दिया था क्योंकि स्टॉक को प्रशासन द्वारा ज़ब्त कर लिया गया था। इतना ही नहीं सारा का सारा स्टॉंक सात महीनें की ज़ेल के दौरान बर्बाद हो गया था। लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट ऋद्धा और दृढ़ विश्वास का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि अपनें माता–पिता के इकलौते बेटे और परिवार के लिए एकमात्र रोटी कमानें वाला व्यक्ति होते हुए भी उन्होनें इस बात के लिए अपना संघर्ष जारी रखा जिसे वह उस समय की तीव्र आवश्यकता समझते थे। उन्हें उनके परिवार और उनकी पत्नी श्रीमति लीलारानी जी का पूर्ण समर्थन प्राप्त था, जिन्हें अन्य स्त्रियों के साथ अपने–अपनें पतियों को जेल भेजनें के विरोध में प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था।

## नरसिंह दास शर्मा

( 22-02-1922 से 17-10-1990 तक )

श्री नरसिंह दास शर्मा जी जम्मू के रहनें बाले थे और एक विनम्र कार्यकर्ता एवं संघ के प्रखर व्यक्ति थे। श्री मुल्ख राज पारगल, श्री नानक चंद, स्वर्ण सिंह, श्री आत्मा राम (गुड़ा सलाथिया बाले) और कई अन्य व्यक्तियों के सहयोग से उन्होनें सांबा क्षेत्र में प्रजा–परिषद् की सुदृड़ इकाईयाँ गठित करनें में निर्णायक योगदान दिया।

साठ के दशक के अंतिम वर्शों में श्री नरसिंह दास जी ने पार्टी के सप्ताहिक मुखपत्र का मुद्रन एवं प्रकाशन भी किया। उनकी मृत्यु पत्नीटाप के समीप हुए एक सड़क हादसे में हुई थी जब वह अपने साथियों श्री भगवत स्वरुप, बृद्ध प्रकाश और राम स्वरुप जी के साथ ड़ोड़ा क्षेत्र में पार्टी बैठक में भाग लेकर वापस आ रहे थे। इस हादसे मं श्री राम स्वरुप जी की भी मृत्यु हो गई थी और अन्य दो घायल हुए थे।

## सरदारी लाल / डॉ0 कर्ण सिंह

उनका जन्म जम्मू संभाग के कठुआ जिले के नगरी पड़ोल गाँव में हुआ। सरदारी लाल एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। शिक्षा के दिनों में राश्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ रहनें के बाद के राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से अच्छी तरह परिचित थे, उन्हें इतिहास का भी अच्छा ज्ञान था। वह केवल हिन्दी और कुछ अन्य भाषाओं में बोल सकते थे परंतु उनका अंग्रेजी भी धारा प्रवाह उत्तम था। उन्हें अकसर मानसिक समस्याएँ हो जाती थीं और वह अभ्यासवर्गों एवं विभिन्न कार्यक्रमों में भाषण देते थे। उन्हें संभालना पुलिस के लिए एक समस्या थी।

1952 में जब शेख मोहम्मद अबदुल्लाह के अलगाववादी प्रयासों के कारण वातावरण (परिस्थितियाँ) गरमा गई थीं और डॉ॰ कर्ण सिंह को सदर–ए–रियासत (राष्ट्रपति) के रुप में चुना गया था तब प्रजा परिषद् ऐसे प्रयासों का विरोध कर रही थी। रियासत की ग्रीष्म–कालीन राजधानी श्रीनगर में डॉ॰ कर्ण सिंह जी को सदर–ए–रियासत चुना गया था और 18 नवंबर को उन्हें जम्मू स्थानांतरित किया गया। नेशनल कॉफ्रेंस के सत्तारुढ़ व्यक्त्यिों एवं उनके सहयोगियों ने पुलिस की सहायता से सदर–ए–रियासत के लिए एक बड़े स्वागत समारोह की व्यवस्था की। बहुत बड़ी संख्या में स्वागत द्वार बनाए गए और मुख्य–बाज़ारों को व्रताकार ध्वज पट्टियों और स्वागत  वाले बैनरों से सजाया गया।

परंतु डॉ॰ करण सिंह के आगमन से कुछ मिनट पहले सरदारी लाल एक व्यस्त गली में दिखाई दिए और देश की एकता के लिए हानीकारण अलगाववाद को दिवारों को खड़ा करने और देश की एकता तो तोड़ने के विरुद्ध एक उग्र भाषण दिया।

जनता जो पहले से ही बहुत नाराज़ थी उसने सरदारी लाल जी के नेतृत्व में रघुनाथ बाजार के कुछ क्षेत्रों में स्वागत व्यवस्था को नष्ट–भ्रष्ट कर दिया और महल की ओर जानें बाले पूरे रास्ते से स्वागत द्वार और बैनर इत्यादि उग्र भीड़ द्वारा कुछ ही पलों में गिरा दिए गए। यह जम्मू में पहली बार हुआ था कि एक शाही परिवार के सदस्य को इस प्रकार की अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा था।

इस घटना मे सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने के लिए प्रजा–परिषद् की तैयारियों को पूरा कर दिया। जहाँ तक सरदारी लाल जी का प्रशन है उन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय न केवल जम्मू की जेलों और हवालात में बल्कि देश के अन्य भागों में अपनी पसंद के स्थानों पर, अपनी इच्छा के भाषण देनें के लिए गुज़ार दिया।

## साँझी राम गुप्ता

जम्मू जिले के विश्नाह–आर.एस. पुरा में प्रजा परिषद् के एक प्रमुख कार्यकर्ता थे। 1952–1953 में हुए प्रजा सत्याग्रह आंदोलन के आरंभिक दिनों के दौरान उन्हें कुछ अन्य पार्टी पदाधिकारियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन्हें कुछ अन्य लोगों के साथ श्रीनगर ले जाया जाना था, परंतु श्रीनगर पहुँचने से पहले ही राजमार्ग को भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया था, जिसके कारण गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को बनिहाल के समीप अंतिम मार्ग पर रखा गया था। उन दिनों घाटी तक पहुँचने के लिए कोई भी सुरंग नहीं थी। जिसके कारण सड़क अधिकांश सर्दियों के दिनों में आवाजाही के लिए बंद रहती थी।

जिन बसों पर श्री सांजी राम और अन्य प्रजा–परिषद् कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर ले जाया जा रहा था उन्हें अचानक बनिहाल के पास रोक दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने कड़ाके की ठंड के बावजूद गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं की बापसी की अनुमति नहीं दी थी। वहाँ पर खानें और ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन कार्यकर्ताओं को भयानक परिस्थितियों में रखा गया था और कुछ दिनों के पश्चात उन्हें एक शेड्ड़ में रखा गया था जो भेड़ और बकरियाँ रखने के लिए बनाए गए थे।

प्रजा–परिषद् कायकर्ताओं को किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार झेलना पड़ा इसका लेखा–जोखा श्री साँझी राम द्वारा लिखित जेल–ड़ायरी में सूचीबद्ध किया गया है। इसे "विश–धारा 370" नामक पुस्तिका के रुप में प्रकाशित किया गया है। श्रीनगर जेल में जो दर्दनाक एवं नारकीय स्थितियाँ उत्पन्न की गई थीं उनका विवरण भी इस डायरी में किया गया है।

## आत्मा सिंह

श्री आत्मा सिंह संघ प्रचारक थे और प्रजा–परिषद् के भी समर्पित कार्यकर्ता थे। वह अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जानें जाते हें। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और रियासी जेल में रखा गया था।
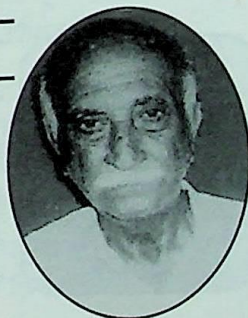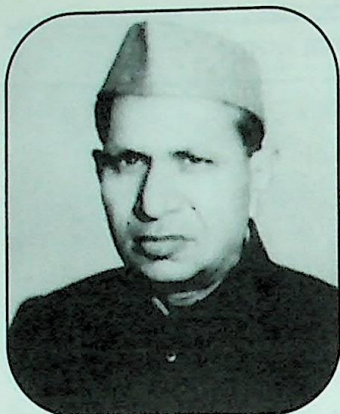
## दया कृष्ण गर्दिष

अंग्रेजी, हिंदी, परशियन और ड़ोगरी सहित विभिन्न भाशाओं में अपनें लेखन कौशल के लिए विख्यात व्यक्ति थे, परंतु उर्दू में उनकी महारत बेमिसाल थी। हालांकि वे विभिन्न विचारधाराओं के लिए लिखते थे परंतु गर्दिश जी दिल की गहराइयों से राष्ट्रवादी थे। वह जालंधर स्थानांतरित हो गए, जहाँ उन्होंने एक संपादक के रुप में कार्य किया, अधिकांश काल तक हिंद समाचार... फिर उसके अन्य सामुहिक समाचार पत्रों में। उनका कॉलम "सरस की उड़ान" काफी व्यंग्यात्मक हुआ करता था और बे बड़ी संख्या में पाठकों के बीच लोकप्रिय थे। वे प्रजा परिषद् के बड़े समर्थक थे और उससे भी अधिक पंड़ित जी के। चुनाव के दौरान श्री गर्दिश जी जम्मू आते थे और पोस्टर लिखनें में हाथ बँटाते थे, जिसमें उन्हे महारत हासिल थी।

## हृदया सिंह

वह एक डोगरी गायक थे जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे। उन्होंने गिरफ्तारी दी और उन्हें "सैंट्रल जेल जम्मू" में रखा गया।

## संत मेहर सिंह

कई अन्य संतों की भांति, मेहर सिंह पंड़ित जी के नेतृत्व से बहुत अधिक प्रभावित थे और उन्होंनें पार्टी के कार्यों और कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में भी भाग लिया।
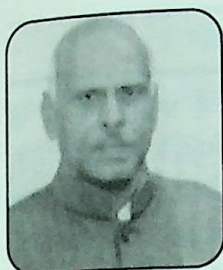
## श्री राम सरुप गुप्ता जम्मू

कई युवा कार्यकर्ता श्री राम सरुप जी का नाम ले रहे थे। श्री राम सरुप गुप्ता ही ने ध्वज मुद्धे पर 1952 के छात्र आँदोलन के दौरान कई दिनों तक भूख हड़ताल की थी और जेल भी गए थे। जब वह श्री नरसिंह दास शर्मा एवं श्री तिलक राज पंडोह के साथ ड़ोड़ा में पार्टी की एक बैठक से लौट रहे थे तो पत्नीटॉप के समीप सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। श्री शर्मा और पंडोह जी की भी मृत्यु हुई थी परंतु बुध प्रकाश सेठी जी जख्मी हुए थे। अखनूर के एक अन्य राम सरुप गुप्त विभिन्न पदों पर रहे और सभी आंदोलनों मे गिरफतार किए गए।

दो अन्य युवा जिनका नाम भी राम सरुप था नें 1952 के छात्र आंदोलन में भाग लिया और कई दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे। उनमें से एक जम्मू के रघुनाथ पुरा के कप्तान सरुप दास के नाम से जानें जाते हैं और दूसरे राम सरुप शर्मा के नाम से।

अखनूर के परगवाल क्षेत्र में एक अन्य राम सरुप शर्मा अग्रणी कार्यकर्ता थे जिन्हों‌ने विधायक राम नाथ मन्हास जी के साथ मिलकर कार्य किया।

## तिलक चंद्र सिंह

वह वचपन से ही स्वयं सेवक थे। वह एस.एन.ए (सटुड़ेन्टस नेशनल ऐसोसिएशन) के सदस्य थे जिसका बाद में अखिल भारतीय परिषद् में विलय हो गया। वह अन्य समाजिक संगठनों जैसे विश्व हिंदु परिषद् के साथ भी जुड़े हुए थे। वह जम्मू संभाग शिक्षक संघ के महामंत्री एवं जम्मू॰व॰कश्मीर लद्दाख शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे।

उन्हें सांबा मुख्यालय में प्रचार प्रभारी के रुप में अपनें कर्तव्यों का निर्वहन करनें की आज्ञा दी गई थी। अपनें अन्य कर्तव्यों का निर्वध्न करनें के लिए उन्होंनें अन्य सहयोगियों के साथ कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। मंड़ी थलौरा सांबा में मुख्यालय पर पुलिस द्वारा वर्ष 1953 की शुरुआत में ही छापा मारा गया था वह भी उस समय जब आंदोलन अपनें चरम पर था। वह अपनें साथीयों के साथ छिपनें के स्थान पर घिर गए थे ।

## सुलच्छन सिंह

लेफ्टिनेंट सुलच्छन सिंह गुड़ा–सलाथिया में प्रजा–परिषद् के अध्यक्ष थे। उन्होंने गुड़ा–सलाथिया में सबसे पहले दल का नेतृत्व किया। गाँव के पंड़ित जनों जैसे तारामणि, विशरा जी एवं छज्जुराम जी द्वारा यथावत, हवन यज्ञ करवाया गया। सत्याग्रहियों क ा एक दल गाँव के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा विशाल (भव्य) "गार्ड़ आफ ऑनर" समारोह के आयोजन के पश्चात अदालत के समक्ष गिरफ्तारी देनें के लिए जम्मू रवाना हो गए। सुलच्छन सिंह जी नें केंद्रिय कारागृह जम्मू में पंड़ित जी के साथ एक ही कमरे में रहे।

## संसार सिंह

एक मुखर प्रजा–परिषद् कार्यकर्ता जो अपनी युवावस्था में थे जब उन्होंने गिरफ्तारी दी। वह सदैव सामने से अग्रिम पंक्ति में आकर ही नेतृत्व करते थे। सरकार ने कुछ सत्याग्रहियों को केंद्रिय कारागार जम्मू से स्थानांतरित करके श्रीनगर ले जानें का निर्णय किया। जब सत्याग्रहियों की बसें बनिहाल पहुँची तो सभी सत्याग्रही अपनी–अपनी बसों से नीचे उतर गए और शोरगुल के साथ श्रीनगर स्थानांतरित किए जानें के विरोध में प्रदर्शन करनें लगे।

## आँचल सिंह ( मंड़ी राजगढ़ )

श्री आँचल सिंह एक समर्पित एवं मौन कार्यकर्ता थे। श्री डी.डी वर्मा जो कि आंदोलन के प्रभारी थे उनके घर में रहते थे। पूरा परिवार उनकी सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं की देखभाल करता था।

## प्रभ दयाल वर्मा ( मंड़ी अंधरागढ़ )

वह एक कट्टर पार्टी कार्यकर्ता थे। उनकी प्रत्येक योजना सावधानी पूर्वक संपन्न होती थी। वह पार्टी को मुसीबतों से उवारनें में प्रखर थे। उन्हें पार्टी का "ट्रवल शूटर" कहा जाता था। जब भी परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण होती थी उनकी सेवाओं की हमेशा आवश्यकता रहती थी। वह एक निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ता थे।
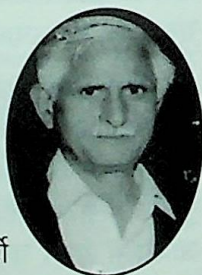
## खजूर सिंह ( मंड़ी गरोटा )

एक प्रेरक नेता। उनकी अपनी एक विशिष्ट ग्रामीण शैली है। उन्होंनें गरीबों और ज़रुरतमंदों की मदद की। उन्होंनें जम्मू में सत्याग्रह की पेशकश की।

## इंदर नाथ खजूरयिा ( मंड़ी दरबार गढ़ )
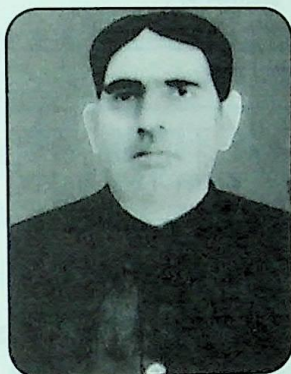
वह एक समर्पित और साहसी नेता थे और जम्मू में गिरफ्तार हुए।

## इंदर सिंह ( मंड़ी गढ़ )

मंड़ी गढ़ में इंदर सिंह जी ने जम्मू में गिरफ्तारी दी और तत्पश्चात श्रीनगर जेल में स्थनांतरित कर दिए गए।

## स्वर्ण सिंह ( मड़ी राजगढ़ )

एक तेजतर्रार नेता थे। वह भगत सिंह के नाम से प्रसिद्ध नेता थे। वह राज्य भाजपा के महासचिव के पद तक पहुँचे। प्रजा–परिषद् संघर्ष के दौरान वह कठुआ जिले के प्रभारी थे।
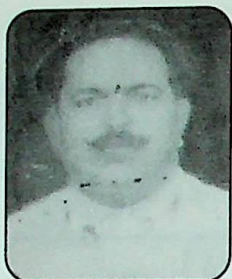
## मास्टर जर्मन सिंह ( मंड़ी अंदरार )

वह राम लीला कल्ब गुढ़ा सलाथिया के संस्थापक सदस्य और पहले निर्देशक थे। वह उच्च क्षमता के कलाकार और प्रख्यात समाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होनें अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाद मे अपनीं जीवीकोपार्जन के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए। वह संघ की विचारधारा के प्रति समर्पित थे।

## स्व0 श्री दीवान चंद

पेशे से एक फोटोग्राफर थे परंतु प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के विभिन्न कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेते थे। उन्हें सत्याग्रह आंदोलनों में गिरफ्तार कर लिया गया था। वह जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के पंजतीर्थी क्षेत्र से थे जिसका प्रतिनिधित्व पंड़ित जी करते थे। उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 1957/1962 और 1967 के चुनावों में किया। श्री दीवान चंद उन कार्यकर्ताओं की अग्रणी टीम में से एक थे जिन्होंने इस महान नेता की सफलता के लिए काम करनें में गर्व महसूस किया।
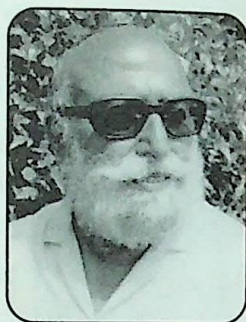
**स्व0 श्री देवराज गुप्ता**
**ड़ब्बा साहिब**

**श्री कृष्ण लाल गुप्ता**
**1933-2015**
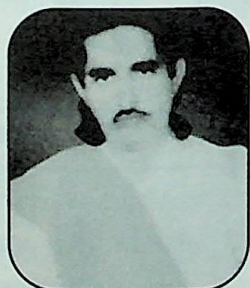
**स्व0 श्री दुर्गा दास गुप्ता**
**15-05-1923 - 25-06-1996**

## क्रांतिकारी कविताएं

प्रजा परिषद् में सदैव की भांति बड़े आंदोलन में जम्मू–कश्मीर और शेष भारत के बीच बाधाओं को दूर करनें के लिए, उनकी कविताओं के साथ कई लोग उभरे और उनकी कविताओं का पाठ किया और उन्होंने इस प्रकार दर्शकों एवं श्रोताओं को बहुत आकर्षित किया। उनकी एक ऐसी कविता का प्रयोग सरदार करतार सिंह राही ने अपनी सुरीली आवाज़ में किया था। यह कवित थीः–

"राज मेरे रांजना दा, आपे मुक जाऊगा...."।

ऐसे ही एक अन्य कवि थे "गजन सिंह गड़गज्ज" जिन्होंनें श्रोताओं के मध्य बहुत लोकप्रियता बटोरी। अपनी गरज़ती हुई आवाज़ में वह सुनातेः– "गड़–गड़–गड़ अज्ज, बैरियाँ नूँ केह् दे भेज, अत्थूँ भेज– गड़–गड़ गड़गज्ज..."।

सांबा के श्री दुर्गा दास गुप्ता जी तो यह कहते हुए अप्रत्यक्ष रुप से शेख के विवादास्पद बयानों पर प्रहार करते रहे हैंः– (म्याऊँ–म्याऊँ करे मेरा बिल्ला, मेरा दिल जली (सड़ी) ओ गया..."।

ऐसै ही एक और अन्य कवि एवं प्रजा–परिषद् कार्यकर्ता थे श्री देवराज ढब्बा। अवसरवादी लोगों की गंभीर आलोचना करनें के कारण ही उनकी कविताएँ लोकप्रिय थीं। अमूमन उनकी कविताएँ यह कहते हुए समाप्त होतीं थीः– "ड़ब्बा बजदा ऐ ओ, दिल कंबदे ऐं..."।

पंजतीर्थी जम्मू के श्री दुर्गा दास ड़ोगरा, श्री मंगोर राम विफा और कुछ अन्य लोग नेशनल–क्रांफ्रेंस सत्तारुढ़ व्यक्तियों पर निशाना साधते हुए ऐसी ही कविताएँ लिखते रहे, जिससे उनमें बेचैनी पैदा हो जाती थी। इस प्रकार की कविताओं को साईकलोस्टाईल पत्रों को माध्यम से प्रसारित किया जाता था। एक अन्य प्रसिद्ध स्थानीय् कवि थे श्री मोहन लाल सपोलिया। उन्होंने कई कविताएँ लिखीं जिनमें से एक थीः–

"आस्स भारत दे, ते भारत साढ़ा...." ।

उनकी एक अन्य कविता थीः– "मेरा देस मेरी अक्खिएँ दी ब्हार सजना..."। इसी तरह रघुनाथ सिंह सिमियल नें शेख के विवादास्पद बयानों पर निशाना साधते हुए कविताएँ लिखि थीं।

पंजाब से सटे हुए ऐसे ही कवि प्रजा–परिषद् की बैठकों में आते थे और कविताएँ सुनाया करते थे। उनमें सरदार गुरचरण सिंह दीपक, तिलक राज तिलक, सुमन अमृतसरी और कुछ अन्य सम्मिलित थे। ये सभी कविताएँ गाँव में लोक गीत में काफी लोकप्रिय हुई।

## श्री तिलक राज शर्मा

### श्री तिलक राज शर्मा

अपनी आरम्भिक शिक्षा नौशहरा–राजौरी में पूरी करने के बाद श्री तिलक राज शर्मा ने सन 1949 में जम्मू कालेज में प्रवेश लिया। वह मेधावी छात्र होने के साथ–साथ एक उत्कृष्ट कवि व अच्छे गायक भी रहे। देश प्यार उनके अन्दर कूट–कूट कर भरा था इस बात का उदाहरण उन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही दे दिया था जब जम्मू–कश्मीर राज्य के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कालेज परिसर में नेशनल कांफ्रेंस का झंडा लहराया। जिस पर श्री तिलक जी ने स्टुडेंट नेशनल ऐसोसिएशन के बैनर तले अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मांग थी कि जबकि जम्मू–कश्मीर राज्य का विलय भारत में हो चुका है, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ही लहराया जाना चाहिए। इस आंदोलन में श्री शर्मा ने 42 दिनों तक सत्याग्रह किया व अनशन पर बैठे रहे। हालात बिगड़ते देख सरकार ने इन्हें जेल ले जा कर जबरन भूख हड़ताल खत्म करवाने का प्रयास किया परन्तु सफलता न मिलने पर इन्हें अर्द्धमृत अवस्था में जेल से बाहर फेंकवा दिया गया।

इसी आंदोलन से प्रेरित होकर सन् 1952–53 में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की मांग पर प्रजा परिषद् की ओर से एक जन आंदोलन का आह्वान हुआ। इस आंदोलन में श्री तिलक जी की अहम भूमिका रही। सन् 1954 में भारत के पूर्व–दक्षिण क्षेत्र गोवा को पुर्तगालियों से आजाद करवाने के लिए आंदोलन चल रहा था। श्री तिलक राज शर्मा अपने 21 साथियों के साथ सत्याग्रह करने गोवा पहुंचे। वहीं इन्हें अनेक यातनाएँ दी गईं। इन्हें समुद्र में फेंक दिया परन्तु किसी प्रकार बचने में सफल हुए। सन् 2002 और 2003 में गोवा की भाजपा सरकार ने 19 दिसम्बर को श्री शर्मा एवं अन्य सत्याग्रहियों को गोवा बुला कर सम्मानित किया। श्री तिलक राज शर्मा सहित सभी गोवा–मुक्ति–संग्राम के सत्याग्रहियों को 'गोवा स्वतन्त्रता सेनानी' के अलंकार से सुशोभित किया गया।

1996 में बाबा अमरनाथ यात्रा के संस्थापक अध्यक्ष होने पर उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा की महिमा की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा। सन् 2002 में जम्मू–कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट की नींव रखी व उसके सभापति रहे। इस फ्रंट के माध्यम से जम्मू के साथ पिछले 60 वर्षों से हो रहे भेदभाव के विषय में लोगों में जागरूकता पैदा की। समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जम्मू के साथ भेदभाव की नीति को केन्द्र सरकार तक पहुँचाया। श्री तिलक राज शर्मा 18 वर्ष तक संघ के प्रचारक भी रहे।

श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति द्वारा छेड़े गये आंदोलन में श्री शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समिति के प्रवक्ता के नाते समिति की कमान सम्भाली। राज्यपाल द्वारा बनाई गई छः सदस्यीय कमेटी से बातचीत करने के लिए जिस चार सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ, श्री शर्मा जी ने उस कमेटी का नेतृत्व भी किया।

आंदोलन के आरम्भिक दिनों में ही उनका स्वास्थ्य गिरना शुरु हो गया था। जिस रोग के कारण उन्होंने अपने प्राण दिये, उसके संकेत आंदोलन के दिनों में ही मिलने लगे थे। परन्तु उन्होंने उपचार करवाने से साफ इन्कार कर दिया क्योंकि उनके अनुसार उस समय उनकी जम्मू को अधिक आवश्यकता थी। अन्त में 25 जनवरी 2009 को एक महान व्यक्तित्व सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गया। ■■■

1996 में बाबा अमरनाथ यात्रा के संस्थापक अध्यक्ष होने पर उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा की महिमा की ओर देशवासियों का ध्यान खींचा। सन् 2002 में जम्मू–कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट की नींव रखी व उसके सभापति रहे। इस फ्रंट के माध्यम से जम्मू के साथ पिछले 60 वर्षों से हो रहे भेदभाव के विषय में लोगों में जागरूकता पैदा की।

## श्री कुलदीप राज गुप्ता ( राजौरी )
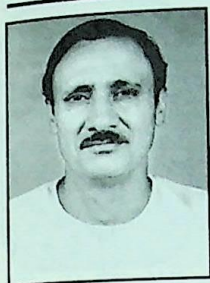
महत्वपूर्ण भा॰ज॰पा नेता श्री कुलदीप राज गुप्ता जी संयोगवश प्रजा–परिषद् के सदस्य बन गए। उनके अनुसार जब वह मात्र 17 वर्श की आयु में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ सुँदरबनी में कुछ समय के लिए ठहरे हुए थे तो वहाँ पर प्रजा–परिषद् "परमिट सिस्टम" और दोहरी शासन व्यवस्था के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने जब कुछ इमारतों पर तिरंगा झंड़ा फहरानें की कोशिश की तो उस समय परिस्थितियों ने अचानक निराशाजनक मोड़ ले लिया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीचला दी, जिसमें तीन लोग मारे गए। इस घटना में श्री राम लाल जी, श्री कृष्ण लाल जी और श्री बेली राम जी शहीद हो गए। इस घटना नें श्री कुलदीपराज गुप्ता जी को झकझोर कर रख दिया और वह आंदोलन का एक हिस्सा बन गए। राजौरी क्षेत्र में लगानें के लिए कुछ पोस्टर उन्हें दिए गए जो उन्होंने संध्या तक लगा दिए। इसके परिणामस्वरुप श्री कुलदीप राज गुप्ता ही को अगली सुबह तक अधिकारित तौर पर जनसंघ में सम्मिलित करके राजौरी–पुँछ जिलों का अध्यक्ष बना दिया और बाद में जाकर वह प्रदेश मंत्री भी बनें।

## हँस राज ड़ोगरा ( जम्मू )

श्री हंस राज ड़ोगरा जी नें प्रजा–परिषद्, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। वह विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी के कोशाध्यक्ष भी रहे। श्री डोगरा जी ने विभिन्न सामाजिक संगठनों, जिनमें पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है, में बड़चढ़कर सक्रिय भूमिका निभाई। जम्मू–पश्चिम से वह प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और लोगों की 1996 से लेकर 2002 तक सेवा की।

## लद्दाख की भावनाएँ

21 May 1917 - 4 Nov. 2003

जिस समय जम्मू नेशनल कॉंफ्रेंस एवं कांग्रेस के छद्म् धर्मनिपेक्षतावादी के कुत्सित कदमों के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, शांतिप्रिय लद्दाखी भी शेख के विधान से प्रसन्न नहीं थे। यद्यपि श्री कुशक वकुला एक महान बौद्ध नेता के साथ–साथ एक राज्यमंत्री भी थे तदापि वह कई बार अपनीं नाराज़गी प्रकट कर चुके थे। लद्दाख और कारगिल दोनों क्षेत्रों में प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ नें अपनी ईकाईयाँ स्थापित करनें में सफल हुए। नेशनल–कॉंफ्रेंस एवं कांग्रेस के सत्तारुढ़ नेतृत्व के भेदभावपूर्ण रुख से परेशान होकर ही लद्दाखियों ने अपनें क्षेत्र के लिए केन्द्र शासित प्रदेश की स्थिति की माँग की थी।

## श्री शाम सुँदर भाटिया ( संघ प्रचारक )

(22–09–1925 – 28–10–2012) वह प्रजा–परिषद् के एक समर्पित कार्यकर्ता थे। वह अपनें संगठनात्मक कौशल के लिए जानें जाते थे। उन्हें संघ द्वारा वर्ष 2002 में एक स्मृति चिन्ह् भी भेंट किया गया था।

## श्री तिलक राज कैला
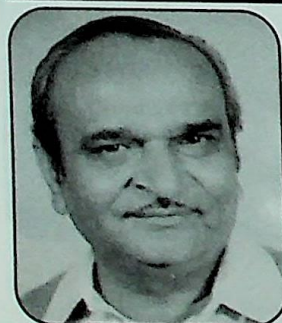
( गली देवी द्वारा जम्मू ) ( 02-11-1930 - 26-02-2002 )

संघ कार्यकर्ता होनें के कारण उन्हें ड्रग रिसर्च लेबोरेटरी जम्मू में अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। 1952–53 के आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी से बचनें के लिए देहरादून चले गए जहाँ उन्हें पुनः नौकरी मिल गई।

## स्व0 श्री दया - कृष्ण कोतवाल 29.04.1927-9.4.2013 ( भद्रवाह के शेर )
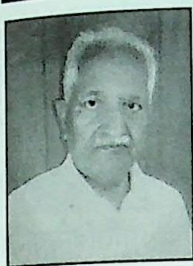
जम्मू संभाग के तत्कालीन ड़ोड़ा जिले की आकर्षक घाटी भद्रवाह के उड़राना से आए हुए श्री दया कृष्ण कोतवाल जी नें प्रजा–परिषद एवं भारतीय जनसंघ के विभिन्न पदों पर रहते हुए कठिन परिस्थितियों में भी कार्य किया।

1950 में जब मुस्लिम बहुल ड़ोड़ा जिले का निर्माण एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार किया गया था तब युवा नेता श्री दया–कृष्ण कोतवाल जी ने सत्ताधारी गुट की अलगाववादी योजनाओं को कुंठित करनें में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनें इन साहसिक कदमों के लिए उन्हें भद्रवाह के शेर के रुप में जाना जाता है।

अपनें संगठनात्मक कौशल के परिणामस्वरुप वह प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के विभिन्न पदों पर रहे। नब्बे के दशक के मुश्किल दिनों में दया कृष्ण भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चुनें गए। वह राज्य की विधान परिषद् के निर्वाचित सदस्य भी थे।

## शेख अब्दुल रहमान
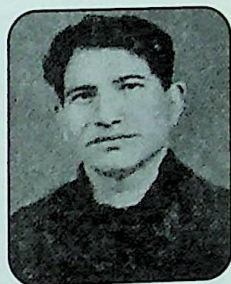
अब्दुल रहमान तब बहुत छोटे थे जब वह भद्रवाह के कुछ भावुक समाजिक कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए। उन्होंनें अब्दुल रहमान जी को प्रजा–परिषद् में सम्मिलित होनें के लिए प्रोत्साहित किया एवं जम्मू में उनके रहनें का पूरा प्रबंध किया जहाँ प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के एक राजनैतिक नेता के रुप में पोषण किया गया।

इस रियासत को भारत के अन्य भागों के समतुल्य रखनें बाले प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए उन्हें भारतीस जनसंघ की अखिल भारतीय कार्यकारी समिति ने सम्मिलित किया गया और इतना ही नहीं जम्मू उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का जनादेश भी उन्हें दिया गया जिसका प्रतिनिधित्व पंड़ित प्रेमनाथ डोगरा जी द्वारा किया जाता था।

सन् 1972 में पंड़ित जी की मृत्यु के पश्चात कुछ मतभेदों के चलते कई अन्य लोगों के साथ शेख भटक गए। तत्पश्चात् उन्होंनें कई बार दल बदले परंतु जीवन भर सक्रिय रहे।

## श्री हंस राज ( रामनगर )

## संगठन मंत्री रामनगर तहसील ( प्रजा-परिषद् )

उधमपुर की रामनगर तहसील में श्री हंस राज गुप्ता विधि सनातक और पेशे से वकील होने के साथ–साथ प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता भी थे। उन्होंनें सभी सत्याग्रह आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और लोगों को पार्टी की गतिविधियों में भाग लेने के लिए और गिरफ्तारीयाँ देने के लिए प्रेरित किया।

उनके छोटे भाई श्री ओम् प्रकाश जी नें जम्मू–गर्वनमेंट कॉलेज में नेशनल कॉफ्रेंस का हलवाला झंड़ा फहराने के विरुद्ध 1952 में हुए आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। वह उन छात्रों मे से एक थे जिन्होंने 32 दिनों तक भूख हड़ताल की और जेल भी गए। श्री ओम भी राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से ओत–प्रोत थे और एक स्वयंसेवक की भांति राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को सुदृढ़ बनानें में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

## कोतवाल कृपा राम

तहसील भद्रवाह प्रजा–परिषद् ईकाई के अध्यक्ष होने के साथ–साथ श्री कोतवाल पेशे से एक व्यापारी थे। परंतु छद्म–धर्म निपेक्षतावादी एवं अलगाववादियों द्वारा उत्पन्न सभी कठिन परिस्थितियों के उपरांत भी ड़ोड़ा क्षेत्र में प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ की सुदृढ़ ईकाई बनाने में अपना अधिकतम समय देते थे। वह भद्रवाह तहसील के अध्यक्ष थे परंतु पूरे जिले के लोकप्रिय व्यक्ति थे। श्री कोतवाल ने कुछ छोटे बच्चों को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ उपयोगी कार्यकर्ता बनानें की इच्छा के साथ भावुक ढंग से उनका पोषण किया।

## श्री ओंकार सिंह

### अध्यक्ष प्रजा-परिषद् तहसील रियासी

प्रजा–परिषद्/ भारतीय जनसंघ के एक उल्लेखनीय कार्यकर्ता थे। उन्होंने रियासी क्षेत्र में पार्टी के आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई और गिरफ्तारी और जेलों का सामना किया। कैप्टन को पार्टी हलकों और लोगों में सामान्य रुप से अधिक प्यार और आदर मिलता था क्योंकि वह महान जनरल जोरावर सिंह के पोते थे। जिन्होंने तमाम बाधाओं का सामना करते हुए जम्मू व कश्मीर रियासत की सीमाओं को लद्दाख और आधे तिब्बत तक बढ़ा दिया था। वह विजयपुर रियासी में रहते थे।

## सुबेदार मेजर ठाकुर हरि सिंह

पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, सुबेदार हरि सिंह भूतपूर्व सैनिक थे जो जम्मू जिले की अखनूर तहसील के सीमावर्ती क्षेत्र पलांवाला के सामोआ गांव के रहने वाले थे। वह प्रजा परिषद् / भारतीय जनसंघ के कार्यकर्णी सदस्य थे और उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया था।

सुबेदार ने पाक प्रायोजित घुसपैठियों (हमलावरों) के हमलों का सामना करने के उद्देश्य से ग्रामीणों को संगठित करने में अहम् भूमिका निभाई थी। यह घुसपैठिये सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वहाँ से खदेड़ने के लिए उनके सिर और हाथ–पाँव काटकर उनको आतंकित करते थे।
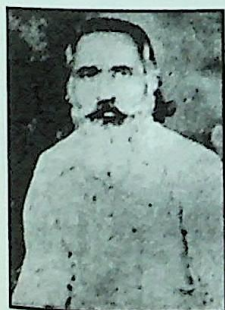
## ठाकुर रंजीत सिंह

उपाध्यक्ष जम्मू व कश्मीर प्रजा परिषद् जिला कठुआ के नगरी पड़ोल क्षेत्र में रहने वाले श्री रंजीत सिंह एक योग्य एवं उल्लेखनीय व्यक्ति थे जिन्होंने बुजुर्ग होने के बावजूद भी विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्वयं ही नहीं परंतु अन्य कई लोगों को सरकार के क्रोध का दृढ़तापूर्वक सामना करने के लिए प्रेरित किया। प्रजा–परिषद् / भारतीय जनसंघ में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कई वर्षों तक वह पार्टी के उपाध्यक्ष रहे।

## बसंत सिंह 'त्यागी'

अध्यक्षः तहसील जम्मू (प्रजा परिषद्) वह जम्मू जिले के एक गाँव से संबंध रखने वाले मूलरुप से पूर्व सैनिक और पाक अधिकृत जम्मू व कश्मीर के एक प्रवासी थे। उन्होंने सत्याग्रहियों पर अत्याचार के विरोध में सिर्फ एक ही खादी धोती पहनने का विकल्प चुना था। जम्मू–कश्मीर रियासत को देश के अन्य भागों के समान दर्जा दिलानें हेतु उन्होंने प्रजा परिषद् द्वारा चलाए गए आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था।

श्री त्यागी जी ने 1952–53 के आंदोलन में न केवल परिवार के सदस्यों बल्कि अपनी बकरी और कुछ अन्य मवेशियों के साथ सत्याग्रह करके पुलिस के लिए एक जटिल समस्या उत्पन्न कर दी। वह कई महीनों तक सिर्फ एक ही धोती में भीषण सर्दियों के दौरान जेल मे रहे।

## श्री नंद लाल भगत

श्री नंदलाल प्रजा–परिषद् / भारतीय जनसंघ के एक समर्पित हरिजन कार्यकर्ता थे। वह जम्मू जिले की आर.एस.पुरा तहसील के मीरा साहिब क्षेत्र के रहने वाले थे। वह पंडित प्रेम नाथ डोगरा जी के महान प्रशंसक थे और सभी आंदोलनों में भाग लेते थे। गिरफ्तारी के पश्चात कई बार जेल की यातनाएं सही।

जब अन्य हरिजन लोग नेशनल कांफ्रेंस के उम्मीदवारों से भय खाते थे उस समय भी श्री नंदलाल तजी ने राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ते हुए निर्विरोध सफलता सुनिशिचित कर ली। आर्थिक रुप से निर्धन होते हुए भी नंदलाल सत्ताधारी पार्टी के सबसे अमीर लोगों का सामना करने के लिए अमीर थे।

## श्री मनमोहन गुप्ता किश्तवाड़

(प्रजा–परिषद् के वरिष्ठ नेता)

कुछ ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता थे जिन्होंने तत्कालीन जिला ड़ोड़ा के दूर दराज क्षेत्रों में प्रजा परिषद् एवं भारतीय जन संघ को ईकाइयों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

उनमें से किश्तवाड़ के श्री मनमोहन गुप्ता एवं उनके सहयोगियों ने समस्त विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए दूर–दराज क्षेत्रों में लोगों को अलगाववादियों की योजनाओं के विरूद्ध संगठित किया। नैशनल कांफ्रेंस एवं अन्य संप्रदायिक तत्त्वों द्वारा अमूमन जब किश्तवाड़ के शहरवासियों को परेशान किया जाता था तब मट्टा के श्री संतराम और अन्य सहयोगियों द्वारा उनकी, तत्परता से सहायता की जाती थी।

श्री मनमोहन सिंह और अन्य लोगों ने श्री जानकी नाथ और कुछ अन्य लोगों को सहायता से पाड्डर के सुदूर क्षेत्रों में पार्टी की मज़बूत ईकाईयाँ स्थापित कीं।

## श्री संत राम सचिव किश्तवाड़
## श्री शाम लाल जी, श्री प्रकाश राम

प्रजा परिषद् के कार्यकर्ता (रामबन में मज़बूत पकड़)

इस अति संवेदनशील ड़ोड़ा ज़िले में श्री नत्था सिंह, श्री लब्बू राम, श्री कस्तूरी लाल, सरदार मेहर सिंह एवं अन्य लोगों ने एक दृढ़ पार्टी ईकाई, बनाने के लिए सराहनीय भूमिका निभाई। श्री लब्बू राम ने विधानसभा चुनाव भी लड़े परंतु थोड़े अंतर से हार गए।
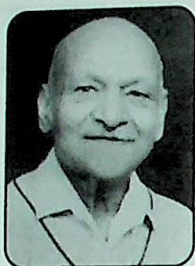
## डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता नौशहरा

डॉ. वेद प्रकाश गुप्ता मूलतः एक औषधी विक्रेता थे परंतु अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उन्होंने नौशहरा के सीमावर्ती कसबे में एक अस्पताल जैसा संस्थान स्थापित किया और लोकप्रिय हो गए।

विशेषकर 1952–53 के प्रजा–परिषद् आंदोलन के दौरान उन्होंने एक समर्पित कार्यकर्ता की भाँति भूमिका निभाई। वह हिंदी विभाग के प्रभारी थे और उनका मुख्य कार्य प्रचार सामग्री तैयार करना था। पुलिस के निशाने पर रहने वाली साईकलोस्टाईल मशीन जिससे प्रचार सामग्री तैयार की जाती थी उसे छिपा कर रखना उनके लिए एक कठिन कार्य था।

## श्री जोध राम शर्मा ( 1906–1989 )

श्री निवास के सबसे बड़े भाई (चंद्र प्रकाश गंगा जी के पिता) प्रजा परिषद् के कार्यकर्ता जो 1953 में हुए प्रजा–परिषद् आंदोलन के दौरान दस महीने तक जेल में रहे।

## अधिवक्ता ज्वाला प्रकाश गुप्ता

(10.08.1916 – 26.09.1996)

वह 1953 प्रजा–परिषद् आंदोलन के दौरान हीनरानगर क्षेत्र से एक महान कार्यकर्ता थे।

## श्री राधा कृष्ण शर्मा

( 22.11.1927 – 14.02.1993 )

वह जम्मू से एक महान कार्यकर्ता थे और प्रजा–परिषद् के 1953 आंदोलन के दौरान जेल भी गए।

## चतरू राम ड़ोगरा

श्री चतरू राम ड़ोगरा जी पेशे से एक फोटोग्राफर थे। उस समय राजधानी जम्मू शहर में फोटोग्राफरों की संख्या कम होने के कारण वह जानेमाने व्यक्ति थे। परंतु फोटोग्राफर से कहीं अधिक वह अपनी आंदोलनात्मक गतिविधियों के कारण जाने जाते थे। 1942–43 के खाध आंदोलन में उनके साथ–साथ उनकी श्रीमति ड़ोगरा एवं पूरे परिवार ने ही निर्णायक भूमिका निभाई थी।

पांचवे दशक के प्रांरभिक वर्षो में श्री चतरू राम जी प्रजा परिषद् के साथ सक्रिय रूप से जुड़ गए और कई वार गिरफ्तार किए गए। जब पंड़ित जी अध्यक्ष थे तो वह प्रजा–परिषद् कार्यकारी समिति के सदस्य थे। प्रजा परिषद् एवं भारतीय जन संघ आंदोलनों के दौरान श्रीमति ड़ोगरा और उनकी बेटी बिमला ड़ोगरा ने महिला कार्यकर्ताओं को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

## स्व. श्री सत्य पाल शर्मा
## ( 1939–2000 )

नौशेरा के रहने वाले श्री सत्यपाल शर्मा। एक समर्पित कार्यकर्ता थे और उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों के राष्ट्रवादी लोगों को संगठित करने में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने सदैव पाकिस्तानी हमलावरों की गोलीबारी और हमलों से पीड़ितों की सहायता की। पेशे से वह एक डॉक्टर थे और लोगों की अच्छी भावनाएँ उनके साथ रहती थी। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था।

## ज्ञानी ईशर सिंह ( सिख नेता )

अकाली दल से जुड़े कई सिख नेताओं ने न केवल प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ के आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि सक्रिय भाग भी लिया और गिरफ्तारियाँ भी दी। इनमें ज्ञानी ईशर सिंह व अन्य लोग भी सम्मिलित हैं। सरदार बसंत सिंह सबर के नेतृत्व में कई सिख कार्यकर्ता पार्टी कार्यों में भाग लेते थे।

सरदार बचन सिंह पँछी जी को भारतीय जन संघ की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी शामिल किया गया था और उन्होंने विभिन्न मंचों पर पाक के कब्जे वाले क्षेत्रों के प्रवासियों को समस्याओं का विभिन्न मंचों पर प्रतिनिधित्व भी किया था।

## हीम राज पुजारी ( कटरा )

(01.02.1934–11.01.1986)

श्री हमे राज पुजारी कटरा बैष्णों देवी में प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के एक महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता थे। श्री खेमराज, फकीर चंद गुप्ता और अन्य व्यक्तियों सहित पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम थी जिन्होंने विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया और जेलों की यातनाएँ सहन की।
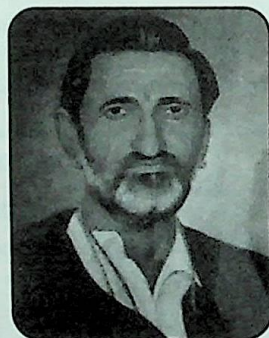
## श्री बंसी लाल ड़ोगरा

वह अखनूर के गुड़ाब्राह्मणा के रहने वाले थे। वह प्रजा–परिषद् के सक्रिय कार्यकर्ता थे अपने समय में कई बार जेल भी गए।

# प्रजा परिषद् की महिला विंग (खण्ड)

# महिला विंग (खण्ड)

महिलाओं ने प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के आंदोलनों के दौरान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल निषेधात्मक आदेशों की अवहेलना करते हुए जुलूसों का आयोजन किया और लाठीचार्ज और गिरफ्तारी का सामना किया, बल्कि जेलकर्मियों के परिवारों की मदद के लिए धन संग्रह करने के लिए भी अभियान चलाया। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु कुछ महिलाओं ने अपने आभूषणों तक का योगदान कर दिया।

प्रो. शक्ति शर्मा, जिन्हे लोकप्रिय नाम, बहन जी से जाना जाता था, श्रीमति सुशीला मैंगी, माता पार्वती, श्रीमति प्रकाशो देवी, श्रीमति चतरू राम ड़ोगरा, बिमला, ड़ोगरा, श्रीमति सुशीला देवी जिन्हें रियासी वाली माता के नाम से भी जाना जाता था, श्रीमति तारो देवी, श्रीमति चौहान एवं अन्य कई महिलाओं ने अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका यह थी कि उन्होंने दल (टीम) संगठित कर दिल्ली एवं अन्य भागों में जा–जा कर राष्ट्रीय नेताओं को यह बताया कि सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने और जेल में रखने के पश्चात उन पर पुलिस एवं अन्य बलों द्वारा किस प्रकार के अत्याचार और ज्यादत्तीयाँ की जा रही हैं। जम्मू शहर के अतिरिक्त कसबों और यहां तक कि गांव सहित महत्पूर्ण स्थानों पर महिल ईकाईयों का भी गठन किया गया।

## प्रो. शक्ति शर्मा

पत्नी–श्री शाम लाल शर्मा

चोटी की कद्दावर महिला नेता थीं जिन्होंने प्रजा–परिषद् के आंदोलनों में महत्त्वपूर्ण (अह्म) भूमिका निभाई।

## श्रीमति सुशीला मैंगी

यह भारतीय जन संघ और प्रजा–परिषद् की नेता और कार्यकर्ता थी।

## श्रीमति सुशीला देवी

(जनमानस में माता रियासी वाली के नाम से जानी जाती थी)

## श्रीमति शीला चौहान

यह बी.पी. चौहान जी की माता जी थी और वह प्रजा–परिषद् और भारतीय जन संघ की महिला शाखा में महत्त्वपूर्ण पदों पर रहीं।

## प्रकाशों देवी

जम्मू के प्रताप गढ़ की प्रकाशों देवी जो पार्टी की महिला शाखा में विभिन्न पर रहीं।

## श्रीमति दर्शना देवी

पत्नी–श्री देव राज (ड़ब्बा)

जम्मू में प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ की एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी।

## स्व. श्रीमति कुमारी शर्मा

## श्रीमति वृंदा देवी

(अशोक खजुरीया जी की दादी)

## श्रीमति शकुंतला देवी

वह 1953 में गिरफ्तार रही और एक महीनें से भी अधिक पुलिस हवालात में रखकर उन्हें यातनाएँ दी गई। उन्हें जम्मू में 6 अन्य महिलाओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। वह पार्टी कार्यकर्ता श्री केशो राम जी की सगी बहन थी।

विमला देवी ( पग्गड़ )
( सुँदरबनी )

श्रीमति चंचला देवी
( अखनूर )

महिला नेता
सोमा देवी ( जम्मू )

श्रीमति तारो देवी अबरोल
मोहल्ला गुज्जरां जम्मू से

## श्रीमति दर्शना देवी जी

धर्मपत्नी–श्री सोभा राम शर्मा जी
निवास स्थान–गुड़ा जत्तन घगवाल
जन्म तिथि– 1931–1973
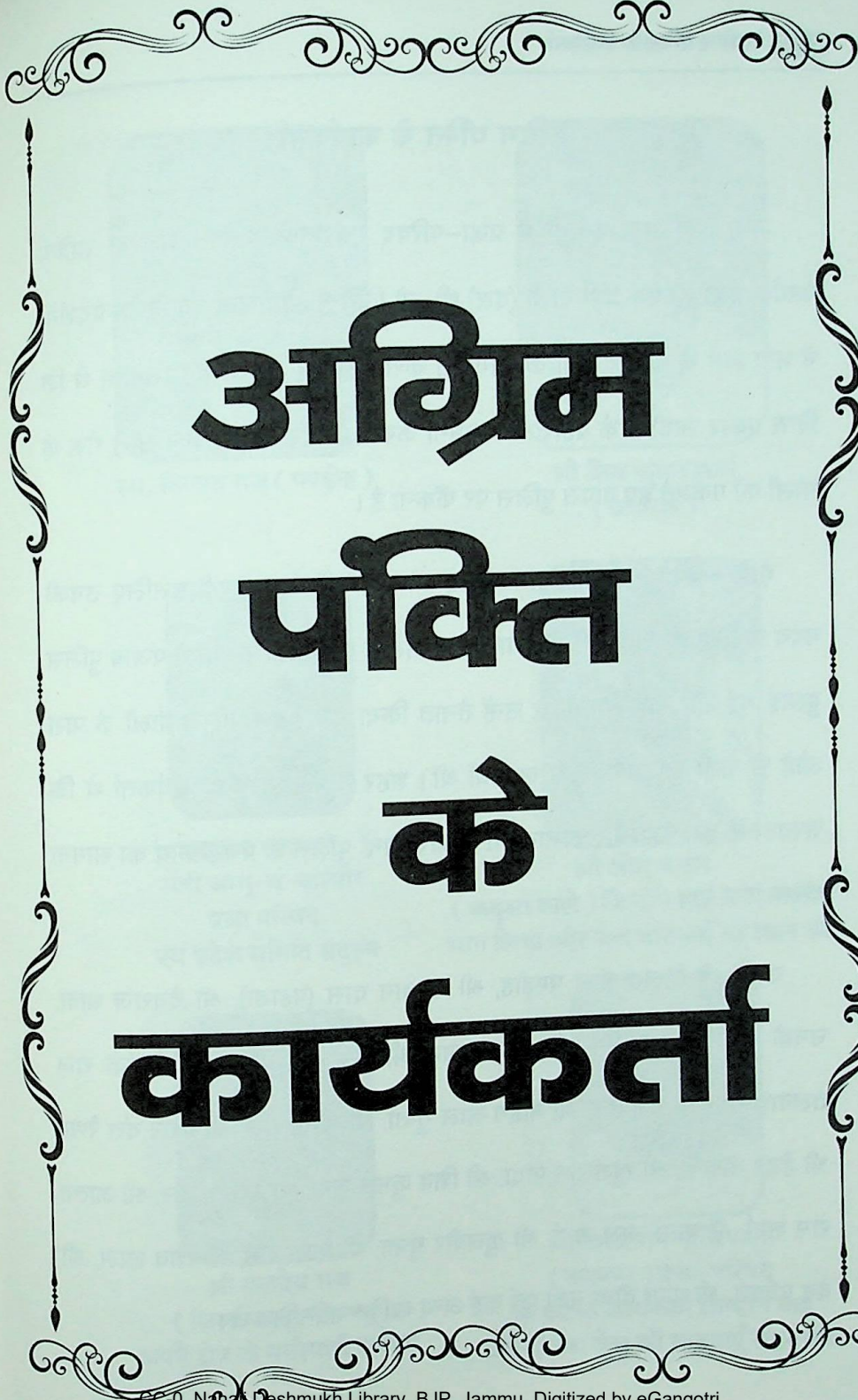
प्रजा–परिषद् की सक्रिय कार्यकर्ता रहीं एवं डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के आंदोलन के दौरान सक्रिया भूमिका निभाई। उन्होंने कई सार्वजनिक बैठकें आयोजित करते हुए लोगों को विशेषतयः महिलाओं को जम्मू–व–कश्मीर रियासत के भारतीय संघ में विलय के संदर्भ में प्रेरित किया। दहेज प्रथा के विरूद्ध आंदोलन किया। वह संयुक्त परिवारों की समर्थक थी।

## विमला ड़ोगरा ( पग्गड़ )

सुपुत्रीः श्री चतरू राम ड़ोगरा

अग्रिम
पंक्ति
के
कार्यकर्ता

# अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता

जम्मू और अन्य स्थानों में प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के सक्रिय कार्यकर्ताओं को एक बड़ी टोली (दल) थी, जो विभिन्न आंदोलनों एवं विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए युवाओं को संगठित करते थे। वह उनको यह सिखाते थे कि किस प्रकार लाठीयों के प्रहारों का सामना करना है और किस प्रकार आँसू गैस के गोलों को पकड़ते हुए वापस पुलिस पर फैंकना है।

चूँकि राज्य पुलिस आंदोलनकारीयों को दबाने में नाकाम रही इसलिए उनकी मदद के लिए श्री नेहरू जी के इशारे पर पंजाब से बहुत बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस बुलाई गई और कई स्थानों पर उन्हें तैनात किया गया। इन पुलिस बालों के पास लोहे से जड़ी हुई लंबी–लंबी लाठीयाँ थीं। शहर में ऐसे ही कई कार्यकर्ता थे कि सरकार के इस षड़यंत्र से असावधान थे और जिन्हें पुलिस के प्रचंड़ क्रोध का सामना करना पड़ा था।

उनमें श्री तिलक राज पण्ड़ोह, श्री भगवान दास (पहाड़ा), श्री देवराज धाबा, उनके भाई भी बाबू राम, श्री ओम् प्रकाश श्री अमरनाथ बौंगा, श्री तिलक राज तलबार, महाशय यशपाल, श्री मोहन लाल गुप्ता, श्री मुल्ख राज, श्री इशर दत्त रैणा, श्री हैदर नौरानी, श्री खुशीराम पादा, श्री शिव कुमार शर्मा, श्री ओम् वज़ीर, श्री आत्मा राम शर्मा, श्री शाम लाल शर्मा, श्री कुलबीर गुप्ता, श्री परस राम, श्री शिव लाल, श्री वेद प्रकाश, श्री पापा दीना नाथ एवं कई अन्य व्यक्ति सम्मिलित थे।

स्व, तिलक राज ( पण्ड़ोह )

श्री शिव कुमार शर्मा
( प्रचारक )

महाशय यशपाल,
मंत्री जम्मू-व-कश्मीर
प्रजा परिषद्
एवं प्रदेश समिति सदस्य
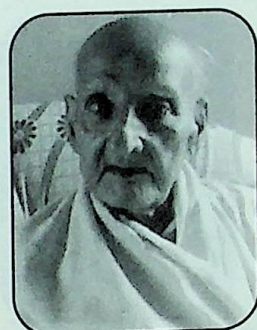
श्री ओम् वज़ीर
( कठुआ वाले ) जिन्होंने कई आंदोलनों में
भाग लिया और जेल यातनाएँ भी सहन की।

श्री बलदेव राज
( जिला जम्मू, गजनसू )
अपने क्षेत्र के मर्मस्पर्शी व्यक्ति

श्री पारस राम पाचियालो
( उधमपुर ) प्रजा-परिषद्
के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने कई
महीनों तक जेल की यातनाएँ सहन की।

श्री मुल्ख राज
पीर मिट्ठा जम्मू

श्री मोहन लाल गुप्ता
विशनाह
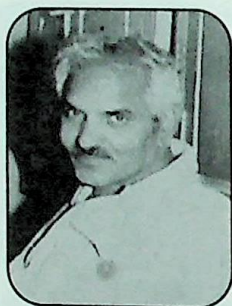
स्व. श्री केशो राम अरोड़ा

वैद्य छज्जु राम शर्मा,
गरोटा प्रजा-परिषद् के कार्यकर्ता
जिनका स्वर्गवास वर्ष 2006 में हुआ

श्री ईशर दत्त रैणा
प्रजा-परिषद् के वरिष्ठ नेता
कनियाला, ड़नसाल
( 1910-1980 )

श्री खुशी राम पाधा,
प्रजा परिषद् के वरिश्ठ नेता
( 1922-1978 )

श्री कुलवीर गुप्ता
( उधमपुर )

श्री शिव लाल
( उधमपुर )

पापा दीना नाथ
( उधमपुर )
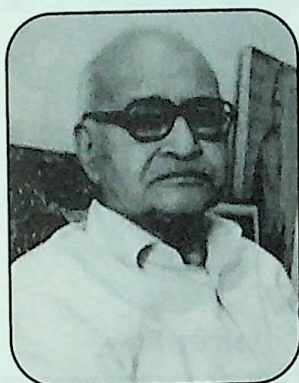
श्री वेद प्रकाश चौहान
( छात्र नेता )

श्री छज्जु राम शास्त्री,
प्रजा परिषद के संस्थापक सदस्य,
जन्म तिथी - 19-04-1923, उम्र - 95 वर्ष,
ग्राम - चिराई तहसील एवं जिला - उधमपुर
वह भाजपा उधमपुर / रियासी संयुक्त जिले
के चार बार जिला अध्यक्ष रहे।

महंत बाबा दुर्गा दास
( 21-07-1920 - 24-06-2000 )
प्रजा परिषद् के कार्यकर्ता
( पुक्खरनी सुँदरबनी के
शहीद बाबा कृष्ण दास के भाई )

पं0 रोह्लू राम अखनूर
( 1910-1985 ) वर्श 1950-54
के दौरान प्रजा परिषद् आंदोलन में
सम्मिलित हुए एवं अनेकों बार जेल भी गए।

श्री यश पुरी
जिन्होंने 1952 के छात्र आंदोलन के
दौरान कई दिनों तक भूख-हड़ताल की।
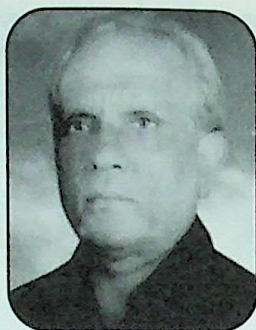
श्री सूरज कपूर
प्रजा-परिषद् के प्रमुख कार्यकर्ता

श्री पुरिराम
( मनवाल )
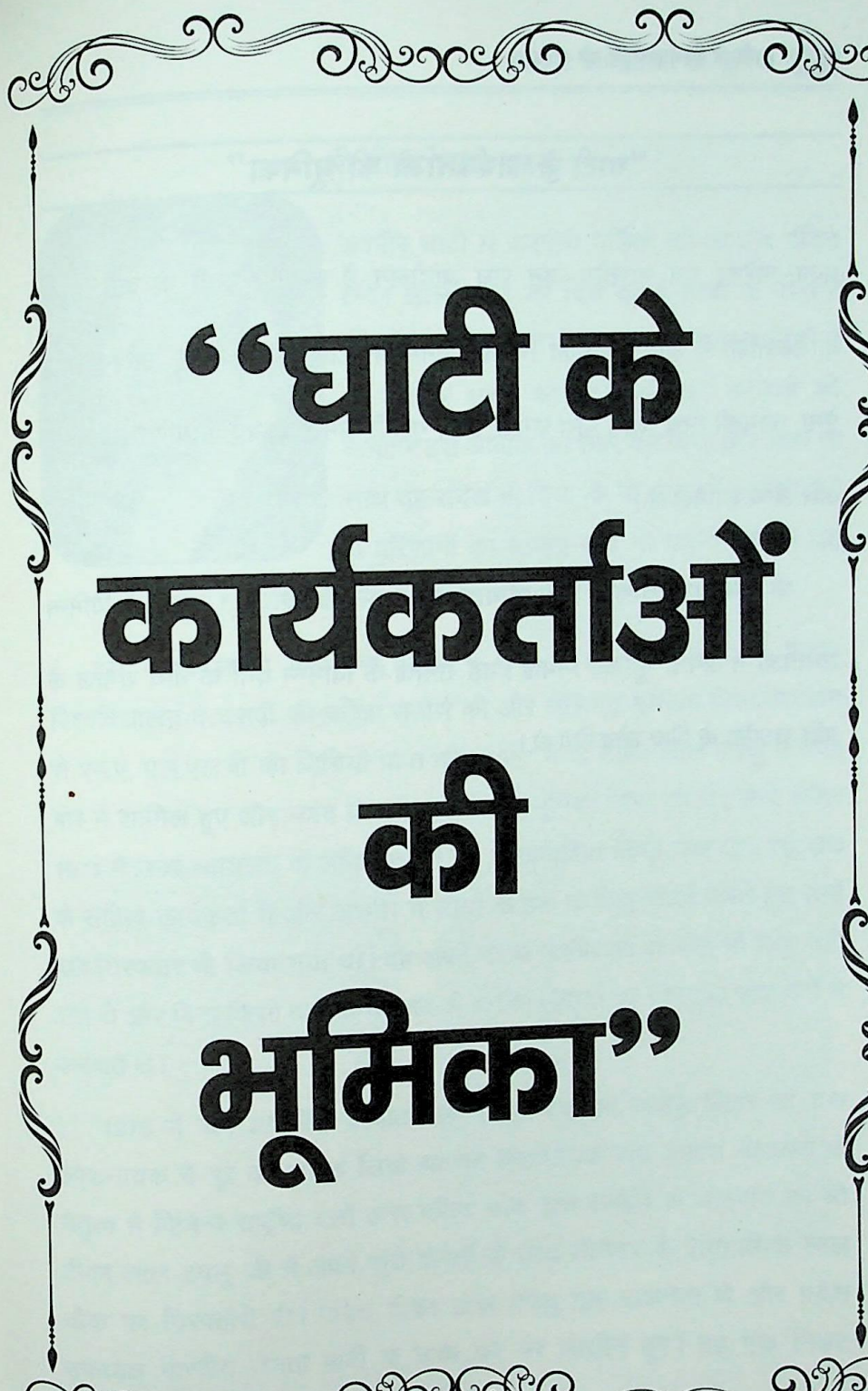
श्री वेद मित्तर,
छात्र नेता जो 1952 के आंदोलन
के दौरान 31 दिन तक भूख-हड़ताल पर रहे।

पंडित वेद प्रकाष रैणा
( कनियाल डंसाल )
श्री बलराज माधोक ( दिल्ली )
श्री तिलक राज शर्मा ( जम्मू )
प्रजा-परिषद् नेता
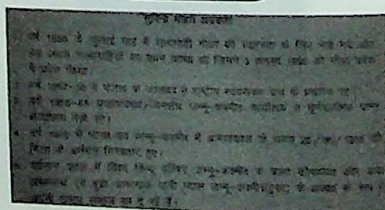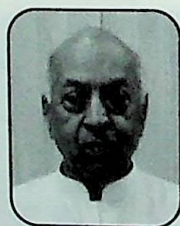
# “घाटी के कार्यकर्ताओं की भूमिका”

## "घाटी के कार्यकर्ताओं की भूमिका"

प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ आंदोलन में कश्मीर घाटी के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं नें अपनी भूमिका निभाई। इनमें श्री टीका लाल टपलु, माखन लाल ऐमा, जानकी नाथ, सोम नाथ उगरा, हैदर नूरानी, प्रेम नाथ बट्ट, पियारे लाल गोजा और अन्य शामिल थे।

श्री अमरनाथ वैष्णवी ने राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करनें में विभिन्न क्षमताओं में अपनीं भूमिका निभाई। वह समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समाज के प्रति समर्पण के लिए लोकप्रिय थे।

## श्री टीका लाल टपलु

कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंड़ितों को आवाज पंड़ित टीका लाल टपलु को दिन दहाड़े हत्या के पश्चात आकाश काले बादलों से घिर गया। आतंकवादियों ने 13 सितंबर 1989 को बंदूक की क्रूर गोलियों को दागकर इस आवाज़ को शांत कर दिया और साथ ही साथ यह संदेश भी दिया कि वो शांत रहें अन्यथा ऐसै ही परिणामों का सामना उन्हें भी करना पड़ेगा। यह कश्मीर में आतंकवाद का आरंभ माना जाता है।

इस महान आत्मा का जन्म 1930 में हुआ था। उन्होंने 1945 में पंजाब विश्वविद्यालय दे दसवीं की परीक्षा उतीर्ण की और अलिगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम.ए, एल.एल.बी की ड़िग्रियाँ प्राप्त की। 1957 में पं॰ टीका लाल टपलु कश्मीर बार में शामिल हुए और न्याय के प्रचार में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे। उन्हें अप्रैल 1971 में उच्च न्यायलय के अधिवक्ता के रुप में नामांकित किया गया था। वह संघ के सक्रिय कार्यकर्ता थे और कश्मीर में लोगों के हक के लिए संघर्ष करते हुए उन्हें बार गिरफ्तार भी किया गया था। वह अपनें गरीब मुवक्किलों से कोई भी पैसा नहीं लेते थे और बिना किसी धार्मिक भेदभाव के अनेकों विवादों का निपटारा अदालतों में करवाते थे।

1975 में जब आंतरिक आपातकाल नें पूरे देश को जकड़ लिया था तक लोकनायक नें पूरे को जकड़ लिया था तब लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में विभिन्न राष्ट्रीय दलों द्वारा गठित लोक संघ समिति के आह्वान पर श्री टीका लाल टपलु जी नें अपनें कुछ दोस्तों के साथ श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर गिरफ्तारी दी। पंड़ित टीका लाल टपलु एक राजनेता थे और प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उच्च पद पर आसीन हुए। वह एक निड़र, पारदर्शी, इमानदार और सरल राजनितिज्ञ थे।
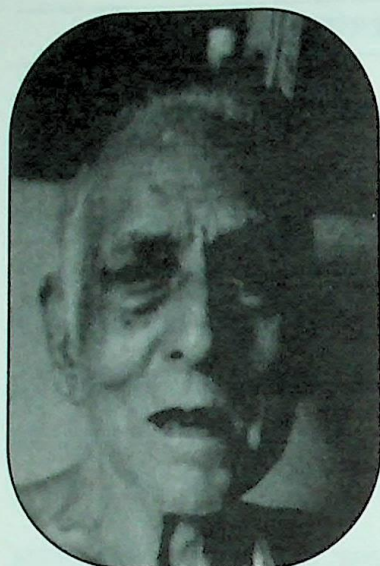
पंड़ित ओम्कार नाथ काक

श्री अमरनाथ वैष्णवी

श्री प्रेमनाथ भट्ट,
प्रजा-परिषद्
कायकारीणी सदस्य
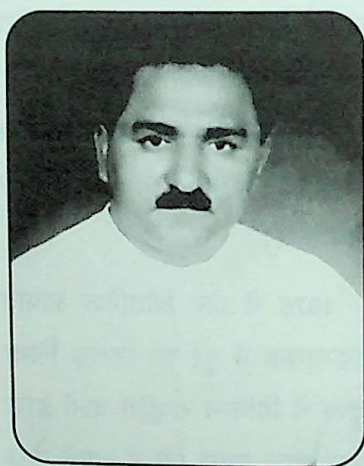
हैदर नौरानी,
1999 में भाजपा के सांसद
उम्मीदवार आतंकवादियों
द्वारा हमला कर शहीद कर दिए गए

## मकबूल शेरवानी
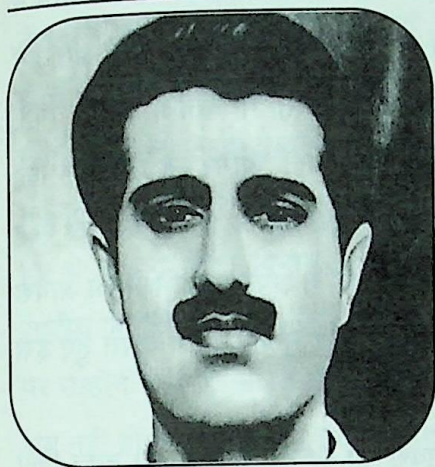
प्रत्येक वर्ष इन्फैंट्री (थल सेना) दिवस पर भारतीय सेना कश्मीर के उद्धारक एवं मुक्तिदाता मोहम्मद मकबूज शेरवानी को याद करती है। सेना के बारामूला शहर में उनके नाम पर एक शहीद स्मारक भी बनबाया है। परंतु इतना ही हो पाता है। सेना के सिवाय कोई भी अन्य व्यक्ति या संस्था इस उद्धारकर्ता के लिए एक भी दिवस (दिन) नहीं मनाती जिनको 7 नबंबर 1947 को कवाईलियों नें बंदी बना कर सूली पर चढ़ा दिया था। मकबूल के साहसी कार्यों पर प्रकाश डालते हुए, उनके (पहले) चचेरे भाई गुलाम मोहम्मद शेरवानी, महासचिव, जिला कांग्रेस कमेटी बारामुला कहते हे।, "...1947 में वापस, युवा मोहम्मद मकबूल शेरवानी सिर्फ 19 के थे, परंतु उन्होंने अेकेल ही हज़ारों हमलावरों को बारामुला से आगे बड़नें से रोके रखा और उनके मनसूबों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार भारतीय सेना को श्रीनगर में उतरने और हमलावरों को पीछे धकेलनें का बहुमूल्य समय मिल गया। कबाईली हमलावरों नें उन्हें लकड़ी के क्रॉस पर रखकर उन्हें कील गाढ़ दिए और 10–15 बार फायर किया। वह दो से तीन दिनों तक ऐसे ही रहे। उनका शव तभी नीचे लाया गया जब सेना वहां पहुँची।

गुलाम मोहम्मद का कहना है कि जब हमलावर श्रीनगर की ओर जा रहे थे, तो मकबूल शेरवानी नें घुसपैठियों को गलत रास्तों पर गुमराह किया और उन्हें चार कीमती दिन गँवा दिए ताकि भारतीय सेना अपनें वचाव के लिए श्रीनगर पहुँच सके। जब मकबूल को हमलावरों द्वारा पकड़ लिया गया, तो हमलावरों के "आमिर" नें धीरे से मकबूल को कहा कि तुम एक होनहार युवक हो। यदि आप स्वयं हमसे जुड़ेगे तो

हम आपके क्षमा करेंगे। अपनें हृदय परिवर्तन के प्रमाण स्वरुप आपको हमें शल्टेंग में मिलिशिया (राज्यबल) और भारतय सैनिकों की गुप्त स्थीति बतानीं होगी और हमें श्रीनगर (एयरोड्रम) की ओर जानें बाला सबसे छोटा रास्ता भी बताना होगा। "नहीं, वह नहीं होगा" ...उद्धारकर्ता शेरवानी का दृढ़ उत्तर था। "अमिर" ने लिखा है कि, "शेरवानी गद्धार है, उसकी सज़ा मौत है"। उर्दू में कागज के एक टुकड़े पर ऐसा लिखकर शेरवानी के माथे पर चिपका दिया। "आमिर" ने अपनें आदमियों को आदेश दिया, "...इसके कान और इसका निर्जिवप्राय सिर और भुजाएँ सीधा करते हुए इसे खंभे से बाँध दो ताकि राहगीर इसे देख सकें..."।

8 नवंबर, 1947 को बारामूला से हमलावरों को खदेड़ दिया गया। मुक्त किए गए लोगों के पहले कृत्यों में से एक था शेरवानों के मृत शरीर को पुनः प्राप्त करना और इसे पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहर के जुमा मस्जिद के कब्रिस्तान में दफनाना। बचपन से ही मकवूल, शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के समर्पित कायकर्ता थे। वह ज़ेंबा से शादी करने से पहले शहीद हो गए थे। ज़ेंबा से उनकी सगाई हुई थी। जब मोहम्मद अली जिन्ना नें कश्मीर का दौरा किया और अपने दो–राष्ट्र सिद्धांत पर बारामूला में बात की, तो शेरवानी नें उन्हें मंच से नीचे आने के लिए मजबूर किया और इससे उनका भाषण बंद हो गया। जब से 1939 में शेख अब्दुल्लाह द्वारा ऑल ज॰व॰क नेशनल कॉंफ्रेंस की स्थापना की गई, तब से मकबूल शेरवानी चालीस लाख कश्मीरियों  के राष्ट्रीय आंदोलन के कट्टर समर्थक थे, जिन्होंने ड़ोगरा राजशाही से आज़ादी की माँग की थी। परंतु आज "शेखानी" को "गद्धार" और "भारतीय एजेंट" के रुप में कलंकित किया जा रहा है। गुलाम मोहम्मद कहते हैं, "... उत्तरोत्तर सरकारों ने उनकी उपेक्षा की है..."। सेना द्वारा मकबूल शेखानी के नाम पर एक "स्मृति महाकक्ष" भी बनवाया गया था। शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह के बारे में उनका कहना है कि वह ऐ आत्म केंद्रित व्यक्ति थे, जिन्होंने सत्ता पानें के बाद अपनें वफादार कार्यकर्ताओं की कभी परवाह नहीं की। वह परंपरा अभी भी

नेशनल–कांफ्रेंस मे जारी है। "जब मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी तो मकबूल के पिता मोहम्मद अब्दुल्लाह से मुलाकात की और अपने दूसरे बेटे के लिए आजीविका माँगी। शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह ने ध्यान नहीं दिया, वे कहते हैं। गुलाम मोहम्मद, मकबूल शेरवानी के परिवार के एकमात्र व्यक्ति हैं जो 1958 में राजनीति में शामिल हुए थे जब वे शिक्षा विभाग में सेवारत थे। उसके पश्चात वह 1975 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य बन गए। कश्मीर समस्या के बारे में पूछे जानें पर उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही संवाद प्रक्रिया का कोई अंत नहीं होगा और कश्मीर उदास रहेगा।

उन्होंने कहा, "जो लोग पाकिस्तान या पाक अधिकृत कश्मीर गए थे, उन्होंने मुझे निजी चर्चा में बताया कि उन्हें पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए उन्होंनें कहा, "जम्मू व कश्मीर राज्य में गठबंधन सरकारों नें कभी काम नहीं किया। जब मीर कासिम कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, तो पार्टी को जनसमर्थक पार्टी माना जा रहा था और यह फलता–फूलता रहा लेकिन उनके हटाए जानें के बाद पार्टी गुटबाजी में फँस गई। कांग्रेस का केंद्रिय नेतृत्व केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद और प्रो॰ सैफुद्धीन सोज़ (कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष) के बीच गुटबाज़ी को प्रोत्साहित करनें के लिए जिम्मेंवार है।

उन्होंनें कहा कि, उन्होनें 2009 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कार्यकर्ताओं की शिकायतों के ज्ञापन के साथ मुलाकात/भेंट की और उनसे राज्य समिति को क्रम में स्थापित करनें का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस–नेशनल कॉंफ्रेस गठबंधन के बारे में उन्होंने कहा, "दोनों एक–दूसरे की जड़ों को काट रहे हैं, दोनों के मध्य गठबंधन कभी भी धरातल तक नहीं पहुँच पाया है।
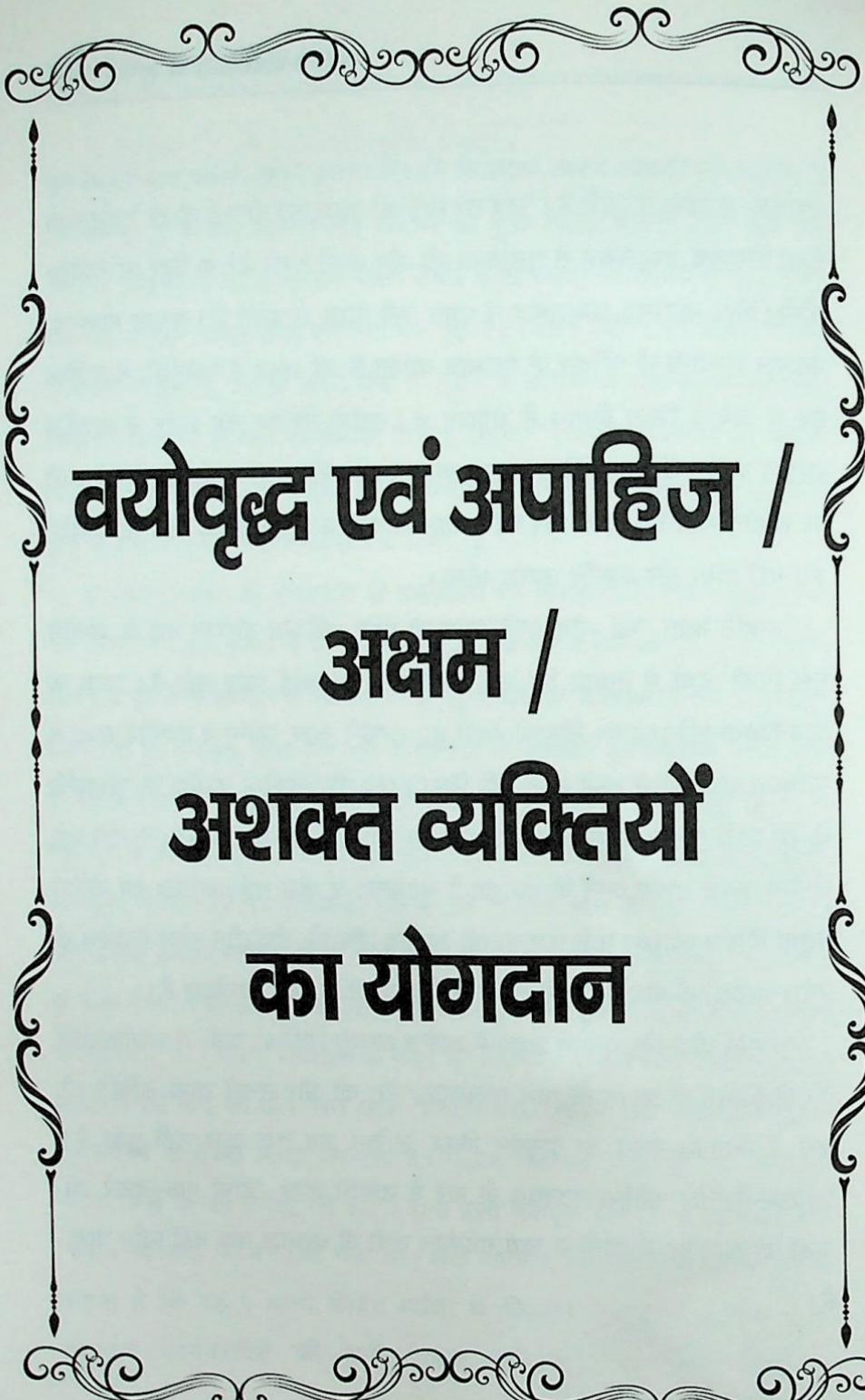
# वयोवृद्ध एवं अपाहिज / अक्षम / अशक्त व्यक्तियों का योगदान

## वयोवृद्ध एवं अपाहिज / अक्षम / अशक्त व्यक्तियों का योगदान

प्रजा–परिषद् आंदोलन की सफलता को देखनें के लिए आम जनता किस हद तक शामिल थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अधमरा, असमर्थ और वृद्ध भी पीछे नहीं रहा। ऐसे ही लोगों में जैन बाज़ार के झल्ला बंधु उल्लेखनीय थे। उनके नाम थे राम लाल एंव देस राज। श्री राम लाल, जो बोल नहीं सकते थे, वे हाथ से लिखे हुए दिवार के पोस्टरों को चिपकानों में अपनीं भूमिका निभा रहे थे और अपनी आय का एक हिस्सा पं॰ जी को प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ के आंदोलन के लिए दे रहे थे।

झल्ला बंधुओं की जैन बाज़ार जम्मू में एक दुकान थी। वे फेमियाँ और कत्तलम्मे (देसी घी और मैदा का उपयोक करके विशेष अवसर पर बनाए जानें वाले व्यंजन) बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। हालाँकि झल्ला बंधुओं का कई साल पहले निधन हो चुका है परंतु उनकी दुकान अभी भी उनके नाम से जानी जाती है।

यद्यपि प्रजा–परिषद् एवं भारतीय जन संघ युवाओं के एक संगठन के रुप में जाना जाता था परंतु कुछ व्योवृद्ध व्यक्ति भी पार्टी के पदों पर आसीन रहे। जम्मू शहर में दीवान विशन दास, शाम लाल उर्फ शामू शाह इत्यादि व्यक्ति प्रजा–परिषद् की शहर समिति में महत्वपूर्ण पदों पर रहे।

श्री राम लाल अरोड़ा

पंड़ित ज्ञान चंद रैणा,
ड़नसाल, प्रजा परिषद्

श्री संतराम अरोड़ा

श्री आत्मा राम शर्मा
( अखनूर )

विशन दास शर्मा

लाल चंद वर्मा,
उधमपुर
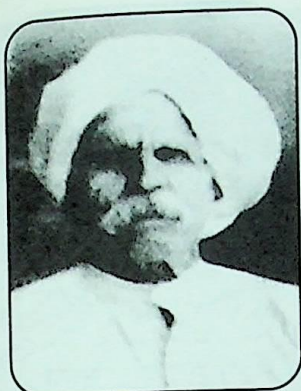
श्री शाम लाल जी ( शामों शाह )
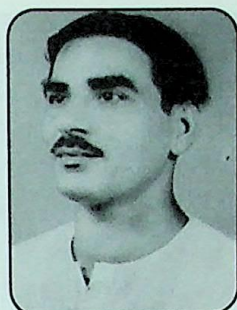
श्री भगवान दास पाधा,
टांगे बाली गली जम्मू, प्रजा परिषद् /
/ भारतीय जन संघ के अग्रगामी -
कार्यकर्ता
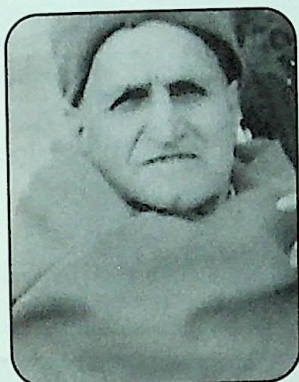
श्री बिशंबर दास शर्मा

श्री दीना नाथ शर्मा,
उपाध्यक्ष जम्मू म्यूनिसिपल कमेटी,
एवं भारतीय जनसंघ के अग्रगामी कार्यकर्ता

चौ0 बरयाम सिंह समैलपुर
एवं उनके भाई चौ0 नसीब सिंह जो
कि जम्मू के समैलपुर विशनाह क्षेत्र से
प्रजा परिषद् एवं भारतीय जनसंघ
के अग्रगामी कार्यकर्ता थे।

श्री सत् पाल खजूरिया,
( 1953 में सांबा से
प्रजा-परिषद् के मंत्री )
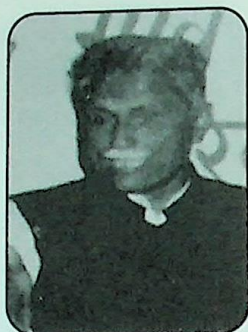
मास्टर सोहन लाल,
प्रजा-परिषद् के समर्पित कार्यकर्ता
26-04-1939 - 18-03-2006
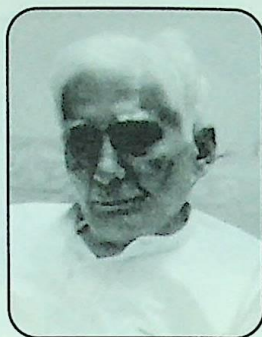
श्री सत पाल गुप्ता

श्री सतीष महाजन,
प्रजा परिषद् कार्यकर्ता एवं
भूतपूर्व, पार्षद, बक्शी नगर,
23-07-1938 - 29-06-2014

बल कृष्ण जम्मू,
प्रजा परिषद् / भारतीय जनसंघ /
भारतीय जनता पार्टी /
पंजतीर्थी जम्मू के वरिष्ठ कार्यकर्ता

सुबेदार धर्म सिंह,
प्रजा-परिषद् वरिष्ठ कार्यकर्ता,
तहसील अखनूर
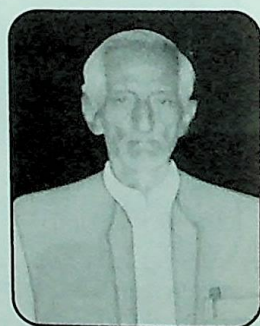
श्री वृज लाल शर्मा,
कटरा वैष्णो देवी,
( 06-01-1928 - 03-02-1995 )

स्वामी राज काटल, प्रजा परिषद् / भारतीय जनसंघ के एक अग्रगामी कार्यकर्ता जो ड़ोड़ा भद्रवाह से थे और उन्हें आतंकवादीयों नें गोली मारकर शहीद कर दिया था।
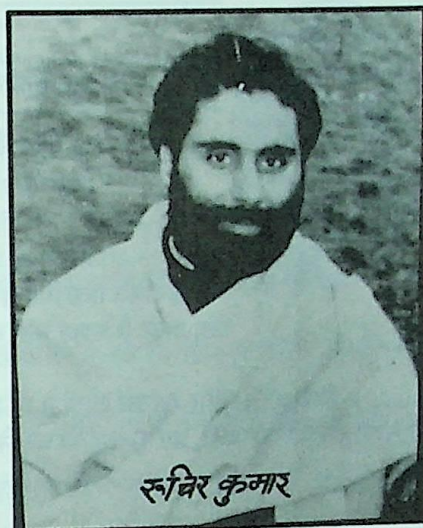
रुचिर कुमार, ड़ोड़ा के हीरो, 07-06-1994 को शहीद हुए।

स्व0 श्री सतीश कुमार भंड़ारी, ड़ोड़ा से

ठाकुर संतोष, ड़ोड़ा युद्ध के हीरो

## ठाकुर सुरजीत सिंह

### प्रजा-परिषद् के वरिष्ठ कार्यकर्ता

ठाकुर सुरजीत सिंह जी द्वारा रचित कविता

''लावारिस जागीर नहीं''

धुन :- आओ बच्चो तुम्हें दिखायें................
उन्हें कयामत तक मिलने का, जम्मू व कश्मीर नहीं,
अंग अटूट है भारत का, यह लापारिस जागीर नहीं।

1. जिसकी खातिर लाखों वीरों ने दी हंस कर कुरबानी, लहू शहीदों का बहता बन, जिसकी नदीयों का पानी, हम दुश्मन की चलने देंगे, यहाँ कोई तदबीर नहीं, अंग अटूट है भारत का, ...........

2. देखो हरे भरे खेतों में, क्या सुन्दर है हरियाली, मन मोहित करने वाली है, हसके फूलों की लाली, बन्दर के हाथों दी जाए, यह ऐसी तसवीर नहीं, अंग अटूट है भारत का, ...........

3. जिस धरती पर केसर फूल, हरे खेत है लहराते, सदियों से कश्मीर निवासी, भारतवासी कहलाते, कौन कहे यह भारत रूपी, राँझा की प्रिय हीर नहीं, अंग अटूट है भारत का, ...........

4. पूजा पाठ, निमाज का झघडा़, यहाँ नही तकरार है, रगों में सबकी एक लहू है, भाईयों जैसा प्यार है, जिस की कड़ियाँ अलग अलग हो, यह ऐसी ज़ंजीर नही, अंग अटूट है भारत का, ....
.......

5. कदम कदम पर जो धमकाते थे हमको तकरीरों में, देख लिये वह कितना दम है, भारत के रणवीरों में, अब तो गाज़ी भूल सकेंगे, भारत की शमशीर नहीं, अंग अटूट है भारत का, ..........
.

6. हमें रोज़ जो अमरीका के, टैकों का डर दिखलाते, स्यालकोट, लाहोर गंवा कर, सिर धुनते थे पछताते, क्या रण गाथा अपनी गाता, दर्रा हाजी पीर नहीं, अंग अटूट है भारत का, .........
..

7. इस पर कव्जा के मनसुबे, बुरी तरह नाकाम हुए, हार मार खा पाकिस्तानी, दनिया में बदनाम हुए, सैर करें बागे जन्नत की, यह उनकी तकदीर नही, अंग अटूट है भारत का, यह लावारि जागीर नहीं।

8. इस धरती करे लहू से सींचा, लाखों वीर जवानों ने, भारत रूपी शमाँ पर, जलने वाले परवानों ने, क्या ( निर्भीक ) की कविता में, वह बिजली की तासीर नहीं, अंग अटूट है भारत का, यह लावारि जागीर नहीं।

## ड़ोड़ा आंदोलन

प्रजा–परिषद् एवं अन्य राष्ट्रवादीयों द्वारा विरोध करने के बावजूद भी 1950 में शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की अंतरिम शासन व्यवस्था नें सोची–समझी योजना के अंतर्गत जम्मू के मुस्लिम बहुल ड़ोड़ा को जिले का दर्जा दे दिया। परंतु विरोध करनें वालों की अलगाववादी करार दिया। वहाँ की जनसंख्या में अधिक अंतर नहीं था। मुस्लिमों और हिंदुओं का जनसंख्या अनुपात लगभग 55:45 था। कशमीर घाटी से सटा यह जिला "कश्मीर जनमत संग्रह मोर्चे" की गतिविधियों का बड़ा केन्द्र बन गया था, जो 1954 में शेख के भटकनें के पश्चात और अगस्त 1953 में उनके ही सहयोगियों द्वारा जेल में ड़ाल दिये गए थे। इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में प्रजा–परिषद् / भारतीय जनसंघ की मज़बूत ईकाईयाँ थीं परंतु कार्यकर्ताओं को प्रशासन एवं अलगाववादियों, दोनों से, काफी कठिन समय का सामना करना पड़ा था।

1990 में जब सशस्त्र उग्रवादीयों नें भयानक अनुपात ग्रहण किया और अल्पसंख्यकों को कशमीर की घाटी से बाहर कर दिया गया तो डोडा जिला उनका अगला लक्ष्य था। एक पूर्व सैनिक, सूवेदार सुरजीत सिंह के नेतृत्व में कुछ स्थानीय युवाओं नें कुछ ग्राम रक्षा समितियों का गठन किया, परंतु चुनौती को पूरा करनें के लिए यह लोग पर्याप्त नहीं थे। 1994 में भाजपा नें राष्ट्रीय स्तर पर "ड़ोड़ा बचाओ आंदोलन" आरंभ किया। हजारों की संख्या में भा॰ज॰पा कार्यकर्ता, जिनमें चोटी के नेता भी सम्मिलित थे, जम्मू में अदालत के समक्ष गिरफ्तारी के लिए पहुँचे। इनमें श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आड़वाणी, डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी एवं अन्य नेता भी सम्मिलित थे। इस आंदोलन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे जिसके तैह्त ग्राम सुरक्षा समितियों और सुरक्षाबलों की भारी तैनाती की गई थी। शत्रु द्वारा खतरे की सीमा का आंकलन इस तथ्य से भली–भांति समझा जा

सकता है कि 1991 से 2002 तक के मध्य आतंक फैलानें और बलपूर्वक पलायक करवानें हेतु नरसंहारें की लगभग 60 घटनाएँ हुई। जिनमें से 40 के करीब केवल ड़ोड़ा जिले में दर्ज की गई। 2009 से ड़ोड़ा के इस विशाल क्षेत्र को ड़ोड़ा, किश्तवाड़ और रामबन इन तीन प्रशासनिक जिलों में विभाजित कर दिया गया। राजनैतिक गतिविधियों के साथ–साथ कानून और व्यवस्था की समस्याओं में भी काफी बदलाव आया। परंतु भाजपा को बहुत त्याग करना पड़ा क्योंकि उसके कई कार्यकर्ताओं नें आतंकीयों के हाथों अपनी जान गवां दी थी।

अनेकों कार्यकर्ता आतंकीयों। शत्रु की गोली का शिकार हुए थे, उनमें निम्नलिखित कार्यकर्ता भी सम्मिलित हैं:–

1. अधिवक्ता संतोश ठाकुर
2. भद्रवाह के स्वामी राज काट्टल
3. श्री रुचर कुमार
4. सतीश भंडारी

# दुर्लभ चित्र

पं. जी दुर्गा दास वर्मा, शिव चरण गुप्ता, शाम लाल शर्मा
और प्रजा परिषद् के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ
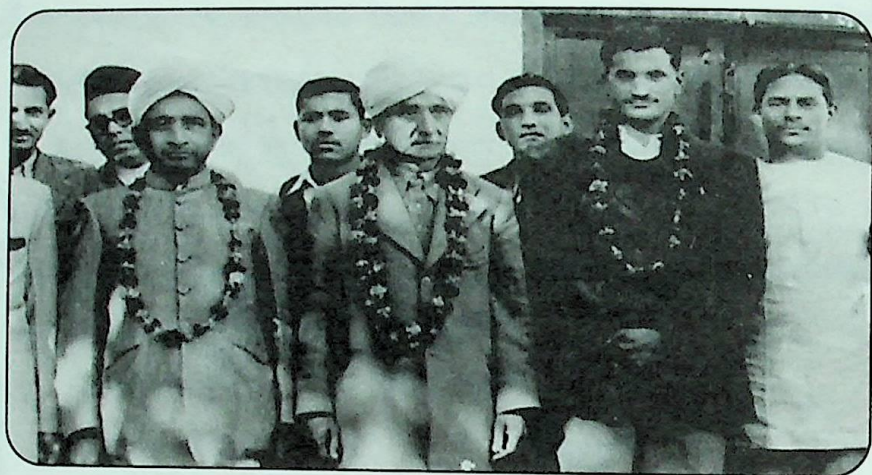
1952 में श्री अटल बिहारी वाजपेई, ऋषि कुमार कौशल
जम्मू में अन्य नेताओं के साथ

1953 के सत्याग्रह
के लिए एकत्रित हुए प्रजा परिषद् के नेता

1953 के सत्याग्रह के लिए राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एकत्रित
लोग पंडित जी के संदेश की प्रतिज्ञा करते हुए
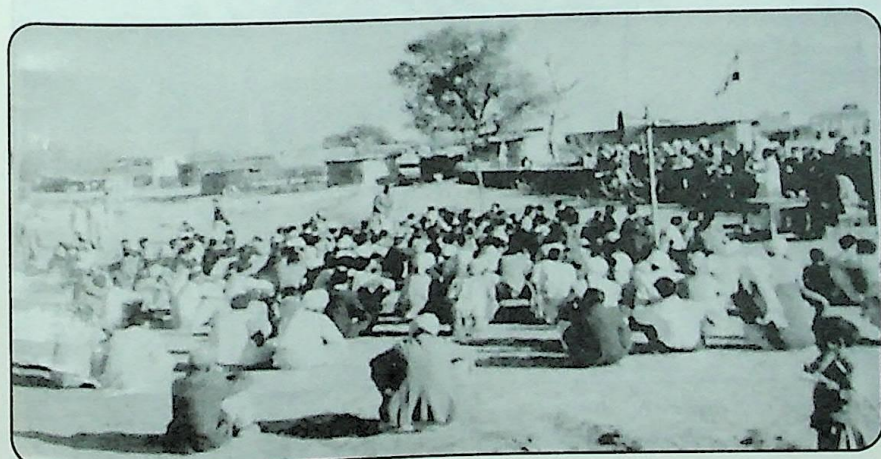
## उधमपुर के सत्याग्रह में प्रजा परिषद् के युवा कार्यकर्ता
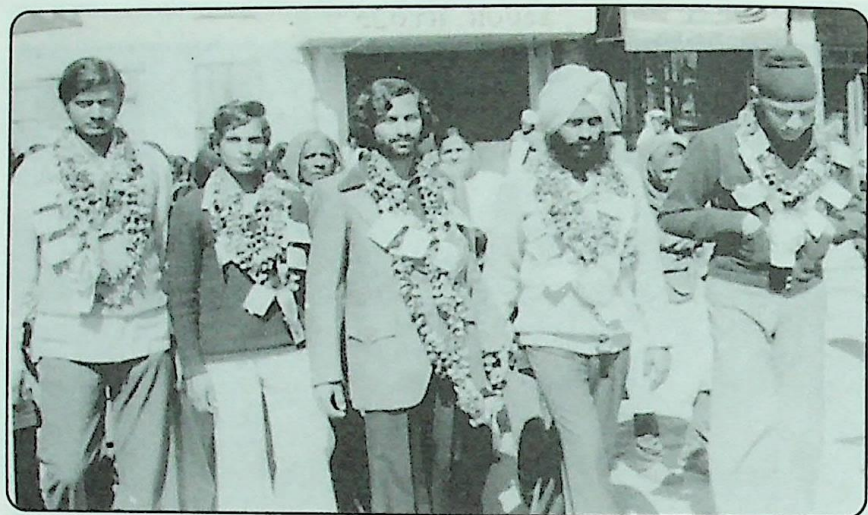
## प्रजा परिषद् के सत्याग्रह का चित्र

अखनूर से सत्याग्रह के कार्यकर्ता लाला राम स्वरुप गुप्ता,
पंडित बचित्रु राम, बाबा दुर्गा दास इत्यादि जम्मू में श्री राज्जू भैया जी

सत्यग्रह में बैठी हुई महिलओं का प्रजा परिषद् को सहयोग

हीरानगर में पं0 प्रेम नाथ डोगरा जी का ज़ोरदार स्वागत

संवत 1934 में जम्मू व कश्मीर राज्य की मुद्रा

FOUNDER OF JAMMU & KASHMIR STATE
At This Place
On the Banks of River Chenab
Sher e Punjab
MAHARAJA RANJIT SINGH
Administered Raj Tilak To
RAJA GULAB SINGH
ON
JUNE 17, 1822
Presented By: THE MAHARAJA GULAB SINGH MEMORIAL TRUST
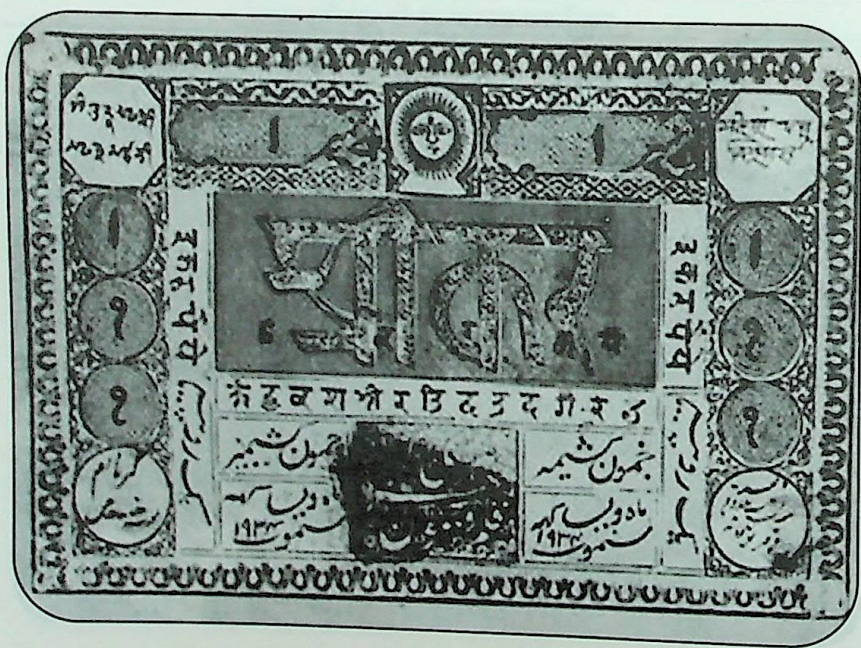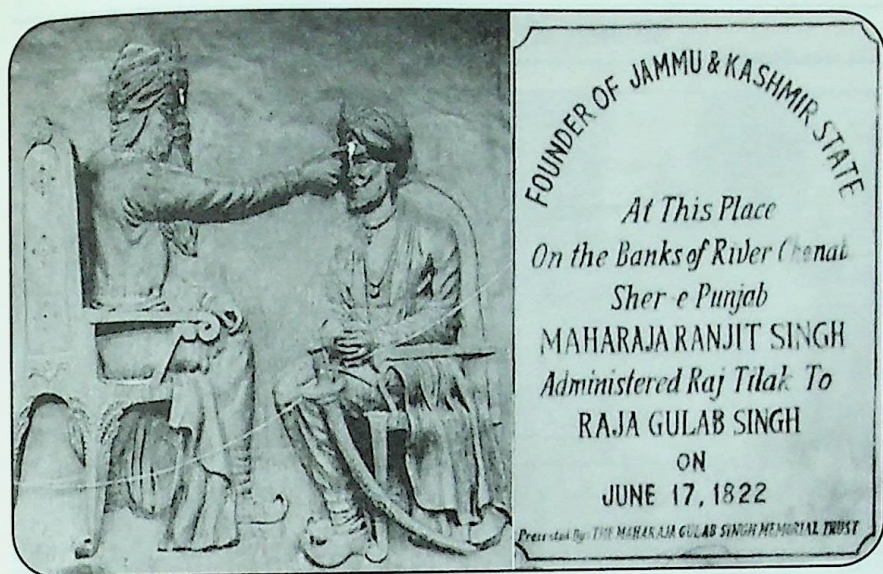
1947 में गुरु जी और हरि सिंह विलय से पहले श्रीनगर में
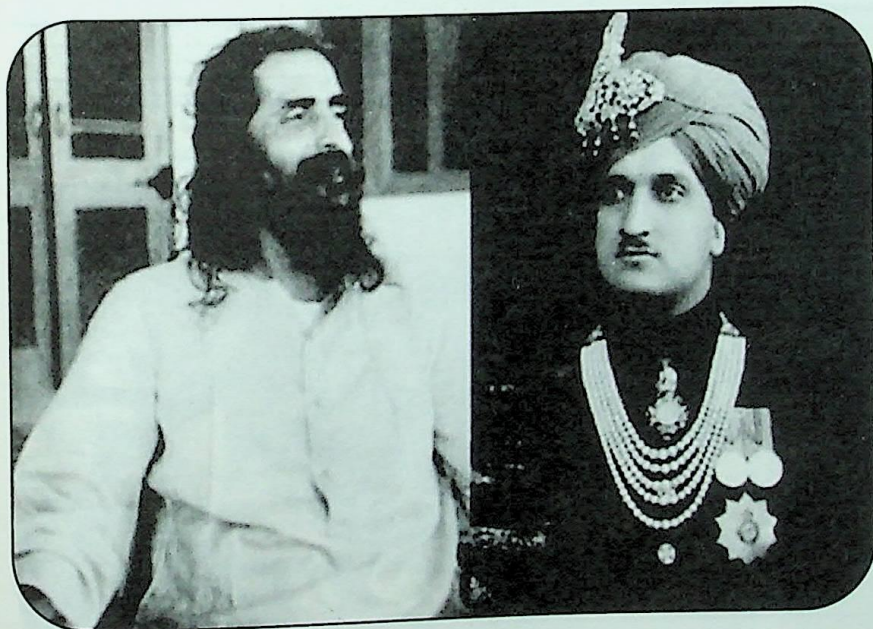
श्री अटल जी शेख अब्दुल्लाह के साथ
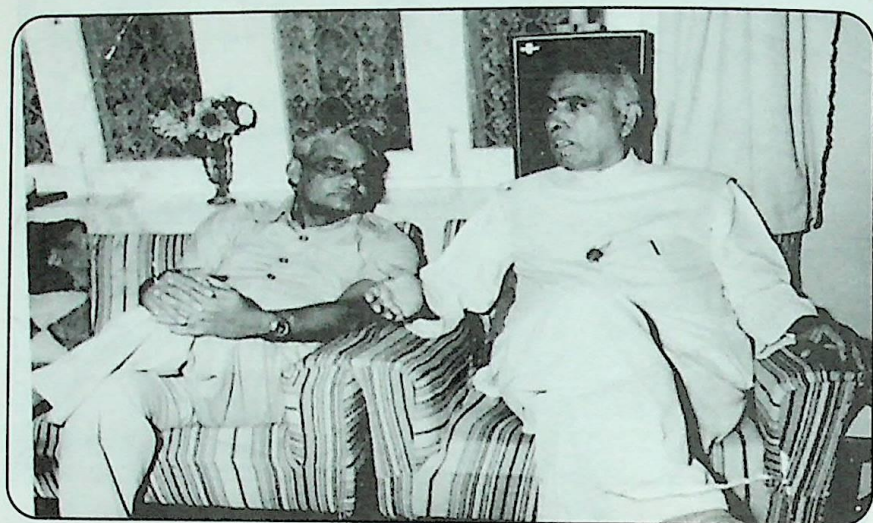
श्री रज्जू भैया जम्मू में

डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मरणोपरांत श्री अटल जी प्रजा परिषद् कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू में।
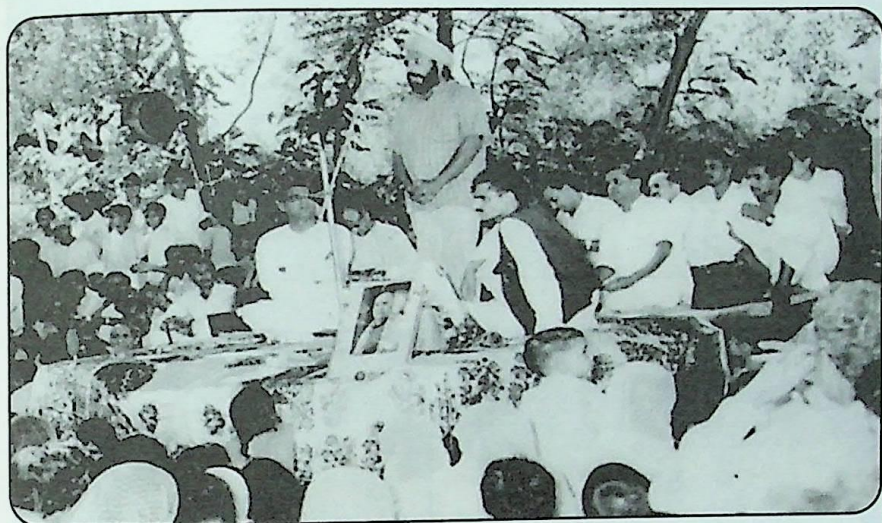
बलराज मधोक जी, अटल जी, राजमाता विजया राजेसिंधिया

## डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरु जी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं के साथ

बैठक के पश्चात प्रजा परिषद्
एवं भारतीय जनसंघ के नेता

श्री बलराज मधोक
श्री अटल जी के साथ

अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित जी 1954 में श्री देव प्रसाद घोष,
श्री रमा राव, जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष एवं
श्री दीन दयाल उपाध्याय ( महामंत्री ) जम्मू में

डा0 मुखर्जी अन्य नेताओं के साथ जम्मू व कश्मीर राज्य में प्रवेश करने से पूर्व
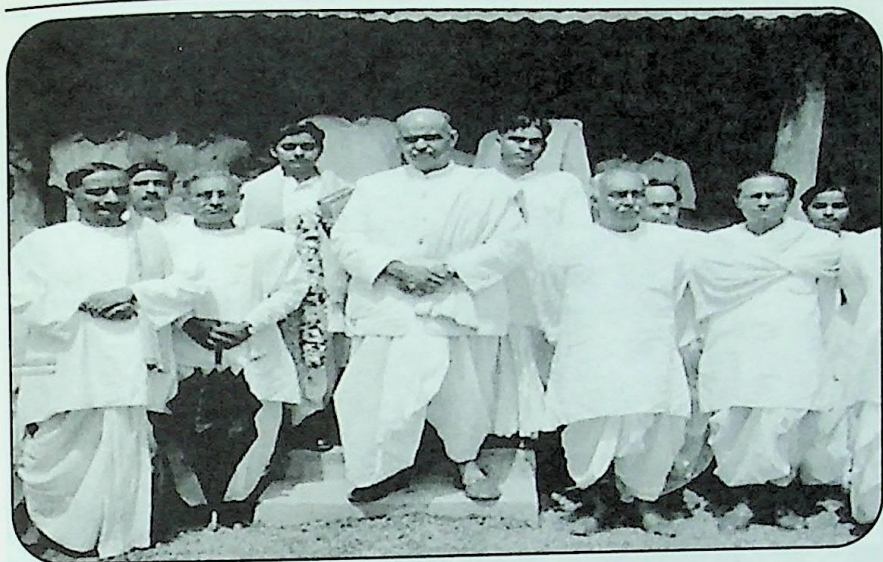
श्री गुरु जी के माता-पिता पं0 प्रेमनाथ डोगरा जी, श्री भगवत सरुप, श्री शाम लाल शर्मा, नरसिंह दास, युवा सुदेश गुप्ता एवं अन्य स्वयं सेवक चौथे दशक के अंतिम वर्षों में श्री माता वैष्णों जी की यात्रा के दौरान।
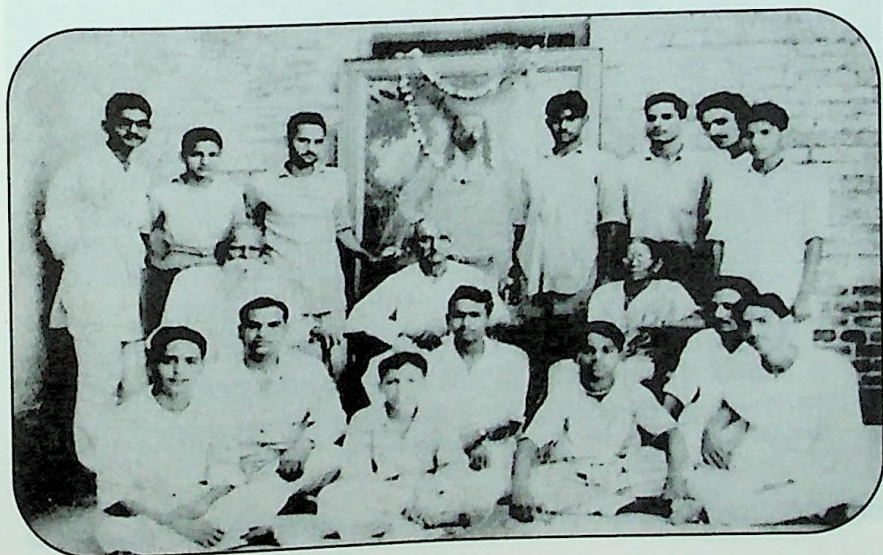
## श्यामा प्रसाद, शेख अब्दुल्लाह और बख्शी गुलाम मोहम्मद 10-05-1952 को, श्रीनगर में
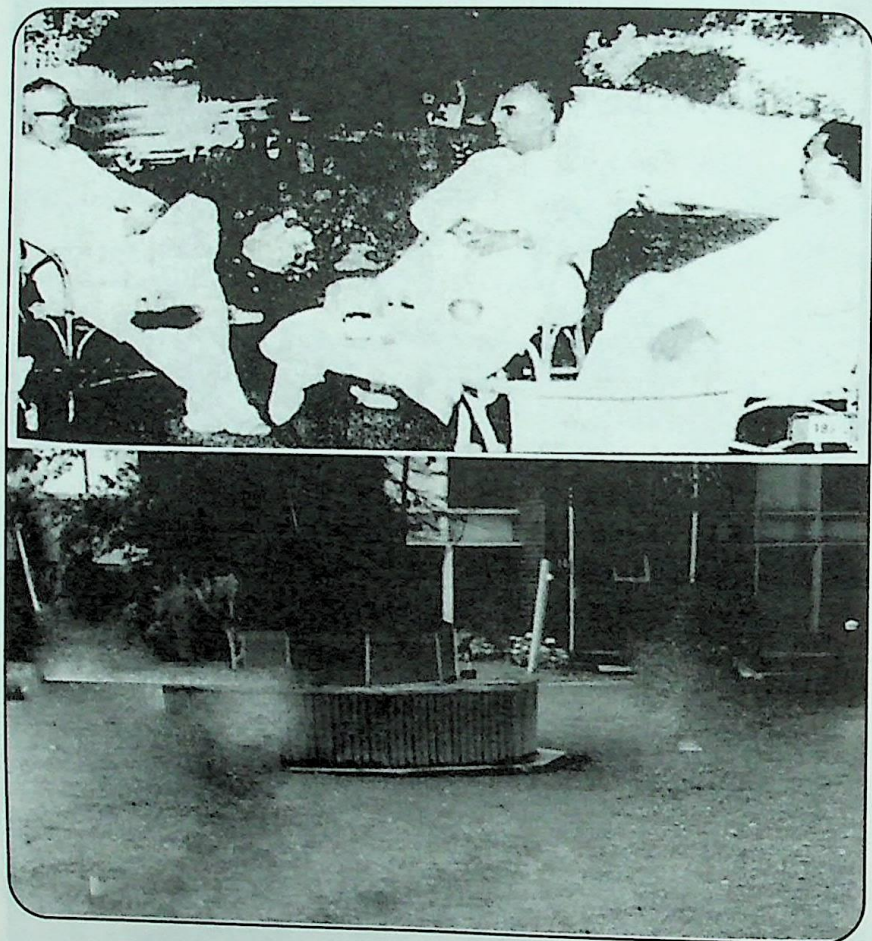
जिस घर में 10-05-1952 को डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शेख अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम महोम्मद के साथ वार्तालाप करते हुए देखे गए उसी घर में आज एक भा.ज.पा पार्टी के एक नेता रहते हैं।

## अटल जी सहित वरिष्ठ नेताओं की दुर्लभ तस्वीर
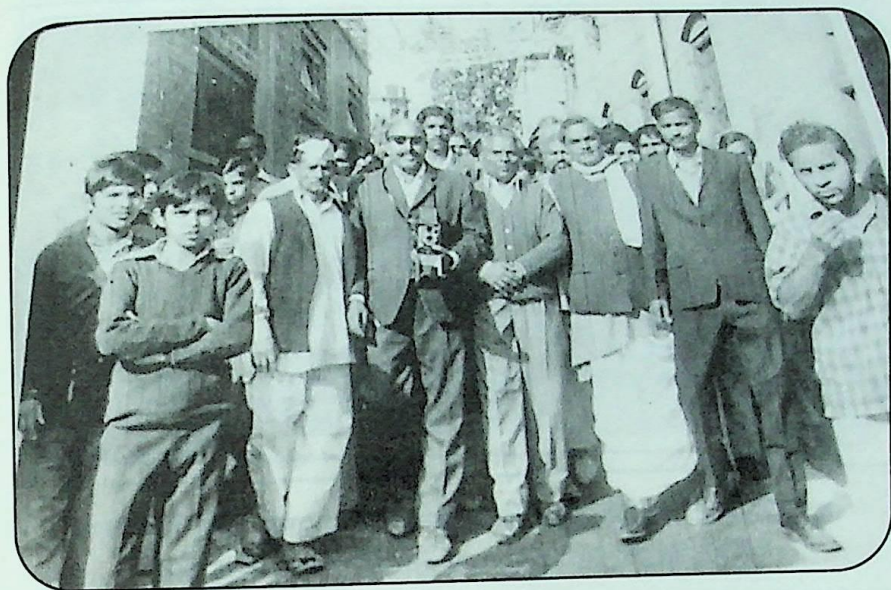
जनसंघ के पूर्व अध्यक्षगण श्री डी० पी० घोष, श्री प्रेमनाथ डोगरा, श्री पीताम्बर दास, श्री बलराज मधोक एवं श्री दीनदयाल उपाध्याय सहित आये प्रचारकगण श्री कुशाबाऊ ठाकरे, श्री केदारनाथ साहनी, श्री के० आर० मलकानी, श्री नानाजी देशमुख, श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री जगन्नाथराव जोशी, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी एवं श्री जगदीश माथुर

श्री लाल कृष्ण आड़वाणी जी, श्री धनराज बलगोत्रा, श्री कृष्ण लाल शर्मा, श्री अमर नाथ भांडा स्थानीय नेताओं के साथ जम्मू में

भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव चरण गुप्ता जनाना पार्क, जम्मू में भाजपा रैली में वैंकेया नायडू के साथ एक बिंदु पर चर्चा के दौरान
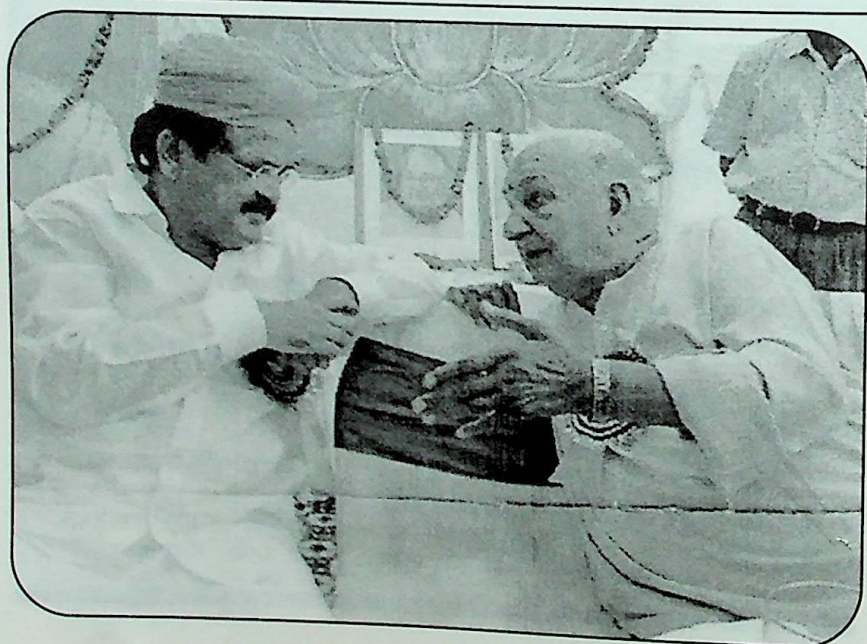
पं0 प्रेमनाथ डोगरा जी गुरु जी का स्वागत करते हुए

श्री प्रमोद महाजन जम्मू में सभा को संबोधित करते हुए
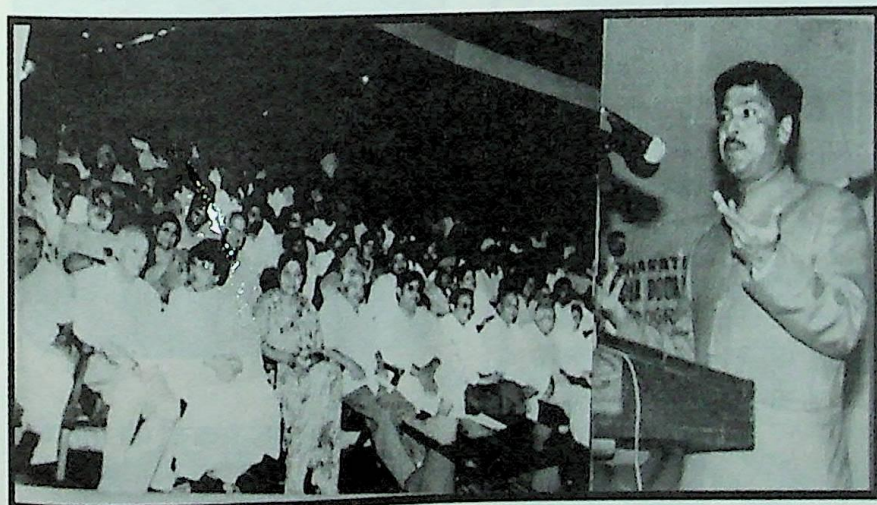
## दत्तों पंत ठेंगड़ी जम्मू में
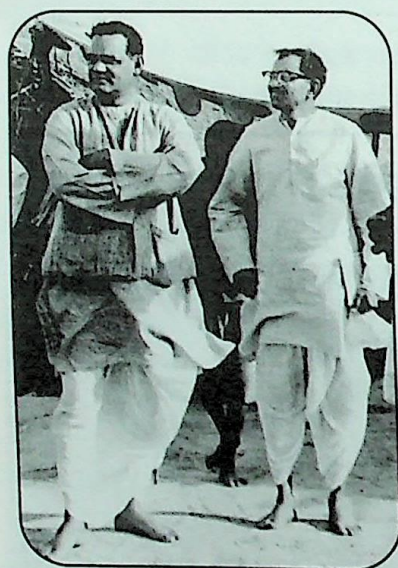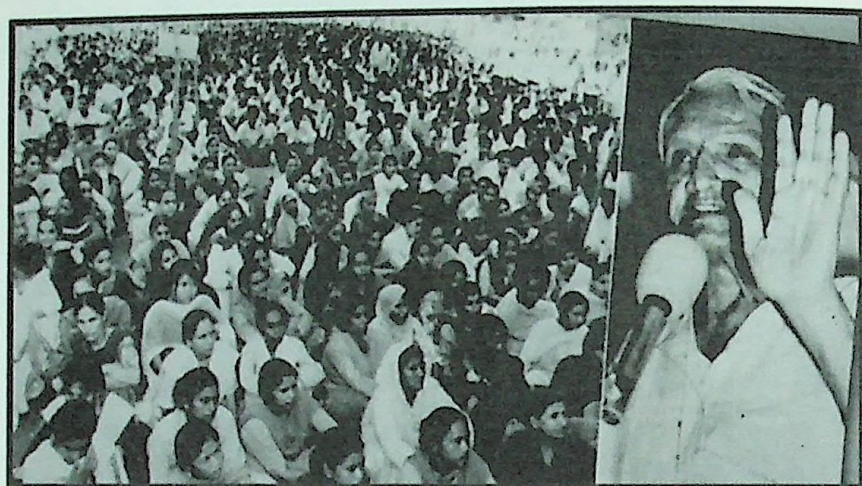
श्री अटल जी के साथ
पं. दीन दयाल उपाध्याय जी
जम्मू में
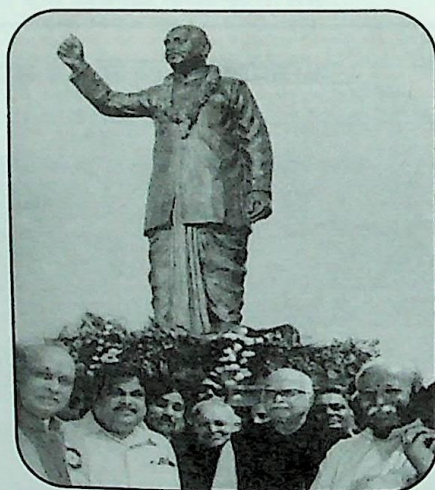
लखनपुर में डा0 मुखर्जी की मूर्ति के
समीप श्री लालकृष्ण आड़वाणी
मोहन भागवत जी,
नितिन गड़करी सहित अन्य राष्ट्रीय नेता

पं. जी राजौरी में मेघराज बाली और मुस्लिम नेताओं के साथ

स्थानीय नेताओं के साथ जम्मू प्रेस काँफ्रेंस में कुशा भाऊ ठाकरे जी
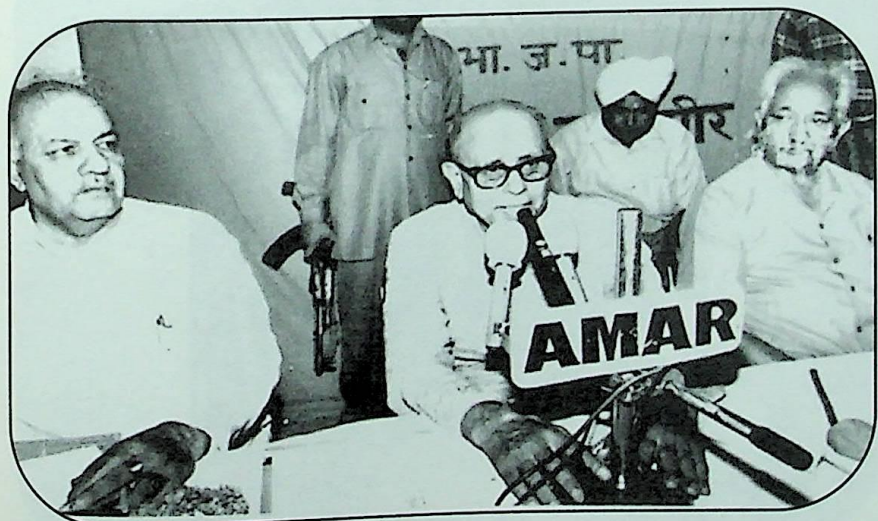
दोपहर के भोजन में जम्मू के नेताओं के साथ अटल जी
एवं लाल कृष्ण अड़वाणी जी

एक बड़ी रैली में भाषण देते हुए माता विजय राज्य सिंधिया
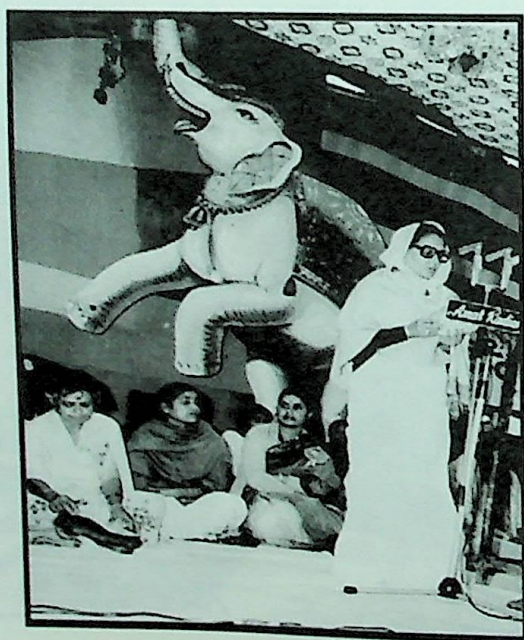
पं. जी अखनूर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान
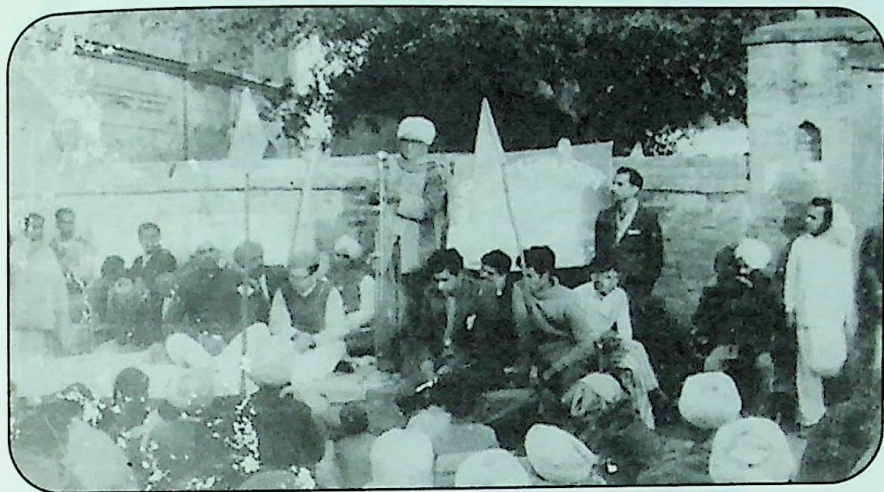
1952 में पं. जी ग्राम क्षेत्र का भ्रमण करते हुए

श्री मधुकर दत्तात्रेय देवरस जी ( तीसरे संघ प्रमुख )

जम्मू में श्री शाम सुंदर भाटिया जी के निवास स्थान पर

पं. प्रेम नाथ डोगरा, पं. दीन दयाल उपाध्याय और
ऋषि कुमार कौशल जम्मू में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान
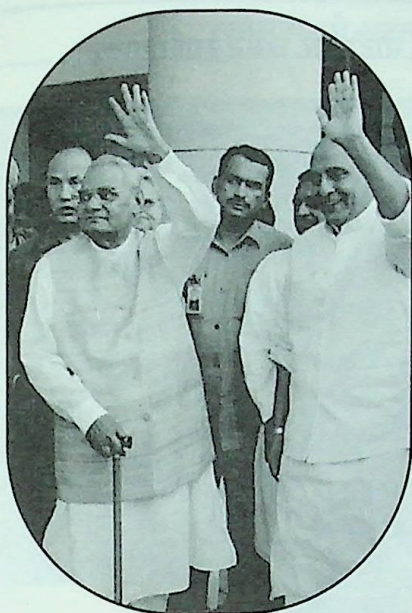
श्री अटल जी
राजनाथ सिंह जी के साथ

श्री लाल कृष्ण आड़वाणी जी
अटल जी के साथ उनके
निवास स्थान पर

श्री मुरली मनोहर जोशी; श्री नरेन्द्र मोदी, प्रो. चमन लाल गुप्ता
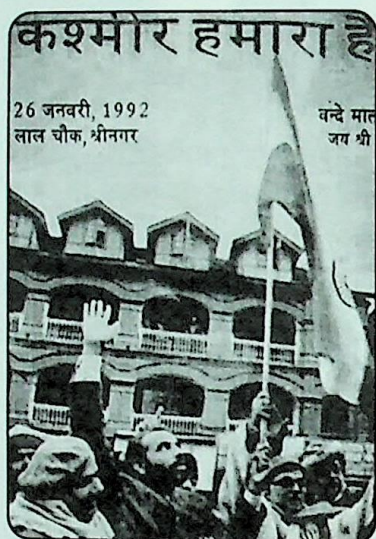
26 जनवरी 1992 में श्रीनगर के लाल चौक में ध्वजारोहण के दौरान

वर्ष 2003 को लेह में श्री आड़वाणी जी सिंधू दर्शन का उद्घाटन करते हुए

जम्मू में श्री अटल बिहारी वाजपेयी
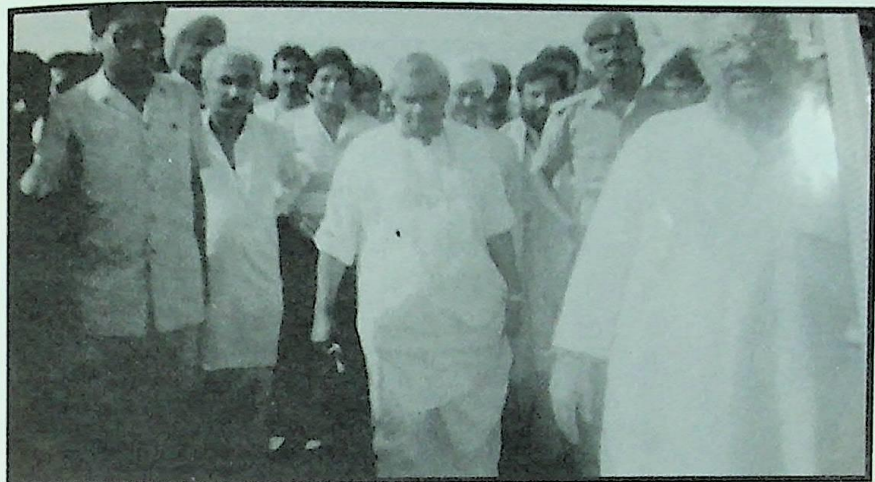
श्री लाल कृष्ण आडवाणी, श्री केदार नाथ साहनी,
श्री वैष्णवी, भागवत स्वरुप स्थानीय नेताओं के साथ
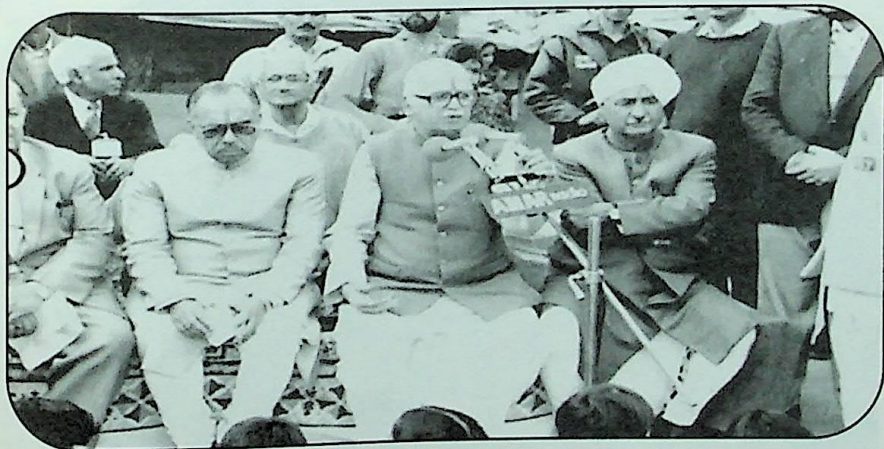
प्रो. चमन लाल गुप्ता के साथ सिकंदर बख्त

श्री सुरेन्द्र सिंह भंडारी के साथ नरेंद्र मोदी
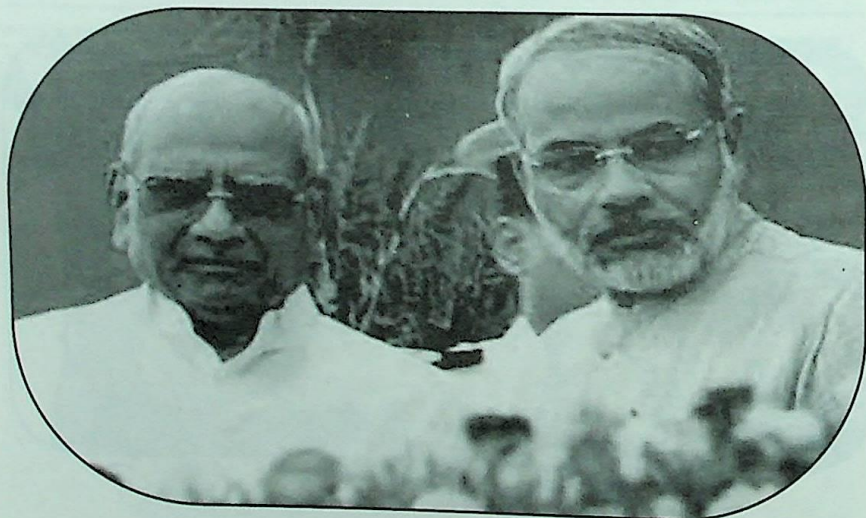
## श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जम्मू में अंतिम तस्वीर
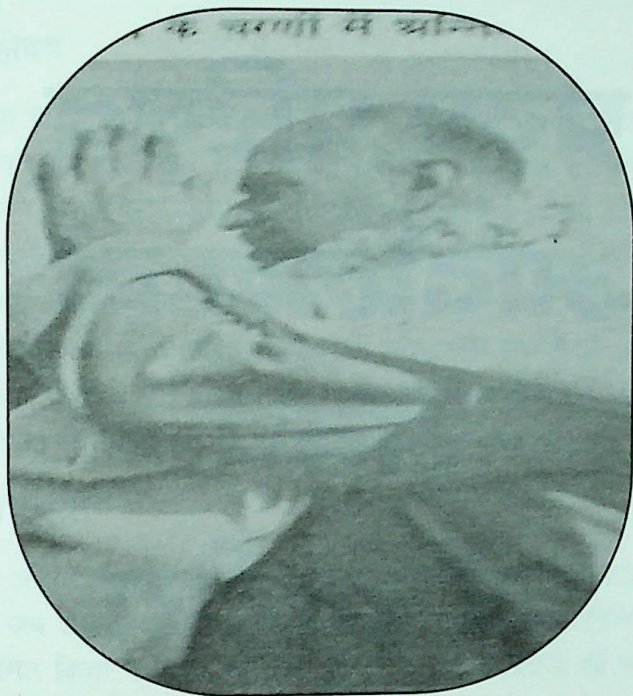
"भारत माता की जय" कहते हुए
डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जम्मू में अंतिम तस्वीर

## निशातबाग़ श्रीनगर के पिछले भाग में बनी एक छोटी कुटिया का चित्र जिसमें डॉ मुखर्जी को गिरफ्तार कर रखा गया था

# प्रजा परिषद् आंदोलन के संबंध में राष्ट्रीय नेताओं के कुछ महत्वपूर्ण भाषण

## श्री एन०सी० चटर्जी का भाषण (लोक सभा सदस्य)

### 26 जून 1952, लोकसभा में कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए।

### अध्यक्ष महोदय

अब तक भारत में कश्मीर के संबंध में स्वयं को एक आत्म निशेध अध्यादेश के तहत खुद को रखे रखा था। कुछ भी कहनें के लिए अनिच्छा की भावना थी जो पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रचार में सहायता कर सकती है। परंतु, श्रीमान दुर्भाग्य से, शेख अब्दुल्लाह के हालिया भाषणों में से कुछ जम्मू–कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रुप में हमें अपनें मन की बात कहनें के लिए मज़बूर करते है, विशेष रुप से कश्मीर संविधान सभा द्वारा पारित संकल्प हमें संवैधानकि स्थिति की समीक्षा करनें के लिए मज़बूर करते हैं और भारत सरकार और लोक सभा दोनों को स्वयं / अपनें आपको गंभीरता से संबोधित करना चाहिए जो अब हमारें सामनें है।

### सबसे बड़ा घपला

श्रीमान आलम कैंपबेल जॉनसन नें अपनीं पुस्तक "मिशन विद माउंट बैटन" में कहा है कि जब शेख अब्दुल्लाह को "लेक सक्सेस" में भारत का प्रतिनिधित्व करनें के लिए नामित किया गया था, तो उच्च स्तर पर बड़ी ही बेचैनी थी क्योंकि उन्हें "तेजतर्रार व्यक्तित्व" के रुप में जाना जाता था और जब एक तेजतर्रार व्यक्तित्व तेजतर्रार भाषण बनाता है तो सदैव कठिनाईयाँ आती ही हैं। महोदय हम यह मानते हैं कि हमारी सरकार नें कश्मीर मुद्धे पर बुरी तरह से एक घपला किया है। कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना ही सबसे बड़ा घपला था। हमारे बड़े नेता साम्राज्यवादीयों (जो स्वयं को भारत का मित्र कहते हैं) से ड़रकर उनके षड़यंत्रों का शिकार हो गए। जितनी शीघ्रता से हम संयुक्त राश्ट्र से बाहर निकलते हैं और इस समस्या को वापस ले लेते हैं तो भारत के लिए और कश्मीर के लिए उतना ही बेहतर होगा। महोदय, दूसरा घपला था "युद्ध विराम का आदेश"। जिस समय हमारी बहादुर सेना कश्मीर में चली गई थी और पाकिस्तान द्वारा समर्पित लुटेरों और हमलावरों का पीछा कर रही थी और पूरे क्षेत्र को हमारे बहादुर सैनिकों द्वारा खाली करवाया जा रहा था तो वह दुर्भाग्यपूर्ण "युद्ध विराम" आदेश पारित कर दिया गया।इसका परिणाम यह है कि कश्मीर का क्षेत्रफल जो कानून के अंतर्गत, संविधान के अनुसार और नैतिकता और न्याय के मुताबिक भारतीय क्षेत्रफल है और आज भी

इसका एक तिहाई भाग या उससे भी अधिक.... आज भी इन अवैध अतिक्रमनकारियों के गैरकानूनी कब्ज़े में है जो अभी इससे चिपके हुए हैं और हम निष्क्रिय मूक दर्शक बनें हुए हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

## एक दुखद प्रस्ताव (सुझाव)

तीसरा घपला, महोदय मेरी समझ में, भारत के इतिहास में सबसे दुखद बात जो घटित हुई वह थी "जनमत संग्रह" का प्रस्ताव। ऐसा सुझाव तो कभी भी नहीं दिया जाना चाहिए था। मैं कह सकता हूँ और पूरी इमानदारी के साथ यह कहता भी हूँ कि विधि के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत "भारत सरकार अधिनियम" की धारा–6 के अनुसार (जिसे बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के पश्चात संशोधित किया गया था)। भारतीय उपनिवेश / अधिराज्य के साथ विलय अंतिम एवं अपरिवर्तनीय था और इसमें "जनमतसंग्रह" का कोई भी प्रशन नहीं होना चाहिए था। जनमतसंग्रह के इस दुखद प्रस्ताव के कारण ही यह सब परिणाम हुए और हम आज एक गंभीर स्थिति से जूझ रहे हैं। भारतीय रक्त कश्मीर की घाटी पर बहाया गया था। भारतीय करदाताओं के 150 करोड़ रुपये वहाँ खर्च किए गए अभी इससे भी अधिक खर्च करना होगा और फिर भी हम घोर जंगल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इतना ही नहीं महोदय क्या यह अनिशिचित स्थिति के लिए और सांप्रदायिकता की दलालीं के लिए जिम्मेदार नहीं है, जो आज कश्मीर सरकार कर रही है, इसकी और देखें। शेख अब्दुल्लाह कहता है, "मैं कश्मीर के मुस्लिमों का सामना कैसे कर सकता हूँ? यह एक आश्चर्यजनक कथन है। जम्मू–व–कश्मीर के गरीब हिंदुओं के बारे में क्या, जम्मू के लोगों के बारे में क्या?

**श्री गुलाम कादिर ( जे.एण्ड.के ) : "कश्मीर में सांप्रदायिकता है, उस का आप के पास क्या साक्ष्य है ?'**

**विलय ( परिग्रहण ) अंतिम और अपरिवर्तनीय**

**श्री एन.सी. चटर्जी**:– महोदय, मुझे आशा है कि मैं अबाध रुप से चलूँगा (बोलूँगा)। मेरे आदरणीय मित्र की बारी भी होगी। महोदय हमें शेख अब्दुल्लाह से अलग दृढ़मत (रुख) की उम्मीद थी। जनमत के इस प्रस्ताव के कारण ही वह इस प्रकार की बातें कर रहा है, जिसे नहीं किया जाना चाहिए था। मैं यह कहता हूँ कि जनमत–संग्रह अंतिम और अपरिवर्तनीय है। हमारे संविधान के अनुसार भी कश्मीर भारत का

अभिन्न अंग हैं। अनुच्छेदः1 के अंतर्गत केन्द्र राज्यों के संघ से बना होता है और यह भाग–ख राज्य हैं। इस पर कोई भी मुकर नहीं सकता। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वहाँ की संविधान सभा जो कुछ भी कर रही है वह हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है। मुझे विदित है कि मेरे माननीय मित्र डॉ॰ काटजू संविधान के अनुच्छेद 370 की ओर ईशारा करवाएँगे। महोदय अनुच्छेद 370 स्वयं कहता है कि इस अनुच्छेद के उद्देश्य से राज्य सरकार का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसे मंत्री परिषद् को सलाह पर राष्ट्रपति जी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य का महाराजा (महाराजा की उद्घोषणा के अनुसार) नियुक्त किया गया हो।

महोदय! मेरे समक्ष, यह भारत की संविधान सभा को श्री गोपालस्वामी अय्यंगार ने 17 अक्तूबर 1949 को पढ़कर सुनाया था। महाराजा ने जिस उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए वह निम्नानुसार हैः–

मैं इस प्रकार से अध्यादेश देता हूँः–

1. मेरी मंत्रीपरिशद में प्रधानमंत्री और ऐसे अन्य मंत्री सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रधानमंत्री के परामर्श पर नियुक्त किया जा सकता है। मैं शाही वारंट द्वारा शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को एक मार्च 1948 के दिन प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ।

तत्पश्चात श्री गोपाल स्वामी अय्यंगार नें बताया कि उद्घोषणा ने एक और वाक्य इस प्रकार निर्धारित किया है। "प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, मंत्रीमंडल के रुप में कार्य करेंगे और संयुक्त जिम्मेदारी के सिद्वांत पर कार्य करेंगे।

## तथ्यों की विद्रूपिका

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह संपूर्णतयाः तथ्यों की विद्रूपिका है कि उन्हें एक आश्चर्यजनक वस्तु मिल गई है। यह आश्चर्यजनक वस्तु है कश्मीर की संवैधानिक सभा–निरंकुशता। या अत्याचार या किसी अत्याचारी के किसी असंवैधानिक शासन को समाप्त करके जो महाराजा के रुप में सिहासन पर बैठे थे। जैसे ही महाराजा जी द्वारा इस उद्घोषणा को प्रवर्तित किया गया तत्काल ही संविधान का अनुच्छेद 370 लागू हो गया और कश्मीर के महाराजा कुछ और नहीं बल्कि एक संवैधानिक शासक रह गए जैसे कि अन्य राज प्रमुख हैं और यह कहना पूर्णयताः गलत है कि वे महाराजा को हरानें या उनको नष्ट करनें जा रहे हैं और अद्भुत राज्य जम्मू–व–कश्मीर में लोकतंत्र में विजयी प्रगति प्राप्त की जा रही है।

परंतु, महोदय अनुच्छेद 366 के बारे में क्या? मैं अपनें सुरिक्षित दोस्त डा॰ काटजु को निवेदन करूँगा कि वह अनुच्छेद 366 को न भूलें। यह अस्थायी और संक्रमणकालीन ? प्रावधानों से निपटनें वाले अध्याय में नहीं है और न ही भाग 21 में। अनुच्छेद 366 खंड 21 में राजप्रमुख की परिभाशा है जो इस प्रकार हैः– राजप्रमुख का अर्थ हैः–

(क) हैदराबाद राज्य के संबंध में उस व्यक्ति को जो निशचित अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा हैदराबाद के निजाम के रुप में स्वीकृत किया गया हो।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य या मैसूर राज्य के संबंध में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के महाराजा के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

## संसद की संप्रभुता

अब यह हमारा संविधान है। मैं किसी विशेष राजा या महाराजा के लिए नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो भारत के गणतंत्र में सामंतवाद के किसी भी उलटफेर का समर्थन करेंगे। परंतु यह हमारा संविधान है और जम्मू–व–कश्मीर की संविधान सभा को भारतीय संसद की संप्रभुता, भारतीय गणतंत्र की संप्रभुता को पहचानना होगा और यह संविधान सर्पोपरि और जैविक कानून (विधि) है जिसे वह स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। यहाँ आप हैदराबाद के निज़ाम को कश्मीर के महाराजा और मैसूर के महाराजा के समान ही रखते हैं।

अपनें उन सभी को संवैधानिक शासक, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख बनाया है। संविधान में इस प्रकार का, खूँटा गाढ़नें का संविधान सभा के पास क्या अधिकार है और अपनीं एकतरफा कारवाई से यह घोषणा करती है कि सभा महाराजा के शासन को समाप्त कर देगी। यह नहीं हो सकता है। मैं सम्मान के साथ कहता हूँ कि शेख अब्दुल्लाह या पंड़ित ज्वाहरलाल नेहरु द्वारा इसे निपटाना होगा। यह संविधान के संशोधन द्वारा, यदि संभव हो तो द्विपक्षीय कारवाई द्वारा किया जाना चाहिए। इसलिए इस संसद को सर्वोच्च संप्रभु प्राधिकरण के रुप में अपना कार्य करते हुए इसे करना चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि उन्हें भारतीय संसद की संप्रभुता को पहचानना होगा। उन्हें यह मानना होगा कि संविधान सर्वोपारी कानून है जिसका कश्मीर की संविधान सभा अतिक्रमण नहीं कर सकती। वे इसके कानूनी अक्षरों एवं भावनाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। उन्हें संविधान के दायरे में कार्य करना चाहिए। यदि शेख–अब्दुल्लाह को होश में नहीं लाया जा सकता है, यदि वह गणतंत्र के लिए अड़िग हैं, तो भी क्या आपनें, "गणतंत्र के भीतर एक और गणतंत्र" के बारे में

सुना है? यदि हम ऐसा करनें की अनुमति दे भी देते हैं, तो कल कश्मीर विधानसभा यह भी कह सकती है, "हम भाग–ख राज्य का हिस्सा बनना बंद कर देंगे"। वे ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऐसा संविधान के अंतर्गत, निश्चयपूर्वक कहता हूँ। कल के पश्चात वे फिर आएंगे और कहेंगे, "हम तीन विशयों–रक्षा, संचार और बाहरी मामलों में भी भारत के साथ नहीं आएँगे। मैं यह निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, ऐसा करना हमारे संविधान पर एक आघात ही होगा।

## एक भयानक उदाहरण

एक बार जब आप इस संविधान के साथ छेड़छाड़ करनें की अनुमति देते हैं तो आप एक भयानक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होंगे। दूसरे राज्यों पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा और उनकी संवैधानिक स्थिति प्रभावित होगा। यदि यह संसद या भारत के प्रधानमंत्री या भारत सरकार, संविधान सभा या शेख अब्दुल्लाह को अपनीं होश में आनें के लिए प्रेरित नहीं कर सकती है, यदि वे कहनें के लिए दृढ़मत हैं, "हमारे पास अपना एक अलग झंड़ा होगा, हमारे पास राष्ट्रपति के रुप में एक निर्वाचित प्रमुख होगा। हम अनुच्छेद– 366 या संविधान के अन्य प्रावधानों को मान्यता नहीं देने जा रहें हैं"। इसका सीधा अर्थ इस संसद की शक्तियों का हनन होगा।

महोदय, मुझे समय नहीं मिला है, अन्यथा मैं इसे संविधान से पढ़ सकता था। शासकों को समाप्त करने के लिए इस संसद की विधायी शक्तियों का यह निश्चित ही हनन हैं। "विलय प्रपत्र" में सरकार द्वारा प्रदत्त प्रतयाभूमि/गारन्टी को हानि पहुँचाने हेतु या शासकों को समाप्त करने हेतु कोई भी राज्य विधापिका यहाँ तक कि संसद भी अपनी विघायी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कानून नहीं बना सकती है ऐसा प्रावधान है। कुछ निश्चित दस्तावेजों द्वारा गारंटी और आश्वासन भारतीय राज्यों के शासकों को दिए गए हैं और हमें उन प्रतिज्ञायों को लागू करना होगा। क्या आप, इस संसद के संसद के सदस्य के रुप में, इस सरकार को, जो पहले से ही इस संविधान की भावना का उल्लंघन कर रहे हैं) इस संविधान के विरुद्ध कुछ करने दोगे? वे ऐसा नहीं कर सकते। परंतु यदि वे संविधान सभा को, "गणतंत्र के भीतर एक और गणतंत्र एवं अपना अलग ध्वज (झंडा) अपनाने वाले दृढ़संकल्प को छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकतें है और संविधान सभा यह कहने के लिए दृढ़संकल्पित हैं कि "हम भारत के लोगों को भारत के साथ पूर्ण विलय और उनकी आत्मनिर्भरता

की वैध अभिव्यक्ति की अनुमति नहीं देंगे, तो महोदय मैं यह प्रस्तुत करता हूँ कि जम्मू व कश्मीर के प्रतिनिधियों की रक्षा संचार और बाहरी मामलों के इन तीन विषयों को छोड़कर अन्य किसी भी विषय पर चर्चा करने या मतदान में भाग लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। उन्हें हमारे आंतरिक मामलों में भाग लेने का क्या अधिकार है?

## विशमता

महोदय, मुझे स्मरण है, "ब्रिटिश हाऊस ऑफ कामन्स" में "आयरिश बहस" पर जब आयरलैंड केवल रक्षा और विदेश मामलों जैसे कुछ विषयों के संबंध में ''ग्लैडस्टोन के होम रुल बिल के तहत 'विलय' कर रहा था तो यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी आयरिश सदस्य इन दो विषयों को छोड़कर अन्य विषयों पर सदन में नहीं बैठ सकते हैं और न ही वोट कर सकते हैं। महोदय, यह एक विषमता है जिसका सामना किया जाना चाहिए। मैं आपके लिए, ''सर्वेन्टस ऑफ इंडियन सोसाईटी'' के एक प्रतिठित सदस्य, श्री कोदड़ शव द्वारा दिया गया एक बहुत ही विचारणीय संबोधन, पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लिखा है किः—

''..... यदि महाराजा के ड़ोगरा प्रशासन पर काले धब्बे थे तो निजाम की रज़ाकार सरकार पर उनसे भी अधिक काले धब्बे थे। भारत को तो, कश्मीर को बाहरी शत्रुओं, हमलावरों और पाकिस्तान से बचाने के लिए लड़ना ही था। भारत को हैदराबाद से लड़ना पड़ा ताकि उसे आंतरिक शत्रुओं, निज़ाम और उसके रज़ाकारों से बचाया जा सके। वास्तव में यदि महाराजा पद्च्युत करने योग्य हैं तो निश्चित हो निजाम उनसे भी अधिक, असिमित कार्यवाही के हकदार थे। परंतु फिर भी महाराजा को पद्च्युत किया गया, जबकि निज़ाम को राजप्रमुख बनाया गया। जबकि भारत सरकार शत्रुतापूर्ण निज़ाम के प्रति उदासीन रही, जिसने उन्हें ललकारा (उनका विरोध भी किया) और मित्रवत महाराजा, जिन्होंने उनसे अपनी सुरक्षा की माँग की थी, उनके प्रति अभिप्राय (कमीनापन) रखते हैं।

## निज़ाम और महाराजा

महोदय, वह एक ऐसा व्यक्ति है, जो अपने शब्दों को तोलता है। भाषा मज़बूत एवं उग्र (तीखी) है। परंतु मैं यह कहता हूँ कि यह स्थिति का यर्थाथ वर्णन है। आप

देश का सामना कैसे करेंगें और कहेंगे कि आप निजाम को राजप्रमुख के रूप में अनुच्छेद–366 खंड़–21 के अनुसार और शेख–अब्दुल्लाह और उनकी संविधान–सभा की इस एकतरफा कारवाई को कश्मीर के वंशानुगत शासक को समाप्त करने के लिए कैसे सहन करेंगे? आप इसे संविधान के तहत नहीं कर सकते हैं और इसे यहाँ किसी भी शक्तिशाली व्यक्तितव पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसे बाहर फैंक दिया जाना चाहिए। परंतु यदि वे ऐसा करते है, तो मैं यह कहता हूँ कि उनके प्रतिनिधियों को इस संसद में कार्य करने की अनुमति न दी जाए और न ही उन्हें भारत के आंतरिक प्रशासन से संबंधित किसी भी संभव एवं असंभव विषय पर चर्चा और वोटों में भागीदारी करने की अनुमति दी जाए। यह सबसे अनुचित होगा और इससे बर्दाशत नहीं किया जाना चाहिए।

## संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करो

महोदय! अंत में, मैं कहूँगा कि इस ध्वज के प्रश्न को अलग नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूँ कि शेख अब्दुल्लाह विभिन्न अवसरां के अनुरूप विभिन्न प्रकार की गर्मजोशी और वाकपटुता के भाषण देते रहे हैं। नवीनतम प्रसारण ने उनके पिछले कुछ अंधाधुंध बयानों को मन्द कर दिया है। हम इसके लिए आभारी हैं।

परंतु, महोदय क्या आप किसी भी राज्य को अपना अलग झंड़ा रखने की अनुमति देने जा रहे हैं? क्या यह संघ के प्रति, हमारे ध्वज के प्रति, हमारे पवित्र ध्वज के प्रति, जो कि भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, के प्रति दुर्भावना की अभिव्यक्ति नहीं है? क्या आप इसे बर्दाश्त करने जा रहे हैं? और क्या आप अन्य सभी राज्यों को अपने स्वंय के अलग झंड़े लगाने की अनुमति देगें? भारत का संविधान कहता है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगा और अन्य कोई भी राज्य का प्रमुख नहीं होगा। अन्य घटक संघ की इकाइयों में राजप्रमुख के रूप में या राज्यपाल के रूप में नामांकित प्रमुख होंगे। अन्य कोर्ट और भारत या उसकी घटक ईकाइयों का निर्वाचित प्रमुख नहीं होगा। क्या आप संविधान के पत्र (शब्दावली) की अवहेलना करने, हमारे संविधान् की मूलभूत योजना/भावना की अवहेलना करने में कश्मीर को अपने ढंग से जाने देंगे? मुझे उम्मीद है कि ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महोदय, इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह एक निरंकुश राजतंत्र के परिसिमन का प्रश्न है। यह पहले से ही विघटित हो चुका है, अंततः विखंड़ित। इस बात पर

कोई प्रश्न नहीं है कि कश्मीर में किसी के गंभीर ज्ञान से अतयाचार या निरंकुशता का सफाया हो रहा है। यह पहले से ही किया जा चुका है। यह एक बंद अध्याय हे। महोदय, प्रधानमंत्री और डॉ. काटजू से मेरी अपील है कि इस संविधान के साथ छेड़छाड़ या इसे धीरे–धीरे समाप्त करने की अनुमति न दें। इन विघटनकारी शक्तियों को यह कहते हुए अपना कार्य संचालित करने की अनुमति न दें कि उनके पास अपना एक अलग ध्वज होगा या अन्य भाग–ख राज्यों की भांति उन्हें समानता नहीं होगी या उनके पास अपना एक निर्वाचित राष्ट्रपति होगां यह एक भयानक नवाचार है। उसको इसे बर्दाशत नहीं करना चाहिए। यह भारत के प्रति सच्ची निष्ठा नहीं दिखाएगा। हमारी भविष्यवाणी क्या है? भारत ने 150 करोड़ रूपये से भी अधिक खर्च किए हैं और कितना ही भारतीय रक्त कश्मीर की घाटीयों में बहाया गया है। ऐसा ही किया जाता रहा है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार हम बदले में नहीं चाहते। तत्पश्चात, हमें यह कहना ही होगा, "अकृतज्ञ, तेरा नाम कश्मीर है" जिसे बर्दाशत नहीं किया जाना चाहिए। उस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री और हमारे राज्यों के मंत्रीयों को इस प्रकार के अतिक्रमणों से निपटने के लिए दृढ़ होना चाहिए, जो हमारे संविधान पर एक वीभत्सता है। जो देश के सर्वोच्च जैविक कानून एवं सम्मानजनक दस्तावेज की प्रक्षुबधता है।

## 'डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिनांक 7 अगस्त 1952 को लोकसभा में की गई बहस"

## "कश्मीर का विवाद"

मैं प्रधानमंत्री जी से सहमत हूँ कि कश्मीर का विवाद अत्याधिक जटिल है और हम में से प्रत्येक, चाहे जो कुछ भी उसका दृष्टिकोण हो, को इस समस्या का सामना रचनात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए। मैं इस विचार को सांझा नहीं कर सकता कि हम उस योजना को स्वीकार करके एक नया स्वर्ग और एक नई धरती बना रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर सदन के समक्ष रखा गया है। प्रशन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक कश्मीर से उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं से संबंधित है और दूसरा उन व्यवस्थाओं से संबंधित है जो कश्मीर के भविष्य के संविधान के बारे में कश्मीर और हम सब के बीच की हैं। यह कहा गया है कि एक वादी (समर्थक) था जब कश्मीर विवाद को UNO को संदर्भित करने के लिए

निर्णय लिया गया था.... यह एक स्पष्ट तथ्य हे। मुझे कोई अधिकार नहीं है और मैं उन असाधारण परिस्थितियों का खुलासा (वर्णन) नहीं करना चाहता जिसके अंतर्गत वह निर्णय लिया गया था और भारत सरकार को इस अवसर पर कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, परंतु यह सामान्य ज्ञान की बात है कि हमें उचित उपचार नही मिला जैसा कि हमने उससे अपेक्षा की थी। हम परिग्रहण (विलय) के प्रश्न के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास नही गए थे क्योंकि परिग्रहण (विलय) तब एक स्थापित तथ्य था। हम वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ में हमलों (आक्रमणों) के बारे में त्वरित निर्णय लेने के उद्देश्य से गए थे, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे थे जिनके पीछे पाकिस्तानी सरकार थी। हमलावरों ने केवल किसी और की ओर से कारवाई की ... बताऊँ कैसे, जहाँ तक UNO से कश्मीर मामले पर विचार का संबंध है। हमें स्वंय को वापस कर लेना चाहिए। हम उन्हें सम्मानपूर्वक UNO को बता सकते हैं कि हमारे पास संयुक्त राष्ट्र में बताने के लिए पर्याप्त संख्या है और अब हम अपने स्वंय के प्रयासों के माध्यम से विचार करने और इस मामले को निपटाने की कोशिश करते हैं। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से हट जाना चाहिए। एकमात्र मामला जिसके बारे में अभी भी विवाद है, वह है, शत्रु द्वारा किया गया कब्जा (अतिक्रमण)।

प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वह हिस्सा वहाँ है। यह राष्ट्रीय अपमान की बात है। हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है। ऐसा ही है। इसलिए भारत का एक हिस्सा आज शत्रु के अधिकार में है और हम असहाय हैं। हम शांति प्रेमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। परन्तु शांति–प्रेमी शत्रु के कब्जे में है? बेशक प्रधानमंत्री ने कहा ''इस प्रकार दूर और आगे नहीं''। यदि हमलावर कश्मीर के किसी भी हिस्से में घुस जाते हैं, तो भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध होते हैं।

क्या इस क्षेत्र को वापस लेने की संभावना है, हम इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के माध्यम से प्राप्त नहीं करेंगे। हम इसे पकिस्तान के साथ बातचीत के माध्यम से शन्तिपूर्ण तरीकों से प्राप्त नहीं करेंगें। इसका अर्थ यह है कि हम इसे खो देते हैं। जब तक कि हम बल का प्रयोग नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें तथ्यों का सामना करना चाहिए–क्या हम इसे खोनें के लिए तैयार हैं?

यह कहा गया है कि संविधान में कुछ प्रावधान है कि हम उन प्रतिज्ञाओं से बंधे हैं जो उसमें दी गई हैं। प्रतिज्ञाएँ? निसंदेह, इतनी सारी प्रतिज्ञाएँ हमनें दी हैं। हमने

हैदराबाद को प्रतिज्ञा दी थी। क्या हमनें नहीं कहा कि वहाँ हैदराबाद के लिए संविधान सभा होनी चाहिए? यह हैदराबाद को विधान सभा द्वारा तय किया गया था। परंतु क्या हैदराबाद पहले से ही भारतीय संघ का हिस्सा नहीं? हमनें उन सभी राजकुमारों को भी Pledges दीं जिन्हें हम आज अलग–अलग रूपों में कर्ज़ चुका रहे हैं। यदि हम पूर्वी–बंगाल में अल्प–संख्यकों को दी गई Pledges की बात करें तो वह सब स्वतंत्रता प्राप्ती के बाद दी गई हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगले दिन यहाँ तक कह दिया कि यदि कश्मीर का भारत के साथ विलय न भी हुआ होता और कश्मीर पर आक्रमणकारीयों द्वारा आक्रमण किया जाता तो भी मानवीय आधार पर भारतीय सैना कश्मीर की ओर कूच करती और संकट ग्रस्त एवं दबे–कुचले लोगों की रक्षा कर सकती थी। मुझे गर्व महसूस हुआ। परंतु यदि मैं ऐसा ही वक्तत्य देता हूँ–जिनके बलिदानों से कुछ हदतक आज़ादी प्राप्त की जा सकती है तो मैं सांप्रदायीक हूँ, मैं प्रतिक्रियावादी हूँ, मैं एक युद्ध चाहनें वाला हूँ। Pledges निसंदेह Pledges दी गई हैं। मैं भी इस बात से चिंतित हूँ कि Pledges का सम्मान और आदर किया जाना चाहिए। Pledges का क्या स्वरूप था?

हमनें कश्मीर के लिए कोई भी नवीन प्रतिज्ञा नहीं दी है। हमें इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। जब अंग्रेज भारत से लौट गए तो, व्यवस्था क्या थी जिसे हमनें स्वीकार किया? वहाँ था ''भारतीय भारत'' जो भारत और पाकिस्तान में विभाजित था और वहाँ था, यदि मैं इसे कह सकूँ तो ''राजसी भारत'' उन पाँच सौ शासकों में से प्रत्येक को सैद्धांतिक स्वतंत्रता मिली और उन्हें भी केवल तीन विषयों के संबंध में भारत में प्रवेश की आवश्यकता थी। जहाँ तक बाकीयों का संबंध था वह विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक था। यही तरीका अंग्रेज सरकार से स्वीकार किया था। जहाँ तक 498 राज्यों का संबंध था, वे भारत के साथ आए 14.08.1947 को, केवल तीन विषयों के संबंध में, परंतु फिर भी वह विलय (परिग्रहण) था पूर्ण परिग्रहण। बाद में, वह इन सभी विषयों के संबंध में भी आ गए और धीरे–धीरे हमारे द्वारा पारित भारत के संविधान में अवशोषित हो गए थे। कश्मीर के संबंध में, जिन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए, जैसा, वस्तुत हम सोच रहे हैं, मान लो उसी प्रकार से कुछ और अन्य राज्यों द्वारा उसकी माँग की जाती है तो क्या हम इसे देने के लिए सहमत होंगे? हमें नहीं लगता क्योंकि इससे सारा भारत नष्ट हो जाएगा। परंतु उन समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग दृष्टिकोण था। उन्हें यह महसूस करवाया गया था कि भारत के हित में, उनके हित में, पारस्परिक प्रगति के हित में, उन्हें इस संविधान को स्वीकार

करना होगा और उसकी संरचना में राष्ट्रीय स्तर पर समाहित होने के लिए विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। कोई जवरदस्ती नहीं, कोई मजबूरी नहीं। उन्हें यह महसूस कराया गया था कि वे इस संविधान से जो चाहते हैं, वह प्राप्त कर सकते हैं।

क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या शेख अब्दुल्ला इस संविधान के पक्षकार नही थे? वह संविधान सभा के सदस्य थे, परंतु वह विशेष दर्जे (उपचार) के लिए कह रहे हैं। क्या वह 497 राज्यों सहित शेष भारत के संबंध में इस संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थे। यदि यह (संविधान) उन सभी के लिए पर्याप्त है तो कश्मीर में उनके (शेख अब्दुल्लाह के लिए) क्यों अच्छा नहीं होना चाहिए?

हमें संविधान के प्रावधान का हवाला दिया गया है। विहार से सदस्य.... ने कहा कि वहाँ पर एक मजबूरी होने जा रही है कि हम जम्मू–व–कश्मीर के मस्तक पर यह कहते हुए पिस्तौल रखने जा रहे थे कि उन्हें हमारी शर्तें माननी चाहिए।

इस प्रकार से मैंने कुछ भी नहीं कहा है। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? संविधान में हमने क्या प्रावधान किया है? अनुच्छेद–373 – इसे पढ़े और श्री गोपालस्वामी अय्यंगार का भाषण पढ़ें जब उन्होंने उस असाधारण प्रावधान को अपनानें के लिए दबाब डाला, तब क्या स्थिति थी? अन्य सभी राज्य दृश्य में आ गए। कश्मीर विशेष कारणों से नहीं आ सका। वे थे–पहली बात, मामला सुरक्षा परिषद के हाथ में था, दूसरी बात–वहाँ युद्ध था, तीसरी बात–कश्मीर क्षेत्र का एक हिस्सा शत्रु के हाथों में था और अंत में एक आश्वासन गढ़नें और कश्मीर के लोगों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए जनमत संग्रह करवाने की अनुमति दी गई थी। वे कारक थे जिन्हें अभी भी पूरा किया जाना था और इसलिए एक स्थायी निर्णय नहीं लिया जा सकता था। यह एक अस्थायी प्रावधान था।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने स्वयं और कश्मीर सरकार से भी यह उम्मीद जताई थी कि जम्मू–व–कश्मीर भारत को उसी प्रकार आत्मसमर्पण करेगा जैसा कि अन्य राज्यों ने किया है और संविधान के प्रावधान को स्वीकार किया है। यह हमारी ओर से मज़बूती का प्रशन नही है। भारत का संविधान यह नहीं कहता है कि जम्मू–व–कश्मीर की संविधान सभा जो भी मांगेगी वह भारत देगा। वो काई प्रावधान नही है। प्रावधान है–सहमती, इकरारनामा। आज कुछ प्रस्ताव बनाए गए हैं। हममें से कुछ उन्हें पसंद नही करते। हम क्या करने के लिए हैं? यदि हम बात करें तो हम प्रतिक्रियावादी हैं, हम सांप्रदायिक हैं, हम शत्रु हैं। यदि हम चुप रहते हैं

और यदि एक साल बाद कोई तबाही आती है, तो आप इसके पक्ष में थे, आपने इसे बरकरार रखा था, इसलिए आपको यह कहने से रोक दिया जाता है।

मैं सबसे ज्याद चिंतित हूँ, किसी और की ही भांति चिंतित हूँ कि हमारा कश्मीर के साथ एक सम्मानजनक, शांतिपूर्ण समझौता होना चाहिए। मुझे उस महान प्रयोग की अनुभूति है जो कश्मीर की धरती पर हो रहा है। विभाजन ने कोई सहायता नहीं की। मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ निरंतर कष्ट हो कष्ट चल रहे हैं। हम हर दिन, हर घंटे विभाजन के दुखद प्रयासों, इस राष्ट्रीय समस्या को संकीर्ण, अलगाववादी और सांप्रदायीक दृष्टिकोण से देखनें की दुखद संभावनाओं को महसूस करते हैं।

एक लंबे अंतराल से हमने शेख–अब्दुल्लाह की नीतियों के विरूद्ध एक थी शब्द क्यों नहीं बोला हैं? मैं बोल सकता था। लगभग ढ़ाई वर्ष पूर्व में इस सरकार से बाहर आया था। दूसरी ओर, मैं उन सभी बातों का समर्थन करता हूँ, जो भी मैंने सार्वजनिक रूप से कश्मीर सरकार की नीति के संदर्भ में कही थी। मैंने कहा कि यह एक बड़ा प्रयोग था, जो चल रहा था और हमें चुप रहना होगा और देखना होगा कि इस प्रयोग को सफल बनाया गया है या नहीं। हमें यह सिद्ध करने में सक्षम होना होगा कि भारत केवल सिद्धांत में ही नहीं बल्कि वास्तविकता में भी एक ऐसा देश है। जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और हर कोई बिना किसी भय के और अधिकारों की समानता के साथ रह सकेगा। कुछ ऐसा ही संविधान हमनें बनाया है और जिसे हम सख्ती और निष्ठा से लागू करने का प्रस्ताव देते हैं। यहाँ और वहाँ इसके विपरीत कुछ माँगे हो सकती हैं। परंतु उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नही है। जब कभी भी नीति के कुछ मामलों पर आक्रमण किया जाता है तो यह निश्चित ही है कि कुछ संकीर्ण एवं सांप्रदायिक धारणाएँ हमें बढ़ावा दे रहे होते हैं। बल्कि यह डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। यह भय है कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं, उससे भारत का वल्कनीकरण हो सकता है, उन लोगों के हाथ मजबूत हो सकते हैं जो एक मजबूत एवं एकीकृत भारत नही देखना चाहते हैं, जो ऐसा नही मानते हैं। भारत एक राष्ट्र है परंतु अलग–अलग राष्ट्रीयताओं का मेल है। यही भय है।

अब ऐसा क्या है जो शेख अब्दुल्लाह नें माँगा है? उन्होंने संविधान के किए जाने वाले कुछ बदलावों के लिए कहा है। हमें ठंड़े दिमाग के साथ बिना किसी गर्मी या उत्तेजना के साथ सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने दें। आइए हम उनमें से प्रत्येक की जाँच करें और उसे पूछने के साथ–साथ स्वयं से भी पूछें। यदि इन सभी मामलों के संबंध में हम एक भत्ता (कोष) बनाते हैं तो क्या हम भारत को हानि पहुँचाते हैं? क्या हम

कश्मीर को मज़बूत करते हैं? यही मेरा दृष्टिकोण होगा। मैं आँख बंद करके कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि यह इस पुस्तक अर्थात भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों को बदल देता है। मैं ऐसा नहीं करुंगा। यदि शेख अब्दुल्लाह के यहाँ आनें पर प्रधानमंत्री जी हमसे से कुछ को विपक्ष में भेज देते तो उनके उस प्रयास को मैं पसंद करता। वह आज अपनें फैसलों से हमारा सामना करता है। मुझे ये सार्वजनिक चर्चाएँ पसंद नहीं है क्योंकि मुझे पताहै कि उनके अप्रत्यक्ष परिणाम कुछ ही तिमाहियों में वांछनीय नहीं हो सकते हैं। हो सकता है उसनें हमारे सुझावों को स्वीकार न किया हो, परंतु इस प्रशन पर हममें से जो लोग प्रधानमंत्री के रवैये से अलग राय रखते हैं उनसे मिलना मुझे अच्छा लगा होगा।

मैं उनसे एक निजी मुलाकात में मिला था और हमनें पूर्णरुप से खुलकर चर्चा की थी। लेकिन हमें शेख अब्दुल्लाह और अन्य लोगों से एक मैत्रीपूर्ण वातावरण में मिलना पसंद आया ही होगा और हमनें उन्हें अपनी बात समझाई। हम एक समझौते पर आना चाहते हैं, एक समझौता जो भारत के लिए आनी एकता और कश्मीर को पाकिस्तान से अलग अस्तित्व बनाए रखनें और भारत के साथ विलय करनें के लिए मार्ग सुगम (संभव) बना देगा।

मुसीबतें कब से प्रारंभ हुई? चलो इस विवादस्पद रुप में देखें। चूँकि शेख अब्दुल्लाह कुछ समय पहले पेरिस से लौटे थे, इसलिए उनके द्वारा ब्यान दिए जानें लगे जो हमें परेशान करते हैं। तब भी हम बोल नहीं पाए थे। जब वह विदेश में एक साक्षातकार दे रहे थे तो उस समय उन्होंने स्वतंत्र कश्मीर के संदर्भ में अपनें व्यापक दृष्टिकोण के बारे में पहला ब्यान दिया था।

जब बह वापस आए तो उन्होंनें इसे प्रवर्धित करते हुए, पिछले कुछ महीनों के दौरान परेशान करने बाले ब्यान देना प्रारंभ कर दिए। यदि वह यह महसूस करते हैं कि उनकी सुरक्षा भारत से बाहर रहनें में ही है तो, उन्हें खुशी से ऐसा कहनें दो। हम इसके लिए क्षमा चाहेंगे परंतु यह अपरिहार्य हो जाएगा। लेकिन अगर वह अन्यथा इमानदारी से महसूस करते हैं, जैसा कि मैनें हमेशा आशा और कामना की है, तो निश्चित रुप से यह उसके लिए भी है कि वह यह बताएँ कि वह परिवर्तन क्यों चाहते हैं।

तीन या चार माह पूर्व कश्मीर के संदर्भ में संविधान सभा में बोलते हुए शेख अब्दुल्लाह नें ऐसे शब्द जो बापिस नहीं लिए, परंतु उन शब्द ने संबद्धीकरण की एक

अच्छी मिसाल उत्पन्न की थी। मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री जी ने इन शब्दों को सुना (देखा) या नहीं...... ।

"...हम शत् प्रतिशत् संप्रभता संपन्न निकाय हैं। कोई भी देश हमारी प्रगति के चक्र में बाधा नहीं डाल सकता। भारतीस संसद या राज्य के बाहर किसी अन्य संसद का हमारे राज्य (अर्थात ज.व.क रियासत) पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं हैं"।

यह एक अशुभ कथन है। मैं प्रधानमंत्री को और शेख अब्दुल्लाह को एक प्रस्ताव दूँगा। मैं प्रधानमंत्री जी को अंतरिम उपाय के रुप में इस योजना के लिए अपना पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हूँ जिसमें उन्होंनें आज कहा है कि कुछ भी अंतिम नहीं है।

यह अंतिम नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर उनके विभिन्न विवरणों पर चर्चा की जानीं है। परंतु फिर भी मैं अपना समर्थन देने के लिए तैयार हूँ। दो शर्तों को पूरा करते हैं। पहले, शेख अब्दुल्लाह को यह घोषणा करने दें की वह इस संसद की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। भारत में दो संप्रभुता वाले संसद नहीं हो सकते। आप कश्मीर के भारत का हिस्सा होनें की बात करते हैं, और शेख अब्दुल्लाह कश्मीर के लिए एक संप्रभु संसद की बात करते हैं। यह असंगत है। यह विरोधाभासी है। इस संसद का अर्थ यहाँ हममें से कुछ से नहीं है जो इसका विरोध कर रहे हैं। अधिकांश लोग जो छोटे–छोटे कारणों से प्रभावित न हो जाएँ वे सब इस संसद में सम्मिलित होंगे। उन्हें स्वतंत्र भारत की इस संसद की संप्रभुता को स्वीकार करनें से क्यों ड़रना चाहिए? दूसरा, यह राश्ट्रपति के आदेश से संविधान के प्रावधानों को बदलने की बात नहीं है। आइए हम उन कुछ कदलाबों पर एक दृष्टिपात करते हैं, जिनकी माँग की जा रही है। हम महाराजा के समर्थक हैं। हमारे विरुद्ध यही कहा जाता है। मैं महाराजा से कभी नहीं मिला। मैं उसे व्यक्तिगत रुप से नहीं जानता। किसी भी प्रकमार से हम इस महाराजा या अन्य किसी भी और महाराजा के समर्थक नहीं है। परंतु महाराजा वहां अपनी इच्छा से नहीं हैं। वह जो भी हैं, अर्थात जम्मू–व–कश्मीर के संवैधानिक प्रमुख, भारत की संसद एवं संविधान ने उन्हें बनाया है और कैसी विड़ंबना है, जिसे एक मनहूस साथी बताया जा रहा है, शेख अब्दुल्लाह सरकार वर्तमान में उसी के लिए जिम्मेदार है, जिसे बाहर करके, ताला लगा के, भड़ारण करके, पीपे में भरकर रख देना चाहिए। महाराजा वहाँ पर एक संवैधानकि प्रमुख के नाते हैं। यदि आपको लगता है कि उन्हें हटा दिया जाना चाहिए तो अपना संविधान बदल दें। कहो कि कोई वंशानुगत राजप्रमुख नहीं होगा।

यह विचार करने के योग्य विषय है। आईए अब हम इस पर विचार करें। परंतु तरीका देखें कि, किस प्रकार से इसे लागू किया गया है, एक हिंदू महाराजा को निकाल दिया गया है। पाकिस्तान के युद्ध में इसी बात का ढ़िढोरा पीटा जा रहा है। परंतु हिंदू महाराजाओं की शाही शक्तियों को किसनें समाप्त किया। शेख अब्दुल्लाह ने नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के संविधान नें, हमनें कर दिया। हमनें कहा कि किसी भी शासक के पास कोई भी असाधारण शक्ति नहीं होगी। वह सरकार का प्रमुख होगा और सरकार उनके प्रति नैतिक रुप से उत्तरदायी होगी परंतु बाद में सरकार निर्वाचित विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी।

परंतु अब महान श्रेय लिया जा रहा है कि कश्मीर में एक अनूठा काम किया जा रहा है। अपनें प्रत्येक भाषण में उसनें यह कहा, "...महाराजा, ड़ोगरा राज समाप्त हो रहा है"। क्या वह एक दुष्प्रचार है, क्या यह आवश्यक है, आप एक मरे हुए घोड़े को मार रहें हैं। यह समाप्त हो गया है। ऐसा कहनें की क्या आवश्यकता है, निर्वाचित राज्यपाल के बारे में क्या, मुझे यहाँ संविधान सभा की कार्यवाही मिली है। प्रधानमंत्री को याद होगा कि हमारे अपनें संविधान में हमनें पहले एक निर्वाचित गवर्नर के लिए एक प्रावधान किया था और फिर बाद में अन्य लोगों ने महसूस किया और माना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निर्वाचित गर्वनर का कोई स्थान नहीं था। भाषण पढ़ें, यह काह गया था कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रुप में कार्य करेंगें और यदि राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है या विधायिका और मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होंगे, उसी प्रकार से वहाँ पर टकराव की संभावना है। तत्पश्चात पुनः गवर्नर एक नगन्य व्यक्ति बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने इन सभी विचारों को स्पष्ट किया। एवं यह भी दावा किया कि बहुत ही विशेष कारण था कि क्यों? भारत की एकता को बनाए रखनें के लिए और केन्द्र एवं सभी राज्यों के मध्य बेहतर संबंध बनाए रखनें के लिए गर्वनर को राष्ट्रपति द्वारा ही नामित किया जाना चाहिए। आप केवल इन आधारभूत बातों को नज़र–अंदाज करते हैं क्योंकि शेख अब्दुल्लाह कहते हैं, "...मैं अब एक निर्वाचित प्रमुख चाहता हूँ"। तुम उन्हें और अन्य लोगों को ऐसा क्यों नहीं बता सकते हो कि आप लोगों ने संविधान में क्या किया है। उस संगठनात्मक व्यवस्था में हमनें निर्वाचित गर्वनर की व्यवस्था की थी परंतु विचारों का सही आदान–प्रदान करने के पश्चात हमनें उस व्यवस्था को दूर कर दिया। उसके बावजूद भी मैं आज कहता हूँ कि आपकी समझ में आपको लगता है कि एक निर्वाचित प्रमुख आज एक आवश्यकता के रुप में है और यह आपकी मदद करेगा,

इस पर विचार करें। इसे एक विशिष्ट प्रस्ताव के रुप में लाएँ। आईए हम इसकी अच्छाईयों और बुराईयों की चर्चा करें। परंतु अचानक मेरे मित्र श्री हिरेन मुखर्जी कहते हैं, "...लोग एक निर्वाचित प्रमुख के लिए कह रहे हैं..."। निर्वाचित प्रधान के लिए लोग प्रतयेक स्थान पर ज़ोरदार माँग कर रहें हैं। क्या आप प्रत्येक स्थान पर निर्वाचित प्रमुख रखनें के लिए बाध्य हैं, वास्तव में, जैसा कि चीजें हो रही हैं हम राज्यपालों को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं।

राज्यपाल के पद अमूमन विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए आरक्षित रहते हैं जैसेः– निराश, पराजित, अस्वीकृत, वांछित मंत्रियों एवं उसी प्रकार से कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के लिए। हमें इस वर्ग की आवश्यकता नहीं हैं। या यदि, आप उन्हें रखना चाहते हैं तो रखें, मुझे इसमें विशेष रुप से कोई भी रुची नहीं है। परंतु यह एक बदलाव है जिसके लिए कोई भी औचित्य नहीं दिया गया है।

और फिर तो ध्वज का ही महत्व है। यह प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहनें के लिए नहीं होगा कि यह भावना का विषय है, तीन दिन पूर्व कागज़ों में यह घोषणा की गई थी कि भारतीय ध्वज केवल दो औपचारिक अवसरों पर ही फहराया जाएगा और अन्यथा राज्य का झंडा ही अकेले वहाँ पर फहराया जाएगा। यदि आपको लगता है कि भारत की एकता और अखंडता प्रभावित नहीं हुई है और यह उत्पन्न होनें वाली उग्र प्रवृतियों को बढ़ावा नहीं देगा तो इसे स्वीकार करें और इसे सभी के लिए करें। परंतु इसे शेख अब्दुल्लाह की माँग के समक्ष आत्मसमर्पण के रुप में क्यों करना हैं?

वह स्वयं को प्रधानमंत्री कहना चाहता था। इसलिए उसनें पहले शुरुआत की। हममें से कुछ तो इसको पसंद भी नहीं करते। हम तो भारत (जिसमें कश्मीर भी सम्मिलित है) के एक ही प्रधानमंत्री को जानते हैं और वह प्रधानमंत्री वही है जो यहाँ पर विराजमान है। आप के पास दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक प्रधानमंत्री दिल्ली में और दूसरा प्रधानमंत्री श्रीनगर में, जो स्वयं को मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, बल्कि एक प्रधानमंत्री कहेंगे। पहले तो मुझे लगा कि यह केवल छोटा सा मेलर है और हमे इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए परंतु देखो किस प्रकार प्रक्रिया प्रगति कर रही है– प्रत्येक चरण में विशेष व्यवहार और उससे बहुत ही अलग तरीके का व्यवहार किया जाना चाहिए। नागरिकता के अधिकार एवं मौलिक अधिकार इन दोनों के प्रति देखो। यह क्या है जो हम कर रहें हैं? क्या सदन नें इस पर विचार किया है? जो सिफारिशें की गई हैं, क्या सदन ने उनके पक्ष एवं विपक्ष पर चर्चा की है। संविधान में दिए गए नागरिकता संबंधी प्रावधान को बगैर कोई विचार किए बदल

रहें हैं। यह कहा गया था कि अमीर लोग कशमीर भाग रहे हैं और संपत्ति खरीद रहें हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी नें अनुच्छेद 19(5) पर वक्तत्य देते हुए कहा कि यहाँ प्रावधान है। जब हमनें संविधान का निर्माण किया तो हमनें इस अनुच्छेद पर घिसी–पिटी चर्चा की। विभिन्न प्रांतों द्वारा किए गए प्रयास थे और वे बड़े पैमानें पर भूमि की अनाधीकृत खरीद के विरुद्ध कुछ विशेश संरक्षण चाहते थे। यह कया है जो हमनें कहा है, हमनें कहा है कि कोई भी राज्य विधायिका कानून पारित करते हुए संपत्ति के अधिग्रहण या जनहित में एक स्थान से दूसरे स्थान पर गतिविधि करनें या किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित के संबंधित विषयों पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है।

यदि शेख अब्दुल्लाह को लगता है कि कशमीर में कुछ विशेष प्रतिबंध लगाए जानें चाहिए तो वहाँ पर खंड़ (परिच्छेद) है। मैं प्रधानमंत्री को इस बारे में स्पष्ट रुप में पूछना चाहता हूँ। उन्होंनें इसका उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने इसको छोड़ दिया है। क्या यह इरादा है कि जो प्रतिबंध कश्मीर विधानसभा लगाएगी, क्या वह अपनें अपवादों के अनुसार लागू करेगी या इसे कुछ और भी देनें का प्रस्ताव हैं, यहाँ पर चार प्रकार के नागरिक हैं। मुझे विवरण मिल गया हैं, परंतु मेरे पास उसे देखनें का समय नहीं है। परंतु उनका निर्णय सर्वाधिक अभिशक्त महाराजा के समय किया गया थ। क्या वह सब बनाए रखनें चाहिए या वह इन चार प्रकार की नागरिक्ताओं को समाप्त करनें जा रहे हैं, मुझे लार्ड़ कर्ज़न द्वारा लिखि गई एक पुस्तक में से एक कहानी याद आ रही है। इंग्लैण्ड़ का एक प्रतिष्ठित रईस अपनीं पत्नि के साथ, पचास या साठ, वर्ष पूर्व फारस के शाह के दरबार में गया। दोनों को प्रस्तुत किया गया और शाह थोड़े असावधान थे और उनके सचिव ने पूछा, "महिला को क्या सम्मान दिया जाना चाहिए"। आर्ड़र ऑफ चैस्टिटी की तीन अलग–अलग श्रेणीयाँ थीं और पुरुस्कार को आर्ड़र ऑफ चैस्टिटी क्लास तीन बनाया गया था। इस प्रकार यह आदेश जब सामने आया था तब यह महसूस किया गया था कि कुछ ऐसा किया जा चुका है जो एक आश्चर्यजनक और चौंका देने बाला चरित्र था और निशचित रुप से नुकसान होने के बाद संशोधन किया गया। जम्मू एवं कश्मीर में चार प्रकार की नागरिकता किस लिए? इनको समाप्त कर देना चाहिए। नागरिकता का केवल एक वर्ग होना चाहिए। क्या भारतीय आपकी सारी संपत्ति ले लेंगे। यह सुझाव नहीं दिया गया था कि भारतीयों को वहाँ जाना चाहिए और संपत्ति खरीदनी चाहिए जैसा कि वह पसंद करते है। माने ले कि कुछ भारतीय आ जाते हैं और कुछ संपत्ति खरीद

लेते हैं तो आपके पास विधायी उपाय हो सकते हैं। हमने इसे स्वीकार कर लिया है। भय क्या है। हमारे पास भारत का कश्मीर प्रधानमंत्री है। हमारे पास भारत का कश्मीर गृहमंत्री है। हम भारत में खुश हैं। हमें इससें कोई आपत्ति नहीं है। हम उनका स्वागत करते हैं। भय क्या है, क्या यह भय है कि भारतीय जाकर कश्मीर पर आक्रमण करेंगे और उनमें से एक जम्मू–व–कश्मीर का मुख्यमंत्री बन जाएगा। हम जम्मू –व–कश्मीर में छापा मारनें नहीं जा रहे हैं। मैनें कभी भी इस खूबसूरत हिस्से का दौरा नहीं किया है। मैंने कहा समय के लिए वहाँ जाना चाहूँगा। मेरे पास घर–खरीदनें योग्य धन है। किसी भी सूरत में, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। यह आपके पास मौलिक अधिकारों के संबंध में है। आप नए–नए बदलाब कर रहें हैं, जिन्हें सही ठहराना बहुत मुशकिल है।

प्रधानमंत्री नें दो या तीन चीज़ों, छात्रवृति और सेवाओं आदि का उल्लेख किया है। यह "आदि" क्या है? और सेवाएँ ही क्यों? सेवाओं में, क्या आप एक नागरिक और दूसरे के मध्य अंतर करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान में, संसद और केवल संसद को ही उन लोगों के लिए सेवाओं के प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान करने का अधिकार हैं, जिन्हें अभी संरक्षित किया जाना है। दक्षिण में भी ऐसी ही मांगे हैं। मैं पिछले कुछ हफ्तों से उनकी माँगों का अध्ययन कर रहा हूँ। वे भी इन प्रावधानों मे से कुछ के सख्त संचालन से हैरानी महसूस करते हैं, उनके लिए दरवाज़े खोलें, वे भी इसी प्रकार की सुरक्षा चाहते हैं।

एक और बात है, जिसे प्रधानमंत्री ने संदर्भित किया है, मैं वास्तव में आश्चर्य चकित था कि एक विशेष प्रावधान कैसे किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दो लाख लोग पाकिस्तान चले गए हैं। इसमें प्रावधान है कि इन लोगों को कश्मीर वापस लानें के लिए एक विशेष कानून को शामिल किया जाएगा। युद्ध चल रहा है। एक तरफ नागरिक स्वतंत्रता को संबंध में मौलिक अधिकारों को और कठोर बनानें का प्रस्ताव है, और दूसरी तरफ, आप दरवाजा खोलकर पाकिस्तानीयों को कश्मीर जानें की अनुमति देनें जा रहे हैं, इसके लिए एक विशेष कानून होना चाहिए; वहाँ एक विशेष समझौता (पहले से ही है)। शेख की ओर से यह चिंता क्यों है कि जो लोग पाकिस्तान भाग गए और जो आने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें वापस लाने के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाए। क्या इसका कोई अर्थ है? यह सुरक्षा को कैसे प्रभावित करेगा? ... जो लोग मारे गए हैं वे वापस नही जा सकते। जो जीवित है वे कल वापस आ सकते हैं। यदि वे इमानदारी से भारत में विश्वास करते हैं और यदि

वे जम्मू में रहनें के लिए तैयार हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। उन्हें वापस आनें दो। इसके लिए किसी विशेष प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक जम्मू का संबंध है, जैसा कि आप जानते हैं, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण राज्य था। यह दोनों पक्षों द्वारा किया गया था। कड़वे होनें वाले मुसलमान थे और कड़वे होने वाले हिंदू भी थे। वह एक काला दौर था जब भारत के कई हिस्सें ऐसे थे, लेकिन आज क्या स्थिति है? आपके पास अल्कवीड़ (रिकाड़) है कि कितनें हज़ारों, ... में तो संख्या भी भूल गया हूँ...। वे जम्मू व कश्मीर से दूर आ गए हैं और भारत पर बोझ हैं। यहीं पर इस अनुबंध में विशेष प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए कि उन्हें तुरंत ही जम्मू–व–कश्मीर में बापस ले आया जाए।

उनमें से कई हज़ार ऐसे हैं जो आए हैं। वे वापस क्यों नहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कितनें पंड़ित कश्मीर से दूर आए हैं। उनहें भी कश्मीर वापस लौट जाना चाहिए। जहाँ तक दूसरे हिस्से का सवाल है, वह भी एक गंभीर मामला है। जम्मू व कश्मीर के एक तिहाई हिस्से में जो अब पाकिस्तानी कब्जे में है, लगभग एक लाख हिंदू और सिख कश्मीर क्षेत्र के भीतर आकर शरण ले चुके हैं। उनके साथ क्या होगा? इनका ध्यान रखना होगा। आप उन लोगों के बारे में सोच रहे हैं जो (लिमों) के लिए पाकिस्तानी बन गए हैं। आप उन्हें पुनः कश्मीरी नागरिक परिवर्तित करेंगे और उनकी पुनः पुष्टि करेंगें कि उनके पास कश्मीरी नागरिक का दर्जा है या नहीं। परंतु उन दुर्भाग्यपूर्ण प्राणियों ने जिन्होंने आज आश्रय लिया है, उन्हें कैसे आवास दिया जाएगा? क्या उनके लिए र्प्याप्त भूमि है ये ऐसे मामलें हैं जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था।

जैसा कि आपातकालीन प्रावधानों के संबंध में है, तो यह एक आश्चर्यजनक आधार है यदि आंतरिक गड़बड़ी के कारण कोई आपात स्थिति है तो भारत के राष्ट्रपति का "कहना" अंतिम नहीं होगा। भारत के राष्ट्रपति का यह ड़र क्यों?

क्या आप भारत के राष्ट्रपति के प्रति इससे अधिक घृणित अपमान का चिंतन कर सकते हैं? यहाँ कश्मीर सरकार को संविधान के अनुरुप होना चाहिए। यदि कोई आंतरिक गड़बड़ी है जो उनके स्वयं के कुकर्मों की उत्पति है तो वे क्यों अनुरोध करें? वे आपसे अनुरोध क्यों करें, उदाहरण के लिए, वे उपरी तरफ से दूसरों के साथ मिले हुए हैं। चीन या रुस, हमारे अन्य दोस्तों के माध्यम से? उन्हें आपके पास आकरके आपसे आपके हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना क्यों करनीं चाहिए। मैं उम्मीद करुँगा कि प्रधानमंत्री यह बताएँ कि अन्य आपातकालीन प्रावधान लागू होतें हैं या

नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में दो अति महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रावधान हैं। अनुच्छेद 354 उस आपातकालीन स्थिति से संबंधित है जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है और तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंध किस प्रकार लागू होंगे। और अन्य अनुच्छेद है 356 जो राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जानें की दशा से संबंधित है।

क्या शेख अब्दुल्लाह ने अनुच्छेद 356 के लागू होने की बात को स्वीकार कर लिया है उन्होंने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद 360 मे दिए गए वित्तिय आपातकाल के प्रावधान को स्वीकार कर लिया है? क्या उसनें वह प्रावधान स्वीकार कर लिया है? प्रधानमंत्री इसका कोई संदर्भ नहीं देते हैं। सर्वोच्च न्यायलय के अधिकार क्षेत्र को भी अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है। मैं यह रचनात्मक सुझाव देकर निष्कर्श निकालूँगा। ये टिप्पणीयाँ जो मैने स्वभाविक रुप से कीं, मुझे शेख–अब्दुल्लाह की प्रतिक्रियाओं पर विस्तार से टिप्पणी किए बिना ही करना था। उन्होंने मुझे लिखा और कहा कि जब बे अंतिम बार दिल्ली में होंगे तो मुझसे मिलना चाहेंगे। मैं उस दिन यहाँ नहीं था। इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सका। मैनें उसे दोस्ताना उत्तर भेजा। शायद मैं उसे कुछ समय के लिए मिलूँ। यह उनके मुझसे मिलने यां मुझे उनसे मिलने का प्रश्न नहीं है। मैं प्रस्तुत करता हूँ कि हमें कुछ मानकों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम ऐसा कोई भी प्रशन नहीं उठता कि राष्ट्रपति के पास अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता जिससे संविधान के प्रावधान समग्र रुप से बदले जा सकते हों।

यदि प्रधानमंत्री को लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को फिर से जाँचने के लिए एक विषय बनाया गया है, उदाहरण स्वरुप, भूमि अधिग्रहण, यदि आपको ऐसा लगता है कि बगैर मुआवज़ा दिए ऐसा किया जाना चाहिए तो इसके लिए संविधान में प्रावधान करें। आप इन सभी विषयों पर विचार करते हो और प्रावधानों को लचीला बनाते हो ताकि आप इनको या तो पूरे भारत पर या केवल उन्हीं भागों पर लागू कर सकते हो जहाँ भारत की इस संसद को लगेगा कि ऐसा विशेष उपचार आवश्यक है। संवैधानकि तरीके से आगे बढ़ें न कि केवल संविधान के साथ खेलें। यह एक पवित्र दस्तावेज हैं और यह एक ऐसा दस्तावेज है जिस पर बहुत अधिक श्रम किया गया है और बहुत सोचा गया है। यदि आपको ऐसा, प्रतीत होता है कि भारत में धीरे–धीरे विकसित हो रही नई व्यवस्था को ध्यान में रखनें के लिए कुछ परिवर्तण आवश्यक है, चाहे वह कश्मीर में हो या भारत के अन्य भागों में। हर प्रकार से देश के

लोगों को अपनीं राय व्यक्त करने का मौका मिला चाहिए। अंत में एक आरोप लगाया गया कि हम में से कुछ लोगों ने जम्मू और लद्दाख के अलग–अलग विचार की बकालत की है।

मैं आपको एवं इस सदन को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जम्मू व कश्मीर का बँटबारा नहीं चाहता। मैं विभाजन की भयावहता को नहीं जानता। मुझे पता है कि यदि विभाजन होता है तो परिणाम सुनिशिचित होंगे। परंतु विभाजन को रोकने की जिम्मेवारी उन पर होगी जो आज जम्मू व कश्मीर के जानकार बने हुए हैं और भारत का संविधान स्वीकार करनें को तैयार नहीं हैं। अपराध क्या? आज जम्मू के लोग यह माँग करते हैं कि उन्हें अलग माना जाना चाहिए। जिसका अर्थ यह है कि उन्हें भारत के साथ पूर्ण रुप से एक हो जानें की अनुमति दी जानी चाहिए। यह स्मरण रहना चाहिए कि यह भारत से दूर भागनें का प्रश्न नहीं है। यदि वह कहते हैं कि वह स्वतंत्र भारत के संविधान को पूर्ण रुपेण स्वीकार करना चाहते है। क्या अपराध है जो उन्होंने इसके पश्चात् किया है। मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप जम्मू व कश्मीर का विभाजन करो। मैं आपको सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप कश्मीर या कश्मीर घाटी को भारत के बाहर भेज दो। इस संदेश का निर्णय करनें के लिए मैं या हमस ब इस सदन में नहीं बैठे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने सही ढंग से बताया है कि उस क्षेत्र में रहनें बाले लोगों को ही इसका निर्णय करना है। अब मानं लेते हैं कि जम्मू और लद्दाख के लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो पूरे जम्मू व कश्मीर के संबंध में विलय कमतर हुआ है या यह विलय शेख–अब्दुल्लाह को मँजूर नहीं है तो कम से कम इन दो प्रांतों, दो अलग–अलग संस्थाओं के साथ ऐतिहासिक रुप से आ अन्यथा न्याय किया जाए और इनको भारत के साथ जुड़े रहने दिया जाए। आइए कश्मीर को निरंतर इसी प्रकार से चलातें रहें ताकि यह भारत द्वारा हस्तक्षेप की कम संभावना के साथ अधिक स्वायत्तता के साथ घाटी में चलता रहे। यह एक ऐसी संभावना है जिसे हम खारिज नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न पर उनके संपूर्ण संभव प्रभावों पर विचार किया जाएगा। कश्मीर के मेरे मित्र, मौलाना मसुदोई, जिनके लिए मेरा बहुत सम्मान है। मैनें आज प्रातः जम्मू के लिए भेजे गए उनके भाषण का अनुसरण करनें का प्रयास किया, अंतिम प्रशन का ही मैं उत्तर दूँगा। खैर यदि यह माँग जम्मू द्वारा की जाती है, तो उन्होंने कहा कि जम्मू एक प्रांत है; जिसमे 1941 में मुस्लिम बहुमत था। उन्होंने कहा था, परंतु कहानीं इतनें में ही पूरी नहीं होती। निःसंदेह यह 1941 में मुस्लिम बहुमत बाला प्रांत था। परंतु उन

जिलों सहित एम मुस्लिम बहुमत पाया था, जो अब पाकिस्तान के कब्जे बाले क्षेत्र में गिर गए हैं। इसलिए यदि आप इन क्षेत्रों को बाहर करते हैं...।

मैं प्रसन्न नहीं हूँ... उन्हें त्याग दें। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि उन्होंने प्रश्न किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस क्षेत्र को पुनः ग्रहण नहीं किया जाएगा, परंतु यह एक अलग खोज है। आप इसे पुनः ग्रहण करनें नहीं जा रहे हैं और यह संभव नहीं है। किसी भी मामले में जिन लोगों ने जम्मू–कश्मीर के विरुद्ध काम किया है, जैसा कि बार–बार कहा जाता है, वे भारत की तुलना में पाकिस्तान के अधिक मित्र बन गए हैं। यदि आप 1951 की जनगणना के आंकड़े लेते हैं, तो वो आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। परंतु यह केवल उस क्षेत्र के आधार पर कहा जा राह है जो कि हमारे कब्जे में है, जम्मू की 75 प्रतिशत जनसंख्या हिंदू होगी। परंतु मैं हिंदुओं और मुस्लिमों के आधार पर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। मुझे इसे स्पष्ट करनें दो। मैं लोगों की इच्छा के आधार पर आगे बढ़ रहा हूँ, या तो पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से भारत आनें के लिए। यदि इन दो प्रांतों, लद्दाख और जम्मू का कहना है कि वे इन सभी विषयों के साथ भारत आएंगे, तो उनके लिए ऐसा करना संभव बनाना होगा।

वही अधिकार जो आप कश्मीर के लिए दावा कर रहे हैं, जम्मू और लद्दाख के लोगों द्वारा भी ऐसी ही माँग की जा सकती है। आइए हम एक दोस्ताना भावना से आगे बढ़ें। शेख–अब्दुल्लाह ने स्वयं एक महीना पहले यह कहा था कि यदि जम्मू और लद्दाख के लोगों को यह लगता हैं कि वे भारत के साथ जाएँगे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि आप जल्दी–जल्दी ऐसा करते हुए उसी रास्ते पर अग्रसर हो जाओ, परंतु यह संभव बनना होगा, केवल उन क्षेत्रों में रहनें वाले लोगों के लिए, ताकि वे अपना मन बना सकें कि कौन से रास्ते पर अग्रसर होना उनके लिए अच्छा होगा और यह स्वः अवधारणा के उन्हीं सिद्धांतो के अनुरुप होगा जो प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित शेख–अब्दुल्ला के आधारभूत दावों का गठन करते हैं।
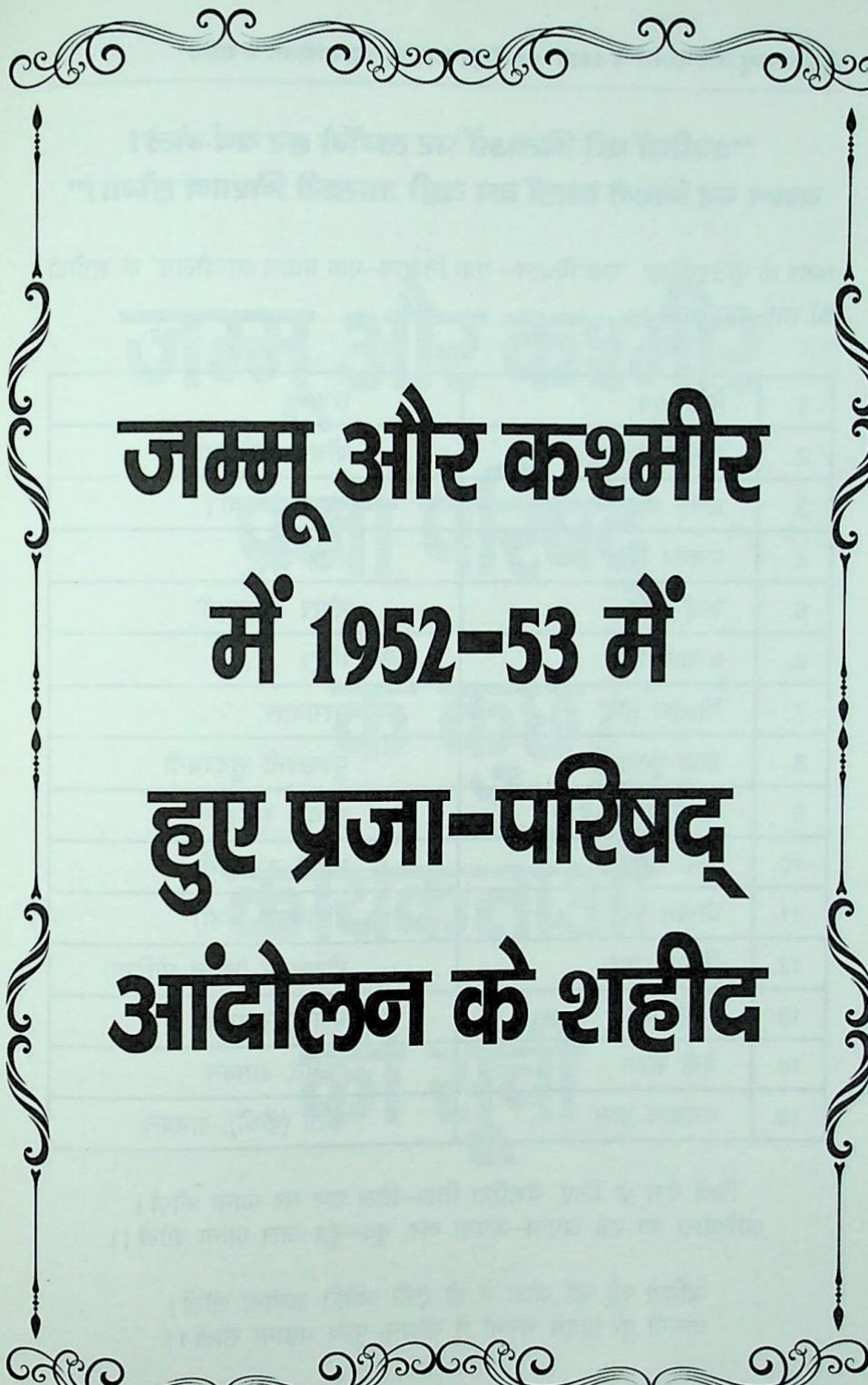
# जम्मू और कश्मीर में 1952–53 में हुए प्रजा–परिषद् आंदोलन के शहीद

## "शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मिटने वालों का यही आखरी निशान होगा।"

1953 के ऐतिहासिक, "एक विधान– एक निशान–एक प्रधान आन्दोलन" के शहीदों को शत्–शत् नमन।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मेला राम | छंब |
| 2. | नानक चंद | धोंचक्क ज्योड़ियां। |
| 3. | बसंत चंद | मट्टू ज्योड़ियां। |
| 4. | बलदेव सिंह | रत्ती दंदा |
| 5. | साईं सिंह | भोपुर, सुंदरबनी |
| 6. | वरयाम सिंह | भोपुर |
| 7. | त्रिलोक सिंह | परगवाल |
| 8. | बाबा कृष्ण दास | पुक्खरनी सुंदरबनी |
| 9. | बाबा रामजी दास | सोदरा सुंदरबनी |
| 10. | बेली राम | नंदनी सुंदरबनी |
| 11. | वीखम सिंह | हीरागनर (मंडी) |
| 12. | बिहारी लाल | हीरानगर (छान्न मोरिया) |
| 13. | शिवा जी | बलोट, रामबन |
| 14. | देवी सरन | बलोट, रामबन |
| 15. | भगवान दास | कैती (कैंथीं), रामबन |

जियें देश के लिए, देशहित तिल–तिल कर मर जाना सीखें।
असिधारा का व्रत अपना–अपना कर, बूंद–बूंद जल जाना सीखें।।

अड़िग रहे जो जंजा में भी ऐसी ज्योति जगाना सीखें।
जननी के पावन चरणों में जीवन–पुश्प चढ़ाना सीखें।।
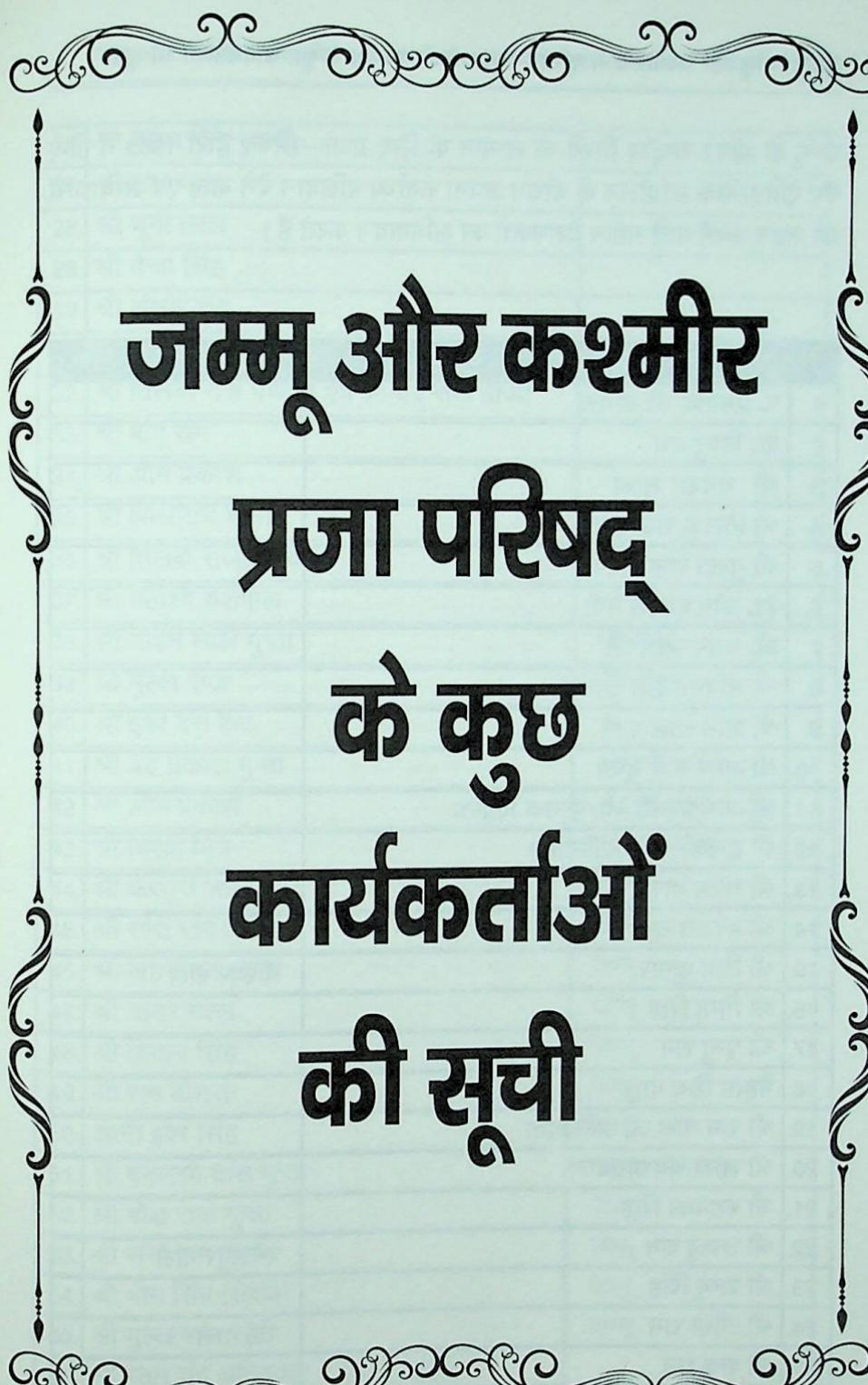
# जम्मू और कश्मीर प्रजा परिषद् के कुछ कार्यकर्ताओं की सूची

जम्मू के ड़ोगरे राष्ट्रीय तिरंगे के सम्मान के लिए प्रजा–परिषद् द्वारा 1953 में किए गए ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने बाले एवं अत्याचारों को सहन करनें वाले महान देशभक्तों का अभिवादन करते हैं।

| जम्मू | | |
|---|---|---|
| 1. | पं० प्रेमनाथ जी डोगरा | |
| 2. | वैद विष्णु दत्त | |
| 3. | श्री भगवत सरुप | |
| 4. | श्री तिलक राज शर्मा | |
| 5. | श्री मुल्ख राज पारगल | जम्मू |
| 6. | डा० ओम प्रकाश मैंगी | |
| 7. | प्रो० चमन लाल जी | |
| 8. | श्री गोपाल दास सच्चर | |
| 9. | श्री शाम लाल शर्मा | |
| 10. | श्री अमर नाथ गुप्ता | |
| 11. | श्री ओम प्रकाश जी, पुस्तक विक्रेता | |
| 12. | श्री द्वारका नाथ, अधिवक्ता | |
| 13. | श्री चरण दास | |
| 14. | श्री बरकत राम | |
| 15. | श्री शिव कुमार | मीरपुर बाले |
| 16. | श्री मियां सिंह | |
| 17. | श्री पुन्नु राम | |
| 18. | मैह्ता शिव दास | |
| 19. | श्री राम नाथ जी अधिवक्ता | |
| 20. | श्री लाल चंद अग्रवाल | |
| 21. | श्री रशपाल सिंह | |
| 22. | श्री छज्जू राम | स्मैलपुर बाले |
| 23. | श्री शम्भू सिंह | |
| 24. | श्री सीता राम | सेई बाले |
| 25. | श्री शत्रु घन | |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | श्री बसंत सिंह त्यागी | |
| 27. | श्री इश्र दास | |
| 28. | श्री चूनी लाल | |
| 29. | श्री तेजा सिंह | |
| 30. | श्री संसार चंद | |
| 31. | श्री भगवान दास पाधा | |
| 32. | श्री तिलक राज पण्ड़ोह एवं श्री देव राज धाब्बा | |
| 33. | श्री बाबू राम | |
| 34. | श्री ओम प्रकाश | |
| 35. | श्री अमरनाथ बोंगा | |
| 36. | श्री तिलक राज तलवार | |
| 37. | श्री महाश्य यशपाल | |
| 38. | श्री मोहन लाल गुप्ता | विशनाह् |
| 39. | श्री मुल्ख राज | पीर मिट्ठा |
| 40. | श्री इश्र दत्त रैना | |
| 41. | श्री वेद प्रकाश गुप्ता | कोटली बाले |
| 42. | श्री ओम प्रकाश | कोटली बाले |
| 43. | श्री विश्वा मित्र | कोटली बाले |
| 44. | श्री कस्तूरी लाल गुप्ता | जम्मू |
| 45. | श्री सन्त राम अरोरा | जम्मू |
| 46. | श्री जगमोहन खन्ना | जम्मू |
| 47. | श्री नागर मल्ल | जम्मू |
| 48. | श्री दिवान सिंह | जम्मू |
| 49. | श्री राम डोगरा | जम्मू |
| 50. | ज्ञानी इश्र सिंह | जम्मू |
| 51. | श्री बनारसी दास गुप्ता | नई बस्ती जम्मू |
| 52. | श्री बोद्ध राज गुप्ता | जम्मू |
| 53. | श्री सन्त राम तेग | जम्मू |
| 54. | श्री भीम सिंह (सेवक) | जम्मू |
| 55. | श्री मुल्ख राज शर्मा | जम्मू |
| 56. | श्री रतन चंद अधिवक्ता | |

| | | |
|---|---|---|
| 57. | श्री दिवान बिशन दास | |
| 58. | श्री भगवान दास | |
| 59. | श्री दुर्गा दास बर्मा | |
| 60. | श्री जगदीश चंद्र शास्त्री / शास्त्रू | |
| 61. | श्री छज्जू राम | घरोटा |
| 62. | सीता राम | कंगरेल |
| 63. | श्री सीता राम | डुम्मी |
| 64. | श्री शिव राम गुप्ता | संपादक अमर |
| 65. | श्री ज्ञान चंद | मीरपुर (संपादक सदाकत) |
| 66. | श्री सौदागर मल्ल | |
| 67. | श्री कृष्ण लाल गुप्ता | |
| 68. | श्री शंकर दास भगत | |
| 69. | ठाकुर दुर्गा दास चाड़क | जम्मू |
| 70. | श्री देव राज दाब्बा | जम्मू |
| 71. | ज्ञानी करतार सिंह राही | जम्मू |
| 72. | श्री बाबू राम | जम्मू |
| 73. | श्री सरदारी लाल | जम्मू |
| 74. | श्री नरसिंह दास शर्मा | जम्मू |
| 75. | श्री दया कृष्ण गर्दिश | जम्मू |
| 76. | हाजी जुबेर | बक्करवाल नेता |
| 77. | करनल पीर मोहम्मद खान | जम्मू |
| 78. | हैदर नूरानी | |
| 79. | श्री वेद प्रकाश चौहान | जम्मू |

| कठुआ | | |
|---|---|---|
| 1. | ठाकुर रंजीत सिंह | नगरी परोल |
| 2. | श्री कृष्ण चंद | |
| 3. | ठाकुर खड़क सिंह | |
| 4. | चौ॰ ध्यान सिंह | |
| 5. | पृथवी पाल सिंह, बी.ए., एल.एल.बी | |
| 6. | लाला तेज राम अधिवक्ता | |
| 7. | लाला हरनाम दास | |
| 8. | लाला बेली राम | |
| 9. | श्री रतन चंद | |
| 10. | पं॰ राम रतन | |
| 11. | चौ॰ परशोतम सिंह | |
| 12. | श्री ओम् प्रकाश बज़ीर | |
| 13. | श्री सुरेन्द्र नाथ उब्बत | |
| 14. | चौ॰ चग्गर सिंह | |
| 15. | श्री विद्धया प्रकाश पाधा (एम.ए.एल.एल.बी) | |
| 16. | श्री अमर सिंह | |
| 17. | श्री सरदारी लाल | नगरी परोल |
| 18. | लाल पूरण चंद | |
| 19. | लाला बिहारी मल शाह | |
| 20. | लाला जगत राम शाह | |
| 21. | श्री पूरण सिंह | |

| हीरानगर | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री लुद्धर मनी सांगड़ा | |
| 2. | काका सिंह | |
| 3. | ठा॰ बलदेव सिंह अधिवक्ता | |
| 4. | कैप्टन ठाकुर दास | |
| 5. | सुबेदार भोला सिंह | |
| 6. | पं॰ ज्ञान चंद सांगड़ा | |
| 7. | श्री विश्व नाथ | |
| 8. | श्री तेज सिंह | |
| 9. | मेज़र मुलतान सिंह | |
| 10. | सरदार बहादुर सूबेदार छत्तर सिंह | |
| 11. | श्री गिरधारी लाल | |
| 12. | श्री रामेश्वर चंद्र बाली | |
| 13. | श्री ज्वाला प्रकाश अधिवक्ता | |
| 14. | श्री भगत राम | छन्न अरोड़ियाँ |
| 15. | श्री देस राज | छन्न अरोड़ियाँ |
| 16. | श्री संकर दास | छन्न अरोड़ियाँ |
| 17. | श्री राधा कृष्ण | प्रबंधक सरकारी प्रेस |
| 18. | श्री ईश्वर दास शास्त्री | हीरा नगर |
| 19. | स्व॰ श्री नंदलाल सांगड़ा | |

| अखनूर | | |
|---|---|---|
| 1. | ठाकुर सह् देव सिंह | |
| 2. | श्री हरि सिंह | |
| 3. | श्री सत देव | |
| 4. | श्री देव राज | |
| 5. | श्री मेला राम | छंम्ब |
| 6. | श्री रजीद्र सिंह (एम.एल.ए.) | |
| 7. | श्री बंसी लाल | ज्योडिया |
| 8. | श्री राम नाथ मनहास परगवाल | छंम्ब |
| 9. | श्री अमरनाथ | |
| 10. | सूबेदार बरयाब सिंह | |
| 11. | श्री मनोहर लाल | अखनूर |
| 12. | श्री सुरेश चंद | अखनूर |
| 13. | श्री पदम देव | अखनूर |
| 14. | श्री शांती स्वरुप | ज्योड़ियां |
| 15. | प. कुंज लाल | सोहल |
| 16. | श्री दीना नाथ | खड़ांदरा |
| 17. | श्री राम रक्खा मल (कौड़ा शाह) | सरन |
| 18. | श्री बन्सी लाल | |
| 19. | श्री राम स्वरुप गुप्ता | |
| 20. | श्री ज्ञान चंद दुकानदार | |
| 21. | स्व. श्री बलदेव राज | गजनसू, मढ़ |
| 22. | स्व. श्री बिशम्बर दास शर्मा | फ्लोरा |
| 23. | स्व. श्री रशपाल सिंह | घोऽ मन्हासा |
| 24. | स्व. श्री संसाद चंद शर्मा | घोऽ मन्हासा |
| 25. | स्व. श्री मेवा सिंह | कुकड़ियां |
| 26. | स्व. श्री रला राम | रथुआ |
| 27. | श्री संसार चंद शर्मा | लम्बड़दार मड़ |
| 28. | श्री बन्सी लाल | करलूप बाले |
| 29. | श्री सत्त पाल सराफ | अखनूर |
| 30. | श्री लाला हंस राज गुप्ता | सजवाल वाले (परगवाल) |
| 31. | श्री चमन लाल दर्जी | अखनूर |
| 32. | श्री आत्मा राम शर्मा | अखनूर |

| रियासी / सुंदरबनी / नौशेरा | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री जगदीश वर्मा | |
| 2. | ठाकुर हरि सिंह | मोगला |
| 3. | पं॰ बेली राम | सुंदरबनी |
| 4. | हकीम राम सरन दास | नौशैरा |
| 5. | श्री मुनीश लाल | नौशैरा |
| 6. | श्री ज्ञान चंद | नौशैरा |
| 7. | डॉ॰ वेद प्रकाश | नौशैरा |
| 8. | ठाकुर तारा सिंह | |
| 9. | हकीम कस्तूरी लाल | |
| 10. | चौधरी बीरवल | छम्ब |
| 11. | सूबेदार जगत राम | |
| 12. | श्री इन्द्र प्रकाश | |
| 13. | डॉ॰ सत्य पाल शर्मा | नौशैरा |
| 14. | श्री कृष्ण चंद | तरेयाठ |
| 15. | श्री राम सरन दास | मोगला |
| 16. | कैप्टन औंकार सिंह जी विजयपुर | रियासी |
| 17. | मैहता मलिक राम | नौशैरा |
| 18. | श्री पशौरी लाल | नौशैरा |
| 19. | श्री भोला राम | मोगला |
| 20. | श्री करण चंद | मोगला |
| 21. | श्रीमति बिमला देवी (पग्गर) | परोर (सुंदरबनी) |
| 22. | श्री मुनिश राम गुप्ता (पप्पू) | सुंदरबनी |
| 23. | श्री प्रवदयाल पतरारा | सुंदरबनी |
| 24. | प्रेमा पैहलवान | सुंदरबनी |
| 25. | नम्बरदार चेतराम (ढींग) | नौशैरा |
| 26. | श्री अमर नाथ | मोगला |
| 27. | श्री परीतम दास | सुंदरबनी |
| 28. | श्री ऋषि कुमार कौशल | रियासी |
| 29. | श्री गौरी मल | रियासी |
| 30. | मिस्त्री गुलाम मुहम्मद | रियासी |
| 31. | ठाकुर ज्ञान सिंह | स्यिुल सूई |
| 32. | श्री सत्त पाल शर्मा | नौशैरा |

| | | |
|---|---|---|
| 33. | श्री शिव नाथ नंदा | रियासी |
| 34. | कृष्ण दत्त शर्मा | रियासी |
| 35. | श्री कस्तूरी लाल | सुंदरबनी |
| 36. | राम प्रकाश | नगरोटा |
| 37. | श्री कृष्ण लाल | सुंदरबनी |
| 38. | श्री मदन लाल नागी | सुंदरबनी |
| 39. | श्री काका राम बनपुरी | सुंदरबनी |
| 40. | श्री रीखि राम शहोर | सुंदरबनी |
| 41. | ज़मीनदार फूला राम | चांगी कंगरेल (सुंदरबनी) |
| 42. | श्री कस्तूरी लाल गुप्ता | सुंदरबनी |
| 43. | रामनाथ नगोत्रा | सुंदरबनी |
| 44. | मास्टर राम दास लखनपाल | रियासी |
| 45. | माधो लाल नन्दा | रियासी |
| 46. | प॰ बचित्रु राम | गार |
| 47. | पं॰ वृंदाबन | गार |
| 48. | पं॰ परस राम | गार |
| 49. | पं॰ लच्छमन दास | दन्ना |

| बसोह्ली / बिलावर | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री जगदीश शर्मा वैद | |
| 2. | श्री हरि चन्द्र शाह | भड्डू |
| 3. | श्री हेम राज | बनी |
| 4. | श्री खुशी राम पाधा | बसोहली |
| 5. | श्री ध्यान सिंह | बिलावर |
| 6. | श्री प्रेम गुप्ता | बिलावर |
| 7. | श्री हंस राज जी (नूर) | बिलावर |
| 8. | श्री हरि कृष्ण जरगर | |
| 9. | श्री पितम्बर नाथ | |
| 10. | श्री राम चंद | |
| 11. | श्री इश्र दत्त जी शास्त्री | प्रचारक |
| 12. | चौ॰ दिवान चंद गुप्ता | बिलावर |
| 13. | श्री दीना नाथ सपोलिया | |
| 14. | कृष्ण दत्त चंदेल | |
| 15. | मनी राम डोगरा | |
| 16. | उत्तम चंद | |

| साम्बा | | |
|---|---|---|
| 1. | लाला शांति स्वरुप | |
| 2. | श्री जगदीश शास्त्री | |
| 3. | श्री सोहन लाल सपोलिया | |
| 4. | मास्टर ध्यान सिंह | |
| 5. | ठा॰ तरपत सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 6. | मेजर हरबंस सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 7. | मालदार करनैल सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 8. | श्री नानक चंद | गुड़ा सलाथिया |
| 9. | श्री कुलबंत सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 10. | श्री गोविंद राम | गुड़ा सलाथिया |
| 11. | श्री दुर्गा दास गुप्ता | सांबा |
| 12. | श्री शिब लाल | रिहाल / करियल |
| 13. | पं॰ परस राम | बिशनाह |
| 14. | श्री सांजी राम गुप्ता | बिशनाह |
| 15. | श्री आत्मा सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 16. | श्री हिर्दा सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 17. | श्री तिलक चंद सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 18. | श्री सुलोचन सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 19. | श्री संसार सिंह | गुड़ा सलाथिया |
| 20. | श्री आंचल सिंह | |
| 21. | श्री प्रभदयाल वर्मा | (मंडी दरबार गढ़ गुड़ा सलाथिया) |
| 22. | श्री खजूर सिंह | (मंडी दरबार गढ़ गुड़ा सलाथिया) |
| 23. | श्री इन्द्र नाथ खजूरिया | (मंडी गढ़ गुड़ा सलाथिया) |
| 24. | श्री इन्द्र सिंह | (मंडी गढ़ गुड़ा सलाथिया) |
| 25. | श्री स्वर्ण सिंह | (मंडी राज गढ़ गुड़ा सलाथिया) |
| 26. | ठा॰ ध्यान सिंह | (गुड़ा सलाथिया) |
| 27. | मास्टर जरमन सिंह | (अदरार गुड़ा सलाथिया) |
| 28. | श्री सरदारी लाल | नगरी परोल |
| 29. | श्री गणपति जी आचार्य | बिशनाह |
| 30. | श्री नंद लाल भगत | मीरा साह्ब |
| 31. | श्री रघुनाथ दास | सांबा |
| 32. | श्री चेत राम खजूरिया | भौरे कैंप |

| | | |
|---|---|---|
| 33. | श्री लायक चंद | भौरे कैंप |
| 34. | श्री छज्जू राम खजूरिया | सांबा |
| 35. | श्री कृष्ण लाल | आर.एस.पुरा |
| 36. | श्री सत्त पाल | सांबा |
| 37. | श्री अमरनाथ बावा | रतियां |
| 38. | श्री देविकानंदन | सांबा |
| 39. | श्री नानक चंद शर्मा | सांबा |
| 40. | श्री नसीब सिंह | स्मैलपुर (बिशनाह) |
| 41. | श्री वरयाम सिंह | स्मैलपुर (बिशनाह) |
| 42. | श्री लाला अमरनाथ | खैरी (बिशनाह) |
| 43. | श्री लाला बूटा राम | सरोर (बिशनाह) |
| 44. | श्री जगदीश राज | बिशनाह |

| पुंछ | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री शिव रतनपुरी | |
| 2. | लाला राम स्वरुप | |
| 3. | श्री महेश चंद्र शर्मा | |
| 4. | श्री प्रीतम लाल आनंद | |
| 5. | श्री दीना नाथ जी | पुंछ |
| 6. | लाला जगन नाथ | |

| उधमपुर | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री शिव चरण गुप्ता | |
| 2. | श्री हरि राम वैद | |
| 3. | श्री फकीर चंद | जगानू |
| 4. | श्री बाल कृष्ण | |
| 5. | श्री हंस राज जी, बी॰ए॰, बी॰टी | राम नगर |
| 6. | महाशय यश पाल | मीरपुर जम्मू |
| 7. | श्री परस राम पचाला | उधमपुर |
| 8. | श्री गौरी राम शाह् | उधमपुर |
| 9. | ठाकुर भारत सिंह | रामनगर |
| 10. | पपा दीना नाथ | उधमपुर |
| 11. | श्री शांती लाल वर्मा | उधमपुर |
| 12. | श्री कृष्ण सिंह (पापा) | उधमपुर |
| 13. | श्री बोध राज पुरोहित | उधमपुर |
| 14. | श्री सुरज प्रकाश गुप्ता | उधमपुर |
| 15. | लाल चंद वर्मा | उधमपुर |
| 16. | श्री देस राज जंडेयाल | उधमपुर |
| 17. | श्री बाबू राम गुप्ता | उधमपुर |
| 18. | श्री शिव लाल पाखेतरा | उधमपुर |
| 19. | श्री कृष्ण लाल पंडित | उधमपुर |
| 20. | श्री दीना नाथ गंडोतरा | उधमपुर |
| 21. | श्री शिव लाल कैलू | उधमपुर |
| 22. | श्री कृष्ण आनंद बड़िया | उधमपुर |
| 23. | श्री चरण दास (पंचैला) | उधमपुर |
| 24. | ठाकुर अनंत सिंह | उधमपुर |
| 25. | श्री नील कंठ शाह् | बसंत गढ़ |
| 26. | श्री अमृत सागर | उधमपुर |
| 27. | ओम प्रकाश (पंचैला) | उधमपुर |
| 28. | कुलबीर गुप्ता | उधमपुर |
| 29. | देस राज कैलू | उधमपुर |
| 30. | श्री वेद मित्तर | उधमपुर |
| 31. | श्री सूरज कपूर | उधमपुर |
| 32. | दलित पुरशोतम | उधमपुर |
| 33. | श्री पुरी राम | मनबाल (उधमपुर) |
| 34. | श्री जिया लाल | उधमपुर |
| 35 | श्री अमृत सागर | उधमपुर |

| राजौरी | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री परस राम | |
| 2. | श्री मेघ राज बाली | |
| 3. | श्री कुलदीप राज गुप्ता | |
| 4. | श्री निर्मल कुमार ऋषि | |
| 5. | बक्शी विश्व नाथ | |
| 6. | बक्शी संध्या दास | |
| 7. | ठाकुर शाम सिंह | |
| 8. | ठाकुर मलूक सिंह | |
| 9. | श्री तेज राम | |
| 10. | श्री राम लाल | |
| 11. | श्री अता उल्ला | |
| 12. | श्री शिव राम | |
| 13. | श्री जगमोहन शर्मा | |
| 14. | श्री रघुनंदन मोदी | |
| 15. | श्री कृष्ण लाल | चुगा |
| 16. | सरदार सतपाल | राजौरी |

| कटरा | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री हीरा लाल | |
| 2. | श्री बिशन दास | |
| 3. | श्री खेम चंद दूबे | |
| 4. | श्री राम लाल | |
| 5. | श्री राम स्वरुप | |
| 6. | श्री तीर्थ राम जी डोगरा | |
| 7. | श्री हेम राज जी पुजारी | |
| 8. | श्री गोविंद राम | |
| 9. | श्री मोहन लाल | |
| 10. | श्री कृष्ण कुमार पाधा | |

| जिला डोडा | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री बचन सिंह | |
| 2. | ठाकुर धरम सिंह | |
| 3. | ठाकुर शादी राम | |
| 4. | ठाकुर माधो लाल गद्धी | |
| 5. | श्री राम सरन | |
| 6. | श्री लाल चंद शर्मा | मंथल |
| 7. | ठाकुर मियां राम लौहार | |
| 8. | ठाकुर बसंत सिंह, बी.एम. | भागवाह |
| 9. | श्री हरि राम शर्मा | |
| 10. | श्री दीना नाथ | देसा |
| 11. | श्री कोसरी सिंह | कास्ती गढ़ |
| 12. | श्री जमीत सिंह | अस्सर |
| 13. | श्री लाल मन सिंह | उखराल |
| 14. | चौधरी अनन्त राम | डोडा |
| 15. | स॰ करण सिंह | समथी |
| 16. | श्री रवेल्ला राम | समथी |
| 17. | गुरां दित्ता मल | डोडा |
| 18. | श्री साधु राम | डोडा |
| 19. | श्री नार सिंह | डोडा |
| 20. | श्री राम चंद | मरमत |
| 21. | श्री स्वामी राज शर्मा | डोडा |
| 22. | श्री फकीर चंद राजधान | डोडा |
| 23. | श्री ओम प्रकाश कोतबाल | डोडा |
| 24. | श्री तेज़ लाल पाधा | डोडा |
| 25. | श्री सुरिंद्र कोतवाल | डोडा |
| 26. | श्री फकीर चंद | अदवाह |
| 27. | हरजी गद्धी | मंथला |
| 28. | सालक राम | मंथला |
| 29. | हरती गड़ी | मंथला |
| 30. | पं॰ ईश्वर लाल शर्मा | (पनवारा) मंथला |
| 31. | लाह्रु राम | चिंता |

| महिला जम्मू | | |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमति शक्ति शर्मा | |
| 2. | श्रीमति परकाशो देवी | |
| 3. | श्रीमति दर्शना देवी | |
| 4. | श्रीमति सुहाग रानी | |
| 5. | श्रीमति सोमा देवी | |
| 6. | श्रीमति विनोद शर्मा | |
| 7. | माता पारवति देवी | |
| 8. | श्रीमति सुशीला देवी | |
| 9. | श्रीमति राज कुमारी | |
| 10. | श्रीमति सीता देवी | |
| 11. | श्रीमति कैलाशो गुप्ता | |
| 12. | श्रीमति तारो देवी अवरोल | |
| 13. | श्रीमति वृंदा देवी | |
| 14. | श्रीमति बिमला देवी | |
| 15. | श्रीमति सुशीला मैंगी | |
| 16. | श्रीमति बिमला डोगरा | |
| 17. | श्रीमति शीला चौहान | |
| 18. | श्रीमति चतरु राम डोगरा | |
| 19. | श्रीमति शकुंतला देवी | |
| 20. | श्रीमति चंचला देवी | |

| किश्तवार | | |
|---|---|---|
| 1. | पं॰ हरि लाल | |
| 2. | मैहता कृष्णा स्वरुप | |
| 3. | श्री प्रेमनाथ बसीन | |
| 4. | श्री सन्त राम परिहार | |
| 5. | श्री यश प्रकाश | |
| 6. | लाला अमरनाथ | |
| 7. | श्री प्रेमनाथ जी गोस्वामी | |
| 8. | वज़ीर शंकर नाथ | |
| 9. | श्री मस्त राम | |
| 10. | श्री कृपाल सिंह | |
| 11. | श्री प्रेम लाल | अटहोली (पाडर) |
| 12. | श्री हेम राज | ठाठरी |
| 13. | श्री मनमोहन गुप्ता | किश्तवार |
| 14. | श्री जानकी नाथ | पाड्डर |
| 15. | श्री चरण दास गुप्ता | किश्तवार |

| रामबन | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री लब्भू राम | |
| 2. | श्री लालमन सिंह पोंगल प्रस्तान | |
| 3. | श्री हंस राज | |
| 4. | श्री कस्तूरी लाल गुप्ता | |
| 5. | ठाकुर गजा सिंह | |
| 6. | श्री पदम नाथ | |
| 7. | ठाकुर भूप सिंह | |
| 8. | श्री दीना नाथ | बटोत |
| 9. | श्री बचन सिंह पांची | बटोत (रैफ्युजी नेता) |
| 10. | श्री अनन्त राम | बटोत |
| 11. | श्री कांशी राम | रामबन |
| 12. | ठाकुर दास | |
| 13. | श्री नत्था सिंह (प्रचारक) | रामबन |
| 14. | श्री जगत राम परिहार | रामबन |
| 15. | संत मेहर सिंह | बटोत |

| भद्रवाह | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री किरपाराम कोतवाल | |
| 2. | श्री माधो लाल | |
| 3. | श्री दया कृष्णा राठोर | भलेसा |
| 4. | श्री ओम किशोर | |
| 5. | श्री करण चंद | |
| 6. | शेख अबदुल्लाह रैह्मान | कैलू |
| 7. | अमर चंद कोतवाल | |
| 8. | श्री अमर नाथ | डोडा |
| 9. | श्री अमर चंद | भाला |
| 10. | कोतवाल स्वामी राज | |
| 11. | श्री हरदयाल सिंह | |
| 12. | श्री दया कृष्णा कोतवाल | |
| 13. | श्री स्वामी राज कटल | |
| 14. | अधिवक्ता श्री स्वामी राज | |

| कश्मीर | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री माखन लाल ऐमा | प्रचारक |
| 2. | श्री ओमकार नाथ काक | प्रचारक |
| 3. | श्री निरंजन नाथ कौल | प्रचारक |
| 4. | श्री टीका नाल टपलू, अधिवक्त | |
| 5. | श्री बृज नाथ मिया | प्रचारक |
| 6. | श्री जानकी नाथ धोबी | प्रचारक (वर्तमान यू.एस.ए.मे) |
| 7. | श्री अमरनाथ वैष्णवी | प्रचारक |
| 8. | श्री डी.पी. नक्काशी | प्रचारक, पालमपुर (शिमला एच.पी) |
| 9. | श्री सोम नाथ | हरि सिंह, हाई स्ट्रीट, श्रीनगर |
| 10. | श्री अमर नाथ | नई सराक, श्रीनगर |
| 11. | श्री प्रेम नाथ भाट, अधिवक्ता | अनन्तनाग |
| 12. | श्री हीरा लाल चट्ठा | |
| 13. | श्री प्रेम नाथ मिया | |
| 14. | श्री सोम नाथ ओगरा | |
| 15. | श्री ओम प्रकाश सूरी | |

# संदर्भ के लिए कुछ पत्र एवं समाचार पत्रों की कटिंगस

नं0............ जम्मू ....20/8/...... १९५६.

My Dear Shri

In view of the special provisions proposed to be incorporated in the Jammu and Kashmir Constitution in order to maintain its distinctive character from other Indian States, thereby not only negativing the trumpted accession with India but also depriving the State people of the Fundamental rights (Election Commissioner, Supreme Court Etc.) provided in the Indian Constitution, it has been decided to hold a special conference of Praja Parishad on 22,23 24 September, 1956, to discuss and decide the line of action to be adopted to prevent the adoption of the Constitution in the said form and scope fraught with dangerous consequences and to have it amended as to be line with the Indian Constitution like other parts of the country.

You are, therefore, requested to make it convient to participate in the conference and guide us at this critical hour of our national life and suggest all that we should do to fight the seperatist tendencies raising its ugly heads in this part of the country.

I think keeping in view the importance of the conference and the issue, you would kindly adjust your valuable time accordingly.

An early reply is solicited. The detailed programme of the conference will be conveyed after some days.

With best wishes,

Yours sincerely,
Premnath Dogra
(Prem Nath Dogra)
President,
Praja Parishad,
JAMMU.

This letter has been sent to the leaders of the different political parties i.e. Chatterji, Kriplani, Ashok Mehta, S.P. Ghosh, Sanghchalak etc.

# Jammu & Kashmir Praja Parishad

**जम्मू-कश्मीर प्रजापरिषद**

*( Central Office Jammu )*

Ref. No ....94/2/F

Dated ..2.7.1951.

Dear Sir,

This is in continuation of our previous letter No.91/2/F, 26.6.1951. It has been learnt from reliable sources that the Kash-mir Government has come to harbour certain doubts and misgivings about the bonafides of the Praja Parishad. Parishad has declared so many times in its statements as well as in public speeches that its aims and objects are to serve the people of Jammu and Kashmir State irrespective of religion,caste, creed or language and that it is national in out-look and considers every citizen of the Stat equal and that it is with the Government, as long as the Governme is furthering these aims and objectives and where the Government departs from these aims and objectives, it would offer healthy opposition, but in no case it would disturb the peace of the Stat So far and in future too the Praja Parishad will remain wedded t this policy inspite of provocation and incitement from some Natio Conference workers who are out to produce wrong impressi and create bad blood and incite people to violence. They are acting on the policy of giving the dog a bad name and kill it. The National Conference workers are resorting to such tactics as will create disturbances in the State and thus strenthen the hands of Pakistan as will be clear from the facts detailed below:-

1. We have been charged with making provocative and offensiv speeches, but the fact is that Mr. Motiram Baigra and his companion are openly preaching violence. He delivered a speech at Reasi say-ing that Praja Parishad people are murderers, dacoits and bad char-characters. They should be tied with ropes, seriously beaten, m to sit on donkeys and then driven out to be drowned in the river Chenab etc. He preached violence and excited the public, but th Praja Parishad people kept their heads cool and behaved nicely a saved the situation which otherwise would have become serious. fact was brought to your notice at that very time and twice aft that as well. But no notice has been taken of this inlammatory speech.

2. The incident of Suchmahadev in Chaneni Illaqa, Distr Udhampur, has already been brought to your kind notice. The meeting organized by Praja Parishad was disturbed with the help of a Police officer. A batch of fifty people armed with axes and lathies raise anti-slogans, terrorised the audience and abused the workers and fell upon them mercilessly. As a result thereof two persons were seriously beaten. The Sub Inspector on spot and the Superintendent of Police Udhampur did not entertain the written report of the vic-tims. The Medical Officer refused to examine and issue a certificat of the injuries. The Deputy Commissioner also remained lukewarm and took no notice of these facts when brought to his notice. The vic-tims had to be removed to Jammu Hospital for dressing etc.

On the other hand efforts are being made to involve our

# Jammu & Kashmir Praja Parishad

## जम्मू-कश्मीर प्रजापरिषद

*( Central Office Jammu )*

Ref. No ........ -3- Dated........

and members who try to protect everybody and even shed their blood to defend them.

4. To condemn the unlawful action of the Goondas at Sudh Mahadev, the people of Udhampur observed complete hartal spontaneously to express their resentment at these inhuman and barbarious acts of the anti- national and anti-social elements. But the National Conference and the Kashmir Government took exception to it. They are against the people expressing their feelings and condemning such unjust, barbarous and inhuman acts, because the perpetrators belong to its group and that of Mr. Baigra. On the other hand, the people were victimized by cancelling the permit of some cloth dealers with a view to frighten, suppress and discourage the public. Similarly permits of four dealers of Samba have been cancelled as a result of hartal observed to protest against the arrest of Th. Raghunath Singh Samyal. These are clear instances of suppression and harasment.

5. The shopkeepers whose licences and permits have been cancelled approached the District Supply Officer, Udhampur, and requested him to tell the grounds upon which their permits were cancelled. He told them that he was helpless and that he had been verbally ordered by Ali (Deputy Commissioner Udhampur) that licences and permits of all Praja Parishad dealers should be cancelled. When the dealers requested The District Supply Officer to furnish a copy of the orders in order that they might lodge an appeal, the District Supply Officer insulted and turned them out of his room.

6. Mr. Aga Nasir Ali, Deputy Commissioner, Udhampur, in a speech at village Jib In Udhampur District preached violence and exhorted the audience to receive the Praja Parishad people with lathies and ropes so that they might not dare again to enter their village.

7. On 8th Jeth 2008, Pandit Premnath Dogra, President, Praja Parishad, went on tour to Poni, where a public meeting was held at night. As a result of his visit to the place two Zaildars and two Nambardars have been suspended on the grounds that they took part in giving reception to Pandit Premnath Dogra. The ground is absolutely false because no such reception could be held at all at 9 in the night the time of his arrival in the town. It may be brought to your notice that this is not the first instance of this kind. This has become a practice to harass and trouble the persons who take part in Pandit Jee's reception or attend our meetings. This is a travesty of democracy as in its practice here, the aggressor is encouraged the aggrieved is victimized exactly as the U.N.O. is doing in the Kashmir dispute.

9. On 12th Har 2008, S. Budh Singh, and Hon'ble Girdharilal Dogra went to Hiranagar for election propaganda. Failing to get a good audience, they arranged a Cinema Show at night through the State Publicity Department. During the show, Mr. Lalman, a Patwari at Hiranagar, stood up and began to deliver a speech which was full of malicious propaganda against Praja Parishad. Mr. Jawala

# Jammu & Kashmir Praja Parishad

जम्मू-कश्मीर प्रजापरिषद

( Central Office Jammu )

-4-

Dated........

Ref. No ........

Prakash, a Vakil of Hiranagar, objected to this on the ground that he is an official and his position does not allow him to say anyth against or in favour of any political party. At this the said Pat wari raised a slogan " Sher-i-Duggar Murdabad". The public left th place. The Police Sub Inspector arrested Mr. Jawalaprakash along with Mr. Devkinandan our workder at Hiranagar. Next day both of t were produced before the court under Section 151/107.

All these facts confirm the doubts and fears that the Government's efforts are directed against the Praja Parishad and that the Government will not allow fair and impartial elections. The Praja Parishad on the hand is endeavouring to maintain law and order in full appreciation of the critical situation and with a view to disallusion the Security Council that the elections in the State can be conducted fairly and impartially. I am afraid that if this process harasment and arrests ais not put a stop to, the chances of healthy and peaceful atmosphere would be lessened and free and fair elections would not be possible.

Yours faithfully,

Durga Dass Varma
(Durga Dass Varma)
General Secretary,
All Jammu & Kashmir Government,
Srinagar.

Hon'ble Bakhshi Ghulam Mohammed,
Deputy Prime Minister,
Jammu & Kashmir Government,
Srinagar (Kashmir).

The Wing committee of all Jammu and Kashmir Praja Parishad
which m here at Pathankot under the Presidentship of Th. Dhananter Singh passed the following resolution on the move of the Constituent Assembly to make Jammu and Kashmir State an autonomous Republic

Jammu and Kashmir Praja Parishad has made it repeatedly clear that it looks upon the Jammu and Kashmir State as an integral part of India therefore wants its accession to India to be full and unconditi like that of other acceding States. This is the view held by most people of the State Hindus, Muslims, Sikhs and Budhists alike. It has therefore been shocked by the plan of the National Conference as disclosed by Mirza Mohd. Afzal Beg, Chairman of the Basic Principles Committee of the one party Constituent Assembly, to make Jammu and Kashmir State an autonomic Republic with a separate National Assembly separate President and separate Judiciary. It amounts to calling off the Jammu and Kashmir State from India for all practical purposes. The Praja Parishad is opposed to this anti-national move which, if allowed to materialise will besides creating a very anomalous position for the State fraught with grave dangers to both the State and rest of Indi will break fundamental Unity of the State and her people with India. This the Parishad feels will be harmful for the best interest of the State and the rest of India alike.

The Parishad therefore calls upon the people of the State to raise their voice of protest against this dangerous move of the Constituent Assembly which represents only one party and has no right to decide anything for the State. It calls upon the Praja Parishad Committees to hold protest meetings and educate public opinion about the dangers inherent in the plan to make the State an autonomous Republic within the Indian Republic. Protest resolution expressing opposition of the people to this move should be passed at such meetings and their copi forwarded to the Government of India and the President of the Constituent Assembly and the Chief Minister of the State.

As the President and many of the members of the Praja Parisha

vested with full powers of the committee & individually with the responsibility to lead the people till the emgency lasts. His decisions shall be deemed as the decisions of the committee. He is also authorised to nominate a successor if and wh felt necessary.

Dhananter Singh Slathia
Vice President
ALL JAMMU & KASHMIR
PRAJA PARI...

From:
Bal Raj Madhok,
Organising Secretary,
Jammu & Kashmir Praja Parishad
(C/o Paramount Press, Dariaganj, Delhi).

To
Shri G.S. Bajpai,
Secretary General,
External Affairs Ministry,
Government of India, NEW DELHI.

Dear Sir,

I beg to submit as 'aide-memoir' the gist of the points that I made out during my talk with you on the [illegible].50 as also those which I could not touch due to shortage of time, regarding the view point of the Praja Parishad, the most representative organisation of India held Jammu Province of the Jammu & Kashmir State, about the Kashmir problem.

1. The Praja Parishad would have liked the Government of India to not to ri[sk] a plebiscite in Kashmir at this or any future time. But since the Government of India stands committed to it, it would be most impolitic and undemocratic to allow the predominantly Muslim population of Kashmir to decide the future of the Dogras of Jammu or Ladakhis of Ladakh with whom they have nothing in common whatsoever by holding the plebiscite taking the whole State as a unit. The choi[ce] of the people of Jammu and Ladakh to remain a part of India is clear and unequivocal. Therefore no plebiscite is needed there. If it must be held at all it should be confined to Kashmir valley alone.

2. Praja Parishad is as much opposed to the independence of the State as to its accession to Pakistan. It is therefore perturbed by the subtle moves of Sh. Abdullah and his communist supporters to secure independence for the entire India held part of the State. Let the Government of India and Sheikh Abdullah do whatever they think proper with Kashmir valley. But nothing should be done to break the natural, historical, political, economic and cultural ties of the people of Jammu (from Pathankot and Banihal) and Ladakh with India.

3. Care should be taken to keep Bhadarwah (Hindu majority) and Kishtwar (slight Muslim majority now due to immigration of Kashmiri Muslims), the two richest and strategically most important parts of Jammu with Jammu and Bharat. This is important because Sheikh Abdullah's Government has been trying in a very subtle way since its very inception to cut them off from the Hindu majority districts of Udhampur and thus destroy the territorial link between Jammu and Ladak[h]. They have been constituted by them into a new district of Doda whose Muslim population has swelled recently by Kashmiri Muslim immigrants from Kashmir valle[y] from across the Banihal and other passes that link Jammu with Kashmir valley.

4. In deciding the future of the State or taking any other decisive step concerning it the representatives of Praja Parishad should also be consulted. The Government of India, I would like to assure you, can always depend upon Praj[a] Parishad for anything for the good of India and the State.

I would like to post you with some more facts and therefore would request you to give sometime on some other day at your earliest convenience.

Yours faithfully,

Dated.
the 27th May 1950.

( Bal Raj Madhok )

## काश्मीर के भारत में विलय पर श्री नेहरू ने बाधा दी

—डा० मुकर्जी

(कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा)

नयी दिल्ली, २ जनवरी। अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डा. श्यामाप्रसाद मुकर्जी ने आज यहां एक प्रेस कांफ्रेंस में भाषण देते हुए कहा कि शेख अब्दुल्ला ने उनसे कहा था कि वे कश्मीर संविधान सभा से कश्मीर को पूरी तरह भारत में मिलाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकार करने को कह सकते हैं, किन्तु उन्हें ऐसा करने से श्री नेहरू ने रोक दिया।

आपने कहा कि यदि शेख अब्दुल्ला अभी भी कश्मीर घाटी के निवासियों को भारत में पूरी तरह मिलने के लिए नहीं कह सकते तो जम्मू व कश्मीर की जनता को आत्म-निर्णय का अधिकार न देना न्यायपूर्ण नहीं।

### निजाम को हटाने की मांग

डा. मुकर्जी ने मांग की कि हैदराबाद के निजाम को समाप्त कर दिया जाय या राज्य को विभाजित कर समीपवर्ती राज्यों में मिला दिया जाय। आपने कहा कि यह मांग जनता की मांग है। यहां तक कि हैदराबाद कांग्रेस ऐसी मांग करती रही है।

अंत में डा. मुकर्जी ने कहा कि सात व्यक्तियों का एक शिष्टमंडल जम्मू में स्थिति की जांच के लिए जा रहा है।

## लाठियों-गोलियों से जम्मू-आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता

### डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी द्वारा नेहरू व अब्दुल्ला सरकार को चेतावनी

(हमारे कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा)

दिल्ली, २ जनवरी। भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने आज शाम को रामलीला मैदान में एक विशाल सार्वजनिक सभामें भाषण देते हुए कश्मीर की अब्दुल्ला सरकार व भारत की नेहरू सरकार को चेतावनी दी कि जम्मू व कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से विलीन करने का जम्मू प्रजा परिषद का आन्दोलन न्यायपुक्त एवं देशभक्तिपूर्ण है, अतः उसे लाठियों-गोलियों से हरगिज दबाया नहीं जा सकता। आपने यह रचनात्मक सुझाव दिया कि सभी गिरफ्तार सत्याग्रही नेताओं व कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा किया जाय और जम्मू व कश्मीर के सभी दलों के नेता एक साथ बैठकर एक दूसरे के दृष्टिकोण को खुले दिल से समझने का प्रयत्न करें औरदेशहित को दृष्टि में रखकर कोई ऐसा समझौता कर लें जिसमें सब की इज्जत बनी रहे।

डा. मुखर्जी ने आरम्भ में कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अलग अलग विचार करना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से—खासकर सुरक्षा कौंसिल के हाल के प्रस्ताव को देखते हुए—हमारी यह दृढ़ धारणा है कि कश्मीर का मामला सुरक्षा कौंसिल से वापस लिया जाना चाहिए।

डा. मुखर्जी ने कहा कि कश्मीर के

नवभारत टाइम्स
2 जनवरी
दिल्ली, शुक्रवार माघ कृष्णा २ सम्वत् २००९

# जम्मू प्रजा-परिषद का सत्याग्रह

कुछ सप्ताह पूर्व जब कि संसद की लोकसभा के अधिवेशन में जम्मू की प्रजा-परिषद के सत्याग्रह की चर्चा चल रही थी, तब हमने लिखा था कि इस सत्याग्रह का अधिक विस्तार होने से पहले ही इसके कारणों का निवारण कर देना चाहिये, क्योंकि यदि यह सत्याग्रह फैल गया तो जम्मू की विशिष्ट परिस्थितियों में इसका दमन करना सरल कार्य नहीं होगा। हमें उस समय यह चेतावनी देने की आवश्यकता विशेष रूप से इस कारण प्रतीत हुई थी कि इस विषय पर लोकसभा में प्रधानमंत्री श्री नेहरू द्वारा दियागया वक्तव्य हमें वास्तविकता पर कम और राजनीतिक पक्षपात पर अधिक आधारित जान पड़ा था।

हमारी चेतावनी के पश्चात घटित हुई घटनाओं ने हमारे भय, संदेह और संभावना को पुष्टतर कर दिया है। इस सत्याग्रह को आरंभ हुए अब लगभग डेढ़ मास बीत चुका है। इसमें लगभग पन्द्रह सौ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सत्याग्रह का विस्तार जम्मू, ठुवा, ऊधमपुर, राजौरी, भद्रवाह, छम्ब, अखनूर और सांबा आदि नगरों में तो हो ही चुका है, दूर-दूर के ग्राम भी इससे अप्रभावित नहीं रहे हैं। जिन व्यक्तियों की गणना प्रजा-परिषद के नेताओं में की जाती है, प्रायः उन सबके गिरफ्तार हो जाने पर भी सत्याग्रह की गति में मंदता नहीं आई, अपितु कुछ तीव्रता ही हुई है। पुरुषों के अतिरिक्त स्त्रियां भी इस आंदोलन में, अनुपेक्षणीय संख्या में, भाग ले रही हैं।

जैसाकि हमने पहले भय प्रकट किया था, केवल काश्मीर की सरकार अपने साधनों से इस सत्याग्रह का दमन करने में सफल नहीं हो रही है। भारत से भी उसकी सहायता के लिये पुलिस और शस्त्रास्त्र की सहायता भेजी गई है। प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने लोकसभा में शिकायत की थी कि इस सत्याग्रह को रियासत के बाहर से सहायता दी जा रही है। उनकी यह शिकायत अब यथार्थ हो चुकी है। हिंदू महासभा के भोपाल अधिवेशन में और जनसंघके कानपुर, अधिवेशन में उनके अध्यक्षों ने असंदिग्ध शब्दों में इस सत्याग्रह का समर्थन किया है। जनसंघ के अध्यक्ष ने तो इस सत्याग्रह की सहायता के लिये स्वयंसेवक तक भेजने की तत्परता दिखलाई है। कश्मीर की अब्दुल्ला-सरकार को भारतीय पुलिस की सहायता भेजे जाने के पश्चात जम्मू की प्रजा-परिषद को भारत की जनता द्वारा—वह चाहे जनता के एक अंश द्वारा ही क्यों न हो—सहायता का दिया जाना तर्क और राजनीतिक औचित्य के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। जम्मू की प्रजा-परिषद [illegible] के बौद्ध नेताओं ने, [illegible] समस्त कश्मीर, जम्मू और लद्दाख [illegible] अब्दुल्ला की सरकार को अर्पित कर देने का निश्चय करने से बहुत पहले ही, कई बार भारत के सम्बद्ध अधिकारियों से प्रार्थना की थी कि जम्मू और लद्दाख को बिना किसी शर्त के पूर्णतया भारत का अंग बना लिया जाये। परन्तु न जाने क्या सोचकर भारत-सरकार के नेताओं ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। जम्मू के विषय में तो संभवतः उनका विचार यह था कि वहां की प्रजा-परिषद जम्मू की जनता का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसलिये उन्होंने प्रजा-परिषद की प्रार्थना को न केवल उपेक्षा की दृष्टि से देखा, अपितु प्रजा-परिषद की, उसे प्रतिगामी बतलाकर, निन्दा भी की। लद्दाख के बौद्ध नेताओं के विषय में उनके पास इस प्रकार का सन्देह करने का कोई कारण नहीं था, तो भी उन्होंने उनकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया।

महाराजा हरिसिंह की प्रार्थना पर पाकिस्तान के आक्रमण से जम्मू और कश्मीर की रक्षाके लिये भारतीय सेनाएं भेजते हुए, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि वह इनके भविष्य का अंतिम निश्चय वहां की जनता का मत जानकर करेगी। कश्मीर का प्रश्न विवादास्पद होने के कारण वहां जनमत का संग्रह करना सरल कार्य नहीं था, परन्तु जम्मू और लद्दाख में यह कार्य सुगमतापूर्वक किया जा सकता था। भारत-सरकार ने न केवल इसे नहीं किया, प्रत्युत इन दोनों प्रदेशों को कश्मीर के साथ नत्थी कर दिया। यदि भारत-सरकार अब भी अपना मार्ग बदल ले, और केवल शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों की इच्छा को ही समस्त जम्मू और लद्दाख की जनता की भी इच्छा मानने का आग्रह छोड़ कर इन दोनों प्रदेशों को पूर्णतया भारत के साथ मिलाने के लिये तैयार हो जाये, तो न केवल जम्मू के सत्याग्रह का तुरन्त अन्त हो सकता है, अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और शासनिक समस्याओं का भी स्वयमेव हल हो सकता है।

परन्तु हमें लगता है कि इस सम्बन्ध में हमारे प्रधानमंत्री श्री नेहरू वैसा ही हठ कर रहे हैं जैसा कि अब से ५ या ६ वर्ष पूर्व इस देश के ब्रिटिश शासक इस देश की जनता की इच्छाओं का आदर न करने में किया करते थे। अब समय है कि भारतीय जनता इस सम्बन्ध में अपने विचारों और अपनी भावनाओं को, किसी भी व्यक्ति या पार्टी का लिहाज न करके, स्पष्ट प्रकट कर दे, जिससे सरकार के नेता अपनी भूल समझ लें, पारस्परिक कटुता का अनावश्यक विस्तार अविलम्ब रुक जाये और जम्मू में डेढ़ मास से जो अप्रिय घटनायें घटित हो रही हैं उनका अन्त हो जाये।

---

# जांच मंडल भेजने का निश्चय

हिन्दुस्तान 2 जनवरी

कानपुर, १ जनवरी। अ० भा० जन संघ की कार्यकारिणी ने आज सुबह यहां अपनी बैठक में निश्चय किया कि जम्मू में यथार्थ स्थिति का अध्ययन करने के लिए सात व्यक्तियों का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाय। इस निश्चय की सूचना देते हुए संघ के अध्यक्ष डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा कि यह प्रतिनिधि मंडल संघ को जम्मू की नवीनतम घटनाओं के संबंध में रिपोर्ट देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जन संघ के अधिवेशन में स्वीकृत किये गये प्रस्ताव सम्बद्धसरकारों पर जोर डालने के लिए भारत सरकार को भेजे जायंगे।

## नेताजी की मृत्यु के बारे में जांच की मांग

नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु के संबंध में डा० मुखर्जी ने कहा कि भारत सरकार को इस संबंध में वास्तविकता का पता लगाने के लिए अविलम्ब एक जांच कमेटी नियुक्त करनी चाहिए। यदि इस की पुष्टि हो जाय तो नेताजी की अस्थियां टोकियो से भारत लाकर दिल्ली में कहीं प्रतिष्ठापित की जानी चाहिएं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लाल किले का नाम नेताजी किला रख देना चाहिए क्योंकि लाल किले पर राष्ट्रीय झंडा फहराना श्री सुभाषचन्द्र बोस की एक चिर अभिलाषा थी।

Hindustan Standard
Delhi
24.4.52

SRI PREM NATH DOGRA, President of the Praja Parishad, Jammu and Kashmir, (with garlands) was given a reception on his arrival in Delhi at the Railway Station on Wednesday morning.

## Jammu Praja Parishad Chief In Delhi

### Address At Public Meeting

NEW DELHI, APRIL 23.—Sri Prem Nath Dogra, President of the Jammu Praja Parishad, told a public meeting here today that the Parishad would continue to agitate for the full application of the Indian Constitution to the State of Jammu and Kashmir.

"We also want to enjoy the freedom of Press and platform which the Constitution of India guarantees to all its citizens and of which the people of the State are deprived. We want the jurisdiction of the Supreme Court of India to be extended to the State so that liberty of the individual is guaranteed and enforced in the State also," he said.

Sri Dogra refuted the charge that the Parishad was a communal organisation and said its main aim was to educate the people of Jammu, who were politically more backward than the people of Kashmir.

Referring to the recent student agitation in Jammu, he said as a citizen he surely sympathised with the school children, but as President of the Parishad he scrupulously avoided being entangled in the affair.—P.T.I.

## Sheikh Abdullah And Communalism

Sir,—Since Prime Minister of Kashmir, Sheikh Abdullah's statement of April 11, our Prime Minister Sri Nehru has said that he did not like the tone of the speech and we read with pleasure your excellent editorial "Kashmir" in your issues of April 15-16.

Sheikh Abdullah wanted to clarify his statement and even his latest has not satisfactorily done so. Where was the justification for the most uncalled for speech? One should remember that the Indian boys sacrificed themselves for and are still defending that land and India is yet spending crores for it.—Yours, etc., ANNADA PRASAD MAJUMDAR, Advocate, Calcutta.

"Hindustan Times" D/3-5-52

## KASHMIR'S TIES WITH INDIA

### Controversy Regretted

SRINAGAR, May 2.—Addressing a May Day meeting in Srinagar last night, the Deputy Prime Minister of Kashmir, Bakshi Ghulam Mohamed, said the people of the State could never be separated from the rest of India. He said there was no greater friend of India than Sheikh Abdullah.

Communalists and saboteurs, Bakshi Ghulam Mohamed said, were trying to sow seeds of dissension, but this should never be countenanced. He said certain elements in India were doing a disservice to India and Kashmir by imputing statements and views to Sheikh Abdullah that were not his. In doing so, Bakshi Ghulam Mohamed said, they were not only hurting the sentiments of millions of Indians, but also the sentiments of Sheikh Abdullah's followers in Jammu and Kashmir.

Kashmir's special position, he said, had been conceded not only in the Instrument of Accession, but also in India's Constitution. There was no room for confusion or controversy about this.

**U.N. MEDIATION**

Referring to the U.N. mediation efforts in Kashmir, Bakshi Ghulam Mohamed said Kashmiris were not in the least perturbed over how interested world Powers proposed to tackle the Kashmir problem. They knew their destiny was in their own hands. As far as Dr Graham was concerned, Kashmiris did not mind his visiting this country once again, if he chose to. But he made it clear their fundamentals stand on the question of accession would remain unaltered.

Bakshi Ghulam Mohammed dwelt at length on Indo-Kashmir relationship and said: "I wish to make it clear that dream of those communal elements who demand the application of the entire Indian Constitution to Kashmir will never materialise. Kashmir has acceded to India only in respect of three subjects, namely, Defence, Communications and Foreign Affairs. We are free to shape our destiny, so far as the other subjects are concerned."

The Indian Press has known Sheikh Abdullah for more than 20 years as a real and sincere friend of the Indian people. Why should any one turn round suddenly and impute motives to him, he asked.

He said: "Let me make it clear that nothing can break the bonds of kinship between Kashmir and India."

He also referred to the land reforms in Kashmir and said Kashmir had already given a lead to India in this respect. "What Kashmir has done today other Indian States will do tomorrow."

Bakshi Ghulam Mohammed appealed to the Indian Press and leaders "to respect the sentiments of Sheikh Abdullah and write and speak about Kashmir after due deliberation and in the best interest of India and Kashmir."—U.P.I.

"Tribune" 2/35.52

## Accession To India Irrevocable, Says B. Ghulam Mohd.

*(From Our Own Correspondent)*

SRINAGAR, May 2. — Bakshi Ghulam Mohammed, Kashmir's Deputy Premier, said here last night that nothing could separate Kashmir from India. Addressing a May Day rally, he said: "If the present unfortunate controversy over Kashmir's position had done anything it has only brought us closer to India than ever before. All interested attempts to draw Sheikh Abdullah away from India, the land of Gandhiji and Pandit Nehru are bound to fail. There is no greater friend of the Indian people than Sheikh Abdullah."

He went on to say: "Kashmir has acceded to India only in defence, foreign affairs and communications, and so far as the rest of subjects are concerned, it is free to decide her destiny in whatever way she pleases. No one can doubt or question Kashmir's freedom to decide her internal affairs. Some interested elements in India and Jammu are wrong if they think that they can force Kashmir to accede to India in subjects other than the three subjects in which she has already acceded. Kashmir's special position has been clearly laid down in the Instrument of Accession. There is no reason why some quarters should raise a controversy at this stage."

He asserted it was wrong on the part of anybody to think that they "can bring down Sheikh Abdullah. We will never permit our leader to be brought down. We will always stand by him."

He said that Kashmir had transferred land to tillers without paying any compensation to landlords and claimed that land would be transferred to tillers all over India and "Kashmir lead would be followed."

U.P.I. adds: Referring to U. N. mediation efforts he said Kashmiris were not perturbed over how interested world powers tackled the Kashmir problem. They knew their destiny was in their own hands. Kashmiris, he said did not mind if Dr. [G]raham visited the State again. But he should know that fundamental stand on the question of [acc]ession would remain unaltered.

## ...द का आन्दोलन जमींदारों का आन्दोलन है'

### ...कार लोगों की शिकायतें दूर करे

जालंधर, ३ फरवरी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की पंजाब प्रान्तीय कमेटी ने कल एक सभा में एक प्रस्ताव पास कर कहा कि जम्मू में प्रजापरिषद का आन्दोलन "प्रतिक्रियावादी उद्देश्यों के लिए प्रतिक्रियावादी जमींदारों का आन्दोलन है।"

प्रस्ताव में पंजाब और पेप्सू की प्रजातंत्री शक्तियों से एक होकर प्रजापरिषद् के इस भयंकर दल के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा गया। प्रस्ताव में कहा गया कि यह खेल जिसे हिन्दू महासभा और जनसंघ और अकाली नेताओं का समर्थन प्राप्त है, राजप्रमुखों और भारत के अन्य सामन्ती तत्वों के हित में तथा काश्मीर का विभाजन करने की आंग्ल-अमरीकी चाल को आसान बनाने वाला है।

कमेटी ने अपनी सब शाखाओं को आदेश दिया कि वे १५ फरवरी को "जम्मू काश्मीर दिवस" मनाएं।

प्रस्ताव में कहा गया कि प्रजा परिषद् "भारत में पूर्ण विलय या काश्मीर का विभाजन" का नारा लगा कर जम्मू और काश्मीर तथा भारत के लोगों की एकता भंग करने के लिए बड़ा आन्दोलन चला रही है।

उनकी मांग देशभक्तिपूर्ण जान पड़ती है परन्तु उसका राजनीतिक अर्थ यह है कि काश्मीर के भूमि सुधारों को खत्म करने के लिए पुनः महाराजा हरि- को राजप्रमुख बना दिया जाय।

प्रस्ताव में कहा गया कि प्रतिक्रियावादी जमींदार भूमिसुधारों के कारण असन्तुष्ट किसानों और रियासती सेना के भारतीय सेना में विलय के कारण बेकार हो गये असन्तुष्ट सिपाहियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

प्रस्ताव में कहा गया, कमेटी यह महसूस करती है कि इस आन्दोलन का सामना लोगों के विरुद्ध दबाव के कदम उठाकर नहीं किया जा सकता। उसने जम्मू और काश्मीर सरकार तथा भारत सरकार से कहा कि वह लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए कदम उठाये।

बुलन्दशहर

---

## ...SOLUTION IN LINE WITH BASIC PRINCIPLES

### Bajpai Re-affirms India's Stand

GENEVA, February 2.—Mr. Girja Shanker Bajpai, leader of the Indian delegation to the Kashmir talks which open here tomorrow, told reporters to-day that the Indian Government was "anxious and earnest in their desire to reach a settlement of the Kashmir dispute, but any solution must be in line with their basic principles."

Mr. Bajpai said, he brought no new proposals and that the conversations which will be held between himself and Sir Zafrullah Khan, Pakistan Foreign Minister, under the auspices of United Nations Kashmir Mediator, Dr. Frank Graham, would be based on the United Nations resolutions of August, 1948, and January, 1949, which call for the demilitarisation of the area and the holding of a plebiscite.—Reuter.

---

## Police Open Fire On Parishad Mob: 4 Killed

(From Our Own Correspondent)

JAMMU, Jan. 31.—Four persons were killed and two injured last evening in a police firing on a Parishad mob at Jourian town in Tehsil Akhnoor, about 30 miles from Jammu.

A Government Press Note issued here stated that the processionists in spite of being warned did not disperse and pelted stones at police and authorities on the spot, resulting in injuries to some policemen. Thereupon the procession was 'lathi' charged but it did not disperse.

The Press Note added: The mob made a determined attack and tried to grapple with the small police force on duty. The Magistrate then ordered the use of tear gas. At this stage, finding that the police force was in the imminent danger of being overpowered by a mob and that lives of officers were in grave danger the Magistrate ordered fire to be opened in the air. A few rounds were fired in air but the mob showed no signs of dispersing whereupon fire was ordered to be opened more effectively."

Amongst the senior officers who were present on the spot were Sardar [illegible] Nandan Singh, State's Inspector General of Police, Kanwar Narindra Singh, Deputy Commissioner, Jammu, and Brigadier [illegible], Commandant, State Militia.

A Government spokesman told pressmen here today that for about 10 days condition of grave lawlessness had prevailed in parts of Jammu Tehsil and Akhnoor Tehsil of Jammu district. He added that the worst feature of this was that it was aimed not only against police or magistracy but even schools and dispensaries had been attacked and made inoperative and normal life had been hindered.

He said that the doctor at a dispensary was assaulted and made to shout pro-Parishad slogans and his dispensary was

ایڈیٹوریل

## نہرو اور جموں کا ستیہ گرہ

## प्रजा परिषद के जलूस पर पुनः अश्रु गैस का प्रयोग

(टाइम्स आफ इंडिया न्यूज सर्विस)

जम्मू, १ फरवरी। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जौरियां में प्रजा-परिषद के एक और जलूस पर अश्रुगैस छोड़ी गई। गत शुक्रवार को यहां पुलिस की गोली वर्षा में ४ व्यक्ति मारे गए थे तथा २ घायल हो गए थे।

आज जम्मू, अखनूर तथा काठुआ में गोलीकांड के विरोध में हड़ताल रही। बसोली में दो फरार कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए।

### टांडा में अश्रुगैस

प्रेस ट्रस्ट के अनुसार अखनूर के समीप पुलिस ने एक हजार व्यक्तियों की एक भीड़ को तितर बितर करने के लिए अश्रु गैस चलाई। भीड़ एक माल अफसर को लगान वसूल करने से रोक रही थी।

## टांडा में प्रजापरिषद द्वारा पुलिस को अश्रु गैस

जम्मू, १ फरवरी। अखनूर के पास टांडा में पुलिस ने अश्रुगैस का प्रयोग किया ताकि एक हजार से अधिक प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर किया जा सके जो एक जैलदार को लगान वसूल करने से रोक रहे थे।

जम्मूनगर और जम्मू प्रांत के कुछ गांवों में आज जौड़ियान में गत शुक्रवार को पुलिस द्वारा चलाई गई गोली के विरुद्ध हड़ताल की गई। इस गोलीकाण्ड से चार व्यक्तियों के मरने की खबर प्राप्त हुई थी।

## कश्मीर सरकार जनसंघ से मान्यता देने को तय्यार नहीं

जम्मू, १ फरवरी। जम्मू तथा कश्मीर सरकार के विकास मंत्री श्री शामलाल सराफ ने कल यहां कहा कि कश्मीर सरकार किसी भी हालत में भारतीय जन संघ व हिन्दू महासभा को मान्यता देने या उनके प्रतिनिधियों को प्रजापरिषद के आन्दोलन की जांच के लिए काश्मीर में घुसने देने के लिए तैयार

## SECTION 144 IN NEW DELHI

### DEMONSTRATION ON JAMMU FIRING

By A Staff Reporter

Meetings and processions have been banned in New Delhi for 15 days under Section 144 CrPC. The order was promulgated on Sunday afternoon when the Additional District Magistrate, Mr H. S. Dhillon, accompanied by a strong police force, asked about 1,000 Jana Sangh demonstrators to disperse.

The demonstrators, carrying black flags, were shouting slogans against Mr Nehru and Sheikh Abdullah's administration in Kashmir. They were protesting against the recent firing on a Parishad mob at Jourian, near Jammu.

The processionists were stopped at Scindia House in New Delhi, but some of them found their way to Prithviraj Road. Before they reached the Kashmir Trade Commissioner's office the ADM told them that Section 144 had been enforced. On the advice of a Jana Sangh leader, the demonstrators dispersed.

## PROTEST HARTAL IN JAMMU

From Our Correspondent

JAMMU, Feb 1.—A Parishad procession was tear-gassed today at Jourian, where four men were killed and two injured on Friday in police firing, it was officially learnt. One of the injured men died today.

A hartal was observed today in Jammu, Akhnoor and Kathua in protest against the firing. Processions were taken out at Basholi and Ramnagar.

## Police Disperse Procession In New Delhi

### JAN SANGH PROTEST AGAINST FIRING IN JAMMU VILLAGE

THE police on Sunday dispersed a procession which was organised by the Jan Sangh in New Delhi as protest against the police firing at Jourian in Jammu and Kashmir State.

The procession, consisting of over 1,000 persons, started from the Regal Park in the afternoon but was stopped near Scindia House by police officers who announced the District Magistrate's order under Section 144, Criminal Procedure Code, banning processions in the municipal limits of New Delhi.

Nearly 200 of the processionists, however, managed to reach Prithviraj Road individually in accordance with their plan to hold a black-flag demonstration in front of Kashmir Government offices. They were informed by the Additional District Magistrate, Mr. H. S. Dhillon, who headed a force of over 500 policemen that the order applied to meetings as well as processions. Mr. Mauli Chander Sharma, thereupon, told his followers to disperse as "your leaders have not yet decided to break the law." Despite his advice, however, a section of the crowd continued to shout slogans. Quiet was, however, restored by the leaders of the demonstrators who accompanied by a police escort made their way back.

The ban on meetings and processions within the municipal limits of New Delhi, Mr. Dhillon said, would be in force for 15 days.

Later in the evening, a number of public meetings were organised by the Jan Sangh in Old Delhi where speakers severely condemned the Kashmir Government's action in resorting to firing on Praja Parishad crowds and criticised the District Magistrate for stopping the Jan Sangh procession.

The Secretary of the Delhi Pradesh Jan Sangh, Mr. Kanwar Lal Gupta, said in a statement

THE UNIVERSAL PRESS SERVICE,
MADRAS-2, INDIA.

Subscriber No. ........ Clipping No. 4

Name of Newspaper Bombay Chronicle

Published at: Bombay.

Date 22/7/52 Page 2 Column No. 5,6

# Kashmir Must Accept Full Integration

## MOOKERJEE'S POSER TO ABDULLAH

NEW DELHI. July 20. (UPI).

DR. Shyama Prasad Mookerjee, President of the Bharatiya Jan Sangh, said here this evening that if Sheikh Abdullah regarded himself as an Indian first and then a Kashmiri and then a Muslim, he should have no hesitation in accepting full integration of Kashmir with India.

Addressing a largely attended public meeting in the Gandhi Grounds Dr. Mookerjee declared that the main point about Kashmir was not regarding the Maharaja's future or even the flag, but that since Kashmir was an integral part of the Indian Union, it should agree, at no distant time to be integrated with India just like any other Part 'B' State. If one or two local matters require special treatment, this can be separately examined in an atmosphere of goodwill and mutual understanding he said.

The Jan Sangh leader, in a 60-minute speech reviewed the Kashmir problem, East Bengal situation, food policy of the Government of India and the Preventive Detention Act.

### FUTURE OF THE RULER

Referring to Kashmir, Dr Mookerjee said that in fact the Maharajah's rule had largely come to an end and he is nothing but a mere constitutional head with no special responsibility. Whether the rulership will continue or not is not peculiar to Kashmir and it has to be decided in respect of the whole of India by none else but the Indian Parliament, Dr Mookerjee observed. What they wanted was a uniform system for the selection of the Governor or Raj Pramukh of every state within the Indian Union including Kashmir.

Dr. Mookerji was not prepared to treat the flag question as a minor issue. The adoption of a separate flag for Kashmir alone was a symbol, not of loyalty to India but one of cleavage and disruption, he said. Sheikh Abdullah and his supporters, he said, made no efforts in replying to the vital principles involved in these matters.

### NO PARTITION

He expressed surprise over the fact that the Kashmir Premier had charged his critics with a desire to partition Jammu and Kashmir. All that had been suggested was that if Sheikh Abdulla and his supporters remained stubborn, then a possible solution might be to allow Jammu and Ladakh to integrate fully with India and the Kashmir Valley to have a limited integration.

Referring to the "growing deterioration" in the East Bengal situation, Dr. Mookerjee expressed the fear that if the situation did not improve a disastrous calamity would befall India. He was simply amazed to find that the Pakistan Minister for Minorities had referred to the unabated exodus of non-Muslims from East Bengal as a natural event in this part of the year.

### AGGRESSION

The essential fact, he said, had to be borne in mind that Pakistan was determined not to keep the Hindus in East Bengal except the poorest classes who would remain as serfs and would soon become converts. What was happening was in the nature of aggression by Pakistan on India.

# Parishad Workers Meet In Jungle

## Decision To Agitate More Effectively

(From Our Own Correspondent)

JAMMU, Dec. 26.—An important two-day meeting of about 50 Parishad workers was held this week under the chairmanship of Shri Durgadass Varma, Dictator Parishad movement who has been declared by the Government an absconder. It was said in a Parishad press release that the meeting took place in a jungle near Riasi about 54 miles from Jammu and was also attended by Shri Makhanlal, a member of the Parishad Working Committee, who has been touring India ever since the Parishad movement began. He acquainted the meeting with outside reactions.

A press release added, "It was decided to run the movement on more effective lines, and some other important decisions were also made. The meeting also considered how to meet Government violence and wrong propaganda."

The participants from all over Jammu province expressed that people in their respective regions were prepared to make any sacrifices for the agitation, concluded the Parishad press release.

Another press release from the Parishad alleged harassment of the people by police and militia at Chhamb after the incident of 14th December there in which one man was alleged to have been killed by police firing. It made similar allegations about the behaviour of the police at Nowshera. According to the press release a large number of places have been raided at both these towns in search of Parishad workers. It also said, six persons offered themselves for arrest at Basohli on December 24.

The authorities at first refused to arrest them but on great insistence by satyagrahis they were all arrested.

# PARISHAD AGITATION

3 Jan

Continued from page 1 column 4) different, but the total reaction has been a multiplication of discontent.

Dispossessed landlords, already hurt over the loss of ancestral property, have been reminded that their statutory share of 25 acres each has much less value than similar allotments in the Valley, where production is appreciably higher owing to the greater fertility of the soil. Since those affected in Jammu Province are mostly Hindus, the hardship assumes a discriminatory aspect.

Credulous Hindu villagers, brought up to believe in the traditional patronage of successive Hindu rulers, are being told by Parishad propagandists that life under a Muslim Government, which remains "independent" in most material particulars, would mean loss of religion. Like the old familiar cry of "Islam in danger", this slogan finds ready listeners.

To the small Rajput community, to which Maharaja Hari Singh belongs, the disappearance of the Dogra dynasty has meant a double privation. As the most privileged class under the former ruler, the Rajputs have lost not only in material benefit but also in prestige. From the ruling class of yesterday, they have been turned into ordinary folk with the disadvantage, in some cases, of being marked men.

Not many people outside the State know that under the Maharaja the Dogra Rajput was automatic choice for the State army. As a member of the community, he was also exempt from being required to take a licence for firearms. While the second privilege has been abolished under the new regime, chances of recruitment to the armed forces have been limited by the disbandment of the State forces so that the Dogra Rajput must now take his opportunity with the rest for entering the Union defence forces.

When it is remembered that the Dogra Rajput has not only lost his old ancestral privileges but that he is at present ill-equipped to adjust himself to the new conditions, the conclusion is not difficult to reach that he is the most disgruntled element in the population. During my tour of Jammu Province this week, a young Rajput, when asked about his education, drew himself up with pride and almost snorted back: "We are Rajputs. We do not go to school". His answer suggested that mine had been a tactless question.

## DRASTIC CHANGES

This pathetic love of ignorance in a proud and brave community may have parallels in other parts of the country, especially in Rajasthan, but nowhere else have economic and political changes been so drastic as in Jammu and Kashmir. This remark is not intended to vilify Sheikh Abdullah's truly great work for his people, but the fact remains that a considerable section of the

# DR. MOOKERJEE WANTS INDIA TO WITHDRAW KASHMIR CASE FROM U.N.

Delhi — By EXPRESS Staff Reporter — Express — 3 January

DR. S. P. MOOKERJEE on Friday demanded withdrawal of the Kashmir complaint from the United Nations.

The Jan Sangh leader, who was addressing a Press conference in Delhi, reiterated his plea for a round table conference between the representatives of Kashmir Government and Praja Parishad to solve the present dispute.

He also demanded that the Kashmir Constituent Assembly should pass a resolution "finally and irrevocably" acceding to India.

Dr. Mookerji said that the East Bengal situation was fast deteriorating and referred to the Basic Principles Committee report of the Pakistan Constituent Assembly which he said "demonstrated the true character of Pakistan."

He added that the report showed that "people belonging to the minority community in Pakistan will not be allowed to live there as citizens enjoying equal rights."

## NO AID TO PARISHAD

Dr. Mookerji denied that his party had sent any financial or other aid to the Praja Parishad agitators though he said it fully sympathised with their movement.

Dr. Mookerji revealed that Sheikh Abdullah in his talks with him had said that he was willing to accede fully to India but Prime Minister Nehru did not allow it.

Dr. Mookerji criticised the Delhi authorities for using tear gas on a "peaceful procession" organised by the Jan Sangh in Delhi on New Year's Eve in observance of Jammu Day.

Later, at a public meeting which was addressed by the Jan Sangh president, a resolution was passed demanding "judicial inquiry" into the matter.

Page 45

3/1/53

# 20 SATYAGRAHIS ARRESTED

Times of India

## Jammu Agitation

3 Jan.

From Our Own Correspondent

JAMMU, January 2: About 20 Parishad volunteers were taken into custody last evening for taking out an unauthorised procession in Jammu city.

A Parishad press release alleged that some days back the authorities made some satyagrahis forcibly bathe in the Jammu canal. A number of them were released there and then, while the rest were taken back to jail where they were not given any blankets, as a result of which one Nathu Ram got pneumonia. He was sent by the police in a very precarious condition to his house where within 24 hours he expired. The police left three others also at their houses in a very dangerous condition.

# SITUATION IN JAMMU

Times of India

## Sangh To Send Observers

3 Jan.

From Our Own Correspondent

KANPUR, January 1: Seven observers of the All-India Bharatiya Jan Sangh will shortly leave for Jammu to find out the full facts regarding the internal situation in the State.

The members of the delegation were named by the new Executive Committee of the Jan Sangh yesterday.

The seven-man delegation includes Mr. Lal Singh, Deputy Speaker, Rajasthan Assembly; Mr. Hari Dutt, Secretary, Samyukta Dal; Mr. Umaid Singh, M.L.A., Uttar Pradesh, and Mr. Premnath Joshi, Ambala.

A Committee of Action, which will be appointed by the President of the Jan Sangh in pursuance of a resolution of the Jan Sangh Conference on Kashmir, will also be authorised to deal with the problem of East Bengal Hindus.

Page. 51

# Dr. Mookerjee Against Any Plebiscite In Jammu & Kashmir

Hindusthan Standard

## Verdict By State Consembly Demanded

3 Jan.

By A Staff Correspondent

*Addressing a Press conference in Delhi on Friday, Dr. Syama Prasad Mookerjee, President, Bhartiya Jan Sangh, expressed himself against holding of a plebiscite in Jammu and Kashmir to decide the State's future relation with India.*

THE Constituent Assembly of Jammu and Kashmir, he demanded, should immediately pass a resolution on the State's irrevocable accession to India and thus set at rest any doubts in the mind of the people of Jammu about their future.

Dr. Mookerjee disclosed that during his last visit to Kashmir the Premier of that State had told him that he was prepared to pass a resolution to this effect in the Constituent Assembly but the Prime Minister, Sri Jawaharlal Nehru, was opposed to it.

Stressing the need for a peaceful and amicable settlement of the Jammu question, he said that if for any reason Sheikh Abdullah felt that he could not carry the people of Kashmir valley with him at the moment, there was no reason why the people of Jammu and Ladakh should not be given the opportunity to accept in toto the provisions of the Indian Constitution.

Dr. Mookerjee repudiated that the movement in Jammu had been instigated by the Jan Sangh and maintained that it was spontaneous and the responsibility for starting it rested with the accredited representatives of that State.

Referring to the East Bengal situation, he said that the continuance of the present policy of weakness, cowardice and appeasement would intensify popular bitterness and would create a situation for which the entire responsibility would be of the Government.

He condemned the lathi-charge and use of tear gas on a group of demonstrators in Delhi on December 31 last and said that this indicated how a peaceful situation could be turned into something serious by the mistakes of local authorities.

Dr. Mookerjee said that the two resolutions on which the Kanpur session of the Bharatiya Jan Sangh had laid special stress were on Kashmir and East Bengal. In regard to both of these the Government of India had a special responsibility. The Jan Sangh had urged that both these matters should be settled as early as possible.

# INTEGRATE JAMMU AND LADAKH WITH INDIA

The Tribune — 30 Dec.

## Dr. Mookerjee's Plea

## ADDRESS TO JAN SANGH CONFERENCE

DR. S. P. MOOKERJEE

KANPUR, Dec. 29.

**"JAMMU and Ladakh must be fully integrated with India and if Sheikh Abdullah is adamant, Kashmir valley may be recognised as a separate state within the Indian Union", said Dr. S. P. Mookerjee, delivering his presidential address to the first all-India session of the Jan Sangh here to-day.**

Speaking at length about the situation in Kashmir, Dr. Mookerjee said, "Our party has made it abundantly clear that the entire State of Jammu and Kashmir is an integral part of India. Whatever may have been the reason for the original reference of the case to the Security Council, events during the last three years definitely indicate the need for withdrawing the case from this body."

Everything must be done to remove the entire State of Jammu and Kashmir "from the clutches of the enemy."

The Constituent Assembly of Kashmir should be requested to decide the question of accession to India irrevocably. Then two matters would remain to be solved. "One related to the future of the Pakistani-occupied area in Jammu and Kashmir, and the other to the applicability of the Indian Constitution to the State."

The people of Jammu and Ladakh, Dr. Mookerjee said, had declared themselves in favour of full accession. "If the people of the Kashmir valley think otherwise there may be even some special provision for this zone for the time being.

"We would readily agree to treat Kashmir valley with Sh. Abdullah as its head in any special manner and for such time as he would like, but Jammu and Ladakh must be fully integrated with India according to the wishes of the people. Let me repeat and State categorically that I do not want Jammu and Kashmir to be partitioned.

"But if Sheikh Abdullah is adamant, Jammu and Ladakh must not be sacrificed but Kashmir valley may be a separate State within the Indian Union, receiving all necessary subventions and being treated constitutionally in such manner as Sheikh Abdullah and his advisers may wish for," Dr. Mookerjee said.

He added that the movement started by the Praja Parishad had been "grossly and deliberately misrepresented." Mr. Nehru and Sheikh Abdullah had jointly decided "to carry on a ruthless policy of repression in Jammu."

"Even at this late stage I would appeal to Mr. Nehru and Sheikh Abdullah to cry a halt and not to stand on false prestige. They must open negotiations with the present leaders of Jammu and reach a fair settlement.

"As a first step, he added, ...

## India Needs Psychological Shake-Up

The Tribune 3 Dec

(Continued from page 1, col. 3)

ment to do the right thing," and the people would no longer be deluded by "mere promises and plans."

"India needs a big psychological shake-up and the plan, unfortunately, does not fulfil this essential requirement. Still I must recognise that the proposals embody the result of much laborious and intelligent activity and they seek to give out a co-ordinated picture of some of the colossal problems of India's social and economic reconstruction," he said.

He said he wanted to utter some words of caution for the fulfilment of the plan "such as it is". It was essential that men chosen for the administrative machinery were qualified and possessed "that broad-mindedness and spirit of service which will mark them out not merely as paid employees but as agents for ushering in a new era of national advance".

### JAN SANGH'S WORK

"Reviewing the activities of the Jan Sangh since its formation in October 1951, Dr. Mookerjee said its participation in the general elections was a "daring endeavour" though the results were "disappointing."

The defeat at the polls "produced a somewhat depressing atmosphere in many places and we had to take special steps for revitalising our activities."

It was still an infant organisation, and the greatest need was to set up as speedily as possible a network of branches throughout the country.

"While the ideology that we have adopted must reach one and all, we must undertake some useful and constructive activities. The recent movement for a ban on cow slaughter and cow preservation presented an opportunity for economic advance. What we need is a band of selfless workers who should be given adequate opportunities and help for such purposes."

Speaking about the development of Hindi as the State language, Dr. Mookerjee added: "At the same time we recognise the imperative need for developing other Indian languages. Great as ... they have been the ... by expressing deepest ...

Page. 21

30/12/52

### PARISHAD PROCESSION THRICE TEAR-GASSED

(From Our Own Correspondent)

JAMMU, Dec. 29.—A Parishad procession, comprising about 400 people which was taken out in defiance of Kashmir defence Rules was thrice tear-gassed this evening at Kathua, 55 miles from here on the Jammu-Pathankot Road.

The processionists are reported to have pelted stones on the authorities on duty and re-assembled after being tear-gassed again and again.

Thirteen officials were stated to have been injured and three arrests made.

Earlier, a national conference leader addressed a meeting of National Conference workers at Kathua and explained to them the "grave consequences" of the Parishad movement.

The Kashmir Government have appointed Mr. Harikishenlal, Naib Tehsildar at Sunderbani, the scene of yesterday's firing on the Jammu-Poonch Road, as a magistrate (second class) within local limits of his jurisdiction for six months.

Today no demonstration took place in Jammu city. Nine arrests were made in Riasi. The unauthorised procession was taken out in Samba but no arrest was made.

### Traffic Being Closely Guarded

(From Our Own Correspondent)

JAMMU, Dec. 29.—According to a Praja Parishad release, traffic is being so closely guarded by the police and militia in and around Sunderbani that even after a lapse of 24 hours since the firing took place, details regarding the dead and wounded are not forthcoming, despite attempts. The processionists were fired because they insisted on hoisting the Union flag on the tehsil building, according to a Parishad version.

The Tribune

### Movement To Counteract Parishad Agitation

3 Dec

(From Our Own Correspondent)

JAMMU, Dec. 29.—Many National Conference workers from here have been sent to Punjab to carry on propaganda against Praja Parishad movement. Many top ranking Parishad leaders are touring the Punjab ever since their movement was started. Recently Shri Durga Dass overall incharge of the Parishad movement is also reported to have visited the Punjab.

Here in Jammu strenuous efforts are being made by the highest National Conference leadership to organise counter movement to the Parishad agitation. Attempts are being made by them to rally all National Conference workers including those who during the past two or three years have broken from the organisation for one reason or the other. Besides, daily meetings of the National Conference workers are being convened to give them line of action which they are expected to carry with them in their respective villages to counter the Parishad movement.

Meanwhile in view of Government's attitude during the past few days to ignore the Parishad 'satyagrahis' who offer themselves for arrest, latter are learnt to have decided, as they did yesterday, to squat if they were not arrested, instead of dispersing on being ignored by the police.

# प्रमुख घटनाएँ

# प्रमुख घटनाएँ

## 1947

### अगस्त

14 – ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ और धर्मतंत्र आधारित पाकिस्तान नामक एक नया राज्य बना।

15 – अर्धरात्रि के समय का स्पर्श होते ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

19 – लाई माउंटबेटन नें श्रीनगर का दौरा किया।

### अक्तूबर

15 – न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन नें जम्मू–व–कश्मीर के प्रधानमंत्री के रुप में पदभार संभाला।

22 – पाक सेना द्वारा समर्पित सशस्त्र जनजातियों ने केई स्थानों पर राज्य के क्षेत्रों में प्रवेश किया।

24 – बारामूला और श्रीनगर की ओर कबाईली आदिवासी आक्रमणकारी आगे बढ़ते हैं। राज्य सेना प्रमुख ब्रिगेड़ियर राजेंद्र सिंह की हत्या। मोहरा में एकमात्र पावर स्टेशन हमलावरों द्वारा नष्ट कर दिया गया। घाटी अंधेरे में डूब गई। महाराजा ने अपने उपप्रधानमंत्री को पत्रों के साथ सहायता प्राप्ति हेतु दिल्ली रवाना किया।

26 – महाराजा हरि सिंह नें भारत के साथ विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर किए।

27 – गवर्नर–जनरल माउंट बैटन नें विलय प्रपत्र को स्वीकार कर लिया। भारतीय सैनिाकें का पहला जत्था, पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरी।

30 – महाराजा हरि सिंह नें शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को आपातकालीन प्रशासन का प्रमुख नियुक्त किया।

### नवंबर

17 – प्रजा–परिषद् का जन्मदिन।

### दिसंबर

01 – महाराजा हरि सिंह नें जम्मू रेड़ियो स्टेशन का उदघाटन किया।

# 1948

## जनवरी

01 – पाकिस्तान को इस राज्य पर आक्रमण करनें में भाग लेनें या सयायता करनें से रोकने के लिए भारत नें सुरक्षा–परिषद् से संपर्क किया।

## फरवरी

05 – प्रधानमंत्री के रुप में सुरक्षा–परिषद् को संबोधित करते हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह नें कहा कि आक्रामकता के कारण विलय नहीं हो सकता।

## मार्च

05 – महाराजा ने अंतरिम सरकार की घोषणा की जिसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को प्रधानमंत्री के रुप में शपथ दिलाई गई।

## जून

01 – सार्वजनिक क्षेत्र के पहले उपक्रम के रुप में सरकारी परिवहन उपक्रम का जन्म हुआ।

## जुलाई

01 – रेड़ियो कश्मीर श्रीनगर का उदघाटन, गुरेज़ छुड़वा लिया गया।

04 – राजौरी जिले के जहांगर इलाके में पाकिस्तानी हमलावरों और सैनिकों से लड़ते हुए ब्रिगेड़ियर उस्मान वीरगति को प्राप्त हुए।

11 – लेह पर कबाईली हमला बिफल किया गया।

## नवंबर

01 – भारतीय सैनिकों नें टैंको सहित 11578 फुट ऊँचाई पर स्थित जोजिला को पार किया।

02 – जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।

## 1949

### जनवरी

01 – पिछली आधी रात से युद्धविराम प्रभावी हुआ।

05 – संयुक्त राष्ट्र में जनमत संग्रह संबंधी सशर्त प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें जम्मू–व–कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र को खाली करवानें की भी एक शर्त थी।

### अप्रैल

28 – महाराजा हरि सिंह जम्मू छोड़कर दिल्ली चले गए।

### जून

06 – अंतरिम सरकार द्वारा चार व्यक्तियों को संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए भारतीय संविधान लागू करने हेतु नामित किया गया। वे थे शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह, मिर्जा सईद मसुदी, मोती राम बैगरा।

16 – शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह, मौलाना मसूदी, मिर्जा अफज़ल बेग और मोती राम बैगरा ने संघीय संविधान सभा दिल्ली में अपना स्थान ग्रहण किया।

20 – महाराजा हरि सिंह नें दिल्ली में उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए युवराज करण सिंह को राजप्रतिविधि बनाया।

### अक्तूबर

17 – संघ के संविधान में अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया गया।

## 1952

### जनवरी

15 – छात्रों नें प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्लाह द्वारा नेशनल कॉंफ्रेस का ध्वज फहरानें का विरोध किया, जिसके परिणामस्वरुप छात्र आंदोलन प्रारंभ हो गया।

### फरवरी

08 – मुबारक मंडी में तत्कालीन सिविल सचिवालय के बाहर छात्रों द्वारा बड़ा प्रदर्शन, जिसकें परिणामस्वरुप पुलिस फायरिंग हुई और जम्मू शहर में 72

घंटे कर्फ्यू लगा। पंड़ित प्रेमनाथ ड़ोगरा जी और कुछ अन्य को गिरफ्तार किया गया।

## मई

05 – संविधान एवं राज्य विधान सभा में वर्ष 1952–53 का पहला नियमित बजट प्रस्तु किया गया जिसमें रु 141.75 लाख का घाटा दर्शाया गया।

## जून

19 – भारत के राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी ने जम्मू को दौरा किया और पंड़ित प्रेम नाथ डोगरा जी के नेतृत्व में प्रजा–परिषद् के एक प्रतिनिधिमंडल ने शेख सरकार के अलगाववादी कदमों के विरुद्ध उनको एक ज्ञापन सौंपा।

## जुलाई

24 – प्रधानमंत्री नेहरु ने दिल्ली समझौते के तहत जम्मू–व–कश्मीर के लिए विशेष स्थान की घोषणा की। संसद ने बताया कि भारत के साथ कश्मीर का पूर्ण–विलय विधिपूर्वक एवं तथ्यआधारित है।

28 – शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह नें लाल चौक पर उद्घोषणा की कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है।

## नवंबर

14 – महाराजाओं के शासक वंश का अंत हुआ।

15 – 106 वर्षों से प्रचलित वंशानुगत नियमों के समाप्त कर दिया गया। राज्य की संविधान सभा नें युवराज कर्ण सिंह जी को सदर–ए–रियासत चुन लिया।

17 – कर्ण सिंह ने सदर–ए–रियासत का पद्भार सँभाला।

26 – पंडित प्रेमनाथ ड़ोगरा अन्य सत्याग्रहियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और इस राज्य एवं शेष भारत के बी बाधाओं को दूर करने के लिए आंदोलन शुरु किया गया।

# 1953

## मई

11 – डॉ॰ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट राज्य (रियासत) में प्रवेश किए और एक जीप में श्रीनगर ले जाए गए।

## जून

23 – हिरासत (अवरोधन दंड) के दौरान रहस्यमयी परिस्थितियों में डॉ॰ मुखर्जी की मृत्यु हो गई।

## जुलाई

07 – प्रधानमंत्री ज्वाहर लाल नेहरु के अपील पर प्रजा–परिषद् / भारतीय जन संघ का आंदोलन वापस ले लिया गया।

## अगस्त

08 – रात्री के समय शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह को अपदस्त कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसी रात को बख्शी गुलाम मोहम्मद ने राज्य के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला।

09 – सदर–ए–रियासत युवराज कर्ण सिंह जी नें राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया, शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह गिरफ्तार कर लिए गए, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने प्रधानमंत्री के रुप में शपथ ली।

# 1954

## फरवरी

06 – संविधान सभा नें भारत के साथ राज्य के पूर्णविलय की पुष्टि की।

## मई

14 – अनुच्छेद 370 के अंतर्गत राश्ट्रपति द्वारा निर्गत संविधान (जम्मू व कश्मीर को लागू होगा) आदेश द्वारा अपवादों और संशोधनों के साथ राज्य पर केंद्रिय संविधान का विस्तार किया।

17 – श्रीनगर को टेलीप्रिंटर द्वारा दिल्ली से जोड़ा गया।

## दिसंबर

31 – लोक सेवा भर्ती बोर्ड़ की स्थापना की गई।

## 1955

### जनवरी

05 – बनिहाल सुरंग पर काम शुरु।

### दिसंबर

10 – सोवियत नेता बुल्गाना और क्रुश्चेव / क्रुश्चेव श्रीनगर पहुँचे और घोषणा की कि कश्मीर का प्रश्न कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग (राज्य) है या नहीं, कश्मीरियों द्वारा सुलझा लिया गया है।

## 1956

### मार्च

16 – चीन के चाउ–एन–लाई ने कहा कि कश्मीर के लोग भारत में प्रवेश के बारे में अपनीं इच्छा व्यक्त कर चुके हैं।

### अक्तूबर

19 – सरकार ने श्रीनगर में मेड़िकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया।

### नवंबर

17 – राज्य संविधान सभा नें संविधान को अंगकिार करते हुए राज्य को भारत का अविभाज्य अंग घोषित किया।

20 – पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर ने निश्चित रुप से भारत के साथ संगठित होनें का विकल्प चुना है।

### दिसंबर

22 – उपराष्ट्रपति डॉ॰ राधाकृष्णन ने जवाहर सुरंग का उद्घाटन करते हुए उसे आम जनता के लिए खोलने की घोषणा की।

## 1957

### जनवरी

26 – राज्य का संविधान लागू हुआ।

## सितंबर

02 – भर्ती बोर्ड के स्थान पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।

# 1958

## मई

01 – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का अधिकार क्षेत्र जम्मू व कश्मीर तक बढ़ा दिया गया।

# 1959

26 – जम्मू व कश्मीर उच्च न्यायालय को भारत में अन्य उच्च न्यायालयों के समकक्ष लाया गया।

# 1960

## सितंबर

23 – क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में खोला गया।

## नवंबर

01 – पहली बार केंद्रीय चुनाव आयोग ने ज़दीबल निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के लिए उपचुनाव करवाए।

05 – जम्मू में नए सिविल सचिवालय भवन का उदघाटन।

# 1961

## अप्रैल

26 – महाराजा हरिसिंह 64 वर्ष की आयु में बॉम्बे में स्वर्गवास हो गए।

# 1962

## अप्रैल

27 – सुरक्षा परिषद् में सीवियत प्रतिनिधियों ने कहा कि कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होनें का प्रश्न कश्मीर के लोगों द्वारा तय किया जा चुका है।

### अक्तूबर

20 – चीन ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया।

### नवंबर

21 – चीन ने लद्दाख में 14500 वर्ग मील पर कब्जा करनें के बाद एक तरफा युद्धविराम की घोषणा की।

## 1963

### मार्च

01 – पाकिस्तान नें सीमा समझौते के तहत चीन को अपनें नियंत्रण में 200 वर्ग मील (इस राज्य का क्षेत्र जो उसके अबैध कब्जे में था) क्षेत्र गैर कानूनी ढंग से स्थानांतरित कर दिया।

### अक्तूबर

02 – प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मोहम्मद नें कामराज योजना के तैहत इस्तीफा दे दिया।

## 1964

### दिसंबर

03 – संघीय संविधान ने अनुच्छेद 356 एवं 357 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य तक करने बाले निर्णय की घोशणा की गई।

## 1965

### जनवरी

19 – भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जम्मू में अपनी राज्य इकाई स्थापित की।

26 – नेशनल कॉफ्रेंस, जम्मू व कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित हो गई जिसके अध्यक्ष थे सैयद मीर कासिम।

### मार्च

30 – राज्य संविधान में संशोधन किया गया। सदर–ए–रियासत और प्रधानमंत्री

वाली नामावली क्रमशः राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रुप में परिवर्तित कर दी गई।

## अगस्त

05 – पाकिस्तान नें सशस्त्र गुरिल्लाओं को कश्मीर में धकेल दिया।

## सितंबर

02 – संयुक्त राश्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद् को सूचित किया कि उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से युद्धविराम रेखा को पार करनें वाले सशस्त्र व्यक्ति के साथ शुरु होते हैं।

03 – सुरक्षा परिषद् ने तत्काल युद्ध विराम और सुरक्षाबलों की वापसी को कहा।

04 – भारतीय सैनिकों ने लाहौर सेक्टर में सीमा पार की।

05 – भारतीय सैनिकों ने सियालकोट सेक्टर में प्रवेश किया। सुरक्षा परिषद् नें पुनः सैनिकों को अगस्त–पाँच बाली स्थिति में वापसी करनें का आग्रह किया।

11 – संघर्ष विराम लागू हुआ।

# 1967

## नवंबर

06 – क्षेत्रीय भेदभाव की शिकायतों की जाँच करने के लिए ग्रजेंद्रगढ़कर आयोग गठित किया गया।

18 – टेलीफोन की सीधी ड़ायलिंग प्रणाली द्वारा श्रीनगर को दिल्ली से जोड़ा गया।

# 1968

## दिसंबर

03 – गजेन्द्र गढ़कर आयोग की रिपोर्ट मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की गई।

19 – मौलवी मोहम्मद फारुक कश्मीर के मिरवाइज़ बन गए।

## 1969

### अगस्त

09 – पहली बार कश्मीर में पंचायती चुनाव हुए।

### सितंबर

05 – जम्मू के लिए अलग विश्वविद्यालय बनाया गया।

18 – मुख्यमंत्री ने जम्मू में टाऊन हॉल का शिलान्यास किया।

## 1970

### मई

01 – सरकार ने सरकारी नौकरीयों में 8 प्रतिशत अनुसूचित जातिओं, 42 प्रतिशत पिछड़ें वर्गों जिनमें 2 प्रतिशत लद्दाख के लिए सम्मिलित था, की घोषणा की।

09 – श्रीनगर दूरदर्शन केन्द्र का नींव पत्थर रखा गया।

## 1971

### अगस्त

24 – भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 राज्य पर लागू किया गया।

### दिसंबर

03 – पाकिस्तान नें भारत पर हमला किया। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित।

06 – भारत नें बांगलादेश को मान्यता दी। पाक वायु सेना ने जम्मू पर आक्रमण किया।

16 – बंगलादेश में पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना शर्त आत्मसमर्पण। भारत नें पशचिमी मोर्चे पर एकतरफा युद्ध विराम की घोशणा की।

## 1972

### फरवरी

10 – शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह नें कहा, "... भारत सरकार के साथ हमारी लड़ाई

विलय के बारे में नही है परंतु स्वायत्तता की मात्रा को लेकर है..."।

20 – कैंसर के कारण पंड़ित ड़ोगरा जी का जम्मू में निधन हो गया।

## जुलाई

15 – हृदयाघात के कारण बख्शी गुलाम मोहम्मद की मृत्यु हो गई।

## अक्तूबर

02 – 25 वर्षों पश्चात रेलवे के नक्शे पर जम्मू वापस लौटा

# 1973

## नवंबर

10 – कश्मीर का भारत के साथ विलय (परिग्रहण) अंतिम एवं पूर्ण है, ऐसा वक्तव्य शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह नें पुनः दोहराया।

# 1975

## फरवरी

25 – शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह नें तीन कैबिनेट मंत्रियों, एम.ए.बेग, डी.डी. ठाकुर, सोनम नरबो के साथ मुख्यमंत्री पद संभाला।

## जुलाई

05 – जनमतसंग्रेह मोर्चा भंग कर दिया गया।

मार्च

13 – संसद ने इंदिरा शेख समझौते को मंजूरी दी।

## जून

29 – जम्मू और कश्मीर में आपातकाल की घोषणा देश के अन्य हिस्सों के अनुरुप कर दी गई।

## 1985

### अप्रैल

26 – श्री जगमोहन ने जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल के रुप में पदभार संभाला।

## 1989

### सितंबर

14 – राज्य भाजपा के उपाध्यक्ष टीका लाल टपलू को आतंकवादियों ने गोली चलाकर मार डाला।

### दिसंबर

13 – रुबीया सईद की रिहाई के बदले में पाँच उग्रबादीयों को छोड़ा गया।

## 1990

19 – जगमोहन को पुनः गर्वनर नियुक्त किया गया। डॉ॰ फारुक अब्दुल्लाह ने विरोध स्वरुप इस्तीफा/ त्यागपत्र दे दिया। राज्यपाल शासन लगा दिया गया और राज्य विधानसभा को निलंबित रखा गया।

### मई

25 – राज्यपाल जगमोहन जी नें त्यागपत्र दे दिया।

## 1992

### जनवरी

26 – भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी नें भारतीय तिरंगा लाल चौक में फहराया।

## 1994

### मार्च

13 – राज्यपाल राव नें अखनूर पुल का उदघाटन किया।

## सितंबर

03 – राज्यपाल राव नें जानीपुर, जम्मू में उच्च न्यायालय परिसर का उदघाटन किया।

## 1995

## जुलाई

20 – पुरानी मंड़ी (जम्मू) में हुए बम धमाके में 60 लोग घायल एवं 19 लोग मारे गए।

# दो शब्द
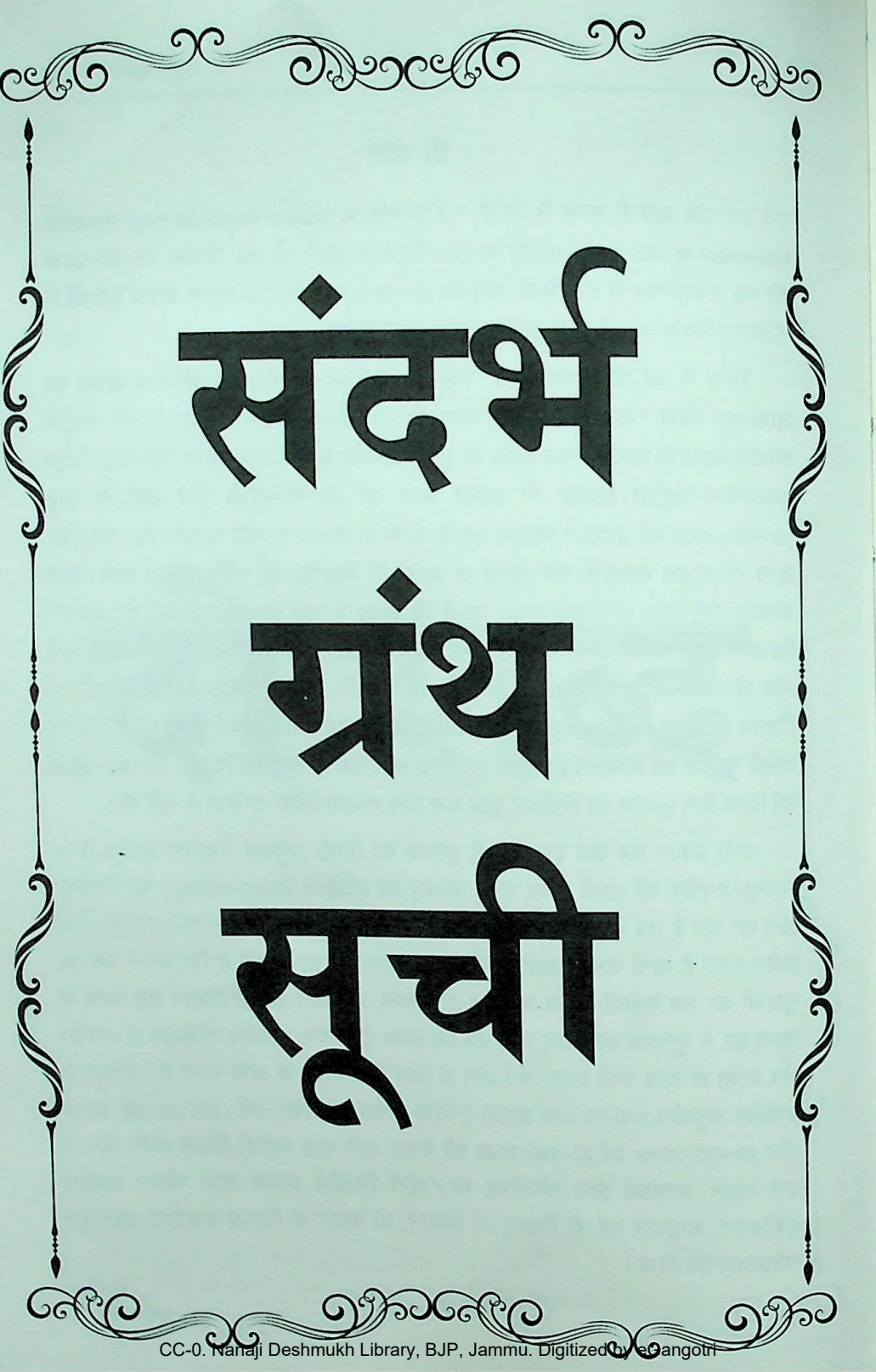
# दो शब्द

गत् वर्ष जब अंग्रेजी भाषा में लिखी गई पुस्तक "A Saga of Sacrifices Praja Parishad Movement In J&K (1952-1953)" बनकर तैयार हो चुकी थी, तब दिनांक 12–06–2018 को यह सर्वसम्मित से तय किया गया कि 23–06–2018 को डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उपर्युक्त पुस्तक का विमोचन किया जाएग।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विमोचन समारोह एवं बलिदान दिवस का आयोजन स्थल ''कन्वेंशन सैंटर'' गेस्ट हाऊस, तालब तिल्लो रहेगा जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय राम लाल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहने वाले थे एवं तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी भी सम्मिलित होने वाले थे परंतु 19–06–2018 को प्रदेश में भाजपा एवं पी.डी.पी के गठबंधन वाली सरकार गिर गई। यह सारा घटनाक्रम एकाएक मेरी आंखों के सामने से चित्रपट्ट की भांति गुजरनें लगा। ऐसा आभास होने लगा मानों इस महान संघर्ष की गाथा से जुडे हुए सभी शहीदों की आत्माएँ जिन्होनें अपने जीवन काल में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के विरूद्ध लडाई लड़ी और जीवन पर्यन्त संघर्ष करते रहे, वे नहीं चाहते थे कि उसी दो विधान, दो प्रधान और दो निशान के संबल तले अपनें लोगों के सरकार मे रहते हुए हमारी संघर्ष गाथा पर लिखी गई पहली पुस्तक का विमोचन हो। अतः तय शुदा कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 23–06–2018 को जिस दिन पुस्तक का विमोचन हुआ उस दिन भाजपा प्रदेश सरकार में नहीं थी।

उसी प्रकार अब जब इस अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद जिसका शीर्षक है :– ''जम्मू–कश्मीर की संघर्ष गाथा, प्रजा परिषद् का इतिहास (1947–1964)'' का विमोचन होने जा रहा है तब भी भाजपा प्रदेश सरकार में नहीं है, गर्वनर शासन चल रहा है। ऐसा प्रतीत होता है मानों समस्त शहीदों की महान आत्माएँ ऐसा चाहती हैं कि अगले वर्ष डा० मुखर्जी का जब शहीदी दिवस आए तब दो विधान, दो प्रधान एवं दो निशान इस राज्य के पटल पर से पूर्णतया हटा लिए जाएं एवं यह राज्य पूर्णरूपेण भारतीय संविधान के अंतर्गत शेष भारत के साथ उसी प्रकार अंगीकार हो जाए जैसे भारत के अन्य राज्य हैं। वर्तमान में प्रचलित अनुच्छेद 370 एवं धारा 35(अ) पूर्णतया निरस्त कर दिए जाएं। अत 23–06–2018 और 23–06–2019 एवं 23–06–2020 को मनाएं जाने वाले शहीदी दिवस अपने आप में उन महान आत्माओं द्वारा संचालित रहे/रहेगें जिन्होनें अपना सारा जीवन राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रवाद एवं दो विधान, दो निशान, दो प्रधान के विरूद्ध संघर्षरत रहते हुए न्यौछावार कर दिया।

भवदिय<br>
कुल भूषण मोहत्रा

# संदर्भ ग्रंथ सूची

## संदर्भ ग्रंथ सूची :–


1. वर्मा, दुर्गा दास (1951), मेमोरेंडम अबाउट प्रजा–परिषद् स्टैण्ड़, नई दिल्ली।
2. गुप्ता, चमन लाल (2010), आर्टिकल–370 ए थोर्न, चमन लाल गुप्ता फाउंड़ेशन जम्मू–182.
3. ओरिजिनल ड़ॉक्यूमेंट ऑफ प्रजा–परिषद; ऑब्जेक्टिवस ओवर सेपरेट कॉन्स्टियूशन।
4. जनता के ह्रदय सम्राट, जय स्वदेश (जम्मू) 13 सितंबर 1955 प्रजा–परिषद्, जम्मू।
5. ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स।
6. जम्मू–व–कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली ड़िबेट्स 1958, 1960 एवं 1967.
7. म्हाजन, मेहर चंद (1947), लुकिंग बैक...।
8. इण्ड़िया, मिनिस्टरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्सः कश्मीर इश्यू।
9. शर्मा, जी॰डी॰ (2014), पलाईट ऑफ जम्मू एवं कश्मीरः दी अननोन फाईल्स, मानस पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 552.
10. जेल ड़ायरी (1952–53), गुप्ता, साँझी राम।
11. अग्निहोत्री, कुलदीप चंद (2015), जम्मू कश्मीर की अनकही कहानी, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 279
12. मीटिंग्स विद ड़िफरेंट ओल्ड़ एक्टिविस्ट्स।
13. शर्मा, श्याम लाल (1952) पंडित प्रेम नाथ डोगरा/ एक व्यक्तित्व, विजय प्रिंटिंग प्रेस, जम्मू।
14. विभिन्न समाचार पत्रों की पुरानी कटिंगस।
15. वर्ष 1951 के उपरांत विधानसभा सत्र की कार्यवाहीयाँ।
16. तहरीक–ए–कश्मीरः बुक।
17. गुप्ता, साँझी राम, विष धारा–370
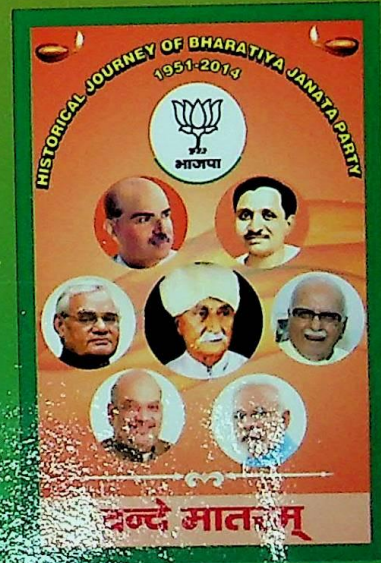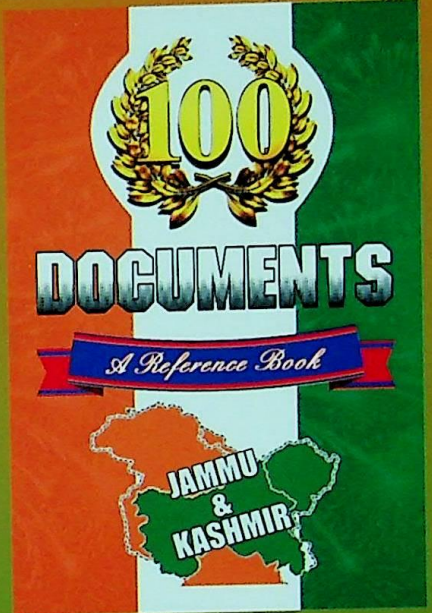
सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा
मैं देश नहीं झुकने दूंगा

मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे
मेरा अंबर पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे

मेरा वचन है भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा
सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा
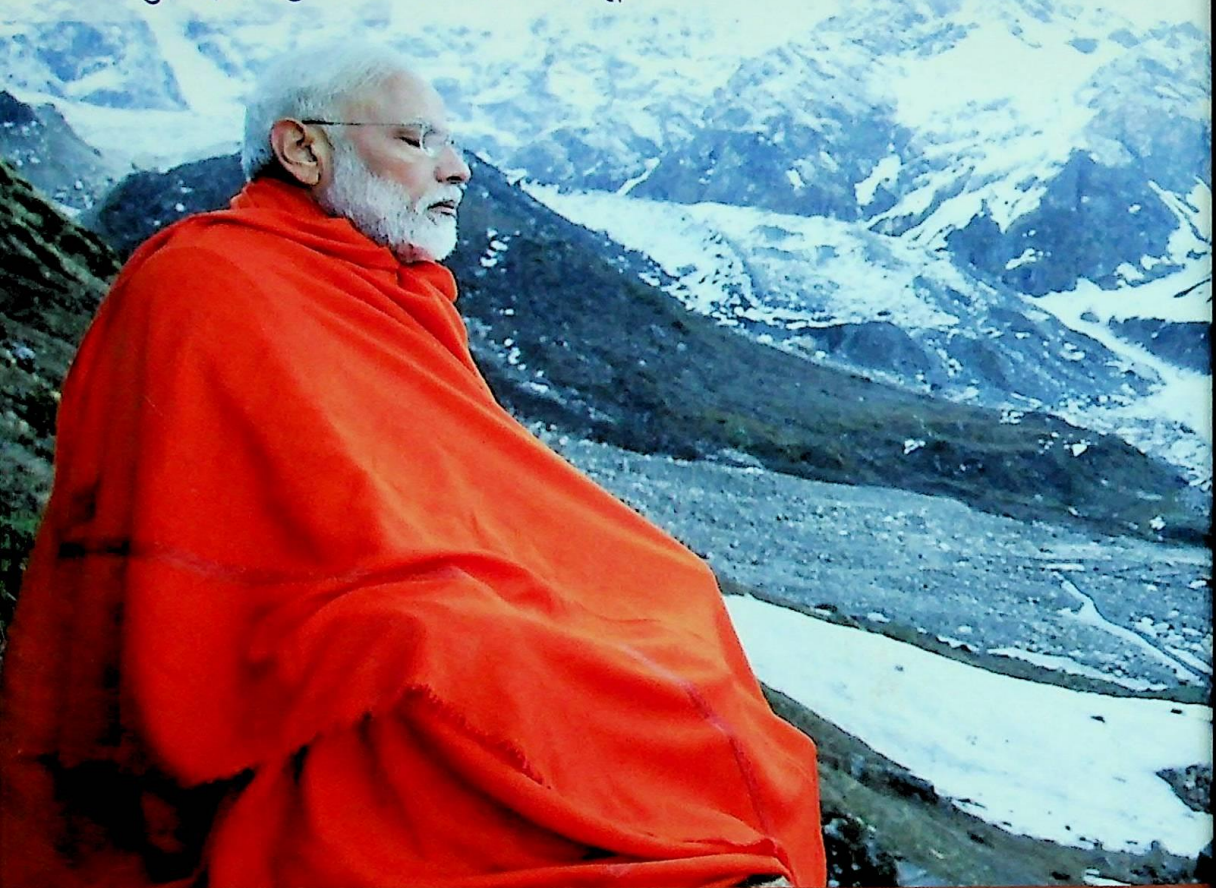
स्वतंत्र भारत के आज तक के सबसे प्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, सामाजिक समरसता, एकता, विकास एवं राष्ट्रसम्मान के प्रहरी, भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री

**माननीय श्री नेरन्द्र दामोदर दास मोदी जी**

को समर्पित

**कश्मीर की संघर्ष गाथा प्रजा परिषद् का इतिहास**

**कुल भूषण मोहत्रा**

प्रभारी–नाना जी देशमुख पुस्तकालय एवं प्रलेखन विभाग, भाजपा, (जम्मू व कश्मीर)

मुद्रक: सी. के. मुद्रक एवं प्रकाशक, न्यू प्लाटस, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) मो0 94191-87650